त्रयोदश माला, खंड 2, अंक 5

शुक्रवार, 3 दिसम्बर, 1999
12 अग्रहायण, 1921 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दूसरा सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

PARLIAMENT LIBRARY
No.
Date

(खंड 2 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. अशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव

हरनाम सिंह
संयुक्त सचिव

प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक

केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

जे.एस. वत्स
सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

अरूणा वशिष्ठ
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 2, दूसरा सत्र, 1999/1921 (शक)]

अंक 5, शुक्रवार, 3 दिसम्बर, 1999/12 अग्रहायण, 1921 (शक)

विषय	कालम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 81 से 83	1–31
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 84 से 89 और 91 से 100	31–82
अतारांकित प्रश्न संख्या 768 से 937 और 939 से 962	82–435
सभा पटल पर रखे गए पत्र	435–467
सभा का कार्य	467–477
समिति के लिए निर्वाचन	
केन्द्रीय रेशम बोर्ड	477–478
महात्मा गांधी और श्रीमती इन्दिरा गांधी को विश्व द्वारा इस सहस्त्राब्दि की महान विभूतियों के रूप में मान्यता दिए जाने पर श्रद्धांजलि	499–500
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
देश में नारियल की फसल को क्षति पहुंचाने वाला गंभीर कुटकी रोग	500–528
श्री पी.सी. थामस	500
श्री नीतीश कुमार	519, 525
श्री जी.एम. बनातवाला	508
श्री रमेश चेन्नितला	512
श्री कोडीकुनील सुरेश	515
श्री सुरेश कुरूप	516

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित +' चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कालम
खान और खनिज (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक	528–530
विचार करने के लिए प्रस्ताव	528
श्री नवीन पटनायक	528
श्री के.पी. सिंह देव	529
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक...	530–562
(एक) लोक सभा (प्रशासन) विधेयक	
श्री जी.एम. बनातवाला	530
(दो) विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिक (निर्वाचन में मताधिकार) विधेयक	
श्री जी.एम. बनातवाला	531
(तीन) आरक्षण (सेवाएं और उच्च शिक्षा) विधेयक	
श्री जी.एम. बनातवाला	531
(चार) आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) (विधिक कार्यवाही को वापस लेना) विधेयक	
श्री जी.एम. बनातवाला	532
(पांच) संविधान (संशोधन) विधेयक (नए अनुच्छेद 75क आदि का अंतःस्थापन)	
श्री किरीट सोमैया	533
(छह) महिला अधिकारिता विधेयक	
डा. वी. सरोजा	533
(सात) चिकित्सा वृत्ति (विनियमन) विधेयक	
डा. वी. सरोजा	534
(आठ) निवेशक संरक्षण विधेयक	
श्री किरीट सोमैया	534
(नौ) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 311 का संशोधन)	
श्री बसुदेव आचार्य	535
(दस) लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र शासन विधेयक	
श्री बसुदेव आचार्य	535
(ग्यारह) ठेका, श्रम (विनियमन और उत्सादन) (संशोधन) विधेयक (धारा 1 आदि का संशोधन)	
श्री बसुदेव आचार्य	536

विषय	कालम
(बारह). संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक (अनुसूची का संशोधन)	
श्री बसुदेव आचार्य	536
(तेरह) भारतीय प्रौद्योगिकी बैंक विधेयक	
श्री किरीट सोमैया	537
(चौदह) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 58 आदि का संशोधन)	
श्री किरीट सोमैया	537
(पन्द्रह) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 74 और 163 का संशोधन)	
श्री उत्तमराव पाटील	562
(सोलह) संविधान (संशोधन) विधेयक (उद्देशिका आदि का संशोधन)	
श्री हरपाल सिंह साथी	562
गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प	
सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रम	563–594
विचार करने के लिए प्रस्ताव	564
श्रीमती गीता मुखर्जी	564
श्री सुदीप बंद्योपाध्याय	568
श्री प्रियरंजन दासमुंशी	571
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	576
श्री रामदास आठवले	579
प्रो. रासा सिंह रावत	580
श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयपन	585
श्री नवल किशोर राय	589
राज्य सभा से सन्देश	595–596

लोक सभा

शुक्रवार, 3 दिसम्बर, 1999/12 अग्रहायण, 1921 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11 बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

शिल्पकारों की दशा

*81. श्री अब्दुल रशीद शाहीन :
श्री अशोक ना. मोहोल :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में शिल्पकारों की दयनीय दशा की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनकी दशा को सुधारने के लिए सरकार द्वारा कोई कार्य योजना तैयार की गई है अथवा तैयार किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार भारतीय संस्कृति से जुड़े हस्तशिल्प को प्रोत्साहन देने के लिए ब्याज की कम दर पर ऋण उपलब्ध कराती है; और

(ङ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इससे राज्यवार कितने लोग लाभान्वित हुए?

[अनुवाद]

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा): (क) से (ङ) एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) से (ङ) यद्यपि देश में शिल्पियों की स्थिति को सुधारने की आवश्यकता है तथापि उपलब्ध जानकारी के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में शिल्पियों की प्रति व्यक्ति आय में गिरावट नहीं आई है। शिल्पियों की स्थिति सुधारने के लिए सरकार अनेक कल्याण स्कीमें कार्यान्वित कर रही है। इनमें वर्कशेड-सह-आवास, स्वास्थ्य पैकेज बीमा, समूह बीमा स्कीम, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त निर्धन सिद्धहस्त शिल्पियों के लिए पेंशन शामिल है।

कल्याण स्कीमों के अतिरिक्त कौशल, डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी को सुधारने, विपणन विकास सहायता देने, सामान्य सुविधा केन्द्र और प्रत्यक्ष विपणन के अवसर प्रदान करने की अनेक स्कीमें हैं। सरकार इन स्कीमों के तहत अनुदान देती हैं। वर्ष 1996-97 से 1998-99 की अवधि के दौरान विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत राज्यवार रिलीज की गई निधियों को दर्शाने वाला ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है।

यद्यपि कुछ स्कीमें शिल्पियों को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाती हैं अन्य स्कीमें कारीगरों को अप्रत्यक्ष लाभ मुहैया कराती हैं। वर्ष 1996-97 से 1998-99 तक की अवधि के दौरान शिल्पियों उन्मुखी स्कीमों के तहत राज्यवार शिल्पियों की संख्या अनुबंध-II में दी गई है।

शिल्पियों को विभिन्न बैंकों द्वारा ऋण दिया जाता है। बैंकों द्वारा सीधे दिए गए ऋण के आंकड़े इस समय उपलब्ध नहीं हैं। बैंक इस ऋण के बदले भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) एवं राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से पुन: वित्तीय सहायता ले सकता है यद्यपि, बैंक अपने पास उपलब्ध निधियों आदि के आधार पर हमेशा पुन: वित्तीय सहायता नहीं लेते। पुनः वित्तीय व्यवस्था बैंकों को दो लाख रुपये तक ऋण प्राप्त करने वाले कारीगरों/इकाईयों को कम ब्याज दर पर ऋण की सुविधा देती है जो बैंकों द्वारा ली जाने वाली मूल ऋण की ब्याज दर से अधिक नहीं होगी। वर्ष 1996-97 से 1998-99 के दौरान पुन: वित्त प्रदत्त हस्तशिल्प एककों की संख्या अनुबंध-III में दी गई है।

अनुबंध-I

वर्ष 1996-97 से 1998-99 की अवधि के दौरान सरकार द्वारा राज्य-वार रिलीज की जाने वाली निधियां

राज्य	राशि (लाख रुपये में)
1	2
आन्ध्र प्रदेश	168.18
अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	3.64

1	2
अरूणाचल प्रदेश	7.52
असम	336.98
बिहार	59.73
दिल्ली	418.68
गोवा	59.51
गुजरात	194.05
हरियाणा	163.15
हिमाचल प्रदेश	181.14
जम्मू एवं कश्मीर	106.30
कर्नाटक	135.48
केरल	106.84
मध्य प्रदेश	186.26
महाराष्ट्र	136.28
मणिपुर	81.43
मेघालय	5.79
मिजोरम	22.82
नागालैण्ड	60.99
उड़ीसा	318.13
पंजाब	47.62
पाण्डिचेरी	9.49
राजस्थान	79.32
सिक्किम	3.18
तमिलनाडु	177.42
त्रिपुरा	80.73
उत्तर प्रदेश	718.31
पश्चिम बंगाल	200.00
कुल	4068.97

अनुबंध-II

वर्ष 1996-97 से 1998-99 की अवधि के दौरान राज्य-वार लाभान्वित शिल्पियों की संख्या

क्रमांक	राज्य/संघ शासित प्रदेश	लाभान्वित शिल्पियों की संख्या
1	2	3
1.	असम	5636
2.	आंध्र प्रदेश	2677
3.	अरूणाचल प्रदेश	330
4.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	35
5.	बिहार	3059

1	2	3
6.	दिल्ली	3026
7.	गुजरात	2267
8.	गोवा	394
9.	हरियाणा	1280
10.	हिमाचल प्रदेश	1022
11.	जम्मू एवं कश्मीर	6629
12.	केरला	1656
13.	कर्नाटक	1680
14.	मध्य प्रदेश	2928
15.	महाराष्ट्र	1919
16.	मणिपुर	1440
17.	मेघालय	219
18.	मिजोरम	127
19.	नागालैंड	707
20.	उड़ीसा	4557
21.	पंजाब	804
22.	पांडिचेरी	654
23.	राजस्थान	11869
24.	सिक्किम	371
25.	तमिलनाडु	3511
26.	त्रिपुरा	743
27.	उत्तर प्रदेश	48492
28.	पश्चिम बंगाल	2178
	कुल योग	110210

अनुबंध-III

वर्ष 1996-97 से 1998-99 की अवधि के दौरान नाबार्ड और सिडबी द्वारा की गई पुनर्वित व्यवस्था

राज्य/संघ शासित प्रदेश	राशि (लाख रुपये में)
1	2
आन्ध्र प्रदेश	565.01
अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	1.00
अरूणाचल प्रदेश	26.40
असम	100.63
बिहार	205.32
दिल्ली	31.57
गोवा	32.61

1	2
गुजरात	1005.58
हरियाणा	640.60
हिमाचल प्रदेश	368.95
जम्मू एवं कश्मीर	81.08
कर्नाटक	568.59
केरल	648.89
मध्य प्रदेश	130.31
महाराष्ट्र	1007.95
मणिपुर	41.42
मेघालय	14.43
मिजोरम	2.67
नागालैण्ड	1.66
उड़ीसा	332.76
पंजाब	366.74
पाण्डिचेरी	8.11
राजस्थान	2111.09
सिक्किम	10.76
तमिलनाडु	969.82
त्रिपुरा	24.32
उत्तर प्रदेश	1154.55
पश्चिम बंगाल	398.61
कुल	10851.43

अध्यक्ष महोदय : प्रतिदिन प्रश्न काल के दौरान सभा में सदस्यों की संख्या घटती जा रही है। मैं इसका कारण नहीं जानता हूं।

...(व्यवधान)

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : मंत्रियों से विशेषरूप से स्वास्थ्य मंत्री से उपयुक्त उत्तर नहीं आ रहे हैं।

श्री ए.सी. जोस : सरकार की ओर से उपयुक्त उत्तर प्राप्त नहीं हो रहे हैं। यह कारण भी हो सकता है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कोई समस्या नहीं है। ठीक है, श्री शाहीन।

श्री अब्दुल रशीद शाहीन : महोदय, माननीय मंत्री जी स्वीकार कर रहे हैं कि शिल्पियों की आर्थिक दशा को सुधारने की आवश्यकता है। लेकिन उत्तर में यह बताया गया है कि शिल्पियों की प्रति व्यक्ति आय में गिरावट नहीं आई है। मैं नहीं जानता कौन सी एजेंसियां हैं जिन्होंने इस तथ्य का पता लगाया है कि शिल्पियों की आय में गिरावट नहीं आई है। विपणन प्रदर्शनी और इसी तरह के अन्य कार्यक्रमों में परिलक्षित योजनाओं के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने के उद्देश्य से मैं जानना चाहता हूं कि क्या क्षेत्र-वार ऐसी समितियों का गठन सम्भव है, जिनमें जन प्रतिनिधियों अथवा उनके द्वारा मनोनीत व्यक्तियों को शामिल किया जाए ताकि वे कार्यक्रमों पर इस तरह की निगरानी रख सकें और इस तरह सिफारिश कर सकें कि देश में शिल्पकारों की स्थिति बेहतर बनाने के लिए किस तरह के आवश्यक उपाय किए जाएं।

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न क्या है?

श्री अब्दुल रशीद शाहीन : अपने राज्य के बारे में मुझे बहुत कुछ कहना है लेकिन पहले मैं इस प्रश्न का उत्तर चाहता हूं।

श्री काशीराम राणा : मैं दावे से कहता हूं कि शिल्पकारों की प्रति व्यक्ति आय निश्चित रूप से बढ़ी है और घटी नहीं है। वर्ष 1991-92 में शिल्पकार की प्रति व्यक्ति आय 3739 रु. थी और 1991-92 के स्थिर मूल्य पर, वर्ष 1995-96 में 5671 रु. थी। यह सर्वेक्षण एन.सी.ए.इ.आर. द्वारा किया गया था। यह हमारा सर्वेक्षण नहीं है। एस.सी.ए.इ.आर. सर्वेक्षण रिपोर्ट कहती है कि शिल्पकारों को प्रति व्यक्ति आय बढ़ी हैं।

जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का संबंध है माननीय सदस्य कहते हैं कि क्षेत्र वार समितियां बनाई जाए यह कार्य हेतु सुझाव दे मैं इसे ध्यान में रखूंगा।

श्री अब्दुल रशीद शाहीन : माननीय मंत्री जी द्वारा दिये गए आश्वासन के लिए मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूं। मैं कहना चाहता हूं कि कुछ मामलों में तुरन्त कार्यवाही करने की आवश्यकता है। कार्यक्रमों के क्रियान्वयन और इस संबंध में उत्तरदायी अधिकारियों के बर्ताव के बारे में काफी शिकायतें हैं। मैं इसके बारे में माननीय मंत्री जी को लिखकर भेजूंगा।

श्री काशीराम राणा : मैं भी माननीय सदस्य का धन्यवाद करता हूं। मैं इस मामले की छानबीन करूंगा।

[हिन्दी]

श्री अशोक ना. मोहोल : अध्यक्ष महोदय, यह जानकर खुशी हुई कि सरकार हथकरघा शिल्पकारों की स्थिति सुधारने की आवश्यकता महसूस कर रही है, लेकिन जहां तक राज्यों को धन देने का प्रश्न है, पिछले तीन वर्षों के आंकड़े बताते हैं कि जिन राज्यों में 5 लाख से ज्यादा क्राफ्ट्समैन हैं, उनको कम धन आबंटित किया गया है और जिन राज्यों में डेढ़ से दो लाख क्राफ्ट्समैन हैं उनको ज्यादा धन दिया गया है। उसका उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं-महाराष्ट्र और राजस्थान में पांच लाख के करीब क्राफ्ट्समैन हैं और महाराष्ट्र को 136 लाख रुपए तथा राजस्थान को 79 लाख रुपए आबंटित किए गए हैं, लेकिन असम और दिल्ली में जहां डेढ़ से दो लाख क्राफ्ट्समैन हैं वहां दिल्ली में 418 लाख और असम में 136 लाख रुपए आबंटित किए गए हैं, तो क्या सरकार इस तरफ ध्यान देगी कि महाराष्ट्र और राजस्थान जहां ज्यादा क्राफ्ट्समैन हैं, वहां ज्यादा धन आबंटित किया जाए?

श्री काशी राम राणा : अध्यक्ष जी, जैसा माननीय सदस्य ने बताया-महाराष्ट्र स्टेट में कम धन आबंटित किया गया है, यदि कहीं कोई इम्बैलेंस होगा, तो वस्त्र मंत्रालय की ओर से उसे दूर करने की कोशिश की जाएगी। जहां तक असम राज्य को ज्यादा धन आबंटित करने का सवाल है, मैं बताना चाहता हूं कि असम ऐसा राज्य है जहां पूरा रोजगार हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम पर आधारित है और जो योजनाएं वस्त्र मंत्रालय की ओर से चलाई जाती हैं उनमें उस राज्य को ज्यादा कंसीडर करते हैं क्योंकि वहां पूरा रोजगार इसी पर आधारित है। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि मंत्रालय द्वारा किसी राज्य को इगनोर नहीं किया जाता है। जहां से जैसी डिमांड आती है, उसको पूरा करने का प्रयास किया जाता है और हर राज्य की तरफ पूरा-पूरा ध्यान दिया जाता है। माननीय सांसद ने जैसा बताया है, हम उसकी तरफ पूरा-पूरा ध्यान देंगे।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मैंने पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले के विष्णुपुर के बालूचेरी शिल्पकारों हेतु "केट" केन्द्र स्थापित करने के संबंध में माननीय मंत्री जी को प्रस्ताव भेजा था और उनसे भेंट भी की थी। परियोजना को मंजूरी मिल गई है लेकिन उसके लिए कोई धनराशि जारी नहीं की गई है। यदि परियोजना मंजूर कर दी जाए इसके लिए धन जारी कर दिया जाए और तत्पश्चात् इसमें काम आरम्भ हो जाए तो इससे भारी संख्या में बालूचेरी के शिल्पकार लाभान्वित होंगे। इसके परिणामस्वरूप उनके कौशल में भी सुधार होगा और डिजायन तैयार करने हेतु लिये जाने वाले समय में भी काफी हद तक कमी आ जाएगी।

क्या मैं माननीय मंत्री जी से पूछ सकता हूं क्या वह अपने मंत्रालय द्वारा मंजूर की गई परियोजना हेतु धनराशि जारी करेंगे?

श्री काशीराम राणा : महोदय बालूचेरी शिल्पकारों से संबंधित योजना को मंजूरी दी जा चुकी है। अतः मैं समझता हूं कि शीघ्र ही धनराशि भी जारी कर दी जाएगी।

[हिन्दी]

श्री रतन लाल कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या देश में शिल्पकारों को प्रोत्साहन देने के लिए शिल्प विकास केन्द्रों की व्यवस्था की गई है, यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और क्या इन शिल्प विकास केन्द्रों में स्वास्थ्य व बीमा सेवाएं उपलब्ध हैं और क्या सरकार ने चालू वित्त वर्ष में इस कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों को भी कवर किया है?

श्री काशीराम राणा : अध्यक्ष महोदय, शिल्पकारों के लिए सरकार ने बहुत सी योजनाएं चलाई हैं और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि वर्ष 1996-97 में हमने करीब 13 करोड़ 20 लाख रुपये अलग-अलग स्कीमों जैसे डिजाइन, ट्रेनिंग, मार्केटिंग, मार्केटिंग डिवेलपमेंट सपोर्ट, वैलफेयर, मार्केट डिवेलपमेंट सेंटर्स आदि पर खर्च किए हैं। ऐसी जो स्कीमें चलती हैं, उनके लिए हमने 1996-97 में 13 करोड़ 20 लाख रुपये दिये हैं जबकि 1997-98 में 14 करोड़ 4 लाख रुपये दिये हैं। इसी तरह 1998-99 में 14 करोड़ रुपये हमनें खर्च किये हैं। दूसरी बात जो इन्होंने बताई है कि आर्टीजन्स की संख्या बढ़ती जा रही है, तो उसको देखते हुए हम यह कोशिश कर रहे हैं कि हमारा सभी स्कीमें आर्टीज़न्स तक पहुंचे और वे उसका लाभ उठाये। इसके लिए हम जैसा भी हो, उनको लाभ पहुंचाने की अवश्य कोशिश करेंगे।

[अनुवाद]

श्री बीर सिंह महतो : मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं क्या देश के शिल्पकारों की संख्या के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि विभिन्न बैंकों द्वारा ली जा रही ब्याज की दर क्या है।

श्री काशीराम राणा : जहां तक ब्याज की दर का सम्बन्ध है शिल्पकार 12 से 13.5 प्रतिशत ब्याज की दर से ऋण प्राप्त करते है। तथापि मैं यह भी कहना चाहता हूं कि 25,000 रु. तक के ऋण तक नाबार्ड वाणिज्यिक बैंकों को 8.5 प्रतिशत की और सहकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को 6.5 प्रतिशत ब्याज की दर पर ऋण दे रहा है। 25,000 से अधिक राशि के ऋण पर वाणिज्यक बैंकों के लिए व्याज दर 10 प्रतिशत और सहकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए 9 प्रतिशत है। दो लाख से अधिक राशि के ऋण पर वाणिज्यिक और अन्य दोनों के लिए ब्याज दर 11 प्रतिशत है। इसकी तुलना में 'सिडबी' 2 लाख रु. की राशि 10.5 प्रतिशत ब्याज दर और 2 लाख रु. से अधिक की राशि 12 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण दे रहा है। यह सही है कि 'नाबार्ड' और 'सिडबी' द्वारा दी गई धनराशि निर्धारित दर पर शिल्पकारों तक सीधी नहीं पहुंचती है। अत: हमने यह मामला वित्त मंत्रालय के साथ उठाने का निर्णय किया है। यद्यपि नाबार्ड 8.5 प्रतिशत की दर पर ऋण दे रहा है शिल्पकारों को 12 प्रतिशत से 13.5 प्रतिशत की दर पर ऋण मिल रहा है। इसका हल यथाशीघ्र निकाल लिया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री विलास मुत्तेमवार : माननीय अध्यक्ष महोदय, आजादी के बाद हमारे वस्त्र उद्योग को मजबूत बनाने का काम शिल्पियों और बुनकरों ने किया है लेकिन उनकी बहुत उपेक्षा हुई है। आज वे बड़ी दुखी अवस्था में जी रहे हैं। मंत्री महोदय ने उनके जो आंकड़े अपने उत्तर में बताये हैं, वे ठीक नहीं हैं। उनकी सैन्सस ठीक ढंग से नहीं हुई है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि नागपुर और विदर्भ में 20 लाख शिल्पी तथा बुनकर इस उद्योग से जुड़े हुए हैं लेकिन उन्हें उचित सहायता नहीं मिलने की वजह से वे अपने गांव छोड़कर अहमदाबाद, सूरत तथा अन्य जगह चले गये हैं। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस दिशा में उचित सैन्सस कराने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है?

दूसरा, एक एस.आर. सत्यम कमेटी फार्म हुई थी, जो टेक्सटाइल उद्योग से जुड़े हुए सवालों को बुनियादी स्वरूप देने के लिए बनी हुई थी। उसकी रिकमैंडेशन्स क्या हैं और गवर्नमेंट ने कितनी रिकमैंडेशन्स मान्य की हैं तथा आने वाले दिनों में इसका उचित लाभ कब तक मिल सकता है?

श्री काशीराम राणा : माननीय अध्यक्ष जी, जैसा अभी सांसद महोदय ने बताया कि महाराष्ट्र के और खासकर विदर्भ के कई लोग गुजरात और अन्य जगह रोजगार के लिए चले जाते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि वे सिर्फ सरकार की तरफ से कोई सहायता या फाइनेंस न मिलने की वजह से नहीं जाते बल्कि उसमें बहुत से एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं जो कि मजदूरी के लिए जाते हैं।

श्री विलास मुत्तेमवार : अध्यक्ष महोदय, यह उनका परम्परागत उद्योग है और काम न मिलने की वजह से, सरकार की तरफ से कोई सहायता न मिलने की वजह से वे गांव छोड़कर चले जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप उनको बोलने दीजिए।

श्री काशीराम राणा : जहां तक आपने सैन्सस के बारे में बताया था हो सकता है कि सैन्सस की जो फिगर है, उससे ज्यादा आर्टीजन्स हो क्योंकि रिमोट एरिया में, जंगल एरिया में हमारे बहुत से आर्टीजन्स रहते हैं। ऐसा हो सकता है कि जो सैन्सस हुआ है, उसमें कुछ कम तादाद दिखाई जाए। लेकिन हम ऐग्जैक्ट संख्या लेने की अवश्य कोशिश करेंगे।

जहां तक सत्यम कमेटी की बात है, उसके बारे में सरकार ने अभी तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया। सरकार को सत्यम कमेटी की रिपोर्ट मिली है और हम कनसर्न्ड मिनिस्ट्री से अलग-अलग डिस्कशन कर रहे हैं। इसलिए इसके बारे में ओब्लीगैशन था और जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, वह ठीक नहीं है। सरकार अभी तक किसी फाइनल स्टेज पर नहीं पहुंची है।

[अनुवाद]

आर्थिक सुधारों का दूसरा चरण

***82. श्री सुशील कुमार शिंदे :**
श्री माधवराव सिंधिया :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का आर्थिक सुधारों का दूसरा चरण आरम्भ करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो सुधारों के इस चरण के सुस्पष्ट उद्देश्य और लक्ष्य क्या हैं;

(ग) इस संबंध में कौन से कदम उठाये गये/उठाये जा रहे हैं; और

(घ) समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा के लिए क्या उपाय करने का विचार है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): (क) और (ख) आर्थिक सुधारों का लक्ष्य "रोजगार और न्याय समता सहित तीव्रतर बढ़ोत्तरी" है। इसे प्राप्त करने के लिए 7 से 8 प्रतिशत की त्वरित और व्यापक बढ़ोत्तरी की आवश्यकता है जिससे गरीबी और बेरोजगारी दूर करने में मदद मिलेगी। ऐसा केवल आर्थिक सुधारों की एक साहसिक कार्यनीति का अनुसरण करके ही संभव है।

(ग) और (घ) जिन उपायों पर विचार चल रहा है, वे इस प्रकार हैं- व्यय आयोग की स्थापना करना, कर सुधार, राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम बनाना, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं का सुधार, देहातों को जोड़ने के लिए कार्यक्रम, एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, एक जल नीति, सूचना प्रौद्योगिकी पर नए सिरे से जोर देना और आधारभूत ढांचा क्षेत्रों में निवेश की कार्य क्षमता को बढ़ावा देना। सरकार श्रमिकों विशेषकर जो असंगठित क्षेत्र में है, हितों को बढ़ावा देने के लिए वचनबद्ध है और अपने सामाजिक क्षेत्र के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्णय किया है।

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार शिंदे : अध्यक्ष जी, भारत एक समाजवाद की नीति और प्रणाली लेकर चलने वाला राष्ट्र है। यहां दिन-प्रतिदिन गरीबी बढ़ रही थी इसकी वजह से भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव जी ने इक्कीसवीं सदी का सपना देखा और इस देश की उन्नति के लिए मिडिल पाथ का रास्ता स्वीकार किया। मुझे याद है, 1989-90 और 1991 में देश में पूंजी नहीं थी, फॉरेन एक्सचेंज भी नहीं था तो कांग्रेस की सरकार ने एक नई नीति बनाई और इकोनौमिक रिफॉर्म्स किया। मैं मंत्री जी को वह याद नहीं दिलाना चाहता हूं क्योंकि वे कहेंगे कि कामरेड डेंग ने 1978 में चाईना में जो रिफॉर्म्स किया, उसकी नीति को देखते हुए भारत की सोशलिज्म की नीति किस तरह बनी है, वे उत्तर में बताएंगे। मैं उसकी पूछताछ इस वक्त नहीं करना चाहता। राजीव जी ने जो सपना देखा था और कांग्रेस ने 1991 से इकोनौमिक रिफार्म्स की शुरुआत की। उसकी ग्रोथ रेट 6 प्रतिशत से आगे बढ़ गई थी। कांग्रेस की नीति पर गरीबी हटाओ की भूमिका लेकर जो चीजें इन्फ्रास्ट्रक्चर में बढ़ाने की थीं, उसे स्वयं स्वीकार किया। लेकिन बाद में जो भी सरकारें आईं, उन्होंने जो नीति अपनाई है, उस नीति को अलग रखने का काम किया है। मुझे खुशी है कि आपने कहा, हम इन्फ्रास्ट्रक्चर में बहुत चेंजेस करना चाहते हैं। मंत्री जी ने वित्त मंत्री होने के बाद इस राष्ट्र को बताया था कि हम सैकिंड इकोनौमिक रिफार्म्स के बारे में पार्लियामेंट में व्हाइट पेपर पेश करेंगे। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वे व्हाइट पेपर कब पेश करने वाले हैं?

प्रधानमंत्री जी 5 तारीख को इंडिया इकोनौमिक समिट के तीन दिन के सैमिनार में जाने वाले हैं। सी.आई.आई. और डब्ल्यू.ई.सी. जो बहुत महत्वपूर्ण कौन्फैडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एंड वर्ल्ड इकोनौमिक फोरम है। शायद नई सरकार आने के बाद देश की नीति दुनिया को बताने के लिए ये नये इकोनोमिक रिफार्म्स के बारे में वहां बात कर सकते हैं। पार्लियामेंट आज अस्तित्व में है, मैं प्रधान मंत्री जी से विनती करूंगा कि यह सरकार का निर्णय है, देश जानना चाहता है कि गरीबों के लिए आप क्या करना चाहते हैं, किस तरह का व्हाइट पेपर इस देश में लाना चाहते हैं। जो इन्दिरा जी ने गरीबी हटाओ की भूमिका लेकर इस देश को एक नई दिशा दी थी ...*(व्यवधान)* आप समझिये, यह आपके लिए है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया समझिए यह प्रश्न काल है। यह डिबेट नहीं है। कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार शिंदे : कल आपने नई इंश्योरेंस रेगुलेटरी एथारिटी की भूमिका ले ली कि हम नई टैक्नोलॉजी लाना चाहते हैं। जब नई टैक्नोलॉजी की बात होती है तो गरीबों की बात करना भी जरूरी है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि व्हाइट पेपर आप कब पेश करेंगे और प्रधान मंत्री जी वहां क्या बात करेंगे, यह जरा यहां बताइये। ...*(व्यवधान)*

श्री यशवन्त सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, जो आर्थिक सुधार का कार्यक्रम है, यह एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। यह कहना किसी के लिए उचित नहीं होगा कि आर्थिक विकास या आर्थिक सुधार की प्रक्रिया एक तिथि को शुरू हुई और एक तिथि को समाप्त हो गई। यह निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है और आर्थिक सुधार का कार्यक्रम इस देश में समयानुकूल लगातार चलता रहा है। जब हमने समाजवाद की व्यवस्था स्वीकार की थी, उसको भी उस समय के आर्थिक चिंतन के अनुसार ही स्वीकार किया था। जब 1991 में उस समय की कांग्रेस पार्टी की सरकार ने नई आर्थिक नीति और नया आर्थिक सुधारों का कार्यक्रम शुरू किया तो उस समय की जो परिस्थितियां थीं, उसके अनुकूल उनको बनाने का प्रयास किया और आज हम जो कुछ कर रहे हैं, आज जो देश के भीतर और देश के बाहर परिस्थितियां हैं, उसके अनुकूल अपनी नीतियों को, सिद्धांतों को पैमाने पर रखकर हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं।

मैं कहना चाहूंगा कि 1991 में जो आर्थिक सुधार का कार्यक्रम शुरू हुआ, वह एक श्रृंखला थी। उस श्रंखला के तहत कई अच्छे काम हुए और उसके बाद जब हमने सरकार में आने के बाद इसके ऊपर विचार किया तो हमने महसूस किया कि आर्थिक सुधार के कार्यक्रमों को हमें लगभग तीन हिस्सों में बांटकर चलना पड़ेगा। एक तो यह कि पहले चरण के जो आर्थिक सुधार थे, उन आर्थिक सुधारों के जो प्रतिफल हैं, उसके जो गेंस हैं, उसके जो लाभ हैं, उनको हम और सुदृढ़ करें। कुछ आर्थिक सुधार जो 1991 या उसके बाद शुरू हुए थे, उनको और आगे बढ़ाना पड़ेगा और कई नये आर्थिक सुधार के कदम उठाने पड़ेंगे। इसीलिए इस साल जो बजट हमने पेश किया था, उसमें मैंने इस बात का उल्लेख किया था, मैं उसे उद्धृत करना चाहूंगा। मैंने कहा था:-

[अनुवाद]

> "यही समय है जब हमें दूसरी पीढ़ी के सुधारों पर गम्भीरतापूर्वक वाद-विवाद करना होगा और निर्णय लेना होगा कि हमें भारत को आर्थिक रूप से मजबूत और विश्व में अपना स्थान बनाने और सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा में आने के लिए पूरी तरह सक्षम होना पड़ेगा। इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए मेरी इस बजट सत्र के समाप्त होने से पहले संसद के समक्ष 'वाद-विवाद पत्र' लाने की योजना है।"

[हिन्दी]

हम सब जानते हैं, उसके बाद कुछ ऐसी परिस्थितियां बनीं, जिनके कारण वह बजट सैशन पूरा नहीं हो पाया और मैंने जो वायदा किया था, वह वायदा भी संभवत: पूरा नहीं हुआ। लेकिन मैं माननीय सदस्य का ध्यान इस साल के राष्ट्रपति जी के अभिभाषण की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जिसमें हमने खाका खींचा है कि आर्थिक सुधार हम द्वितीय चरण में चलाना चाहते हैं। मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन कार्यक्रम की क्या रूपरेखा होगी, उसका वर्णन राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में दिया गया हुआ है। इसको उद्धृत करते हुए मैंने कहा है कि हमारा आर्थिक सुधारों का लक्ष्य है-रोजगार और इक्विटी के साथ उत्पादन। इसको लक्ष्य रखते हुए, सामाजिक क्षेत्र को लक्ष्य रखते हुए, हम अपने आर्थिक सुधारों के कार्यक्रमों को चलायेंगे।

कल जो इस सदन में हुआ, सदन ने जो तीन विधेयक पास किए, वह आर्थिक सुधारों के कार्यक्रम के द्वितीय चरण की महत्वपूर्ण कड़ी है। हमने इन्तजार नहीं किया और आर्थिक सुधारों के कार्यक्रम का द्वितीय चरण शुरू कर दिया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री शिन्दे, कृपया अत्यंत संक्षिप्त और सीधा अनुपूरक प्रश्न पूछिए।

श्री सुशील कुमार शिन्दे : महोदय, मैं अत्यंत संक्षेप में पूछूंगा। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूरे देश की आर्थिक नीति इसमें अन्तर्ग्रस्त है।

अध्यक्ष महोदय : चूंकि यह महत्वपूर्ण प्रश्न है कई माननीय सदस्य प्रश्न पूछना चाहते है। कृपया संक्षेप में पूछिए।

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार शिंदे : महोदय, दुनिया के देशों में जब भी इकोनोमिक रिफार्म्स हुए हैं, तो पब्लिक सैक्टर अन्डरटेकिंग्स की ओर ध्यान गया है। आपने बहुत अच्छी बात कही है, समाजवाद का विचार लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पब्लिक सैक्टर अन्डरटेकिंग्स इस देश में बनाया। लेकिन जब भी डिसइन्वैस्टमेंट का सवाल आता है, तब पहली तलवार पी.एस.यू. पर लगती है। आपने जो बजट स्पीच में कहा है, उसका हम स्वागत करते हैं। आपने कहा है कि हम जीरो-बेस बजटिंग करेंगे। यह देश के लिए बहुत अच्छी बात है। जिस देश के पास कुछ नहीं है और कटोरी लेकर भीख मांगने का काम नहीं करना चाहते हैं। भारत स्वाभिमान से खुद अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है। हम उसका स्वागत करते हैं और आपने कल कहा कि एक युग की शुरूआत हुई है। आपने कल लिखित उत्तर में कहा है कि आप बैंकों के बारे में

कुछ करना चाहते हैं। कल हमारे सी.पी.आई. और सी.पी.आई.(एम.) के सदस्यों ने कहा कि आपको डिनेशनलाइजेशन मिनिस्टर कहें, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। नरसिंहमम कमेटी की द्वितीय रिपोर्ट में बैंकों के डिनेशनलाइजेशन की बात कही है। आपने कहा जिस तरह से बैंकों का नेशनलाइजेशन हो गया, उसी तरह इंश्योरेंस रैग्युलेटरी अथारिटी के बारे में आपने कहा कि देश में आर्थिक क्षेत्र में कोई धोखा नहीं होगा। मैं सरकार से जानना चाहता हूं, नरसिंहमम कमेटी की द्वितीय रिपोर्ट को आप पूरी तरह स्वीकार करने वाले हैं या बैंकों को पूरी तरह डिनेशनलाइज करने की जो भूमिका है, उस पर गौर करने वाले हैं।

श्री यशवन्त सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, बैंकों से संबंधित इसी बिन्दू पर आगे सवाल है, लेकिन माननीय सदस्य ने सवाल पूछा है, तो मैं उसका जवाब देना चाहूंगा। नरसिंहमम कमेटी ने दूसरी रिपोर्ट पिछले वर्ष सरकार को सौंपी थी। जब पहली रिपोर्ट सौंपी गई थी, उस समय कांग्रेस की सरकार थी। पहली रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस पार्टी की सरकार ने फाइनेंशियल सैक्टर, बैंकिंग सैक्टर के लिए कई कदम उठाए। जिसमें पब्लिक सैक्टर बैंक्स में 100 फीसदी सरकार की जो भूमिका थी, उसका घटा कर 51 फीसदी तक लाना। जहां तक स्टेट बैंक का सवाल है, उसमें 55 फीसदी तक लाने की बात स्वीकार की गई है। नरसिंहमम कमेटी की द्वितीय रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बैंक्स में जो और अधिक पूंजी की आवश्यकता है और आज के दिन जो प्रुडेंशियल नार्म्स हैं, उसको देखते हुए और अधिक पूंजी की आवश्यकता है और आज के दिन जो प्रुडेंशियल नार्म्स हैं, उसको देखते हुए और अधिक पूंजी की आवश्यकता है। मुझे याद पड़ता है, जब मैंने बजट भाषण दिया था, उसमें हमने प्रुडेंशियल नार्म्स के अनुसार 9 परसेंट की बात कही थी और रिजर्व बैंक ने 10 परसैंट की बात कही है। लेकिन इसके चलते हर बैंक में और अधिक पूंजी की आवश्यकता होगी। प्रश्न यह उठता है, वह पूंजी कहां से आए? सरकार अपने बजट से उस पूंजी की आवश्यकता को पूरा करे या जैसे हम बैंकों को छूट देते आए हैं, जिस नीति पर कांग्रेस पार्टी की सरकार चली थी, उस नीति के तहत हम उनको यह कहें कि आप बाजार में जाइए, पूंजी इकट्ठी करिए। ये सारे विचारणीय बिन्दू हैं। नरसिंहमम कमेटी की द्वितीय रिपोर्ट में कई ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर रिजर्व बैंक ने आगे कार्यवाही की है और कुछ मुद्दे ऐसे भी हैं, जिन पर आगे कार्यवाही नहीं हुई है। जब बैंकिंग सैक्टर के रिफार्मस के बारे में हम पूरी तरह विचार करेंगे, तब ये सिफारिशें और दूसरी कमेटियों की सिफारिशों तथा जो परिस्थितियां हैं, वे इसमें इनपुट का काम करेंगी। उन सब पर विचार करेंगे और बैंकिंग सैक्टर के रिफार्म्स के बारे में सोचेंगे।

श्री माधवराव सिंधिया : अध्यक्ष महोदय, हाल ही में मैं बिहार गया था, वहां के स्थानीय लोगों ने एक चिन्ता जाहिर की कि क्या कोल माइन्स के नेशनलाइजेशन की कोई योजना है। मेरे साथी शिन्दे ने बहुत विस्तार से पूरा संदर्भ प्रस्तुत किया है, इसलिए मैं सरकार से एक प्वाइंटेड प्रश्न पूछना चाहूंगा। क्या सरकार कोयला खदानों को डिनेशनलाइज करने की कार्यवाही के किसी निर्णय पर पहुंची है? अगर सरकार उस निर्णय के चरण में पहुंची है, तो उन खदानों के जो कोयला मजदूर हैं, विशेषकर सी.आई.एल. के वर्कर्स, उनके हितों की रक्षा के लिए आपके मन में क्या योजना है?

श्री यशवन्त सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न के मुख्य उत्तर में कहा है, श्रमिक वर्ग, विशेषकर असंगठित क्षेत्र के मजदूर, के हितों का ध्यान आर्थिक सुधारों की श्रृंखला में यह सरकार पूरी तरह से रखेगी। जहां तक कोल माइन्स का सवाल है, अभी मैं इतना ही कह सकता हूं, जो कोल माइन्स नेशनलाइजेशन एक्ट बना था, उसमें कुछ संशोधन सरकार के विचारणीय है। जब भी हम संशोधनों के साथ तैयार होंगे, हम पार्लियामेंट में आयेंगे और उन संसाधनों को रखेंगे। लेकिन एक बात मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, आर्थिक सुधारों के कार्यक्रमों के तहत मजदूरों के हितों की पूरी सुरक्षा की जाएगी और किसी भी प्रकार हम उनके हितों को दांव पर नहीं लगने देंगे।

श्री माधवराव सिंधिया : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जनरल जवाब दिया है। जहां तक कोल माइन्स का सवाल है, इनसे संबंधित कुछ बिन्दुओं पर आपके यहां विचार चल रहा है, कम से कम उन बिन्दुओं के बारे में सदन को बता सकते हैं?

वह कौन से बिन्दु है जिन पर यह विचार किया जा रहा है? क्या आप हमें उस पर कुछ संकेत दे सकते हैं?

श्री यशवन्त सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सिंधिया जी इस बात को स्वीकार करेंगे कि यह मामला केवल मेरे मंत्रालय से सीधा संबंधित नहीं है।

श्री माधवराव सिंधिया : फाइनेंस मिनिस्ट्री का हाथ हर मंत्रालय में है–यशवन्त सिन्हा साहब, आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं।

श्री यशवन्त सिन्हा : कोल माइन्स नेशनलाइजेशन एक्ट में क्या अमेंडमेंट हो रहा है, उस पर चर्चा करने के लिए मुझे अलग से नोटिस चाहिए। जो समान्य बात थी, जो मेरे संज्ञान में थी, उसको मैंने सदन के सामने रखा है।

श्री माधवराव सिंधिया : 52 सालों से मुक्त होने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वित्त मंत्रालय मुक्त नहीं हो पा रहा है। रेलवे एक तरह से मुक्त है।

[अनुवाद]

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने प्रश्न के भाग 'ग' और 'घ' के उत्तर में आर्थिक सुधार का चरण दो के संबंध में सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदमों की अत्यन्त जबरदस्त और प्रभावी सूची दी है।

अब यहां कुछ बातों का उल्लेख किया गया है। इनके पास छोटी सूची है जिसमें व्यय आयोग, राजकोषीय दायित्व अधिनियम, ग्रामीण संयोजन आदि सम्मिलित हैं। इस संबंध में मैं माननीय मंत्री जी से तीन बातें पूछना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप तीनों बातों को एक प्रश्न में पूछ सकते हैं।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी : इसमें तीन भाग है पहला क्या विभिन्न उपायों, जिन्हें सूचीबद्ध किया गया था अथवा सरकार जिन्हें लेना चाहती है, को प्राथमिकता देने में सरकार ने अपने विवेक का प्रयोग किया हैं? क्या उन सभी को एक साथ लिया जा रहा है अथवा कोई प्राथमिकता हैं?

दूसरा क्या विभिन्न उपायों के लिए कोई समय सारणी निर्धारित की गई है? मैं विशेष रूप से व्यय आयोग के बारे में जानना चाहता हूं।

तीसरा, प्रत्येक उपाय को लेते समय क्या सरकार ने ऐसा कोई मार्गनिर्देश अथवा मानदण्ड का निर्धारण किया है जिसे उक्त मामले किसी समिति अथवा आयोग को भेजते समय ध्यान में रखा जाएगा।

श्री यशवंत सिन्हा : महोदय हमने कुछ उपायों का उल्लेख किया है जो सरकार को ध्यान में है। लेकिन मैं यह भी जोड़ना चाहूंगा कि सरकार कभी भी किसी निश्चित समय पर यह नहीं कह सकती कि हम आर्थिक सुधारों पर एक व्यापक सूची लेकर आए हैं क्योंकि जैसा कि मैंने आरंभ में बता दिया है कि यह निरन्तर प्रक्रिया है और जैसे समय बीतता जाएगा कार्यक्रम में नयी प्रविष्टियां जुड़ती रहेंगी। अब माननीय सदस्य ने तीन मुद्दे उठाए हैं जहां तक प्राथमिकता का सवाल है, मैं यही कहना चाहता हूं कि हमें विस्तृत मोर्चे पर सबको एक साथ लेकर चलना है। इसलिए ये सारे मुद्दे जिनका मैंने उल्लेख किया हैं वह मुद्दे है हम एक साथ लेकर चलना चाहते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम व्यय आयोग स्थापित कर रहे हैं तो साथ ही, हम राजकोषीय दायित्व अधिनियम पर भी कार्य कर रहे हैं। साथ ही साथ हम ग्रामीण सड़कों के निर्माण पर आगे बढ़ रहे हैं इसलिए हम दूसरा काम हाथ में लेने के लिए पहले काम के समाप्त होने का इन्तजार नहीं कर रहे है।

दूसरा है समय की रूप रेखा। जहां भी हम विशिष्ट कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रहे हैं तो हम उनके लिए एक निश्चित समय सीमा निर्धारित करते हैं और अलग-अलग कार्यक्रमों के लिए अलग-अलग समय सीमा होगी।

जहां तक व्यय आयोग से संबंधित प्रश्न है, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम इस पर शीघ्र कार्य करेंगे।

विभिन्न आर्थिक सुधार कार्यक्रमों के अंतर्गत जहां मार्गनिर्देशों का संबंध है, हम इन्हें ठोस नीतिगत आधार पर अपनाएंगे। मार्गनिर्देश विभिन्न क्षेत्रों में जारी किए गए हैं। उदाहरण के लिए हमने ''जीरो बेस्ड बजटिंग'' के बारे में मार्गनिर्देश जारी किए हैं। हमने राज्य बिजली बोर्डों को विभाजित करने के बारे में मार्ग निर्देश जारी किए हैं। इस प्रकार जैसे ही कार्यक्रम को मूर्त रूप दिया जा रहा है हम प्रत्येक क्षेत्र में मार्गनिर्देश जारी कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री नवल किशोर राय : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने उत्तर के क्रम में कहा है कि सरकार श्रमिकों को, विशेषकर जो असंगठित क्षेत्र में हैं, उनके हितों को बढ़ावा देने के लिए वचनबद्ध है और अपने सामाजिक क्षेत्र के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्णय किया है। अब दूसरा चरण आर्थिक सुधार का शुरू हुआ है, प्रथम चरण के क्रम में 1991 से अब तक हर व्यक्ति को काम देने का सरकार का फैसला रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी की उक्ति बार-बार आती रही है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप सप्लीमेंट्री पूछिए।

श्री नवल किशोर राय : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिए यह जानना चाहता हूं कि प्रथम चरण के आर्थिक सुधार से जो बेरोजगारी बढ़ी है, वह कितने प्रतिशत बढ़ी है। सरकार श्रमशक्ति के प्रति वचनबद्धता दोहराती है। भविष्य में सरकार की क्या योजना है, जिससे कि हाथ बेकार न हो सकें और श्रमशक्ति का सही उपयोग हो सके। महोदय, चारों तरफ से मांग उठ रही है कि श्रम के अधिकार को संविधान के मौलिक अधिकार में शामिल किया

जाए। संविधान में संशोधन कराकर श्रम का अधिकार जो है उसे मौलिक अधिकार क्या सरकार बनाना चाहती है?

श्री यशवंत सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, जहां तक सामाजिक क्षेत्र का सवाल है, मैं माननीय सदस्य का ध्यान पैराग्राफ 12 की ओर दिलाना चाहूंगा जिसमें राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में आर्थिक सुधारों का जिक्र करते हुए सबसे पहले सामाजिक क्षेत्र का उल्लेख किया था और राष्ट्र को याद दिलाया था कि इतने वर्षों के आर्थिक कार्यक्रमों और आर्थिक प्रगति के बावजूद भी हमारे देश में जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं वह लोगों को आज तक हम उपलब्ध नहीं करा पाये हैं। उन्होंने स्वच्छ पीने का पानी, रीजनेबल शैल्टर, प्राइमरी एजुकेशन, हैल्थ-सर्विसेज, बेरोजगारी और रोड की बात करी थी। प्रधान मंत्री जी ने भी बार-बार अपने भाषणों में इस ओर राष्ट्र का ध्यान आकृष्ट किया है और कहा है कि प्राथमिकता के आधार पर हम इन समस्याओं से देश की जनता को मुक्ति दिलाएंगे। ये हमारी प्राथमिकता होगी।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक श्रम का सवाल है हम यह स्वीकार करेंगे कि जो प्रथम चरण के आर्थिक सुधार चले, उनमें जो अध्ययन किए गये उनके अनुसार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए बाध्य हुए हैं कि रोजगार में बहुत बढ़त नहीं हुई और यह बात सही है। इसीलिए हमारी सरकार ने रोजगार को प्राथमिकता के आधार पर आर्थिक विकास का एक लक्ष्य रखा है और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इसमें स्वरोजगार को हम बहुत महत्व देते हैं। प्रधान मंत्री जी की उत्तर और दक्षिण तथा पूर्व और पश्चिम और चारों मैट्रो को सड़क से जोड़ने की एक महत्वाकांक्षी योजना है। उसके अलावा हाउसिंग सैक्टर को हमने बहुत आगे बढ़ाने का काम किया है। नॉलेज बेस इंडस्ट्रीज को हमने सुविधाएं प्रदान की हैं, सर्विस सैक्टर को आगे बढ़ाया है। ये सारे के सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर रोजगार का विकास होगा। इसीलिए मैं विश्वास के साथ इस बात को कह रहा हूं कि एक करोड़ प्रति वर्ष नये रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य जो राष्ट्रपति जी ने हमारे सामने रखा है उसको हम पूरा करेंगे।

श्री रवि प्रकाश वर्मा : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय वित्त मंत्री जी ने उदारीकरण के संदर्भ में अपनी बात कही। अभी हमारे माननीय शिंदे जी बता रहे थे कि समाजवाद से हमने चालू किया था और जो हमने लक्ष्य रखे थे उनको पूरा करने में हमारे डिलीवरी सिस्टम की बड़ी भारी भूमिका रही है। वह डिलीवरी सिस्टम अकुशल रहा है। अब हमने लक्ष्य बदल दिये हैं और हम आर्थिक सुधारों की ओर बढ़ रहे हैं। अब आप उसी डिलीवरी सिस्टम के द्वारा इन लक्ष्यों को कैसे प्राप्त कर पाएंगे? सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो पूंजी और टेलैंट देहातों में पैदा होता है वह खिसककर शहरों में आ रहा है। जो पूंजी और टेलैंट का वैक्यूम वहां बन रहा है उसको हम पूरा करने में कैसे कामयाब होंगे और जो आपका डिलीवरी सिस्टम है वह आपके आर्थिक सुधारों के प्रयासों को कैसे पूरा मैनेज कर पायेगा, इस बात पर आप प्रकाश डालें।

श्री यशवंत सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अत्यन्त महत्व का सवाल उठाया है। मैं माननीय सदस्य का ध्यान अपने बजट भाषण की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा। मैंने इस साल के अपने बजट भाषण में कहा था कि हम पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय स्तर पर जो जनतांत्रिक संस्थाएं हैं उनको हम 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा और अधिकार देना चाहते हैं। सरकार की मंशा है कि डिलीवरी सिस्टम मे इस प्रकार परिवर्तन लाएं, चाहे यहां बैठकर, राज्य में बैठकर विधान सभाओं में बैठकर, ज़िलों में बैठकर या स्थानीय तथा पंचायती स्तर पर बैठकर, हम प्रजातांत्रिक संस्थाओं को इतनी शक्ति प्रदत्त करें कि विकास का काम वह स्वयं करें। सरकार की नीति यह है कि विकास का जो आंदोलन है वह विकास का आंदोलन सरकारी पदाधिकारियों का आंदोलन नहीं होगा। उसमें हम जनता की भूमिका और भागीदारी चाहेंगे। हम चाहते हैं कि वह जनता का आंदोलन बने। सरकारी अधिकारी भी अपनी भूमिका निभाएंगे। इस तरह से हम आगे बढ़ना चाहते हैं। यह सरकार की नीति है। डिलीवरी सिस्टम का हम प्रजातांत्रिकरण करेंगे ताकि अधिक से अधिक लोग इसमें हिस्सा ले सकें। ...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल : उन लोगों को काम करने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि बी.जे.पी. के लोग उसमें नहीं आये हैं। वहां बिल्कुल उल्टा हो रहा है ...*(व्यवधान)* क्योंकि आपके लोग जीते नहीं हैं, इसलिए उसको नहीं बनाया जा रहा है ...*(व्यवधान)* अध्यक्ष जी, वहां ऐसा ही हो रहा है। ...*(व्यवधान)*

श्री यशवंत सिन्हा : यह बिल्कुल गलत बात है। हमने अपने बजट भाषण में कहा था कि प्रजातांत्रिक संस्थाओं का चुनाव होना चाहिए और उनको शक्ति देनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल : ऐसा नहीं हो रहा है।

[अनुवाद]

श्री यशवंत सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि, हम महत्वपूर्ण विषय पर विचार-विमर्श कर रहे हैं। हमें इसमें राजनीति नहीं लानी चाहिए। आर्थिक सुधार का मामला राजनीतिक नहीं है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री बंसल, यह क्या है, उन्हें अपना उत्तर समाप्त करने दीजिए।

श्री पवन कुमार बंसल : ये बड़ी-बड़ी बातें करते हैं लेकिन हो इसके विपरीत रहा है। जहां ये जीते नहीं हैं वहां औरों को काम करने नहीं दे रहे हैं।

[अनुवाद]

निर्यात संवर्धन

***83. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी** : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कुछ विकसित देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का असर कम करने हेतु निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उद्योगों के लिए कोई प्रोत्साहन पैकेज तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा निर्यात संवर्धन को और अधिक बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई नई रणनीति क्या है और चालू वित्त वर्ष के दौरान कितना निर्यात होने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार का अन्तरराष्ट्रीय व्यापार संवर्धन को सुगम बनाने और इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए देश के कानूनी ढांचे में समुचित परिवर्तन करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

विकसित देशों द्वारा भारतीय निर्यातों के विरुद्ध कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। इसलिए प्रतिबंधों का प्रभाव समाप्त करने के लिए उद्योगों को देने के लिए कोई प्रोत्साहन पैकेज तैयार करने की कोई आवश्यकता नहीं रही है। तथापि, हमारे निर्यातों को बढ़ावा आवश्यक है और सरकार द्वारा इस दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। चालू वर्ष के लिए हमारे निर्यातों को लिए सरकार द्वारा 1.34% वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और चालू वित्त वर्ष के पूर्वार्द्ध के परिणाम काफी उत्साहजनक रहे हैं। दिनांक 31.3.99 को घोषित वार्षिक निर्यात-आयात नीति में सरकार ने भारतीय निर्यातों की प्रतिस्पर्द्धात्मकता में वृद्धि करने और निर्यातकों की कारोबार लागत तथा समय को कम करने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। इन उपायों में ये शामिल हैं:- उत्पादन, अवस्थापना में सुधार लाने के लिए निर्यात संवर्धन पूंजीगत सामान योजना को सुदृढ़ करना तथा वार्षिक अग्रिम लाइसैंसिंग योजना की शुरूआत करना, स्व: घोषणा के आधार पर अग्रिम लाइसैंस जारी करना तथा ई.ओ.यू./ईपीजैड योजना को युक्तिसंगत बनाना ताकि शुल्क मुक्त कच्ची सामग्री की उपलब्धता की स्थिति सुधारी जा सके तथा कारोबार-लागत को कम किया जा सके। इन परिवर्तनों का उद्देश्य निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय रूप से उपलब्ध सुविधाएं मुहैया करना है।

निर्यातों को बढ़ाने के लिए, देश के कानूनी ढांचे में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं है।

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय जी ने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया है लेकिन उत्तर अपने आप में पूरा नहीं है। उत्तर अत्यधिक नियमों का गुलाम है। उन्होंने प्रतिबंधों के प्रभाव के बारे में नहीं बताया है। मैंने बताया था कि प्रतिबंधों का हमारी अर्थव्यवस्था पर सभी तरह से प्रभाव पड़ा है। प्रतिबंधों के कारण, निर्यात के माध्यम से अतिरिक्त राजस्व अर्जित करने की आवश्यकता है। इन प्रतिबंधों के कारण विशेषकर मेरे निर्वाचन क्षेत्र की कुछ चालू परियोजनाओं जहां कि बंजरभूमि में पेयजल, बंजरभूमि विकास, वनरोपण जैसे कार्य बुरी तरह प्रभावित हुए हैं।

अत: मेरा पहला प्रश्न है कि क्या भारत सरकार विशेष रूप से अल्पविकसित और मरूस्थल क्षेत्रों में हमारी महत्वपूर्ण चालू परियोजनाओं पर प्रतिबन्धों के असर को कम करने के लिए धन के रूप में और अन्य शीर्षों में निर्यात के लिए विशेष पैकेज देने पर विचार कर रही है।

श्री उमर अब्दुल्ला : महोदय, मैं समझता हूं माननीय सदस्य को अपने प्रश्न के संबंध में कुछ गलत फहमी है। उन्होंने निर्यात को प्रभावित कर रहे प्रतिबंधों का उल्लेख किया है लेकिन जिन परियोजनाओं का उन्होंने वर्णन किया है वह पेय जल और विकासशील गतिविधियों से संबंधित हैं। इन परियोजनाओं का वाणिज्य मंत्रालय से कोई संबंध नहीं हैं।

जैसाकि मेरे उत्तर में स्पष्ट कहा गया है पोखरण परमाणु परीक्षण के पश्चात् आर्थिक सहायता और विकास से संबंधित गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं लेकिन निर्यात के क्षेत्र में भारतीय वस्तुओं के खिलाफ कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : आप के निर्यात पर प्रतिबंध नहीं लगा होगा लेकिन इन प्रतिबंधों के प्रभाव के बारे में आपका क्या कहना है?

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछिए।

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : मेरा दूसरा प्रश्न 'एक्ज़िम नीति 1997-2002 के बारे में है। आपने यहां बताया है कि इस वर्ष के लिए विकास लक्ष्य बढ़ाकर 11.34 प्रतिशत कर दिया जाएगा।

मेरे दूसरे अनुपूरक प्रश्न का पहला भाग डालरों में निर्यात के लक्ष्य के बारे में है। वर्ष 1998-99 के लिए यह 14 बिलियन डालर था। वर्ष 1999-2000 के लिए लक्ष्य क्या है? क्या आप वह लक्ष्य प्राप्त करने जा रहे है?

मेरे अनुपूरक प्रश्न का दूसरा भाग कुछ शिकायतों के बारे में है।

कुछ निर्यात ड्यूटी एनटाइटलमेंट पास बुक (डी.ई.पी.पी.) की निर्यात संवर्धन योजना के अंतर्गत अनुचित लाभ उठा रहे हैं। यदि ऐसा है तो इसमें व्याप्त कमियों को दूर करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

श्री उमर अब्दुल्ला : जहां तक निर्यात लक्ष्यों की प्राप्ति का संबंध है. मेरे लिए सदन में यह बताना गर्व की बात है कि इस वर्ष अक्तूबर माह के लिए विकास दर आंकड़ा पिछले वर्ष के आंकड़े से 22 प्रतिशत अधिक है। मैं समझता हूं कि इससे स्वयं पता चलता है कि हम सही दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। जैसाकि माननीय सदस्य ने बताया है कि हमने इस वर्ष के लिए विकास दर 11.34 प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित किया है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि इस माह तक 10.2 प्रतिशत की संचित विकास दर हमने पहले ही प्राप्त कर ली है और इस वित्तीय वर्ष में हमारे पास पांच महीने अभी बाकी पड़े है। जहां तक कमियों का संबंध है मैं समझता हूं आप सभी जानते हैं ...*(व्यवधान)*

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : मेरा पहला प्रश्न यह है कि मिलियन डालर के रूप में लक्ष्य क्या है? पिछले वर्ष यह 14 मिलियन डालर था। इस वर्ष कितना है? मैंने बिल्कुल स्पष्ट प्रश्न पूछा है।

श्री उमर अब्दुल्ला : आंकड़ों के रूप में सितम्बर, 1999 के दौरान निर्यात 3087.96 मिलियन डालर मूल्य का था। इसकी विकास की दर 12.01 प्रतिशत है और रुपये में यह 13,443 करोड़ रुपये का था।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी : क्या आप हमें इसे डालर में बता सकते हैं।

श्री उमर अब्दुल्ला : मैंने अभी अभी डालर और रुपये दोनों में आंकड़े दिये है। अत: कोई भ्रम नहीं है इसके अलावा महोदय, इन्होंने उल्लेख किया है कि कुछ निर्यातक कमियों का लाभ उठा रहे हैं। दुर्भाग्यवश आप एक के दोषी होने के कारण प्रत्येक को दण्डित नहीं कर सकते है। हमारी योजनाएं निर्यातकों को सुविधाएं देने के बनाई गई है। दुर्भाग्यवश जहां आप निर्यायतों को सुविधाएं देते हैं ऐसे लोग भी होते हैं जो इस योजना का लाभ उठाने का प्रयास करते है। हम अपनी सभी निर्यात संवर्धन योजनाओं के निष्पादन की लगातार समीक्षा कर रहे हैं। जब भी हमें कोई कमी नजर आती है कि निर्यातकों द्वारा उनका दुरुपयोग किया जा रहा है तो हम तुरन्त उसे दूर करते हैं।

श्री माधवराव सिंधिया : श्री उमर अब्दुल्ला उस स्थान से आए है जहां सेब अत्यधिक पैदा होते हैं मुझे विश्वास है कि वह जानते होंगे कि एक खराब सेब का पूरी फसल पर प्रभाव पड़ सकता है।

श्री सुदीप बंधोपाध्याय : क्या माननीय मंत्री जी बताएंगे कि क्या निर्यात संवर्धन क्षेत्र मुख्य रूप से हमारी निर्यात नीतियों को प्रोत्साहन देने के लिए हैं? पश्चिम बंगाल में 'फॉलट' नामक निर्यात संवर्धन क्षेत्र है जिसका कार्यनिष्पादन भारत में सबसे खराब है। बुनियादी सुविधाओं, सड़कों की दशा को ध्यान में रखते हुए कोई भी व्यापार घराना उन सुविधाओं का प्रयोग करने का इच्छुक नहीं है जो इस निर्यात संवर्धन क्षेत्र में उस व्यापार घराने को प्रदान की गई थीं। मैं जानना चाहता हूं क्या मंत्री महोदय को फालटा में निर्यात संवर्धन क्षेत्र के कार्यनिष्पादन के बारे में पता है। मैं यह भी जानना चाहता हूं क्या उन्होंने कलकत्ता के निकट फालटा क्षेत्र में निर्यात संवर्धन क्षेत्र के स्तर में आई गिरावट के बारे में कभी पूछताछ की थी। देश के अन्य क्षेत्रों की तुलना में इस निर्यात संवर्धन क्षेत्र का स्थान क्या है?

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति : यह कामरेड का अच्छा प्रबन्धन है।

श्री उमर अब्दुल्ला : निर्यात संवर्धन क्षेत्र के कार्यनिष्पादन के संबंध में मेरा प्रयास रहा है कि मैं प्रत्येक क्षेत्र का स्वयं दौरा करूं। आज तक मैंने तीन निर्यात संवर्धन क्षेत्रों का दौरा किया है

ताकि मैं उस जानकारी पर निर्भर नहीं रहूं जो मुझे एक फाईल के रूप में सौंपी जाती है। मैं स्थान पर स्वयं जाकर देखता हूं और स्वयं पता लगाता हूं। पश्चिम बंगाल के निर्यात संवर्धन क्षेत्र जिसका आपने उल्लेख किया है निःसंदेह मेरे कार्यक्रम में है। जैसे ही संसद का शीतकालीन सत्र समाप्त होगा मैं वहां जाऊंगा और स्वयं देखूंगा कि निर्यात संवर्धन क्षेत्र की क्या स्थिति हैं। इस निर्यात संवर्धन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्य मंत्रालय की ओर से जो भी कदम उठाए जाने की आवश्यकता होगी, हम उन्हें उठाएंगे और इस संबंध में माननीय सदस्य जो भी सुझाव देना चाहे मैं उस सुझाव का स्वागत करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी तरफ भी आ रहा हूं

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह अच्छी बात नहीं है। आप क्यों बार-बार खड़े होते है? यह ठीक बात नहीं हैं।

[अनुवाद]

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति : मेरा प्रश्न भी भारत में निर्यात संवर्धन क्षेत्रों के कार्यकरण से आंशिक रूप से संबंधित है। मेरा प्रश्न भी श्री बंद्योपाध्याय जी के प्रश्न से आंशिक रूप से संबंधित है। विजाग में भी एक निर्यात संवर्धन क्षेत्र है। मैं नहीं समझता विजाग में इस निर्यात संवर्धन क्षेत्र ने क्षमता का 10 प्रतिशत से अधिक का प्रयोग किया है। हाल ही में आए महाचक्रवात ने मछली पकड़ने वालों के मछुआ पोतो और किश्तियों को प्रभावित किया है। इसने सम्पत्ति को भारी क्षति पहुंचाई है और इसमें अनेक लोगों की जानें भी गईं हैं। सभी इन किश्तियों में विजाग पत्तन क्षेत्र से झींगा और श्रिम्प मछलियों का निर्यात किया जाता है। इस हानि के कारण स्वभाविक है एम.पी.ई.डी.ए. गतिविधियां प्रभावित होगी।

शत प्रतिशत निर्यात संवर्धन में लगे इन मछुआरों के पुनर्वास के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है और हम किश्तियों को बनाने और उन्हें हुई क्षति की क्षतिपूर्ति किस प्रकार करने जा रहे हैं? यह एकदम स्पष्ट है मैं इसका उत्तर जानना चाहता हूं।

श्री उमर अब्दुल्ला : मैं समझता हूं कि सरकार ने कई बार बताया है कि उन्हें हुई जान माल की हानि की क्षतिपूर्ति करने के लिए जिस भी कदम को उठाने की आवश्यकता होगी, जो भी कदम संभव होगा वह राज्य सरकार और केन्द्र सरकार मिलाकर उठाएगीं।

क्षति के संबंध में जो उन लोगों को जो झींगा और चिंगट (श्रिम्प) मछलियों के व्यापार में लगे हैं उठानी पड़ी निर्यात संवर्धन क्षेत्रों में से एक है जिसका मुझे अध्ययन करने का मौका अभी तक नहीं मिला है मुझे मंत्री बने हुए एक महीना ही हुआ है और इतने समय में हर स्थान का दौरा करना मेरे लिए संभव नहीं है। लेकिन जैसाकि मैंने कहा है कि यह एक अन्य क्षेत्र है जो मेरे कार्यक्रम में है। संसद के शीतकालीन सत्र के पूरा होते ही मैं इस उद्देश्य के साथ दौरा करूंगा कि हम समुद्री और मछली निर्यात के क्षेत्र में क्या कर सकते है जिन उपायों को करने की आवश्यकता हम महसूस करेंगे, हम उन्हें करेंगे।

श्री लक्ष्मण सेठ : हमारे देश में कितने निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्कों की स्थापना की गई है? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आपके मंत्रालय का और अधिक निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्कों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है।

श्री उमर अब्दुल्ला : महोदय, निर्यात संवर्धन पार्कों की स्थापना करना एक निरंतर प्रक्रिया है। केवल एक ही रुकावट है और वह है कि योजना आयोग ने यह निर्देश जारी किए है कि राज्य में नए ई.पी.आई.पी. की स्थापना की तब तक अनुमति नहीं मिलेगी जब तक वर्तमान ई.पी.आई.पी. का निर्माण पूरा नहीं किया जाता और उसका कार्यान्वयन नहीं दिखाया जाता। जब कभी भी कोई राज्य यह दिखाता है कि ई.पी.आई.पी., जिसकी स्थापना की अनुमति मिली है, वह पूर्ण हो गई है और वह अपना कार्य संपन्न कर रही है, नई ई.पी.आई.पी. की स्थापना की अनुमति दे दी जाएगी।

श्री ए.सी. जोस : प्रश्न निर्यात को बढ़ावा देने के संबंध में है, मैं इस बात को अच्छी तरह जानता हूं कि हमने इस समय न केवल अपने लक्ष्य की प्राप्ति की है बल्कि उससे भी बढ़कर कार्य किया है, जो बहुत अच्छा है। लेकिन बहुत सी अन्य वस्तुओं का भी इस देश से निर्यात किया जा सकता है विशेषकर रबड़ का। हमारे राज्य में रबड़ की अधिकता है और साथ ही संपूर्ण देश में भी है। लगभग 50,000 टन रबड़ का निर्यात किया जा सकता है। भारत सरकार रबड़ निर्यात के संबंध में बहुत थोड़ा प्रयास कर रही है।

क्या सरकार रबड़ निर्यात की संभावनाओं का पता लगाएगी और रबड़ के निर्यात के संबंध में कदम उठाएगी ताकि विदेशी मुद्रा प्राप्त की जा सके जो कि केरल के रबड़ उत्पादकों के लिए भी अच्छा कदम होगा?

श्री उमर अब्दुल्ला : मुझे नहीं मालूम था कि रबड़ के संबंध में प्रश्न यहां उठेगा क्योंकि वाणिज्य मंत्रालय के समक्ष यह बड़ा सक्रिय प्रश्न है। जहां तक रबड़ के निर्यात संबंधी कदम उठाने का प्रश्न है। हमने एस.टी.सी. को रबड़ के निर्यात के संबंध में जहां तक संभव हो संभावना का पता लगाने के दिशा निर्देश दिए हैं। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य को इस बात की सराहना करनी चाहिए कि, विशेपकर दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों में उद्‌भव हुआ वित्तीय संकट व मुद्रा के अवमूल्यन के कारण, हमें पता लगा है कि मलेशिया और थाईलैण्ड से आने वाले रबड़ के मुकाबले रबड़ जो भारत में प्राकृतिक रूप से उगता है। वह इन देशों के मुकाबले का नहीं है ...*(व्यवधान)*

श्री ए.सी. जोस : वह तो सिंथेटिक है। ...*(व्यवधान)*

श्री सुरेश कुरूप : यह सही नहीं है। ...*(व्यवधान)*

श्री पी.सी. थामस : यह गलत सूचना है। हमारे पास सर्वोत्तम किस्म की रबड़ है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उन्हें अपना उत्तर समाप्त करने दीजिए। यह क्या है? आपको मंत्री महोदय के बोलते समय व्यवधान उत्पन्न नहीं करना चाहिए। उन्हें समाप्त करने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री उमर अब्दुल्ला : मैं हमारे यहां उत्पन्न रबड़ की गुणवत्ता के बारे में बात नहीं कर रहा हूं? हमारी रबड़ की गुणवत्ता बहुत अच्छी है। लेकिन तुलनात्मक रूप से हमारे रबड़ की कीमत भी अधिक है, हमें पता लगा है कि इसलिए केरल सरकार के अनुरोध पर, एस.टी.सी. को हमारे रबड़ उत्पादकों से रबड़ प्राप्त करने को कहा गया जिससे वास्तव में हानि हुई जिसके लिए सरकार को एस.टी.सी. को मुआवज़ा के रूप में 44 करोड़ रुपये देने पड़े। हम अब इस रबड़ के भंडार को बाजार में बेच रहे हैं। घरेलू रबड़ उद्योग को बचाने के लिए वास्तव में हमने, अग्रिम अनुज्ञप्तियों पर भी प्राकृतिक रबड़ के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है।

श्री ए.सी. जोस : आप टायरों को आयात करने की अनुमति दे रहे हैं। उपयोग किए हुए टायर हमारे देश में आ रहे हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। यह प्रश्न पूछने का तरीका नहीं है। मैंने दूसरे माननीय सदस्य को प्रश्न पूछने के लिए कहा है।

...*(व्यवधान)*

मध्याह्न 12.00 बजे

[हिन्दी]

श्री हरीभाऊ शंकर महाले : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने प्याज के निर्यात पर पाबंदी लगा दी है, उसे उठाने के लिए सरकार क्या करने वाली है? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

एक माननीय सदस्य : महोदय, प्रश्न काल समाप्त हो गया है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुझे पता है आपको अध्यक्षपीठ को निर्देश देने की आवश्यकता नहीं है। मुझे प्रश्न काल का समय पता है

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न क्या है?

श्री हरीभाऊ शंकर महाले : सरकार ने प्याज के निर्यात पर पाबंदी लगा दी है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री जोस, अगर आपको कोई शंका है तो आप मंत्री महोदय से संपर्क कर सकते हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री ए.सी. जोस : मंत्री महोदय आधे-घंटे की चर्चा करने के लिए तैयार हैं।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, आप कुछ कहना चाहते हैं?

श्री उमर अब्दुल्ला : महोदय, माननीय सदस्य ने प्याज के निर्यात के संबंध में प्रश्न पूछा है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री जोस, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मंत्री महोदय माननीय सदस्य को उत्तर देंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री पी.सी. थामस : महोदय, आप मंत्री महोदय से क्यों नहीं पूछते कि क्या वे चर्चा के लिए तैयार हैं? ...*(व्यवधान)*

श्री उमर अब्दुल्ला : महोदय, जहां तक प्याज के निर्यात का संबंध है, अगर हमें लगता है कि प्याज का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में हुआ है तो हम प्याज के निर्यात के लिए अनुमति दे सकते हैं, हम प्याज के निर्यात के कोटे की अनुमति की संभावनाओं का पता लगाएंगे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

किसान क्रेडिट कार्ड

***84. डा. अशोक पटेल :**
श्री विजय कुमार खंडेलवाल :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किसान क्रेडिट कार्डों के संबंध में वर्ष 1999-2000 के लिए राज्यवार और बैंकवार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या उक्त योजना के लक्ष्य प्राप्त करने में सरकार को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए पर्याप्त कदम उठाये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जैसाकि वर्ष 1999-2000 के बजट भाषण में घोषणा की गई थी, किसान ऋण कार्ड योजना को 20 लाख किसानों तक बढ़ाया जाना है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सरकारी क्षेत्र के बैंकों को आबंटित लक्ष्य संलग्न विवरण में दिया गया है। कोई राज्यवार लक्ष्य नहीं निर्धारित किए गए हैं। कवरेज को और बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सहकारी बैंकों/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि किसान ऋण कार्ड योजना के तहत उनके विद्यमान फसल ऋण के 10 प्रतिशत से अनधिक कवरेज को सुनिश्चित किया जाए।

(ख) से (घ) बैंकों ने योजना के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई नहीं बताई है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा चालू वर्ष में सितम्बर, 1999 तक लगभग 4.8 लाख किसानों को किसान ऋण कार्ड दिए जा चुके हैं।

विवरण

किसान ऋण कार्ड योजना-सरकारी क्षेत्र के बैंकों का आबंटित लक्ष्य

क्र.सं.	बैंक का नाम	लक्ष्य
1	2	3
1.	भारतीय स्टेट बैंक	625000
2.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	20000
3.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	75000
4.	स्टेट बैंक आफ इंदौर	20000
5.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	30000
6.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	45000
7.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	74000
8.	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	22000
9.	इलाहाबाद बैंक	20000
10.	आन्ध्रा बैंक	100000
11.	बैंक आफ बड़ौदा	56000
12.	बैंक आफ इंडिया	72000
13.	बैंक आफ महाराष्ट्र	33000
14.	केनरा बैंक	254000

1	2	3
15.	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	28000
16.	कारपोरेशन बैंक	30000
17.	देना बैंक	20000
18.	इंडियन बैंक	70000
19.	इंडियन ओवरसीज बैंक	92000
20.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	20000
21.	पंजाब नेशनल बैंक	52000
22.	पंजाब एंड सिंध बैंक	21000
23.	सिंडिकेट बैंक	64000
24.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	64000
25.	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	42000
26.	यूको बैंक	20000
27.	विजया बैंक	31000
	जोड़	2000000

[अनुवाद]

बैंकों पर आयकर की बकाया राशि

***85. श्री शीशराम सिंह रवि :**
श्री ब्रजमोहन राम :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 मार्च, 1999 की स्थिति के अनुसार देश के प्रत्येक राष्ट्रीयकृत/गैर-सरकारी बैंक और वित्तीय संस्थानों पर आयकर की कितनी राशि बकाया थी;

(ख) बकाया राशि के जमा होने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा आयकर की बकाया राशि की वसूली के लिए आज की तारीख तक क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) दिनांक 31.3.99 की स्थिति के अनुसार विभिन्न मुख्य आयुक्त के क्षेत्रों से यथा-समेकित प्रत्येक राष्ट्रीयकृत/निजी और वित्तीय संस्था की ओर आयकर की बकाया धनराशि का विवरण संलग्न है।

(ख) बकाया मांग के संचित होने के कारणों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कारण शामिल हैं:-

(1) विवादग्रस्त मांग के फलस्वरूप अपीलों का होना तथा उनके निपटान में समय लगना है।

(2) न्यायालयों/अपीलीय अधिकरणों द्वारा दिये गये स्थगन।

(3) विवादग्रस्त दावों के समायोजन के मामलों में वसूली की जा रही है।

(4) मांगों के संबंध में दावा की गई धनराशि के भुगतान का क्रेडिट से पूर्व सत्यापन करना।

(ग) करों की वसूली एक सतत् प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न सांविधिक एवं अन्य प्रक्रियाएं अन्तर्ग्रस्त हैं। इन प्रक्रियाओं में करों का विलंब से भुगतान करने के लिए ब्याज प्रभारित करना, अर्थदण्ड लगाना, चल एवं अचल परिसम्पत्तियों आदि की कुर्की करना आदि शामिल है। उच्च प्राधिकारियों द्वारा बकाया संबंधी मामलों की आवधिक समीक्षा एवं निगरानी समय-समय पर की जाती है।

विवरण

क्रमांक	कर निर्धारिती का नाम	दिनांक 31.3.99 को देय कर की धनराशि
1	2	3
1.	स्टेट बैंक आफ महाराष्ट्र	60.04 करोड़
2.	राजकोट नागरिक सहकारी बैंक लि.	10.46 करोड़

1	2	3
3.	यू.टी.आई. बैंक लि.	2.46 करोड़
4.	गुजरात इन्डस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लि.	0.83 करोड़
5.	मेहसाना जिला केन्द्रीय को-आप. बैंक लि.	5.09 करोड़
6.	सर्वोदय कॉमर्शियल को-आपरेटिव बैंक लि.	0.28 करोड़
7.	दी खेरातु नागरिक सहकारी बैंक लि.	0.13 करोड़
8.	दी बेचारजी नागरिक सहकारी बैंक लि.	0.01 करोड़
9.	दी मेहसाना नागरिक सहकारी बैंक लि.	0.17 करोड़
10.	दी गोजारिया नागरिक सहकारी बैंक लि.	0.13 करोड़
11.	साबरकान्ठा जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि.	0.28 करोड़
12.	दी अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक लि.	3.53 करोड़
13.	मानेक चौक को-आपरेटिव बैंक लि.	1.63 करोड़
14.	दी कालुपुर को-आपरेटिव बैंक लि.	4.06 करोड़
15.	जनरल को-आपरेटिव बैंक लि.	0.85 करोड़
16.	सारंगपुर को-आपरेटिव बैंक लि.	0.40 करोड़
17.	नूतन को-आपरेटिव बैंक लि.	2.09 करोड़
18.	दी महिला को-आपरेटिव बैंक लि.	0.08 करोड़
19.	जुल्ला सहकारी केन्द्रीय बैंक	742145
20.	जुल्ला सहकारी केन्द्रीय बैंक लि.	478775
21.	जुल्ला सहकारी केन्द्रीय बैंक	500500
22.	ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स	32.82 करोड़
23.	पंजाब एंड सिंध बैंक	7.41 करोड़
24.	दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक	0.08 करोड़
25.	इण्डस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	112.88 करोड़
26.	हुडको	31.12 करोड़
27.	बैंक ऑफ टोक्यो एंड मित्सुबिशी	12.07 करोड़
28.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	110340
29.	यूनियन बैंक आफ इंडिया, किदवईनगर	90327
30.	यूनियन बैंक आफ इंडिया मूलगंज	79039
31.	केनरा बैंक ओवरसीज बैंक	47520
32.	केनरा बैंक दी माल	232876
33.	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	80000
34.	पंजाब नेशनल बैंक	33257
35.	पंजाब नेशनल बैंक प्रेमनगर	33016

1	2	3
36.	पंजाब नेशनल बैंक रिडना	371981
37.	पंजाब नेशनल बैंक जोगेश्वर मंदिर	271731
38.	पंजाब नेशनल बैंक आर्य नगर	441086
39.	पंजाब नेशनल बैंक कृष्णा नगर	511851
40.	पंजाब नेशनल बैंक शास्त्रिनगर	1327352
41.	पंजाब नेशनल बैंक हेलसे रोड	336150
42.	स्टेट बैंक आफ इंडिया केनाल रोड	29300
43.	उप महाप्रबंधक एस.बी.आई. मेन ब्रांच	115244
44.	नैनीताल बैंक लि.	94888
45.	इं.बी.पी. फाईनेंस एंड लीजिंग लि.	167.67 लाख
46.	ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लि.	353.65 लाख
47.	लक्ष्मी फाइनेंस इन्वेस्टमेंट कारपो. लि.	185.37 लाख
48.	एक्सीड फाइनेंस एंड इनवेस्टमेंट लि.	119.99 लाख
49.	हरिप्रिया फाइनेंस कारपोरेशन	12.44 लाख
50.	शिल्पा फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट लि.	23.40 लाख
51.	विजया क्रेडिट कारपो.	51.43 लाख
52.	ए.पी.एस.एफ.सी. लि.	706.57 लाख
53.	ए.पी. महेश को-आपरेटिव अरबन बैंक प्रा.लि.	88.16 लाख
54.	ए.पी. को-ऑपरेटिव बैंक	2.54 लाख
55.	लातूर जिला सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक लि.	1.45 लाख
56.	निवेना इंस्टेट फाइनेंस (प्रा.) लि.	6.21 लाख
57.	थाणे, जिला को-आपरेटिव बैंक लि.	309.92 लाख
58.	थाणे जनता सहकारी बैंक लि.	1.73 लाख
59.	श्री महावीर नगरी सहकारी परिषद संस्था लि.	1283 लाख
60.	पीयरलेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट	10002 लाख
61.	बांगुर फाइनेंस लि.	40 लाख
62.	मेमोरियल फाइनेंसियल एंड इन्वेस्टमेंट (आई) लि.	6 लाख
63.	मैसर्स केनबैंक फाइनेंसियल सर्विसेज लि., बंगलौर	3610.69 लाख
64.	मैसर्स केनरा बैंक, बंगलौर	181.97 लाख
65.	मैसर्स वेश्य बैंक लि.	46.05 लाख
66.	मैसर्स वेश्य बैंक लीजिंग लि. बंगलौर	131.14 लाख
67.	मैसर्स स्टेट बैंक आफ मैसूर	5953.38 लाख

1	2	3
68.	मैसर्स कर्नाटक बैंक मंगलौर	960.29 लाख
69.	मैसर्स मनिपाल हाउसिंग फाइनेंस सिंडिकेट मंगलौर	0.79 लाख
70.	मै. मनिपाल फाइनेंस कारपोरेशन लि., मंगलौर	193.55 लाख
71.	मै. मनिपाल साउथाज्ञा निधि लि., मंगलौर	1.91 लाख
72.	मै. महाराष्ट्रा एपेक्स कारपो. लि. मंगलोर	132.84 लाख
73.	मै. द हवेरी अर्बन कोआपरेटिव बैंक लि. हवेरी	1.24 लाख
74.	मै. द हनागल अरबन कोआपरेटिव बैंक लि.	0.51 लाख
75.	मै. मर्केन्टस कोआपरेटिव बैंक लि. चित्र दुर्ग	5.06 लाख
76.	मै. द देवनगर अर्बन कोआपरेटिव लि. देवनगर	1.00 लाख
77.	मैसर्स बैंक आफ पंजाब लि.	11.54 करोड़
78.	मैसर्स पंजाब फाइनेंशियल कारपोरेशन	56.4 लाख
79.	मैसर्स पंजाब स्टेट इंड. डेव कारपोरेशन लि.	1.64 करोड़
80.	मैसर्स स्टेट बैंक आफ पटियाला	665.35 लाख
81.	राजस्थान फाइनेंशियल कारपोरेशन	241 लाख
82.	रिको	20 लाख
83.	मैसर्स राजधानी सहकारी बैंक	42 लाख
84.	मैसर्स बाराबंकी ग्रामीण बैंक	27.00 लाख
85.	मैसर्स प्रदेशीय इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन उ.प्र. लि.	119.00 लाख
86.	मैसर्स प्रथमा बैंक लि.	
87.	इन्दुसिंध बैंक	2615.83 लाख
88.	एच.डी.एफ.सी. लि.	5573.97 लाख
89.	आई.सी.आई.सी.आई. बैंकिंग कारपोरेशन	717.99 लाख
90.	एक्सपोर्ट क्रेडिट गारण्टी कारपोरेशन आफ इण्डिया लि.	1766.87 लाख
91.	आई.डी.बी.आई.	20686.96 लाख
92.	एस.बी.आई. फण्ड मैनेजमेंट लि.	142.00 लाख
93.	आई.सी.आई.सी.आई./एस.सी.आई.सी. आई.आई.टी.सी. क्लासिक फाइने. लि.	30141.00 लाख
94.	सेन्चुरियन बैंक लि.	605.43 लाख
95.	एच.डी.एफ.सी. बैंक	555.62 लाख
96.	बाम्बे मर्केन्टाइल कारपोरेशन बैंक	129.89 लाख

1	2	3
97.	एस.बी.आई. कैपिटल मार्केट	1674.09 लाख
98.	मेट्रोपोलिटन को आप. बैंक लि.	9463.98 लाख
99.	फेयर ग्रोथ फाइनेंशियल सर्विसेज लि.	7738.46 करोड़
100.	आंध्रा बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लि.	18.19 करोड़
101.	द फेडरल बैंक लि.	43.32 करोड़
102.	द नेदुनगडी बैंक	1.72 करोड़
103.	द लार्ड कृष्णा बैंक लि.	54.26 लाख
104.	द साउथ इण्डिया बैंक लि.	6.00 करोड़
105.	द कैथोलिक सीरियन बैंक	3.03 करोड़
106.	केरला स्टेट इंडस्ट्रियल डेव कारपोरेशन	39.63 लाख
107.	केरला फाइनेंशियल कारपोरेशन	67.62 लाख
108.	मैसर्स बिहार स्टेट फाइनेंसियल	6,36,44,453 रु.
109.	मैसर्स उड़ीसा स्टेट को आप बैंक	2,60,73,785 रु.
110.	इंडस्ट्रियल को आप बैंक	3,85,000 रु.
111.	करुर वैश्य बैंक	3320.87
112.	लक्ष्मी विलास बैंक	1760.30
113.	सिटी यूनियन बैंक लि.	621.65

1	2	3
114.	कुम्भकोनम सेंट को-आप बैंक लि.	124.96
115.	त्रिची डिस्ट्रिक्ट सेन्ट. को. आप. बैंक लि.	40.33
116.	भारत ओवरसीज बैंक लि.	543.46
117.	बैंक ऑफ सिलोन	27.57
118.	बैंक ऑफ मदुरई	4.51
119.	तमिलनाडु मर्सेनटाइल बैंक	609.58
120.	अविरामी फाइनेंस सर्विसेज	28.03
121.	अमृतांजन लीजिंग एंड फाइनेंस लि.	26.27
122.	धरनी फाइनेंस	26.27
123.	एन्को रि. ग्रोथ फाइनेंस लि.	18.70
124.	कोडाइकनाल फाइनेंस लि.	32.45
125.	कोठारी ओरियंट फाइनेंस	13.25
126.	न्यू डील फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट	38.34
127.	पी.एल. फाइनेंस	46.68
128.	आर.टी.सी. फाइनेंस सर्विस	17.30
129.	श्री अरविन्दो मिल एंड एच.पी. लि.	100.00
130.	एस.आर. भुवनेश्वरी कन्सलटेन्सी	99.14

1	2	3
131.	जेन ग्लोबल फाइनेंस	28.84
132.	हरिथ फाइनेंस	205.02
133.	सिटी यूनियन एंड फाइनेंस लि.	374.00
134.	फाइनेंस	102.00
135.	पी.एल. फाइनेंस एंड इन्वे.	432.82
136.	शापिंग इन्वे. फाइनेंस क.	855.13
137.	इन्डबैंक मर. बैंकिंग लि.	96.78
138.	बेनेफिट फंड लिमिटेड	1.77
139.	मद्रास पुरूपवलकर जन उपकार शाश्वत निधि लिमिटेड	0.65
140.	बैंक ऑफ मदुरा लिमिटेड	4.51
141.	तमिलनाडु लघु उद्योग विकास निगम लि.	10.55
142.	तमिलनाडु औद्योगिक निवेश निगम	1745.96
143.	फाइडलिटी फाइनेंस लिमिटेड	16.60
144.	मै. इन्डस्ट्रीज प्रोमोशन कारपोरेशन ऑफ तमिलनाडु	270.00

हथकरघा हेतु केन्द्र प्रायोजित योजनाएं

***86. श्री बाजूबन रियान :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में हथकरघा उद्योग के विकास और संवर्धन के लिए क्रियान्वित की जा रही केन्द्र प्रायोजित योजनाओं और इसके अंतर्गत किए गए वित्तीय प्रावधानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में क्या-क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई और इनके अंतर्गत अनुमानतः कितने हथकरघे चल रहे हैं;

(ग) हथकरघा बुनकरों को किन-किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और सरकार ने उनके समाधान के लिए क्या कार्रवाई की है;

(घ) राज्यों में कार्य कर रही हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) नई वस्त्र नीति के अंतर्गत हथकरघा क्षेत्र के कार्य निष्पादन के संवर्धन हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा): (क) हथकरघा उद्योग के विकास और प्रोत्साहन के लिए राज्य सरकारों के माध्यम से कार्यान्वित केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के साथ 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वित्तीय प्रावधानों के आंकड़े संलग्न विवरण-I में दर्शाये गये हैं।

केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के साथ-साथ हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए कुछ केन्द्र क्षेत्र स्कीमें हैं जो नीचे दर्शायी गई हैं:-

1. हथकरघा एक्सपो, जिला स्तर के मेले, हाट आदि।
2. राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लि. द्वारा विपणन कम्प्लैक्सों का विकास।
3. स्वास्थ्य पैकेज स्कीम।

(ख) 8वीं योजना अवधि के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत प्रत्येक राज्य को जारी की गई राशि के आंकड़े संलग्न विवरण-II पर दर्शाये गये हैं। विभिन्न राज्यों में कार्यरत हथकरघों की संख्या केन्द्र सरकार द्वारा नियमित आधार पर मॉनीटर नहीं किया जाता है। उपलब्ध सूचना के आधार पर कार्यरत करघों की संख्या तथा पिछले 3 वर्षों के दौरान कुल उत्पादित हथकरघा कपड़ा संलग्न विवरण-III में दी गई है।

(ग) हथकरघा बुनकरों द्वारा सामना की जा रही समस्याऐं प्रत्येक राज्य में अलग-अलग होता हैं तथा मुख्यत: उचित कीमत पर गुणता कच्चे माल की उपलब्धता, उत्पाद विकास, विपणन तथा साख की सुविधा आदि से संबंधित होती है। इन समस्याओं के समाधान के लिए केन्द्र सरकार द्वारा निम्नलिखित कार्यान्वित की जाती हैं:-

1. प्रोजेक्ट पैकेज स्कीम।
2. हथकरघा विकास केन्द्र/उत्कर्ष रंगाई इकाई।
3. कार्यशाला-सह-आवास।
4. निर्यात योग्य उत्पादों का विकास।
5. हथकरघा आरक्षण अधिनियम।
6. मिल गेट कीमत स्कीम।
7. हैंक यार्न बाध्यता।
8. विपणन विकास सहायता।
9. कल्याणकारी स्कीम।

(घ) प्राप्त सूचना के अनुसार संलग्न विवरण-IV में दिये गये ब्यौरे के अनुसार विभिन्न राज्यों में 23115 सहकारी समितियां कार्य कर रही हैं। यद्यपि केन्द्रीय सरकार इन समितियों की किसी भी स्तर पर समीक्षा नहीं करती है।

(ङ) जब नई वस्त्र नीति तैयार की जायेंगी हथकरघा क्षेत्र के प्रोत्साहन से संबंधित मामलों पर उचित विकास किया जायेगा।

विवरण-I

मुख्य स्कीमों के साथ जारी की गई केन्द्रीय सहायता पर संक्षिप्त टिप्पणी

1. प्रोजैक्ट पैकेज स्कीम : हथकरघा बुनकरों को एकीकृत और समन्वित तरीके से अपेक्षित साधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह स्कीम वर्ष 1991-92 में प्रारंभ की गई थी। इस स्कीम के अंतर्गत वित्त पोषण (अनुदान एवं ऋण घटक) दोनों के लिए केंद्र तथा राज्य सरकार/कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा बराबर हिस्सा दिए जाने के आधार पर है। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस स्कीम के अन्तर्गत 8,215 लाख रुपये का प्रावधान था।

2. हथकरघा विकास केन्द्र/उत्कर्ष रंगाई इकाई : यह स्कीम 7.5 लाख करघों और 30 लाख बुनकरों को सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत लाने हेतु वर्ष 1993-94 में आरम्भ की गई थी जिससे हथकरघा सहकारिता से विभिन्न स्कीमों से लाभ प्राप्त किया जा सके। उत्कर्ष रंगाई इकाईयों के अंतर्गत ग्राम स्तर पर हथकरघा क्षेत्र की रंगाई प्रक्रिया में सुधार की दृष्टि से माईक्रो यार्न इकाईयों स्थापित की गई थीं। 8वीं योजना के दौरान स्कीम के अंतर्गत 8215 लाख रुपये का वित्तीय प्रावधान किया गया था।

3. कार्यशाला-सह-आवास स्कीम : यह स्कीम बुनकरों की उत्पादकता और आय में वृद्धि करने के लिए उन्हें आवास तथा एक उपयुक्त कार्यशाला मुहैया कराने के उद्देश्य से आरम्भ की गई थी। इस स्कीम के अंतर्गत ग्रामीण कार्यशाला के लिए 7000 रु. तथा शहरी कार्यशाला के लिए 10000 रु. की सहाय्ता प्रदान की जाती है। ग्रामीण कार्यशाला-सह-आवास के लिए 18000 रु. तथा शहरी के लिए 20000 रु. की सहायता दीजाती है। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्कीम के अन्तर्गत 4,844/- लाख रुपये का वित्तीय प्रावधान किया गया था।

4. निर्यात योग्य उत्पादों का विकास और उनके विपणन की स्कीम : देश में हथकरघा कपड़े तैयार माल तथा उन्हें हथकरघा वस्तुओं के निर्यात को पर्याप्त प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से निर्यात योग्य उत्पादों के विकास के लिए यह स्कीम 1995-96 में आरंभ की गई थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्कीम के अंतर्गत 750 लाख रुपये का वित्तीय प्रावधान किया गया था।

5. बाजार विकास सहायता : हथकरघा क्षेत्र में रोजगार तथा लगातार उत्पादन सुनिश्चित करने तथा बिक्री में छूट की सहायता से आवधिक भंडारण को एकत्रित होने से बचाने के उद्देश्य से बाजार विकास सहायता स्कीम आरम्भ की गई थी। 20 प्रतिशत सीमा तक छूट केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा समान रूप से वहन की जाएगी। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्कीम के अंतर्गत 28,124 लाख रुपये का वित्तीय प्रावधान किया गया था।

6. समूह बीमा स्कीम : समूह बीमा स्कीम बुनकरों के अपने परिवार के प्रति सामाजिक आर्थिक दायित्वों को पूरा करने तथा वृद्धावस्था में कार्यकारी क्षमता की अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए आरम्भ की गई थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्कीम के अंतर्गत 677.40 लाख रुपये का वित्तीय प्रावधान किया गया था।

विवरण-II

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत की गई उपलब्धियों का विवरण

(आंकड़े लाखों में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	प्रो. पैकेज स्कीम	हथ.वि.के.	विपणन विकास	हथकरघा निर्यात	कार्यशाला-सह-आवास	समूह बीमा स्कीम	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	अरूणाचल प्रदेश	87.00	—	—	—	—	—	87.00
2.	आन्ध्र प्रदेश	1259.28	1550.53	3255.72	—	941.71	71.61	7078.85
3.	असम	1415.78	673.73	513.25	17.50	332.00	—	2952.26
4.	बिहार	133.84	192.89	178.73	—	269.00	5.28	779.74
5.	गुजरात	116.77	28.82	524.59	—	—	4.13	674.31
6.	हरियाणा	78.26	4.00	285.21	14.00	—	—	381.47
7.	हिमाचल प्रदेश	198.79	82.54	167.16	—	119.41	—	568.08
8.	जम्मू और कश्मीर	80.30	9.12	473.22	2.59	26.59	10.00	601.82
9.	कर्नाटक	232.19	141.40	1072.41	—	501.06	30.00	1977.06
10.	केरल	688.00	493.35	1757.56	6.50	294.44	—	3239.85
11.	मध्य प्रदेश	247.59	133.94	434.40	7.00	170.79	1.80	995.52
12.	महाराष्ट्र	212.81	85.87	680.11	—	60.08	—	1038.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	मणिपुर	234.67	853.27	34.28	—	155.60	0.72	1278.54
14.	मिजोरम	16.00	—	—	—	14.00	—	30.00
15.	नागालैण्ड	514.79	247.91	—	—	164.78	—	927.48
16.	उड़ीसा	711.66	694.85	1878.61	—	255.64	38.80	3579.56
17.	पांडिचेरी	—	18.50	116.30	—	—	—	134.80
18.	पंजाब	63.52	—	104.55	—	—	—	168.07
19.	राजस्थान	429.16	5.28	331.33	—	76.96	—	837.53
20.	तमिलनाडु	539.33	1493.99	9230.11	—	541.50	137.87	11942.80
21.	त्रिपुरा	325.10	68.26	87.20	17.50	96.50	—	594.56
22.	उत्तर प्रदेश	437.55	649.85	2148.80	10.00	574.50	32.00	3852.70
23.	पश्चिम बंगाल	116.74	663.78	1728.72	—	153.97	7.06	2670.27
24.	दिल्ली	—	—	323.46	—	—	—	323.46
25.	मेघालय	6.37	—	0.46	—	2.60	—	9.43
26.	सिक्किम	—	—	—	—	—	—	—
	योग	8145.68	8091.88	25326.18	75.09	4745.93	339.27	46724.03

विवरण-III

देश में कार्यशील करघों की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	करघों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	183093
2.	अरूणाचल प्रदेश	35626
3.	असम	1199878
4.	बिहार	40532
5.	गुजरात	17387
6.	हरियाणा	17398
7.	हिमाचल प्रदेश	46876
8.	जम्मू व कश्मीर	16595
9.	कर्नाटक	60344
10.	केरल	38060
11.	मध्य प्रदेश	17788
12.	महाराष्ट्र	35542
13.	मणिपुर	267470
14.	मेघालय	7783*
15.	मिजोरम	94388*
16.	नागालैंड	83305
17.	उड़ीसा	78667
18.	पंजाब	5460
19.	राजस्थान	30336
20.	तमिलनाडू	360474
21.	त्रिपुरा	116078
22.	उत्तर प्रदेश	157666
23.	पश्चिम बंगाल	319807
24.	गोवा	14
25.	दिल्ली	5818
26.	पांडिचेरी	2924
	कुल	3239309

*आंकड़े 1987-88 की जनगणना के अनुसार। सभी अन्य आंकड़े 1995-96 की जनगणना के अनुसार।

विवरण-IV

हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	हथकरघा सहकारी समितियों की सं.
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	871
2.	असम	2931
3.	अरूणाचल प्रदेश	–
4.	बिहार	1492
5.	गुजरात	1314
6.	हरियाणा	454
7.	हिमाचल प्रदेश	188
8.	जम्मू व कश्मीर	327
9.	कर्नाटक	534
10.	केरल	682
11.	मध्य प्रदेश	828
12.	महाराष्ट्र	828
13.	मेघालय	38
14.	मणिपुर	1057
15.	मिजोरम	172
16.	नागालैंड	200
17.	पंजाब	755
18.	उड़ीसा	838
19.	राजस्थान	636
20.	तमिलनाडू	1521
21.	उत्तर प्रदेश	4817
22.	पश्चिम बंगाल	2001
23.	दिल्ली	437
24.	पांडिचेरी	14
25.	गोवा	3
26.	त्रिपुरा	174
27.	सिक्किम	3
	कुल	23115

सरकारी क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण

*87. श्री टी.एम. सेलवागनपति :
श्री प्रियरंजन दासमुंशी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सरकारी क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण करने और उनमें अपनी भागीदारी घटाकर 51 प्रतिशत से कम करने के बारे में विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस प्रयोजनार्थ सरकारी क्षेत्र के कौन से बैंकों की पहचान की गई है;

(ग) क्या सरकार ऋण वसूली न्यायाधिकरण अधिनियम में संशोधन करने और राष्ट्रीयकृत बैंकों में जनशक्ति घटाने हेतु कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लागू करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा पूंजी पर्याप्तता के निर्धारित उच्च स्तर को प्राप्त करने के लिए पूंजी की बढ़ती आवश्यकता को देखते हुए, भौतिक एवं सामाजिक संरचनात्मक क्षेत्रों एवं समाज सेवाओं से बजट संबंधी सुविधा के लिए प्रतिस्पर्धात्मक दावों के संबंध में बैंकों की अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता को अनिश्चित काल तक लगातार पूरा करने में केन्द्रीय सरकार की अव्यवहार्यता तथा बाजार से पूंजी उठाने की आवश्यकता, प्रतिस्पर्धा, योग्यता को बढ़ाने एवं अधिक स्वायत्तता देने की आवश्यकता तथा प्रगतिशील आर्थिक सुधारों की नीति के अनुसरण में नरसिंहम समिति ने बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 में संशोधन करने की सिफारिश की है जिससे बैंकों के लिए बाजार से पूंजी उठाने के लिए एक सामर्थ्यकारी प्रावधान तैयार किया जा सके चाहे सरकार की शेयर धारिता 51% से कम हो जाए।

(ग) और (घ) बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 में कुछ संशोधन करने का प्रस्ताव है जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, अधिकरण को प्रतिदावों/प्रतिपूर्ति पर विचार करने के लिए शक्तियां देना, अधिकरण में और वसूली अधिकारियों की नियुक्ति करना, एक अधिकरण से दूसरे अधिकरण में मामलों का अन्तरण तथा कार्यवाहियों की विचाराधीनता के दौरान रिसीवर की नियुक्ति के प्रावधान शामिल हैं। जहां तक सरकारी क्षेत्र के बैंकों में ऐच्छिक सेवा निवृत्ति योजना (वी.आर.एस.) संबंधी नीति का सबंध है, बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियमन, 1995 के विनियम 29 में उन कर्मचारियों को पेंशन संबंधी लाभ देने का प्रावधान किया गया है, जिन्होंने 20 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद 1 नवम्बर, 1993 को या इसके बाद बैंक सेवा से ऐच्छिक सेवानिवृत्ति ली हो। जबकि सरकार ने कोई स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना तैयार नहीं की है, सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मुख्य कार्यपालकों से सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में संचालित स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के समान योजना को रूपान्तरणों सहित या इसके बिना शुरू करने की वांछनीयता के सम्बन्ध में अपने विचार देने के लिए कहा गया है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश

*88. श्री टी. गोविन्दन :
श्री पवन कुमार बंसल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विनिवेश के लिए सरकारी क्षेत्र के कौन-कौन से उपक्रमों की पहचान की गई हैं;

(ख) संबंधित नीति आरम्भ किए जाने के बाद से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश हेतु वर्ष-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने लक्ष्य प्राप्ति हेतु अपारम्परिक और नए तरीकों का इस्तेमाल करके त्वरित निजीकरण और सरकारी क्षेत्र के विनिवेश के माध्यम से धनराशि जुटाने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) अब तक कितना विनिवेश किया जा चुका है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): (क) सरकारी क्षेत्र के अनेक उपक्रमों अर्थात् वी.एस.एन.एल., जी.ए.आई.एल., एम.टी.एन.एल., एच.टी.एल., आई.पी.सी.एल., बालको, आई.ओ.सी., मार्डन फूड इंडस्ट्रीज लि. इत्यादि में सरकारी शेयरधारिता के एक हिस्से का विनिवेश चालू वर्ष के दौरान किए जाने का प्रस्ताव है।

(ख) 1991-92 से वार्षिक बजटों में विनिवेश से अनुमानित प्राप्तियां निम्नानुसार हैं:

वर्ष	विनिवेश से अनुमानित प्राप्तियां (करोड़ रुपये)
1991-92	2500
1992-93	2500
1993-94	3500
1994-95	4000
1995-96	7000
1996-97	5000
1997-98	4800
1998-99	5000
1999-2000	10000

(ग) और (घ) विनिवेश से संबंधित कार्यप्रणाली एवं तरीकों को विगत समय में विकसित किया गया है और इनको आगे विकसित करने की आशा की जा सकती है।

(ङ) 1991-92 से अब तक सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश के माध्यम से लगभग 18,288 करोड़ रुपए की राशि जुटाई गई है।

बीमा क्षेत्र का निजीकरण

*89. डा. सी. सुगुणा कुमारी :
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बीमा क्षेत्र को गैर-सरकारी और सहकारी क्षेत्र के लिए खोलने का है:

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) स्वदेशी बीमा कम्पनियों की क्षमता पर इस निजीकरण का क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(घ) भारतीय जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम द्वारा बीमा क्षेत्र को गैर-सरकारी क्षेत्र के लिए खोले जाने की स्थिति में गैर-सरकारी क्षेत्र के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (घ) बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण विधेयक, 1999 लोक सभा में 28 अक्तूबर, 1999 को पेश किया गया था और दिनांक 2.12.99 को इसे पारित किया गया। इसमें बीमा क्षेत्र को भारतीय बीमा कम्पनियों के लिए खोलने की है। इसके कारणों को उद्देश्यों सम्बन्धी विवरण तथा विधेयक के कारणों में दिया है। इस क्षेत्र को खोलने से बीमा बाजार का आकार बढ़ेगा। यह सार्वजनिक क्षेत्र कम्पनियों के प्रीमियम को बढ़ाएगा चूंकि वे निरन्तर अपनी गतिविधियों का विकास और विस्तार करेंगी और बाजार हिस्से का भी विस्तार होगा। भारतीय जीवन बीमा निगम (एल.आई.सी.) और भारतीय साधारण बीमा निगम ने चुनौतियों का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए परामर्शदाताओं की नियुक्ति, सिटिजन चार्टर कम्प्यूटरीकरण को अपनाने तथा नए कारोबार योजनाओं सहित पर्याप्त कदम उठाए हैं।

वस्त्रों का निर्यात

*91. श्री उत्तमराव ढिकले : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वस्त्रों के निर्यात में धीमी प्रगति हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कार्य योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा): (क) और (ख) जबकि वर्ष 1998-99 के दौरान वस्त्र निर्यात की वृद्धि पर्याप्त रूप से धीमी गति से कम हुई है, फिर भी चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अभी तक पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान हुई 0.7% की गिरावट की तुलना में डालर रूप में लगभग 3% की दर से वृद्धि होना दर्ज हुआ है।

(ग) और (घ) सरकार निर्यात को बढ़ावा देने के लिए समय-समय पर अनेक कदम उठाती रही है। विशेषकर वस्त्र क्षेत्र के संबंध में की गई कुछेक महत्वपूर्ण कार्यवाही निम्नानुसार हैं:-

(1) इस क्षेत्र के आधुनिकीकरण और उन्नयन को सुकर बनाने के लिए 1.4.1999 से प्रौद्योगिकीय उन्नयन निधि योजना शुरू की गई है ताकि यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अधिक प्रतिस्पर्धी बन सके।

(2) अभी हाल ही में वर्ष 2000-2004 तक की अवधि के लिए नई निर्यातक हकदारी (कोटा) नीति की घोषणा की गई है ताकि वस्त्र निर्यात में प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रोत्साहन तथा स्थिरता और निरंतरता प्राप्त की जा सके।

(3) कुछ निर्धारित वस्त्र मशीनों के संबंध में शून्य शुल्क निर्यात संवर्धन पूंजीगत सामान (ई.पी.सी.जी.) की न्यूनतम सीमा को घटाकर 1 करोड़ रु. कर दिया गया है।

(4) निर्यातोन्मुखी एकक (ई.ओ.यू.)/निर्यात संवर्धन क्षेत्र (ई.पी.जैड.)/ई.पी.सी.जी. एककों द्वारा सूती यार्न के निर्यात का उदारीकरण।

(5) ट्रिमिंग्स और अलंकरण की कुछ श्रेणियों का शून्य शुल्क पर आयात।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विदेशी पूंजी निवेश

***92. श्री नवल किशोर राय :**
डा. सुशील कुमार इन्दौरा :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने स्वदेशी उद्योगों में विदेशी पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कोई नीतिगत निर्णय लिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या इन उद्योगों में विदेशी पूंजी निवेश अनुमोदित प्रस्तावों की तुलना में कम रहा है;

(घ) यदि हां, तो सितम्बर, 1999 की तिथि तक कितना विदेशी पूंजी निवेश स्वीकृत किया गया था और किये गये वास्तविक निवेश का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने उन उद्योगों का पता लगाया है जिनमें विदेशी पूंजी निवेश को प्राथमिकता दी जानी है; और

(च) यदि हां, तो ऐसे उद्योगों के नाम क्या हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) से (च) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ.डी.आई.) अधिक मात्रा में आकर्षित करने के उद्देश्य से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति तैयार की गई है और इसकी निरंतर समीक्षा की जाती है ताकि इसे निवेशक अनुकूल बनाया जा सके और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए देश में विशेषतया अवसंरचनात्मक महत्वपूर्ण क्षेत्र में विदेशी प्रौद्योगिकी तथा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का अन्त:प्रवाह बढ़ाया जा सके। अनुमोदित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश परियोजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन में सुविधा के लिए विदेशी निवेश कार्यान्वयन प्राधिकरण (एफ.आई.आई.ए.) की स्थापना की गयी है।

अगस्त, 1991 से सितंबर, 1999 तक की अवधि के दौरान 9854 प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया है जिनमें 203612.85 करोड़ रु. की विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की राशि अन्तर्ग्रस्त है। उपर्युक्त अवधि के दौरान विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का वास्तविक अन्त:प्रवाह 63,710.90 करोड़ रुपए की राशि का रहा है।

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश संबंधी सभी प्रस्तावों पर क्षेत्रीय नीतियों तथा संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा निर्धारित क्षेत्रीय सीमाओं के अधीन विचार किया जाता है। विद्युत (उत्पादन, पारेषण तथा वितरण), सड़क निर्माण एवं अनुरक्षण, राजमार्ग, टोल रोड, वाहनयोग्य पुल, सुरंग, पत्तन तथा बंदरगाह जैसे क्षेत्र स्वत: मार्ग के अधीन 100% तक विदेशी इक्विटी की भागीदारी के पात्र हैं, जिनमें विदेशी इक्विटी की अधिकतम सीमा 1500 करोड़ रु. तक की राशि की होगी। मूल तथा मूल्यवर्धित दूरसंचार सेवाओं के मामले में 49% तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति है, बशर्ते कि दूरसंचार

विभाग से लाइसेंस प्राप्त कर लिया गया हो (विनिर्माणकारी क्षेत्र में विदेशी इक्विटी की कोई सीमा नहीं रखी गई है)। पैट्रोलियम शोधन में 49% तक, पैट्रोलियम उत्पाद एवं पाइपलाइन क्षेत्र में 51% तक तथा अवसंरचनात्मक संबंधी पेट्रोलियम उत्पादों के विपणन में 74% तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति दी गई है।

क्षेत्रवार, विवरण, आदि सहित अनुमोदित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के प्रस्तावों के ब्यौरे मासिक एस.आई.ए. न्यूजलैटर में समय-समय पर शामिल किए जाते हैं, जिसे औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा प्रकाशित किया जाता है और जिसे माननीय सदन के पुस्तकालय सहित व्यापक रूप से परिचालित किया जाता है।

[अनुवाद]

घाटे में चल रही सरकारी क्षेत्र की इकाइयां

*93. **श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार :** क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्यों में सरकारी क्षेत्र की अनेक इकाइयों को अत्यधिक घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान उन इकाइयों को हुए घाटे का सरकारी उपक्रम-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) घाटा होने के क्या कारण हैं; और

(घ) घाटे में चल रहे इन सरकारी उपक्रमों के कार्य निष्पादन में सुधार हेतु कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री मनोहर जोशी): (क) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में समेकित वित्तीय आंकड़े रखे जाते हैं। 31.3.1998 की नवीनतम जानकारी उपलब्ध है, जिसके अनुसार सरकारी क्षेत्र के 236 प्रचालन रत उपक्रमों में से 134 उपक्रमों ने 20266 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया था, 100 उपक्रमों ने 6541 करोड़ रुपए का घाटा उठाया था तथा 2 उपक्रमों ने न तो लाभ अर्जित किया था न घाटा ही उठाया था। इस प्रकार वर्ष 1997-98 के दौरान सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने कुल मिलाकर 13725 करोड़ रुपए का निवल लाभ अर्जित किया था।

(ख) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमवार घाटे का विवरण लोक उद्यम सर्वेक्षण 1997-98 के खण्ड-I विवरण 7ख में दिया गया है, जिसे 26.2.1999 को संसद में प्रस्तुत किया गया था तथा यह एक प्रकाशित दस्तावेज हैं।

(ग) घाटे के कारण उद्यम विशेष हैं। तथापि, कुछ सामान्य कारण हैं-अप्रचलित संयंत्र एवं मशीनरी, पुरानी प्रौद्योगिकी, निम्न क्षमता उपयोग, कर्मचारियों की अतिरिक्त संख्या सहायक सामग्री की लागत में वृद्धि, संसाधन संकट, अत्यधिक ब्याज भार इत्यादि।

(घ) सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यनिष्पादन में सुधार करने के लिए उद्यम विशेष उपाय किए जाते हैं। इन उपायों में प्रशासनिक मंत्रालयों में सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यनिष्पादन की आवधिक समीक्षा करना, प्रौद्योगिकी समुन्नयन करना, उत्पाद मिश्र में विविधीकरण तथा परिवर्तन, वित्तीय एवं व्यापार पुनर्गठन, कर्मचारियों की संख्या का यौक्तिकीकरण, संयंत्रों का आधुनिकीकरण, मालसूची तथा लागत नियंत्रण और बेहतर विपणन रणनीतियां इत्यादि शामिल हैं।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के पुनरूद्धार संबंधी समीक्षा समिति

*94. **श्री बसुदेव आचार्य :** क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 'माइनिंग एंड एलायड मशीनरी कारपोरेशन लि.', भारत ओप्थेलिमक ग्लास लि.', 'टैनरी एंड फुटवियर कारपोरेशन आफ इंडिया लि.', 'ब्रेथवेट', 'भारत प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स लि.', 'इंस्ट्रूमेंटेशन लि.', तथा 'साइकिल कारपोरेशन आफ इंडिया' के पुनरूद्धार के संबंध में एक समीक्षा समिति गठित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या उस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री मनोहर जोशी): (क) सरकारी क्षेत्र के कुछ रूग्ण उपक्रमों जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं, के पुनरूद्धार की संभावनाओं का पता लगाने के लिए एक विशषज्ञ दल का गठन किया गया था:-

- माइनिंग एंड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड (एम.ए.एम.सी.)
- भारत आप्थैल्मिक ग्लास लिमिटेड (बी.ओ.जी.एल.)
- टेनरी एंड फुटवियर कारपोरेशन लिमिटेड (टेफ्को)
- भारत प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड (बी.पी.एम.ई.)

इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा (आई.एल.के.), ब्रेथवेट एंड कं. लिमिटेड (बी.सी.एल.) और साइकिल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सी.सी.आई.एल.) के मामले विशेषज्ञ दल को संदर्भित नहीं किए गए थे। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा (आई.एल.के.) और ब्रेथवेट एंड कं. लिमिटेड (बी.सी.एल.) की पुनरूद्धार योजनाएं बी.आई.एफ.आर./सरकार द्वारा पहले ही अनुमोदित की जा चुकी हैं और कार्यान्वयनाधीन हैं। साइकिल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सी.सी.आई.एल.) के मामले में एक पुनरूद्धार योजना अलग से बी.आई.एफ.आर. के विचाराधीन है।

(ख) और (ग) विशेषज्ञ दल ने माइनिंग एंड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड (एम.ए.एम.सी.), भारत आप्थैल्मिक ग्लास लिमिटेड (बी.ओ.जी.एल.), टैनरी एंड फुटवियर कारपोरेशन लिमिटेड (टेफ्को) और भारत प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड (बी.पी.एम.ई.एल.) के संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। सरकार को इन सिफारिशों पर निर्णय लेना है और इन्हें जैसा भी मामला हो, बी.आई.एफ.आर./उच्च न्यायालय को सूचित करना है।

[हिन्दी]

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश

***95. श्री सुरेश चन्देल :**
श्री सी. श्रीनिवासन :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बुनियादी ढांचे का विकास विदेशी निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इस विभेदपूर्ण रवैये को दूर करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष और अब तक सरकार को प्राप्त विदेशी निवेश प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान स्वीकृत प्रस्तावों का क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) इसमें विदेशी निवेश की कितनी राशि शामिल है;

(च) विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड के पास अनुमोदन हेतु लंबित मामलों की संख्या कितनी है; और

(छ) इन्हें कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) से (छ) वर्तमान दिशानिर्देशों में अवस्थापनापरक क्षेत्र अर्थात् विद्युत, दूरसंचार, सड़क एवं पत्तन (पोर्ट) में विदेशी निवेश करने के लिए उदार तंत्र का प्रावधान है। विद्युत (जनित्रण, ट्रांसमीशन और वितरण), और निर्माण तथा सड़कों, राष्ट्रीय मार्गों, लंबी सड़कों, वाहन पुलों, सुरंगों, पत्तनों (पोर्ट) और बन्दरगाहों का रख-रखाव जैसे क्षेत्र 1500 करोड़ रुपये की अधिकतम विदेशी इक्विटी सीमा के अध्यधीन स्वतः अनुमोदन के तहत 100% विदेशी इक्विटी की भागीदारी; बुनियादी तथा मूल्य वर्धित दूरसंचार सेवाओं में दूरसंचार विभाग से लाइसेंस प्राप्त करने की शर्त के तहत 49% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति के पात्र हैं (विनिर्माण क्षेत्र में विदेशी इक्विटी की कोई अधिकतम सीमा नहीं है)।

सरकार ने महत्वपूर्ण/अवस्थापनापरक क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित प्रमुख नीतिगत पहल किये हैं:-

- कोयला/लिग्नाइट तथा पेट्रोलियम क्षेत्रों को उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के क्षेत्राधिकार से लाइसेंस-मुक्त कर दिया गया है।
- मोबाइल/सेल्युलर सेवाओं की लाइसेंसीकरण अवधि को 10 वर्ष से बढ़ाकर 15 वर्ष कर दिया गया है।
- विद्युत ट्रांसमिशन को स्वतंत्र गतिविधि के रूप में अनुमति दे दी गई है और ट्रांसमीशन को अवस्थापनापरक स्तर प्रदान कर दिया गया है।
- एक केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग की स्थापना कर दी गई है।
- विदेशी निवेश कार्यान्वयन प्राधिकरण (एफ.आई.आई.ए.) की एफ.डी.आई. परियोजनाओं की, विशेषकर अवस्थापनापरक क्षेत्र में, अनुमोदित परियोजनाओं का तेजी से क्रियान्वयन करने में सहायता करने हेतु और एफ.डी.आई. परियोजनाओं के क्रियान्वयन में गतिरोध को दूर करने के लिए अपेक्षित नीतिगत हस्तक्षेप करने के लिए सक्षम प्राधिकरण को भी सिफारिश करने हेतु स्थापना की गई है।

विभाग के भीतर ही एक प्रोजेक्ट मानीटरिंग इकाई की स्थापना 100 करोड़ रुपये अथवा उससे अधिक विदेशी इक्विटी वाली बड़ी एफ.डी.आई. परियोजनाओं की शीघ्रता से कार्यान्वयन में सहायता करने और मानीटरी करने के लिए की गई है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुमोदित किये गये एफ.डी.आई. प्रस्तावों की संख्या और उनमें अंतर्ग्रस्त राशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

	अनुमोदित एफ.डी.आई. प्रस्तावों की संख्या	अनुमोदित एफ.डी.आई. की राशि (रु. करोड़ में)
1997	1665	54891.35
1998	1191	30813.50
1999 (सितम्बर तक)	1256	22221.30

क्षेत्रवार विवरणों सहित अनुमोदित एफ.डी.आई. प्रस्तावों के ब्यौरे समय-समय पर औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा प्रकाशित एस.आई.ए. के मासिक न्यूजलैटर में प्रकाशित किये जाते हैं, जिसका माननीय सदन के पुस्तकालय सहित व्यापक परिचालन किया जाता है।

विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफ.आई.पी.बी.) अद्यतन स्थिति के अनुसार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के 29 प्रस्ताव लंबित पड़े हैं।

दिशानिर्देशों के अनुसार, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश बोर्ड संबंधित मंत्रालयों/विभागों के पास परामर्श करके 30 दिन की नियत समयावधि के अंदर सरकार की सिफारिशों को अंतिम रूप दिए जाने का पूरा प्रयास करता है।

[अनुवाद]

आई.डी.बी.आई. द्वारा उद्यमियों से प्राप्त आवेदन पत्र

***96. श्री अशोक प्रधान :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आज की तारीख तक आई.डी.बी.आई. को प्रतिवर्ष उद्यमियों से कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इनमें से कितने आवेदन पत्र मंजूर/अस्वीकृत किये गये;

(ग) उक्त अवधि के दौरान उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को उद्यमियों को वित्तीय सहायता की मंजूरी प्रदान किये जाने मं की गई अनियमितताओं की जानकारी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई अथवा किए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई.डी.बी.आई.) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा अप्रैल-सितम्बर, 1999 (नवीनतम उपलब्ध) के दौरान प्रत्यक्ष वित्त योजना के तहत आई.डी.बी.आई. द्वारा विभिन्न राज्यों के उद्यमियों से प्राप्त, स्वीकृत तथा अस्वीकृत किए गये आवेदन पत्रों के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गये हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा अप्रैल-सितम्बर, 1999 (नवीनतम उपलब्ध) के दौरान प्रत्यक्ष वित्त योजनाओं के अंतर्गत आई.डी.बी.आई. द्वारा दी गई वित्तीय सहायता के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गये हैं।

(घ) और (ङ) वित्तीय संस्थाएं निर्धारित उपयुक्त स्तरों पर मामलों पर विचार करने के बाद अपने विचारित वाणिज्यिक निर्णय, निवेश संबंधी विवेकपूर्ण मानदंडों एवं आस्ति वर्गीकरण तथा इस विषय पर भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के आधार पर वित्तीय सहायता देती हैं। उद्यमियों को ऋण मंजूर करने में अनियमितताओं के संबंध में चाहे ये व्यापक श्रेणी की हों या सामान्य प्रकृति की अनियमितताएं, सरकार को कोई सूचना नहीं मिली है।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण-I

विभिन्न राज्यों से आई.डी.बी.आई. द्वारा प्राप्त आवेदनों की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य	1996-97			1997-98			1998-99			1999-2000 (अप्रैल-सितम्बर)		
		वसूली	स्वीकृत	अस्वीकृत	वसूली	स्वीकृत	अस्वीकृत	वसूली	स्वीकृत	अस्वीकृत	वसूली	स्वीकृत	अस्वीकृत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आन्ध्र प्रदेश	128	99	4	164	126	1	131	32	1	74	21	3
2.	अरूणाचल प्रदेश	1	1	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—
3.	असम	7	6	—	6	6	—	10	3	—	5	1	—
4.	बिहार	20	14	1	14	8	—	17	8	—	4	3	—
5.	गोवा	12	9	—	6	4	—	12	6	—	5	1	—
6.	गुजरात	140	104	6	179	140	3	128	48	0	85	27	2
7.	हरियाणा	45	28	1	67	34	—	51	10	—	23	9	2
8.	हिमाचल प्रदेश	13	9	—	20	12	—	16	3	—	6	5	1
9.	जम्मू व कश्मीर	4	4	—	—	—	—	1	0	—	1	0	—
10.	कर्नाटक	56	35	—	94	62	2	67	31	2	36	17	1
11.	केरल	15	12	—	17	14	1	28	12	—	7	5	—
12.	मध्य प्रदेश	52	37	3	80	62	2	61	18	3	29	10	—
13.	महाराष्ट्र	231	165	8	306	235	10	277	100	4	150	59	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14.	मेघालय	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15.	उड़ीसा	10	8	—	21	16	1	0	2	—	12	3	—
16.	पंजाब	34	19	2	58	40	1	45	14	1	27	11	2
17.	राजस्थान	57	41	3	93	62	8	79	28	1	44	27	1
18.	सिक्किम	1	1	—	1	0	—	—	—	—	—	—	—
19.	तमिलनाडु	128	87	9	182	122	4	130	50	1	4	32	1
20.	उत्तर प्रदेश	80	45	6	102	68	5	86	25	1	38	8	1
21.	पश्चिम बंगाल	86	49	1	100	69	3	59	11	—	45	7	—
	संघ राज्य क्षेत्र												
1.	चण्डीगढ़	2	1	—	3	2	—	3	1	—	2	1	—
2.	दादरा एवं नागर हवेली	18	16	—	17	15	—	19	5	—	5	1	1
3.	दिल्ली	30	16	1	46	24	2	30	15	—	9	4	—
4.	दीव एवं दमन	5	5	—	7	6	—	8	2	—	2	1	—
5.	पाण्डिचेरी	4	4	—	3	2	—	7	3	—	2	2	—
6.	अण्डमान/निकोबार	0	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—

विवरण-II

आई.डी.बी.आई. द्वारा मंजूर और संवितरित राज्य-वार सहायता

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	राज्य	1996-97		1997-98		1998-99		1999-2000 (अप्रैल-सितम्बर)	
		स्वीकृत	संवितरित	स्वीकृत	संवितरित	स्वीकृत	संवितरित	स्वीकृत	संवितरित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	998.76	846.20	3014.81	1763.65	1770.66	1204.06	2116.10	556.30
2.	अरूणाचल प्रदेश	—	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	15.35	24.22	14.56	14.71	46.02	22.58	21.90	10.90
4.	बिहार	98.41	41.50	370.55	329.28	674.30	134.85	163.60	194.90
5.	गोवा	64.19	7.90	65.85	27.06	180.39	106.08	57.00	40.40
6.	गुजरात	2847.43	1878.55	3920.77	3100.03	3201.37	2342.10	3119.80	1017.10
7.	हरियाणा	377.17	22.05	407.40	350.49	470.14	272.12	163.60	120.60
8.	हिमाचल प्रदेश	35.89	170.32	241.05	194.00	82.20	95.83	355.40	292.40
9.	जम्मू व कश्मीर	10.72	8.11	3.78	1.09	0.00	1.00	0.00	1.20
10.	कर्नाटक	1003.61	593.71	1357.92	1048.91	2457.90	1233.94	581.30	428.80
11.	केरल	37.99	73.66	98.10	57.21	269.76	112.03	60.60	25.40
12.	मध्य प्रदेश	329.76	551.17	2447.81	697.26	635.43	670.19	615.90	161.80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	महाराष्ट्र	1996.76	1756.30	4386.76	2641.10	5472.41	2621.13	1400.80	1000.00
14.	नागालैण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	उड़ीसा	1072.03	168.23	295.43	128.25	131.50	234.28	26.90	133.80
16.	पंजाब	227.06	177.20	271.21	283.25	564.42	461.98	349.60	168.10
17.	राजस्थान	931.04	622.71	760.06	518.68	1012.66	808.24	361.80	196.10
18.	सिक्किम	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	तमिलनाडु	1242.45	842.51	2957.30	928.90	2610.96	1375.47	2019.10	607.60
20.	उत्तर प्रदेश	899.85	1166.95	686.72	676.10	1965.50	766.90	306.90	468.60
21.	पश्चिम बंगाल	504.81	291.00	954.04	795.81	651.65	642.58	288.40	218.60
	संघ राज्य क्षेत्र								
1.	चण्डीगढ़	21.35	20.49	2.90	9.09	62.70	17.60	32.50	21.50
2.	दादरा एवं नागर हवेली	78.97	62.99	136.73	93.72	105.50	106.94	35.80	15.00
3.	दिल्ली	628.43	260.99	308.07	376.72	2268.23	453.83	645.20	374.10
4.	दीव एवं दमन	27.30	11.69	42.75	35.73	56.78	51.31	16.00	2.00
5.	पाण्डिचेरी	20.40	22.77	12.50	11.94	28.00	20.64	5.00	13.40
6.	अण्डमान/निकोबार	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

अफीम की तस्करी

*97. श्री रामसागर रावत : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 29 अक्टूबर, 1999 के "द इंडियन एक्सप्रैस" में "ओपियम पोर्स आऊट वाया पोरस यू.पी. बार्डर" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस समाचार में प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार): (क) जी हां।

(ख) उक्त समाचार में कथित रूप से यह उल्लेख किया गया है कि तस्कर उत्तर प्रदेश में किसानों से अफीम खरीदते हैं और फिर इसे भारत-नेपाल सीमा के जरिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेच देते हैं। समाचार में अतिरिक्त उत्पादन, अवैध बिक्री अथवा तस्करी के बारे में कोई तथ्य अथवा ठोस सबूत नहीं दिए गए हैं।

(ग) सरकार अफीम के अवैध अथवा अतिरिक्त उत्पादन और उसके पथान्तरण के खतरों के बारे में सजग है। तथापि, समाचार में बड़े पैमाने पर एवं सुनियोजित पथान्तरण और तस्करी करने के बारे में प्रकाशित आरोप प्राप्त आसूचना एवं वर्ष के दौरान की गई जब्तियों पर आधारित नहीं है। अफीम की खेती की अनुमति सरकार के कड़े लाइसेंसिंग पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन दी जाती है। भारत-नेपाल सीमा पुलिस, केन्द्रीय नार्कोटिक्स ब्यूरो, सीमा शुल्क, राजस्व आसूचना महानिदेशालय, नार्कोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो एवं अन्य राज्य प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा अफीम के अवैध पथान्तरण/तस्करी की रोकथाम के लिए कड़ी निगरानी भी रखी जाती है। किसानों एवं नशीले पदार्थों के व्यापारियों द्वारा अफीम के गबन के सभी मामलों में स्वापक कानून के अंतर्गत कठोर कार्रवाई की जाती है।

रबड़ का आयात

*98. श्री पी.सी. थामस : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय राज्य व्यापार निगम और अन्य संस्थाओं के माध्यम से प्राकृतिक रबड़ की खरीद की है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितनी मात्रा में रबड़ खरीदी गई;

(ग) क्या किसानों और रबड़ बोर्ड ने और अधिक रबड़ खरीदने की मांग की है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या सरकार ने प्राकृतिक रबड़ की प्रति किलो कीमत 34.05 रु. घोषित की है;

(च) यदि हां, तो क्या सरकार ने किसानों के लिए इस कीमत को लागू करना सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्यवाही की है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) और (ख) भारत सरकार ने केवल एस.टी.सी. के माध्यम से ही प्राकृतिक रबड़ की खरीद की है। वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 (अक्तूबर, 1999 तक) के दौरान क्रमशः 9596 मी. टन, 11439 मी. टन तथा 8392 मी. टन प्राकृतिक रबड़ खरीदा गया है।

(ग) और (घ) केरल सरकार ने 20,000 मी. टन प्राकृतिक रबड़ खरीदने के लिए अनुरोध किया है। चूंकि फरवरी, 1999 में अग्रिम लाइसैंसों पर भी प्राकृतिक रबड़ के आयात पर रोक लगा दी थी, इसलिए एसटीसी द्वारा अग्रिम लाइसैंस पर प्राकृतिक रबड़ की खरीद करके सप्लाई करना जारी है।

(ङ) से (छ) जी, नहीं। सरकार ने वित्त मंत्रालय द्वारा सितम्बर, 1998 में व्यापक क्षेत्रीय अध्ययन करने के बाद प्राकृतिक रबड़ के लिए मानक कीमत निर्धारित की है और आर एस एस-4 के लिए मानक कीमत 34.05 रु. प्रति कि.ग्रा. निर्धारित की गई थी। मानक कीमत रबड़ की मात्र संकेतात्मक कीमत है।

पटसन उद्योग का पुनरुद्धार

*99. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में रुग्ण पटसन मिलों की संख्या कितनी है तथा उनमें से कितनी मिलों को बंद कर दिया गया है;

(ख) सरकार ने इस उद्योग के पुनरूद्धार के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या राष्ट्रीय पटसन निर्माण कारपोरेशन (एन.जे.एम.सी.) की कुछ पटसन मिलें कच्चे पटसन की कमी के कारण बंद कर दी गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा): (क) देश में 73 पटसन मिलों में से दो पटसन मिलें 12 वर्षों से भी अधिक अवधि से बंद पड़ी हुई हैं। ये कानपुर और कटिहार जूट मिल्स हैं। चार मिलें देश से बाहर निगमित हैं जो कि रुग्ण एकक हो गई हैं। शेष मिलों में से 34 पटसन मिलें रुग्ण हैं तथा उनके पुनरूद्धार की संभावना की जांच करने के लिए उनके मामले औद्योगिक व वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को भेजे गए हैं।

(ख) सरकार ने पटसन उद्योग के पुनरूद्धार के लिए निम्नलिखित कदम उठाये हैं:-

(1) पटसन आधुनिकीकरण निधि योजना/विशेष पटसन विकास निधि/देहात सहयोग फेमवर्क-1

(2) पटसन पैकिंग सामग्री (वस्तुओं की पैकिंग में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 बनाकर मांग बढ़ाना।

(3) पी.आई.सी.पी. लागत जमा आधार पर बी. ट्विल पटसन बोरों की खरीद के लिए डी.जी.एस. एण्ड डी. द्वारा आदेश देना।

(4) चुनिंदा निर्यात मदों पर निर्यात विपणन सहायता जारी रखना।

(5) यू.एन.डी.पी. सहायित पटसन कार्यक्रम के अंतर्गत मूल्यवर्द्धित विविधीकृत पटसन उत्पाद का विकास।

(ग) कच्चे पटसन की अनुपलब्धता के कारण एन.जे. एम.सी. की कुछ पटसन मिलों ने अस्थाई रूप से कार्य बंद कर दिया है।

(घ)(1) बी.आई.एफ.आर. द्वारा रुग्ण कम्पनियों के बतौर घोषणा करने के बाद मंत्रालय ने समय-समय पर सर्वांगीण सुधार योजनाएं बनाई हैं ताकि एककों को अर्थक्षम बनाया जा सके। बी.आई.एफ.आर. के मानदण्डों के आधार पर परिचालन एजेंसी द्वारा बनाई गई संशोधित सर्वांगीण सुधार योजना की जांच की जा रही है।

(2) हालांकि मिलों में घाटे हो रहे हैं; फिर भी, सरकार कम्पनी को उसके वेतन और मजदूरियों पर होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता दे रही है। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के लिए भी निधियां प्रदान की गई हैं। जिन मिलों में कार्य बंद हो गया है, वहां कार्य को यथाशीघ्र शुरू करने के लिए भी कदम उठाये जा रहे हैं।

[हिन्दी]

आभूषणों का निर्यात

***100. श्री रामपाल सिंह :** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आभूषणों के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए कोई विशेष पैकेज योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना को कब तक कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) आभूषणों की निर्यात के लिए उपलब्ध प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) एग्जिम नीति/प्रक्रिया पुस्तिका (1997-2002) के अध्याय 8 के तहत यथा निर्धारित विभिन्न निर्यात संवर्धन योजनाओं के अंतर्गत आभूषणों के निर्यातकों को कच्ची सामग्री के शुल्कमुक्त आयात के निर्बाध एवं सहज पहुंच सुनिश्चित की गई है। एग्जिम नीति प्रक्रिया पुस्तिका में उद्योग जगत से प्राप्त सुझावों और निर्यातकों को होने वाली कठिनाईयों के आधार पर निरन्तर संशोधन/परिवर्तन किए जाते हैं। एग्जिम नीति/प्रक्रिया पुस्तिका में 1 अप्रैल,

1999 से दिए गए कुछ महत्वपूर्ण प्रोत्साहनों की घोषणाओं में शामिल है: (1) निर्यातोन्मुख एककों/निर्यात संसाधन क्षेत्र के एककों को न्यूनतम 7.5% एन.एफ.ई.पी. के अधीन मरम्मत करने/पुन: निर्माण करने और निर्यात करने के लिए सामान्य स्वर्ण, प्लेटेनियम और रजत आभूषणों का आयात करने की अनुमति देना। ऐसी निर्यात के मामले में 2% अपशिष्ट की अनुमति भी देना, (2) विदेशी क्रेताओं को सभी ई.ओ.यू. और ई.पी.ज़ैड. एककों तथा दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता और चैन्नई में घरेलू टैरिफ क्षेत्र में स्थित एककों से रत्न एवं आभूषण व्यक्तिगत रूप से ले जाने की अनुमति देना, (3) प्रतिपूर्ति लाइसेंस के अंतर्गत पूर्ववर्ती वर्ष के निर्यात के 1% एफ.ओ.बी. मूल्य तक उपभोज्य वस्तुओं के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति देना, (4) मुम्बई, कलकत्ता, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर, बंगलौर, अहमदाबाद और हैदराबाद के सीमाशुल्क गृहों के जरिए प्रत्येक रूप के 20 लाख एफ.ओ.बी. मूल्य तक कुरियर के जरिए निर्यात की अनुमति देना, (5) ई.ओ.यू. और ईपीजैड एककों को सोने की स्क्रैप/डस्ट/झाड़न को परिष्कृत कर उन्हें बाद में मानक स्वर्ण की छड़ों में बदलने के लिए सरकारी टकसाल के अलावा निजी टकसालों को भी भेजने की अनुमति देना। इसके अतिरिक्त, स्वर्ण के ऐसी स्क्रैप/डस्ट/झाड़न को सीमाशुल्क बिभाग द्वारा यथा निर्दिष्ट स्वर्ण की मात्रा के आधार पर लागू सीमा शुल्क का भुगतान करने पर डी.टी.ए. में बेचा जा सकता है। (6) मोम के माडल में, चांदी के माडल में और रबड़ के खांचे में बनाए नमुनों का निर्यात करने की अनुमति देना। ऐसे निर्यातों की सूचना विकास आयुक्त को देनी होती है। ऐसे निर्यात का मूल्य किसी वर्ष में 1,00,000/- रुपए से अधिक नहीं होगा और (7) 'मंगल सूत्र' की मद को 10% मूल्यवर्धन के साथ सामान्य स्वर्ण/प्लेटिनम/रजत आभूषणों की श्रेणी के तहत शामिल करना। इसी प्रकार, पूर्णरूप से यांत्रिकृत प्रक्रिया द्वारा निर्मित "चूड़ियों की मद को 3% मूल्यवर्धन के साथ स्वर्ण/प्लेटिनम/चांदी की गैर-जड़ाऊ चेनों के बराबर लगाया गया है।

विवरण

एग्जिम नीति (1997-2002) के अध्याय 8 के अन्तर्गत आभूषण निर्यातकों को निर्यात संवर्धन योजनाओं का एक विशेष पैकेज उपलब्ध करवाया गया है।

इन योजनाओं की मुख्य-मुख्य बातें निम्नानुसार हैं।

(क) विदेशी क्रेता द्वारा आपूर्ति पर निर्यात

इस योजना के तहत विदेशी क्रेता द्वारा नामित एजेन्सियों के निर्यात आर्डर प्रस्तुत किए जा सकते हैं। ऐसे मामलों में विदेशी क्रेता द्वारा सोने, चांदी, प्लेटिनम अलाय, चांदी और 18 कैरेट और उससे कम के सोने की फाइंडिंग और माउंटिंग्स की अग्रिम एवं मुक्त आपूर्ति नामित एजेन्सियों को की जाती है। नामित एजेन्सियों द्वारा उक्त निर्यात सीधे अथवा उनके सहयोगियों के माध्यम से किए जा सकते हैं।

(ख) प्रदर्शनियों/निर्यात संवर्धन दौरों/ब्रांडेड आभूषणों के जरिए निर्यात

वाणिज्य मंत्रालय के अनुमोदन से नामित एजेन्सियों एवं उनके सहयोगियों अथवा रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद् के अनुमोदन से अन्य द्वारा विदेश में प्रदर्शनियों के लिए सोने/चांदी/प्लेटिनम के आभूषणों और उनकी वस्तुओं का निर्यात किया जा सकता है, रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद् के अनुमोदन से विदेशों में निर्यात संवर्धन दौरों और स्थायी प्रदर्शन हेतु 1,00,000 अमरीकी डालर तक के सोने/चांदी/प्लेटिनम के आभूषणों को नमूनों के तौर पर व्यक्तिगत रूप से ले जाने की अनुमति भी दी जाती है, लेकिन शर्त यह है कि उक्त प्रवर्तक को प्रस्थान की तारीख से 45 दिनों के भीतर उक्त आभूषण/सामान को वापस लाना होगा। विदेशों में स्थापित अनुमतिशुदा दुकानों में प्रदर्शन/बिक्री के लिए रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद् के अनुमोदन से ब्रांडेड आभूषणों के निर्यात की भी अनुमति दी जाती है। कोई ई.ओ.यू./ई.पी.ज़ैड. इकाई की भारत/विदेशों में प्रदर्शनियों में भाग ले सकती है इन इकाइयों से आभूषणों को ले जाने और वापस लाने की प्रक्रिया वही होगी जैसी कि सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित की गई है।

(ग) नामित एजेन्सियों द्वारा आपूर्ति पर निर्यात

कोई निर्यातक निर्यात पूरा होने के बाद पुन: पूर्ति आधार पर अग्रिम तौर पर समग्र खरीद के आधार पर; और ऋण आधार पर नामित एजेन्सियों से निर्यात उत्पादों की निविष्ट के रूप में सोना/चांदी/प्लेटिनम को प्राप्त कर सकता है।

उपर्युक्त तीनों विकल्पों के अन्तर्गत निर्यात दायित्व 120 दिनों की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा।

(घ) अग्रिम लाइसेंस पर निर्यात

यह एक घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डी.टी.ए.) संबंधी योजना है इस योजना के तहत प्लेटिनम/सोने/चांदी के सीधे और शुल्क मुक्त आयात के लिए मात्रा पर आधारित अग्रिम लाइसेंस प्रदान किया जा सकता है। निर्यातकों को प्लेटिनम, सोने/चांदी की मांउटिंग्स, साकेटों,

फ्रेमों और फाइंडिंग्स का आयात करने की अनुमति भी दी जाती है। इसके अतिरिक्त निर्यातक नामित एजेन्सियों से सोना/चांदी/प्लेटिनम भी प्राप्त कर सकते हैं। अग्रिम लाइसेंस धारक निर्यात पूरा होने के बाद पुनः पूर्ति के रूप में सोने का आयात भी कर सकते हैं। निर्यात दायित्व को उक्त लाइसेंस पर पहली खेप के आयात की तारीख से 120 दिनों के भीतर पूरा किया जाना अपेक्षित है।

(ङ) निर्यातोन्मुख इकाइयों (ईओयू)/निर्यात संसाधन क्षेत्र की इकाइयों (ईपीजैड) से निर्यात

ईओयू/ईपीजैड का कोई इकाई धारक निर्यात उत्पादन के लिए सोना/चांदी/प्लेटिनम और अन्य आवश्यक निविष्टियों को प्राप्त कर सकता है। निर्यातकों को यथानिर्धारित समयावधि के भीतर निर्यात दायित्व पूरा करना अपेक्षित है। कोई रत्न एवं आभूषण इकाई का धारक भी विदेश से सीधे ही आयात कर सकता है इन इकाइयों के पास सादे आभूषणों के लिए नामित एजेन्सियों से सोने/चांदी/प्लेटिनम की खरीद पर लागू होने वाले शुल्क की रियायती दर और जड़ाऊ आभूषणों के लिए 5% के एकीकृत शुल्क का भुगतान करके पूर्ववर्ती वर्ष के निर्यातों के मूल्य के 10% की घरेलू टैरिफ क्षेत्र में बिक्री करने की सुविधा है। इसके अलावा, दिनांक 1-4-99 से ईओयू/ईपीजैड की इकाइयों को डीटीए से मशीन निर्मित सोने/चांदी/प्लेटिनम के आभूषणों और चेनों को उसी शुद्धता और मात्रा के सोने/चांदी/प्लेटिनम के बदले प्राप्त करने की अनुमति दी जाती है। ईओयू/ईपीजैड की इकाइयों को 7.5% की न्यूनतम एनएफईपी के अधीन रहते हुए मरम्मत/पुनर्निर्माण और निर्यात के लिए सादे सोने/चांदी/प्लेटिनम के आभूषणों का आयात करने की अनुमति दी गई है। निर्यात के ऐसे मामलों में 2% के अपशिष्ट की अनुमति दी जा सकती है। इसके अलावा विदेशी क्रेताओं द्वारा सभी ईओयू और ईपीजैड की इकाइयों से दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता और जयपुर स्थित डीटीए इकाइयों से भी रत्न एवं आभूषणों के पार्सलों को व्यक्तिगत रूप से ले जाने की अनुमति दी गई है।

(च) पुनः पूर्ति लाइसेंस

यह एक मूल्य आधारित घरेलू टैरिफ क्षेत्र संबंधी योजना है इस योजना के तहत किसी भी अपशिष्ट अथवा विनिर्माण संबंधी घाटे की अनुमति नहीं दी जाती है। कोई निर्यातक सादे सोने/प्लेटिनम के आभूषणों और उनकी वस्तुओं के निर्यात के एफ.ओ.बी. मूल्य के 87% की दर से तथा जड़ाऊ सोने/प्लेटिनम के आभूषणों और उनकी वस्तुओं के निर्यात के एफओबी मूल्य के 5% की दर से मुक्त हस्तान्तरणीय पुनः पूर्ति लाइसेंस के लिए पात्र है। इसके अलावा निर्यातक सादे चांदी के आभूषणों और उसकी वस्तुओं के निर्यातों के एफ.ओ.बी. मूल्य के 70% की दर से तथा जड़ाऊ चांदी के आभूषणों और उसकी वस्तुओं के निर्यात के एफ.ओ.बी. मूल्य के 75% की दर से मुक्त हस्तान्तरणीय पुनः पूर्ति लाइसेंस के लिए भी पात्र होंगे। ये पुनः पूर्ति लाइसेंस, लाइसेंस के समग्र मूल्य के भीतर सोने/चांदी/प्लेटिनम; सोने/चांदी/प्लेटिनम की फाइंडिंग्स, माउटिंग्स, सोल्डर्स; अपरिष्कृत हीरों; अपरिष्कृत रंजित नगीनों और मोतियों के आयात हेतु वैध होते हैं। पुनः पूर्ति लाइसेंस की वैधता अवधि जारी होने की तारीख से 12 महीनों की होती है।

(छ) रत्न पुनः पूर्ति लाइसेंस

रत्न पुनः पूर्ति लाइसेंस भी सोने/चांदी/प्लेटिनम के आभूषणों और वस्तुओं के निर्यात पर जारी किए जाते हैं। सादे सोने/चांदी/प्लेटिनम के आभूषणों और वस्तुओं के मामलों में ऐसे लाइसेंसों का मूल्य निर्धारण न्यूनतम मूल्यवर्धन से अधिक की प्राप्ति के सन्दर्भ में किया जाएगा। जड़ाऊ सोने/चांदी/प्लेटिनम के आभूषणों और उनकी वस्तुओं के मामले में रत्न प्रतिपूर्ति लाइसेंस का मूल्य अनुमत्य अपशिष्ट सहित सोने/चांदी/प्लेटिनम पर मूल्यवर्धन को हिसाब में लेने के बाद निर्यातित मदों में इस्तेमाल किए गए जड़ाक्म के मूल्य को हमें लेकर निर्धारित किया जाएगा। इस प्रकार के रत्न पुनः पूर्ति लाइसेंस मुक्त रूप से हस्तांतरणीय होते हैं।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकरण में बाधाएं

768. श्री रामदास आठवले : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकरण में आने वाली बाधाओं को दूर करने हेतु कोई व्यापक योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) से (ग) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अपने संस्था के अंतर्नियमों तथा ज्ञापन के प्रावधान के अनुसार कार्य करना अपेक्षित है। सरकार लगातार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को आवश्यकतानुसार कार्यचालन करने, निविष्टि सहायता प्रदान करने तथा अधिक शक्तियों का प्रत्यायोजन करने की सुविधा प्रदान करती है।

[अनुवाद]

आन्ध्र प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रम

769. श्री राजैया मल्याला : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आन्ध्र प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों का ब्यौरा और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) सरकार ने उनका पुनरुद्धार करने के लिए क्या उपाय किये हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) 30.6.1999 की स्थिति के अनुसार आन्ध्र प्रदेश राज्य में पंजीकृत कार्यालय वाले केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 3 उद्यम हैं, जो कि रुग्ण हैं तथा औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड में पंजीकृत है। ये उद्यम हैं - हिन्दुस्तान फलोरोकार्बन्स लिमिटेड (एच.एफ.एल.), सर्दन पेस्टी-साईड्स कारपोरेशन लिमिटेड (एस.पी.सी.एल.) तथा प्रागा टूल्स लिमिटेड (पी.टी.एल.)।

(ख) किए गए उपाय इस प्रकार हैं:-

औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड ने एच.एफ.एल. तथा एस.पी.सी.एल. की नवीकरण योजनाएं स्वीकृत कर दी हैं। ये योजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। एच.एफ.एल. ने विगत 3 वर्षों अर्थात् वर्ष 1995-96, 1996-97 तथा 1997-98 में लाभ अर्जित किया है। एस.पी.सी.एल. ने वर्ष 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान लाभ अर्जित किया। प्रागा टूल्स को वर्ष 1998 में औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड को सौंपा गया था, जो कि जांच के चरण में है। तथापि, सरकार ने पी.टी.एल. के लिए पुनर्गठन योजना अनुमोदित कर दी है तथा वह निर्णय के लिए औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड के पास है।

कार्य चालन, वित्तीय तथा वास्तविक कार्य निष्पादन के बारे में और विवरण 26-2-1999 को संसद में प्रस्तुत लोक उद्यम सर्वेक्षण 1997-98 के खण्ड-II तथा III में उपलब्ध है तथा यह एक प्रकाशित दस्तावेज है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में बंद कपड़ा मिलों को फिर से चालू करना

770. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र में चल रही सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र की कपड़ा मिलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस समय इनमें से कितनी मिलें बंद पड़ी हैं;

(ग) क्या सरकार ने इन बंद मिलों के पुनर्गठन की कोई योजना बनाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को यह जानकारी है कि इन मिलों के श्रमिकों के वेतन तथा अन्य भत्तों से संबंधित मामले लंबित पड़े हैं; और

(च) यदि हां, तो इनके लंबित मामलों को निपटाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री थिरुनावुक्करसर एन. रामचन्द्रन): (क) 30.9.1999 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र में चल रही वस्त्र मिलों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

	कताई मिलें	मिश्रित मिलें	योग
एन.टी.सी./एस.टी.सी.	3	37	40
सहकारी	65	-	65
निजी	57	40	97
योग	125	77	202

(ख) 30.9.1999 तक की स्थिति के अनुसार 202 मिलों में से 33 मिलें बंद पड़ी हैं।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने रुग्ण और संभाव्य रूप से रुग्ण कम्पनियों का समय पर पता लगाने और ऐसी कम्पनियों के

संबंध में जरूरी निरोधी, सुधारात्मक और उपचारी उपायों का शीघ्रता से निर्धारण करने की दृष्टि से औद्योगिक व वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) की स्थापना की है तथा रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, (एस.आई.सी.ए.) 1985 बनाया है। 9.9.1999 तक की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र में बंद पड़ी 33 मिलों में से 11 वस्त्र मिलें बी.आई.एफ.आर. के पास पंजीकृत थीं। जहां तक सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का संबंध है, महाराष्ट्र में एन.टी.सी. के 2 सहायक निगम हैं और इनमें से किसी भी सहायक निगम के अंतर्गत कोई भी मिल बंद नहीं है। एकक-वार अर्थक्षमता अध्ययन के आधार पर सरकार एन.टी.सी. के अर्थक्षम सहायक निगमों के साथ-साथ उनके अधीन अर्थक्षम मिलों के लिए एक संशोधित सर्वांगीण सुधार योजना पर विचार कर रही है, जिसके लिए बी.आई.एफ.आर. द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर इन मिलों की निवल पूंजी के सकारात्मक बन जाने के बी.आई.एफ.आर. के मानदण्डों को ध्यान में रखा जा रहा है।

(ङ) और (च) सरकार एन.टी.सी. को अपने कर्मचारियों के वेतन और मजदूरियों के भुगतान में होने वाली कमी को पूरा करने के लिए निधियां प्रदान कर रही है। शेष वस्त्र मिलों के बारे में भारत सरकार को ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

[अनुवाद]

पेटेंट कार्यालय को अन्यत्र ले जाना

771. श्री महबूब जाहेदी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पेटेंट मुख्य कार्यालय को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार दिल्ली के विद्यमान कार्यालय का उन्नयन करके और मुम्बई तथा चेन्नई स्थित शाखा कार्यालयों को सुदृढ़ करके एक राष्ट्रीय पेटेंट कार्यालय स्थापित करने पर विचार कर रही है;

(घ) क्या अप्रैल, 1998 की स्थिति के अनुसार विभिन्न पेटेंट कार्यालयों में 29,000 से भी अधिक आवेदनों की जांच की जानी है; और

(ङ) यदि हां, तो लम्बित आवेदनों को निपटाने के लिए सरकार क्या कदम उठाने की योजना बना रही है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) से (ग) सरकार ने 75.59 करोड़ रुपये की लागत से पेटेंट कार्यालय के आधुनिकीकरण हेतु एक परियोजना को मंजूरी दी है। परियोजना के प्रमुख घटकों में शामिल हैं: नई दिल्ली में विद्यमान कार्यालय का उन्नयन करके राष्ट्रीय पेटेंट कार्यालय की स्थापना करना, शाखा कार्यालयों का सुदृढ़ीकरण, मौजूदा तथा उभरते हुए प्रौद्योगिकी कम्प्यूटरीकरण तथा आधारभूत सहायता के क्षेत्र में प्रशिक्षित तथा योग्य कर्मचारियों की व्यवस्था करना, वित्तीय तथा संचालन संबंधी स्वायत्ता, प्रशिक्षण कार्यक्रमों/जागरूकता सेमिनारों का आयोजन करके ज्ञान का सृजन करना तथा जांच न किये गये बकाया पेटेंट आवेदनों का निपटान/तथापि, राष्ट्रीय पेटेंट कार्यालय की स्थापना के खिलाफ एक याचिका माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय में दायर की गई थी क्योंकि राष्ट्रीय पेटेंट कार्यालय की संकल्पना पेटेंट अधिनियम और पेटेंट नियमावली के प्रतिकूल है। न्यायालय ने राष्ट्रीय पेटेंट कार्यालय की स्थापना करने के विरुद्ध निर्णय दिया है। इस निर्णय के खिलाफ एक अपील दायर की गई है।

(घ) और (ङ) सरकार का 29,000 से भी अधिक बकाया पेटेंट आवेदनों को निपटाने के लिये समयबद्ध तरीके से प्राथमिकता देने का इरादा है।

''नाबार्ड'' की सहायता

772. श्री समर चौधरी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसानों को ग्रामीण बाजारों में बुनियादी सुविधाएं तथा शीतागार उपलब्ध कराने हेतु आर.आई.डी.एफ.-III योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता दिए जाने संबंधी त्रिपुरा सरकार का कोई प्रस्ताव नाबार्ड के पास लंबित है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) इस पर निर्णय लिए जाने में विलंब के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि ग्रामीण आधारभूत विकास निधि (आर.आई.डी.एफ.) के अंतर्गत वित्तीय सहायता के रूप में ग्रामीण हाट तथा शीतागार बनाने के लिए नाबार्ड को त्रिपुरा राज्य सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। प्रस्ताव की संवीक्षा की गई थी तथा परियोजना मंजूर करने वाली समिति ने जुलाई, 1999 को हुई

अपनी बैठक में उस पर विचार किया था। समिति ने हाट प्रांगण के विकास के तकनीकी एवं नीतिगत पहलुओं के बारे में और अधिक सूचना एकत्र किए जाने का निर्णय लिया तथा इस प्रकार एकत्र की गई सूचना के प्रकाश में परियोजना के बारे में पुन: सूचित किए जाने की सलाह दी। विचार-विमर्श के निष्कर्षों से राज्य सरकार को अवगत करा दिया गया था। राज्य सरकार को हाट प्रांगण के विकास, डिजाइन तथा संबंधित योजना के पहलुओं के बारे में आगे अध्ययन करने तथा इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन करने के लिए पहल करनी होगी।

दक्षिण भारत में सूती धागे के उत्पादन में कमी

773. श्री वाई.एस. विवेकानंद रेड्डी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 1998-99 के दौरान दक्षिण भारत की कपड़ा मिलों में सूती धागे के उत्पादन में 8.5 प्रतिशत की कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 1997-98 की तुलना में वर्ष 1998-99 में दक्षिण भारत मिल एसोसिएशन के 157 सदस्यों में से 97 सदस्यों ने कम उत्पादन होने की सूचना दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या मिलों की नकद आय के चरमरा जाने के कारण धागे और कपड़ों के उत्पादन में कमी आई है और ऐसा लागत मूल्य में वृद्धि और उत्पादों की महंगी प्राप्ति करने के कारण हुआ है; और

(च) यदि हां, तो दक्षिण की कपड़ा मिलों को उपलब्ध कराई जा रही मदद तथा सहायता का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिन्गी एन. रामचन्द्रन): (क) जी, हां। दक्षिण भारत में वस्त्र मिलों में सूती यार्न के उत्पादन में विगत वर्ष की तुलना में 1998-99 के दौरान लगभग 8.9% की कमी हुई है।

(ख) ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

(1)	आंध्र प्रदेश	5.0%
(2)	कर्नाटक	12.8%
(3)	केरल	10.9%
(4)	तमिलनाडु	8.7%
(5)	पांडिचेरी	18.4%

(ग) जी, हां।

(घ) ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

(1)	सूती यार्न	8.5%
(2)	100% गैर-सूती	11.6%

(ङ) और (च) वर्ष 1998-99 के दौरान यार्न और कपड़े के उत्पादन में कमी के लिए अच्छी गुणवत्ता की कपास की अनुपलब्धता, कतिपय रोगों और बेमौसम वर्षा के कारण कपास फसल की बर्बादी, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग में मंदी तथा दक्षिण-पूर्व एशियाई संकट जैसे विविध कारणों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।

तथापि, सरकार ने 1 अप्रैल, 1999 से वस्त्र तथा पटसन उद्योगों के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना शुरू की है जिसमें वस्त्र एककों द्वारा प्राप्त ऋण पर ऋणदात्री अभिकरणों द्वारा प्रभारित ब्याज को 5 प्रतिशत बिन्दु की प्रतिपूर्ति का प्रावधान है।

होटल लिला वेंचर्स लि.

774. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या वित्त मंत्री बैंक ऋणों का उपयोग एवं होटल लिला वेंचर्स लि. के बारे में 11 दिसम्बर, 1998 तथा 12 मार्च, 1999 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2239 एवं 2531 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जानकारी अब तक प्राप्त कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) क्रमश: दिनांक 11 दिसम्बर, 1998 एवं 12 मार्च, 1999 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न सं. 2239 एवं 2531 के संबंध में दिए गए आश्वासन की पूर्ति के कार्यान्वयन विवरणों को दिनांक 28.10.1999 को सभा के पटल पर रख दिया गया है।

[हिन्दी]

विदेशी बैंकों को लाभ

775. प्रो. रासा सिंह रावत : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उदारीकरण के कारण विदेशी बैंकों और कंपनियों की ओर अधिक लाभ प्रवाह को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है;

(ख) देश की वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाने और घाटे को कम करने तथा विदेशी ऋण की अदायगी करने के लिए क्या योजनाएं हैं; और

(ग) सरकार का विदेशी बैंकों और कंपनियों पर कितना नियंत्रण है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) मार्च, 1999 के अंत की स्थिति के अनुसार, विदेशी बैंकों की कुल आस्तियां वर्ष 1997-98 के दौरान बैंकिंग क्षेत्र की कुल आस्तियों के 8.2 प्रतिशत की तुलना में 8.1 प्रतिशत थीं। विदेश बैंक समूह का परिचालन लाभ वर्ष 1998-99 में 23.8 प्रतिशत कम हुआ। इसलिए, भारत में परिचालन कर रहे विदेशी बैंकों के लाभों के प्रवाह में कोई वृद्धि नहीं हुई।

(ख) चालू खाते में घाटे को 1998-99 में सकल घरेलू उत्पाद के 1.0 प्रतिशत पर रखा गया था और निवल पूंजी प्रवाह चालू खाते के घाटे को पूरा करने के लिए पूरी तरह से पर्याप्त था। भारत का बाह्य ऋण मार्च, 1995 के अंत के 99,008 मिलियन अमेरिकी डालर की अधिकतम ऊंचाई से घटकर मार्च, 1999 के अंत में 98,231 मिलियन अमेरिकी डालर हो गया था। यद्यपि कुल ऋण की तुलना में रियायती ऋण मार्च, 1991 के अंत के 45.9 प्रतिशत की तुलना में मार्च, 1999 के अंत में 37.9 प्रतिशत रहा, तथापि, ऋण की अवलम्बनीयता के प्रमुख निर्देशकों में महत्वपूर्ण सुधार हुआ था। जबकि बाह्य ऋण सकल घरेलू उत्पाद अनुपात मार्च, 1992 के अंत के 37.7 प्रतिशत से घटकर मार्च, 1999 के अंत में 23.7 प्रतिशत रह गया। ऋण अदायगी अनुपात वर्ष 1990-91 के 35.3 प्रतिशत से घटकर 1998-99 में 18.0 प्रतिशत रह गया।

(ग) जबकि विदेशी बैंकों पर सरकार का कोई प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं है, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के उपबंध भारतीय और विदेशी बैंकों दोनों पर लागू है। विदेशी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वार्षिक निरीक्षण के भी अध्यधीन हैं और भारतीय बैंकों की तरह ही विभिन्न विवरणियों तथा विवरणों के माध्यम से उनका पर्यवेक्षण किया जाता है। चूंकि चालू खाते पर भारत में परिवर्तनीयता है, विदेशी कंपनियों/बैंकों की शाखाओं के लाभों के विप्रेषणों तथा भारतीय कंपनियों द्वारा लाभांशों को अपने विदेशी निवेशकों के पास विप्रेषित करने पर कोई रोक नहीं है। प्राधिकृत डीलरों को टैक्स काटकर और वित्तीय दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण के अध्यधीन ऐसे विप्रेषण करने की अनुमति दी गई है।

[अनुवाद]

पटसन मिलों का आधुनिकीकरण

776. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 6 नवंबर, 1999 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में "जूट कल्टिवेटर्स फेस ग्रिम फ्यूचर एज मार्केट्स कन्टिन्यू टु श्रिंक" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समाचार पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) आवश्यक मशीनरी और उपस्करों के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति के साथ पटसन मिलों के आधुनिकीकरण के लिए सरकार ने क्या ठोस कदम उठाए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने विभिन्न विधायी एवं संरक्षणात्मक उपायों द्वारा पटसन उपजकर्ताओं तथा पटसन कामगारों के हितों का सदैव संरक्षण किया है।

(ग) भारतीय पटसन मिलों के आधुनिकीकरण के लिए प्रौद्योगिकीय उन्नयन निधि योजना सहित अनेक कदम सरकार द्वारा उठाये गये हैं। निम्नलिखित पहले शुरू की गयी योजनाओं के अलावा है।

(1) विशेष पटसन विकास निधि कार्यक्रम।

(2) पटसन आधुनिकीकरण निधि योजना।

(3) यू.एन.डी.पी. सहायित पटसन विकास परियोजनाएं।

(4) जे.एम.डी.सी. द्वारा बाजार सहायता योजना।

(5) राष्ट्रीय पटसन विविधीकरण केन्द्र की स्थापना।

सरकार पटसन क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए कपास प्रौद्योगिकी मिशन की तरह पटसन प्रौद्योगिकी मिशन भी बना रही है। पटसन मशीनरी को शुल्क मुक्त आयात की योजना के अंतर्गत निर्धारित मानदंडों के अधीन ई.पी.सी.जी. योजना के अधीन अनुमति दी जाती है।

[हिन्दी]

देवास बैंक करेंसी नोट प्रेस का विस्तार

777. **श्री थावर चन्द गहलोत** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश के देवास बैंक करेंसी नोट प्रेस के विस्तार तथा इसमें पेयजल व्यवस्था के लिए तैयार की गई कार्ययोजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार का वहां पर विस्तार-कार्य कब तक आरम्भ करने/पूरा करने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार करेंसी नोटों की मुद्रण-स्याही को देवास बैंक करेंसी नोट प्रेस में तैयार करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) सरकार द्वारा बैंक नोट प्रेस, देवास के विस्तार के लिए कोई कार्य योजना तैयार नहीं की गई है। तथापि, इसकी क्षमता बढ़ाने के लिए प्रेस का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। बैंक नोट प्रेस, देवास के लिए वर्तमान जलापूर्ति को बढ़ाने के लिए, सरकार ने "सिद्धांत रूप में" लखन्दर बांध (म.प्र. में) से जल लाने की एक स्कीम का पहले ही अनुमोदन कर दिया है, जो कुल कार्य आधार पर, मध्य प्रदेश राज्य सरकार के पी.एच.ई. विभाग के माध्यम से निष्पादित की जानी है। मध्य प्रदेश राज्य सरकार के पी.एच.ई. विभाग ने भी केन्द्रीय सरकार द्वारा आगे विचार करने के लिए उपर्युक्त स्कीम के संबंध में अपेक्षित विस्तृत कार्ययोजना रिपोर्ट तात्कालिकता आधार पर प्रस्तुत करने का वचन दिया है।

(ग) और (घ) एक प्रकार की स्याही, अर्थात् इंटागलियो विवकसैट स्याही के अलावा, देवास स्थित स्याही की फैक्टरी सरकार के नियंत्रणाधीन दो नोट प्रिंटिंग प्रेसों अर्थात् बैंक नोट प्रेस, देवास और करेंसी नोट प्रेस, नासिक की अन्य सभी प्रकार की प्रिंटिंग स्याही की पूर्ण आवश्यकता को पहले ही पूरा कर रही है। विवकसैट इंटागलियो स्याही के निर्माण के लिए हमारे पास प्रौद्योगिकी नहीं हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय वस्त्र निगम का महाराष्ट्र स्टेट कोआपरेटिव फेडरेशन पर बकाया

778. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय वस्त्र निगम पर महाराष्ट्र स्टेट कोआपरेटिव कॉटन फेडरेशन (एम.एस.सी.सी.एफ.) से समय-समय पर खरीदे गये कपास के मूल्य के रूप में 174.97 करोड़ रुपए की धनराशि का भुगतान बकाया है;

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय वस्त्र निगम की नौ सहायक कंपनियों में से आठ कंपनियां या तो रुग्ण हैं अथवा वे बी.आई.एफ.आर. के जांचाधीन हैं तथा शेष बकाया धनराशि तभी उपलब्ध हो सकेंगी जब ये मिलें पुनरुद्धार के पश्चात् कुछ आय अर्जित कर पायेंगी;

(ग) क्या महाराष्ट्र सरकार ने मंत्रालय से आग्रह किया है कि राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा काटन मार्केटिंग फेडरेशन आफ महाराष्ट्र को बिना किसी विलंब के इस धनराशि का भुगतान किया जाना आवश्यक है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा महाराष्ट्र स्टेट कोआपरेटिव काटन फेडरेशन की शेष बकाया धनराशि का भुगतान किए जाने के संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनजी एन. रामचन्द्रन): (क) 31.8.99 की स्थिति अनुसार, एन.टी.सी. मिलों की महाराष्ट्र राज्य सहकारी कपास परिसंघ (एम.एस.सी.सी.एफ.) के प्रति 167.41 करोड़ रु. की देय बकाया राशि है जिसमें ब्याज और ढुलाई प्रभार शामिल है।

(ख) से (घ) एन.टी.सी. द्वारा साख आधार पर कपास खरीदी जाती है। अतः कतिपय देय बकाया राशि किसी दिये गये निश्चित समय में भुगतान की जानी है। जबकि महाराष्ट्र सरकार ने कपास बकाया राशि के शीघ्र भुगतान के लिए अनुरोध किया है, कार्यशील पूंजी की गंभीर कमी तथा एन.टी.सी. द्वारा उठाये गये घाटे के कारण, परिसंघ को कपास देय राशि का भुगतान बकाया राशि में चला गया है। बकाया राशि के भुगतान पर निर्णय बी.आई.एफ.आर. द्वारा पुनर्वासन पैकेज की मंजूरी मिलते ही एन.टी.सी. द्वारा लिया जाएगा। एन.टी.सी. की 9 में से 8 सहायक निगमों के मामले इस समय बी.आई.एफ.आर. के संदर्भाधीन हैं।

बड़े निगमों द्वारा बैंकों का खोला जाना

779. **श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक का विचार बड़े निगमों को बैंक और वित्तीय संस्थायें खोलने की अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस उद्देश्य के लिये क्या नियम और शर्तें रखी गयी है;

(ग) क्या ऐसे बैंकों के लिये पूंजी आधार 100 करोड़ रुपये से दोगुना करके 200 करोड़ रुपये कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन औद्योगिक घरानों को बैंक और वित्तीय संस्थायें खोलने की अनुमति देने से जनता को कौन से मुख्य लाभ होंगे?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (घ) भारतीय स्टेट बैंक द्वारा गठित अन्तर कार्यालयीन कार्यकारी समूह ने गैर-सरकारी क्षेत्र में नए बैंकों को लाइसेंस देने संबंधी संशोधन मार्गनिर्देश का सुझाव दिया है। संशोधित मार्गनिर्देश भारत सरकार के परामर्श से भारतीय रिजर्व बैंक के पास विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

मुंबई की एन.टी.सी. मिलें

780. **श्री मोहन रावले :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मुंबई में राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अधीन कुल कितनी मिलें हैं;

(ख) उनमें से कितनी मिलें रुग्ण और बंद पड़ी हैं;

(ग) क्या सरकार ने रुग्ण मिलों को आर्थिक और तकनीकी दृष्टि से मजबूती प्रदान करने और बंद मिलों को पुनः चालू करने के लिए कोई योजना बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) से (घ) मुंबई में एन.टी.सी. की 25 मिलें हैं जो कि एन.टी.सी. (एम.एन.) लिमिटेड और एन.टी.सी. (एस.एम.) लिमिटेड के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन चल रही हैं। एन.टी.सी. के अधीन मुंबई स्थित कोई भी मिल बंद नहीं है। इनमें से अधिकांश मिलें आंशिक रूप से जांच कार्य कर रही हैं।

एन.टी.सी. द्वारा किए गए एकक-वार अर्थक्षमता अध्ययन के आधार पर सरकार एन.टी.सी. के अर्थक्षम सहायक निगमों के साथ-साथ उनके अधीन अर्थक्षम मिलों के लिए एक संशोधित सर्वांगीण सुधार योजना पर विचार कर रही है, जिसके लिए निर्धारित अवधि के भीतर निवल पूंजी के सकारात्मक बन जाने के बी.आई.एफ.आर. के मानदण्डों को ध्यान में रखा जा रहा है। इस पुनरूद्धार योजना में कामगारों के हितों को ध्यान में रखा जाएगा।

[अनुवाद]

एल.आई.सी. तथा जी.आई.सी.

781. **श्री मोइनुल हसन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान एल.आई.सी. तथा जी.आई.सी. द्वारा प्रीमियम के रूप में कितनी धनराशि एकत्र की गई है;

(ख) प्रीमियम द्वारा एकत्र की गई धनराशि में से कितनी धनराशि का सरकारी अथवा सरकार द्वारा मंजूरी प्राप्त प्रतिभूतियों में निवेश किया गया है तथा इससे कितनी आय प्राप्ति हुई है; और

(ग) सरकार प्रतिभूतियों में निवेश की गई इस धनराशि में से कितनी धनराशि का निवेश बुनियादी ढांचा क्षेत्र में किया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के सभा पटल पर रख दी जाएगी।

शेयर व्यापार

782. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जयंती बिजनेस मशीन लिमिटेड, मुम्बई, नोवा पुमेक लिमिटेड, बड़ौदा, यूनिलिव फूड लिमिटेड, बड़ौदा, डूकग्रैफन इंडिया लिमिटेड, चण्डीगढ़, टोशा इन्टरनेशनल लिमिटेड, नोएडा जैसी कम्पनियों से संबंधित शेयर व्यापार किसी स्टाक एक्सचेंज में नहीं चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन कम्पनियों की वर्तमान वित्तीय स्थिति का ब्यौरा क्या हैं; और

(घ) इन कम्पनियों के विरुद्ध भारतीय स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड (सेबी) द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार इन कम्पनियों, सिवाए टोशा इंटरनेशनल लि. के, की स्क्रिपों का विगत हाल में किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में व्यापार नहीं किया जा रहा है। किसी स्टॉक का व्यापार करने या न करने का निर्धारण बाजार की आपूर्ति एवं मांग स्थितियों के अनुसार किया जाता है।

(ग) इन कम्पनियों की कम्पनी कार्य विभाग द्वारा प्रस्तुत वित्तीय स्थिति संबंधी सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) विनियामक निकाय के रूप में सेबी द्वारा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कम्पनियों के स्टाक का बाजार में व्यापार किया जाए, उनके विरुद्ध कार्रवाई किया जाना अपेक्षित नहीं है।

विवरण

कम्पनियों की वर्तमान वित्तीय स्थिति के ब्यौरों का सारांश नीचे दिया गया है

क्र.सं.	कम्पनी	शेयर पूंजी	कुल देयताएं	कुल परिसम्पत्तियां (करोड़ रुपए में)	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6
1.	जयंती बिजनेस मशीन्स लि. (31.3.96 के तुलनपत्र के अनुसार	9.48	82.69	82.69	कम्पनी ने 31.3.97 तथा 31.3.98 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र जमा नहीं किया है जिसके लिए कम्पनी अधिनियम की धारा 220 के अंतर्गत 18.6.99 को मुकदमा चलाया गया है।
2.	नोवा पुमैक लि. (30.9.97 के वित्तीय विवरण के अनुसार)	3.74	3.74	3.74	कम्पनी ने 1997-98 से ए/आर तथा तुलन पत्र जमा नहीं किए हैं। कम्पनी को चूक के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है।
3.	यूनीलिव फूड्स लि. (31.3.95 के वित्तीय विवरण के अनुसार)	5.36	9.53	9.53	कम्पनी ने 1995-96 से ए/आर तथा तुलना पत्र जमा नहीं किए हैं। कम्पनी को चूक के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है।

1	2	3	4	5	6
4.	ड्रकग्राफेन इण्डिया लि. (31.3.98 के तुलनपत्र के अनुसार)	1.53	10.34	4.23	कम्पनी को दिनांक 29.12.1998 के बी.आई.एफ.आर. आदेश के तहत रुग्ण घोषित कर दिया गया है।
5.	टोशा इंटरनेशनल लि. (31.3.98 के तुलनपत्र के अनुसार)	11.45	65.39	65.39	यूनिट अगस्त, 1996 से बंद रहा है। बी.आई.एफ.आर. ने कम्पनी को बंद करने के आदेश पारित कर दिए है।

ट्रैक्टरों पर राज सहायता

783. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सभी तरह के ट्रैक्टरों पर राज सहायता दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो प्रति ट्रैक्टर कितनी राज सहायता प्रदान की जाती है तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार कुल कितनी राशि वितरित की गई;

(ग) ट्रैक्टरों का वित्त पोषण किस प्रकार किया जा रहा है;

(घ) क्या ट्रैक्टर की तुलना में भारवाही पशु शक्ति संबंधी कोई अध्ययन किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) से (ग) केन्द्रीय प्रायोजित योजना ''कृषि तंत्र का लघु कृषकों में उन्नयन'' के तहत केवल 30 एच.पी. ट्रैक्टरों पर ही सब्सीडी उपलब्ध है। इस योजना के तहत, व्यक्तिगत रूप से या समूह में, पंजीकृत सहकारी समितियों, कृषीय साख, सोसाइटी, बहु-उद्देशीय कृषीय फार्मिंग सोसाइटी इत्यादि के लिए पात्र साइज के ट्रैक्टरों की खरीद के साथ-साथ उसी प्रकार के उपकरणों जिनकी संख्या तीन (एच्छिक) से अधिक न हो, को खरीदने के लिए 30 प्रतिशत की सीमित सब्सिडी दर पर 30,000 रुपये तक उपलब्ध है। यह योजना 1992-93 से सभी राज्यों में उपलब्ध है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों को जारी की गई सब्सिडी की राशि निम्नानुसार है:-

वर्ष	जारी की गई सब्सिडी की राशि (रुपये लाख में)
1996-97	1673.00
1997-98	1669.30
1998-99	1636.94

(घ) जी, हां।

(ङ) यह पाया गया था कि धान, मक्का और गेहूं की पैदावार बेहतर जुताई तथा समय पर बुआई करने के कारण बैलों की अपेक्षा ट्रैक्टर से कहीं ज्यादा थी। ट्रैक्टरों के प्रयोग से मिट्टी तैयार करने और समय गंवाये बिना फसल बोने और बीज को अच्छी तरह से बोने व उर्वरक डालने तथा ड्रिल/प्लांटर से बीज एवं उर्वरक का प्रयोग करने से कृषि संबंधी पैदावार में बढ़ोत्तरी हुई है। ट्रैक्टरों से बरसाती क्षेत्रों में ढलाऊ नम मिट्टी में बीज बोने में लाभ उठाने से भी फसल में सघनता आयी है।

राज्यों को ओवर ड्राफ्ट

784. श्री त्रिलोचन कानूनगो : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1996-97, 1997-98 और 1998-99 के दौरान प्रत्येक राज्य को कितने दिन अर्थोपाय, अग्रिमों, ओवर ड्राफ्ट पर निर्भर रहना पड़ा; और

(ख) उक्त अवधि में से प्रत्येक वित्त वर्ष के दौरान हर एक राज्य ने अर्थोपाय अग्रिमों और ओवरड्राफ्ट पर कितना ब्याज अदा किया?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) राज्य और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच का लेन-देन उनके पारस्परिक समझौते के अनुरूप व्यवस्थित होता है। चूंकि यह बैंकर (भारतीय रिजर्व बैंक) और ग्राहक (राज्य सरकार) के बीच का मामला है, अतः भारतीय रिजर्व बैंक के साथ राज्यों के ओवरड्राफ्ट के बारे में 1997-98 और 1998-99 के लिए अर्थोपाय अग्रिम पर राज्य सरकारों द्वारा अदा किए गए ब्याज और अर्थोपाय अग्रिम प्राप्त करने वाले दिनों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

राज्य सरकारों द्वारा अर्थोपाय अग्रिमों पर अदा किए गए ब्याज की स्थिति और वित्त वर्ष 1996-97, 1997-98 तथा 1998-99 के दौरान अर्थोपाय अग्रिम उपयोग करने के लिए दिनों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	1996-97 अर्थोपाय अग्रिम पर ब्याज	अर्थोपाय अग्रिम दिनों की संख्या	1997-98 अर्थोपाय अग्रिम पर ब्याज	अर्थोपाय अग्रिम दिनों की संख्या	1998-99 अर्थोपाय अग्रिम पर ब्याज	अर्थोपाय अग्रिम दिनों की संख्या
	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	372.19	77	1042.07	84	806.84	220
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0	0.01	3	8.63	26
3.	असम	687.66	310	632.32	339	793.09	360
4.	बिहार	0.00	0	0.00	0	0.00	0
5.	गोवा	33.75	140	27.18	118	1.74	16
6.	गुजरात	0.00	0	0.00	0	5.60	6
7.	हरियाणा	11.26	13	23.72	29	165.07	131
8.	हिमाचल प्रदेश	10.00	21	23.78	58	74.61	153

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	जम्मू व कश्मीर	*	*	*	*	*	*
10.	कर्नाटक	222.77	117	107.00	48	4.13	10
11.	केरल	12.78	7	30.34	41	282.45	207
12.	मध्य प्रदेश	388.85	195	419.29	189	861.98	273
13.	महाराष्ट्र	19.28	6	0.00	0	0.00	0
14.	मणिपुर	41.50	149	119.48	312	121.50	262
15.	मेघालय	2.79	14	0.00	0	0.00	0
16.	मिजोरम	89.96	280	115.08	319	86.02	260
17.	नागालैंड	0.37	10	35.20	157	31.53	63
18.	उड़ीसा	573.17	275	595.70	265	435.91	250
19.	पंजाब	346.24	171	2888.32	243	950.46	354
20.	राजस्थान	1123.09	339	605.90	235	583.43	214
21.	सिक्किम	*	*	*	*	*	*
22.	तमिलनाडु	0.00	0	0.00	0	83.83	47
23.	त्रिपुरा	0.00	0	1.95	14	20.46	81
24.	उत्तर प्रदेश	0.91	1	148.23	31	1915.60	233
25.	पश्चिम बंगाल	1217.99	258	518.67	165	282.97	82

*भारतीय रिजर्व बैंक से संबद्ध नहीं है।

बीमा कम्पनियों का विलय

785. श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय बीमा कम्पनी लि. और यूनाइटेड इंडिया बीमा कम्पनी लि. का विलय क्रमश: ओरियंटल बीमा कम्पनी लि. और न्यू इंडिया बीमा कम्पनी लि. में करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को खानों का आबंटन

786. श्री पुन्नू लाल मोहले : क्या खान और खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश के विशेषकर रायपुर जिले में अनुसूचित जाति/जनजाति के कितने लोगों को प्राथमिकता के आधार पर फर्श के लिए चूना-पत्थर की खानों का आबंटन किया गया है तथा श्रमिकों की हितों की रक्षा करने के लिए क्या न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई है;

(ख) फर्श के लिए पत्थर खानों में काम करने वाले श्रमिकों के हितों की रक्षा करने के लिए कौन से प्रभावी कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने उन श्रमिकों को कोई सहायता प्रदान की है जो प्रदेश में खानों में फर्श के लिए पत्थर की लदान और उतराई के दौरान मारे गए; और

(घ) यदि हां, तो मृतकों के परिवारों को उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (घ) खान और खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 3(ङ) के अंतर्गत फर्श के लिए चूना-पत्थर की गणना गौण खनिज के रूप में की गई है। परिणामस्वरूप, केन्द्र सरकार इस गौण खनिज के लिए खनन पट्टा मंजूर नहीं करती है। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने सूचित किया है कि रायपुर जिले में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के 23 व्यक्तियों और 7 सहकारी समितियों को फर्श के चूना पत्थर के लिए खनिज रियायतें मंजूर की गई हैं। मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा श्रम कानूनों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाता है। गौण खनिजों के लिए खनिज रियायतों इत्यादि का विनियमन पूर्णत: राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में है। अत: केन्द्र सरकार का खान विभाग गौण खनिज खानों के संबंध में कोई सूचना को मानीटर और इसका रखरखाव नहीं करता है।

[अनुवाद]

एक हजार रुपए मूल्य का नोट जारी करना

787. श्री भीम दाहाल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 1000/- रुपये का नोट जारी करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक जारी किये जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) 1000 रुपए के नोटों की छपाई से संबंधित सभी कार्यकलाप लगभग पूरे होने वाले हैं और आशा है कि जनवरी 2000 से नोट परिचालन के लिए जारी कर दिया जाएगा।

मोटर वाहनों में नकारात्मक निर्यात वृद्धि

788. श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वित्त वर्ष के दौरान मोटर वाहन उद्योग ने निर्यात में नकारात्मक वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय मोटर वाहन क्षेत्र में मारूति उद्योग लि. (एम.यू.एल.), टेलको, बजाज आटो, एल.एम.एल. लि. तथा हीरो होंडा जैसी अग्रणी कंपनियों का निर्यात के क्षेत्र में खराब प्रदर्शन रहा है तथा इस अवधि में विश्वव्यापी बिक्री में कमी आई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) जी, हां।

(ख) चालू वित्त वर्ष (सितम्बर, 1999 तक) जैसाकि गत वर्ष की इसी अवधि के दौरान तुलना की गई है, के दौरान ऑटोमोबाइल क्षेत्र का निर्यात नीचे दिया गया है:-

उप-क्षेत्र	1998-99 (अप्रैल-सितम्बर, 1998)	1999-2000 (अप्रैल-सितम्बर, 1999)	% वृद्धि
मध्यम एवं भारी व्यावसायिक वाहन	1412	2281	61.5
हल्के व्यावसायिक वाहन	2719	1377	-49.4
कारें	10,700	9095	-15.0
बहुउपयोगी वाहन	1413	2105	49.0
तिपहिया वाहन	10,707	10,168	-5.0
दुपहिया वाहन	51,340	36,309	-29.3
कुल	78,291	61,335	-21.7

(ग) जी, हां।

(घ) चालू वित्त वर्ष (सितम्बर, 1999 तक) जैसाकि गत वर्ष की इसी अवधि के दौरान तुलना की गई है, के दौरान ऑटोमोबाइल क्षेत्र का निर्यात नीचे दिया गया है:-.

(निर्यात संख्या में)

कंपनी	1998-99 (अप्रैल-सितम्बर, 98)	1999-2000 (अप्रैल-सितम्बर, 99)
1	2	3
व्यावसायिक वाहन		
टेल्को	2729	2349
पैसेंजर कार		
टेल्को	788	56
मारूति उद्योग लि.	9788	8248
बहुउपयोगी वाहन		
टेल्को	306	1798
मारूति उद्योग लि.	395	199
तिपहिया वाहन		
बजाज ऑटो लि.	10,629	9,891
दुपहिया वाहन		
(1) बजाज ऑटो लि.	11,116	6,613
(2) एलएमएल लि.	5,999	2,734
(3) हीरो होंडा	6,686	4,191

उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में चक्रवात

789. श्री अमर राय प्रधान : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हाल ही में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आए चक्रवात से उनके मंत्रालय को हुए नुकसान का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उनके मंत्रालय के अधीन विभागों/अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा प्रत्येक राज्य के प्रभावित क्षेत्रों के जीवित बचे व्यक्तियों के लिए सुविधाओं को तुरंत पुनः स्थापित करने में सहायता प्रदान करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में हाल ही में आये चक्रवात से 4833 एकड़ के क्षेत्र में फैले हुए 88 नमक के कारखानों (प्रत्येक राज्य में 44 नमक के कारखानों) को क्षति पहुंची है। इसके अतिरिक्त 4800 टन नमक बह गया है।

(ख) नमक विभाग ने उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, दोनों राज्यों के नमक के क्षतिग्रस्त कारखानों को सहायता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित प्रयास किये हैं:-

(1) प्रभावित नमक विनिर्माताओं को नमक के अपने क्षतिग्रस्त कारखानों की पुनःस्थापना करने हेतु अनुग्रह राहत के रूप में अभी तक 19.314 लाख रुपये की राशि संवितरित की गयी है।

(2) नमक आयुक्त के अनुरोध के आधार पर उड़ीसा के प्रभावित जिलों के लिये राजस्थान से आयोडीनयुक्त नमक के छः अतिरिक्त रैक (रेल द्वारा) भेजने के एक कार्यक्रम को रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।

(3) नमक विभाग ने नमक उपकर की अधिप्राप्ति से 70% सहायता सहित 19.31 लाख रु. की अनुमानित लागत पर गोरवा नामक फैक्ट्री में चिलका नहर के ऊपर पुल तथा सलुईस गेट के निर्माण के एक प्रस्ताव का अनुमोदन दे दिया है। इससे नहर की दूसरी ओर रहने वाले नमक कामगारों तथा उनके परिवारों को लाभ होगा। यह कार्रवाई विभिन्न नमक फैक्ट्रियों में नमक विभाग द्वारा स्वीकृत अनेक अन्य श्रमिक संबंधी कल्याण कार्यों के अतिरिक्त की गई है।

(4) नुकसान की प्राथमिक रिपोर्ट के अनुसार 13.40 लाख रु. की राशि अनुग्रह सहायता के रूप में पश्चिम बंगाल में प्रभावित नमक कामगारों को अदा की जायेगी। यह कार्यवाही पश्चिम बंगाल में विभिन्न नमक कारखानों के लिये नमक विभाग द्वारा स्वीकृत श्रमिक संबंधी कल्याण कार्यों के अतिरिक्त की गई है।

हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड का निजीकरण

790. श्री राजैया मल्याला : क्या खान और खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड के निजीकरण का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कम्पनी में कार्यरत कर्मकारों के हितों को सुनिश्चित करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है?

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (ग) जी, हां। सरकार ने हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड (एच.सी.एल.) के लिए निम्नलिखित विनिवेश रणनीति का निर्णय लिया है:

चरण-I : हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड के खेतड़ी इकाई के साथ तालोजा संयंत्र को मिलाकर एक अलग कम्पनी बनाई जाएगी। इन इकाइयों की परिसम्पत्तियों का आकलन किया जाएगा तथा नई कम्पनी की पूंजी में हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड का अंशदान 49% होगा तथा शेष, 51% इक्विटी, महत्वपूर्ण भागीदार द्वारा लगाई जाएगी।

चरण-II हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड के इंडियन कॉपर कम्पलैक्स तथा मलंजखंड ताम्र परियोजना वाले शेष हिस्से का पुनर्निर्माण, चरणबद्ध तरीके से, अव्यवहार्य खानों को बंद करके तथा इसके परिणामस्वरूप, अधिशेष जनशक्ति को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत हटाकर किया जाएगा। हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड उसके बाद हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड के शेष भाग में 51% विनिवेश के लिए एक और महत्वपूर्ण भागीदार की तलाश करेगा।

सरकार ने, दिसम्बर 1998 में, हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड के लिए पूंजी पुनर्निर्माण प्रस्ताव मंजूर करते समय, वर्ष 1998-99 से 2001-2002 के दौरान, चरणबद्ध तरीके से, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति

योजना के तहत, हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड के अधिशेष कर्मचारियों को हटाने के लिए 414 करोड़ रु. का गैर-योजना ऋण मंजूर किया है। महत्वपूर्ण भागीदार द्वारा नए संसाधनों के आप्रवाह से शेष श्रमशक्ति के लिए दीर्घकालीन रोजगार मिलने की आशा है।

एच.सी.एल. की खानों का बंद किया जाना

791. श्री राम नायडू दग्गुबाटि : क्या खान और खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को संसद सदस्यों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिसमें बिहार के वनांचल क्षेत्र में घाटसिला नामक स्थान पर स्थित इंडियन कॉपर काम्पलेक्स (आई.सी.सी.) को बचाने हेतु कदम उठाने का अनुरोध किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा पाथरगोड़ एवं केन्दाडिह स्थित दो खानों को बंद करने के निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ताकि 1100 कर्मचारियों को छंटनी से बचाया जा सके?

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) जी, हां।

(ख) पाथरगोड़ एवं केन्दाडिह स्थित खानों में खनन प्रचालन अत्याधिक अलाभकारी है। चूंकि हिन्दुस्थान कॉपर लिमिटेड को इन खानों को चलाने में भारी घाटा हो रहा है। अतः एच.सी.एल. के निदेशक मंडल ने सिद्धांत रूप में इन खानों को बंद करने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है और कम्पनी ने औद्योगिक विवाद, 1947 की धारा 25 (ओ.) के अंतर्गत इन खानों को बंद करने के लिए सरकार से अनुमति मांगी है। हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड की सिफारिश और इस तथ्य को देखते हुए कि ये खानें अत्यंत अलाभकारी हैं और उनके पुनः चालू करने की कोई संभावना नहीं है। अतः खान विभाग ने इन खानों को बंद करने के लिए केन्द्र सरकार के श्रम मंत्रालय से अनुमति मांगी है। इन दो खानों को बन्द करने के प्रस्ताव के बारे में श्रम मंत्रालय ने दिनांक 22.11.99 को प्रबंधन के प्रतिनिधियों और संबंधित पंजीकृत ट्रेड यूनियनों की एक संयुक्त बैठक बुलाई थी।

वित्तीय संस्थानों को स्वायत्ता

792. श्री के. येरननायडू : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय उद्योग परिसंघ ने यह मांग की है कि बगैर किसी सरकारी हस्तक्षेप के कुप्रबंध वाली कंपनियों में वित्तीय संस्थानों को उनकी शेयर धारिता को सर्वोच्च बोली कर्ता को देने की खुली छूट दी जाये;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अन्य औद्योगिक महासंघों का क्या दृष्टिकोण है; और

(ग) सरकार द्वारा मुसीबत में फंसी कंपनियों को उबारने हेतु कौन से उपचारात्मक उपाय किए जाने का विचार है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) और (ख) जी, हां। कुल मिलाकर अन्य शीर्ष संगठनों के भी इसी प्रकार के विचार हैं।

(ग) सरकार ने मुसीबत में फंसी औद्योगिक एककों के पुनरूज्जीवन के लिए अनेक उपाय शुरू किये हैं। इन उपायों में से कुछ उपाय इस प्रकार हैं:-

(1) रुग्ण औद्योगिक कंपनियों की समस्याओं पर विचार करने के लिए रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 बनाया गया है जिसके तहत औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्संरचना बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) के रूप में नामोदिष्ट एक अर्ध न्यायिक निकाय की स्थापना की गई है; (2) भारतीय रिजर्व बैंक ने भी बैंकों को मानदण्डों से संबंधित दिशा-निर्देश जारी किये हैं जिनके तहत बैंक संभावित जीव्यक्षम रुग्ण एककों के पुनर्वास के लिए राहत तथा रियायतें प्रदान कर सके; तथा (3) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) संभावित जीव्यक्षम रुग्ण लघु औद्योगिक एककों के पुनरूज्जीवन के लिए पुनर्वास हेतु पुनर्वित्तियन योजना (आर.एस.आर.) प्रशासित कर रहा है।

औद्योगिक विकास दर में गिरावट

793. श्री दिन्शा पटेल : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान औद्योगिक विकास नकारात्मक रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन क्षेत्रों की पहचान की है जहां विकास बहुत कम या अवरुद्ध रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) औद्योगिक विकास दर को बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) जी, नहीं। वर्ष 1996-97, 1997-98 तथा 1998-99 के दौरान औद्योगिक उत्पादन की समग्र विकास दर क्रमशः 5.6%, 6.6% तथा 4.0% थी।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुये प्रश्न नहीं उठता।

(घ) औद्योगिक उत्पादन में सुधार लाने के लिये, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं:-

1. निर्यातों में विकास को पुनरूज्जीवित करने के लिए विशेष पैकेज की घोषणा,
2. यू.एल.सी.आर.ए. को रद्द करना और गृह स्वायित्व को प्रोत्साहन दिया जाना,
3. सरकार ने निवेश को बढ़ावा देने और पूंजी बाजार को पुनरूज्जीवित करने के लिए शेयरों की पुनः खरीद व अंतर-कारपोरेट ऋणों की अनुमति दी है,
4. एक नई विद्युत नीति की घोषणा,
5. उत्पाद शुल्क को युक्ति संगत करना,
6. अवसंरचना परियोजनाओं पर आय कर दर तथा सीमा शुल्क में कमी करना,
7. एफ.डी.आई./एन.आर.आई./ओ.सी.बी. निवेश के अन्तः प्रवाह का उदारीकरण और एन.बी.एफ.सी. में विदेशी इक्विटी निवेश के लिए दिशा-निर्देशों को और संशोधित किया गया है,
8. विदेशी निवेशकों तथा सरकारी तंत्र के बीच एक ही स्थान पर विचार-विमर्श उपलब्ध कराने के लिये विदेशी निवेश कार्यान्वयन प्राधिकरण (एफ.आई.आई.ए.) की स्थापना करना,
9. भारतीय उद्योगों में अच्छे अभ्यास के एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय पेटेंट कार्यालय तथा एक राष्ट्रीय बैन्चमार्किंग पेटेंट हाऊस सहित राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्डों की स्थापना करना,
10. 100% मोडवेट ऋण की पुनः बहाली करना,
11. सी.आर.आर. में कमी करना,
12. आयातित वित्त पर ब्याज पर अधिभार को वापस लेना।

महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित बैंक शाखायें

794. डा. वी. सरोजा :
श्री अजय सिंह चौटाला :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में सिर्फ महिला कर्मचारियों वाले राष्ट्रीयकृत और अनुसूचित बैंकों की राज्यवार शाखाओं की संख्या क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार बैंकों की ऐसी और शाखायें खोलने का है; और

(ग) यदि हां, तो राज्यवार विशेषकर हरियाणा में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उनके पास उपलब्ध सूचना के अनुसार निम्नलिखित बैंकों की शाखाएं केवल महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित की जा रही हैं:-

बैंक का नाम	शाखा का स्थान
1. स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	सेक्रेटेरियट व्यू शाखा, तिरूअंनतपुरम, केरल
2. सिंडिकेट बैंक	करोलबाग, नई दिल्ली
3. सिंडिकेट बैंक	शेषाद्रीपुरम, बेंगलूर
4. करूर वैश्य बैंक लि.	अन्ना नगर, चेन्नई

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक को केवल महिला कर्मचारी वाली शाखाएं खोलने के लिए किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से अभी कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

उड़ीसा को चक्रवात की तबाही से निपटने के लिए दिया गया अनुदान

795. श्री चन्द्रनाथ सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 नवम्बर, 1999 के "इंडियन एक्सप्रेस" में "साइक्लोन पॉलिटिक्स बीगिन्स विद सेन्टर्स मनी" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने उड़ीसा राज्य को चक्रवात की तबाही से निपटने के लिए कोई अनुदान जारी नहीं किया है तथा इस प्रयोजन हेतु केवल अग्रिम राशि दी है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या अन्य राज्यों में ऐसी परिस्थितियां होने पर उनके साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाता रहा है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (छ) इस वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए कि उड़ीसा में आए चक्रवात से हुई तबाही असाधारण रूप से विकराल आपदा थी, राहत सम्बन्धी उपायों को शुरू करने के लिए राज्य सरकार को समर्थ बनाने के लिए राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (एन.एफ.सी.आर.) में से उड़ीसा राज्य सरकार को 500 करोड़ रुपये की राशि पहले ही जारी की जा चुकी है। इसके साथ ही यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि निधियों की अनुपलब्धता के कारण राहत उपायों में कोई रूकावट न आए, केन्द्र सरकार ने उड़ीसा की राज्य सरकार को लगभग 460 करोड़ रुपए की धनराशि की योजना और गैर-योजना सहायता भी अग्रिम रूप से जारी की है। केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार की लगभग 105 करोड़ रुपए की ऋण पुनर्अदायगी देयता को भी आस्थगित कर दिया है। केन्द्र सरकार के साथ-साथ रक्षा मंत्रालय सहित अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों की सहायता से उठाए गए ये कदम राज्य सरकार को राहत और पुनर्वास उपायों को शुरू करने हेतु सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किए गए हैं।

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पद

796. श्री रामदास आठवले : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कोई विशेष भर्ती अभियान चलाकर बैंकों और वित्तीय संस्थानों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित बकाया रिक्त पदों को भरने संबंधी मामले पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इन बकाया आरक्षित पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, नहीं। उच्चतम न्यायालय ने इन्दिरा साहनी बनाम भारत संघ के मामलों में अन्य बातों के साथ-साथ, यह निर्णय दिया कि आरक्षण के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या, आगे लाई गई आरक्षित रिक्तियों सहित, किसी भी हालत में वर्ष के दौरान भरी जाने वाली कुल रिक्तियों के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। न्यायालय के आदेश से लगाई गई इस सीमा को देखते हुए सरकार ने विशेष भर्ती अभियान समाप्त कर दिया है।

(ख) (क) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) बकाया पदों के संचयन से बचने के लिए आरक्षित पदों का समय से भरा जाना सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा अनुदेश जारी किए गए हैं। इस सम्बन्ध में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किए जाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया है। राष्ट्रीयकृत बैंकों में अ.जा. और अ.ज.जा. की भर्ती और प्रतिनिधित्व की स्थिति की प्रत्येक छ: महीने में प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक के निदेशक मंडल द्वारा व्यापक प्रोफार्मे के माध्यम से संवीक्षा की जाती है और उक्त स्थिति की जानकारी सरकार को दी जाती है। बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्डों/केन्द्रीय भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को बैंकों द्वारा भर्ती पूर्व प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अ.जा. की आबादी की अधिकता वाले क्षेत्रों के निकटस्थ स्थानों पर परीक्षा केन्द्र स्थापित किए जाते हैं। बैंकों से कहा गया है कि वे अपने अ.जा./अ.ज.जा. कक्षों में कार्यरत

कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित करें ताकि उन्हें आरक्षण नीति के क्रियान्वयन की आवश्यकता से पूर्णरूपेण अवगत कराया जा सके।

भारी उद्योगों की स्थापना

797. श्री रिज़वान ज़हीर :
डा. बलिराम :
श्री अजय सिंह चौटाला :
श्री राजनारायण पासी :

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश में सरकारी या निजी क्षेत्र में किसी भारी उद्योग की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) से (ग) भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय द्वारा सरकारी क्षेत्र में किसी भारी उद्योग की स्थापना करने का कोई विचार नहीं है। औद्योगिक क्षेत्र को अधिकांशतः लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है और निजी क्षेत्र उत्तर प्रदेश सहित देश में कहीं भी भारी उद्योग की स्थापना करने के लिए स्वतंत्र है।

[अनुवाद]

भारतीय स्टेट बैंक के स्थानीय बोर्डों में गैर-सरकारी निदेशक

798. श्री पी.एस. गढ़वी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक (एस.बी.आई.) के स्थानीय बोर्डों के गैर-सरकारी निदेशकों की सेवा हाल ही में समाप्त कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों/वित्तीय संस्थाओं में ऐसे ही कदम उठाने और नये गैर-सरकारी निदेशकों को नियुक्त करने का है; और

(घ) यदि हां, तो यह प्रक्रिया कब तक पूरी हो जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) भारतीय स्टेट बैंक के स्थानीय बोर्ड के सदस्यों के कार्यकाल से जुड़ी बैंककारी, लोक वित्तीय संस्था तथा परक्राम्य लिखत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1988 की धारा 13 द्वारा संशोधित भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 21 "क" में दिया गया है कि सदस्यों का कार्यकाल केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में यथा उल्लिखित तीन वर्ष की अनधिक अवधि के लिए होगा तथा इसके बाद जब तक उनका उत्तराधिकारी विधिवत नामित नहीं हो जाता एवं वे पुनर्नामित होने के लिए पात्र होंगे, बशर्ते कि, ऐसा कोई सदस्य छः वर्ष की अनधिक अवधि के लिए लगातार कार्यालय में न बना रहे। यह संशोधन 25 अक्तूबर, 1999 से लागू हुआ है। इसके परिणामस्वरूप, भारतीय स्टेट बैंक के स्थानीय बोर्डों के सदस्य, जो छः वर्ष की अनधिक अवधि से लगातार कार्यालय में बने हुए हैं, की सदस्यता समाप्त हो गई।

(ग) और (घ) राष्ट्रीयकृत बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से बोर्डों के अंशकालिक गैर सरकारी निदेशकों से जुड़े कानूनों की विद्यमान ऐसी धाराओं के संबंध में ऐसे प्रत्येक निदेशक का कार्यकाल उसके नामांकन के समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा-उल्लिखित तीन वर्ष की अनधिक अवधि तक होगा तथा उसके बाद जब तक उसका उत्तराधिकारी नामित नहीं हो जाता एवं वह पुनर्नामांकन का पात्र तभी होगा, बशर्ते कि, ऐसा कोई निदेशक छः वर्ष की अनधिक अवधि के लिए लगातार कार्यालय में बना रहे। सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के बोर्डों के विद्यमान अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकों जिनका कार्यकाल पहले से समाप्त हो चुका है तथा उनके उत्तराधिकारी की विचाराधीन नियुक्ति के कारण अभी चल रहा है, को बदलने एवं विद्यमान रिक्तियों को भरने के लिए कार्रवाई की जा चुकी है।

[हिन्दी]

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि.

799. डा. मदन प्रसाद जायसवाल :
श्री रामटहल चौधरी :

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान रांची स्थित हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि. द्वारा कितने मूल्य का सामान बेचा गया;

(ख) ये सामान किन-किन विभागों को बेचे गए तथा इनकी मात्रा क्या है;

(ग) क्या हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन ने विभिन्न विभागों से प्राप्त कार्यानुदेश को समय से पूरा नहीं किया;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन कार्यानुदेशों को समय से पूरा न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इस संबंध में कोई जिम्मेदारी निर्धारित की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) क्रयादेशों का निष्पादन करने में विलम्ब हुआ है। क्रयादेशों की मूल्य के रूप में प्रतिशतता 1997-98 में 92 प्रतिशत, 1998-99 में 60 प्रतिशत और 1999-2000 (सितम्बर, 1999 तक) 29 प्रतिशत थी। विलम्ब के लिए मुख्य कारणों में ग्राहकों द्वारा परिष्कृत उत्पादों का न उठाना, प्रौद्योगिकी को स्थापित करने में विलम्ब होना, कार्यशील पूंजी की समस्या इत्यादि का होना रहा है। कुछ मामलों में अधिकारी भी जिम्मेदार पाये गये हैं।

(ङ) और (च) क्रयादेशों के निष्पादन में जहां कहीं विलम्ब होता है तो विलम्ब का विस्तारपूर्वक विश्लेषण किया जाता है। गत 3 वर्षों के दौरान विलम्ब के लिए उत्तरदायी पाये गये कर्मचारियों और उनके खिलाफ की गई कार्रवाई 105 मामलों में की गई है।

विवरण

(क) पिछले 3 वर्षों के दौरान एच.ई.सी. ने निम्नलिखित मूल्य का सामान बेचा है:-

वर्ष	(मूल्य करोड़ रुपये में)
1997-98	247.53*
1998-99	260.93
1999-2000 (अक्तूबर, 1999)	149.86

(ख) बेचे गये सामान की कीमत विभागवार निम्नानुसार है:-

(करोड़ रुपये में)

	1997-98	1998-99	1999-2000 (अक्तूबर, 1999)
स्टील	57.40	48.82	29.18
माइनिंग	85.46	79.80	57.20
डिफेंस	14.18	20.39	7.23
रेलवे	5.46	12.48	8.57
निजी क्षेत्र सहित अन्य	85.03	99.44	47.68
कुल	247.53	260.93	149.86

[अनुवाद]

विनिवेश आयोग

800. **श्री अधीर चौधरी :**
श्री नरेश पुगलिया :
श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी :

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विनिवेश आयोग का कार्यकाल अगस्त, 1999 में समाप्त होने वाला था;

(ख) क्या विनिवेश आयोग के अध्यक्ष और कुछ सदस्यों ने त्यागपत्र दे दिया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार ने विनिवेश आयोग का कार्यकाल बढ़ा दिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) आयोग द्वारा अब तक कितनी रिपोर्टें प्रस्तुत की गई हैं;

(छ) इसकी सिफारिशों को किस सीमा तक लागू किया गया है;

(ज) क्या सरकार का विचार विनिवेश आयोग के सुचारू कार्यकरण हेतु इसे अतिरिक्त शक्तियां प्रदान करने का है; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) से (ङ) विनिवेश आयोग की अवधि 30.11.1999 तक बढ़ाई गई थी, जो कि समाप्त हो चुकी है। गठित आयोग स्वत: ही समाप्त हो गया है।

(च) और (छ) आयोग ने 58 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के सम्बन्ध में सरकार को 12 रिपोर्टें प्रस्तुत की थीं। गैस अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (गेल), कण्टेनर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया (कॉनकोर), महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम.टी.एन.एल.) और विदेश संचार निगम लिमिटेड (वी.एस.एन.एल.) के सम्बन्ध में शेयरों के प्रस्ताव के माध्यम से विनिवेश सम्बन्धी आयोग की अधिकतर सिफारिशें क्रियान्वियत की जा चुकी हैं; 11 सरकारी उपक्रमों के सम्बन्ध में रणनीतिक गठबन्धन/11 सरकारी उपक्रमों के सम्बन्ध में पुनर्गठन/व्यापारिक बिक्री की कार्रवाई आरम्भ की गई है; 11 सरकारी उपक्रमों में विनिवेश आस्थगित रखा गया है; 1 (एक) इकाई के सम्बन्ध में विनिवेश न करने का निर्णय किया गया है।

(ज) और (झ) सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

सीमा शुल्क/उत्पाद कर के लंबित मामले

801. **श्री जे.एस. बराड़ :**
श्री शंकर सिंह वाघेला :
श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सीमा शुल्क और उत्पाद कर के बहुत से मामले लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो सितम्बर, 1999 तक ऐसे कुल कितने मामले लंबित थे;

(ग) इन मामलों में कितनी राशि निहित है;

(घ) इसमें से सीमा शुल्क और उत्पाद कर विभागों की अलग-अलग राशि कितनी है; और

(ङ) सरकार द्वारा न्यायनिर्णयन के तहत लंबित मामलों के निपटान के लिए क्या उपाय किए गए हैं या करने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार): (क) से (घ) दिनांक 30.9.99 तक लंबित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क के मामलों से संबंधित कुल विवादित मामलों की संख्या और इनमें अंतर्ग्रस्त राशि का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

	मामलों की संख्या	अंतर्ग्रस्त राशि (करोड़ रुपये में)
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	80520	17371.35
सीमा शुल्क	11840	1493.62
कुल	92360	18864.97

(ङ) उच्च न्यायालयों अपीलीय न्यायाधिकरण में या तो स्थगन आदेश रद्द करवाने अथवा प्राथमिकता के आधार पर मामलों में निर्णय देने हेतु तत्काल याचिकाओं को दायर करके स्थगन आदेश रद्द करवाने, प्रभावी पर्यवेक्षण हेतु सुसम्बद्धता तथा अपेक्षाकृत छोटे आयुक्तालय बनाने, तेजी से न्यायनिर्णयन हेतु विशेष आयुक्त (न्यायनिर्णयन) की तैनाती करने, लंबित विवादों को निपटाने हेतु समझौता आयोग स्थापित करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। जहां जरूरी होता है, वहां बैंक गारंटियों पर बल दिया जाता है। समझा बुझा कर/दबाव डालकर बकाया राशियों को वसूल करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि

802. **डा. मन्दा जगन्नाथ :**
श्री प्रवीण राष्ट्रपाल :
श्री शंकर सिंह वाघेला :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वस्त्र उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि स्थापित की थी;

(ख) यदि हां, तो इस निधि में कुल कितनी राशि जमा की गई;

(ग) क्या कतिपय संस्थानों को इस निधि से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है; और

(घ) यदि हां, तो सितम्बर, 1999 के अंत तक इस निधि से कितनी धनराशि का भुगतान किया गया?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) से (घ) भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय ने वस्त्र और पटसन उद्योगों के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टी.यू.एफ.एस.) शुरू की है जो कि 1.4.1999 से 31.3.2004 तक की 5 वर्षों की अवधि के लिए प्रभावी है। योजना के अंतर्गत वित्त पोषण पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यह एक उदार योजना है जो कि बैंक योग्य तथा तकनीकी आर्थिक रूप से अर्थक्षम प्रस्तावों में निधियों का प्रयोग करने में उद्योग की क्षमता पर निर्भर है। इस योजना के अंतर्गत योजना के अनुरूप परियोजनाओं के लिए उद्योग के अभिज्ञात क्षेत्रों को नौडीय अभिकरणों/सहयोजित संस्थानों द्वारा ऋण प्रदान किए जाते हैं। सरकार की निधि व्यवस्था योजना के अनुरूप प्रौद्योगिकी उन्नयन की परियोजना पर ऋण दात्री एजेंसी द्वारा प्रमाणित ब्याज के 5 प्रतिशत बिंदु पर ब्याज की प्रतिपूर्ति करने तक ही सीमित है।

टी.यू.एफ.एस. के अंतर्गत नौडीय अभिकरण द्वारा विभिन्न वस्त्र क्षेत्रों की 84 मिलों को लगभग 1117 करोड़ रु. की स्वीकृति दी गयी है। इसमें से 30 सितंबर, 1999 तक लगभग 156.41 करोड़ रु. वितरित किए जा चुके हैं।

वस्त्र नीति संबंधी विशेषज्ञ समिति

803. **श्री नरेश पुगलिया :**
श्री प्रवीण राष्ट्रपाल :
श्री शंकर सिंह वाघेला :
श्री चन्द्रनाथ सिंह :
श्री चाडा सुरेश रेड्डी :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा श्री एस. सत्यम की अध्यक्षता में वस्त्र नीति संबंधी विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्य कौन-कौन हैं तथा इसका निदेश पद क्या है;

(ग) क्या उक्त समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो समिति द्वारा की गयी सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ङ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) जी हां। श्री एस.आर. सत्यन की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति अन्य बातों के साथ-साथ मौजूदा वस्त्र नीति के प्रभाव की समीक्षा करने तथा समग्र व्यापार नीति सुधारों के परिणामस्वरूप हुए परिवर्तनों पर प्रकाश डालने के लिए उद्योग के लिए नीतिगत उपायों का सुझाव देने के लिए गठित की गई थी।

(ख) विवरण संलग्न है।

(ग) से (ङ) जी हां। समिति की सिफारिशें अधिकांशत: उत्पादन तथा निर्यात योग्य बेशी में प्रगामी वृद्धि प्राप्त करने तथा अप्रचलित प्रौद्योगिकी को हटाने, वस्त्र उद्योग के सभी खण्डों के प्रतिस्पर्द्धात्मक ढांचे को सुदृढ़ करने, परिहार्य विनियमनों की समाप्ति तथा उद्योग के क्रमिक परिवर्तन को बाजारोन्मुखी अग्रदर्शी उद्योग के स्तर तक सुलभ करने जैसे उपायों पर केन्द्रित है। विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट को नई वस्त्र नीति बनाते समय ध्यान में रखा जाएगा।

विवरण

I. दिनांक 24.7.1998 के संकल्प संख्या 8/7/98-टी.पी.सी. के अंतर्गत विशेषज्ञ समिति का गठन निम्नानुसार होगा:

1. श्री एस.आर. सत्यम, सेवानिवृत्त सचिव, वस्त्र मंत्रालय — अध्यक्ष
2. अध्यक्ष, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, मुंबई — सदस्य
3. डा. टी.वी. रत्नम सलाहकार, सित्रा, कोयम्बटूर — सदस्य
4. श्री ए.एन. जरीवाला — सदस्य
5. श्री संजय एस. लालभाई, मै. अरविंद मिल्स लि., नरोदा रोड, अहमदाबाद — सदस्य
6. डा. ओमकार गोस्वामी, संपादक, बिजनेस इंडिया, मुंबई — सदस्य
7. डा. राकेश मोहन, महानिदेशक, राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली — सदस्य
8. विकास आयुक्त (हथकरघा) — सदस्य
9. श्री बी.डी. [illegible] सलाहकार, योजना आयोग — सदस्य
10. डा. अशोक लाहिड़ी, निदेशक, राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान, नई दिल्ली — सदस्य
11. श्री अजय पिरामल, पिरामल मिल्स लिमिटेड, मुंबई — सदस्य
12. वस्त्र आयुक्त, मुंबई — सदस्य-सचिव

II. विचारार्थ विषय :

1. मौजूदा वस्त्र नीति की पुनरीक्षा करना तथा उसके प्रभाव का मूल्यांकन करना और विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा की नई आवश्यकताओं के अनुरूप जरूरी परिवर्तनों को अभिज्ञात करना।

2. वस्त्र क्षेत्र के निम्नलिखित कार्यक्षेत्रों की उपयुक्त पुनरीक्षा करने के बाद वस्त्र उद्योग के प्रत्येक क्षेत्र एवं खंड के श्रेष्ठ उत्पादकता प्राप्त करने की दृष्टि से नीति पर नए मार्गदर्शी सिद्धांत बनाना :

   (1) सभी उत्पाद (सभी फाइबर तथा उनसे निर्मित मूल्य-वर्द्धित उत्पाद),

   (2) सभी क्रियाकलाप (बुनाई, कताई, प्रसंस्करण, परिष्करण और पैकेजिंग),

   (3) सभी क्षेत्र (संगठित मिल, विद्युतकरघा और हथकरघा)।

3. समग्र व्यापार नीति में संशोधन करने और विशेषकर वस्त्रों और क्लोदिंग संबंधी बहुफाइबर करार और उससे संबद्ध गैर-शुल्क प्रतिबंधों के समाप्त होने के फलस्वरूप हुए परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए वस्त्र उद्योग के लिए नीतिपरक उपाय सुझाना। ऐसे नीतिपरक उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित के उन्नयन के उपाय भी शामिल होंगे:

   (क) ब्राण्ड उत्पादों को स्थापित करने की प्रक्रिया के सरलीकरण सहित उत्पाद।

   (ख) प्रौद्योगिकी।

   (ग) वित्त।

   (घ) ब्राण्ड संवर्धन सहित बाजार विकास।

   (ङ) वस्त्र उद्योग में मानव संसाधन विकास।

4. वस्त्र उद्योग के विभिन्न संघटकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिपक्षकारों की तुलना में प्रतिस्पर्धात्मकता की जांच करना तथा नीति निर्धारण सुझाना ताकि प्रत्येक संघटक की प्रतियोगी क्षमता में सुधार लाया जा सके और वस्त्र उद्योग के प्रत्येक आर्थिक क्षेत्र के मूलभूत ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिए उपाय सुझाना। इसमें विभिन्न फाइबरों के लिए नियत की जाने वाली विशिष्ट भूमिका का अध्ययन करना भी शामिल होगा।

5. वर्ष 2005 तक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता को प्राप्त करने के दृष्टि से वस्त्र उद्योगों के पुनर्निर्माण में सहायक नीतिपरक उपाय सुझाना।

6. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की नीतियों के साथ-साथ वस्त्र उद्योग के संदर्भ में वित्तीय और व्यापार नीतियों सहित मौजूदा औद्योगिक नीति की जांच करना तथा उद्योग के आधुनिकीकरण तथा विकास के लिए आवश्यक परिवर्तन सुझाना।

7. वस्त्र क्षेत्र के नियंत्रण एवं विनियमन की मौजूदा व्यवस्था की जांच करना तथा वस्त्र उद्योग के सभी क्षेत्रों के विकास को प्रोत्साहित करने तथा उत्पादकता बढ़ाने के लिए जहां कहीं आवश्यक हो, परिवर्तन सुझाना।

8. उत्पादन प्रौद्योगिकियों, डिजाईनों, विपणन कौशल और आसूचना प्रौद्योगिकी सहित वस्त्र क्षेत्र के सभी क्रियाकलापों में मानव संसाधनों का विकास करने के लिए व्यापक नीति और रणनीति बनाना। इसमें वस्त्र उद्योग में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता प्राप्त करने के लिए क्षेत्र में आवश्यक नीतिपरक उपायों की मौजूदा परिदृश्य की जांच करना भी शामिल होगा।

9. वस्त्र उद्योग में रुग्णता से निपटने के लिए अभी तक किए गए उपायों की पुनरीक्षा करना तथा वस्त्र उद्योग की आर्थिक क्षमता में सुधार लाने के साथ-साथ श्रमिकों और पूंजी का पुन: उपयोग करने से अवस्थापनात्मक संयोजन की आवश्यकता सहित रुग्णता को रोकने और उससे निपटने के लिए आवश्यक उपायों को अभिज्ञात करना।

10. वस्त्र उद्योग की आवश्यकताओं को विशेष रूप से पूरा करने के लिए समर्पित वित्त पोषण व्यवस्थाओं की वांछनीयता की जांच करना।

[हिन्दी]

औद्योगिक विकास केन्द्र

804. श्री राजो सिंह :
श्री टी. गोविन्दन :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय राज्यवार और स्थान वार कितने औद्योगिक विकास केन्द्र कार्यरत है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में विशेष रूप से बिहार में कुछ अन्य औद्योगिक विकास केन्द्रों को स्थापित करने का है और क्या सरकार को इस संबंध में राज्य सरकारों से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है और इन औद्योगिक विकास केन्द्रों को कब तक स्थापित कर दिये जाने की संभावना है; और

(ङ) 1998-99 के दौरान, आज तक सरकार द्वारा इन केन्द्रों के लिए जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) विकास केन्द्र योजना, 1988 के तहत भारत सरकार ने संबंधित राज्य सरकारों के क्रियान्वयन के लिए अब तक 68 केन्द्र अनुमोदित किये हैं। इन 68 केन्द्रों की राज्यवार तथा स्थापना-स्थलवार सूची संलग्न विवरण में दी गई है। राज्य सरकारों द्वारा इस योजना के कार्यान्वयन को नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में अग्रेनीत किया गया है। ये विकास केन्द्र क्रियान्वयन और औद्योगिक बुनियादी सुविधा सृजन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। औद्योगिक बुनियादी सुविधा का सृजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। केन्द्रीय सहायता की पूरी रकम 14 केन्द्रों के लिए जारी कर दी गयी है।

(ख) और (ग) उक्त योजना के तहत औद्योगिक विकास केन्द्रों का निर्धारण और आवंटन विभिन्न राज्यों को पहले ही हो चुका है। भारत सरकार के पास बिहार सरकार से कोई अतिरिक्त विकास केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव लंबित नहीं पड़ा है। गोवा तथा कर्नाटक सरकार के अतिरिक्त विकास केन्द्रों की स्थापना के प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किये गये थे।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त (ख) और (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

अनुमोदित विकास केन्द्रों की सूची

क्र.सं.	विकास केन्द्र का नाम	जिला
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश		
1.	हिन्दपुर	अनंतपुर
2.	खम्माम	खम्माम
3.	अंगोले	प्रकासम
4.	विजयनगरम-बोबिली	विजयनगरम
अरूणाचल प्रदेश		
5.	निकलोक गोरलुंग	पूर्वी सियांग
असम		
6.	चारीदुआर	सोनितपुर
7.	माटीया	गोलपारा
बिहार		
8.	बेगूसराय	बेगुसराय
9.	भागलपुर	भागलपुर
10.	छपरा	छपरा
11.	हजारीबाग	हजारीबाग
12.	दरभंगा	दरभंगा
13.	मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर
गोवा		
14.	इलेक्ट्रोनिक सिटी	वरना-प्लेट्
गुजरात		
15.	गांधीधाम	कच्छ
16.	पालनपुर	बनासकांठा
17.	वागरा	भरौंच
हरियाणा		
18.	बावल	रिवाड़ी
19.	साहा	अम्बाला
हिमाचल प्रदेश		
20.	कांगड़ा	कांगड़ा
जम्मू एवं कश्मीर		
21.	साम्बा	जम्मू
22.	ओमपुरा-लस्सीपुरा	बडगाम पुलवामा
कर्नाटक		
23.	धारवाड़	धारवाड़
24.	रायचुर	रायचुर
25.	हस्सन	हस्सन

1	2	3
केरल		
26.	अलापुझा-मालापुरम	अलापुझा-मालापुरम
27.	कन्नूर-कोझीकोड	कन्नूर-कोझीकोड
मध्य प्रदेश		
28.	बोराई	दुर्ग
29.	चैनपुरा	गुना
30.	घिरोंजी	भींड
31.	खेड़ा	धार
32.	सतलापुर	रायसेन
33.	सिलतारा	रायचुर
महाराष्ट्र		
34.	अकोला	अकोला
35.	चन्द्रपुर	चन्द्रपुर
36.	धुले	धुले
37.	रत्नागिरी	रत्नागिरी
38.	नांदेड़	नांदेड़
मेघालय		
39.	मेंदीपठार	पूर्वी गारो पहाड़ी

1	2	3
मिज़ोरम		
40.	लुआंगमुआल	ऐजवाल
मणिपुर		
41.	लामलाई-नापेट	इम्फाल पूर्वी
नागालैंड		
42.	गणेशनगर	दीमापुर
उड़ीसा		
43.	छत्रपुर	छत्रपुर
44.	डुबुरी	कटक
45.	झारसुगुडा	झारसुगुडा
46.	केसिंगा	कालाहांडी
पांडिचेरी		
47.	पोलागाम	करायकल
पंजाब		
48.	भटिंडा	भटिंडा
49.	पठानकोट	गुरदासपुर
राजस्थान		
50.	आबू-रोड	सिरोही

1	2	3
51.	बीकानेर	बीकानेर
52.	झालावाड़	झालावाड़
53.	धोलपुर	धोलपुर
54.	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा
तमिलनाडु		
55.	इरोड	पेरियार
56.	ओरागडाम	कांचीपुरम
57.	तिरूनवेली (गंगाई कोंडान नानुर ब्लाक)	तिरूनेलवेली कट्टाबोम्मान
त्रिपुरा		
58.	बोधजंग नगर	त्रिपुरा पश्चिमी
उत्तर प्रदेश		
59.	बचौलीबुजुर्ग	झांसी
60.	बंथारा	शाहजहांपुर
61.	चौधरपुर	मुरादाबाद
62.	डिबियापुर	इटावा
63.	खुर्जा	बुलन्दशहर
64.	मुंगरा सथारिया	जौनपुर
65.	सहजनवा	गोरखपुर
पश्चिम बंगाल		
66.	बोलपुर	बीरभूम
67.	जलपाईगुड़ी	जलपाईगुड़ी
68.	मालदा	मालदा

[अनुवाद]

राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलें

805. श्री बीर सिंह महतो :
श्री रामचन्द्र बैंदा :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अंतर्गत कितनी कपड़ा मिलें हैं;

(ख) राष्ट्रीय वस्त्र निगम की कितनी मिलें घाटे में चल रही हैं;

(ग) सरकार ने उनको अर्थक्षम बनाने के लिए क्या कदम उठाये हैं;

(घ) क्या उनमें से कुछ मिलों को राज्य सरकारों को सौंप दिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार का विचार मिल कर्मचारियों की सहकारी समितियों द्वारा उन्हें चलाने का है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) से (ग) एन.टी.सी. के नियंत्रणाधीन 119 वस्त्र मिलें हैं। सभी एन.टी.सी. मिलों ने 1998-99 के दौरान घाटों की सूचना दी है।

एन.टी.सी. द्वारा किये गये एकक-वार अर्थक्षमता अध्ययन के आधार पर, सरकार एन.टी.सी. की अर्थक्षम सहायक निगमों के

साथ-साथ उनके अंतर्गत अर्थक्षम मिलों के लिए एक संशोधित सर्वांगीण सुधार योजना पर विचार कर रही है जिसमें बी.आई.एफ.आर. द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर इन मिलों की निवल पूंजी के सकारात्मक होने के बी.आई.एफ.आर. के मानदंडों को ध्यान में रखा जा रहा है। पुनरूद्धार योजना में कामगारों के हितों को ध्यान में रखा जाएगा।

(घ) और (ङ) सभी राज्य सरकारों को जहां एन.टी.सी. मिलें स्थित हैं, उनके द्वारा इन मिलों को अधिग्रहण के लिए पेशकश की गयी है। तथापि, किसी राज्य सरकार से कोई सकारात्मक जवाब प्राप्त नहीं हुआ है।

(च) कामगार सहकारी समिति द्वारा इन मिलों को चलाने के विकल्प को सरकार द्वारा पुनरूद्धार योजना को अंतिम रूप देते समय ध्यान में रखा जाएगा।

रबर का न्यूनतम मूल्य

806. श्री के. मुरलीधरन : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार रबर के लिए कोई न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) रबर उगाने वाले किसानों की सहायता के लिए हाल ही में आरंभ की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) रबड़, जो एक औद्योगिक कच्ची सामग्री है, का मूल्य मुख्य रूप से मांग एवं पूर्ति के कारकों द्वारा निर्धारित होता है। इसलिए रबड़ के न्यूनतम मूल्य का निर्धारण आवश्यक नहीं समझा गया है।

(घ) भारत सरकार उत्पादकों को प्रत्यक्ष रूप से वित्तीय और विस्तार सहायता उपलब्ध कराने के लिए रबड़ बोर्ड के माध्यम से अनेक चालू योजनाओं को कार्यान्वित कर रही है जैसे रबड़ रोपण विकास योजना, सिंचाई का संवर्धन, धूम्र गृहों का निर्माण, हस्तचालित रोलरों के लिए सहायता, बाड़ इत्यादि की मुफ्त आपूर्ति सहित आवश्यक रोपण सामग्री की आपूर्ति। इसके अतिरिक्त जरूरतमंद उत्पादों को रबड़ की खेती के सभी पहलुओं पर मुफ्त प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है।

[हिन्दी]

कृषि उत्पादों के आयात से प्रतिबंध हटाना

807. श्रीमती शीला गौतम : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व व्यापार संगठन का सदस्य होने के नाते भारत सरकार का विचार निकट भविष्य में विदेशी कृषि उत्पादों के आयात पर से प्रतिबंध हटाने का है;

(ख) यदि हां, तो वे प्रमुख कृषि उत्पाद कौन-कौन से हैं जिन पर से प्रतिबंध हटाए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार भारतीय किसानों के हितों की रक्षा करने को तैयार है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) से (घ) विश्व व्यापार संगठन के सदस्य के रूप में भारत सभी कृषि, वस्त्र और औद्योगिक उत्पादों पर से निर्धारित समयावधि के भीतर मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटाने के लिए वचनबद्ध है। इन मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटाने के पश्चात् घरेलू उद्योग एवं कृषि का संरक्षण टैरिफ के जरिए उपलब्ध होगा।

तथापि, अपनी अंतर्राष्ट्रीय वचनबद्धताओं को पूरा करते हुए भी, सरकार किसानों के हितों की सुरक्षा करने के लिए पूर्णतया वचनबद्ध है। इस प्रकार, कृषि को पर्याप्त संरक्षण प्रदान करने के लिए टैरिफ को एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल करने के अलावा, पाटनरोधी एवं इमदाद-रोधी प्रक्रिया के जरिए देश में कृषि उत्पादों के पाटन की मंशा रखने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा सकती है। यदि किसी वस्तु के आयातों में वृद्धि होती है तो रक्षोपाय शुल्क भी लगाए जा सकते हैं।

इस समय आयातों के लिए प्रतिबंधित कृषि मदों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

क्र.सं.	आई.टी.सी. (एच.एस.) कोड	उत्पादों का विवरण
1	2	3
1.	02031100	शव और आधे शव
2.	02031200	पुठठे, कन्धे और उनके टुकड़े, हड्डी सहित
3.	02031900	अन्य, सुअर का मांस हिमशीतित अथवा ताजा
4.	02032100	शव और आधे शव, सुअर मांस, प्रशीतित
5.	02032200	पुट्ठे, कंधों और उनके टुकड़े, हड्डी सहित सूअर मांस, प्रशीतित
6.	020329	अन्य, सुअर मांस, प्रशीतित
7.	02041000	मेमने के शव और आधे शव, ताजा अथवा दृतशीतित
		भेड़ का अन्य मांस, ताजा अथवा दृतशीतित
8.	02042100	शव और आधे शव, सुअर मांस, प्रशीतित
9.	02042200	हड्डी सहित अन्य टुकड़े, सुअर मांस, प्रशीतित
10.	02042300	हड्डी रहित, भेड़ का ताजा या प्रशीतित मांस
11.	02043000	मेमने के शव और आधे शव जमे हुए भेड़ का अन्य मांस, हिमशीतित
12.	02044100	शव और आधे शव, हिमशीतित
13.	02044200	हड्डी सहित अन्य टुकड़े भेड़ के मांस के तौर पर प्रशीतित
14.	02044300	हड्डी रहित, भेड़ का मांस, प्रशीतित
15.	02045000	बकरियों का मांस, ताजा प्रशीतित व हिमशीतित
16.	02063000	सुअर का ताजा अथवा दृतशीतित मांस सुअर का हिमशीतित
17.	02064100	यकृत, सुअर का प्रशीतित मांस
18.	02064900	अन्य खाद्य, सुअर का प्रशीतित मांस
19.	02068001	भेड़ों/बकरियों का खाद्य अवशिष्ट मांस, अवशिष्ट ताजा/दृतशीतित
20.	02069001	भेड़ों/बकरियों का खाद्य मांस, हिमशीतित
21.	020711.00	गैलस डोमेस्टिक, प्रजाति के मुर्गे का टुकड़ों में नहीं, ताजा और प्रशीतित खाद्य मांस

1	2	3
22.	020712.00	गैलस डोमेस्टिक प्रजाति के मुर्गे का टुकड़ों में नहीं, ताजा और प्रशीतित खाद्य मांस
23.	020713.00	गैलस डोमेस्टिक प्रजाति के मुर्गे का टुकड़ों और खाद्य मांस प्रशीतित हिमशीतित
24.	020714.00	गैलस डोमेस्टिक प्रजाति के मुर्गे का टुकड़ों और खाद्य मांस प्रशीतित हिमशीतित
25.	020724.00	टर्की का टुकड़ों में ताजा या प्रशीतित टुकड़ों में नहीं मांस
26.	020725.00	टर्की का टुकड़ों में ताजा या प्रशीतित टुकड़ों में नहीं मांस
27.	020726.00	टर्की के खाद्य मांस ताजा या प्रशीतित
28.	020727.00	टर्की के खाद्य मांस ताजा या प्रशीतित
29.	020732.00	बतखों, गीज और गुआना मुर्गियों के मांस, खाद्य मांस, ताजा या प्रशीतित
30.	020733.00	बतखों, गीज और गुआना मुर्गियों के मांस, खाद्य मांस, ताजा या प्रशीतित
31.	020734.00	बतखों, गुआना मुर्गियों के वसा युक्त जिगर मांस, शीतित व प्रशीतित
32.	020735.00	पोल्टी के अन्य टुकड़े और खाद्य मांस, प्रशीतित व ताजा
33.	020736.00	पोल्टी के अन्य टुकड़े और खाद्य मांस, प्रशीतित व ताजा
34.	020810.00	खरगोस का ताजा, प्रशीतित व जमा हुआ मांस और खाद्य मांस
35.	पूर्व 020810.00	संक्षरित प्रजातियों के अलावा अन्य मांस अथवा खाद्य मांस, प्रशीतित, ताजा अथवा जमा हुआ
36.	021011.00	सुअर के मांस के तौर पर पुट्ठे, कन्धे और टुकड़े, हड्डी सहित, खारे पानी में, शुष्कित अथवा धूमित
37.	021012.00	सुअर के अमाशय (स्ट्रीकी) और टुकड़े, नमकीन, खारे पानी में, शुष्कित अथवा धूमित
38.	021019.00	सुअर का अन्य मांस और खाद्य मांस, नमकीन, खारे पानी में, शुष्कित अथवा धूमित
39.	पूर्व 021090.09	अन्य मांस और खाद्य मांस, नमकीन, खारे पानी में, शुष्कित अथवा धूमित, मांस अथवा मांस का खाद्य चूर्ण और आटा, संरक्षित के अलावा अन्य प्रजातियों के
139.	040130.00	दूध और क्रीम, सांद्रित नहीं, ना ही अलग से चीनी मिला अथवा अन्य मीठे प्रदार्थ से युक्त, जिसके वसा अंश का भाग 6 प्रतिशत से अधिक न हो

1	2	3
140.	040210.03	बच्चों हेतु दुग्ध पदार्थ, साद्रित अथवा चीनी मिश्रित या अन्य मीठे पदार्थ से युक्त, पाउडर में, दानेदार अथवा अन्य ठोस रूप में, जिनका वसा अंश भार के 1.5 प्रतिशत से अधिक न हो।
141.	040210.09	बच्चों हेतु दुग्ध पदार्थ, साद्रित अथवा चीनी मिश्रित या अन्य मीठे पदार्थ से युक्त, पाउडर में, दानेदार अथवा अन्य ठोस रूप में, जिनका वसा अंश भार के 1.5 प्रतिशत से अधिक न हो
142.	040221.00	दूध और क्रीम, सांद्रित नहीं, ना ही अलग से चीनी मिला अथवा अन्य मीठे पदार्थ से युक्त, जो वजन के 1.5 प्रतिशत से अधिक हो
144.	040229.03	बच्चों हेतु दुग्ध पदार्थ, चीनी मिश्रित या अन्य मीठे पदार्थ से युक्त, दानेदार अन्य ठोस रूप में, जिनका अंश भार से 1.5 प्रतिशत से अधिक हो
145.	040229.03	अन्य दूध और क्रीम, चीनी या अन्य मीठासकारक पदार्थ सहित, पाउडर रूप, दाने के रूप में और ठोस रूप में
146.	040291.00	दूध और क्रीम, चीनी या अन्य मिठासकारक पदार्थ युक्त या अन्य मीठास कारक पदार्थ, अन्य

1	2	3
147.	040299.02	पूरा दूध, चीनी या अन्य मिठासकारक पदार्थ युक्त या अन्य मीठासकारक पदार्थ, अन्य
148.	040299.03	कन्डेन्सड मिल्क, चीनी या अन्य मिठासकारक पदार्थ युक्त या अन्य मीठासकारक पदार्थ, अन्य
149.	040299.09	अन्य दुग्ध और क्रीम, चीनी या अन्य मिठासकारक पदार्थ युक्त या अन्य मीठासकारक पदार्थ, अन्य
155.	040490.00	प्राकृतिक दुग्ध, संगठक से बने अन्य उत्पाद चाहे उसमें चीनी या अन्य मिठासकारक मिले हो या नहीं, एन.ई.एस.
156.	040510.00	दूध से निकाला गया मक्खन
157.	040520.00	डेरी स्प्रैडस
158.	040590.02	घी
159.	040610.00	ताजा चीज, जिसमें व्हे चीज व दही शामिल हैं
163.	040690.00	अन्य चीज
189	070700.00	खीरा ककड़ी ताजी और प्रशीतित
208.	071010.00	आलू, उबले हुए या भाप में पके हुए या न पके, फ्रोजन

1	2	3
232.	071290.06	आलू जो न कटे हुए और पीस कटे हुए, परन्तु और बने हुए नहीं
235.	071420.00	मीठे आलू
237.	071490.09	हाई स्टार्च या इन्यूलीन कन्टेन्ट के साथ अन्य एडिबल स्ट्स और ट्यूबर्स, ताजी या सूखी हुई
238.	080111.00	नारियल, डैसीकेटिड
239.	080119.01	नारियल ताजा
240.	080119.02	नारियल सूखा
243.	080290.01	सुपारी पूरी
244.	080290.02	सुपारी, सप्लिट एण्ड ग्राउण्ड
245.	080290.03	गरियों, एरिका
259.	080610.00	अंगूर ताजा
267.	080940.00	प्लम्स एण्ड स्लोस ताजा
279.	081090.07	लीची ताजा
298.	090111.01	कॉफी, भुना हुआ नहीं, कैफीन रहित नहीं, एराबिका प्लानटेशन
299.	090111.02	कॉफी, भुना हुआ नहीं, कैफीन रहित नहीं, एराबिका प्लानटेशन बी

1	2	3
300.	090111.03	कॉफी, भुना हुआ नहीं, कैफीन रहित नहीं, एराबिका प्लानटेशन सी
301.	090111.09	कॉफी, भुना हुआ नहीं, कैफीन रहित नहीं, एराबिका चैरी ए बी
302.	090111.11	कॉफी, भुना हुआ नहीं, कैफीन रहित नहीं, एराबिका चैरी ए बी
303.	090111.12	कॉफी, भुना हुआ नहीं, कैफीन रहित नहीं, एराबिका चैरी ए बी
304.	090111.13	कॉफी, भुना हुआ नहीं, कैफीन रहित नहीं, एराबिका चैरी ए सी
305.	090111.14	कॉफी, भुना हुआ नहीं, कैफीन रहित नहीं, एराबिका चैरी बी/बी/बी
306.	090111.19	कॉफी, भुना हुआ नहीं, कैफीन रहित नहीं, एराबिका चैरी अन्य ग्रेडस
307.	090111.21	कॉफी, भुना हुआ नहीं, कैफीन रहित नहीं, रौब परचमेन्ट ए बी
308.	090111.22	कॉफी, भुना हुआ नहीं, कैफीन रहित नहीं, रौब परचमेन्ट पी बी
309.	090111.23	कॉफी, भुना हुआ नहीं, कैफीन रहित नहीं, रौब परचमेन्ट सी

1	2	3
310.	090111.23	कॉफी, भुना हुआ नहीं, कैफीन रहित नहीं, रौब परचमेन्ट, अन्य ग्रेडस
311.	090111.31	कॉफी, भुना हुआ नहीं, कैफीन रहित नहीं, रौब चैरी ए बी
312.	090111.32.	कॉफी, भुना हुआ नहीं, कैफीन रहित नहीं, रौब चैरी पी बी
313.	0901111.33	कॉफी, भुना हुआ नहीं, कैफीन रहित नहीं, रौब चैरी सी
314.	090111.34	कॉफी, भुना हुआ नहीं, कैफीन रहित नहीं, रौब चैरी बी/बी/बी
315.	090111.35	कॉफी, भुना हुआ नहीं, कैफीन रहित नहीं, रौब चैरी बल्क
316.	090111.39	कॉफी, भुना हुआ नहीं, कैफीन रहित नहीं, रौब चैरी अन्य ग्रेडस
317.	090112.00	कॉफी, भुना हुआ नहीं, कैफीन रहित
318.	एक्स 090121.00	कॉफी, भुना हुआ नहीं, कैफीन रहित नहीं बल्क पैकेजिंग के अलावा
319.	एक्स 090122.00	कॉफी, भुना हुआ नहीं, कैफीन रहित बल्कि पैकेजिंग के अलावा
320.	090190.00	कॉफी हस्कस और स्किन्स, कॉफी सबस्टीट्यूटस जिनमें कॉफी किसी भी अनुपात में निहित हो

1	2	3
321.	090210.01	हरी चाय पैकेट में जो 25 ग्राम से अधिक न हो
322.	090210.02	हरी चाय पैकेट में जो 25 ग्राम से 1 किग्रा. तक हो परन्तु इससे अधिक नहीं
323.	090210.03	हरी चाय पैकेज में जो 1 किग्रा. से 3 किग्रा. तक हो परन्तु उससे अधिक नहीं
324.	090220.01	हरी चाय पैकेज में जो 3 किग्रा. से 20 किग्रा. तक हो परन्तु उससे अधिक नहीं
325.	090220.02	हरी चाय थोक में
326.	090220.03	हरी चाय (बॉल ब्रिक टेबलेट इत्यादि)
327.	090220.04	हरी चाय वेस्ट
328.	090230.01	काली चाय पैकेट में जो 25 ग्राम से अधिक न हो
329.	090230.02	काली चाय पैकेट में जो 25 ग्राम से अधिक परन्तु 1 किग्रा. से अधिक न हो
330.	090230.03	काली चाय पैकेट में जो 1 ग्राम से अधिक परन्तु 3 किग्रा से अधिक न हो
331.	090240.01	पैकेट्स में काली चाय 3 किग्रा. से अधिक परन्तु 20 किग्रा. से अधिक नहीं

1	2	3
332.	090240.02	काली चाय, पत्ती थोक में
333.	090240.03	काली चाय, डस्ट थोक में
334.	090240.04	टी बैग्स
335.	090240.05	काली चाय (बॉल, ब्रिक टेबलेटस इत्यादि)
336.	090240.06	अवशिष्ट काली चाय
351.	090420.09	जमायका काली मिर्च, शुष्कित या कुटी या पिसी हुई
360.	090830.01	बड़ी इलायची
363.	090830.04	इलायची, स्माल ब्लीचड, हाफ ब्लीचड अथवा ब्लीचेबल
364.	090830.06	इलायची छोटी मिली हुई
365.	090830.07	इलायची पाउडर
401.	091099.31	इलायची का छिलका
423.	110100.00	गेहूं अथवा मैसलीन आटा
425.	110220.00	मक्के का आटा
426.	110230.00	चावल का आटा
427.	110290.00	अन्य अनाज का आटा
434.	110321.00	गेहूं की गोलियां
435.	110329.00	अन्य अनाज की गोलियां

1	2	3
443.	110430.00	अनाज के बीज, पूरे रोल्ड, फ्लेक्ड अथवा पिसे हुए
448.	110620.00	मैनीओक का आटा व भोजन
477.	121190.18	चन्दन की लकड़ी के चिप्स तथा डस्ट
478.	121190.27	चन्दन की लकड़ी के चिप्स
483.	121190.38	नीम के बीज
488.	पूर्व 121210.00	लोकस्ट बीन्स, उनमें अन्य सीड क्वालिटी के अतिरिक्त बीन सीडस
489.	121230.09	खुबानी स्टोन्स, आडू या पलंप स्टोन्स तथा दाने
503.	130219.06	नीम का सत
506.	140420.00	कॉटन लिटर्स
507.	140490.01	बीडी लपेटने के पत्ते
509.	140490.05	पान के पत्ते
511.	140490.07	भारतीय कत्था
512.	पूर्व 140490.19	अन्य क्रूड सब्ज पदार्थ, अभोज्य एन.ई.एस., विशिष्ट क्रूड ड्रग्स के अतिरिक्त
571.	160100.00	मांस, मांस के छिछड़े या रक्त के सोसेजस तथा सामान उत्पाद, इन उत्पादों पर आधारित खाद्य वस्तु

1	2	3
575.	160232.00	ग्लुस डामैस्टिक्स जाति के मुर्गे की तैयार सामग्री
576.	160239.00	अन्य पॉलट्री की तैयार सामग्री
577.	160241.00	उनके हैम्स तथा कटस
578.	160242.00	सूअर के कंधे तथा टुकड़े
579.	160249.00	सूअर की अन्य तैयार सामग्री
585.	160413.01	सरडाइनस, सरडीनेला तय ब्रिस्टलिंग, सम्पूर्ण अथवा टुकड़ों में परन्तु पिसा नहीं
586.	160413.02	स्प्रैटस, पूर्ण अथवा टुकड़ों में परन्तु पिसा नहीं
587.	160414.01	टूनाज पूर्ण अथवा टुकड़ों में परन्तु पिसा नहीं
588.	160414.09	स्किपजैक तथा एटलांटिक गंनिटो, पूर्ण अथवा टुकड़ों में परन्तु पिसा नहीं
589.	160415.00	मैकरेल पूर्ण अथवा टुकड़ों में परन्तु पिसा नहीं
590.	160416.00	एन्कोवाइस पूर्ण अथवा टुकड़ों में परन्तु पिसा नहीं
591.	160419.00	अन्य मछली, पूर्ण अथवा टुकड़ों में परन्तु पिसा नहीं
592.	160420.00	अन्य तैयार अथवा परिरक्षित मछली
593.	160430.00	केवियार तथा केवियार सब्सीटयूट्स
600.	पूर्व 170211.00	लैक्टोस तथा लैक्टोस शर्बत जिनमें भार का 99 प्रतिशत या अधिक लैक्टोस निहित हो ठोस रूप के अतिरिक्त
601.	पूर्व 170219.00	अन्य लैक्टोस तथा लैक्टोस शर्बत, ठोस रूप के अतिरिक्त
602.	पूर्व 170220.00	मैप्स चीनी तथा मैपल शर्बत, ठोस रूप के अतिरिक्त
612.	190110.01	मालटिड दूध (जिनमें शिशु के उपयोग का पाउडर शामिल है), फुटकर बिक्री के लिए
613.	190110.09	शिशु के लिए काल्ट सत, फुटकर बिक्री के लिए
642.	200410.01	आलू के चिप्स, फ्राइड, फ्रोजन
691.	पूर्व 210111.02	कॉफी सुरोमा, इन्सटैंट काफी के अतिरिक्त
692.	पूर्व 210111.09	कॉफी के अन्य निस्सार सुगन्धे तथा कान्सैन्ट्रेटस तथा उन पर आधारित तैयार सामग्री, इन्सटेंट काफी के अतिरिक्त
693.	पूर्व 210112.00	निस्सार, सुगन्धे तथा कान्सैन्ट्रेटस के आधार पर अथवा कॉफी के आधार पर तैयार

1	2	3
694.	210120.01	इन्सटैंट टी
695.	210120.02	क्विक ब्रीउइंग ब्लैक टी
696.	210120.03	टी अरोमा
697.	210120.09	चाय अथवा मेट के अन्य निस्सार, सुगन्धे तथा कान्सन्ट्रेंटस तथा उन पर आधारित तैयार सामग्री
699.	210130.09	अन्य रोस्टेड कॉफी सब्सीट्यूटस, उनके निस्सार सुगन्धे तथा कान्सैन्ट्रस
718.	220300.00	माल्ट से बनी वीयर
719.	220410.00	चमकीली शराब
720.	220421.01	पोर्ट और अन्य लाल शराब, 21 या उससे कम क्षमता वाले पात्रों में
721.	220421.02	शरी और अन्य सफेद शराब, 21 या उससे कम क्षमता वाले पात्रों में
722.	220421.09	अन्य खराब, अंगूर के अलावा, आवश्यक रूप में 21 या उससे कम क्षमता वाले पात्रों में
723.	220429.01	पोर्ट और अन्य लाल शराब, अन्य
724.	220429.02	शैरी और अन्य सफेद शराब, अन्य
725.	220429.09	अन्य शराब जिसमें अंगूर अवश्य शामिल हो, अन्य
726.	220430.00	अन्य अंगूर अनिवार्यतः, अन्यथा वाष्पित, सान्द्रित इत्यादि अल्कोहल से की गई हो
727.	220510.00	वरमाऊथ और अन्य शराब, ताज़ा अंगूरों की, पौधों अथवा अन्य पदार्थों से सुगंधित की गई, 21 अथवा उससे कम क्षमता के पात्रों में
728.	220590.00	वरमाऊथ और अन्य शराब, ताजा अंगूरों की पौधों अथवा सुगंधित पदार्थों से स्वाद युक्त, अन्य
729.	220600.00	अन्य फर्मेन्टेड बीवरेजेस (साइडर, पेरी, मीड)
730.	220710.01	रेक्टी फाइड स्प्रिट
731.	220710.09	अनडेन्यर्ड इथाइल अल्कोहल जो वाल्यूम में 80 प्रतिशत या उससे अधिक क्षमता की हो, अन्य
732.	220820.00	स्प्रिट, डिस्टिलिंग अंगूर की शराब अथवा अंगूर मार्क द्वारा प्राप्त की गई
733.	220830.00	व्हिस्की
734.	220840.00	रम और टाफिया

1	2	3
735.	220850.00	जिन और जेनेवा
736.	220860.00	वोदका
737.	220870.00	लेक्वेयर्स और कोर्डियलिस
738.	220890.00	अनडेन्चर्ड इथाइल अल्कोहल जो वाल्यूम में 80 प्रतिशत या उससे अधिक क्षमता की हो, अन्य
785.	230890.00	अन्य वास्पतिक सामग्रियां और वनस्पति अपशिष्ट, वनस्पति अवशिष्ट और उप उत्पाद, जो पशु चारे में प्रयुक्त होने वाली किस्म के हों
786.	230910.00	कुत्ते अथवा बिल्ली का भोजन, खुदरा बिक्री हेतु
789.	230990.09	पशु के भोजन में प्रयुक्त होने वाली अन्य सामग्रियां
790.	240210.01	बाडियां
792.	240210.09	सिगारिलो, तम्बाकू युक्त
793.	240220.00	सिगरेट, तम्बाकू युक्त
794.	240290.00	सिगार, युस्ट, सिगारिलो और सिगरेट जो तम्बाकू के विकल्प युक्त पदार्थ से निर्मित हों
795.	240310.01	हुक्का अथवा गुड्कु तम्बाकू

1	2	3
796.	240310.09	अन्य, धुम्रपान वाला तम्बाकू
797.	240391.00	होमोजिनाइज्ड अथवा रीकांस्टीट्यूटेड तम्बाकू
798.	240399.01	चबाने वाला तम्बाकू
799.	240399.02	जर्दा सुगंध युक्त तम्बाकू
800.	240399.03	स्नफ
801.	240399.04	तम्बाकू निस्सारित और सुगंधें
802.	240399.09	तम्बाकू विनिर्मित, एन.ई.एस.
40.	030211.00	ट्राउट, ताजा और प्रशीतित
43.	030221.00	हलिबट, ताजा और प्रशीतित
44.	030222.00	प्लाइ, ताजा और प्रशीतित
45.	030223.00	सोले, ताजा और प्रशीतित
46.	030229.00	अन्य फ्लेट फिश, जिनमें लीवर और रो शामिल नहीं हैं
47.	030231.00	अल्वाकोर या लम्बे फिन वाले टुनस ताजे और प्रशीतित
48.	030232.00	यलोफिन टुनस, ताजे और प्रशीतित
49.	030233.00	स्किपजेक या स्ट्रिप-बेल्लाइड बोनिटो, ताजे या प्रशीतित
50.	030239.00	अन्य टुनस जिनमें लीवर और रो शामिल नहीं हैं, ताजे और प्रशीतित

1	2	3
51.	030240.00	हेरिंग्स, जिनमें लीवर और रो शामिल नहीं है ताजे या प्रशीतित
52.	030250.00	कोड जिनमें लीवर और रो शामिल नहीं है, ताजे और प्रशीतित
53.	030261.00	सरडाइन्स, सरडिजेला, ब्रिस्लिंग या स्प्रेट्स ताजे या प्रशीतित
54.	030262.00	हड्डोक, ताजे और प्रशीतित
55.	030263.00	कोल फिश, ताजा और प्रशीतित
56.	030264.00	मैकेरेल, ताजा और प्रशीतित
59.	030269.02	दारा जिनमें लीवर और रो शामिल नहीं हैं, ताजे और प्रशीतित
60.	030269.03	प्रोमफ्रेट जिनमें लीवर और रो शामिल नहीं हैं, ताजे और प्रशीतित
61.	030269.09	सभी अन्य मत्स्य जिनमें लीवर और रो शामिल नहीं है, ताजे और प्रशीतित
62.	030270.00	फिश लीवर और रो, ताजा और प्रशीतित
64.	030321.00	ट्राडर जिनमें लीवर और रो शामिल नहीं है, जमा हुआ
67.	030331.00	हलिबर, जिनमें लीवर और रो शामिल नहीं है, जमा हुआ
68.	030332.00	प्लेइस, जिनमें लीवर और रो शामिल नहीं हैं, जमा हुआ
69.	030333.00	सोले, लीवर और रो शामिल नहीं है, जमा हुआ
70.	030339.00	अन्य प्लेट फिश, जिनमें लीवर और रो शामिल नहीं है, जमा हुआ
71.	030341.00	एल्बाकोर और लम्बे फिन वाले टुनस जिनमें लीवर और रो शामिल नहीं है, जमा हुआ
72.	030342.00	यलो फिन टूनस जिनमें लीवर और रो शामिल नहीं है, जमा हुआ
73.	030343.00	स्किपजैक या स्ट्रिप-बेलाइड बोनिटो, जिनमें लीवर और रो शामिल नहीं है, जमा हुआ
74.	030349.00	अन्य टूनस जिनमें लीवर और रो शामिल नहीं है, जमा हुआ
75.	030350.00	हेरिंग्स जिनमें लीवर और रो शामिल नहीं है, जमा हुआ
76.	030360.00	कोड, जिनमें लीवर और रो जमा हुआ
77.	030371.00	सरडाइन्स, सरडाइनेला, ब्रिसलिंग या स्परेटस, जिनमें लीवर और रो शामिल नहीं है

1	2	3
78.	030372.00	हेड्डोक, जिसमें लीवर और रो शामिल नहीं है, जमा हुआ।
79.	030373.00	कोलपिस, जिसमें लीवर और रो शामिल नहीं है, जमा हुआ
80.	030374.00	मैक्रल, जिनमें लीवर और रो शामिल नहीं है, जमा हुआ
83	030377.00	सी बैस जिनमें लीवर और रो शामिल नहीं है जमा हुआ
85.	030379.02	दारा जिनमें लीवर और रो शामिल नहीं है जमा हुआ
86.	030379.03	रिब्बन फिश जिनमें लीवर और रो शामिल नहीं, जमा हुआ
87.	030379.04	सीर, जिनमें लीवर और रो शामिल नहीं है, जमा हुआ
88.	030379.05	पोमफ्रेट, ह्वाइट और सिल्वर जिनमें लीवर और रो शामिल नहीं है, जमा हुआ
89.	030379.07	पोमफ्रेट ब्लैक, जिनमें लीवर और रो शामिल नहीं है, जमा हुआ
90.	03037S.08	घोले जिनमें लीवर और रो शामिल नहीं है जमा हुआ
91.	030379.11	थ्रेड फिन, जिनमें लीवर और रो शामिल नहीं है जमा हुआ
93.	030379.19	अन्य जमा हुआ मत्स्य जिनमें लीवर और रो शामिल नहीं है
94.	030380.00	फिश लीवर और रो जमा हुआ
95.	030410.00	फिश पिलेट और अन्य फिस मांस ताजा या प्रशीतित
96.	030420.01	हिल्सा, जमा हुआ फिलेट
98.	030420.05	सीर जमा हुआ फिलेट
99.	030420.06	तुना जमा हुआ फिलेट
101.	030420.09	अन्य जमा हुआ फिस फिलेट एन.ई.एस.
102.	030490.00	अन्य जमा हुआ मत्स्य मांस
103.	030510.00	मानव उपभोग के लिए उचित मत्स्य का फ्लोर्स, मील्स एंड पिल्लेट
104.	030520.00	फिश लीवर्स और रोस शुष्कित, धूमित, नमकीन या खारे पानी में
105.	030530.00	फिश फ्लेट शुष्कित नमकीन और खारे पानी में लेकिन धूमिल नहीं
107.	030542.00	हेरिंग्स धूमित फिलेट सहित
108.	030549.00	अन्य धूमित फिश फिलेट सहित

1	2	3
109.	030561.00	हेरिंग्स, नमकीन लेकिन शुष्कित या धूमित और फिन इन ब्राइन वाले नहीं
110.	030562.00	कोड, नमकीन लेकिन शुष्कित या धूमित और फिश इन ब्राइन वाले नहीं
111.	030563.00	एनकबेजीज नमकीन लेकिन शुष्कित या धूमित और फिश इन ब्राइन वाले नहीं
112.	030569.01	बम्बई डक, नमकीन लेकिन शुष्कित या धूमित नहीं
113.	030569.02	बिना सिर वाला सीर लेकिन शुष्कित या धूमित नहीं
114.	030569.03	स्पेरेट्स, नमकीन लेकिन शुष्कित या धूमित नहीं
115.	030569.09	अन्य फिश, नमकीन लेकिन शुष्कित या धूमित
161.	040630.00	प्रोसस्ड चीज, ग्रेटेड या पाउडर में नहीं
164.	040811.00	ड्राइड एग योक
165.	040819.00	एग योक, अन्य
166.	040891.00	अन्य पक्षियों के अंडे, सेंल में नहीं, सूखे हुये
167.	040899.00	अन्य पक्षियों के अंडे सेल में नहीं, अन्य

1	2	3
175.	070310.02	छोटे प्याज ताजे या शीतित
176.	070390.00	लीक्स और अन्य एलिएसीयस सब्जियाँ, ताजे या शीतित
177.	070410.00	फूलगोभी और हेडेड फूलगोभी ताजी या शीतित
179.	070490.00	अन्य बन्दगोभी और खाद्य ब्रासीक्स ताजे या शीतित
254.	080510.00	सन्तरे ताजे या सूखे हुए
273.	081090.01	ताजा अनार
370.	पूर्व 090930.02	क्यूमिन, काली के अलावा बोआई और वृक्षारोपण के अलावा
376.	091010.03	अदरख, ब्लीच्ड
377.	091010.04	अदरख, पाउडर
378.	091010.09	सूखे अदरख सहित अन्य अदरख
388.	091091.02	मसालों का मिश्रण
389.	091091.09	शीर्षक संख्या 09.10 के उत्पादों के अन्य मिश्रण
393.	091099.13	जीरा पाउडर
394.	091099.14	सेलरी पाउडर

1	2	3
395.	091099.15	फेनोग्रीक पाउडर
424.	110210.00	रे फ्लोर
428.	110311.01	सूची सहित गेहूं का दलिया
429.	110311.02	गेहूं का खाद्य
430.	110312.00	जई का दलिया और आटा
431.	110313.00	मकई का दलिया और आटा
432.	110314.00	चावल का दलिया और आटा
433.	110319.00	अन्य अनाजों का दलिया और आटा
436.	110411.00	जौ का रोल्ड या फ्लैक्ट अनाज
437.	110412.00	जई का रोल्ड या फ्लैक्ट अनाज
438.	110419.00	अ्य अनाजों का रोल्ड या फ्लैक्ट अनाज
439.	110421.00	जौ का अन्य प्रसंस्कृत अनाज
440.	110422.00	जई का अन्य प्रसंस्कृत अनाज
441.	110423.00	मकई का अन्य प्रसंस्कृत अनाज
442.	110429.00	अन्य अनाजों का अन्य प्रसंस्कृत अनाज

1	2	3
446.	110610.00	सूखी फलीदार सब्जियों का आटा और पाउडर
447.	110620.01	सावू दाने का आटा
450.	110630.01	आटा, आम
451.	110630.02	इमली का आटा और पाउडर
479.	121190.34	तुलसी हाईसोप, रोजमेरी, सेज, सेवरी
480.	121190.35	केनबोज फ्रूट रिंड
481.	121190.36	अजवायन
482.	121190.37	स्टार एनिस
565.	151790.01	साल फैट (प्रोसैसड एंड रिफाइंड)
580.	160290.00	मीट की अन्य तैयार सामग्री, किसी भी जानवर के खून की प्रेप्रेशन्स सहित
581.	160300.01	मीट एक्सट्रैक्टस और मीट जूसेस
583.	160411.00	सालमन, पूरा और टुकड़ों में, परन्तु पिसा हुआ नहीं
584.	160412.00	हैरिंग्स, पूरा और टुकड़ों में, परन्तु पिसा हुआ नहीं
603.	170230.01	ग्लुकोस तरल, जिसमें फ्रक्टोज सम्मिलित न हो या फ्रक्टोज के भार के 20 प्रतिशत से कम ड्राईस्टेट में निहित हो

1	2	3
604.	170230.03	पूर्व एक्स डैक्सट्रोज, ठोस रूप के अलावा
605.	170240.01	ग्लूकोज तरल, सूखी अवस्था में कम से कम 20% किन्तु भार में 50% से कम फ्रक्टोज
606	170240.03	पूर्व एक्स डैक्सट्रोज, सूखी अवस्था में 20% से कम किन्तु भार में 50% से कम फ्रक्टोज, ठोस रूप के अलावा
607.	170260.00	पूर्व रासायनिक रूप से शुद्ध फ्रक्टोज, ठोस रूप के अलावा
608.	170260.00	पूर्व अन्य फ्रक्टोज और फ्रक्टोज शर्बत, सूखी अवस्था में फ्रक्टोज के भार के 50% से अधिक, ठोस रूप के अलावा
609.	170290.09	पूर्व अन्य शुगर्स, इन्वर्ट शुगर सहित, ठोस रूप के अलावा
614.	190120.00	शीर्षक सं. 19.05 के बेकर्स के प्रेप्रेशन्स के लिए मिक्सेज और डक्स
621.	190300.00	टेपियोके का और इसके लिए सब्स्टीच्युट्स, द फ्लेक्स, ग्रेन्स, पर्लस, सिफ्टिंग के रूप में या समान रूपों में, स्टार्च से तैयार किए गए
623.	190410.03	बल्गर व्हीट
624.	190410.9	अनाज उत्पादों या अनाजों स्वैलिंग और रोस्टिंग द्व प्राप्त किए गए अन्य तै खाद्य
625.	190420.00	अनरोस्टेड अनाज के फ्ले या अनरोस्टेड अनाज फ्लेक्स के मिक्सचर से अ रोस्टेड अनाज के फ्लेक्स स्वॅल्ड अनाज के प्राप्त तै खाद्य
631.	200110.00	कुकुम्बर्स और गारीकन विनेगर और एसेटिक एसि में तैयार किए गए और प्रि किए गए
632.	200120.00	प्याज विनेगर और एसेटि एसिड से तैयार किए गए अ प्रिजर्व किए गए
633.	200190.01	मिर्च का अचार
634.	200190.02	हरा अचार
635.	200190.03	आम का अचार
636.	200190.04	आम की चटनी
637.	200190.05	टमाटर की चटनी और पे
638.	200190.06	नींबू की चटनी
639.	200190.07	इमली का पेस्ट, कन्सन्ट्रे प्यूरी

1	2	3
640.	200190.09	अन्य सब्जियां, फल, गिरियां, या पौधों के अन्य खाद्य भाग जो कि विनेगर या एसेटिक एसिड द्वारा तैयार किए गए या प्रिजर्व किए गए हो
641.	200310.00	मशरूम्स, विनेगर या एसेटिक एसिड से अन्य तरीके से तैयार किए गए या प्रिजर्व किए गए
644.	200490.00	अन्य सब्जियां और सब्जियों के मिक्सचर्स, विनेगर या एसेटिक से अन्य तरीके से तैयार की गई या प्रिजर्व की गई फ्रोजेन
645.	200510.00	होमोजेनाइज्ड सब्जियां, जो फ्रोजन न हो
655.	200710.00	फ्रूट या नट पयूरी और फ्रूट या नट पेस्ट की होमोजेनाइज्ड प्रेपेशन्स, पकाई जाने वाली प्रेपेशन्स
663.	200819.01	काजू, रोस्टेड, और/या साल्टेड
675.	200899.01	मैंगो स्क्वैश
676.	200899.02	लेमन स्क्वैश
677.	200899.03	आरेन्ज स्क्वेश
678.	200899.04	पाइन एप्पल स्क्वैश
700.	210230.00	तैयार बेकिंग पाउडर

1	2	3
705.	210420.00	होमोजेनाइज्ड कम्पोजिट फूड प्रेपेशन्स
706.	210690.01	सॉफ्ट ड्रिन्क कन्स्ट्रेट्स
740.	220900.02	सिन्थेटिक विनेगर
791.	240210.02	सिगार और रोल्ट्स
353.	090610.01	रोज पत्ती, न तो दर दरा न तो क्रश हुआ
354.	090610.02	हाथ चीनी न दर तो दरा न ही कुटा हुआ
355.	090610.03	हाथ चीनी के पेड के फूल, न तो दरदरा न ही कुटा हुआ
356.	090620.00	दाल चीनी और दाल चीनी के पेड के फूल, न तो दरदरा न कुटा
357.	090700.01	लौंग, निस्तारित
358.	090700.02	लौंग, गैर निस्तारित
359.	090700.03	लौंग के तने
383.	091040.01	तेज पत्ता
403.	100110.00	बीज गुणवत्ता के अलावा पूर्ण ड्रम गेहूं
404.	100190.92	मानव खपत के लिए गेहूं (बीज नहीं)
405.	100190.03	बीज गुणवत्ता के अलावा, पूर्व मेसलिन

1	2	3
406.	100200.00	बीज गुणवत्ता के अलावा, पूर्व राई
407.	100300.00	बीज गुणवत्ता के अलावा, पूर्व जौ
408.	100400.00	बीज गुणवत्ता के अलावा, पूर्व जई
409.	100590.00	केवल मुर्गी या पशुओं के चारे के लिए उपयुक्त मकई के चारे की किस्म के अलावा पूर्व मकई
410.	100610.00	बीज गुणवत्ता के अलावा भूसी में पूर्व चावल
411.	100620.00	भूसी (भूरी) चावल
412.	100630.01	चावल, पर बाल्ड
413.	100630.02	बासमती चावल
414.	100630.09	अन्य चावल
415.	100640.00	टुकड़ा चावल
416.	100700.00	बीज गुणवत्ता के अलावा पूर्व अनाज सोरगम
417.	100810.00	बीज गुणवत्ता के अलावा, पूर्व फाफर
418.	100820.01	बीज गुणवत्ता के अलावा पूर्व जवार
419.	100820.03	बीज गुणवत्ता के अलावा पूर्व बाजरा
420.	100820.04	बीज गुणवत्ता के अलावा पूर्व रेगी
421.	100830.00	बीज गुणवत्ता के अलावा पूर्व कनेरी बीज
422.	100890.00	बीज गुणवत्ता के अलावा पूर्व अन्य बीज
458.	120300.00	कोपड़ा
528.	151311.00	कच्चा नारियल तेल
529.	151319.00	परिष्कृत नारियल तेल
763.	230640.02	लरिया अथवा कोलजा बीजों की निस्तारित (वसा रहित) किस्म की खली और खली का चूर्ण
764.	230650.01	नारियल का खोपड़ा की एक्सपेलर किस्म की खली और खली का चूर्ण

[अनुवाद]

विभिन्न उत्पादों का पेटेण्ड

808. डा. एस. वेणुगोपाल :
श्री माधवराव सिंधिया :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि कई देश विभिन्न पारंपरिक और पौराणिक भारतीय उत्पाद जैसे नीम, हल्दी और विभिन्न सब्जियों, जड़ी-बूटियों और पौधों जो केवल हमारे देश में ही उपलब्ध है तथा अन्य भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में वर्णित है, का पेटेण्ट हासिल कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) दूसरे देशों द्वारा स्वदेशी चीजों को पेटेण्ट कराने से रोकने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) से (ग) विभिन्न देशों की सरकारों द्वारा अपने-अपने पेटेंट कानूनों के तहत पेटेंट प्रदान किये जाते हैं। जब भी किसी ऐसे उत्पाद के संबंध में पेटेंट प्रदान करने की सूचना प्राप्त होती है, जो पेटेंटनीय न समझा जाता हो, तो इस प्रकार के पेटेंट की चुनौती देने संबंधी कार्यवाही का मूल्यांकन किया जाता है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अनिवासी भारतीयों के निवेश

809. **श्री दिलीप कुमार मनसुख लाल गांधी :** क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश के लिए अनिवासी भारतीयों को आकर्षित करने हेतु एक योजना बनाने का निश्चय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) और (ख) अनिवासी भारतीयों के लिए लागू निवेश नीति समग्र विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति अपनाने वाले सरकारी क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के निकायों के लिए समान रूप से लागू है।

[हिन्दी]

बचत दर

810. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में बचत दर घट रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा बचत योजनाओं में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन के पास उपलब्ध अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, वर्तमान बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सकल घरेलू बचत के रूप में मापी गई बचत दर नई श्रृंखला (आधार 1993-94) के अनुसार 1993-94 में 21.8 प्रतिशत, 1996-97 में 24.4 प्रतिशत थी और यह घटकर 1997-98 में 23.1 प्रतिशत हो गई। 1997-98 के दौरान मापित बचत दर में गिरावट मुख्यतया वास्तविक परिसम्पत्तियों के रूप में घरेलू बचतों में कमी के कारण आई है। आम तौर पर, बचत का सकल स्तर अनेक कारकों से निर्धारित होता है जैसे कि अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर, राजकोषीय घाटे का स्तर, कर सम्बन्धी नीतियां, मुद्रास्फीति, बैंकिंग प्रणाली और पूंजी बाजारों की कार्यकुशलता और अर्थव्यवस्था में विश्वास आदि। सरकार द्वारा 1991 के बाद से शुरू किए गए विभिन्न आर्थिक सुधारों का सकल बचतों के स्तर पर अनुकूल प्रभाव पड़ने की आशा है।

[अनुवाद]

श्रीलंका से आयात

811. **श्री वरकला राधाकृष्णन :** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार ने श्रीलंका से निशुल्क आयात की जाने वाली वस्तुओं की सूची से कॉयर और कॉयर उत्पादों को निकालने के लिए अनुरोध किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) से (ग) दिनांक 1.8.1998 से लागू शुल्कों के भुगतान पर सार्क देशों से कॉयर एवं कॉयर उत्पादों का मुक्त रूप से आयात किया जाता है। केरल सरकार से कॉयर एवं कॉयर उत्पादों को भारत-श्रीलंका मुक्त व्यापार करार की निषेधात्मक सूची में शामिल करने के बारे में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ताकि इन उत्पादों के आयात पर टैरिफ रियायतें उपलब्ध न हो सकें। हालांकि दोनों पक्षों द्वारा जिन मदों पर टैरिफ रियायतें प्रदान की जाएगी उन मदों की निषेधात्मक सूचियों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है, तथापि कॉयर एवं कॉयर उत्पादों को भारत की निषेधात्मक सूची में बनाए रखने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

भारतीय वस्त्र पर पाटन-रोधी शुल्क

812. **श्री श्रीपाद येसो नाईक :** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूरोपीय संघ ने विभिन्न प्रकार के भारतीय वस्त्रों पर पाटन-रोधी शुल्क लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू वर्ष की प्रथम छमाही और पिछले वर्ष की उसी अवधि के दौरान यूरोपीय संघ के देशों को कितने वस्त्र का निर्यात किया गया और वह कितनी धनराशि का था; और

(घ) इस मुद्दे को हल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) और (ख) यूरोपीय संघ ने भारतीय वस्त्र निर्यातों की विभिन्न किस्मों के विरूद्ध उनके सामने दर्शाए गए ब्यौरों के अनुसार पाटनरोधी शुल्क लगाया है।

वस्तु	ब्यौरा
1	2
1. पोलिस्टर यार्न	अप्रैल 1992 में 2% से लेकर 7.8% तक निश्चित शुल्क लगाए गए थे जो दिसम्बर, 1994 में एक समीक्षा के बाद वापस ले लिए गए थे।
2. पोलिस्टर के कृत्रिम फाईबर	जनवरी 1993 में 7.2% का निश्चत शुल्क लगाया गया जो पांच वर्षों के पूरा हो जाने के बाद 15 जनवरी, 1998 को समाप्त हो गया था।
3. अनब्लीच्ड सूती फैब्रिक	दिसम्बर, 1996 तथा अप्रैल, 1998 में 4.9% से लेकर 17.2% तक अनन्तिम शुल्क लगाए गए थे। अन्तिम शुल्क लगाने के यूरोपीय संघ के प्रस्तावों को दोनों अवसरों पर यूरोपीय संघ द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था।
4. कॉटन टाईप बैड लिनेन	दिसम्बर, 1997 में 2.6% से लेकर 24.7% तक अनन्तिम शुल्क लगाया गया था।

(ग)

क्र.सं.	उत्पाद	अवधि	मात्रा हजार पीसों में	मूल्य	
				अमरीकी डालर हजारों में	रुपए हजारों में
1.	परिधान मदें	अप्रैल-सितम्बर 1998	2533	7416	310359
		अप्रैल-सितम्बर 1999	2581	7651	330716

	उत्पाद	अवधि	मात्रा टनों में	मूल्य	
				मिलियन अमरीकी डालर में	मिलियन रुपए में
2.	अन्य वस्त्र मदें	अप्रैल-सितम्बर 1998	80315.80	445.19	18573.31
		अप्रैल-सितम्बर 1999	71793.99	357.77	15441.27

(घ) पाटन-रोधी मामलों में बचाव करना मुख्यत: लक्षित भारतीय कंपनियों की जिम्मेदारी है। भारत सरकार पाटन-रोधी मुकदमें में एक पार्टी नहीं है। तथापि, भारत सरकार घरेलू उद्योग को निर्यात संवर्द्धन परिषदों के जरिए तथा यूरोपीय आयोग में उनके मामलों का बचाव करने के लिए विभिन्न यूरोपीय देशों में अपने मिशनों के जरिए भी सहायता प्रदान करती है।

[अनुवाद]

सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया

813. डा. जयन्त रंगपी : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया की लाभ में चल रही इकाइयों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या सरकार सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया की इकाइयों के निजीकरण की योजना बना रही है; और

(ग) यदि हां, तो सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया के निजीकरण के संबंध में सरकार की क्या नीति है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) असम राज्य में स्थित सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया की बोकाजन यूनिट पिछले तीन वर्षों से नियमित निवल रूप से लाभार्जन कर रही है।

(ख) चूंकि, सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लगातार हानि उठा रही थी, इसलिए, सरकार ने एकल (इंडिविजुअल) इकाइयों को बेचने की संभावनाओं के साथ विभिन्न उपचारात्मक उपायों पर विचार किया था।

तद्नुसार, एक इकाई अर्थात् येरागुंटला (विस्तार सहित) को खुली (ओपन) निविदा के आधार पर 1997 के दौरान एक प्राइवेट को बेच दिया था। इसके अलावा, 3 अजैव्य इकाइयों अर्थात् अकलतारा, मंढार और चरखी दादरी की बिक्री के लिए विश्व स्तर पर निविदाएं आमंत्रित की गई हैं।

(ग) सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया, सिका (एस.आई.सी.ए.) के प्रावधानों के तहत अप्रैल, 1996 से ही बी.आई.एफ.आर. को संदर्भित है, इसलिए, इन इकाइयों का निजीकरण करना कंपनी के पुनरूद्धार के बारे में अब बी.आई.एफ.आर. के आदेश पर निर्भर करता है। येरागुंटला इकाई की बिक्री और प्रस्तावित 3 अजैव्य इकाइयों को बेचना बी.आई.एफ.आर. को सहमति से है।

[हिन्दी]

नाबार्ड

814. श्री महेश्वर सिंह : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) किसानों को 2 से 3 प्रतिशत की ब्याज दर पर ऋण मुहैया कराता है;

(ख) क्या किसानों को अल्पावधि फसल ऋण सिर्फ 12 से 19 प्रतिशत की ब्याज दर पर मिलता है;

(ग) यदि हां, तो नाबार्ड द्वारा लिए जा रहे ब्याज और किसानों द्वारा लिए गए ऋणों पर देय ब्याज में इतने अधिक अंतर के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा किसानों को कम ब्याज दर पर अल्पावधि ऋण उपलब्ध सुनिश्चित कराने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) गैर कृषि क्षेत्र सहित कृषि एवं सम्बद्ध क्रियाकलापों के लिए अल्पावधि, मध्यावधि और दीर्घावधि क्रियाकलापों हेतु सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा वाणिज्यिक बैंकों को पुनर्वित्त सहायता प्रदान करता है। निवेश ऋण के लिए बैंकों को दिए जाने वाले पुनर्वित्त पर ब्याज की न्यूनतम दर 6.5 प्रतिशत तथा फसल ऋण के लिए ब्याज की दर 5.5 प्रतिशत से 8 प्रतिशत के बीच होती है जो नाबार्ड की पुनर्वित्त सहायता पर बैंकों की निर्भरता कितनी है इस पर आधारित होती है।

तथापि, पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम में कार्य कर रहे सहकारी बैंकों और सभी सहकारी बैंकों को आदिवासी जनसंख्या विकास (डी.टी.पी.) सीमा के अंतर्गत आदिवासियों का वित्त पोषण करने के लिए किए जाने वाले पुनर्वित्त पोषण पर बिना उनके निर्भरता स्तर पर ध्यान दिए 5.5 प्रतिशत की न्यूनतम दर पर ब्याज प्रभारित किया जाता है। मौसमी कृषि परिचालनों (एस.ए.ओ.) के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को दिए जाने वाले नाबार्ड के पुनर्वित्त पर ब्याज की दर 7 प्रतिशत है।

(ख) से (घ) अंतिम उधारकर्ताओं को दिए गए ऋणों पर सहकारी ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा प्रभारित की जाने वाली ब्याज की दरों को सभी उधार स्तरों के लिए न्यूनतम 12% वार्षिक के अध्यधीन 2 नवम्बर, 1994 से अविनियमित कर दिया गया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा प्रभारित किए जाने वाली ब्याज की दरों को भी 26 अगस्त, 1996 से पूरी तरह से अविनियमित कर दिया गया है।

अविनियमित ब्याज के क्षेत्र में ऋणों पर प्रभारित ब्याज की दर स्वयं बैंक द्वारा निर्धारित की जाती हैं और यह अन्य बातों के साथ-साथ संसाधन जुटाने की औसत लागत, नाबार्ड की पुनर्वित्त सहायता पर निर्भरता के स्तर, ऋणदात्री परिचालनों को पूरा करने के उद्देश्य से विभिन्न स्तरों पर बनाए रखे जाने वाले मार्जिनों सहित कई मदों पर निर्भर करता है। न्यून दर नाबार्ड से उपलब्ध पुनर्वित्त ऋणदात्री संस्थाओं को अपने संसाधन की औसत लागत को कम करने में मदद देता है। तथापि, ग्रामीण ऋण दात्री संस्थाओं द्वारा दिए गए फसल ऋणों का एक बड़ा हिस्सा ऐसी संस्थाओं द्वारा जुटाए गए संसाधनों से प्राप्त होता है जिसकी लागत नाबार्ड की पुनर्वित्त की दरों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक होती है। बैंकों को अपनी लाभप्रदता बनाए रखने के लिए अपनी ब्याज दरों को संगत स्तर पर रखना होगा।

[अनुवाद]

रुग्ण जूट मिलें

815. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश की बहुसंख्या पटसन मिलें लम्बे समय से रुग्ण पड़ी हैं और उन पर बैंकों और वित्तीय संस्थानों की बड़ी धनराशि बकाया है जिससे लगभग दो लाख श्रमिक प्रभावित हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पटसन उद्योग और श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) देश में 73 पटसन मिलों में से 2 पटसन मिलें अर्थात् कानपुर और कटिहार जूट मिल्स बंद पड़ी हुई हैं। 4 मिलें देश से बाहर निगमित हैं और ये रूग्ण एकक हो गए हैं। शेष 67 पटसन मिलों में से 34 पटसन मिलें रुग्ण हैं। देश से बाहर निगमित एककों को छोड़कर मौजूदा कानूनों के अनुसार रुग्ण पटसन मिलों के मामले औद्योगिक व वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को भेजे जाते हैं।

(ग) सरकार ने भारतीय पटसन मिलों के आधुनिकीकरण के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं और हाल ही में प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना शुरू की है। यह पहले से शुरू की गई निम्नलिखित योजनाओं के अतिरिक्त है:

(1) विशेष पटसन विकास निधि कार्यक्रम।

(2) पटसन आधुनिकीकरण निधि योजना।

(3) यू.एन.डी.पी. सहायित पटसन विकास परियोजनाएं।

(4) जे.एम.डी.सी. द्वारा बाजार सहायता योजना।

(5) राष्ट्रीय पटसन विविधीकरण केन्द्र की स्थापना।

सरकार पटसन क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण के लिए कपास प्रौद्योगिकी मिशन के अनुरूप ही पटसन प्रौद्योगिकी मिशन भी बना रही है।

वित्तीय संस्थाओं के ऋण पोर्टफोलियों का मुकदमों में फंसना

816. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 31 मार्च, 1999 की स्थिति के अनुसार वित्तीय संस्थाओं आई.डी.बी.आई., आई.सी.आई.सी.आई. और आई.एफ.सी.आई. के 2500 करोड़ रुपए से अधिक के संयुक्त ऋण पोर्टफोलियो मुकदमों में फंसे हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो 31 मार्च, 1999 की स्थिति के अनुसार उन शीर्ष ऋण चूककर्ताओं के नाम क्या हैं जिन पर इन तीन वित्तीय संस्थाओं को अदायगी के लिए 50 करोड़ अथवा इससे अधिक रुपए का बकाया है; और

(ग) इतनी बड़ी अनुपयोज्य आस्तियों की समस्या हल करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी हां।

(ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई.डी.बी.आई.) ने सूचित किया है कि 50 करोड़ रुपए या इससे अधिक की बकाया सहायता वाली तीन वित्तीय संस्थाओं अर्थात् आई.डी.बी.आई., आई.एफ.सी.आई., आई.सी.आई.सी.आई. के पोर्टफोलियों में छः कम्पनियां हैं, जिनके संबंध में देयराशियों की वसूली के लिए मुकदमें तैयार किए गए हैं। परन्तु, बैंकों में प्रचलित प्रथाओं और रीति-रिवाजों के अनुसार तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को नियंत्रित करने वाली संविधियों के प्रावधानों और लोक वित्तीय संस्था (विश्वस्तता एवं गोपनीयता विषयक बाध्यता) अधिनियम, 1983 के प्रावधानों के अनुसार अलग-अलग ग्राहकों के नाम प्रकट नहीं किए जा सकते।

(ग) अनुपयोज्य आस्तियों की समस्या को हल करने के लिए, वित्तीय संस्थाओं ने दीर्घावधिक और अल्पावधिक योजनाएं तैयार की हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अनुपयोज्य आस्तियों की बारीकी से निगरानी, उधारकर्ताओं के साथ नियमित समीक्षा, विचार-विमर्श, इकाइयों का आवधिक निरीक्षण, वित्तीय पुनर्संरचना, देयराशियों का एकबारगी निपटान, संभावित रूप से अर्थक्षम इकाइयों के लिए पुनर्वास पैकेज तैयार करना, उधार देने में सावधानी बरतना, मजबूत कंपनियों द्वारा रुग्ण इकाइयों/समस्याजनक इकाइयों का अधिग्रहण/विलय करना और नामित निदेशकों को मामले के बोर्ड स्तर पर उठाने के लिए कहना शामिल है। यदि चूकों का अभी भी निराकरण न हो सके, तो कानूनी प्रक्रियाएं शुरू की जाती हैं।

[हिन्दी]

विदेशी पूंजी निवेश

817. श्री राम टहल चौधरी :
श्री हरिभाई चौधरी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में हुए विदेशी पूंजी निवेश द्वारा पूंजी और परियोजनाओं को वापस लाने के संबंध में लगाए गए प्रतिबंधों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कोई विदेशी निवेशक इस संबंध में अपनी पूंजी वापस ले सकता है अथवा उसे निर्धारित अवधि की समाप्ति तक प्रतीक्षा करनी होगी; और

(ग) अभी तक देश-वार कुल कितना विदेशी निवेश हुआ है तथा आज की तिथि तक अनिवासी भारतीयों द्वारा कितना निवेश किया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) विदेशी निवेश के संबंध में पूंजी के प्रत्यावर्तन पर कोई प्रतिबंध नहीं हैं सिवाय इसके कि उपभोक्ता वस्तु क्षेत्र में 22 विनिर्दिष्ट उद्योगों में विदेशी निवेश के लिए लाभांश संतुलन की शर्त लगाई गई है। आवास तथा स्थावर संपदा विकास क्षेत्र जिनमें केवल अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों/समुद्रपारीय निकायों को ही निवेश करने की अनुमति दी गई है, जिनमें प्रत्यावर्तन मूल निवेश (अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए) (समुद्रपारीय निकायों को 16 प्रतिशत की सीमा तक लाभों का प्रत्यावर्तन अनुमेय है) तक सीमित है तथा 3 वर्षों की "लाक-इन-अवधि" के बाद अनुमत किया जाता है। लाभांश संतुलन की शर्त के अन्तर्गत लाभांश भुगतानों की मद में विदेशी मुद्रा के बहिर्प्रवाहों को निर्यात आय द्वारा संतुलित किया जाता है।

(ग) 1.8.1991 से 30.9.1991 तक विदेशी निवेश (अनिवासी भारतीय शामिल हैं) का देश-वार अंतर्प्रवाह संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

1.8.91 से 30.9.99 तक के वास्तविक अंतर्प्रवाह की देश-वार रिपोर्ट

(मिलियन रु.)

क्र.सं.	देश	अंतर्प्रवाह की राशि
1	2	3
1.	अफगानिस्तान	1.00
2.	आस्ट्रेलिया	1.02
3.	बहरीन	151.97
4.	बेल्जियम	5.00
5.	बरमूडा	1.06
6.	कनाडा	2.12

1	2	3
7.	डेनमार्क	11.63
8.	फ्रांस	24.27
9.	जर्मनी	122.38
10.	आयरलैंड	5.12
11.	इजरायल	1.75
12.	इटली	69.97
13.	जापान	843.48
14.	मलेशिया	20.00
15.	मारीशस	1679.46
16.	एन.आर.आई.	38.53
17.	नीदरलैण्डस	18.95
18.	पोलैण्ड	1.91
19.	रूस	1568.80
20.	सिंगापुर	486.68
21.	स्पेन	0.90
22.	स्वीडन	19.32
23.	स्विटजरलैण्ड	126.40
24.	ताइवान	16.84
25.	यू.ए.ई.	22.50
26.	यू.के.	5.20
27.	यू.एस.ए.	505.71
28.	ब्रिटिश वर्जीनिया	115.06
29.	आस्ट्रेलिया	1810.52
30.	आस्ट्रिया	704.03
31.	बहामास	387.77
32.	बहरीन	579.47
33.	अर्जेन्टीना	0.38
34.	बेल्जियम	2390.11
35.	बेलारूस	23.77
36.	बरमूडा	1017.55
37.	माल्टा	1.25
38.	ईरान	624.60
39.	मस्कट	8.91
40.	तंजानिया	1.98
41.	जिब्राल्टर	7.00
42.	सूडान	0.25

1	2	3
43.	जोर्डन	0.09
44.	भूटान	19.00
45.	आईसलैण्ड	9.73
46.	मिस्र	15.18
47.	ब्राजील	23.09
48.	कनाडा	1580.83
49.	केमैन द्वीप समूह	30.00
50.	चैनल द्वीप समूह	21.56
51.	चीन	18.98
52.	चैक गणराज्य	170.77
53.	साइप्रस	974.59
54.	डेनमार्क	1822.01
55.	एस्टोनिया	34.10
56.	फिनलैण्ड	656.45
57.	फ्रांस	9109.86
58.	यूनान	95.48
59.	जर्मनी	23079.15
60.	हांगकांग	9661.90

1	2	3
61.	हंगरी	6.03
62.	इंडोनेशिया	232.46
63.	आयरलैण्ड	210.88
64.	आइल आफ मैन	20.98
65.	इजरायल	1375.87
66.	इटली	8954.08
67.	लिचटेंस्टीन	53.93
68.	जापान	27256.47
69.	कोरिया (उत्तरी)	223.51
70.	कोरिया (दक्षिणी)	20919.85
71.	कुवैत	79.28
72.	लक्जमबर्ग	423.33
73.	मलेशिया	1421.00
74.	मारीशस	121423.19
75.	मैक्सिको	0.06
76.	मालदीव	1.54
77.	एन.आर.आई.	5523.19
78.	नेपाल	5.04

1	2	3
79.	नीदरलैण्डस	20564.19
80.	नेविस	1.02
81.	न्यूजीलैण्ड	133.35
82.	नार्वे	133.56
83.	ओमान	89.59
84.	पनामा	131.34
85.	फिलीपीन	1864.88
86.	पोलैण्ड	3.50
87.	पुर्तगाल	20.06
88.	कतार	0.03
89.	रोमानिया	0.71
90.	रूस	179.83
91.	सऊदी अरब	422.21
92.	सिंगापुर	11313.79
93.	दक्षिण अफ्रीका	21.01
94.	स्लोवाकिया	1.05
95.	स्पेन	249.18
96.	श्रीलंका	32.33
97.	स्वीडन	4956.43
98.	स्विटजरलैण्ड	7731.08
99.	सीरिया	0.22
100.	ताईवान	293.00
101.	तातारिस्तान	0.40
102.	थाइलैण्ड	1699.05
103.	यू.ए.ई.	330.57
104.	यू.के.	21023.56
105.	यू.एस.ए.	78026.72
106.	यूक्रेन	4.45
107.	ब्रिटिश वर्जीनिया	931.44
108.	वेस्टइंडीज	46.43
109.	अनिर्दिष्ट देश	3450.46
110.	यूरो निर्गम (जी.डी.आर.)**	82614.07
111.	शेयरों का अधिग्रहण@	70148.24
112.	अग्रिम अंतर्प्रवाह की प्राप्ति एन.आर.आई.-आर.बी.आई. योजनाएं	7590.86

1	2	3
113.	40 प्रतिशत योजना	48611.25
114.	100 प्रतिशत योजना	14325.22
115.	24 प्रतिशत योजना	6896.42
116.	आवासीय योजना	5352.20
117.	हवाई टैक्सी योजना	825.50
118.	यूनिट रुग्ण	415.08
119.	51 प्रतिशत योजना	589.80
	कुल जोड़	639702.14

* 01.01.91 से 30.09.99 तक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रशासित विशेष अनिवासी भारतीय योजनाएं, भारतीय रिजर्व बैंक में कोई क्षेत्रवार विवरण उपलब्ध नहीं। यह आंकड़े अब तक सूचित नहीं किए गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के स्वतः अनुमोदन मार्ग के संदर्भ में अनुमोदन/अंतर्प्रवाह संबंधित क्षेत्रों में शामिल कर लिए गए हैं।

** भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी सूचना के अनुसार जून 1994 से दिसम्बर 1998 की अवधि के दौरान एफ.आई.पी.बी. द्वारा दिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अनुमोदनों के प्रति जी.डी.आर./एफ.सी.सी.बी. के माध्यम से जुटाए गए अंतर्प्रवाहों की राशि।

@ भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई द्वारा सूचित-जनवरी, 1996 से दिसम्बर 1998 के दौरान फेरा की धारा 29 के अंतर्गत निवासी से अनिवासियों को शेयरों का अंतरण।

उपर्युक्त रिपोर्ट अनंतिम तथा भारतीय रिजर्व बैंक मुम्बई द्वारा दिए विवरणानुसार है।

[अनुवाद]

औरंगाबाद में औद्योगिक विकास केन्द्र

818. श्रीमती श्यामा सिंह : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1989 के दौरान बिहार के औरंगाबाद में औद्योगिक विकास केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव घोषित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या भारी मात्रा में केन्द्रीय निवेश किया गया है तथा सड़कों का निर्माण, पानी के टैंकों का प्रबन्ध जैसी बुनियादी सुविधाएं भी प्रदान की गई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या औरंगाबाद में उक्त विकास केन्द्र के निर्माण का प्रस्ताव अब निरस्त कर दिया गया है और क्या इसका स्थान बदल दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जी, नहीं। औरंगाबाद में परियोजना के स्थापना स्थल हेतु केन्द्र सरकार द्वारा कोई निधियां जारी नहीं की गई थीं।

(घ) और (ङ) बिहार राज्य सरकार के अनुरोध पर फरवरी 1993 में प्रस्तावित विकास केन्द्र के स्थापना स्थल को ओरंगाबाद से बदलकर बेगुसराय कर दिया गया था।

भूमि के अधिग्रहण के लिए राज्य द्वारा 9.13 करोड़ रुपये की राशि की अदायगी की व्यवस्था की गई है।

श्रीलंका के साथ मुक्त व्यापार

819. श्री एन.एन. कृष्णदास : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने श्रीलंका के साथ मुक्त व्यापार संधि पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संधि को लागू करने में कोई बाधाएं हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संधि के लागू हो जाने के बाद कौन-कौन सी वस्तुएं श्रीलंका से आसानी से आयात की जा सकेंगी?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) जी, हां। भारत और श्रीलंका के बीच दिनांक 28 दिसम्बर, 1998 को नई दिल्ली में एक मुक्त व्यापार करार पर हस्ताक्षर किए गए थे।

(ख) इस करार में निर्धारित समयावधि के भीतर निषेधात्मक सूची की मदों की सीमित संख्या छोड़कर, सभी उत्पादों और संवेदनशील स्वरूप की कुछ अन्य मदों पर से टैरिफ को चरणबद्ध ढंग से समाप्त करने की व्यवस्था है। हालांकि, भारत तीन वर्षों की अवधि में टैरिफ समाप्त करने की प्रक्रिया को पूरा करेगा तथापि, श्रीलंका इस प्रक्रिया को 8 वर्षों में पूरा करेगा। करार के अनुसार जिन मदों पर टैरिफ रियायतें उपलब्ध होंगी और जिन मदों पर कोई टैरिफ अधिमान उपलब्ध नहीं होगा, उन मदों की सूचियों को करार पर हस्ताक्षर होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर अंतिम रूप दिया जाएगा। तदनुसार सूचियों का आदान-प्रदान फरवरी, 1999 में किया गया था।

(ग) से (ङ) निषेधात्मक सूचियों की कुछ मदों के संबंध में दोनों पक्षों की कुछ आपत्तियां थीं। इस करार को लागू करने के बारे में अंतिम वार्ता दिसम्बर, 1999 में श्रीलंका के चुनाव पूरा होने के बाद आयोजित किए जाने की संभावना है।

सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा जब्त की गई विदेशी मुद्रा

820. श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अब तक देश के सभी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों के सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा कुल कितनी विदेशी मुद्रा जब्त की गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार): सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों द्वारा गत दो वर्षों तथा चालू वर्ष (आज की तिथि तक) के दौरान देश के सभी अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तनों पर 66.92 करोड़ भारतीय रुपए के बराबर विभिन्न विदेशी मुद्राएं जब्त की गई थीं। वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	जब्त विदेशी मुद्रा की राशि (लाख रुपए में)
1997-98	3814.49
1998-99	1658.68
1999-2000 (आज तक)	1218.68
कुल	6691.85

गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों द्वारा धोखाधड़ी

821. श्री चन्द्रकांत खैरे :
श्री सुरेश रामराव जाधव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि कई गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने छोटे जमाकर्ताओं के साथ धोखाधड़ी की है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान सरकार के ध्यान में आए मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों में निवेश करने वाले लोगों के हितों की रक्षा के लिए कोई कदम उठाये गये हैं या उठाये जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) इस संबंध में समय-समय पर सरकार को रिपोर्ट प्राप्त होती रही है कि कुछ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने छोटे जमाकर्ताओं सहित एक बड़ी संख्या में जमाकर्ताओं को ब्याज की अदायगी और/अथवा मूलधन की वापसी अदायगी के समय पर भुगतान में चूक की है।

(ख) से (घ) जब भी गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों द्वारा की गई चूक के बारे में शिकायतें प्राप्त होती हैं, ऐसे शिकायतकर्ताओं को अपनी शिकायत कम्पनी विधि बोर्ड को उपयुक्त फार्म में भेजने का परामर्श दिया जाता है, जो वर्ष 1997 में यथा संशोधित भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अन्तर्गत इस प्रकार की शिकायतों पर कार्रवाई करने हेतु एक उपयुक्त प्राधिकरण है। उस प्रोफार्मा की एक प्रति भी जिसमें भरकर ऐसी शिकायत दायर की जानी है, शिकायतकर्ता को भेजी जाती है ताकि वह अपनी शिकायत दायर कर सके। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पिछले दो वर्षों के दौरान चूककर्ता गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के विरूद्ध शुरू की गई कार्यवाही का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अध्याय-IIIख में जनवरी 1997 में संशोधन किया गया था, जिसमें गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों का प्रभावी निरीक्षण करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की शक्तियों में वृद्धि की गई हैं। जनवरी 1998 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक संशोधित विनियामक अवसंरचना का निर्माण यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि वित्तीय रूप से सुदृढ़ और सुचारू रूप से कार्य करने वाली कम्पनियों को ही जनता से धनराशि जमा करने की अनुमति प्रदान की जाए। जमाकर्ताओं के हितों को सुरक्षा प्रदान करने और जनता से धनराशि जमा करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों पर निरीक्षणात्मक नजर रखने के लिए संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्देश जारी किए हैं। जमाकर्ताओं के हितों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित कदम उठाए हैं, जमा राशियों की मात्रा पर सीमा निर्धारित करना, जमाराशियों की ब्याज दर पर सीमा पुनः लागू करना, जमा राशियां लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के लिए न्यूनतम निवेश ऋण निर्धारित करना, निवल स्वामित्व वाली निधियों के स्तर हेतु प्रवेश बिन्दु निर्धारित करना, विवेकपूर्ण मानदण्ड निर्धारित करना और एक रिजर्व फंड की स्थापना करना। इसके अतिरिक्त, उन विभिन्न पहलुओं पर, जिन पर गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पास धनराशियां जमा करते समय जनता को विचार करना चाहिए, जमाकर्ताओं के शिक्षित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने एक प्रचार अभियान भी चलाया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

पिछले दो वर्षों के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चूककर्ता एन.बी.एफ.सी. के विरुद्ध की गई प्रतिकूल कार्रवाई का ब्यौरा

1. उन एन.बी.एफ.सी. की सूची जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रतिबन्धात्मक आदेश जारी किए हैं।

क्र.सं.	कम्पनी का नाम
1	2
1.	चांसलर हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस एण्ड इन्वेस्टमेंट लि. नूतन बाजार, पो. धुबूलिया, जिला नदिया।
2.	वेलफेयर सेविंग्स एण्ड क्रेडिट लि., स्कूल भवन, बोलपूर, जिला वीरभूम।
3.	वित्योदया हाउसिंग फाइनेंस प्रा. लि., भोजपुर बिहार।
4.	रिसर्च सेविंग्स एण्ड फाइनांस (प्रा.) लि., मोहिनी बाजार, एक्प्रदर्शनी मार्ग, पटना।
5.	मानव संसाधन विकास फाइनांस एण्ड इन्वेस्टमेंट (आई) लि. श्रीर्श भवन, बेली रोड, खजपुरा पटना।
6.	सी.आर.बी. केपिटल मार्किट लि. सी.आर.पी. हाउस, पंचकुईया रोड, नई दिल्ली।
7.	प्रेस्टजियस फाइनांस एण्ड इंवेस्टमेंट (आई) लि., स्वयं सिधि, कर्मसियल कम्पलैक्स, पटना।
8.	ग्लोबल फाइनांस कार्पोरेशन लि. कलकत्ता।
9.	वर्ल्ड लिंक फाइनांस लि. 151, मेकर चेम्बर III, नरीमन प्वाइंट, मुम्बई।
10.	एशिया पेसीफिक इंवेस्टमेंट ट्रस्ट लि. नागार्जुन हिल्स, पंजगुटटा, हैदराबाद।

1	2
11.	हीलियस फाइनांस एण्ड इंवेस्टमेंटस लि. हीलियस भवन, स्टेशन रोड, पटना।
12.	हीलियस कार्पोरेशन लि., हीलियस भवन, पटना।
13.	आम्नेट इंडिया क्रडिट कार्पोरेशन लि. नलीन अपार्टमेंट्स, अंधेरी वेस्ट, मुम्बई।
14.	गाडगिल वेर्स्टर्न कार्पोरेशन लि. वेस्टर्न इंडिया हाउस, सफदरजंग एंकलेव, नई दिल्ली।
15.	एन.आई.टी.एल. म्यूचुअल बेनीफिट लि., ९ए,डीजी-।, विकासपुरी, नई दिल्ली।
16.	परूडेंसियल केपीटल मार्किट लि. टबेकू हाउस, 1 और 2, ओल्ड कोर्ट हाउस, कार्नर कलकत्ता।
17.	जेवीजी फाइनांस लि. बी 22, अंसल चेम्बर्स 1, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली।
18.	जेवीजी लीजिंग लि. भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली।
19.	जेवीजी सिक्योरिटी लि. भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली।
20.	वेस्टर्न इंडिया, सिक्योरिटी लि., डीडीए परिसर, सफदरजंग एंक्लेव, नई दिल्ली।
21.	मेक्डोवल क्रेस्ट फाइनांस लि., अन्ना सलाई, चेन्नई।
22.	डीएसजे फाइनांस का. लि. श्रेयस बिल्डिंग, नई लिंग रोड, अंधेरी वेस्ट, मुम्बई।
23.	स्टडर्ड इकोनोमि (प्र.) लि. 28/2/1, ओल्ड बालीगंज, दूसरी लेन, कलकत्ता।
24.	अनेजा फाइनांसियल सर्विसिज लि. पुंजगट्टा, हैदराबाद।

1	2
25.	जोक्दीप सेविंग्स एण्ड क्रेडिट इंडिया लि. डा. अम्बेडकर रोड, घोस्ट बंगाल, इनेमल जिला उत्तरी 24 परगना, पश्चिम बंगाल।
26.	बिहार केपिटल फाइनंसर, लि. सूर्य परिसर, जरलन रोड पटना।
27.	रिच केपिटल एंड फाइनांसियल सर्विसिज लि., 14/123ए, गोपाल चेम्बर्स, परेड, दिमाल कानपुर।
28.	पाटलीपुत्र हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनांस (प्रा.) लि., पश्चिम बोरिंग, कनाल रोड समीप द्वारिका मंदिर, पटना।
29.	एंट्रस्ट फाइनांस (प्रा.) लि., डी 671, नायना, मंदीपेट, देवांगिरी।
30.	डीजीएम फाइनांसियल सर्विसिज लि., अमृतनगर, एनडीएससी, नई दिल्ली।
31.	पटना सेविंग्स एण्ड इंवेस्टमेंट प्रा.लि. गंज नं. 2, बेतिया पश्चिम चंपारण, बिहार।
32.	लायन्स म्यूचुअल बेनीफिट लि. ए 7, सेक्टर बे अलीगंज, लखनऊ।
33.	कूबेर म्यूचुअल बेनीफिट लि. कूबेर भवन, बेगमब्रिज रोड, मेरठ।
34.	त्रिकोण म्यूचुअल बेनीफिट लि., बी 143, सेक्टर सी, महानगर, लखनऊ।
35.	राप्ती ग्रोथ फंड लि., सी 4 मीराबाई मार्ग, लखनऊ।
36.	अजमानी लिजिंग एंड फाइनांस लि., बस स्टेशन रोड, लखीमपुर, खिरी, उत्तर प्रदेश।
37.	ग्लक्सी ग्रो फाइनांस लि., बी 12/112-1, गावडी गंज, भेलूपुरा, वाराणसी।

1	2
38.	सुबोदपुर जनकल्याण इंवेस्टमेंट एण्ड फाइनांस कं. लि. पुरद्रंपुर, 24 परगना उत्तरी, पश्चिम बंगाल।
39.	रॉकलेंड लिजिंग लि., 81ए, हिमालया हाउस, 23 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली।
40.	रोनक फाइनांस लि. 418, शालीमार कंप्लेक्स, चर्च रोड, जयपुर।
41.	स्कीमेटिक फाइनांस लि., नई दिल्ली।
42.	समृद्धि सेविंग्स एंड इंवेस्टमेंट कं.लि., रायपुर।
43.	इन्नोबल इंडिया सेविंग्स एंड इंवेस्टमेंट कं. लि., बेल्लारी।
44.	जीनियंस फाइनासियल सर्विसिज लि., हैदराबाद।
45.	मिडवेस्ट हायरप्रचेज लि., हैदराबाद।
46.	मिडवेस्ट म्यूचुअल फंड लि., हैदराबाद।
47.	मिडवेट इंडिया इंडस्ट्रीज, मुम्बई।
48.	जे.के. ओरिजिनेटिड फाइनांस कं. लि., जम्मू।
49.	राप्ती निधि लि., पश्चिम बंगाल।
50.	राप्ती लिजिसंग एंड फाइनांस लि., पटना।
51.	सुमंग सेविंग्स एंड फाइनांस लि., पटना।
52.	बर्ल इंडिया फाइनांस एण्ड इंवेस्टमेंट कं. लि., पटना।
53.	पोलेट कमर्शियल प्रा.लि., पटना।
54.	कर्मभूमि जनरल एंड हाउसिंग फाइनांस लि., गुवाहाटी।
55.	अभिनंदन हाउसिंग एंड फाइनांस लि., गुवाहाटी।
56.	मेघफिन फाइनांस एंड इन्वेस्टमेंट प्रा. लि., गुवाहाटी
57.	ग्रामीण विकास क्रेडिट लि., पटना।
58.	रेज इंडिया फाइनांस एंड इंवेस्टमेंट लि., पटना।
59.	सिंहभूम सेविंग्स एंड कमर्सियल इंवेस्टमेंट कं. लि., पटना।
60.	ट्रेड वैल फाइनांस लि., पटना।
61.	स्टडर्ड सेविंग्स एंड इंवेस्टमेंट कं. लि., पटना।
62.	बंग इंडिया रोजगार फाइनांस लि., पटना।
63.	इनवेज सेविंग्स एंड इंवेस्टमेंट (आई) लि., पटना।
64.	ब्रह्म्वारी फाइनांस इंवेस्टमेंट (आई) लि., पटना।
65.	क्रिष्को कमर्सियल कं. लि., पटना।
66.	सोसियल वेलफेयर सेविंग्स एंड फाइनांस लि.
67.	लालभाई फाइनांस लि., अहमदाबाद।
68.	जेनसन एंड निकोलसन फाइनांस सर्विस लि., कलकत्ता।
69.	कूबेर फाइनांस (आई) लि., नई दिल्ली।
70.	किर्लोस्कर इन्वेस्टमेंट एंड फाइनांस लि., बेंगलूर।
71.	पेन्नार पेट्रेसन लि., हैदराबाद।
72.	लक्ष्मी ट्रेड क्रेडिट लि., चेन्नई।
73.	डूगर फाइनांस (आई) लि., चेन्नई।

2. समापन याचिका दायर

निम्नलिखित के विरूद्ध उच्च न्यायालय में समापन याचिका दायर की गई है।

1. सीआरबी केपिटल मार्किट लि. नई दिल्ली
2. जेवीजो फाइनांस लि., नई दिल्ली
3. जेवीजी लिजिंग लि., नई दिल्ली
4. जेवीजी सिक्योरिटीज, नई दिल्ली
5. एसिया पेसीफिक इंवेस्टमेंट ट्रस्ट लि., हैदराबाद
6. हीलियस फाइनांस एंड इंवेस्टमेंट लि., पटना
7. कूबेर म्यूचुअल बेनीफिट लि., लखनऊ
8. कृषि एक्सपोर्ट कमर्शियल का. लि., लखनऊ
9. हाफलैण्ड फाइनांस लि., नई दिल्ली
10. कूबेर आटो जनरल फाइनांस लि., नई दिल्ली

3. अभियोजन कार्यवाही प्रारंभ

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 58ई के साथ पठित धारा 58बी और 58सी के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आपराधिक शिकायतें निम्नलिखित के विरुद्ध दायर की गई हैं:

1. जेवीजी फाइनांस लि., नई दिल्ली
2. जेवीजी लिजिंग लि., नई दिल्ली
3. जेवीजी सिक्योरिटी लि., नई दिल्ली
4. द हाफलैण्ड फाइनांस लि., नई दिल्ली
5. एसिया पेसीफिक इंवेस्टमेंट ट्रस्ट लि., हैदराबाद
6. एन.आई.टी.एल. म्यूचुअल बेनीफिट लि., नई दिल्ली
7. एन्डोमेंट इंवेस्टमेंट आई लि., चण्डीगढ़
8. राक्लैंड लिजिंग लि., नई दिल्ली
9. त्रिकोण फाइनांस आई लि., लखनऊ
10. त्रिकोण लिजिंग कंपनी लि., लखनऊ
11. त्रिकोण म्यूच्रुअल ब्रेनीफिट लि., लखनऊ
12. राप्ती ग्रोथ फंड लि., लखनऊ
13. कूबेर म्यूचुअल बेनीफिट लि., मेरठ
14. प्रुडेंसियल केपिटल मार्किट लि., कलकत्ता
15. कूबेर आटो जनरल फाइनांस लि., नई दिल्ली
16. के.एम. केपिटल लि., नई दिल्ली
17. रोनक फाइनांस लि., जयपुर

4. पुलिस शिकायत दर्ज

निम्नलिखित के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के अंतर्गत सदस्यों के साथ धोखाधड़ी करने के मामले में पुलिस शिकायत दर्ज की गई है।

1. हाफलैंड फाइनांस लि., नई दिल्ली
2. कृषि एक्सपोर्ट कमर्शियल का.लि., लखनऊ
3. आर.के. सत्यदर्शी एंड सेविंग्स एंड फाइनांस लि., जालंधर
4. अम्बेर इंवेस्टमेंट इंडिया लि., पटना
5. भगवती कामर्सियल फाइनांस लि., पटना
6. देशित जनरल फाइनांस एंड इंवेस्टमेंट लि., पटना

5. विशेष अधिकारी की नियुक्ति

बैंक ने कुछ समस्याग्रस्त कंपनियों में जमाराशियों की वापसी अदायगी का पुनरीक्षण करने के लिए विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की है।

1. श्रीराम ग्रुप कंपनिज, चेन्नई
2. एमसीसी फाइनांस लि., चेन्नई
3. लोयडस फाइनांस लि., मुम्बई
4. किलोस्कर इंवेस्टमेंट एंड फाइनांस लि., बेंगलूर

[हिन्दी]

लघु उद्योगों द्वारा निर्यात

822. श्री मानसिंह पटेल :
श्री अब्दुल रशीद शाहीन :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान देश में कुल निर्यात में लघु उद्योगों के हिस्से में बढ़ोत्तरी हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष देश के कुल निर्यात में लघु उद्योगों का प्रतिशत क्या रहा;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान लघु उद्योगों के संवर्द्धन हेतु दी गई सुविधाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त में से अधिकतर रोजगार अवसर पैदा करने वाली सुविधाओं का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) और (ख) वर्ष 1996-97 के दौरान 117524.98 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ जिसमें से लघु उद्योग क्षेत्र का हिस्सा 39248.54 करोड़ रुपए का था जोकि कुल निर्यात का 33.40% बनता था। वर्ष 1997-98 के दौरान कुल निर्यात 126286 करोड़ रुपए का हुआ जिसमें से लघु उद्योग क्षेत्र से हुआ निर्यात 44442.18 करोड़ रुपए का था जो कि कुल निर्यात का 35.19% बनता है। वर्ष 1998-99 के लिए निर्यात के अनुमानित आंकड़े 141604 करोड़ रुपए के हैं जिनमें से लघु उद्योग क्षेत्र का अनुमानित हिस्सा 49481 करोड़ रुपए का है जोकि कुल निर्यात का 34.9% बनता है।

(ग) सरकार द्वारा लघु उद्योग के संवर्धन के लिए अनेक सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं जिनमें अन्य बातों के साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

(1) बुनियादी सुविधाओं के सृजन एवं विकास के लिए 52 समेकित अवस्थापना विकास केन्द्र।

(2) सघन उद्योग क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास संस्थाओं के रूप में कार्य करने के लिए 4 उत्पाद-सह-प्रसंस्करण विकास केन्द्र (पीपीडीसी)।

(3) तकनीकी-आर्थिक-प्रबंधन सहायता सेवा उपलब्ध करवाने के लिए 28 लघु उद्योग सेवा संस्थान (एसआईएसआई)।

(4) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) किराया-खरीद आधार पर लघु उद्योगों तथा सहायक इकाईयों को मशीनों की आपूर्ति करता है।

(घ) एसआईएसआई, एनआईएसआईईटी, एनआईईएसबीयूडी, टूल रूम तथा पी पी डी सी जैसी प्रशिक्षण संस्थाएं उद्यमियों की तकनीकी-प्रबंधन कुशलता को बढ़ाने हेतु विशिष्टीकृत प्रशिक्षण के रूप में लघु उद्योग के उद्यमियों के रोजगार के अवसर पैदा करने में सहायक होती हैं।

सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के संबंध में न्यायमूर्ति एस. मोहन की सिफारिशें

823. डा. बलिराम : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के श्रेणी ''ग'' और ''घ'' के कर्मचारियों के वेतनमानों में संशोधन करने हेतु न्यायमूर्ति एस. मोहन समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या, उक्त समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो रिपोर्ट में उल्लिखित श्रेणी ''ग'' और ''घ'' कर्मचारियों के वेतनमानों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान कब तक दिये जाने की सम्भावना है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) से (ङ) सरकार ने उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश एस. मोहन की अध्यक्षता में निदेशक मण्डल स्तर, निदेशक मण्डल से नीचे के स्तर तथा असंघबद्ध पर्यवेक्षकों, न कि श्रेणी ''ग'' और ''घ'' के कर्मचारियों के लिए, के सम्बन्ध में सरकारी क्षेत्र के कार्यपालकों के लिए संशोधन वेतन मान तथा अनुलाभों की सिफारिश करने हेतु एक समिति का गठन किया था। संशोधित वेतनमान और अनुलाभ 1-1-1997 से लागू होंगे। समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है और सरकार ने सिफारिशों पर पहले ही निर्णय ले लिया है और

आवश्यक आदेश जारी कर दिए गए हैं। श्रेणी "ग" और "घ" के कर्मचारी मजूरी सम्बन्धी बातचीत के अंतर्गत आते हैं। मजूरी सम्बन्धी बातचीत के छठे दौर पर आदेश जोकि 1-1-1997 से लागू होने हैं, पहले ही 14-1-1999 को जारी कर दिए गए हैं।

[अनुवाद]

कर्नाटक को सहायता अनुदान

824. श्री आर.एल. जालप्पा : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार से राज्य के वर्षा प्रभावित जिलों में सहायता कार्य आरम्भ करने के लिए 200 करोड़ रु. के सहायता अनुदान की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार ने अब तक क्या कार्रवाई की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) हालांकि कर्नाटक सरकार ने राज्य के वर्षा प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों के लिए केन्द्र से 200 करोड़ रुपए देने का अनुरोध किया है, किन्तु उनके द्वारा आपदा राहत कोष के अतिरिक्त वित्तीय सहायता के लिए औचित्य स्पष्ट करते हुए कृषि मंत्रालय को एक विस्तृत ज्ञापन प्रस्तुत किया जाना अभी शेष है।

राज्यों के लिए विशेष सुविधा कोष

825. श्री ए.सी. जोस : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में विभिन्न राज्यों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एक विशेष सुविधा कोष बनाने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) जी नहीं। हालांकि जब कभी राज्यों को अर्थोपाय समस्या का सामना करना पड़ा है, तो केन्द्र सरकार अर्थोपाय अग्रिम तथा योजनागत और गैर योजनागत निधियों के केन्द्रीय अन्तरण के जरिये राज्यों की हकदारी अग्रिम रूप से जारी करके राज्यों की सहायता करती रही है। राष्ट्रीय विकास परिषद की उपसमिति के निर्णयों का अनुसरण करते हुए केन्द्र सरकार उन राज्यों को भी समान सहायता दे रही है जिन्होंने राजकोषीय सुधार कार्यक्रम शुरू किए हैं।

महाराष्ट्र में स्वर्ण भंडार

826. श्री किशन कुमार खंडेलवाल : क्या खान और खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र में विभिन्न स्थानों पर स्वर्ण भंडार पाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे स्थान कौन-कौन से हैं; और

(ग) इन खानों को वाणिज्यिक उपयोग के लिए कब तक खोले जाने का प्रस्ताव है?

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को महाराष्ट्र में जिन स्थानों पर स्वर्ण भंडारों/स्वर्ण मौजूद होने का पता चला है उन स्थानों के नाम इस प्रकार हैं:-

(1) पारसोरी पश्चिम, जिला नागपुर

(2) कोलारी भोनरी रंमांगली क्षेत्र, जिला नागपुर

(3) कोसारी-मरुपाड क्षेत्र, जिला नागपुर

(4) कीटारी-अडियाल क्षेत्र, जिला नागपुर/भण्डारा

इन क्षेत्रों में स्वर्ण भण्डारों का पता लगाने के लिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने प्रारम्भिक अन्वेषण कार्य किए हैं। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 3 की उप धारा (1) में दी गई परिभाषा के अनुरूप कोई भी भारतीय नागरिक अथवा कम्पनी, रिकार्ड व प्रक्रिया की समुचित जांच के बाद, खान एवं खनिज (विनियमन व विकास) अधिनियम 1957 और इसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधान के अनुसार पूर्वेक्षण लाइसेंस अथवा खनन पट्टा प्राप्त करने के उपरान्त स्वर्ण भण्डारों का विदोहन करने के लिए मुक्त होता है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों की बिक्री

827. श्री दानवे रावसाहेब पाटील : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों की बिक्री के परिणामस्वरूप लगभग कितनी धनराशि प्राप्त होने का अनुमान है; और

(ख) विद्यमान सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की इकाइयों के आधुनिकीकरण एवं विकास पर इसमें से कितनी धनराशि व्यय किए जाने की संभावना है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) वर्ष के दौरान 10,000 करोड़ रुपए का विनिवेश होने का अनुमान है।

(ख) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी इक्विटी के विनिवेश से होने वाली आमदनी को भारत की समेकित निधि में जमा कर दिया जाता है। सरकार आंकलित की गई आवश्यकताओं के सम्बन्ध में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को आयोजना तथा आयोजना-भिन्न बजटीय सहायता प्रदान करती है।

कोल इंडिया लिमिटेड को विश्व बैंक से ऋण

828. श्री कमलनाथ : क्या खान और खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विश्व बैंक ने कोल इंडिया लि. को कुल कितनी सहायता राशि ऋण प्रदान की है;

(ख) इस सहायता राशि [illegible] ने विभिन्न प्रकार के उपकरणों की खरीद पर कितनी [illegible] खर्च की जायेगी; और

(ग) इस सहायता राशि ऋण को किस प्रकार उपयोग में लाया जायेगा?

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कॉपरेशन (जे.बी.आई.सी.) से सह-वित्त पोषित विश्व बैंक द्वारा कोल इंडिया लि. को कोयला क्षेत्र पुनर्वास परियोजना (सी.एस.आर.पी.) के लिए कुल 1060 मिलियन अमरीकी डालर की राशि ऋण के रूप में स्वीकृत की गई।

(ख) इस ऋण में से विभिन्न प्रकार के उपकरणों की खरीद पर 863 मि. अमरीकी डालर की ऋणगत राशि के व्यय का अनुमान लगाया गया है।

(ग) उक्त ऋण का संवितरण जून, 1998 से जून, 2003 तक 5 वर्ष की अवधि में किया जाएगा। इस ऋण का उपयोग, कोल इंडिया लि. की 5 अनुषंगी कंपनियों के अंतर्गत आने वाली 24 कोयला खानों में निवेश की आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया जाएगा। यह निवेश, उपकरण की प्राप्ति, कोयला रख-रखाव संयंत्र, कोयला खान योजनाओं परामर्शदाता और तकनीकी सहयोग आदि की पूर्ति के लिए है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धी बोली के माध्यम से विश्व बैंक के प्राप्ति संबंधी दिशा निर्देशों के अनुसार ऋणगत प्राप्ति की जाती है।

सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति

829. श्री रामचन्द्र बैंदा : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न सरकारी उद्यम में स्वैच्छिक सेवानिवृति योजना शुरू करके उनके कर्मचारियों की संख्या घटाने का है;

(ख) यदि हां, तो किन उद्यमों में यह योजना शुरू करने का प्रस्ताव है अथवा शुरू की गई है;

(ग) क्या सरकार का इस योजना को अपनाने वाले कर्मचारियों को कुछ और अधिक प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए एक आदर्श स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वी.आर.एस.) पहले ही अक्तूबर, 1998 से अस्तित्व में है।

(ग) और (घ) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना एकक के स्वरूप के अनुसार विशेष योजना होगी।

प्रसंस्कृत खाद्य और फलों का निर्यात

830. श्री बाजू बन रियान : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रसंस्कृत खाद्य और फलों, विशेषकर सान्द्रित अनन्नास के रस के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अभी तक क्या प्रगति हुई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) और (ख) सरकार, विभिन्न समर्थनकारी/सहायता योजनाओं के जरिए प्रसंस्कृत खाद्य मदों तथा अनान्नास के रस सहित फलों जैसे उद्यान कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा दे रही है। इस संबंध में प्रदान की गई सहायता में निम्नलिखित बातें शामिल हैं:-

(1) मांस प्रसंस्करण के विकास तथा आधुनिकीकरण, खाद्य प्रसंस्करण के लिए फसलोत्तर बुनियादी सुविधा तथा कोल्ड चेन सुविधाओं की स्थापना के लिए अनुदान/ऋण का प्रावधान, अनुसंधान एवं विकास कार्य के लिए सहायता, पारम्परिक मत्स्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों तथा विपणन व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण;

(2) उद्यान-कृषि तथा अन्य कृषि खाद्य उत्पादों के लिए श्रेणीकरण/प्रसंस्करण केन्द्रों, नीलामी प्लेटफॉर्म, पक्कवन/क्योरिंग चेम्बर और गुणात्मकता परीक्षण उपकरणों की स्थापना के लिए सुलभ ऋणों का प्रावधान;

(3) विशिष्टीकृत परिवहन इकाइयों की खरीद, प्रशीतन पूर्व/शीतागार सुविधाओं की स्थापना, एकीकृत फसलोत्तर हैंडलिंग प्रणालियों (पैक हाउसेज) जैसी बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए निर्यातकों/उत्पादकों/सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना;

(4) निर्यात एककों में आईएसओ 9000/एचएसीसीपी प्रणालियों को अपनाने सहित उन्नत पैकेजिंग और गुणवत्ता नियंत्रण के सुदृढ़ीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना;

(5) क्रेता-विक्रेता बैठकों, और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मेलों और प्रदर्शनियों में सह-भागिता जैसे संवर्धनात्मक अभियानों की व्यवस्था करना;

(6) विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तनों पर एकीकृत कार्गोसंचालन और शीत भण्डार सुविधा की स्थापना करना;

(7) निर्यात उत्पादन, गुणवत्ता नियंत्रण, पैकेजिंग, परिवहन इत्यादि के लिए किसानों को प्रशिक्षण प्रदान करने सहित व्यापार और उद्योग जगत को तकनीकी परामर्शी सेवा और दूसरी सहायता सेवाएं मुहैया कराना।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रसंस्कृत खाद्य मदों, जिसमें फल एवं सब्जियां तथा अन्य प्रसंस्कृत खाद्य मदें शामिल हैं, के निर्यात से अर्जित की गई विदेशी मुद्रा का मूल्य निम्नानुसार है:-

वर्ष	(मूल्य करोड़ रुपए)
1996-97	2309.68
1997-98	2256.37
1998-99	1824.23

अनान्नास के उत्पादों के निर्यात मूल्य में वर्ष 1996-97 के 28.59 लाख रुपए, वर्ष 1997-98 के 101.17 लाख रुपए तथा वर्ष 1998-99 के दौरान 260.84 लाख रुपए शामिल हैं।

लाल चंदन लकड़ी का निर्यात

831. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने लाल चंदन काष्ठ के निर्यात को हैदराबाद हवाई अड्डा से नियमित करने पर विचार करने हेतु केन्द्र सरकार को कोई सलाह दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने 8 अक्टूबर, 1998 को केन्द्र सरकार को लाल चंदन की आड़ में अवैध व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए उठाये गये कदमों से संबंधित कोई संदेश भेजा है;

(ग) यदि हां, तो अन्य उठाये गये मुद्दे क्या हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) से (ग) जी, हां। आंध्र प्रदेश सरकार ने दिनांक 8 अक्तूबर, 1998 को एक पत्र भेजा था जिसमें लाल चंदन की लकड़ी और उससे विनिर्मित मूल्यवर्द्धित मदों की जांच करने के लिए चेन्नई बंदरगाह पर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के अधिकारियों का एक संयुक्त दल गठित करने का सुझाव दिया गया था। उन्होंने यह भी सुझाव दिया था कि तस्करी को रोकने के लिए आंध्र प्रदेश से लाल चंदन की लकड़ी का निर्यात चेन्नई बंदरगाह के बजाय सीधे हैदराबाद हवाई अड्डे के जरिए किया जाए।

(घ) इन मदों के लिए निर्यात लाइसेंस पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की सिफारिशों पर जारी किए जाते हैं जो अब लाल चंदन की लकड़ी से विनिर्मित मूल्यवर्द्धित मदों का निर्यात करने के लिए निर्यात लाइसेंस जारी करने की सिफारिश करने से पूर्व आंध्र प्रदेश सरकार से परामर्श करता है।

यूको बैंक

832. **श्री सुरेश रामराव जाधव** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस तथ्य के बावजूद कि यूको बैंक के लाभ का बड़ा हिस्सा उसकी विदेशी शाखाओं से आता है एम.एस. वर्मा कार्य दल ने उन्हें बंद करने की अनुशंसा की है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार ने बैंक की घाटे में चल रही शाखाओं के विलय के लिए क्या कदम उठाये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) एस.एस. वर्मा कार्य दल ने सिफारिश की है कि कमजोर बैंकों की विदेशी शाखाओं को बन्द करने की आवश्यकता है क्योंकि घटती लाभदेयता एवं परिसम्पत्तियों की खराब गुणवत्ता और विदेश में परिचालन पर्यावरण में अधिक अस्थिरता को ध्यान में रखते हुए, विदेश में परिचालन जारी रखना भविष्य में बहुत बड़ा भार साबित हो सकता है। यदि इनमें से कोई भी परिचालन जरा भी कठिनाई में पड़ता है अथवा यदि पूंजी पर्याप्तता के संबंध में, जिसको संभवत: बैंक पूरा नहीं कर सकें, स्थानीय नियंत्रक शर्तों की परिकल्पना करते हैं, तो स्थिति और खराब हो जाएगी। इससे न केवल इन बैंकों के लिए बल्कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली के लिए भी समस्या खड़ी हो जाएगी।

(ख) कार्य दल की सिफारिशों का भारतीय रिजर्व बैंक जांच कर रहा है।

(ग) पिछले वर्षों में पुनर्पूंजीकरण सहायता प्रदान करते समय, बैंकों पर एक शर्त यह लगाई गई थी कि घाटे में चल रही शाखाओं को बन्द/विलयन के माध्यम से घाटे में चल रही शाखाओं का यौक्तिकरण किया जाए।

हथकरघा आरक्षण अधिनियम, 1985

833. **श्री महबूब जहेदी** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हथकरघा आरक्षण अधिनियम, 1985 के अंतर्गत हस्तचालित बुनकर कार्यशाला के माध्यम से कुछ विशेष प्रकार के कपड़ों के उत्पाद का लक्ष्य नियत किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस अधिनियम के अंतर्गत हस्तचालित बुनकर कार्यशाला के माध्यम से उत्पादित किये जाने वाले 22 प्रकार के कपड़े थे;

(ग) यदि हां, तो क्या यह संख्या 22 से घटाकर 11 कर दी गयी थी;

(घ) क्या बाजार विकास सहायता योजना को समाप्त कर दिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;

(च) क्या हस्तकरघा विकास केन्द्र और गुणवत्ता रंजक इकाई परियोजनायें पूरी तरह से बन्द हो गयी हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री थिरुनावुक्करासर एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) जी, हां। इस उद्देश्य के लिए 1996 में अधिनियम के अन्तर्गत गठित सलाहकार समिति द्वारा विस्तृत विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया था।

(घ) और (ङ) विपणन विकास स्कीम 1.4.1998 से समाप्त की जानी थी। यद्यपि राज्य सरकारों तथा अन्य हथकरघा अभिकरणों से उसको जारी करने के लिए लगातार मांग प्राप्त होने के बाद मामला वित्त मंत्रालय को भेजा गया था तथा उनके अनुमोदन से, स्कीम को कुछ संशोधनों के साथ 31 मार्च, 2000 तक जारी किया गया है।

(च) और (छ) आर्थिक कार्यों की सचिवालय समिति ने पहले 1993-94 से 1996-97 तक 4 वर्षों की अवधि के लिए हथकरघा विकास केन्द्र तथा उत्कर्ष रंगाई इकाई स्कीम अनुमोदित

की गई थी तथा व्यय वित्तीय समिति के अनुमोदन से 1997-98 के दौरान जारी थी। यद्यपि 9वीं योजना की शेष अवधि के दौरान स्कीम को जारी रखने हेतु सरकार के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

प्रिंटिंग प्रेस और टकसाल

834. **श्री थावर चन्द गेहलोत** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में प्रिंटिंग प्रेसों और टकसालों की संख्या कितनी है, वे कहां-कहां स्थित हैं और उनकी क्षमता कितनी है;

(ख) 1995-96, 1996-97, 1997-98 और 1998-99 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा करेंसी नोट छापने तथा सिक्के बनाने का कार्य किन-किन प्रिंटिंग प्रेसों तथा टकसालों को सौंपा गया है और ये नोट और सिक्के कितने-कितने मूल्य के हैं;

(ग) उक्त प्रिंटिंग प्रेसों और टकसालों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गई मांग की तुलना में कितनी आपूर्ति की; और

(घ) किन प्रिंटिंग प्रेसों और टकसालों ने भारतीय रिजर्व बैंक की मांग के अनुसार नोट नहीं छापे हैं और सिक्के नहीं बनाये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) सूचना संलग्न विवरण I में दी गई है।

(ख) सूचना संलग्न विवरण II में दी गई है।

(ग) वर्ष 1998-99 में नोटों और सिक्कों की आपूर्ति भारतीय रिजर्व बैंक की मांग के क्रमशः 49 प्रतिशत और 26 प्रतिशत तक थी।

(घ) मुद्रणालयों/टकसालों में नोटों और सिक्कों का उत्पादन उनकी क्षमता के अनुरूप था।

विवरण-I

क्रम संख्या	यूनिट का नाम स्थान सहित	वर्तमान उत्पाद-मिश्रण के आधार पर वार्षिक क्षमता (मिलियन अदद में)	टिप्पणी
1	2	3	4
1.	बैंक नोट प्रेस, देवास	2900	आधुनिकीकरण किया जा रहा है और मुद्रणालय 2000 से नियमित उत्पादन करेगा।
2.	करेंसी नोट प्रेस, नासिक	5400	
3.	भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड, मैसूर	4750	निर्माणाधीन। ये मुद्रणालय 2000 से नियमित उत्पादन करेंगे।
4.	भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड, सालबोनी	4750	
5.	भारत सरकार टकसाल, मुम्बई	1000	आधुनिकीकरण का कार्य पूरा होने पर
6.	भारत सरकार टकसाल, हैदराबाद भारत सरकार टकसाल, चेरलापल्ली आन्ध्र प्रदेश	800	
7.	भारत सरकार टकसाल, कलकत्ता	1000	

1	2	3	4
8.	भारत सरकार टकसाल, नोएडा	2000	शीघ्र शुरू होने वाली द्वितीय पारी सहित
9.	भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नासिक	कृपया विवरणी "क" देखें।	
10.	प्रतिभूति मुद्रणालय, हैदराबाद	कृपया विवरणी "ख" देखें।	

(क) भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नासिक

क्र.सं.	मुद्रित मदों के नाम	वार्षिक उत्पादन क्षमता (करोड़ में)
1	2	3
1.	पोस्ट कार्ड	55.00
2.	साधारण लिफाफे	20.00
3.	पंजीकरण लिफाफे	0.80
4.	अन्तरदेशीय पत्र कार्ड	72.00
5.	हरे लिफाफे और सेना संबंधी लिफाफे	4.00
6.	एरोग्राम	3.00
7.	गैर-न्यायिक और सम्बद्ध फार्म (निर्गम पत्र)	8.69
8.	एम.आई.सी.आर. चैक	5.86
9.	चैक (गैर-एम.आई.सी.आर.)	2.70
10.	सार्वजनिक/शासकीय/स्मारक डाक टिकटें (निर्गम पत्र)	3.50
11.	गैर-डाक चिपकने वाली टिकटें (निर्गम पत्र)	1.40
12.	पासपोर्ट विवरणिका और वीजा पत्र	0.17
13.	विविध प्रतिभूति मदें (बचत प्रपत्र, रेलवे वारंट, आयात लाइसेंस आदि)	8.79

(ख) प्रतिभूति प्रिंटिंग प्रेस, हैदराबाद

क्र.सं.	मुद्रित मदों के नाम	वार्षिक उत्पादन क्षमता (करोड़ में)
1.	पोस्ट कार्ड	48.00
2.	अन्तरदेशीय पत्र कार्ड	54.00
3.	लिफाफे	13.80
4.	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टिकटें	34.40
5.	गैर-न्यायिक टिकटें	15.00

विवरण-II

क्र.सं.	प्रेसों/टकसालों के नाम और स्थान	1995-96 से 1998-99 की अवधि के दौरान मुद्रित/ढाले गए नोटों/सिक्कों के मूल्यवर्ग
प्रेसें		
1.	बैंक नोट प्रेस, देवास	20, 50, 100 और 500 रुपये मूल्यवर्ग के नोट।
2.	करेंसी नोट प्रेस, नासिक	10, 50 और 100 रुपये मूल्यवर्ग के नोट।
3.	भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड, सालबोनी	10 रुपये मूल्यवर्ग के नोट।
4.	भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड, मैसूर	10, 50 और 100 रुपये मूल्यवर्ग के नोट।
टकसालें		
5.	भारत सरकार टकसाल, मुंबई	5, 2 रुपये, 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के।
6.	भारत सरकार टकसाल, हैदराबाद भारत सरकार टकसाल, चेरलापल्ली	5, 2 रुपये, 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के।
7.	भारत सरकार टकसाल, नोएडा	5, 2 रुपये, 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के।
8.	भारत सरकार टकसाल, कलकत्ता	5, 2 रुपये, 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के।

[अनुवाद]

हेमको समूह की कम्पनियां

835. श्री शीश राम सिंह रवि : क्या **वित्त मंत्री** 5 मार्च, 1999 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1670 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अब तक 950 करोड़ की राशि वसूल कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) धोखाधड़ी के लिए दोषी पाये गये बैंक अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) मामले की बांच की जा रही है।

विनिवेश आयोग की सिफारिशें

836. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विनिवेश आयोग ने अपनी अनदेखी किए जाने और अपनी सिफारिशों पर निर्णय लेने/कार्रवाई करने में विलम्ब के लिए सरकार की आलोचना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आयोग की सिफारिशों पर कार्रवाई में विलम्ब के क्या मुख्य कारण हैं; और

(घ) विनिवेश आयोग की सिफारिशों पर शीघ्रता से निर्णय लेने/कार्यवाही करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) विनिवेश आयोग जो सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उद्यमों में विनिवेश के संबंध में सिफारिशें करता है, विनिवेश से संबंधित विभिन्न पहलुओं के संबंध में सरकार को समय-समय पर सलाह देता रहता है। इसने अपनी सिफारिशों के त्वरित कार्यान्वयन के पक्ष में अपने विचार व्यक्त किए हैं।

(ग) और (घ) सरकार को सभी पहलू ध्यान में रखते हुए विनिवेश आयोग की सिफारिशों के संबंध में निर्णय लेना होता है। विनिवेश आयोग की सिफारिशों को प्रक्रियान्वित करने तथा ऐसी सिफारिशों के संबंध में सरकार के निर्णयो का कार्यान्वयन करने के लिए एक निर्धारित प्रक्रिया है। आयोग की सिफारिशों पर निर्णय लेने में कोई विलम्ब नहीं हुआ है।

राजकोषीय घाटा

837. श्री पवन कुमार बंसल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वित्त वर्ष 1999-2000 के पहले छः महीनों के दौरान राजकोषीय घाटा पिछले वर्ष की तुलना में 11 प्रतिशत बढ़ गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) वित्तीय वर्ष 1999-2000 के पहले छह महीनों (अप्रैल-सितम्बर) के दौरान राजकोषीय घाटा 1998-99 की इसी अवधि के दौरान 43904 करोड़ रुपए (तुलनात्मक आधार पर) की तुलना में 52395 करोड़ रुपए (इसमें लघु बचत संग्रहणों में राज्य के हिस्से में से राज्यों को ऋण शामिल नहीं है) था। बजट अनुमानों के प्रतिशत के रूप में यह अप्रैल-सितम्बर, 1998 के दौरान 57 प्रतिशत से बढ़कर अप्रैल-सितम्बर, 1999 के दौरान 65.5 प्रतिशत हो गया। वित्तीय स्थिति की निरन्तर संवीक्षा की जा रही है और उभरती हुई वित्तीय प्रवृत्तियों को देखते हुए सरकार ने वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में व्यय को नियंत्रित करने और राजस्व संग्रहणों को बढ़ाने के लिए सुधारात्मक कदम उठाए है।

[हिन्दी]

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति

838 श्री सुरेश चन्देल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए कुछ लोगों को रिहा किया जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस अधिनियम के अंतर्गत की जा रही कार्रवाई की समीक्षा की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार): (क) जी, हां।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों का क्षेत्र-वार ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

क्षेत्र	1996	1997	1998
1	2	3	4
बम्बई	100	55	29
कलकत्ता	29	11	07

1	2	3	4
दिल्ली	19	32	09
जालन्धर	28	23	08
चेन्नई	47	31	18
अहमदाबाद	–	04	13
बंगलौर	–	03	8

सभी व्यक्तियों को जमानत पर/रिमांड अवधि पूरी होने पर छोड़ दिया गया था।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रवर्तन निदेशालय के निष्पादन की समीक्षा आवधिक रूप से मासिक रिपोर्ट के आधार पर की जाती है। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के अंतर्गत की गई कार्रवाई की समीक्षा जांच, न्याय निर्णयन एवं अभियोजन के विशेष सन्दर्भ के साथ की जाती है।

[अनुवाद]

बकाया ऋण प्रविष्टियां

839. श्री रामसागर रावत : क्या **वित्त मंत्री** बकाया ऋण प्रविष्टियों के बारे में 8.8.1997 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2703 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रविष्टियों का समायोजन कर लिया गया है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) कितनी प्रविष्टियां अब तक शेष हैं और इनका समायोजन कब तक कर लिया जाएगा;

(ग) की गई धोखाधड़ियों का ब्यौरा क्या है और इसमें कौन लोग लिप्त हैं और मामलों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या इसके बाद धोखाधड़ी के कुछ और मामले भी प्रकाश में आए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने अन्तर-शाखा लेखों (आई.बी.ए.) में बकाया प्रविष्टियों के समायोजन में काफी प्रगति की है। मार्च 1995 की अवधि तक निपटाने के लिए नगण्य प्रविष्टियां ही बची हैं। मार्च 1996 तक 16 बैंकों ने सभी प्रविष्टियां समायोजित की हैं, आठ बैंकों ने मार्च 1997 तक प्रविष्टियां समायोजित की हैं। बैंकों द्वारा अन्तर-शाखा लेखों में प्रविष्टियां समायोजित (कुल नामे डालना एवं जमा करना) करने की प्रगति नीचे दी गई सारणी में देखी जा सकती है।

(प्रविष्टियां लाख में)
(राशि करोड़ रुपए में)

की स्थिति के अनुसार	31.3.96 तक प्रविष्टियां		31.3.97 तक प्रविष्टियां		31.3.98 तक प्रविष्टियां		31.3.99 तक प्रविष्टियां	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
31.3.96	127.51	526323	–	–	–	–	–	–
31.3.97	31.74	43107	123.36	338806	–	–	–	–
31.3.98	11.04	9303	34.64	41797	80.55	249368	–	–
31.3.99	4.62	1541	11.67	5763	44.87	68094	142.40	477300

चूंकि अन्तर-शाखा लेखों का बकाया निपटान एक गंभीर बात है, बैंकों को कहा गया कि 31 मार्च, 1995 तक के अन्तर-शाखा लेखों में बकाया नामे एवं जमा प्रविष्टियां, जो 31 मार्च, 1999 तक नहीं निपटाई गई हैं, को अलग कर दिया जाए जिससे "अवरूद्ध खातों" में पड़े क्रेडिट शेष को ध्यान में रखते हुए 31 मार्च, 1999 के अनुसार निवल स्थिति का पता चल सके।

भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बैंकों को अपने अन्तर शाखा लेखों में प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार, तीन वर्ष से अधिक की निपटाई न गई बकाया प्रविष्टियों में से निवल डेबिट स्थिति के लिए 100 प्रतिशत प्रावधान करने के लिए कहा गया है जो 1998-99 के लेखा-वर्ष से शुरू की जाएंगी।

1 अप्रैल, 1999 से अन्तर-शाखा लेखों के द्वारा किए गए विभिन्न प्रकार के लेनदेनों के लिए बैंकों द्वारा श्रेणी-वार (शीर्ष-वार) लेखे रखे जाने चाहिए जिससे श्रेणी-वार निर्धारण किया जा सके। तुलन पत्र की तारीख के अनुसार, बैंकों को तीन वर्ष से अधिक समय तक निपटाई न गई डेबिट एवं क्रेडिट प्रविष्टियों को अलग करना होगा जिससे श्रेणी-वार निवल स्थिति पता चल सके। इसके बाद अन्तर-शाखा लेखों की सभी श्रेणियों के निवल डेबिट का योग निकालना चाहिए एवं 100 प्रतिशत कुल निवल डेबिट के समतुल्य एक प्रावधान बनाया जाए। निर्धारण करते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि एक श्रेणी के निवल डेबिट को दूसरी श्रेणी के निवल क्रेडिट में न दिखा दिया जाए।

(ग) जनवरी, 1996 से जुलाई, 1997 के दौरान 1 करोड़ रुपये एवं इससे अधिक की धोखाधड़ी के मामलों में चार सरकारी क्षेत्र के बैंकों एवं एक निजी बैंक द्वारा सूचित मामलों के संबंध में 28.78 करोड़ रुपये की कुल राशि उगाही गई।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बाद में अन्तर-शाखा निपटान के क्षेत्र में 1 करोड़ रुपए एवं इससे अधिक मूल्य के धोखाधड़ी के तीन और मामले सामने आए हैं।

(ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी सूचित किया है अगस्त, 1997 से आज की तारीख तक सूचित सरकारी क्षेत्र के बैंकों से जुड़े तीन मामलों में लम्बी बकाया डेबिट प्रविष्टियों के बड़े क्षेत्र में 1.17 करोड़ रुपए की राशि उगाही जा चुकी है। शेष राशि की उगाही एवं आपराधिक कार्रवाई के अतिरिक्त जहां भी सूचित किया जाता है, स्टाफ की जवाबदेही के लिए उचित कार्रवाई की जाती है।

उड़ीसा में आयकर/उत्पाद कर की वसूली

840. श्री मोइनुल हसन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उड़ीसा में आये हाल के चक्रवात के मद्देनजर वहां आयकर, उत्पाद शुल्क और ऐसे अन्य केन्द्रीय करों की वसूली को रोकने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कुल राशि कितनी होगी;

(ग) क्या सरकार ने गत अक्तूबर में आये महा चक्रवात के कारण उड़ीसा में उद्योग-धंधों को हुई क्षति का आकलन किया है और इन पीड़ित व्यक्तियों ने इस संबंध में बीमा कम्पनियों के पास कितनी राशि का दावा किया है; और

(घ) क्या सरकार ने बीमा कम्पनियों को ऐसे दावों को शीघ्र निपटाने का अनुदेश दिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) उड़ीसा में आए चक्रवात के कारण उद्योग और व्यवसाय को हुए नुकसान और क्षति की प्रमात्रा का कोई सही मूल्यांकन नहीं किया गया है। दिनांक 24.11.1999 की स्थिति के अनुसार बीमा कम्पनियों के पास किए गए दावों में लगभग 235 करोड़ रु. की राशि की क्षति दर्शायी गई है।

(घ) जी हां।

[हिन्दी]

मारूति उद्योग में शेयर

841. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक: क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार मारूति उद्योग लिमिटेड से अपना शेयर वापस लेने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

कोलम्बो योजना

842. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तकनीकी सहयोग योजना के अन्तर्गत कोलम्बो योजना के सदस्य देशों से भारत ने कोई तकनोकी सहायता प्राप्त की है/दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) कोलम्बो योजना के अन्तर्गत, भारत सरकार कोलम्बो योजना की तकनीकी सहयोग स्कीम (टी.सी.एस.) नामक एक स्कीम के तहत कोलम्बो योजना के 16 सदस्य देशों को तकनीकी सहायता प्रदान करती है। इस स्कीम में देश की लगभग 38 संस्थाओं में प्रतिवर्ष 400 कार्मिकों के लिए एक व्यापक एवं समेकित प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था है। इन प्रशिक्षणों का पूरा व्यय भारत सरकार वहन करती है। भारत को कोलम्बो योजना की तकनीकी सहयोग स्कीम के तहत अन्य सदस्य देशों से कोई तकनीकी सहायता प्राप्त नहीं होती है।

बी.ओ.आई.ए.एम.सी. में घोटाला

843. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान "इंडियन एक्सप्रेस" में 6 मई, 1999 को "सी.बी.सी. अनअर्थ्स रु. 300 करोड़ स्कैम इन बी.ओ.आई.ए.एम.सी." शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित तथ्यों का ब्यौरा क्या है और इससे बी.ओ.आई.ए.एम.सी. को कितनी राशि का नुकसान हुआ है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई दायित्व निर्धारण किया गया है; और

(घ) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) बैंक आफ इंडिया ने सूचित किया है कि वर्ष 1996-97 के दौरान निवेश लेनदेन करने वाली बैंक आफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट कंपनी लि. के कार्यकरण में, आंतरिक निरीक्षण के दौरान बिना उपयुक्त वित्तीय विश्लेषण के प्रत्यायोजित शक्तियों से परे लाभांश प्राप्य खाते में बट्टे खाते डालने और उचन्त खाते में बट्टे खाते डालने आदि जैसी कुछ कम्पनी की बीमांकित आय योजना में अनियमितताएं पाई गई थी। केन्द्रीय सतर्कता आयोग, जिससे बैंक ने परामर्श लिया था, ने बैंक आफ इंडिया और बी.ओ.आई.ए.एम.सी. के अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू करने का परामर्श दिया था और इसके फलस्वरूप बैंक ने कम्पनी के पूर्व प्रबंध निदेशक और अन्तर्ग्रस्त अन्य अधिकारियों के विरुद्ध भी विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी है। सी.वी.सी. ने भी केन्द्रीय जांच ब्यूरो को इसमें शामिल कर्मचारियों द्वारा किए गए अपराध की मात्रा का निर्धारण करने के लिए एक नियमित केस दर्ज करने का परामर्श दिया है। इस प्रकार के निदेशों से होने वाली कम्पनी की वास्तविक हानि की मात्रा निर्धारित नहीं की जा सकती, क्योंकि वह प्रतिभूति पत्रों की कीमतों पर आधारित है, जो घटते-बढ़ते रहते हैं।

बैंक शाखाओं का कम्प्यूटरीकरण

844. श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में भारतीय स्टेट बैंक की सभी शाखाओं का कंप्यूटरीकरण करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो अभी तक भारतीय स्टेट बैंक और अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों की कंप्यूटरीकृत और अकंप्यूटरीकृत शाखाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सभी शाखाओं के कब तक कंप्यूटरीकृत हो जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) केन्द्रीय सतर्कता आयोग के वर्ष 2001 के अन्त तक 70% कारोबार कवर करने के निदेशों को ध्यान में रखते हुए किन शाखाओं को कंप्यूटरीकृत किया जाएगा यह निर्णय भारतीय स्टेट बैंक को लेना है न कि सरकार को। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, दिनांक 31 अगस्त, 1999 को भारतीय स्टेट बैंक और अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों की पूर्णतः कंप्यूटरीकृत शाखाओं और गैर-कंप्यूटरीकृत शाखाओं के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:-

	पूर्णतः कंप्यूटरीकृत शाखाओं की संख्या	गैर-कंप्यूटरीकृत शाखाओं की संख्या
1. भारतीय स्टेट बैंक	1773	7168
2. राष्ट्रीयकृत बैंक	3080	29566

(ग) सभी शाखाओं को पूर्णतः कंप्यूटरीकृत करने के लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं बताई जा सकती है।

कंपनियों के पुनर्गठन के लिए समिति

845. श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कंपनियों के दिवालियापन और पुनर्गठन के मामलों की जांच करने के लिए एक समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो इसके कार्यकाल और कार्यों संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बहुत से अनिवासी भारतीय भारत में निवेश करने के इच्छुक हैं लेकिन कुछ कंपनियों की छवि ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया है;

(घ) क्या सरकार ने कारपोरेट शासन विषय की व्यापक शोध और इसके उद्देश्यों के हेतु एशिया विकास बैंक से संपर्क किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, हां। सरकार ने कंपनियों को बंद करने की कार्यवाहियों से संबंधित मौजूदा कानून की जांच के लिए कार्पोरेट कानून शासन में नवीनतम गतिविधियों तथा परिवर्तनों के अनुरूप इसे नया रूप देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के एक सेवा-निवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति का हाल ही में गठन किया है। समिति कंपनियों की दिवालिया कार्यवाहियों में अपनाई जा रही प्रक्रिया के लिए सुधारों का सुझाव भी देगी ताकि अनावश्यक विलम्ब से बचा जा सके तथा इस क्षेत्र में इसे अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के अनुरूप बनाया जा सके।

(ख) समिति के विचारार्थ विषय हैं:- कंपनियों को बंद करने से संबंधित मौजूदा कानून में परिवर्तन की वांछनीयता की जांच एवं सिफारिशें करना ताकि अंतिम रूप से कारोबार बंद करने में विलम्ब न हो, ऐसी प्रक्रिया सुझाना जिसके द्वारा कंपनियों का प्रबन्ध इसके बंद होने के आदेश के जारी होने के बाद किया जाएगा, तथा ऐसा प्राधिकारी विनिर्दिष्ट करना जो बंद करने के कार्य की देख-रेख करेगा, बंद करने तथा कंपनियों के दिवालियापन के न्याय निर्णयन करेगा, कंपनियों की परिसंपत्तियों की बिक्री से होने वाली आय के प्रभावी वितरण के बारे में नियम निर्धारित करेगा तथा रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 तथा प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 को ध्यान में रखते हुए कंपनियों को बंद करने के लिए एक स्वतः पूर्ण कानून का प्रस्ताव करना है। समिति अपनी रिपोर्ट अपनी पहली बैठक की तिथि से तीन मास की अवधि में प्रस्तुत करेगी।

(ग) भारत में निवेश के लिए अनिवासी भारतीयों को विभिन्न सुविधाएं/योजनाएं दी गई हैं, तथा अनिवासी भारतीयों द्वारा व्यक्तिगत रूप से निवेश करने का निर्णय योजना की आकर्षकता, भारतीय पूंजी बाजार की सशक्तता तथा विश्वसनीयता को देखते हुए निवेशों के प्रतिफल की उनकी अपनी विचारणा पर निर्भर करता है।

(घ) और (ङ) इस मामले में अब तक सरकार ने एशियाई विकास बैंक से औपचारिक रूप से संपर्क नहीं किया है।

पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिये योजना

846. श्री दिन्शा पटेल : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आठवीं योजना के दौरान पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिये केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना लागू की गयी थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना अवधि के दौरान इस योजना में कितनी प्रगति हुई; और

(ग) इस योजना से गुजरात को किस सीमा तक लाभ हुआ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) आठवीं योजनावधि के दौरान पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए निम्न केन्द्रीय तौर पर दो योजनाएं प्रायोजित की गईं:–

(1) विकास केन्द्र योजना

(2) एकीकृत अवसंरचनात्मक सुविधा विकास योजना

विकास केन्द्र योजना में औद्योगिक अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास की परिकल्पना है ताकि राज्य विकास केन्द्रों को भौतिक रूप से स्थापित कर सकें तथा पिछड़े जिलों में औद्योगिक एककों को आकृष्ट किया जा सके। एकीकृत अवसंरचनात्मक सुविधा विकास (आई.आई.डी.) योजना में लघु उद्योगों के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास की परिकल्पना है ताकि ग्रामीण/पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को स्थापित करने में सुविधा हो। इन योजनाओं को नौवीं पंचवर्षीय योजनावधि में भी जारी रखा गया है।

(ख) और (ग) इस संबंध में प्राप्त की गई उपलब्धियां निम्न हैं:–

विकास केन्द्र योजना:

8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किये गये कुल विकास केन्द्रों की संख्या 54 थीं और केन्द्रीय सहायता हेतु कुल 228.75 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी। विकास केन्द्रों के कार्यान्वयन की प्रगति को ध्यान में रखते हुए 12 विकास केन्द्रों के मामले में केन्द्रीय सहायता की पूरी राशि जारी कर दी गयी थी। तीन विकास केन्द्रों की गुजरात में पहचान की गयी है। ये केन्द्र निम्न हैं:– वागरा (जिला भड़ौच), गांधीधाम (जिला कच्छ) और पालनपुर (जिला बनासकांठा)।

30.9.99 की स्थिति के अनुसार गुजरात राज्य की सरकार द्वारा प्रस्तुत की गयी सूचनानुसार उनके राज्य के तीन विकास केन्द्रों के कार्यान्वयन की प्रगति नीचे दर्शायी गई है:–

वागरा (जिला भड़ौच):– इस परियोजना पर कुल 4940 लाख रुपये का व्यय हुआ है, जिसमें केन्द्र द्वारा जारी की गयी अपनी संपूर्ण 10 करोड़ रु. की राशि शामिल है तथा शेष राशि राज्य सरकार द्वारा व्यय की गयी है। इस विकास केन्द्र में औद्योगिक भूखंडों का आवंटन आरंभ हो गया है। जहां तक गांधीधाम (जिला कच्छ) और पालनपुर (जिला बनासकांठा) केन्द्रों का संबंध है, राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की जा रही है। राज्य की इन परियोजनाओं में से प्रत्येक को 500 लाख रुपये की केन्द्रीय तथा राज्य सरकार द्वारा राशि स्वीकृत की गयी है।

एकीकृत अवसंरचनात्मक सुविधा विकास योजना (आई.आई.डी.):

इस योजना के तहत विभिन्न राज्यों में 47 परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। 9 केन्द्रों के मामले में विकास संबंधी कार्य लगभग पूरे कर लिए गए हैं और बहुत से एकक स्थापित किये गये हैं।

गुजरात राज्य में निम्नलिखित स्थानों पर दो केन्द्र अनुमोदित किये गये हैं:–

(1) ग्राम मियानी (जिला जूनागढ़), जहां कि केन्द्र सरकार द्वारा परियोजना के लिए 92.50 लाख रुपये की राशि जारी की गयी है।

(2) ग्राम राधनपुर (जिला बनासकांठा): जी.आई.डी.सी. द्वारा भूमि अधिग्रहीत कर ली गयी है तथा विकासात्मक कार्य आरम्भ हो गया है।

दोनों योजनाओं के अधीन परियोजनाओं को राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

कॉफी का उत्पादन

847. श्री सी. श्रीनिवासन : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कॉफी का विपणन उसके प्रचुर उत्पादन के अनुरूप नहीं हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो विशेषकर सरकार के लिए राजस्व प्राप्ति के हित में कॉफी की खेती को बढ़ावा देने और कॉफी की खेती की अस्थिर प्रवृत्ति को स्थिरता प्रदान करने के लिए इसके द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) और (ख) जी, नहीं। देश में उत्पादित कॉफी का 85% से अधिक हिस्सा निर्यात किया जाता है और बाकी हिस्से का देश में उपभोग किया जाता है।

कॉफी बोर्ड, सघन खेती, पुनर्रोपण, गुणवत्ता सुधार और जल वृद्धि के लक्ष्य को ध्यान में रखकर अनेक योजना कार्यक्रमों और विकासात्मक क्रियाकलापों के प्रचालन के अलावा कृषि अनुसंधान,

विस्तार कार्य, ऋण तथा वित्त की व्यवस्था तथा अन्य आवश्यक समर्थनकारी सेवाएं रोपण उद्देश्यों के लिए कॉफी बीज की आपूर्ति के रूप में आवश्यक सहायता उपलब्ध करा रहा है।

ब्रिटिश सरकार से सहायता

848. **श्री मोहन रावले :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ब्रिटिश सरकार से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह सहायता किन योजनाओं के लिए प्राप्त की जा रही है;

(ग) क्या ब्रिटिश सरकार का भारत को दी जा रही वर्तमान वार्षिक सहायता राशि को बढ़ाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, हां।

(ख) भारत को ब्रिटिश सहायता जो समस्त अनुदान के रूप में होती है, विभिन्न क्षेत्रों जैसे गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण, विद्युत, पर्यावरण, वानिकी तथा नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधनों में पारस्परिक सम्मत परियोजनाओं के लिए प्राप्त की जाती है।

(ग) और (घ) जी, हां। हाल ही में, 25-27 मई 1999 को लंदन में हुई इंडो-यू.के. वार्षिक सहायता बातचीत के दौरान ब्रिटिश सरकार ने 2000-2001 और 2001-2002 के लिए अनुदान-सहायता क्रमशः अपने वर्तमान 100 मिलियन डालर के वार्षिक स्तर से बढाकर 115 मिलियन डालर और 130 मिलियन डालर करने का संकेत दिया था।

रबड़ का मूल्य

849. **श्री टी. गोविन्दन :** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केरल के रबड़ उत्पादक रबड़ की कीमतों में गिरावट के कारण गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं और रबड़ के पौधे काटकर दूसरी खेती की व्यवस्था कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन उत्पादकों की रबड़ बागान से ही अपनी जीविका चलाने हेतु रबड़ की खेती के लिए प्रोत्साहित करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) और (ख) सरकार को प्राकृतिक रबड़ की कीमतों में आई गिरावट की जानकारी है और इसने मूल्य में आई गिरावट को रोकने के लिए सरकारी खाते से प्राकृतिक रबड़ की खरीद सहित अनेक कदम उठाए हैं। सरकार ने रबड़ के किसानों के लिए अनेक विकासात्मक योजनाएं भी लागू की हैं। तथापि, किसानों द्वारा रबड़ के पौधों को काटे जाने तथा दूसरे प्रकार की खेती में लग जाने की कोई घटना सरकार की जानकारी में नहीं आई है।

[हिन्दी]

सरकारी उपक्रमों में आरक्षित पदों का भरा जाना

850. **श्री रामदास आठवले :** क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार, सरकारी उपक्रमों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों के बैकलॉग को किसी विशेष भर्ती अभियान के माध्यम से भरने के लिए आदेश जारी करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार ने आरक्षित पदों के बैकलॉग को भरने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) से (ग) इस समय सरकार विशेष भर्ती अभियान के माध्यम से सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित बकाया रिक्तियों पर भर्ती करने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। तथापि, सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों ने अपने अधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को उपयुक्त रूप से यह अनुदेश दिए हैं कि वे लागू प्रक्रिया के अनुसार आरक्षित पदों पर समय पर भर्ती सुनिश्चित करें, ताकि रिक्तियां बकाया न रहें।

[अनुवाद]

रुपए का मूल्य

851. **श्री सुशील कुमार शिंदे :**
श्री जे.एस. बराड़ :
श्री प्रवीण राष्ट्रपाल :
श्री माधवराव सिंधिया :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जनवरी, 1998 से सितम्बर, 1999 के दौरान न्यूनतम मुद्रास्फीति की स्थिति में भी डालर तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं की तुलना में रुपए के मूल्य का अवमूल्यन हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत छः माह के दौरान डालर, येन तथा स्टर्लिंग की तुलना में रुपए के अवमूल्यन का न्यूनतम स्तर क्या रहा है;

(ग) रुपए की कीमत में गिरावट के क्या कारण हैं;

(घ) भारतीय रुपए को मजबूती प्रदान करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान रुपए के मूल्य में गिरावट की प्रवृत्ति को रोकने के लिए सरकार ने कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) अमरीकी डालर की तुलना में रुपए की विनिमय दर जनवरी, 1998 से 39.38 रुपए प्रति डालर से घटकर सितम्बर, 1999 में 43.53 के न्यून स्तर पर पहुंच गई और जापानी येन की तुलना में यह दर जनवरी, 1998 के 30.32 रुपए प्रति 100 जापानी येन से घटकर सितम्बर, 1999 में 40.65 रुपए के न्यून स्तर पर पहुंच गई। पौंड स्टर्लिंग की तुलना में रुपए की विनिमय दर जनवरी, 1998 के 64.37 रुपए प्रति पौंड से घटकर अक्तूबर, 1998 में 71.59 रुपए के न्यून स्तर पर पहुंच गई लेकिन सितम्बर 1999 तक पुनः बढ़कर 70.61 रुपए हो गई लेकिन इस बीच इसमें छोटे-मोटे उतार-चढ़ाव आते रहे।

(ग) भारत में रुपए की विनिमय दर बाजार द्वारा निर्धारित होती है। इस अवधि के दौरान रुपए की नॉमिनल विनिमय दर में घट-बढ़ भारत के विदेशी मुद्रा बाजार की गतिविधियों को परिलक्षित करती है, जो स्वयं विदेशी मुद्रा के अन्तर्प्रवाहों एवं बहिर्प्रवाहों से प्रभावित होती हैं। प्रमुख मुद्राओं की तुलना में रुपए की विदेश में कीमत में घट-बढ़ कुछ हद तक अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इन मुद्राओं की तुलना में अमरीकी डालर में घट-बढ़ को परिलक्षित करती है।

(घ) विनिमय दर घटनाक्रम को सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक दोनों द्वारा नजदीकी से मॉनीटर किया जाता है। प्राधिकारियों द्वारा शुरू किए गए दीर्घावधिक उपायों में वृहत आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देना, उत्पादन और उत्पादकता की निरन्तर तीव्र वृद्धि हासिल करना, चालू खाता घाटे के स्तर को वहनीय स्तरों तक बनाए रखने के लिए उपयुक्त नीतियां और पूंजी प्रवाहों का प्रबन्ध वैदेशिक वित्तपोषण की देश की आवश्यकता के अनुरूप बनाए रखना शामिल है। इन उपायों ने रुपए के वैदेशिक मूल्य में काफी हद तक स्थिरता बनाए रखने में मदद की है।

(ङ) भारतीय रिजर्व बैंक, जब कभी आवश्यक हो, विदेशी मुद्रा बाजार को स्थिरता प्रदान करने के लिए हाजिर और वायदा दोनों कारोबारों में विदेशी मुद्रा के प्रारक्षित भंडारों की बिक्री/क्रय संबंधी गतिविधियां हाथ में लेता है। जनवरी, 1998 से सितम्बर, 1999 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2757.5 मिलियन अमरीकी डालर की निवल संचयी खरीद की गई।

राजस्थान के लिए आर्थिक पैकेज

852. **कर्नल (सेवानिवृत्त) सोनाराम चौधरी :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान की राज्य सरकार दिवालियेपन के कगार पर है और राज्य में चल रहे सभी विकास कार्य ठप्प पड़ चुके हैं जैसाकि प्रमुख राष्ट्रीय अखबारों में खबरें छपी हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार राजस्थान सरकार के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे पैकेज की घोषणा कब तक किये जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

औद्योगिक इकाइयों पर उप-कर

853. डा. अशोक पटेल : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का रुग्ण इकाइयों के पुनरुद्धार हेतु औद्योगिक इकाइयों पर उप-कर लगाने और एक निधि स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

गेहूं का आयात

854. श्री टी.एम. सेल्वागनपति : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पिछले वर्ष शुरू किए गए ओ.जी.एल. के अंतर्गत गेहूं आयात को समाप्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या दक्षिणी क्षेत्र के आटा मिल मालिकों ने ओ.जी.एल. के तहत गेहूं का आयात समाप्त करने अथवा इसके अंतर्गत गेहूं के आयात पर कोई आयात शुल्क न लगाने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) और (ख) गेहूं का आयात ओ.जी.एल. के अंतर्गत नहीं आता है और इसका भारतीय खाद्य निगम के जरिए सरणीयन किया जाता है। तथापि आटा मिल मालिकों को वास्तविक उपभोक्ता आधार पर अपनी खुद की जरूरत के लिए गेहूं का आयात करने की अनुमति दी जाती है। इसलिए ओ.जी.एल. से इसे हटाने का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) सरकार को 0% सीमाशुल्क पर आटा मिल मालिकों के लिए गेहूं का आयात करने से संबंधित नीति को जारी रखने के बारे में दक्षिणी क्षेत्र के आटा मिल मालिकों का अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। तथापि, देश में उपलब्ध गेहूं के स्टाक को देखते हुए आयातित गेहूं पर 50% सीमाशुल्क लगाया गया है।

[हिन्दी]

कर्मचारियों की अधिकता

855. श्री नवल किशोर राय :
डा. सुशील कुमार इन्दौरा :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 अक्तूबर, 1999 के "आब्जर्वर" समाचारपत्र में "इंडस्ट्री हैज 45 परसेंट सरप्लस स्टाफ—स्टडी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है तथा अध्ययन के मुताबिक पाए गए अतिरिक्त कर्मचारियों का श्रेणीवार अलग-अलग प्रतिशत क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में उपचारात्मक उपाय किये है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकारी मंत्रालयों और विभागों की समीक्षा व उनका पुनर्गठन एक सतत् प्रक्रिया है उदाहरणार्थ, पूर्व उद्योग मंत्रालय का वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय और भारी उद्योग तथा सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय में हाल ही में किया गया पुनर्गठन। कर्मचारियों की किसी भी प्रकार की समीक्षा, मंत्रालयों और विभागों के लक्ष्यों और कार्यकलापों के अनुरूप होगी।

[अनुवाद]

खनिजों पर रायल्टी

856. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार :
प्रो. रासासिंह रावत :

क्या **खान और खनिज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार विभिन्न राज्यों से प्राप्त होने वाले खनिजों पर किस दर से रायल्टी का भुगतान कर रही है;

(ख) क्या बहुत समय से खनिजों पर मिलने वाली रायल्टी की दर में संशोधन नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या विभिन्न राज्य सरकारों ने रायल्टी की राशि को बढ़ाने और उसका समय से भुगतान करने का अनुरोध किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(छ) किन-किन राज्यों को बकाया रायल्टी का भुगतान अभी किया जाना है?

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) गौण खनिज [खान और खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1957 (एम.एम.आर.डी., एक्ट) की धारा 3(ङ) में परिभाषित] को छोड़कर अन्य खनिजों पर रायल्टी की दर का निर्धारण एम.एम.आर.डी. अधिनियम, 1957 की द्वितीय अनुसूची में किया गया है। गौण खनिजों के बारे में रायल्टी की दरों का निर्धारण संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। सरकारी कम्पनियों और निजी क्षेत्र दोनों द्वारा रायल्टी का भुगतान सीधे ही संबंधित राज्य सरकार को किया जाता है।

(ख) से (च) खान और खनिज विनियमन एवं विकास (एम.एम.आर.डी.) अधिनियम की धारा 9(3) के प्रावधानों के अंतर्गत खनिजों की रायल्टी दर में वृद्धि तीन वर्षों में एक बार से अधिक बार नहीं की जा सकती। केयला एवं लिग्नाइट को छोड़कर अन्य खनिजों की रायल्टी में संशोधन 11.4.1997 को किया गया था। इसलिए इन खनिजों की रायल्टी में वृद्धि 10.4.2000 के पश्चात् ही की जा सकती है। कोयले की रायल्टी दरों में 11.10.1994 को संशोधन किया गया था।

गौण खनिजों को छोड़कर अन्य खनिजों की रायल्टी दरों में वृद्धि किए जाने के लिए राज्य सरकारों से समय-समय पर अभिवेदन प्राप्त होते हैं। सरकार एम.एम.आर.डी. अधिनियम में निर्धारित फ्रेमवर्क के अंतर्गत रायल्टी दरों में संशोधन किए जाने के लिए निर्णय लेती है।

(छ) खनिजों पर रायल्टी का भुगतान पट्टेधारी द्वारा सीधे ही राज्य सरकार को किया जाता है, अतः सूचना को केन्द्रीय रूप में नहीं रखा जाता है।

थोक मूल्य सूचकांक

857. श्री बसुदेव आचार्य :
श्री सुरेश रामराव जाधव :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या थोक मूल्य सूचकांक की समीक्षा के लिए किसी कार्यदल का गठन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या कार्यदल ने रिपोर्ट दे दी है;

(ग) यदि हां, तो कार्यदल की प्रमुख संस्तुतियां क्या हैं; और

(घ) थोक मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष को बदलने का निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमण): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) कार्यदल की मुख्य संस्तुतियां इस प्रकार हैं:-

(1) वर्ष 1993-94 नये आधार वर्ष के रूप में;

(2) वस्तु सूची के अंतर्गत कुल मदों की संख्या 435 है;

(3) तीन प्रमुख दल नामतः "मुख्य मदें", "ईंधन, विद्युत, प्रकाश व स्नेहक" और "विनिर्मित उत्पाद" का भार प्रतिशत क्रमशः 22.02 14.23 और 63.75 होगा;

(4) कुछ महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए व्यावसायिक सेवा मूल्य सूचकांक का संकलन करने के लिए प्रयास किया जायेगा; और

(5) वस्तु सूची, बाजारों, खेतों, इत्यादि में अपेक्षित निरन्तर परिवर्तनों के बारे में परामर्श देने के लिए एक स्थायी समिति स्थापित की जाये।

(घ) थोक मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष में परिवर्तन आवश्यक प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त होने पर किया जायेगा।

महानगरों में ए.टी.एम.

858. **श्री पी.एस. गढ़वी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा महानगरों के विभिन्न भागों में स्वचालित गणक मशीन लगाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने अभी तक क्षेत्रवार कितने बैंकों को इसे लगाने की अनुमति दी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक के हाल के मार्गनिर्देशों के अनुसार, बैंकों को स्वचालित गणक मशीन (ए.टी.एम.) लगाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से पूर्वानुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। बैंक, शाखाओं तथा विस्तार पटलों पर ए.टी.एम. लगा सकते हैं और साथ ही पहचान किए गये विभिन्न स्थानों पर केवल ए.टी.एम. भी लगा सकते हैं। ए.टी.एम. लगाते समय बैंक किसी स्थान विशेष पर मशीन लगाने की आवश्यकता तथा पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्थाओं की उपलब्धता का मूल्यांकन करता है। एक और ग्राहक सेवा को सुदृढ़ बनाने तथा दूसरी ओर बैंक की परिचालन संबंधी लागत को कम करने के उपाय के रूप में बैंकों को ए.टी.एम. लगाने की स्वतंत्रता दी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने अब तक विभिन्न कस्बों और शहरों में 171 ए.टी.एम. लगा दिए हैं।

उत्तर प्रदेश में हस्तशिल्प को प्रोत्साहन

859. **श्री अशोक प्रधान :**
श्री रामशकल :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश सरकार से पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार के प्रोत्साहन के लिए कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) आज की तिथि के अनुसार उन प्रस्तावों में से कितने लम्बित पड़े हैं या विचाराधीन हैं;

(ग) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश में हस्तशिल्प को प्रोत्साहन देने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उत्तर प्रदेश में हस्तशिल्प के प्रोत्साहन के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान और वर्तमान वर्ष में आज की तारीख तक कितनी धनराशि खर्च हुई?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनंगी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों से उत्तर प्रदेश सरकार से हस्तशिल्प के संवर्धन के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, उत्तर प्रदेश राज्य में हस्तशिल्प के संवर्धन के लिए उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लि., कानपुर और उत्तर प्रदेश व्यापार संवर्धन प्राधिकरण, कानपुर से कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्राप्त आज तक लम्बित अथवा विचाराधीन प्रस्तावों की संख्या इस प्रकार है:

क्रमांक	वर्ष	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	लम्बित अथवा विचाराधीन प्रस्तावों की संख्या
1.	1996-97	17	–
2.	1997-98	12	1
3.	1998-99	7	1

(ग) और (घ) उत्तर प्रदेश राज्य सहित देश में हस्तशिल्प के संवर्धन और विकास की स्कीमों में डिजाइन विकास, प्रशिक्षण, शिल्प विकास केन्द्र और एम्पोरिया की स्थापना, विपणन विकास, वर्कशेड-सह-आवास और समूह बीमा आदि शामिल हैं।

(ङ) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष (आज तक) के दौरान उत्तर प्रदेश में हस्तशिल्प के संवर्धन के लिए रिलीज की गई धनराशि निम्नलिखित है:-

क्र.सं.	वर्ष	धनराशि (लाख रु. में)
1.	1996-97	297.80
2.	1997-98	206.44
3.	1998-99	214.07
4.	1999-2000 (आज तक)	74.03

चीनी का आयात

860. **श्री पी.सी. थामस :**
श्री चन्द्रनाथ सिंह :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान पाकिस्तान से चीनी आयात की है;

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा में चीनी आयात हुई और चीनी आयात में कौन से लोग/कंपनियां शामिल हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक देशवार और किस दर से कितनी मात्रा और मूल्य की चीनी निर्यात की गयी;

(घ) चीनी निर्यात के क्या कारण हैं; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान वर्षवार देश में चीनी का घरेलू उत्पादन और मांग कितनी थी?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (मुरासोली मारन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) चीनी का निर्यात मात्रात्मक सीमा के अधीन रहते हुए किया जाता है किन्तु अधिमानी कोटा अर्थात् 33000 मी. टन के अन्तर्गत ई.यू./यू.एस. को चीनी का निर्यात करने के अलावा इस वर्ष उपभोक्ता पैकों में 25000 मी. टन तक के निर्यात की अनुमति दी गई है। गत तीन वर्षों के दौरान निर्यात की गई चीनी की कुल मात्रा और मूल्य तथा देश में चीनी का उत्पादन और आवश्यकता निम्नानुसार है:-

वर्ष	निर्यात		उत्पादन	खपत
	मात्रा (मी. टन)	मूल्य (करोड़ रुपये)	(लाख मी. टन)	
1997-98	175081	240.60	193.7	141.4
1998-99	11290	15.80	207.1	141.8
1999-2000 (अ) (अप्रैल-अगस्त)	2229	3.13	225.0	146.7

(अ) अनंतिम

निर्यात एवं आयात के देश-वार ब्यौरे वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डी.जी.सी.आई. एंड एस.), कलकत्ता द्वारा प्रकाशित भारत के विदेश व्यापार सांख्यिकी के मासिक/वार्षिक अंकों में उपलब्ध हैं जिनकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

राज्य परियोजनाओं के लिए धनराशि

861. **श्री ए. वेंकटेश नायक :**
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने संकटपूर्ण आधारभूत संतुलन के लिए वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु 15 राज्यों की विभिन्न परियोजनाओं के लिए 52.35 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप निर्यात को बढ़ाने के लिए आधारभूत अड़चनों को कहां तक समाप्त करने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) अभी तक संकटपूर्ण आधारभूत संतुलन योजना के अन्तर्गत कुल 58 परियोजनाओं की स्वीकृति दी गई है, जो विभिन्न राज्यों में नीचे दर्शाए अनुसार स्थित हैं:–

(करोड़ रुपए)

राज्य	स्वीकृत राशि	परियोजनाओं की सं.
आंध्र प्रदेश	7.0444	7
असम	8.9547	2
गोवा	7.50	1
गुजरात	1.3940	1
कर्नाटक	8.75	2
केरल	8.39	7
मध्य प्रदेश	2.64	2
महाराष्ट्र	3.1642	2
मेघालय	3.08	2
मिजोरम	2.00	1
उड़ीसा	4.917	3
राजस्थान	8.50	3
तमिलनाडु	3.24	4
त्रिपुरा	0.68	2
उत्तर प्रदेश	26.9675	13
पश्चिम बंगाल	11.00	6

(ग) इस योजना के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजना का उद्देश्य निर्यात और निर्यात उत्पादन के लिए आधारभूत क्षेत्र में मौजूद महत्वपूर्ण अन्तरों को समाप्त करना है। स्वीकृत परियोजनाओं में मुख्यत: सड़कों का विकास, निर्यात एककों को निरन्तर तथा गुणवत्ता के आधार पर विद्युत की आपूर्ति करना, अर्थ स्टेशनों की स्थापना, निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों का कम्प्यूटरीकरण आदि शामिल है।

[हिन्दी]

गन्दे और फटे-पुराने नोट

862. श्री मोहन रावले : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में गन्दे और फटे-पुराने नोटों के चलाये जाने की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो लोगों को अच्छी हालत में नोट उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाये जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी हां।

(ख) लोगों को अच्छी हालत में करेंसी नोट उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

(1) 1 रु., 2 रु. और 5 रु. का सिक्काकरण करना तथा इस प्रकार बचाई गई क्षमता का उपयोग उच्चतर मूल्यवर्ग के नोटों के उत्पादन के लिए करना।

(2) बैंक नोट प्रेस, देवास तथा करेंसी नोट प्रेस, नासिक की वर्तमान वार्षिक क्षमता को 5875 मिलियन अदद से बढ़ाकर 8300 मिलियन अदद करने के लिए उनका आधुनिकीकरण।

(3) भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रणाधीन दो नई नोट प्रिंटिंग प्रेसों की स्थापना करना—एक सालबोनी में और दूसरी मैसूर में—इनमें प्रत्येक की वार्षिक क्षमता 4750 मिलियन अदद होगी।

(4) एक बारगी उपाय के रूप में, विदेशों से 3600 मिलियन अदद (2000 मिलियन अदद नोट 100 रुपये के तथा 1600 मिलियन अदद नोट 500 रुपये के) की मात्रा में मुद्रित नोटों के आयात का सहारा लेना।

(5) 1 रुपए, 2 रुपए के सिक्कों के स्वदेशी उत्पादन के पूरक के रूप में सरकार ने जनवरी, 1998 से सितम्बर, 1999 की अवधि के दौरान 1 रुपए के 1400 मिलियन अदद और 2 रुपए के 600 मिलियन अदद सिक्कों का आयात किया। उसके बाद इनका वितरण कर दिया गया है।

(6) भारतीय रिजर्व बैंक वर्ष 1999 के दौरान "क्लीन नोट पॉलिसी" अमल में लाया और एक विशेष अभियान के भाग के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के विशेष काउंटरों के माध्यम से अब तक 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के 27.76 मिलियन अदद नोट हमेशा के लिए नष्ट करने के लिए प्रचलन से हटा दिए गए हैं, क्योंकि इन मूल्यवर्गों की छपाई इस मूल्यवर्गों के सिक्काकरण की सरकारी नीति के कारण 1995 से बन्द कर दी गई थी।

(7) बैंकों को आम जनता को पुन: जारी करने के लिए केवल बहुत अच्छी हालत वाले नोट छांटने की सलाह दी गई है।

एन.टी.सी. मिलों की स्थिति

863. प्रो. रासासिंह रावत : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान में राष्ट्रीय वस्त्र निगम की कितनी मिलें चल रही हैं और उनकी वर्तमान स्थिति, उत्पादन क्षमता, कार्यशील पूंजी और श्रमिकों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) श्रमिकों की संख्या में निरन्तर कमी आने और आदेशों तथा संसाधनों के अभाव के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने मुनाफा कमाने वाली इन मिलों, जो इस समय घाटे में चल रही हैं, के कारणों की जांच कराई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन मिलों के पुनरुद्धार के संबंध में सरकार की क्या योजना है और यह योजना कब तक लागू कर दी जाएगी?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) राजस्थान राज्य में एन.टी.सी. की चार मिलें हैं। इनकी मौजूदा स्थिति, उत्पादन क्षमता, कार्यशील पूंजी और कामगारों की संख्या के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) सरकार ने एन.टी.सी. समूह में नई भर्ती पर पूरा प्रतिबंध लगा दिया है। इसलिए, प्राकृतिक पृथकीकरण और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के कारण कामगारों की संख्या घट रही है।

इसमें निरन्तर घाटे होने का कारण पुरानी और अप्रचलित मशीनें, अतिरेक श्रमिक बल और कार्यशील पूंजी की जटिल कमी आदि है।

(ग) और (घ) इनके राष्ट्रीयकरण के समय से ही इन मिलों में घाटे होना बतलाया गया है।

(ङ) एन.टी.सी. द्वारा किए गए एकक-वार अर्थक्षमता अध्ययन के आधार पर सरकार एन.टी.सी. के अर्थक्षम सहायक निगमों के साथ-साथ उनके अधीन अर्थक्षम मिलों के लिए एक संशोधित सर्वांगीण सुधार योजना पर विचार कर रही है, जिसके लिए बी.आई.एफ.आर. द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर इन मिलों की निवल पूंजी के सकारात्मक बन जाने के बी.आई.एफ.आर. के मानदण्डों को ध्यान में रखा जा रहा है। इस पुनरुद्धार योजना में कामगारों के हितों को ध्यान में रखा जाएगा।

विवरण

मिल का नाम	वर्तमान स्थिति	उत्पादन क्षमता (तकुए)	कार्यशील पूंजी (लाख रु. में)	नामावली में कामगारों की संख्या (30.9.99)
एडवर्ड मिल्स, ब्यावर	शून्य क्रियाकलाप	14,196	-437.21	293
महालक्ष्मी मिल्स, ब्यावर	आंशिक कार्यचालन	13,400	-307.34	376
श्री विजय कॉटन मिल्स, बिजयनगर	आंशिक कार्यचालन	18,720	-712.59	475
उदयपुर कॉटन मिल्स, उदयपुर	आंशिक कार्यचालन	25,180	-317.94	482

कोयला परियोजनाएं बन्द करना

864. श्री अशोक ना. मोहोल :
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या **खान और खनिज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोयला विभाग से संबंधित बारह परियोजनाएं आरंभ किए जाने तथा लगभग साठ करोड़ रुपये खर्च होने के तुरंत पश्चात् छोड़ दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं के नाम क्या हैं;

(ग) इन परियोजनाओं को छोड़ने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार परियोजनाओं पर संसाधनों के ऐसे अपव्यय को रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है?

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) कोल इंडिया लि. के अंतर्गत आने वाली कोयला कंपनियों में 48 परियोजनाओं पर 107.86 करोड़ रु. खर्च करने के बाद उन्हें हटा लिया गया। इन परियोजनाओं के नाम और इन पर किए गए खर्च का ब्यौरा संलग्न विवरण I और II में दर्शाया गया है।

(ग) ये परियोजनाएं निम्नलिखित कारणों से हटा ली गई:-

(1) उन परियोजनाओं को बंद करने के सरकार के मार्गदर्शी सिद्धांत, जहां प्रतीक्षाधीन अवधि की 60% तक की अवधि के समाप्त होने के बाद भी परियोजना की अनुमानित लागत की 20 प्रतिशत अथवा उससे कम राशि खर्च की गई है।

(2) प्रतिकूल भूगर्भीय खनन परिस्थिति।

(3) सुरक्षा के विचार से।

(4) खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा प्रक्षेपित प्रौद्योगिकी को अस्वीकार करना।

(5) भूमि की प्राप्ति में विलंब।

(6) वानिकी मंजूरी प्राप्त करने में विलंब।

(घ) ऐसे व्यय को कम करने के लिए उठाए गए कदमों में निम्न शामिल हैं:-

(1) विशेष रूप से वन और गैर-वन भूमि, दोनों के अधिग्रहण के लिए, पुनर्वास मामले को निपटाने के लिए और परियोजना रिपोर्ट पर अनुमोदन देने से पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करने के लिए अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।

(2) निश्चित भूगर्भीय मापदंडों को सुनिश्चित करने के लिए ड्रिलिंग की सघनता तेज कर दी गई है, ताकि प्रतिकूल भूगर्भीय परिस्थिति के कारण परियोजना को बंद करने की स्थिति कम हो।

(3) परियोजना पर अपना अनुमोदन देने से पूर्व इसके बारे में खान सुरक्षा महानिदेशालय में विस्तार से चर्चा की जाती है।

(4) कम खर्च में प्रचालन सुनिश्चित करने के लिए परियोजना को निकटस्थ परियोजनाओं के साथ भी मिलाना।

विवरण-I

उन परियोजनाओं की सूची, जिन पर व्यय करने के बाद उन्हें बंद कर दिया गया अथवा हटा लिया गया

कंपनी	परियोजना	हटाई गई परियोजनाओं पर किए गए व्यय (करोड़ रु. में)
1	2	3
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.		
1.	लौदोहा भू.ग.	0.80
2.	दलूरबंद भू.ग.	0.44
3.	नारायणकुरी ओ.का.	3.85
4.	बरमुंड़िया ओ.का.	0.57
5.	सी.एल. जामबाद ओ.का.	1.82

1	2	3
6.	चीनाकुरी भू.ग.	21.08
7.	बकुलिया	2.56
8.	भनोरा वेस्ट	11.83
9.	चोरा ब्लॉक पिट	1.44
10.	पुरुसोमितमपुर	0.10
11.	पोवापुर स्कीम	0.23
	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	
12.	भाकरा	0.71
13.	साओनेर ओ.का.	11.75
	भारत कोकिंग कोल लि.	
14.	भौराह 3 पिट IX टॉप सीम भू.ग.	1.28
15.	बदरूचाक भू.ग.	1.87
16.	लोयाबाद XV सीम भू.ग.	0.58
17.	भौराह IX बी सीम ऑगर भू.ग.	0.59
18.	लोधना XI/XII/XIII सीम	2.92
19.	दामोदर	19.84
	सेंट्रल कोलफील्ड्स लि.	
20.	जीवनधारा ओ.का.	11.68
21.	अंबाकोचा ओ.का.	5.66
22.	पिपराडीह आरओ ओ.का.	1.69
23.	टेकादी ओ.का.	2.82
24.	तारमी	0.01
25.	कर्मा	1.51
26.	हिंडेगिर	0.23

विवरण-II

उन परियोजनाओं की सूची, जिन पर बिना कोई व्यय किए उन्हें बंद कर दिया गया अथवा हटा लिया गया

कंपनी	परियोजना	हटाई गई परियोजनाओं पर किए गए व्यय (करोड़ रु. में)
1	2	3
	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	
1.	चिनाकुरी आर एण्ड डी	0.00
2.	पांडवेश्वर आर-IV सीम	0.00
3.	अमकोला	0.00
4.	रतीबाती-नारायणकुरी सीम	0.00
5.	बहुला बानबहल	0.00
6.	चिनाकुरी	0.00

1	2	3
भारत कोकिंग कोल लि.		
7.	विक्टोरिया भू.ग. का खोला जाना	0.00
8.	पीआर फार भूतगोरिया	0.00
9.	भागाबंद XV सीम (चरण-1)	0.00
10.	भागाबांद XV सीम (चरण-2)	0.00
11.	मोहालबानी इंकलाइन	0.00
12.	सेंद्रा बांसजोरा VIII सीम	0.00
13.	पाथेरडीह इंकलाइन (डी/8)	0.00
14.	आकासकिनारी	0.00
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि.		
15.	सास्ती मार्जिनल स्कीम भू.ग.	0.00
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.		
16.	चुर्चा डिपिल्लरिंग भू.ग.	0.00
17.	घुरकुंडी ओ.का.	0.00
18.	चुर्चा वेस्ट एल डब्ल्यू	0.00
19.	केसला	0.00
महानदी कोलफील्ड्स लि.		
20.	हिंगिर रामपुर आर ओ भू.ग.	0.00
सेंट्रल कोलफील्ड्स लि.		
21.	उचितडीह	0.00
22.	जारीडीह	0.00

[अनुवाद]

रुग्ण बैंकों का पुनरुद्धार

865. श्री जी.एम. बनातवाला :
श्री दानवे रावसाहेब पाटील :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रुग्ण बैंकों के पुनरुद्धार संबंधी एम.एस. वर्मा कार्यदल ने अपनी रिपोर्ट सरकार अथवा भारतीय रिजर्व बैंक को पेश कर दी है;

(ख) यदि हां, तो दल द्वारा की गई सिफारिशों की क्या-क्या मुख्य विशेषताएं हैं; और

(ग) सरकार की इन सिफ़ारिशों पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) कमजोर बैंकों के पुनरुज्जीवन के संबंध में श्री एम.एस. वर्मा की अध्यक्षता में गठित कार्यदल ने अपनी रिपोर्ट भारतीय रिजर्व बैंक को दी है।

(ख) समूह के चहुंमुखी समेकित पुनर्संरचना कार्यक्रम की सिफारिश की है जिसमें परिचालनात्मक, संगठनात्मक, वित्तीय और

प्रणालीगत संरचनाओं को शामिल किया गया है। समेकित पुनर्संरचना कार्यक्रम में निम्नलिखित शामिल होंगे:–

(1) परिचालनात्मक पुनर्संरचना जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) प्रचालन के कार्य में मूलभूत परिवर्तन;

(ii) आधुनिक प्रौद्योगिकी को लागू करना;

(iii) उच्च अनिष्पादित आस्तियों की समस्याओं का समाधान;

(iv) प्रचालन लागत में व्यापक कमी।

(2) संगठनात्मक पुनर्संरचना का उद्देश्य बैंकों का बेहतर नियंत्रण और प्रबंधन की अन्तर्ग्रस्तता और दक्षता में वृद्धि।

(3) शर्तबन्ध पुनर्पूंजीकरण के साथ-साथ वित्तीय पुनर्संरचना।

(4) प्रणालीगत पुनर्संचना, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पुनर्रसंरचना प्रक्रिया को सहयोग प्रदान करने के लिए कानूनी परिवर्तन और संस्थागत निर्माण का प्रावधान हो।

(ग) सरकार, वर्मा कार्यदल की रिपोर्ट में निहित सिफारिशों पर भारतीय रिजर्व बैंक के विचारों की प्रतीक्षा कर रही है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का बंद होना

866. **श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में घाटे में चल रहे दस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बंद करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो ये सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कौन-कौन से हैं तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है;

(घ) इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को उपक्रम-वार कुल कितना घाटा हुआ है;

(ङ) क्या सरकार ने औद्योगिक विकास हेतु 2,15,000 करोड़ रुपये भी मंजूर किये हैं; और

(च) यदि हां, तो अब तक कितनी राशि का उपयोग किया गया है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) से (ग) सरकार ने भारी उद्योग के तहत सरकारी क्षेत्र के 10 अजैव्य उपक्रमों को जैसाकि संलग्न विवरण में सूचीबद्ध किया गया है, में वी.आर.एस. का लाभ बढ़ाकर वी.एस.एस. को प्रस्तुत करने का निर्णय लिया था। बी.आई.एफ.आर./विनिवेश आयोग किन्हीं एक या अन्य स्तर पर प्राथमिक/अंतिम रूप से इस नतीजे पर पहुंचा था कि विवरण में सूचीबद्ध किए गए सरकारी क्षेत्र के 9 रुग्ण उपक्रमों को बंद कर दिया जाए। रिहैबिलिटेशन इंडस्ट्रीज कारपोरेशन के मामले में, विनिवेश आयोग ने संचालन को बंद करने और कर्मचारियों के लिए एक उपयुक्त स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पैकेज को लागू करने की सिफारिश की है। सरकारी क्षेत्र के इन कुछ उपक्रमों में पुनरुद्धार की संभावनाओं का पता लगाने के लिए एक विशेषज्ञ दल का गठन किया है, ने सरकारी क्षेत्र के 8 उपक्रमों के मामले में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. के मामले में रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। साइकिल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. के मामले में, एक पुनरुद्धार योजना अलग से बी.आई.एफ.आर. के विचाराधीन है। सरकार को इन सिफारिशों पर निर्णय लेना है और इन्हें जैसा भी मामला हो, बी.आई.एफ.आर./उच्च न्यायालय को सूचित करना है।

(घ) एक विवरण संलग्न है।

(ङ) और (च) मार्च, 1998 तक, केन्द्र सरकार के 240 उपक्रमों में 2,04,054 करोड़ रुपये का कुल निवेश हुआ है। उनका सकल कारोबार 2,85,251 करोड़ रुपये का था। उन्होंने 9675 करोड़ रुपये का लाभ कमाया था।

विवरण

(ख)

1. भारत आप्थैल्मिक ग्लास लिमिटेड (बीओजीएल)

2. नेशनल बाइसिकिल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनबीसीआईएल)

3. साइकिल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईएल)

4. माइनिंग एंड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एमएएमसी)

5. टैनरी एंट फुटवियर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (टेफ्को)

6. रिहैबिलिटेशन इंडस्ट्रीज कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (आरआईसी)

7. भारत प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड (बीपीएमईएल)

8. नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड

9. वेबर्ड इंडिया लिमिटेड (डब्ल्यूआईएल)

10. टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (टीसीआईएल)(टांगड़ा यूनिट)

(घ) भारी उद्योग विभाग के तहत सरकारी क्षेत्र के 9 रुग्ण उपक्रमों द्वारा 1998-99 तक उठाया गया कुल घाटा।

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का नाम	1998-99 तक कुल घाटा
1	2	3
1.	बीपीएमईएल	180.44
2.	डब्ल्यूआईएल	40.60
3.	एमएएमसी	897.72
4.	सीसीआईएल	425.98
5.	एनबीसीआईएल	186.04
6.	बीओजीएल	199.80
7.	आरआईसी	606.46
8.	एनआईएल	215.96
9.	टेफ्को	307.78
	कुल	3060.78

[हिन्दी]

एस.बी.आई. के सहायक बैंकों का एस.बी.आई. में विलय

867. **श्री राधा मोहन सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक के मुंबई स्थित केन्द्रीय कार्यालय ने वित्त मंत्रालय को इसके सहायक बैंकों का इसमें विलय किए जाने संबंधी प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इन सहायक बैंकों के विलय के संबंध में सरकार की क्या नीति है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) बैंकिंग क्षेत्र सुधार संबंधी समिति (नरसिंहम समिति-2) ने अन्य बातों के साथ-साथ यह पाया था कि "बैंकों के बीच और बैंक तथा विकास वित्त संस्थाओं (डी.एफ.आई.) और गैर-बैंककारी वित्तीय संस्थाओं के बीच विलय, सहक्रिया और संबंधित संस्थाओं के स्थान तथा कारोबार विशेष सम्पूरकताओं पर आधारित होना आवश्यक है और अनिवार्य रूप से इसका ठोस वाणिज्यिक परिणाम होना चाहिए। सरकारी क्षेत्र के बैंकों का विलय बैंकों के प्रबंधकों की ओर से आना चाहिए जिसमें सरकार को आम शेयर घटक की भांति सहयोगी की भूमिका निभानी चाहिए।" इस समिति की ये सिफारिशें नीति तैयार करने में सरकार के लिए बहुमूल्य आधार तैयार करेंगे।

[अनुवाद]

उत्पाद विवाद निबटान आयोग

868. श्री अनंत गंगाराम गीते :
श्री किरीट सोमैया :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में कार्यरत निबटान आयोग की तर्ज पर केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क में उत्पाद विवाद के शीघ्र निबटान हेतु निबटान आयोग की स्थापना करने हेतु कोई प्रस्ताव अभी लंबित है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसे कब तक स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क समझौता आयोग पहले से ही गठित किया जा चुका है।

अनुप्रयोज्य आस्तियां

869. श्री चन्द्रनाथ सिंह :
श्रीमती श्यामा सिंह :
डा. विजय कुमार मल्होत्रा :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की अनुप्रयोज्य आस्तियां (एन.पी.ए.) दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो 30 नवम्बर, 1999 की स्थिति के अनुसार प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक की अनुप्रयोज्य आस्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनुप्रयोज्य आस्तियों के कारण अगले कुछ वर्षों में अनेक सरकारी क्षेत्र के बैंकों की लाभप्रदता पर दबाव पड़ सकता है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में विशेषकर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कुछ समय पूर्व किए गए सर्वेक्षण के संदर्भ में, सरकार द्वारा कौन से सुधारात्मक कदम उठाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) राष्ट्रीयकृत बैंकों की सकल और निवल अनुपयोज्य आस्तियां 31.3.98 की स्थिति के अनुसार, क्रमशः 30,130.38 करोड़ रु. (16.88 प्रतिशत) और 14,497.50 करोड़ रु. (8.91 प्रतिशत) की तुलना में बढ़कर क्रमशः 3,3069.43 करोड़ रु. (16.02 प्रतिशत) और 15,794.16 करोड़ रु. (8.35 प्रतिशत) हो गई हैं। तथापि, सकल और निवल अनुपयोज्य आस्तियों के प्रतिशत में गिरावट आई है जैसाकि कोष्ठक में दिए गए आंकड़े दर्शाते हैं। 31.3.99 की स्थिति के अनुसार, राष्ट्रीयकृत बैंकों की अनुपयोज्य आस्तियां (नवीनतम उपलब्ध) संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) अनुपयोज्य आस्तियों में वृद्धि बैंकों की लाभप्रदता को प्रभावित करती है क्योंकि अनुपयोज्य आस्तयों से आय प्राप्त नहीं होती है और बैंकों को संभावित ऋण हानियों के बदले अपने परिचालन लाभ में से व्यवस्था करनी पड़ती है। इसके अतिरिक्त, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप आय की पहचान करने, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान करने संबंधी अपेक्षाओं से संबंधित विवेकपूर्ण मानदंडों को कड़ा किए जाने के कारण, बैंक की लाभप्रदता पर दबाव पड़ेगा। तथापि, वर्ष 1998-99 के दौरान एक बैंक को छोड़कर सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों ने परिचालन लाभ अर्जित किया है।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक/भारत सरकार ने नई अनुपयोज्य आस्तियों की घटना को रोकने और साथ ही सरकारी क्षेत्र के बैंकों की विद्यमान अनुपयोज्य आस्तियों की वसूली सुनिश्चित करने के लिए बैंकों को निम्नलिखित कदम उठाने के लिए कहा है:-

- बैंकों से ऋण वसूली नीति संबंधी दस्तावेज तैयार करने के लिए कहा गया है जिसमें देय राशियों की वसूली का प्रकार तथा अनुमत त्यागों/अधित्यागों से संबंधित मानदंड निर्धारित किए गए हों।

- न्यूनतम खर्च में अधिकतम वसूली सुनिश्चित करने के लिए समझौते/बट्टेखाते के माध्यम से, आपसी विचार-विमर्श से निपटान के माध्यम से अनुपयोज्य आस्तियों में कमी लाना जिसके लिए बैंकों को स्वतंत्र निपटान सलाहकार समितियाँ गठित करने की अनुमति प्रदान की गई है जिसके अध्यक्ष उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश होंगे जो समझौता प्रस्तावों की संवीक्षा और सिफारिश करेंगे।

- बैंकों से व्यापार और व्यक्तिगत मामलों तथा कृषि क्षेत्र सहित लघु उद्योग क्षेत्र में अनुपयोज्य आस्तियों के लिए निपटान सलाहकार समितियां गठित करने के लिए भी कहा गया है।

- प्रधान कार्यालयों में वसूली कक्षों की स्थापना की जानी चाहिए। विभिन्न स्तरों के लिए लक्ष्य नियत किए जाएं और सभी स्तरों पर वसूली कार्य की गहन निगरानी की जाए।

- बोर्ड को चाहिए कि वह कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए बैंकों में प्रचलित प्रणाली के विशेष संदर्भ में बैंकों के शीर्ष 300 अनुपयोज्य आस्तियों की पुनरीक्षा करे।

- राष्ट्रीयकृत बैंकों से व्यक्तिगत तौर पर ऋण प्रबंधन, अनुपयोज्य आस्तियों की वसूली में विशेष सुधार लाने, लाभप्रदता आदि में सुधार लाने के लिए कहा गया है और बैंक के कार्य निष्पादन की बैंक के शीर्ष प्रबंधन तथा साथ ही बोर्ड द्वारा आवधिक रूप से निगरानी की जानी चाहिए।

उपर्युक्त के साथ-साथ भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्नलिखित कदम भी उठाए हैं:-

- बैंकों की देयराशियों की त्वरित वसूलियों में सहायता के लिए विभिन्न स्थानों पर ऋण वसूली अधिकरणों तथा मुम्बई में अपीलीय अधिकरण की स्थापना।

- भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रत्येक वर्ष 31 मार्च से 30 सितम्बर की स्थिति के अनुसार बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के 1 करोड़ रु. और अधिक की कुल बकाया राशि वाले उधारकर्ताओं के खाते जिन्हें "संदिग्ध" या "हानि वाले" के रूप में वर्गीकृत किया गया है, और खाते जिनके विरुद्ध मुकदमे दायर किए गए हैं, के बारे में विस्तृत जानकारी एकत्र करने और इस सूचना के प्रसार करने (फ्लापी डिस्केटस) के लिए कहा है ताकि बैंक और वित्तीय संस्थाएं, चूककर्ता उधार लेने वाली इकाइयों द्वारा अथवा ऐसी इकाइयों के निदेशक/प्रापराइटर/भागीदारों द्वारा जिनके नाम उस सूची में हैं, नए अतिरिक्त ऋण सीमा मांगे जाने पर ग्रुप दोषों के आधार पर उन पर विचार करें।

- भारतीय रिजर्व बैंक ने (1 करोड़ रु. और अधिक की कुल बकाया राशि वाले) उन उधारकर्ताओं की सूची भी प्रकाशित की है जिनके विरुद्ध बैंकों और वित्तीय संस्थाओं ने प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी निधियों की वसूली के लिए मुकदमा दायर किया है।

- केन्द्रीय सतर्कता आयोग के अनुदेशों के अनुसरण में, भारतीय रिजर्व बैंक ने फरवरी, 1999 में 25 लाख रु. और उससे अधिक के जानबूझकर चूक करने वालों के बारे में जानकारी एकत्र करने और रिपोर्टकर्ता बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को देने हेतु एक योजना तैयार की है जिसके अंतर्गत बैंकों और वित्तीय संस्थाओं, अर्थात् आई.डी.बी.आई., आई.एफ.सी.आई. और आई.सी.आई.सी.आई. से यह अपेक्षा की जाएगी कि वे जानबूझकर चूक करने वालों का ब्यौरा भारतीय रिजर्व बैंक को दें। बैंकों की अनुपयोज्य आस्तियों को बट्टे खाते डालने/उसके समझौता निपटान के संबंध में मार्गनिर्देश तैयार करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्थापित अनौपचारिक कार्यकारी समूह की रिपोर्ट भी प्राप्त हो गई है और उनकी सिफारिशों को आवश्यक कार्रवाई हेतु भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को भेज दिया है। इसके अतिरिक्त सरकार ने भी बदलती वाणिज्यिक प्रक्रियाओं और वित्तीय क्षेत्र सुधारों से तालमेल बनाए रखने के लिए विशेष विधायी प्रस्ताव तैयार करने हेतु एक कार्यकारी समूह का गठन किया है।

विवरण

राष्ट्रीयकृत बैंकों की सकल अनुपयोज्य आस्तियां

(करोड़ रुपये में)

बैंक का नाम	31 मार्च, 1998		31 मार्च, 1999	
	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5
इलाहाबाद बैंक	1458.93	23.18	1520.11	20.09
आन्ध्रा बैंक	341.30	9.86	450.21	9.42
बैंक आफ बड़ौदा	3129.28	14.63	3685.56	16.03
बैंक आफ इंडिया	2669.00	11.55	3033.56	11.57
बैंक आफ महाराष्ट्र	709.09	17.39	715.76	15.97
केनरा बैंक	3580.81	18.69	4072.86	18.32
सेंट्रल बैंक आफ इडिया	2414.53	20.47	2436.23	17.41
कार्पोरेशन बैंक	341.86	7.60	367.99	5.66
देना बैंक	774.79	13.73	857.9	12.37
इंडियन बैंक	3428.39	38.96	3646	37.00
इंडियन ओवरसीज बैंक	1255.00	13.38	1441	13.32
ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	397.23	6.16	498.03	6.30
पंजाब एंड सिंध बैंक	1038.90	26.79	1098.35	23.01

1	2	3	4	5
पंजाब नेशनल बैंक	2447.00	14.50	2832.2	14.12
सिंडिकेट बैंक	1185.29	15.31	1074.28	10.72
यूको बैंक	1780.30	24.04	1716.18	22.55
यूनियन बैंक आफ इंडिया	1194.73	11.18	1462.42	12.41
यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	1451.00	33.50	1548.58	32.38
विजया बैंक	532.95	15.21	549.37	13.65
राष्ट्रीयकृत बैंक	30130.38	16.88	33006.59	15.98

राष्ट्रीयकृत बैंकों की निवल अनुपयोज्य आस्तियां

(रु. करोड़ में)

बैंक का नाम	31 मार्च, 1998		31 मार्च, 1999	
	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5
इलाहाबाद बैंक	859.86	15.09	866.80	12.54
आन्ध्रा बैंक	93.76	2.92	192.57	4.26
बैंक आफ बड़ौदा	1290.35	6.60	1610.62	7.70
बैंक आफ इंडिया	1570.00	7.13	1772.34	7.29
बैंक आफ महाराष्ट्र	316.57	8.59	359.35	8.72

1	2	3	4	5
केनरा बैंक	1255.29	7.52	1384.08	7.09
सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	1384.74	12.21	1253.66	9.79
कार्पोरेशन बैंक	125.46	2.93	123.84	1.98
देना बैंक	439.43	8.28	504.37	7.66
इंडियन बैंक	1886.67	26.01	1644.00	21.00
इंडियन ओवरसीज बैंक	543.00	6.26	738.00	7.30
ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	287.15	4.84	348.05	4.50
पंजाब एंड सिंध बैंक	345.08	10.84	430.57	10.48
पंजाब नेशनल बैंक	1526.00	9.60	1694.62	8.96
सिंडिकेट बैंक	401.94	5.78	366.75	3.93
यूको बैंक	705.12	11.14	715.63	10.83
यूनियन बैंक आफ इंडिया	787.89	7.66	984.51	8.70
यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	415.00	12.10	573.44	15.06
विजया बैंक	276.16	7.50	250.42	6.72
राष्ट्रीयकृत बैंक	14440.50	8.87	15813.62	8.35

[हिन्दी]

नाबार्ड की शाखाएं

870. श्री राजो सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1998-99 तथा 1999-2000 के दौरान आज की तारीख तक देश में विशेषकर बिहार में, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की राज्यवार और स्थानवार कुल कितनी शाखाएं खोली जा चुकी हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार 1999-2000 के दौरान राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की कुछ और शाखायें देश में खोलने का है; और

(ग) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) में शाखा कार्यालय की कोई संकल्पना नहीं है। नाबार्ड का मुम्बई में प्रधान कार्यालय, 25 क्षेत्रीय कार्यालय, पोर्ट ब्लेयर में एक उप कार्यालय तथा श्रीनगर में एक श्रीनगर सेल स्थित है। इसके अतिरिक्त नाबार्ड ने विभिन्न राज्यों के 281 जिलों में 281 जिला विकास प्रबंधक तैनात किए हुए हैं। नाबार्ड के इन कार्यालयों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। वर्ष 1998-99 एवं 1999-2000 के दौरान राज्यवार खोले गए जिला विकास प्रबंधक कार्यालयों का स्थानवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II और विवरण-III में दिया गया है। नाबार्ड ने यह भी सूचित किया है कि वर्ष 1999-2000 के दौरान बिहार सहित किसी भी राज्य में कोई अतिरिक्त जिला विकास प्रबंधक कार्यालय खोलने का उनका प्रस्ताव नहीं है।

विवरण-I

नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय एवं जिला कार्यालयों का राज्यवार ब्यौरा

क्र.स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	क्षेत्रीय कार्यालयों का स्थान	जिलों में जिला विकास प्रबंधक कार्यालयों की संख्या
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद	18
2.	असम	गुवाहाटी	11
3.	अरुणाचल प्रदेश	इटानगर	-
4.	बिहार	पटना	26
5.	नई दिल्ली	नई दिल्ली	-
6.	गोवा	पणजी	2
7.	गुजरात	अहमदाबाद	11
8.	हरियाणा	चण्डीगढ़	13
9.	पंजाब	चण्डीगढ़	11
10.	हिमाचल प्रदेश	शिमला	7
11.	जम्मू व कश्मीर	जम्मू	2
12.	कर्नाटक	बंगलौर	18
13.	केरल	तिरुवनंतपुरम	13
14.	मध्य प्रदेश	भोपाल	24
15.	महाराष्ट्र	पुणे	22
16.	मणिपुर	इम्फाल	-
17.	मेघालय	शिलांग	2
18.	मिजोरम	ऐजवाल	-
19.	नागालैंड	दिमापुर	-
20.	उड़ीसा	भुवनेश्वर	16
21.	राजस्थान	जयपुर	17
22.	सिक्किम	गंगटोक	-
23.	तमिलनाडु	चेन्नई	20*
24.	त्रिपुरा	अगरतला	1
25.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	37
26.	प. बंगाल	कलकत्ता	10
	कुल		281

*संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी में एक जिला विकास प्रबंधक कार्यालय सहित।

विवरण-II

वर्ष 1998-99 के दौरान खोले गए नाबार्ड के जि.वि.प्र. कार्यालयों का राज्य-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जि.वि.प्र. कार्यालयों की संख्या	जिला का नाम
1.	आन्ध्र प्रदेश	1	प्रकासम
2.	बिहार	8	बेगुसराय
			बोकारो
			पू. सिंहभूम
			पू. चम्पारण
			गुमला
			मुंगेर
			गिरिडीह
			सिवान
3.	मध्य प्रदेश	3	गुणा
			खड़गौन
			शिवपुरी
4.	उड़ीसा	3	नयागढ़
			केन्द्रपाड़ा
			सुन्दरगढ़
5.	पंजाब	2	अमृतसर
			भटिंडा
6.	तमिलनाडु	1	शिवगंगा
7.	उत्तर प्रदेश	3	बागपत
			गाजियाबाद
			मथुरा
8.	प. बंगाल	1	बांकुरा
	कुल	22	

विवरण-III

वर्ष 1998-99 के दौरान खोले गए/खोले जा रहे नाबार्ड के जि.वि.प्र. कार्यालयों का राज्य-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जि.वि.प्र. कार्यालयों की संख्या	जिला का नाम
1.	बिहार	4	लोहरदगा
			दरभंगा
			जहानाबाद
			रोहतास
2.	गुजरात	2	बड़ौदा
			सूरत
3.	हिमाचल प्रदेश	1	सिरमौर
4.	कर्नाटक	3	दक्षिण कन्नड़
			बगलकोट
			चित्रदुर्ग
5.	मध्य प्रदेश	2	नरसिंहपुर (खोला जा रहा है)
			सतना
6.	महाराष्ट्र	3	गोडचिरोली
			वाशिम
			वर्धा
7.	उड़ीसा	2	रायगढ़
			बड़गढ़
8.	पंजाब	2	मुक्तसर
			मोगा
9.	तमिलाडु	2	वेल्लौर
			टूटीकोरिन
10.	उत्तर प्रदेश	3	हरदोई
			बिजनौर
			मिर्जापुर
11.	प. बंगाल	1	बीरभूम
		25	

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय द्वारा मितव्ययता अभियान

871. **श्री विलास मुत्तेमवार :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वित्त मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों और विभागों से पदों में दस प्रतिशत की कटौती करने के साथ-साथ नए पदों के सृजन और रिक्त पदों को भरने पर प्रतिबंध लगाने का निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो मंत्रालयों ने वित्त मंत्रालय के इस निदेश को किस सीमा तक स्वीकार किया है;

(ग) इस समय रिक्त पदों की कुल संख्या कितनी है;

(घ) मंत्रालयों ने अब तक मितव्ययता संबंधी क्या-क्या उपाय किए हैं; और

(ङ) इससे विभिन्न विभागों के व्यय को किस सीमा तक रोकने में मदद मिलेगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अभी तक मंत्रालयों/विभागों ने (1.1.92 को यथाविद्यमान) पदों में 10 प्रतिशत की कटौती के मितव्ययता अभियान का 4 प्रतिशत लक्ष्य ही प्राप्त किया है। विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के रिक्त पड़े पदों का कोई आंकड़ा केन्द्रीय तौर पर नहीं रखा जाता है।

(घ) और (ङ) सभी मंत्रालयों/विभागों को योजना और गैर-योजना पदों के सृजन पर प्रतिबंध, सभी रिक्त पड़े पदों की पुनर्समीक्षा होने तक रिक्त पदों को भरने पर रोक, 1.1.92 की स्थिति के अनुसार स्वीकृत पदों की संख्या 10 प्रतिशत कटौती को क्रियान्वित करने, नए वाहनों की खरीद, गैर-योजना अवैतनिक खर्च में 10 प्रतिशत की कमी, विदेश यात्रा पर प्रतिबंध, वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान कोई नया खर्च प्रस्तावित न करने तथा वर्तमान योजनाओं में खर्च की अपरिहार्य बढ़त को वित्तीय सादगी और मितव्ययता से पूरा करने की सलाह दी गई है। गैर-योजना व्यय में कमी सरकार की अनवरत प्रक्रिया है और इन विशिष्ट उपायों से होने वाली बचत के संबंध में कोई आंकड़ा केन्द्रीय तौर पर नहीं रखा जाता है।

ऋण वसूली न्यायाधिकरण

872. **डा. वी. सरोजा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1998 और 1999 के दौरान बैंकों ने ऋणकर्ताओं से ऋण वसूली के कितने मामले ऋण वसूली न्यायाधिकरण में दर्ज कराए हैं;

(ख) अब तक कितने मामलों का निपटान किया गया है;

(ग) क्या न्यायाधिकरण द्वारा तमिलनाडु में बैंकों और ऋणकर्ताओं की सहायता के लिए चेन्नई के बाहर कार्यालय खोलने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) ऋण वसूली अधिकरण, चेन्नई द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वर्ष 1998 और 1999 (दिनांक 25.11.1999 तक) के दौरान ऋण वसूली अधिकरण, चेन्नई के पास क्रमशः 2546 तथा 1270 मामले दायर किए गए थे। अधिकरण द्वारा उनमें से वर्ष 1998 में 597 मामले और वर्ष 1999 में 543 मामले निपटाए जा चुके हैं।

(ग) से (ङ) बैंकों और वित्तीय संस्थानों को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 के उपबंधों के अंतर्गत ऋण वसूली अधिकरण को यह शक्ति प्राप्त है कि वह अपनी सुनवाई के स्थान के चयन सहित अपनी प्रक्रिया को विनियमित कर सके। इसलिए, ऋण वसूली अधिकरण, चेन्नई अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत सुनवाई करने के लिए सक्षम है। इस अधिकरण ने पहले ही करूर और कोयम्बटूर में अपनी सुनवाई की है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश

873. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी इक्विटी के विनिवेश की कार्यविधि तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विनिवेश की कार्यविधि के बारे में पेट्रोलियम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के बीच असहमति है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश आयोग की सिफारिशों के आधार पर विनिवेश किया जाता है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी इक्विटी का विनिवेश सामान्यत: देशीय तथा निश्चित मूल्य वाले अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में शेयरों की पेशकश के माध्यम से अथवा बही-निर्माण प्रक्रिया के माध्यम से अथवा अनुकूल बिक्री की कार्यविधि के द्वारा किया जाता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

रबड़ के पुराने भंडार की बिक्री

874. श्री एन.एस. कृष्णदास : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एस.टी.सी. के पुराने रबड़ भंडार को बेचने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो आज की तारीख में उस रबड़ की कितनी मात्रा बेची गई है तथा उसकी कीमत क्या है;

(ग) एस.टी.सी. के पास कितनी रबड़ है;

(घ) क्या सरकार की भंडार से और भी रबड़ बेचने की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) से (ग) जी, हां। सितम्बर, 1997-फरवरी, 1999 के दौरान खरीदे गए प्राकृतिक रबड़ की 9596 मी. टन की कुल मात्रा में से एस.टी.सी. ने 28.25 रुपये प्रति किलोग्राम की औसत कीमत पर 4090 मी. टन रबड़ की बिक्री की है। एस.टी.सी. के पास अभी भी 5506 मी. टन रबड़ उपलब्ध है।

(घ) और (ङ) जी, हां। एस.टी.सी. को सर्वोत्तम संभव कीमत पर देश के प्रमुख खपत केन्द्रों पर प्राकृतिक रबड़ के बचे हुए पुराने स्टाक को बिक्री करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

बी.आई.एफ.आर.

875. श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड में इसकी स्थापना से प्रतिष्ठित उद्योगों तथा वित्तीय संस्थाओं में प्रत्यक्ष रूप से अनुभव प्राप्त व्यक्तियों की तुलना में भारतीय प्रशासनिक सेवा के कितने अवकाशप्राप्त अधिकारी रहे हैं अथवा अभी भी कार्यरत हैं;

(ख) बी.आई.एफ.आर. को इसकी स्थापना के पश्चात् से कितने मामले भेजे गए हैं; और

(ग) इसके द्वारा अभी तक निपटाए गए मामलों की संख्या कितनी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बाइफर) ने सूचित किया है कि 1987 में बाइफर के गठन से अब तक 7 सेवानिवृत्त आई.ए.एस. अधिकारी और उद्योग तथा वित्तीय संस्थानों के बारे में अनुभवी 13 अन्य अधिकारी, अध्यक्ष/कार्यकारी अध्यक्ष/सदस्यों के पद पर रहे हैं। वर्तमान में बाइफर के बोर्ड में 4 सेवानिवृत्त आई.ए.एस. अधिकारी और दो अन्य अधिकारी सेवारत हैं।

(ख) और (ग) बाइफर ने सूचित किया है कि 30 सितम्बर, 1999 की स्थिति के अनुसार, एस.आई.सी.ए., 1985 के उपबन्धों के तहत 2779 रुग्ण कम्पनियों के सन्दर्भ दर्ज किए गए थे। इनमें से 1821 कम्पनियों के मामलों का निपटान कर दिया गया है।

एच.ई.सी. का पुनरुद्धार

876. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रांची स्थित हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन (एच.ई.सी.) धीरे-धीरे रुग्ण होता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस कंपनी के पुनरुद्धार हेतु कौन-कौन से कदम उठाए जा रहे हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) से (ग) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन में कामगारों के अधिक होने, अधिक ब्याज भार होने, क्रयादेश के अपर्याप्त होने, उत्पादकता में कमी आने, अधिक सामाजिक ऊपरी खर्चों के होने और औद्योगिक मामलों से संबंधित समस्याओं के होने के कारण निरन्तर घाटा होता रहा है। कम्पनी का निवल मूल्य पूरी तरह समाप्त हो गया है और यह रूग्ण हो गई है।

रुग्ण होने पर एचईसी को 1992 में बीआईएफआर को संदर्भित कर दिया गया था। बीआईएफआर ने 26.8.1996 को एच.ई.सी. के लिए एक पुनरुद्धार योजना स्वीकृत की। यह पुनरुद्धार योजना सरकार के कार्यान्वयनाधीन है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

877. श्री राजैया मल्याला : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख के अनुसार आन्ध्र प्रदेश में कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक चल रहे हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन बैंकों को बैंक-वार कितना मुनाफा/घाटा हुआ; और

(ग) राज्य में निकट भविष्य में ऐसे और कितने बैंक खोले जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) आंध्र प्रदेश राज्य में आज की तारीख तक 16 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आर.आर.बी.) कार्य कर रहे हैं।

(ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा यथासूचित पिछले तीन वर्षों के दौरान इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा हुए लाभ एवं हानियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(लाख रुपए)

क्र.सं.	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का नाम	लाभ/हानि		
		1996-97	1997-98	1998-99
1	2	3	4	5
1.	नागार्जुन ग्रामीण बैंक	—766.89	—84.63	146.56
2.	रायलसीमा ग्रामीण बैंक	—305.39	460.56	995.89
3.	श्री विशाखा ग्रामीण बैंक	—1144.21	5.93	150.34
4.	श्री अनन्त ग्रामीण बैंक	309.45	741.74	936.28
5.	श्री वेंकटेश्वर ग्रामीण बैंक	—18.62	202.26	271.99
6.	श्री सरस्वती ग्रामीण बैंक	40.76	166.60	537.73

1	2	3	4	5
7.	संघमेश्वर ग्रामीण बैंक	157.72	391.10	189.41
8.	मंजिरा ग्रामीण बैंक	—476.92	318.33	401.82
9.	पिनाकिनी ग्रामीण बैंक	—854.83	229.77	365.97
10.	ककथिया ग्रामीण बैंक	—167.85	—15.22	13.52
11.	चैतन्य ग्रामीण बैंक	—20.21	171.09	268.66
12.	श्री सतवाहना ग्रामीण बैंक	—468.42	161.12	206.02
13.	गोलकुण्डा ग्रामीण बैंक	—54.96	78.43	72.06
14.	श्री राम ग्रामीण बैंक	46.33	109.83	228.68
15.	कनकदुर्गा ग्रामीण बैंक	121.48	172.50	221.40
16.	गोदावरी ग्रामीण बैंक	81.77	142.58	185.32

(ग) राज्य में कोई नया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोलने का प्रस्ताव नहीं है।

बंगलौर को ए-1 शहर घोषित करना

878. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को ऊंची दर पर नगर प्रतिपूरक भत्ता देने के प्रयोजनार्थ देश में किन शहरों को ए-1 शहर घोषित किया है;

(ख) ए-1 शहर घोषित करने के मानदण्ड क्या हैं;

(ग) क्या बंगलौर को ए-1 शहर घोषित किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित नीति के अनुसार अपने शहरी समूहन में 50 लाख या इससे अधिक की जनसंख्या वाले शहर को ही नगर प्रतिपूर्ति भत्ते के प्रयोजन से ए-1 श्रेणी के शहर के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। इस मानदण्ड के आधार पर दिल्ली (यू.ए.), वृहद मुंबई (यू.ए.), कलकत्ता (यू.ए.) और चेन्नई (यू.ए.) को ए-1 शहर के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। 1991 की पिछली जनगणना के अनुसार बंगलौर की कुल आबादी 41,30,288 ही है। अतएव बंगलौर (यू.ए) ए-1 शहर के लिए वर्गीकृत होने के काबिल नहीं है। इसे "ए" श्रेणी के शहर का दर्जा प्राप्त है।

सिल्क का आयात

879. **श्री आर.एल जालप्पा** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष देशवार कितनी सिल्क आयात की गई;

(ख) सिल्क आयात करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सिल्क के आयात से कर्नाटक के सिल्क उत्पादक प्रभावित हुये हैं;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नई किस्म की सिल्क गुणवत्ता में आयातित सिल्क के मुकाबले की है;

(ङ) क्या सरकार ने कर्नाटक में सिल्क उद्योग के संरक्षण के लिये सिल्क के आयात को बंद करने का निश्चय किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आयातित रेशम के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

(मात्रा टन में)

देश	1996-97	1997-98	1998-99*
चीन लोक गणराज्य	2034	1788	2180
चीन ताईपेई (ताईवान)	157	55	109
ब्राजील	10	73	160
कोरिया जनतांत्रिक गणराज्य	9	7	9
कोरिया गणराज्य	83	37	99
हांगकांग	443	174	138
सिंगापुर	25	30	24
अन्य	150	182	108
योग	2911	2346	2827

*अनंतिम

स्रोत : डी.जी.सी.आई.एस., कलकत्ता

(ख) अपरिष्कृत रेशम की घरेलू मांग की कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने आयात की अनुमति दी है। इस समय सरकार ने शुल्क मुक्त योजना (डी.ई.एस.) के अंतर्गत आयात की अनुमति दी है जिसमें निर्यातकों को निशुल्क अपरिष्कृत रेशम लाने की अनुमति है जो कि निर्यात दायित्व से संबद्ध है। इसके अतिरिक्त, उत्तम कोटि की शहतूती अपरिष्कृत रेशम की मांग को पूरा करने के लिए सरकार ने हथकरघा और हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद् (एच.एच.ई.सी.), राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम (एन.एच.डी.सी.) तथा हथकरघा/विद्युतकरघा और रेशम का कार्य करने वाले अन्य राज्य निगमों के माध्यम से सरणीकरण द्वारा ग्रेड 2ए और उससे अधिक की अपरिष्कृत शहतूती रेशम के आयात की अनुमति दी है।

(ग) अब तक इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। तथापि. सरकार स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हुए है।

(घ) जी हां। जापान इन्टरनेशनल कोपरेशन एजेंसी की सहायता से सरकार ने केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा देश में द्विफसलीय प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए एक परियोजना शुरू की है। ऐसी आशा है कि द्विफसलीय प्रजातियों के वाणिज्यिक उपयोग के फलस्वरूप देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ऐसी अपरिष्कृत रेशम का उत्पादन होने लगेगा जो कि आयात का प्रतिस्थापन होगी।

(ङ) जी नहीं। तथापि, घरेलू रेशम उद्योग को संरक्षण देने के लिए अपरिष्कृत रेशम का आयात, आयात की प्रतिबंधित सूची में कायम रहेगा।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विनिवेश कोष की स्थापना

880. **श्री महबूब जहेदी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1991 से अब तक विनिवेश प्रक्रिया के माध्यम से लगभग रु. 20,000 करोड़ जुटाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विनिवेश आयोग ने 1997 में एक विनिवेश निधि गठित करने का प्रस्ताव किया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस राशि का उपयोग विकास परियोजनाओं, विशेषत: ग्रामीण क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए किए जाने का प्रस्ताव था;

(च) क्या सरकार के विनिवेश कार्यक्रम विकासोन्मुखी नहीं रहे हैं; और

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) वर्ष 1991-92 से विनिवेश के माध्यम से प्राप्त राशि निम्नानुसार है:-

वर्ष	जुटाई गई राशि (करोड़ रुपए)
1991-92	3038
1992-93	1913
1993-94	शून्य
1994-95	4843
1995-96	362
1996-97	380
1997-98	902
1998-99	5371
1999-2000 (30.11.1999 तक)	1479
जोड़	18288

(ग) और (घ) जी, हां। विनिवेश कोष स्थापित करने के लिए विनिवेश आयोग की सिफारिश सरकार के विचाराधीन है।

(ङ) से (छ) विनिवेश से जुटाई गई राशि भारत की समेकित निधि में जमा कर दी जाती है।

बीमा उद्योग

881. श्री पवन कुमार बंसल : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बीमा उद्योग के विभिन्न कर्मचारी संघों से उनको प्रभावित करने वाले विभिन्न नीतिगत निर्णयों के संबंध में कोई सलाह-मशविरा किया है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे विचार-विमर्श/समझौतों की प्रकृति और परिणाम क्या रहे?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) सरकार बीमा उद्योग के मजदूर संघों के साथ कोई विचार-विमर्श नहीं करती। तथापि, भारतीय जीवन बीमा निगम (एल.आई.सी.) और भारतीय साधारण बीमा निगम (जी.आई.सी.) का प्रबंध-तंत्र इस उद्योग को प्रभावित करने वाले विभिन्न नीतिगत मुद्दों के संबंध में एसोसिएशनों के साथ निर्धारित बैठकें आयोजित करता है।

तैयार वस्त्र उद्योग को अनारक्षित करना

882. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनका मंत्रालय वस्त्र उद्योग को अनारक्षित करने के पक्ष में है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या वस्त्र मंत्रालय ने इस संबंध में उद्योग मंत्रालय से परामर्श किया है;

(घ) यदि हां, तो इस पर उद्योग मंत्रालय की क्या टिप्पणी है; और

(ङ) इस पर उनके मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) से (ङ) सहायक और लघु क्षेत्र औद्योगिक उपक्रमों द्वारा उत्पादन के सुरक्षित किसी मद/वस्तु या वस्तुओं की श्रेणी के क्षेत्र और स्वरूप का निर्धारण उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इस समय लघु तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग परिधान क्षेत्र के अनारक्षण के पक्ष में नहीं है।

एच.एम.टी. का पुनर्गठन

883. श्री नारायण दत्त तिवारी : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, बंगलौर को वित्तीय तथा संगठनात्मक पुनर्गठन करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पुनर्गठन प्रस्ताव में, 1996-97 के दौरान हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की रानीबाग इकाई के लिए मंजूर की गयी 25 करोड़ रुपये की राशि भी शामिल है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) और (ख) जी, हां। टर्न अराउण्ड योजना में अन्य बातों के साथ-साथ मशीन टूल्स, घड़ियों और ट्रैक्टरों के लिए पूर्ण स्वामित्व वाली 3 सहायक कम्पनियों के गठन सहित संगठनात्मक पुनर्संरचना, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम (वीआरएस) के जरिए जनशक्ति के यौक्तिकीकरण तथा वित्तीय पुनर्संरचना में शामिल सरकार के ऋणों को इक्विटी में परिवर्तन तथा मुख्य ऋणदाताओं से एकमुश्त भुगतान, की परिकल्पना की गई है। भारत सरकार द्वारा निधियों के निवेश की भी परिकल्पना की गई है।

(ग) और (घ) हालांकि वर्ष 1996-97 के दौरान ऐसी किसी राशि की मंजूरी नहीं दी गई, फिर भी यह प्रस्ताव विचाराधीन था। भारत सरकार द्वारा निधियों का निवेश, एच.एम.टी. की कार्यशील पूंजी की मांग, जिसमें इसकी रानीबाग वाच फैक्टरी शामिल है, के लिए बैंकों को सरकारी गारन्टी की टर्न अराउण्ड योजना में परिकल्पना की गई है।

जामनगर शहर का श्रेणी-उन्नयन

884. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को वर्ष 1999 के दौरान आज तक गुजरात के जामनगर शहर को मकान किराये भत्ते के प्रयोजनार्थ ख-2 श्रेणी में लाने के लिए संसद सदस्यों, सरकारी कर्मचारियों और जामनगर की "केन्द्र सरकार कर्मचारी एसोसिएशन समन्वय समिति" की ओर से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) इसका क्या निष्कर्ष निकला है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित नीति के अनुसार, अपनी नगरपालिका सीमाओं के भीतर 5 लाख से अधिक की जनसंख्या वाले शहर को नगर किराया भत्ता के प्रयोजन के लिए ख-2 के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। चूंकि गुजरात राज्य में जामनगर की जनसंख्या सन् 1991 की जनगणना के अनुसार 3,41,637 है, इसलिए अभ्यावेदन में किए गए अनुरोध से सहमत नहीं हुआ जा सकता।

प्याज का निर्यात

885. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि प्याज के निर्यात विशेषकर "दि बंगलौर रोज आनियन" पर लगा प्रतिबंध अभी भी जारी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या प्याज उत्पादकों ने प्याज के निर्यात विशेषकर "दि बंगलौर रोज आनियन" पर लगे प्रतिबंध को तुरंत प्रभाव से उठाने के लिये एक ज्ञापन सौंपा है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) सरकार ने अगले दो महीनों अर्थात् दिसम्बर, 1999 और जनवरी, 2000 के लिए प्याज की निश्चित मात्रा के निर्यात की मंजूरी दी है।

जीवन बीमा निगम में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

886. कर्नल (रिटायर्ड) डा. धनीराम शांडिल्य : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जीवन बीमा निगम में स्टाफ आवश्यकता से अधिक है;

(ख) यदि हां, तो निगम में अतिरिक्त कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने अतिरिक्त स्टाफ को निकालने के लिए कोई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वी.आर.एस.) तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (घ) विगत में भारतीय जीवन बीमा निगम के अधिकारियों तथा स्टाफ की भर्ती, निगम द्वारा लिखित प्रीमियम के आकार पर आधारित अनुमोदित फार्मूले के आधार पर की जाती थी। दिनांक 31.3.1999 की स्थिति के अनुसार भारतीय जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों की कुल संख्या 1,24,385 है। हाल के वर्षों में आसन्न प्रतिस्पर्धा तथा सूचना प्रौद्योगिकी के गहन कार्यान्वयन को ध्यान में रखते हुए, बीमा क्षेत्र में कार्य के स्वरूप में परिवर्तन हुआ है। इसलिए पुराने स्टाफिंग मानदंडों को बदले जाने की आवश्यकता है। फिलहाल चालू कारोबार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मौजूदा स्टाफ को पुन: तैनात किया जा रहा है। अभी तक, भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा कोई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना शुरू नहीं की गई है।

[हिन्दी]

आयात लाइसेंस

887. श्री रामशकल : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मार्च, 1998 से अक्टूबर, 1999 तक कितनी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आयात लाइसेंस दिये गये;

(ख) घरेलू कंपनियों पर संबंधित क्षेत्र में इसका क्या प्रभाव पड़ा; और

(ग) घरेलू कंपनियों को बचाने के लिए कौन-से उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) एक्जिम नीति के अंतर्गत मुक्त सूची में शामिल मदों का आयात भारत में पंजीकृत किसी व्यक्ति अथवा व्यवसायी हस्ती द्वारा, चाहे वह भारतीय हो, विदेशी हो अथवा बहुराष्ट्रीय हो, बिना किसी लाइसेंस के किया जा सकता है। प्रतिबंधित सूची में शामिल मदों के आयात के लिए भी लाइसेंस विदेश व्यापार महानिदेशालय की अध्यक्षता वाली एक अन्तर्मंत्रालयी समिति द्वारा भारत में पंजीकृत व्यक्तियों और व्यवसायी हस्तियों को प्रत्येक मामले के गुण-दोषों के आधार पर दिए जाते हैं। इसलिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को जारी किए गए आयात लाइसेंसों के संबंध में अलग से कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ख) और (ग) प्रतिबंधित मदों के संबंध में आयात लाइसेंस सामान्य तौर पर, अन्य बातों के अलावा, घरेलू विनिर्माता कंपनियों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखकर जारी किए जाते हैं।

[अनुवाद]

विदेशी वित्तीय संस्थाओं द्वारा हिस्सेदारी कम करना

888. श्री जी.एम. बनातवाला :
श्री मोइनुल हसन :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशी वित्तीय संस्थाएं खुले बाजार के तहत भारतीय कम्पनियों में अपनी हिस्सेदारी कम कर रही हैं और विदेशी संस्थाओं ने बहुराष्ट्रीय कम्पनियों सहित बाहरी कम्पनियों से निविदाएं आमंत्रित की हैं;

(ख) क्या सरकार को विदेशी वित्तीय संस्थाओं द्वारा भारतीय कम्पनियों में अपनी हिस्सेदारी कम करने सम्बन्धी प्रस्तावित कदम को रोकने या आस्थगित करने संबंधी कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे अभ्यावेदन का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

उच्च शिक्षा हेतु ऋण

889. श्री राधा मोहन सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सितम्बर, 1999 में प्राइवेट मेडिकल/ डेन्टल कालेज के छात्रों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए प्रावधानों में कुछ विशेष परिवर्तन किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उन्होंने सितम्बर, 1999 में निजी चिकित्सा (मेडिकल)/दंत चिकित्सा (डेन्टल) महाविद्यालयों के छात्रों को ऋण देने के प्रावधानों में कोई परिवर्तन नहीं किया है। पहले भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 19.8.1995 के परिपत्र द्वारा बैंकों से कहा था कि निजी मेडिकल/ डेन्टल महाविद्यालयों के छात्रों को ऋण प्रदान करें। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक ऋण योजना पर दिनांक 27 जुलाई, 1999 के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) के लिए दिनांक 31 जुलाई, 1999 को एक परिपत्र जारी किया है, जिसमें निःशुल्क/योग्यता एवं भुगतान श्रेणियों के अन्तर्गत निजी व्यावसायिक महाविद्यालयों (चिकित्सा, दंतचिकित्सा, इंजीनियरी, रासायनिक प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, वास्तुशिल्प, कानून, कंप्यूटर साइन्स एंड एप्लिकेशन आदि) में प्रवेश चाहने वाले और पात्रता मानदण्ड पूरा करने वाले छात्रों को वित्तीय सहायता देने के लिए नीतिगत मार्गनिर्देश दर्शाए गए हैं। 1 अगस्त, 1999 से प्रभावी योजना का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

निजी व्यावसायिक महाविद्यालयों में छात्रों के लिए
शैक्षणिक ऋण योजना

उद्देश्य **: मेधावी एवं गरीब छात्रों को ऋणों के जरिए वित्तीय महायता देना ताकि उन्हें निम्नलिखित विषयों अर्थात् चिकित्सा और** दंतचिकित्सा (सभी शाखाएं जैसे एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी,

यूनानी), इंजीनियरी, रासायनिक प्रौद्योगिकी, प्रबन्धन, आन्तरिक सजावट सहित वास्तुशिल्प, कानून तथा कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन्स। यदि आवश्यक हुआ तो इस योजना से अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम, यदि कोई हों, शामिल किए जाएंगे। में तकनीकी कुशलता विकसित करने के लिए निजी व्यावसायिक महाविद्यालयों में पूर्णकालिक स्नातक/स्नातकोत्तर व्यावसायिक पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

शामिल किए जाने वाले क्षेत्र : सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा पूरे देश में कार्यान्वित की जानी है।

पात्रता मानदंड : (1) छात्र को निःशुल्क/योग्यता सीट या भुगतान सीट पर निजी व्यावसायिक महाविद्यालय में प्रवेश लिया होना चाहिए। छात्र को सम्बन्धित महाविद्यालय के प्रधानाध्यापक/सक्षम प्राधिकारी से इस संबंध में प्रमाणपत्र लेकर प्रस्तुत करना होगा। महाविद्यालय को देश के किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध होना चाहिए और पाठ्यक्रम सम्बन्धित शासी निकाय जैसे भारतीय चिकित्सा परिषद् आदि द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए।

(2) छात्र की वार्षिक पारिवारिक आय या उसके पिता या संरक्षण की आय सभी स्रोतों से 1 लाख रु. से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस सम्बन्ध में छात्र और उसके पिता तथा पिता की अनुपस्थिति में माता या अन्य निकट संबंधी द्वारा शपथपत्र देना होगा। जिन छात्रों ने अनिवासी भारतीय/विदेशी छात्रों के लिए सीटों के आरक्षण पर प्रवेश लिया है, वे योजना के तहत सहायता के लिए पात्र नहीं होंगे।

ऋण राशि : निःशुल्क/योग्यता सीट वाले छात्रों के लिए 15000/- रु. या भुगतान सीट वाले छात्रों के लिए 50,000/- रु. या छात्र द्वारा भुगतान योग्य शुल्क जो भी कम हो छात्र को प्रति वर्ष उसके द्वारा भुगतान योग्य शुल्क के संबंध में महाविद्यालय प्राधिकारियों से प्रमाणपत्र लेकर प्रस्तुत करना होगा। ऋणदाता बैंक द्वारा सम्बन्धित महाविद्यालय को ऋण-राशि प्रेषित की जाएगी। प्रत्येक शैक्षणिक-वर्ष में दिया गया ऋण ब्याज-दर, प्रतिभूति आदि निर्धारित करने के लिए अलग ऋण लेखे के रूप में रखा जाएगा। छात्र को सम्पूर्ण पाठ्यक्रम अवधि के लिए बैंक-सहायता उपलब्ध होगी, बशर्ते कि छात्र पात्रता मानदंड पूरा करना जारी रखे और उसे सम्बन्धित विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार शर्त बनाए रखने की अनुमति मिलती रहे। छात्र से प्रति वर्ष ऋण हेतु नया आवेदनपत्र देने की अपेक्षा नहीं की जाएगी, परन्तु उसे केवल पात्रता मानदंड पूरा करना जारी रखने के सम्बन्ध में बैंक को प्रमाण देना होगा।

ब्याज : योजना के तहत प्रभारित ब्याज-दर किसी भी हालत में 12% वार्षिक से ज्यादा नहीं होगी।

प्रतिभूति : इस मामले में अग्रिम राशि निर्बन्ध आधार पर की जाएगी।

पुनः अदायगी : छात्र जिस पाठ्यक्रम का अध्ययन कर रहा है, उसके समापन के ठीक 2 वर्ष बाद या ऋणकर्ता छात्र के रोजगार पाने या काम शुरू होने, जो भी पहले हो, के ठीक छः माह बाद वापसी अदायगी तत्काल शुरू हो जाएगी। उपर्युक्त दो वर्ष या छः माह की अवधि जैसा भी मामला हो, सहित वापसी अदायगी की कुल अवधि छात्र द्वारा पाठ्यक्रम समाप्त होने की तारीख से 5 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। छात्र (छात्र के नाबालिग होने के मामले में उसके पिता/माता या संरक्षक) को निर्धारित तरीके से ऋण राशि की वापसी अदायगी के लिए बाण्ड वचनपत्र निष्पादित करना होगा।

पुनरीक्षा और संशोधन : भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, यदि आवश्यक हो तो समय-समय पर उपर्युक्त योजना की पुनरीक्षा और उसमें संशोधन किया जाएगा।

[अनुवाद]

प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि

890. श्री जी. गंगा रेड्डी : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने "कैश स्ट्रैप्ड" वस्त्र उद्योगों के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि के रूप में दी गई 25000 करोड़ रु. की धनराशि के निवेश से प्राप्त हुए परिणामों का विश्लेषण किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और योजना शुरू करने के 8 महीनों बाद भी इसका क्रियान्वयन न करने अथा किसी भी मिल का आधुनिकीकरण न करने के क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) जी नहीं। प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टी.यू.एफ.एस.) 1 अप्रैल, 1999 में शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत जिन एककों को ऋण स्वीकृत किए गए हैं, वे इस समय आधुनिकीकरण शुरू करने की प्रक्रिया में हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 में संशोधन

891. श्री अनन्त गंगाराम गीते :
श्री किरीट सोमैया :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राज्य वित्त निगमों के प्रशासनिक नियंत्रण को सीधे केन्द्र सरकार के अधीन लाने एवं "ग" श्रेणी के राज्य वित्त निगम का वित्तीय पुनर्गठन करने के उद्देश्य से राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 में संशोधन करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य वित्तीय निगम अधिनियम में कब तक संशोधन किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या वित्तीय पुनर्गठन के लिए कई कमजोर राज्य वित्त निगमों के प्रस्ताव आई.डी.बी.आई. के पास फिर से उनके पूंजीकरण पर निर्णय लेने हेतु पड़े हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) उन प्रस्तावों पर कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) राज्य वित्तीय निगमों के शेयर धारक आधार को बढ़ाने, उन्हें कार्यशील स्वायत्तता तथा परिचालनात्मक लोच प्रदान करने तथा बदलती हुई वित्तीय प्रणाली की आवश्यकताओं को पूरा करने की संगत योग्यता प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 में व्यापक संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित संशोधन अन्तिम रूप दिए जाने की अग्रवर्ती स्थिति में है।

(घ) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

भारतीय रुपये की परिवर्तनीयता

892. श्री सुरेश चन्देल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूंजी खातों में भारतीय रुपये को पूर्ण परिवर्तनीय कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो कब से तथा इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) भारत ने सावधानीपूर्वक लेकिन सुव्यवस्थित ढंग से लम्बी समयावधि में धीरे-धीरे व्यापक मुद्रा नियंत्रण व्यवस्था से चालू खाते की परिवर्तनीयता और बाजार द्वारा निर्धारित विनिमय दर की ओर रुख किया है। पूंजी खाते की व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि भारत की विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि में समनुरूप वृद्धि करते हुए स्थिरता सहित विकास सुनिश्चित किया जा सके। पूंजी खाते के उदारीकरण को एक प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है न कि एकल घटना के रूप में। इस नीति पर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं वित्तीय संरचना के उभरते हुए परिदृश्य का मूल्यांकन करने के साथ-साथ समूचे आर्थिक सुधारों तथा वित्तीय बाजारों में सुदृढ़ संस्थागत ढांचे के निर्माण के एक भाग के रूप में सावधानीपूर्वक अमल किया जा रहा है।

[अनुवाद]

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकिंग कानूनों का पुनरीक्षण

893. श्री रामसागर रावत : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सर्वोच्च न्यायालय ने निरन्तर बढ़ती बैंक धोखाधड़ी एवं घोटालों के मद्देनजर बैंकिंग कानूनों एवं बैंकिंग प्रणाली के पुनरीक्षण के लिए केन्द्र सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक को निर्देश दिया है; और

(ख) यदि हां, तो बैंक ऋणों एवं उन पर लग रहे ब्याजों की शीघ्र वसूली के लिए हाल में उठाए गए कदम/विचाराधीन नियम, कानून का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) कामन काज़ रजिस्टर्ड सोसाइटी द्वारा भारत के उच्चतम न्यायालय में वर्ष 1998 में एक रिट याचिका (सिविल) सं. 291 दायर की गई थी। भारत संघ तथा भारतीय रिजर्व बैंक इसमें

प्रतिवादी थे। रिट याचिका में यह मांग की गई है कि प्रतिवादियों को ऋणों और अग्रिमों तथा उन पर देय ब्याज, जिन्हें इस समय बैंकों में अनुपयोज्य आस्तियों के रूप में माना जाता है, की वसूली के लिए एक निश्चित नीतिगत प्रक्रिया अपनाए जाने के लिए रिट, आदेश या निर्देश जारी किए जाएं। मामले की सुनवाई 14 दिसम्बर को हुई थी जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रतिवादियों को आठ सप्ताह के भीतर अपना उत्तर देने को कहा था। अब तक दोनों प्रतिवादियों द्वारा उत्तर दाखिल किए जा चुके हैं। उसके बाद कोई और निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ख) अनुपयोज्य आस्तियों की समस्या से निपटने के लिए बैंकों द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। उठाए गए कुछ कदम निम्नलिखित हैं:-

(1) बैंकों ने निदेशक मण्डल द्वारा विधिवत विनिश्चित ऋण नीतियों, ऋण वसूली नीतियों का निर्धारण किया है।

(2) बैंकों ने महाप्रबंधक की अध्यक्षता में, अपने मुख्यालयों में वसूली प्रकोष्ठों की स्थापना की है। अनुपयोज्य आस्तियों का पुनरीक्षण अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशकों द्वारा मासिक आधार पर और निदेशक मण्डलों द्वारा त्रैमासिक आधार पर किया जाता है।

(3) अधिक मूल्य की अनुपयोज्य आस्तियों से वसूली करने के लिए, अवकाश प्राप्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में बहुत से बैंकों द्वारा निपटान सलाहकारी समितियों का गठन किया गया है ताकि उपयुक्त प्राधिकारी को उनके विचार हेतु आपसी समझौते के प्रस्तावों की जांच पड़ताल, मूल्यांकन और उनकी सिफारिश करने के लिए भेजा जा सके।

(4) भारतीय रिजर्व बैंक ने लघु उद्योग, व्यापारिक एवं कर्मचारियों संबंधी भाग सहित लघु कारोबार और कृषि क्षेत्र, जहां पर लेखे अनुपयोज्य हो गए हैं, में वसूली हेतु निपटान सलाहकार समितियों के गठन के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों को मार्ग निर्देश जारी किए हैं। इन मार्ग निर्देशों के अनुसार, बैंकों को, उन अनुपयोज्य आस्तियों का पुनरीक्षण करने, जिनको 31 मार्च, 1999 की स्थिति के अनुसार कम से कम तीन वर्ष पूर्णतः वर्गीकृत किया गया है, और आपसी समझौते के प्रस्तावों पर तेजी से कार्रवाई करने के लिए अपने मुख्यालय क्षेत्रीय/आंचलिक कार्यालयों पर समितियां स्थापित करने का परामर्श दिया गया है। यह योजना 30 सितम्बर, 2000 तक जारी रहेगी। बैंकों को निपटान की कार्रवाई को 6 मास की अवधि के अन्दर पूरा करने और निदेशक मण्डलों को पुनरीक्षण नोट भेजने के लिए कहा गया है। बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक को भी पुनरीक्षण नोट की एक प्रति भेजना अपेक्षित है।

(5) अतिरिक्त ऋण वसूली अधिकरणों और ऋण वसूली अपीलीय अधिकरणों की स्थापना करके ऋण वसूली प्रक्रिया को सुदृढ़ करने और उनकी शक्तियों में वृद्धि करने के लिए कदम उठाए गए हैं।

बैंकों में धोखाधड़ी के मामले

894. श्री शीशराम सिंह रवि : क्या वित्त मंत्री बैंकों में धोखाधड़ी के मामले के बारे में 26 फरवरी, 1999 के अतारांकित प्रश्न संख्या 822 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तत्संबंधी जानकारी एकत्र कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके सभा पटल पर कब तक रखे जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी हां।

(ख) दिनांक 26 फरवरी, 1999 के अतारांकित प्रश्न संख्या 822 के उत्तर में दिए गए आश्वासन की पूर्ति का कार्यान्वयन विवरण दिनांक 28.10.99 को सभा के पटल पर रख दिया गया है।

प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज मामले

895. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कितने मामले दर्ज किये गये है;

(ख) इनमें से कितने मामले निपटाये गये हैं;

(ग) क्या प्रवर्तन निदेशालय में परिवर्तन/संशोधन का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार): (क) और (ख) महोदय, गत तीन वर्षों के दौरान प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज किए गए और निपटाए गए मामलों की संख्या निम्न प्रकार है:–

वर्ष	दर्ज किए गए मामलों की संख्या	निपटाए गए मामलों की संख्या
1996	5486	4254
1997	5511	5219
1998	3402	3520

(ग) और (घ) प्रवर्तन निदेशालय में कुछ पदों के सृजन/स्तरोन्नत करने के लिए प्रस्ताव सरकार द्वारा प्राप्त किया गया है।

बैंकों के लिए प्रबुद्ध मानदण्ड

896. **श्री प्रभुनाथ सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 5 अप्रैल, 1999 के "दि इंडियन एक्सप्रेस" में "आर.बी.आई. टाइटेन्स प्रूडेन्शियल नार्म्स फॉर बैंक्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस समाचार में रिपोर्ट किए गए मामले के तथ्य क्या हैं; और

(ग) ऐसे उपायों से बैंकों को कितना लाभ होने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) जैसाकि समाचार मद में दिया गया है, देश की बैंकिंग प्रणाली को मजबूत बनाने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने विवेकपूर्ण मानदण्डों को कड़ा किया है।

स्थायी खाता संख्या

897. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख तक वर्षवार और राज्यवार कितने लोगों ने आयकर स्थायी खाता संख्या (पैन) के लिए आवेदन किया है;

(ख) क्या उनमें से अधिकांश लोगों को स्थायी खाता संख्या परिचय कार्ड जारी नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा शीघ्रातिशीघ्र इन कार्डों को जारी करने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार): (क) स्थाई खाता संख्या (पैन) के आबंटन के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या वर्षवार और केन्द्रवार संलग्न विवरण में दी गई है। पैन के लिए कुल 1,83,51,683 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) दिनांक 31.10.99 तक 1,06,94,853 पैन कार्ड जारी किए जा चुके हैं।

(ग) और (घ) कम्प्यूटर केन्द्रों को पैन कार्ड जारी करने के काम में तेजी लाने को कहा गया है। तथापि यह उल्लेखनीय है कि छोटी-मोटी त्रुटियों वाले आवेदन-पत्रों के मामले में स्थाई खाता संख्या (पैन) का आवंटन करते समय पैन कार्ड तभी जारी किए जाते हैं जब सभी त्रुटियां दूर कर दी जाती हैं। इस समय बड़ी त्रुटियों तथा छोटी त्रुटियों वाले बड़ी संख्या में पैन रिकार्ड आवेदकों से कोई उत्तर न मिलने के कारण लम्बित हैं। विभाग द्वारा इस विषय पर बहुत प्रचार भी किया जा रहा है। जिसमें विभाग द्वारा उनको भेजे गए त्रुटियों के पत्रों का उत्तर देने का अनुरोध किया गया है। इसके अलावा बड़ी संख्या में पैन आवेदन-पत्र हाल के महीनों में प्राप्त हुए जिन पर कार्रवाई की जा रही है।

विवरण

कम्प्यूटर केन्द्र/मुख्य आयकर आयुक्त क्षेत्र		प्राप्त आवेदनों की संख्या					
		1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000 31.10.99 तक	योग
1		2	3	4	5	6	7
मुख्य आयकर आयुक्त, दिल्ली क्षेत्र							
दिल्ली		161,323	351,087	147,403	560,589	24,255	1,244,657
	योग	161,323	351,087	147,403	560,589	24,255	1,244,657
मुख्य आयकर आयुक्त, मुंबई क्षेत्र							
मुम्बई		714,760	181,498	113,970	703,677	76,858	1,790,763
	योग	714,760	181,498	113,970	703,677	76,858	1,790,763
मुख्य आयकर आयुक्त, चेन्नई क्षेत्र							
चेन्नई		116,364	297,477	101,687	106,045	46,096	667,669
मदुरई		0	0	0	115,750	5,000	120,750
कोयम्बटूर		0	0	20,215	118,145	4,001	142,361
	योग	116,364	297,477	121,902	339,940	55,097	930,780
मुख्य आयकर आयुक्त, बंगलौर क्षेत्र							
बंगलौर		0	0	65,975	621,590	107,833	795,398
	योग	0	0	65,975	621,590	107,833	795,398

1	2	3	4	5	6	7
मुख्य आयकर आयुक्त, भोपाल क्षेत्र						
भोपाल	0	0	0	545,061	48,546	593,607
जबलपुर	0	0	0	460,543	35,212	495,755
योग	0	0	0	1,005,604	83,758	1,089,362
मुख्य आयकर आयुक्त, पुणे क्षेत्र						
पुणे	0	0	38,326	707,638	17,028	762,992
नासिक	0	0	12,345	747,583	304	487,232
कोल्हापुर	0	0	97,025	203,113	14,287	314,425
नागपुर	0	0	0	371,957	15,777	387,734
योग	0	0	147,696	1,757,291	47,396	1,952,383
मुख्य आयकर आयुक्त, पटना क्षेत्र						
पटना	0	0	99,937	257,687	84,762	442,386
भुवनेश्वर	0	0	0	190,779	4,771	195,550
रांची	0	0	0	483,650	21,374	505,024
शिलांग	0	0	64,121	241,009	6,345	311,475
योग	0	0	164,058	1,173,125	117,252	1,454,435

1		2	3	4	5	6	7
मुख्य आयकर आयुक्त, कानपुर क्षेत्र							
कानपुर		0	0	1,284	149,958	1,884	153,126
आगरा		0	0	21,000	160,128	18,612	199,740
मेरठ		0	0	2,183	277,812	5,086	285,081
	योग	0	0	24,467	587,898	25,582	637,947
मुख्य आयकर आयुक्त, लखनऊ क्षेत्र							
लखनऊ		0	0	4,718	243,308	80,222	328,248
इलाहाबाद		0	0	0	234,417	5,921	240,338
	योग	0	0	4,718	477,725	86,143	568,586
मुख्य आयकर आयुक्त, जयपुर क्षेत्र							
जयपुर		0	0	2,614	612,771	25,689	641,074
जोधपुर		0	0	25,775	368,633	14,877	409,285
	योग	0	0	28,389	981,404	40,566	1,050,359
मुख्य आयकर आयुक्त, हैदराबाद क्षेत्र							
हैदराबाद		0	0	1,938	330,133	36,301	368,372
विशाखापत्तनम		0	0	0	308,207	9,260	317,467
	योग	0	0	1,938	638,340	45,561	685,839

1	2	3	4	5	6	7
मुख्य आयकर आयुक्त, कोचीन क्षेत्र						
कोचीन	0	0	0	322,284	39,270	361,554
त्रिवेन्द्रम	0	0	21,451	156,495	5,602	183,548
योग	0	0	21,451	478,779	44,872	545,102
मुख्य आयकर आयुक्त, चंडीगढ़ क्षेत्र						
रोहतक	0	0	13,117	430,428	14,883	458,428
अमृतसर	0	0	0	254,040	8,000	262,040
जालंधर	0	0	4,873	376,528	20,000	401,401
पटियाला	0	0	3,092	611,368	39,443	653,903
योग	0	0	21,082	1,672,364	82,326	1,775,772
मुख्य आयकर आयुक्त, कलकत्ता क्षेत्र						
कलकत्ता	0	0	10,309	1,753,323	55,654	1,819,286
योग	0	0	10,309	1,753,323	55,654	1,819,286

1	2	3	4	5	6	7
मुख्य आयकर आयुक्त, अहमदाबाद क्षेत्र						
अहमदाबाद	0	0	2,760	660,725	58,752	722,237
बड़ौदा	0	0	0	402,571	20,248	422,819
राजकोट	0	0	543	443,704	17,732	461,979
सूरत	0	0	8,415	365,339	30,225	403,979
योग	0	0	11,718	1,872,339	126,957	2,011,014
कुल योग	992,447	830,062	885,062	14,623,988	1,020,110	18,351,683

रॉल्स रॉयस द्वारा सहायक कंपनियों का स्थापित किया जाना

898. श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गैस टरबाईन और डीजल विद्युत उत्पादक तंत्र का निर्माण करने और डीजल विद्युत उत्पादक तंत्र का निर्माण करने और संयुक्त उद्यम लगाने हेतु विद्युत संयंत्रों को तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करने के लिए यूनाइटेड किंगडम आधारित रॉल्स रॉयस को भारत में एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी स्थापित करने की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संयंत्र की स्थापना के लिए स्थान का भी चयन कर लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) और (ख) जी, हां। जून, 1999 में सरकार ने (1) सभी प्रकार के एअरोडिरिवटिव गैस टरबाइनों के और डीजल पर आधारित विद्युत, सृजन प्रणाली और गैस पम्पिंग प्रणाली तथा इनके कलपुर्जों सहित इनका डिजाइन बनाने, विकसित करने, निर्माण करने, एसेम्बल करने, खरीदने-बेचने, वितरित करने, आयात-निर्यात करने, पुनर्संरचना करने, स्थापित करने, आरंभ करने, संचालित करने, मरम्मत करने, सर्विस करने; (2) टर्नकी/उप-ठेका आधार पर काम लेने, और (3) उपरोक्त मदों के लिए संयुक्त उद्यम लगाने एवं तकनीकी, अभियांत्रिकी की सुविधा उपलब्ध कराने, देश में या अन्य जगह ग्राहकों/विद्युत संयंत्रों के लिए तकनीकी प्रशिक्षण एवं तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करने के लिए पूर्णत: स्वामित्व वाली सहायिका की स्थापना करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया। परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए अब इस कंपनी को मैसर्स रॉल्स-रॉयस एनर्जी सिस्टम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के रूप में निगमित किया गया।

(ग) और (घ) संयंत्र की स्थापना हेतु स्थान के बारे में सरकार को अभी सूचित किया जाना है।

सोने का आयात

899. श्री सुशील कुमार शिंदे :
श्री माधवराव सिंधिया :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1996-97, 1997-98 और 1998-99 के दौरान पृथक-पृथक रूप से सोने का निजी तौर पर लाए गए सोने सहित कितना आयात किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान स्वर्ण-आभूषण का कितना निर्यात किया गया; और

(ग) प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में अनुमानत: कितनी धनराशि के सोने की खपत/संचयन किया गया?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार): (क) वर्ष 1996-97, 1997-98 और 1998-99 के दौरान निजी सामान के रूप में लाए गए सोने सहित सोने के आयात के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

वर्ष	मात्रा (टनों में)
1996-97	338.19
1997-98	643.268
1998-99	521.731

(ख) ऊपर "क" में उल्लिखित अवधि के संबंध में स्वर्ण आभूषणों के निर्यात का ब्यौरा इस प्रकार है:

वर्ष	मूल्य अमरीकी डालर में (मिलियन)
1996-97	511.80
1997-98	572.30
1998-99	863.75

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, उपरोक्त तीन वित्तीय वर्षों के दौरान भारत में सोने की अनुमानित मांग क्रमश: 554 टन, 825 टन और 758 टन थी, जिसमें से अधिकांश मात्रा को आयात करके और शेष को पुन: प्रसंस्कृत करके पूरा किया गया था।

ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं के लिए विश्व बैंक द्वारा ऋण

900. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोनाराम चौधरी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विश्व बैंक/अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा वित्तपोषित राजस्थान विशेषकर बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर और जोधपुर की ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन योजनाओं के लिये कुल कितना ऋण प्राप्त हुआ है; और

(ग) उक्त ऋण के नियम और शर्तें क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष परियोजनागत ऋण प्रदान नहीं करता; विश्व बैंक की सहायता से राजस्थान में कोई भी ग्रामीण जलापूर्ति योजना कार्यान्वित नहीं की जा रही है।

(ख) और (ग) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

[हिन्दी]

गन्दे/कटे-फटे नोटों की छंटाई करने हेतु नई मशीन

901. डा. अशोक पटेल : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में गन्दे/कटे-फटे नोटों की छंटाई करने के लिए किसी मशीन का इस्तेमाल करना शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का इस मशीन के व्यापक पैमाने पर कब तक इस्तेमाल करने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, नहीं। लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक नोटों की लेनदेन सम्बन्धी प्रक्रिया के लिए अपने चण्डीगढ़ कार्यालय और भोपाल कार्यालय में अधिप्रमाणन, छंटाई और ऑन-लाइन शीर्णकरण (श्रेडिंग) की मुद्रा प्रमाणन और लेनदेन प्रक्रिया प्रणालियां (सी.वी.पी.एस.) स्थापित की हैं।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने चण्डीगढ़ कार्यालय में, मैसर्ज गाईसैकी एण्ड डेवरिएन्ट, जर्मनी द्वारा सप्लाई की गई तीन मुद्रा (सी.वी.पी.एस.) तथा अपने भोपाल स्थित कार्यालय में मैसर्स करेंसी सिस्टम्स इण्टरनेशनल, संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा सप्लाई की गई चार सी.वी.पी.एस. संस्थापित की हैं।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने नोटों के लेन देन की हस्तचालित वर्तमान प्रणाली का यांत्रिकीकरण करने के लिए धीरे-धीरे अपने सभी निर्गम कार्यालयों को सी.वी.पी.एस. मुहैया कराने की योजना बनाई है। लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक ने इस संबंध में कोई विशेष समय सीमा निर्धारित नहीं की है।

[अनुवाद]

रबड़ की खेती

902. **श्री बाजू बन रियान** : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रबड़ का उत्पादन करने वाले राज्यों के नाम क्या हैं;

(ख) आठवीं योजना अवधि तथा चालू योजनावधि के दौरान उन राज्यों द्वारा रबड़ की खेती और इसके उत्पादन में क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं;

(ग) इस प्रयोजनार्थ नौवीं योजना के दौरान किन योजनाओं का प्रस्ताव है और कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा रबड़ की खेती के लिए उन राज्यों को क्या सहायता दी गई है; और

(ङ) सरकार द्वारा रबड़ उत्पादकों के हितों की रक्षा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) और (ख) रबड़ उत्पादक राज्यों के नाम तथा आठवीं योजना तथा चालू योजना अवधि के दौरान उन राज्यों द्वारा रबड़ की खेती में उपलब्धियां नीचे दी गई हैं:-

रबड़ उत्पादक राज्य	आठवीं योजना के दौरान उपलब्धियां (नवरोपण) (हैक्टेयर)	नौवीं योजना के प्रथम दो वर्षों के दौरान उपलब्धियां (1997-98) और 1998-99) (नव रोपण) (हैक्टेयर)
1	2	3
1. परम्परागत क्षेत्र		
केरल	28142	10584
तमिलनाडु	846	222
2. गैर-परम्परागत क्षेत्र		
कर्नाटक	1275	1439
त्रिपुरा	5755	3225
असम	869	1245
मेघालय	310	333
नागालैंड	413	325
मिजोरम	59	67
मणिपुर	150	176
अरूणाचल प्रदेश	33	90
अंडमान तथा निकोबार	65	–
गोवा	26	9
महाराष्ट्र	19	25
उड़ीसा	37	3
पश्चिम बंगाल	48	89
आंध्र प्रदेश	13	9
कुल	38060	17841

(ग) और (घ) भारत सरकार उत्पादकों को प्रत्यक्ष रूप से वित्तीय और विस्तार सहायता उपलब्ध कराने के लिए रबड़ बोर्ड के माध्यम से अनेक चालू योजनाओं को कार्यान्वित कर रही है, जैसे रबड़ रोपण विकास योजना, सिंचाई का संवर्धन, धूम्र-गृहों का निर्माण, हस्त चालित रोलरों के लिए सहायता, बाड़ इत्यादि की मुफ्त आपूर्ति सहित आवश्यक रोपण सामग्री की आपूर्ति। इसके अतिरिक्त जरूरतमंद उत्पादकों को रबड़ की खेती के सभी पहलुओं पर मुफ्त प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। रबड़ की खेती के लिए अनेक विकासात्मक कार्यक्रमों/योजनाओं के लिए इन राज्यों में नौंवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 373.19 करोड़ रुपए के बजट का आबंटन किया गया है।

(ङ) रबड़ उत्पादकों को उनके उत्पाद की लाभकारी कीमत उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने सरकारी खाते से 30,000 मी. टन रबड़ की खरीद करने की स्वीकृति दी है। फरवरी, 1999 के अग्रिम लाइसैंस के तहत प्राकृतिक रबड़ के आयात पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।

सरकारी उपक्रमों का निजीकरण

903. श्री टी.एम. सेल्वागनपति :
श्री टी. गोविन्दन :
श्री रामपाल सिंह :
श्री अधीर चौधरी :

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार हिन्दुस्तान मशीन टूल्स सहित 24 सरकारी उपक्रमों के निजीकरण पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस सम्बन्ध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है;

(घ) इन निजी भागीदारी वाले सरकारी उपक्रमों में काम कर रहे कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या सरकार चुने गए सरकारी उपक्रमों को संयुक्त उद्यमों में तबदील करने के कार्य में सहायता करने के लिए मर्चेन्ट बैंकरों का चयन कर चुकी है और इन कंपनियों में हिस्सेदारी के लिए महत्वपूर्ण भागीदारों का पता लगाया जाएगा और सरकार इनमें अपनी पूंजी 49 प्रतिशत से कम रखेगी; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) से (ग) सरकार ने इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के 24 उपक्रमों को सुदृढ़ एवं जैव्य बनाने की दीर्घावधि नीति के भाग के रूप में ''सैद्धांतिक रूप से'' संयुक्त उद्यम में बदलने का अनुमोदन कर दिया है। इन 24 इकाईयों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

संयुक्त उद्यम का गठन करने की प्रक्रिया विभिन्न स्तरों पर है। प्रत्येक मामले में अंतिम निर्णय परामर्शदाताओं/मर्चेंट बैंकरों की सिफारिशों पर निर्भर करेगा।

(घ) कामगारों के हित की रक्षा संयुक्त उद्यम के भागीदारों के साथ उपयुक्त सहमति के जरिए की जायेगी।

(ङ) और (च) सरकारी क्षेत्र के 18 उपक्रमों के मामलो में परामर्शदाताओं/मर्चेंट बैंकरों की नियुक्ति की गई है। एक सूची विवरण-II के रूप में संलग्न है। नीतिगत भागीदारों का चयन और सरकार की भागीदारी को कम करने की सीमा प्राप्त हुई ऑफरों और परामर्शदाताओं/मर्चेंट बैंकरों पर निर्भर करेगी।

विवरण-I

भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय के तहत सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों की सूची जिनमें सरकार ने संयुक्त उद्यम का गठन करने के लिए ''सैद्धांतिक'' रूप से अनुमोदन दे दिया है

1. एंड्रयू यूल एंड कंपनी लि. (ए.वाई. एंड कं.)
2. भारत हेवी प्लेट्स एंड वैसेल्स लि. (बीएचपीवी)
3. भारत लैदर कारपोरेशन लि. (बीएलसी)
4. भारत पम्प्स एंड कम्प्रेशर लि. (बीपीसीएल)
5. ब्रीज एंड रूफ कंपनी इंडिया लि. (बी एंड आर)
6. सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (सीसीआई)
7. इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लि. (ईपीआई)
8. हिन्दुस्तान केबल्स लि. (एचसीएल)
9. एच.एम.टी. लि.
10. एच.एम.टी. (बेयरिंग्स) लि.
11. हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लि. (एचपीसी)
12. हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लि. (एचपीएफ)
13. हिन्दुस्तान साल्ट्स लि. (एचएसएल)
14. इंस्ट्रूमेंटेशन लि. (आईएलके)
15. लगन जूट मशीनरी कंपनी लि. (एलजेएमसी)
16. मांड्या नेशनल पेपर मिल्स लि. (एमएनपीएम)

17. नेपा लि. (नेपा)

18. नेशनल इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट कारपोरेशन लि. (एनआईडीसी)

19. प्रागा टूल्स लि. (पी.टी.एल.)

20. स्कूटर इंडिया लि. (एसआईएल)

21. सांभर साल्ट्स लि. (एसएसएल)

22. तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लि. (टीएसपीएल)

23. टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (टीसीआईएल)

24. रेयरॉल बर्न लि. (आरबीएल)

विवरण-II

सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों की सूची जिनमें संयुक्त उद्यम के भागीदारों का पता लगाने के लिए परामर्शदाताओं की नियुक्ति की गई है

क्र.सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	परामर्शदाता
1	2	3
1.	एंड्रयू यूल एंड कंपनी लि.	आईसीआईसीआई
2.	भारत लेदर कारपोरेशन लि.	एसबीआई कैप्स
3.	भारत पंम्प्स एंड क्रम्प्रेशर्स लि.	एसबीआई कैप्स
4.	सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.	एसबीआई कैप्स
5.	हिन्दुस्तान केबल्स लि.	I-सेक
6.	एचएचटी (ट्रैक्टर्स)	I-सेक
7.	एचएमटी बेयरिंग्स लि.	एसबीआई कैप्स
8.	हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कं. लि.	प्राइस वाटर हाऊस कूपर्स
9.	हिन्दुस्तान साल्ट्स लि.	एसबीआई कैप्स

1	2	3
10.	लगन जूट मशीनरी कंपनी लि.	ए.एफ. फर्ग्युसन
11.	नेपा लि.	एसबीआई कैप्स
12.	स्कूटर्स इंडिया लि.	प्राइस वाटर हाऊस कूपर्स
13.	सांभर साल्ट लि.	एसबीआई कैप्स
14.	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लि.	आईडीबीआई
15.	ब्रीज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लि.	ए.एफ. फर्ग्युसन
16.	भारत हेवी प्लेट्स एंड वेसल्स लि.	बीलीमोरिया एंड कंपनी
17.	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लि.	ए.एफ. फर्ग्युसन
18.	इंस्ट्रूमेंटेशन लि.	आईडीबीआई

वस्त्र निर्यात में कमी

904. श्री टी. गोविन्दन : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत पर गत वर्ष के दौरान परमाणु परीक्षण करने के बाद अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा प्रतिबंध लगाने से हथकरघा/वस्त्र मदों के निर्यात में कमी आयी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत एक वर्ष के दौरान कितने घाटे का अनुमान है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विकासात्मक/कल्याणकारी योजनाओं के लिये विश्व बैंक की सहायता

905. श्री रामदास आठवले : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार को पिछले तीन वर्षों के दौरान देश की कौन सी विकासात्मक/कल्याणकारी योजनाओं के लिये विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से आर्थिक सहायता मिली है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से अलग-अलग इन योजनाओं के लिये वर्षवार और योजनावार कितनी धनराशि की आर्थिक सहायता/ऋण प्राप्त हुआ;

(ग) इनके द्वारा इन ऋणों के लिये क्या विशेष शर्तें रखी गई हैं और इसकी वार्षिक ब्याज दर क्या है; और

(घ) आज तक इस ऋण राशि में से इन योजनाओं के लिए कितनी धनराशि खर्च हो चुकी है और कितना धन सरकार के पास शेष है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क), (ख) और (घ) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋण परियोजना आधारित नहीं होते। वे भुगतान-शेष की सहायता हेतु दिए जाते हैं। पिछले 3 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कोई ऋण नहीं लिया गया है। गत तीन वर्षों के दौरान विश्व बैंक की परियोजनाओं हेतु किए गए संवितरणों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) लगाई गई विशेष शर्तें प्रत्येक परियोजना के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न होती है। विश्व बैंक की सामान्य शर्तें निम्नानुसार हैं:

आईबीआरडी : इस समय वापसी-अदायगी की अवधि 20 वर्ष है जिसमें 5 वर्ष की छूट-अवधि भी शामिल है। ब्याज-दर परिवर्तनीय होती है और इसे बैंक द्वारा निधियां उधार लेने की अपनी लागत के अनुरूप अर्धवार्षिक रूप से संशोधित किया जाता है। ब्याज को मौजूदा दर लगभग 6.34% है। असंवितरित शेष राशि पर वचनबद्धता प्रभार की दर 0.75% है। ऋण राशि के 1% का फ्रंट-एण्ड शुल्क भी देय होता है। तथापि, वचनबद्धता शुल्क पर 0.5% की छूट दी जाती है। समय पर वापसी अदायगी किए जाने पर 0.25% ब्याज भी माफ कर दिया जाता है।

आईडीए : "क्रेडिट" के रूप में जानी जाने वाली आईडीए की वचनबद्धताओं की 35 वर्षों में वापसी अदायगी की जानी होती है जिनमें 10 वर्ष की छूट अवधि भी शामिल है। क्रेडिट पर कोई ब्याज प्रभार नहीं लिया जाता लेकिन संवितरित राशि पर 0.75% का सेवा प्रभार लगाया जाता है। असंवितरित बकाया राशियों पर प्रत्येक वर्ष अधिकतम 0.5% तक वचनबद्धता प्रभार लगाए जाते हैं।

विवरण

चालू परियोजनाओं की सूची

(मिलियन अमरीकी डालर में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	राशि	उपयोग			दि. 31.3.99 तक अनाहरित शेष राशि
			1996-97	1997-98	1998-99	
1	2	3	4	5	6	7
सरकारी ऋण – आई.डी.ए.						
1.	2223-इन तकनीकी शिक्षा-II	255.734	35.4	30.0	26.9	82.57
2.	2252-इन औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण	31.600	1.1	15.1	0.00	10.2
3.	2572-इन वन अनुसंधान शिक्षा विस्तार परियोजना	47.551	4.2	6.0	5.9	35.0
4.	2008-इन व्यावसायिक प्रशिक्षण परियोजना	133.854	17.3	9.4	4.3	8.7

1	2	3	4	5	6	7
5.	2130-इन तकनीकी शिक्षा	225.629	39.5	25.7	36.1	0.0
6.	2131-इन सनन्वित जलसंभर विकास (मैदान)	56.961	14.6	7.6	8.3	—
7.	2100-इन समन्वित जलसंभर विकास (पहाड़ी)	75.000	8.0	7.1	11.9	8.5
8.	2241-इन बांध सुरक्षा परि.	92.973	10.7	16.1	18.2	24.1
9.	2329-इन झींगा और मत्स्य कृषि	36.487	4.0	0.0	8.0	16.0
10.	2328-इन महाराष्ट्र वानिकी	107.820	13.8	8.5	19.5	34.2
11.	2350-इन राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण	84.000	21.8	16.0	14.0	1.1
12.	2365-इन द्वितीय राष्ट्रीय राजमार्ग	162.838	28.1	41.8	36.6	—
13.	2439-इन बिहार पठार विकास	117.000	5.8	13.6	23.7	57.4
14.	2433-इन एडीपी राजस्थान कृषि विकास	106.000	15.4	11.2	13.1	25.8
15.	2449-इन नवीकरण योग्य संसाधन विकास परियोजना	115.000	20.7	7.0	8.1	73.7
16.	2470-इन आईसीडीएस-II	194.000	9.5	21.1	28.3	118.4
17.	2483-इन कर्नाटक ग्रामीण जलापूर्ति और स्वच्छता	92.000	11.8	8.1	29.1	31.6
18.	2510-इन उत्तर प्रदेश सोडा युक्त भूमि सुधार परियोजना	54.700	10.5	8.1	12.2	12.9
19.	2509-इन उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा	165.000	35.8	32.6	20.1	22.6

1	2	3	4	5	6	7
20.	2409-इन रबर परियोजना	55.422	4.3	7.8	8.4	23.2
21.	2528-इन राष्ट्रीय कुष्ठरोग उन्मूलन	75.933	3.2	13.7	10.8	25.6
22.	2394-इन परिवार कल्याण (शहरी गन्दी बस्ती)	79.000	4.2	5.3	8.5	55.9
23.	2573-इन आंध्र प्रदेश वानिकी परियोजना	77.400	14.1	15.9	13.1	25.5
24.	2594-इन महाराष्ट्र आपात भूकंप निर्माण परियोजना	220.849	74.6	44.7	23.4	0.0
25.	2592-इन जल संसाधन समेकन	258.000	30.9	28.4	19.1	147.9
26.	2611-इन मोतियाबिंद अंधापन नियंत्रण	117.800	7.3	8.8	8.5	82.1
27.	2630-इन परिवार कल्याण	88.600	6.6	13.9	9.7	53.1
28.	2645-इन औद्योगिक प्रदूषण रोकथाम	25.000	1.0	0.9	1.0	23.1
29.	2661-इन जिला प्राथमिक शिक्षा	260.300	37.6	37.0	24.4	140.4
30.	2663-इन आंध्र प्रदेश रेफरल स्वास्थ्य प्रणाली	133.000	6.1	18.6	30.7	76.0
31.	2699-इन कृषि और मानव संसाधन	59.500	3.3	7.0	8.2	37.8
32.	2700-इन मध्य प्रदेश वानिकी	58.000	7.1	10.5	14.4	22.9
33.	2733-इन असम ग्रामीण आधारभूत ढांचा	126.000	2.0	1.6	6.9	113.4
34.	2745-इन तमिलनाडु जल संसाधन समेकन	282.900	2.1	1.9	19.5	246.9

1	2	3	4	5	6	7
35.	2774–इन भारत में जल-विज्ञान	142.000	1.6	6.1	16.4	113.9
36.	2801–इन उड़ीसा जल संसाधन समेकन	290.900	19.9	40.8	30.1	185.8
37.	2833–इन द्वितीय राज्य स्वास्थ्य व्यवस्था विकास	350.00	12.7	13.4	31.4	292.7
38.	2862–इन कोयला क्षेत्र पर्यावरण और सामाजिक प्रशमन	63.000	3.0	2.1	8.3	49.6
39.	2838–इन प्राइवेट आधारभूत ढांचा (आईएलएफएस)	5.000	0.0	0.0	0.4	4.6
40.	2876–इन द्वितीय जिला प्राइमरी शिक्षा	425.200	8.5	16.1	64.0	336.0
41.	2916–इन आर्थिक विकास परियोजना	28.000	1.5	0.7	1.7	24.1
42.	2930-इन पर्यावरणीय प्रबंध क्षमता निर्माण	50.000	0.0	3.0	0.9	46.1
43.	2936–इन टी.बी. नियंत्रण	142.400	0.0	5.0	0.0	137.4
44.	2952–इन आंध्र प्रदेश सिंचाई-III	150.000	0.0	0.0	8.7	82.4
45.	2950–इन आंध्र प्रदेश संकट प्रशमन और आपातकाल चक्रवात	100.000	0.0	8.6	19.7	71.7
46.	2964–इन मलेरिया केन्द्र परियोजना	164.800	0.0	5.62	3.8	155.4
47.	018–इन पुनरुत्पादक और बाल स्वास्थ्य	248.300	0.0	7.0	3.5	237.8
48.	3018–इन उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना	52.940	0.0	0.0	7.4	45.5
49.	3012–इन डीपीईपी-III	152.000	0.0	0.0	7.9	139.3

1	2	3	4	5	6	7
50.	3013-इन उत्तर प्रदेश बुनियादी शिक्षा-II	59.400	0.0	0.0	20.6	31.4
51.	2986-इन कोयला क्षेत्र सुधार	2.000	0.0	0.0	0.0	2.0
52.	3048-इन राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना	100.000	0.0	0.0	6.0	94.3
53.	3106-इन उत्तर प्रदेश विविधिकृत कृषि समर्थन	50.000	0.0	0.0	5.5	44.5
54.	041-इन उड़ीसा स्वास्थ्य व्यवस्था विकास परियोजना	76.400	0.0	0.0	3.6	72.8
55.	3053-इन केरल वानिकी परि.	39.000	0.0	0.0	3.9	35.1
56.	2942-इन ग्रामीण महिलाओं का विकास	19.500	0.0	0.0	0.0	19.5
57.	3149-इन महाराष्ट्र स्वास्थ्य व्यवस्था विकास	134.000	0.0	0.0	3.1	130.9
58.	3103-इन आंध्र प्रदेश आर्थिक पुनर्संरचना	241.900	0.0	0.0	29.1	212.8
59.	3152-इन उत्तर प्रदेश सोडायुक्त भूमि-II	194.100	0.0	0.0	0.0	194.1
60.	आईएफसी-044-इन राजस्थान जिला प्राइमरी शिक्षा	81.900	0.0	0.0	0.0	81.9
61.	आईटीएफ-42-इन महिला एवं बाल विकास	289.250	00	0.0	0.0	289.25
62.	3243-इन एकीकृत जलसंभर विकास परियोजना (पहाड़ी)	50.184	0.0	0.0	0.0	50.184
	सरकारी ऋण – आईबीआरडी					
1.	3300-इन तमिलनाडु कृषि विकास	20.00	0.0	0.0	9.3	10.8
2.	42-0-इन महिला एवं बाल विकास	300.000	0.0	0.0	0.0	300.0

1	2	3	4	5	6	7
3.	3024–इन नथपा झाकड़ी विद्युत (आरएफ)	485.000	65.9	69.4	46.9	111.7
4.	3096–इन महाराष्ट्र विद्युत (आरएफ)	337.330	61.3	62.5	42.6	0.0
5.	3237–इन उत्तर क्षेत्र पारेषण	485.00	88.6	74.6	21.6	178.7
6.	3334–इन औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण	124.000	22.5	11.1	5.3	6.7
7.	3470–द्वितीय राष्ट्रीय राजमार्ग	153.000	0.0	0.0	0.0	153.0
8.	3856–इन वित्तीय क्षेत्र	350.000	0.0	0.0	50.0	150.0
9.	3907–इन द्वितीय मद्रास जल	86.500	0.9	9.7	13.3	56.6
10.	3923–इन बम्बई मल व्ययन	167.000	4.9	26.8	15.4	119.9
11.	4014–इन उड़ीसा विद्युत क्षेत्र पुनर्संरचना	350.000	12.1	4.3	7.5	326.1
12.	4045–इन उत्तर प्रदेश ग्रामीण जलापूर्ति और पर्यावरणीय स्वच्छता	59.600	2.4	0.7	6.3	50.2
13.	4114–इन सड़क आधारभूत ढांचा विकास तकनीकी सहायता	51.500	3.0	6.4	8.3	33.8
14.	4156–इन आंध्र प्रदेश आपातकाल में संकट का प्रशमन	50.000	0.0	0.0	0.0	50.0
15.	4166–इन आंध्र प्रदेश सिंचाई परियोजना	175.000	0.0	0.0	0.0	175.0
16.	4192–इन आंध्र प्रदेश राज्य राजमार्ग परियोजना	350.000	0.0	12.35	10.3	327.3
17.	4271–इन हरियाणा विद्युत पुनर्संरचना परियोजना	60.00	0.0	0.0	18.7	41.3

1	2	3	4	5	6	7
18.	4296-इन राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना	96.800	0.0	0.0	0.0	96.8
19.	4365-इन उ.प्र. विविधिकृत कृषि समर्थन परियोजना	79.900	0.0	0.0	0.0	79.9
20.	4360-इन आंध्र प्रदेश आर्थिक पुनर्संरचना	301.300	0.0	0.0	32.4	268.9
21.	4441-इन आंध्र प्रदेश विद्युत क्षेत्र	210.000	0.0	0.0	10.2	199.8
22.	4478-इन द्वितीय तमिलनाडु शहरी विकास	105.000	0.0	0.0	0.0	105.0
गैर-सरकारी ऋण						
1.	3577-इन पीजीसीएल पावरग्रिड प्रणाली विकास परियोजना	350.000	72.3	42.9	31.8	117.1
2.	3632-इन एनटीपीसी पावर उत्पादन	400.000	81.7	123.8	151.5	0.5
3.	33753-इन कोनकोर	94.000	9.8	0.2	9.2	73.2
4.	779-0-आईडीबीआई औद्योगिक प्रदूषण रोकथाम	93.000	0.0	4.3	7.5	76.2
5.	3780-इन आईसीआईसीआई औद्योगिक प्रदूषण की रोकथाम	50.000	3.5	1.9	1.9	46.5
6.	3857-इन आईडीबीआई वित्तीय क्षेत्र विकास	150.000	0.0	11.5	15.5	117.0
7.	3992-इन आई एल एण्ड एफएस निजी आधारभूत ढांचा	200.000	25.0	0.0	0.0	175.0
8.	4226-इन कोयला क्षेत्र सुधार	515.000	0.0	0.0	44.9	470.1

वाहनों का निर्माण तथा निर्यात

906. **श्री नवल किशोर राय:**
डा. सुशील कुमार इन्दौरा :

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में पिछले कुछ वर्षों के दौरान पेट्रोल, डीजल तथा गैस चालित वाहनों के निर्माण में लगातार वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने तथा किस-किस प्रकार के वाहनों का निर्माण किया गया;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान इन वाहनों का निर्यात कर विदेशी मुद्रा भी अर्जित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो वर्ष-वार उक्त अवधि के दौरान कितने तथा किस-किस प्रकार के वाहनों का निर्यात किया गया तथा इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्पादित वाहनों की संख्या और किस्मों को नीचे दिया गया है:-

(उत्पादन संख्या में)

	श्रेणी	1996-97	1997-98	1998-99
1.	कार	4,07,539	4,01,002	3,90,709
2.	बहु-उपयोगी वाहन	1,34,583	1,34,653	1,13,328
3.	मध्यम एवं एचसीवी	1,55,696	95,854	80,528
4.	एलसीवी	84,855	65,040	55,363
5.	थ्री व्हीलर्स	2,21,619	2,34,867	2,09,033
6.	टू व्हीलर्स	29,79,227	30,72,667	33,74,508
	कुल	39,83,519	40,04,083	42,23,469

(ग) जी, हां।

(घ) वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान के विवरण नीचे दिए गए हैं:-

श्रेणी	1996-97		1997-98	
	संख्या	मूल्य (करोड़ रुपये में)	संख्या	मूल्य (करोड़ रुपये में)
कार एवं बहु उपयोगी वांहन	38,030	849.41	29,594	792.19
व्यावसायिक वाहन	6239	363.65	8283	428.91
टू एवं थ्री व्हीलर्स	1,34,488	329.36	95.198	273.04
कुल	1,78,755	1542.42	1,33,075	1674.20

1998-99 के अंतिम आंकड़ों को वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डोजीसीआईएस), कलकत्ता ने अभी तक संकलित नहीं किया है।

[अनुवाद]

लौह अयस्क का निर्यात

907. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान मिनरल एण्ड मेटल्स ट्रेडिंग कॉरपोरेशन (एम.एम.टी.सी.) द्वारा कर्नाटक के कुद्रेमुख लौह अयस्क खान से कितने लौह अयस्क का निर्यात किया गया;

(ख) अन्य लौह अयस्क उत्पादक राज्यों से विभिन्न देशों को कितने लौह अयस्क का निर्यात किया गया;

(ग) क्या इस समय एम.एम.टी.सी. द्वारा निर्यात किए जा रहे अन्य उत्पादों की तुलना में लौह अयस्क उत्पाद के निर्यात में भारी गिरावट आयी है;

(घ) यदि हां, तो ऐसा कब से है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) नौवीं योजना के दौरान निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एम.एम.टी.सी. द्वारा पहचान किए गए क्षेत्रों तथा इसके लिए निर्धारित लक्ष्य का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) और (ख) महोदय, एम.एम.टी.सी. कुद्रेमुख लौह अयस्क खान से लौह अयस्क का निर्यात नहीं करता है। तथापि, कुद्रेमुख लौह अयस्क कं. लिमिटेड (के.आई.ओ.सी.एल.) द्वारा उत्पादित सांद्रित लौह के निर्यात के लिए जापानी बाजारों में विपणन सेवाएं उपलब्ध कराता है। एम.एम.टी.सी. मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, कर्नाटक और गोवा राज्यों में उत्पादित लौह अयस्क का जापान, चीन, दक्षिण कोरिया, पाकिस्तान, थाईलैंड, नेपाल और यूरोप को निर्यात कर रहा है। एम.एम.टी.सी. द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान लौह अयस्क निर्यात के राज्य/देशवार ब्यौरे मात्रा और मूल्य के रूप में संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) लौह अयस्क एम.एम.टी.सी. के लिए निर्यात की मुख्य मद रही है। एम.एम.टी.सी. द्वारा निर्यात किए गए लौह अयस्क की मात्रा में वर्ष 1998-99 में मामूली गिरावट आई है क्योंकि दक्षिण पूर्व एशियाई आर्थिक संकट के कारण जापान और दक्षिण कोरिया ने कम खरीददारी की, किन्तु चालू वर्ष में जापान और दक्षिण कोरिया में उच्च स्तरीय इस्पात उत्पादन के बाद निर्यात में वृद्धि हुई है।

(ङ) लौह अयस्क के मामले में मुख्य रूप से नीति अयस्क की घरेलू मांग से बेशी मात्रा का निर्यात करने की है। वाणिज्य मंत्रालय के साथ हुए समझौता ज्ञापनों के आधार पर एम.एम.टी.सी. वर्षवार लक्ष्य का निर्धारण करता है। चालू वर्ष के लिए लौह अयस्क के निर्यात लक्ष्य 162 मिलियन अमरीकी डालर है जिसमें से 115 मिलियन अमरीकी डालर का लक्ष्य प्राप्त हो चुका है।

एम.एम.टी.सी. ने नौंवीं योजना के दौरान लौह अयस्क के निर्यात को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों की पहचान की है:

- क्रसिंग और स्क्रीनिंग प्लांटों की स्थापना करके विशिष्ट आकार के अयस्क की पारंपरिक मांग के अनुरूप उत्पाद क्षेत्र का विस्तार करना।
- इकाई मूल्य वसूली में सुधार के प्रयोजन से नए बाजारों और अनुप्रयोगों का पता लगाना जैसे कि सब्मर्ज्ड पाइप कोटिंग एप्लिकेशन के लिए उत्तम लौह अयस्क का उपयोग हाई डेनसिटी एग्रीगेट के रूप में करना।
- चीन जैसे सम्भाव्यता वाले तथा उभरते बाजार में बाजार हिस्से को बढ़ावा।
- लागत में कमी करके तथा गुणवत्ता पर अधिक जोर देकर प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ाना।
- निम्न और मध्यम श्रेणी के लौह अयस्क के निर्यात को बढ़ाने और विकसित करने के लिए उच्च श्रेणी के अयस्क के प्रयोग का लाभ उठाना।

विवरण

राज्य/देश-वार लौह अयस्क का निर्यात

(मात्रा : लाख टन में, मूल्य करोड़ रु. में)

			1996-97		1997-98		1998-99	
राज्य	पत्तन	देश	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
मध्य प्रदेश	विशाखापत्तनम	जापान	35.69	272.04	35.29	289.27	33.97	309.55
		चीन	2.16	13.01	2.28	14.47	3.97	29.03
		कुल	37.85	285.05	37.57	303.74	37.94	338.58
उड़ीसा	पारादीप	जापान	3.98	26.09	2.26	15.25	3.17	25.36
बिहार		चीन	5.74	33.93	5.86	34.60	3.12	21.30
		पाकिस्तान	1.18	8.42	1.76	13.62	—	—
		अन्य	0.04	0.10	0.06	0.16	—	—
		कुल	10.94	68.54	9.94	63.63	6.29	46.66

1	2	3	4	5	6	7	8	9
कर्नाटक	चेन्नई	जापान	18.00	122.90	26.57	190.26	18.14	151.81
		द. कोरिया	22.09	151.62	17.37	122.04	17.16	148.86
		चीन	5.82	31.95	12.36	76.78	11.71	83.48
		पाकिस्तान	—	—	—	—	0.52	5.20
		अन्य	0.50	3.79	0.41	3.45	—	—
		कुल	46.41	310.26	56.71	392.53	47.53	389.35
कर्नाटक	गोवा	यूएई	—	—	0.80	5.55	0.17	1.51
		पाकिस्तान	—	—	3.51	32.63	4.66	38.00
		यूरोप	0.20	0.60	—	—	—	—
		चीन	1.51	8.14	2.53	14.55	3.36	21.85
		कुल	1.71	8.74	6.84	52.73	8.19	61.36
गोवा	गोवा	जापान	—	—	0.69	2.74	—	—
		चीन	—	—	2.20	12.01	3.05	19.95
		थाईलैंड	0.66	3.54	—	—	—	—
		रूमानिया	0.28	1.51	—	—	0.22	1.50
		पाकिस्तान	1.44	6.86	0.64	3.22	—	—
		कुल	2.38	11.91	3.53	17.97	3.27	21.45
सकल योग			99.29	684.50	114.59	830.60	103.22	857.40

नोट : चूंकि पत्तन पर अर्थात् पारादीप पत्तन पर उड़ीसा/बिहार से लौह अयस्क की अलग पहचान नहीं रही, इसलिए उड़ीसा तथा बिहार से निर्यात के अलग-अलग राज्यवार आंकड़े नहीं रखे गए हैं।

हथकरघा बुनकरों की कठिनाइयां

908. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश के विभिन्न भागों में हथकरघा बुनकरों के समक्ष आ रही कठिनाइयों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा उनकी समस्याओं के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) जी, हां।

(ख) हथकरघा बुनकरों द्वारा जिन मुख्य समस्याओं का सामना किया जा रहा है उनमें अप्रचालित प्रौद्योगिकी तथा परम्परागत उत्पादन तकनीक, डिजाइन और नूतन उत्पादों की कमी, पर्याप्त और सामयिक ऋण सुविधाओं की कमी और बाजार की अपर्याप्त जानकारी शामिल हैं।

(ग) सरकार राज्य सरकारों को विभिन्न विकासात्मक एवं कल्याण स्कीमों जैसे प्रोजैक्ट पैकेज स्कीम, कार्यशाला-सह-आवास स्कीम, समूह बीमा स्कीम एवं थिफ्ट फंड स्कीम, विपणन विकास सहायता तथा विकेन्द्रीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु सहायता प्रदान करते हुए बुनकरों की उत्पादकता, आय तथा सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु संगठित प्रयास किये जा रहे हैं।

इलायची का आयात

909. **श्री पी.सी. थामस** : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में प्रति वर्ष इलायची का कितना उत्पादन हुआ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान मात्रावार और देशवार प्रतिवर्ष कितनी इलायची का आयात/तस्करी हुई;

(ग) क्या इलायची आयात/तस्करी के कारण कीमतों में गिरावट के कारण घरेलू उत्पादकों को संकट का सामना करना पड़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा घरेलू इलायची उत्पादकों के सहायतार्थ क्या कार्रवाई की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में इलायची का उत्पादन नीचे दिया गया है:-

(मात्रा टन में)

वर्ष	छोटी इलायची	बड़ी इलायची
1996-97	6625	5150
1997-98	7900	5285
1998-99	7170	4210

(ख) पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान मात्रा-वार और देश-वार इलायची के हुए आयात के ब्यौरे नीचे की तालिका में दिए गए हैं:-

(मात्रा टन में)

मद/स्रोत	1996-97	1997-98	1998-99 (अनंतिम)
1	2	3	4
इलायची (छोटी)			
बर्मा (म्यांमार)	7.00	-	-
ग्वाटेमाला	30.00	-	107.08
सिंगापुर	34.48	86.00	59.08
श्रीलंका	-	-	4.00
कुल	71.48	86.00	170.16

1	2	3	4
इलायची (बड़ी)			
बर्मा (म्यांमार)	17.00	-	-
चीन	-	-	4.00
जर्मनी	-	2.00	-
इंडोनेशिया	-	22.0	-
नेपाल	1864.40	3023.51	3843.34
वियतनाम (दक्षिणी)	-	-	7.00
पाकिस्तान	-	-	5.79
कुल	1881.40	3047.51	3860.13

स्रोत : मसाला बोर्ड/डी.जी.सी.आई. एंड एस., कलकत्ता

(ग) और (घ) कीमतों में मामूली गिरावट के कारण संकट की स्थितियां दर्ज नहीं की गई हैं। उत्पादन की मात्रा में हुई वृद्धि के परिणामस्वरूप निवल आय सुनिश्चित हुई है जो कि सामान्यत: स्थिर बनी रही।

[हिन्दी]

त्रि-आयामी नीति

910. श्री ए. वेंकटेश नायक :
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वस्त्र क्षेत्र के संवर्धन के लिए त्रि-आयामी नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार सूती प्रौद्योगिकी मिशन शुरू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो यह कार्य कब तक शुरू होगा?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी हां। सरकार का प्रस्ताव कपास विकास संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन शुरू करने का है, जिसका उद्देश्य अनुसंधान करना, किसानों को प्रौद्योगिकी की जानकारी देना, विपणन इन्फ्रास्ट्रचर में सुधार लाना तथा जिनिंग और प्रेसिंग फैक्टरियों का आधुनिकीकरण करना है।

[अनुवाद]

भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड को घाटा

911. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :
श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :

क्या **खान और खनिज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड को कितना घाटा उठाना पड़ा;

(ख) क्या सरकार ने उक्त स्वर्ण खानों में निजी भागेदारी हेतु निविदाएं आमंत्रित की हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और निजी क्षेत्र की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या बी.आई.एफ.आर. ने भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड को बंद करने की सिफारिश की है;

(ङ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(च) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के अंतर्गत कर्मचारियों को कुल कितनी धनराशि का भुगतान करने की आवश्यकता पड़ेगी;

(छ) वर्तमान में इस कम्पनी में प्रति 10 ग्राम सोने का उत्पादन करने की कुल लागत कितनी है; और

(ज) हाल ही में सोने पर लगने वाले आयात शुल्क में वृद्धि करके भारत गोल्ड माइंस को कितना लाभ पहुंचने की संभावना है?

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड (बी.जी.एम.एल.) को हुआ घाटा इस प्रकार है:-

(लाख रु. में)

वर्ष	शुद्ध हानि
1996-97	5380
1997-98	3983
1998-99	6531

(ख) और (ग) संयुक्त उद्यम प्रक्रिया के जरिए बी.जी.एम.एल. के पुनर्वास हेतु सह-प्रवर्तक(कों) का पता लगाने के लिए सरकार द्वारा एक समिति का गठन किया गया था। वर्ष 1997 में समाचार पत्रों तथा खनन संबंधी पत्रिकाओं में विज्ञापन देकर इच्छुक भागीदारियों को आमंत्रित किया गया था। बीस पार्टियों ने बोली पूर्व इच्छा व्यक्त की, ग्यारह पार्टियों ने बोली संबंधी कागजात खरीदे तथा तीन पार्टियों ने बोली संबंधी कागजात प्रस्तुत किए थे।

(घ) बी.आई.एफ.आर. ने भारत गोल्ड माइंस लि. को बंद करने की सिफारिश नहीं की है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) बी.जी.एम.एल. में स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना को 1.9.1997 से स्थगित कर दिया गया है।

(छ) 1998-99 के दौरान बी.जी.एम.एल. में 10 ग्राम स्वर्ण उत्पादन की लागत 14,231 रु. थी।

(ज) हाल ही में स्वर्ण के आयात शुल्क में की गई वृद्धि से स्वर्ण की घरेलू कीमत में जो बढ़ोत्तरी होगी इससे कम्पनी के घाटे में न्यूनतम कमी आएगी। तथापि, इसकी सही-सही मात्रा का पता लगाना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

मुम्बई की राष्ट्रीय वस्त्र निगम मिलों के पुनरुद्धार हेतु धनराशि का प्रावधान

912. श्री मोहन रावले : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने मुम्बई में राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अधीन चल रही मिलों के पुनरुद्धार के लिए 2005 करोड़ रुपयों की राशि प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन मिलों में 60 प्रतिशत सूत उत्पादन के लिए किसी कार्यक्रम की घोषणा की गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या पुनरुद्धार के बाद केवल 40 प्रतिशत कामगारों को ही रोजगार मिलेगा; और

(घ) यदि हां, तो शेष कामगारों की जीविका के लिए सरकार द्वारा तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) सरकार ने 1995 में 2005.72 करोड़ रु. की लागत पर एन.टी.सी. मिलों के लिए एक सर्वांगीण सुधार नीति मंजूर की थी। योजना को एन.टी.सी. की बेशी भूमि एवं परिसंपत्तियों की बिक्री से निधियों के सृजन के द्वारा क्रियान्वित किया जाना था। इस भूमि का प्रमुख भाग मुंबई में स्थित है। महाराष्ट्र सरकार ने अभी तक बेशी भूमि की बिक्री की मंजूरी नहीं दी है। उपर्युक्त के मद्देनजर, नीति को क्रियान्वित नहीं किया जा सका।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) (ख) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठते।

विनिवेश की रूपरेखा

913. प्रो. रासा सिंह रावत : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी इक्विटी के विनिवेश की रूपरेखा तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के संबंध में आज तक विनिवेश नीति के अपेक्षित परिणाम न मिलने के क्या कारण हैं;

(घ) विनिवेश के मामले में उपक्रमों की ऐसी स्थिति होने के क्या कारण हैं;

(ङ) सरकार की इस संबंध में अब तक क्या उपलब्धियां रहीं हैं; और

(च) विनिवेश को अधिक पारदर्शी एवं आकर्षक बनाने हेतु कौन-कौन से कदम उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश आयोग की सिफारिशों के आधार पर विनिवेश किया जा रहा है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी इक्विटी का विनिवेश सामान्यत: देशीय तथा निश्चित मूल्य वाले अंतर्राष्ट्रीय बाजार में शेयरों की पेशकश के माध्यम से अथवा बही निर्माण प्रक्रिया के जरिए अथवा अनुकूल बिक्री की कार्यविधि द्वारा किया जाता है।

(ग) और (घ) सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के संबंध में विनिवेश नीति से प्रत्याशित परिणाम प्राप्त हो रहे हैं।

(ङ) और (च) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में 1991-92 से अब तक विनिवेश के जरिए लगभग 18,288 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई है। विनिवेश के लिए अपनाई जा रही प्रक्रिया सुस्पष्ट है।

[अनुवाद]

महिलाओं के लिए बीमा योजनाएं

914. श्री अशोक ना. मोहोल : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आक्रुष्ट महिलाओं के समूहों ने सरकार द्वारा मार्च-अप्रैल, 1999 में महिलाओं के लिए घोषित नई बीमा नीति की निन्दा करते हुए उसे तुरंत वापस लेने की मांग की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन्होंने इसके क्या कारण बतलाए हैं; और

(ग) इस समस्या के समाधान और बीमा योजना को उनके लिए लाभकारी बनाने हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) ऐसा प्रतीत होता है कि इसका सम्बन्ध राजराजेश्वरी महिला कल्याण बीमा योजना से है जिसे अक्टूबर, 1998 में साधारण बीमा उद्योग द्वारा शुरू किया गया था और मार्च, 1999 में प्रधान मंत्री ने इसे देश को समर्पित किया था। इस पालिसी के अन्तर्गत दुर्घटना की परिभाषा में ''बलात्कार'' सहित विभिन्न पहचान किए गए कारणों से घटित दुर्घटनाओं के कारण हुई अपंगता/मृत्यु को शामिल किया गया था। खण्ड में प्रकट आकस्मिकता के गलत निर्वचन के कारण महिला संगठनों ने इसका विरोध किया। मीडिया और प्रेस में व्यक्त किए गए विचारों का सम्मान करते हुए साधारण बीमा उद्योग ने पालिसी से ''बलात्कार'' शब्द को हटा दिया है।

कृषि उत्पादों/फलों का निर्यात

915. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व में भारतीय कृषि उत्पादों/फलों और सब्जियों की भारी मांग है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष निर्यात किए गए पण्यों/वस्तुओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस तरह के उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने तथा उनका निर्यात करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(घ) इस तरह की वस्तुओं के उत्पादकों विशेषकर आंध्र प्रदेश और बिहार के आम और अन्य फल उत्पादकों को सरकार द्वारा दिए जाने वाले प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) भारतीय कृषि उत्पाद/फल और सब्जियां विश्व में इन मदों की मांग के एक हिस्से को पूरा कर सकते हैं।

(ख) प्रमुख निर्यातित कृषि वस्तुएं हैं:- दाल, चावल, गेहूं, अनाज, तम्बाकू, मसाले, काजू, तिल और रामतिल, मूंगफली, स्पिरिट, और पेय पदार्थ, ग्वारगम खाद्य, तेल खाद्य, चमड़ा, चीनी, मांस और मांस से बनी वस्तुएं, कुक्कुट और डेयरी उत्पाद, पुष्पोत्पाद,

फल एवं सब्जियों के बीच, ताजे फल एवं सब्जियां, प्रसंस्कृत फल एवं जूस और सब्जियां इत्यादि। पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यातित कृषि मदों का मूल्य नीचे दिया गया है:-

वर्ष	मूल्य (करोड़ रु. में)
1997-98	15.2
1998-99	15.96
1999-2000 (अप्रैल-अगस्त)	5.6

स्रोत : डी.जी.सी.आई. एंड एस. कलकत्ता।

मात्रा और मूल्य के बारे में कृषि वस्तुओं के निर्यात के ब्यौरे वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित भारत के विदेश व्यापार के आंकड़ों के मासिक/वार्षिक अंक में उपलब्ध हैं जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ग) और (घ) सरकार फल एवं सब्जियों समेत बागवानी उत्पाद के उत्पादन एवं निर्यात को बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने समेत कई उपाय लागू कर रही है। ये उपाय आंध्र प्रदेश और बिहार समेत देशभर के कृषकों और निर्यातकों पर लागू किए जाते हैं और इन उपायों में निम्नलिखित उपाय शामिल हैं:-

(1) उष्णकटिबंधीय शीतोष्ण और शुष्क क्षेत्र के फलों के समेकित विकास संबंधी केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अधीन अच्छी क्वालिटी की रोपण सामग्री के उत्पादन के लिए छोटी और बड़ी पौध शालाएं लगाने के लिए सहायता प्रदान करने, प्रदर्शनों प्रशिक्षणों और प्रचार के माध्यम से किसानों की तकनीकी जानकारी का उन्नयन, पुराने फलोद्यानों का नवीकरण, क्षेत्र विस्तार, सब्जियों के लिए छोटे टोकरों (मिनीकिट्स) की आपूर्ति और उत्पादकता में सुधार लाना तथा किसानों को प्रशिक्षण प्रदान करना;

(2) श्रेणीकरण/प्रसंस्करण केन्द्रों, नीलामी प्लेटफार्म, पक्वन/क्योरिंग चेम्बर और गुणात्मकता परीक्षण उपकरणों की स्थापना के लिए सुलभ ऋणों का प्रावधान;

(3) विशिष्टीकृत परिवहन इकाइयों की खरीद, पूर्व प्रशीतन/शीतागार सुविधाओं की स्थापना, एकीकृत फसलोत्तर हैंडलिंग प्रणालियों (चैक हाउसेज) जैसी बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए निर्यातकों/उत्पादकों/सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना;

(4) निर्यात एककों में आई.एस.ओ. 9000/एच.ए.सी.सी.पी. प्रणालियों को अपनाने सहित उन्नत पैकेजिंग और गुणवत्ता नियंत्रण के सुदृढ़ीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना;

(5) चुनिन्दा ताजी सब्जियों और फलों के निर्यात के लिए हवाई भाड़ा इमदाद की मंजूरी;

(6) विदेशी बाजारों में उत्पादों, विशेषकर आमों की ग्राह्यता में सुधार लाने के लिए वाष्प ताप अभिक्रिया सुविधाओं की संस्थापना। नष्ट होने वाले उत्पादों की संरक्षण अवधि को बढ़ाने के लिए परिवहन में नियंत्रित/नवीकृत वायुमंडलीय प्रौद्योगिकी जैसी आधुनिक तकनीकी के उपयोग हेतु अनुसंधान प्रयास चल रहे हैं।

(7) क्रेता-विक्रेता बैठकों और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मेलों और प्रदर्शनियों में सह-भागिता जैसे संवर्धनात्मक अभियानों की व्यवस्था करना;

(8) ताजे फलों और सब्जियों जैसे नष्ट होने वाली मदों के निर्यात के संचालन के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तनों पर एकीकृत कार्गो संचालन और शीत भंडार की स्थापना करना;

(9) निर्यात उत्पादन, गुणवत्ता नियंत्रण; पैकेजिंग परिवहन इत्यादि के लिए किसानों को प्रशिक्षण प्रदान करने सहित व्यापार और उद्योग जगत को तकनीकी परामर्शी सेवा और दूसरी सहायता सेवाएं मुहैया कराना।

मादक पदार्थों/सोने की तस्करी

916. श्री अनंत गंगाराम गीते :
श्री किरीट सोमैया :
श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान प्रति वर्ष आज तक विदेशों से लाये गये/पकड़े गए मादक पदार्थों तथा सोने की राज्य-वार मात्रा तथा मूल्य क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा देश में मादक-पदार्थों तथा सोने की तस्करी को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जाने का **विचार** है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार): (क) महोदय, गत दो वर्षों और चालू वर्ष (अक्तूबर, 1999 तक) के दौरान अभिग्रहीत स्वापक औषधि का राज्य-वार ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण I, II और III में दिया गया है। विदेशी मुद्रा, सोना और अन्य निषिद्ध वस्तुओं की सूचना राज्य-वार नहीं रखी जाती है। तथापि गत दो वर्षों और चालू वर्ष (अक्तूबर, 1999 तक) के दौरान इन वस्तुओं की कुल जब्ती निम्न प्रकार है:-

कीमत (रुपए लाखों में)

		1997-98	1998-99	1999-2000 (31.10.99 तक)
(1)	विदेशी मुद्रा	4874	2354	1253
(2)	सोना	5845 (1295)*	2607 (596)*	2340 (550)*
(3)	अन्य निषिद्ध वस्तुएं (1)(2) एवं स्वापकों के अतिरिक्त)	47556	86005	157645

*मात्रा किलोग्राम में।

(ख) देश में स्वापक औषधि और सोने की तस्करी को रोकने के लिए किए गए उपायों में, अधिकतम सतर्कता बनाए रखने, अधिकारियों की कार्यकुशलता को सुधारने हेतु उनको प्रशिक्षण देने, सीमाओं पर बाड़ लगाने और फ्लड लाईट लगाने के लिए प्रवर्तन एजेंसियों को हिदायतें देना, तस्करी और अवैध व्यापार रोकने के लिए विदेशी राष्ट्रों के साथ करार करना और संगत अधिनियमों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए उनमें संशोधन करना शामिल है।

विवरण-I

वर्ष 1997 के दौरान राज्य-वार विभिन्न स्वापक औषधियों का अभिग्रहण

(मात्रा : किलोग्राम में)

राज्य	अफीम	मोर्फीन	हेरोइन	गांजा	हाशीश	कोकीन	मैथाक्वालीन
1	2	3	4	5	6	7	8
अंडमान एवं निकोबार	0.00	0.00	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	1828.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8
अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	49.07	0.00	0.00	0.00
असम	1.97	0.00	0.74	10335.56	0.00	0.00	0.00
बिहार	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
चंडीगढ़	8.83	0.00	197.76	0.00	1.50	0.00	0.00
दिल्ली	6.07	0.00	247.88	3317.69	320.10	0.85	73.14
गुजरात	16.75	0.00	11.76	599.42	344.88	0.00	0.00
गोवा	0.00	0.00	0.00	1.90	1.32	0.00	0.00
हिमाचल प्रदेश	1.66	0.00	0.03	11.11	73.55	0.00	0.00
हरियाणा	132.85	0.00	12.83	11.01	298.61	0.00	0.00
जम्मू एण्ड कश्मीर	2.04	0.00	32.01	0.00	116.75	0.00	0.00
कर्नाटक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
केरल	2.37	0.00	1.14	371.64	0.04	0.00	0.00
मेघालय	0.00	0 00	0.55	544.70	00.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8
महाराष्ट्र	63.21	0.00	271.81	5024.58	591.74	0.02	1252.71
मणिपुर	0.00	0.00	3.16	16632.00	0.00	0.00	0.00
मध्य प्रदेश	1787.37	33.30	133.50	5678.02	213.69	0.00	11.35
मिजोरम	0.00	0.00	0.14	4396.13	0.00	0.00	0.00
नागालैंड	0.00	0.00	0.01	10533.50	0.00	0.00	0.00
उड़ीसा	0.00	0.00	1.20	49.00	0.00	0.00	0.00
पंजाब	328.77	0.00	217.00	0.00	34.71	0.00	0.00
पाण्डिचेरी	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
राजस्थान	787.35	0.00	82.23	629.84	164.90	0.00	0.00
तमिलनाडू	0.00	0.00	49.59	5215.75	276.10	16.14	384.04
त्रिपुरा	0.00	0.00	0.28	2824.56	0.00	0.00	0.00
उत्तर प्रदेश	81.40	42.51	57.30	6394.00	847.07	0.00	0.00
पश्चिम बंगाल	0.16	0.00	8.63	5664.14	0.28	0.00	0.00

विवरण-II

वर्ष 1998 के दौरान विभिन्न औषधियों की जब्ती का राज्य-वार विवरण

(मात्रा : किलोग्राम में)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	अफीम	मोर्फीन	हेरोइन	गांजा	हाशीश	कोकीन	मैथाक्वालीन
1	2	3	4	5	6	7	8
1. आन्ध्र प्रदेश	—	—	—	4926.000	—	—	—
2. अरूणाचल प्रदेश	5.370	—	—	61.500	—	—	—
3. असम	2.610	—	1.790	10275.450	—	—	—
4. बिहार	—	—	6.020	146.650	84.500	—	—
5. गोवा	—	2.080	2.110	—	47.770	0.110	—
6. गुजरात	32.170	—	28.100	379.970	6079.440	—	571.450
7. हरियाणा	107.360	—	—	3.300	64.700	—	—
8. हिमाचल प्रदेश	11.670	—	0.080	—	35.980	—	—
9. जम्मू एवं कश्मीर	1.000	—	16.650	—	69.050	—	—
10. कर्नाटक	—	—	1.490	—	—	—	—
11. केरल	0.010	—	0.580	102.440	0.020	—	—
12. मध्य प्रदेश	562.210	7.480	105.480	2171.024	39.150	—	160.000

1	2	3	4	5	6	7	8
13. महाराष्ट्र	21.030	2.050	69.320	4637.400	918.670	0.470	1124.250
14. मणिपुर	—	—	5.460	2426.520	—	—	—
15. मेघालय	—	—	—	—	—	—	—
16. मिजोरम	—	—	2.870	33.280	—	—	—
17. नागालैंड	—	—	नाममात्र	4879.000	—	—	—
18. उड़ीसा	—	—	—	707.800	—	—	—
19. पंजाब	303.520	—	33.160	—	24.270	—	—
20. राजस्थान	491.790	—	22.670	113.730	27.410	—	—
21. तमिलनाडु	10.160	—	53.630	6263.840	6.850	—	72.760
22. त्रिपुरा	—	—	—	107.150	—	—	—
23. उत्तर प्रदेश	49.500	2.340	16.100	4781.371	273.460	0.080	5.120
24. पश्चिम बंगाल	—	—	11.740	9329.310	7.570	—	—
25. दिल्ली	4.720	—	140.370	4984.930	90.090	—	147.660
26. पांडिचेरी	—	-	-	नाममात्र	—	—	-
27. अंडमान निकोबार द्वीप समूह	—	—	—	0.060	—	—	—
28. चंडीगढ़	11.340	—	2.720	—	5.110	—	—

विवरण-III

वर्ष 1999 के दौरान विभिन्न औषधियों की राज्य-वार जब्तियां (अक्तूबर तक) अनंतिम

(मात्रा : किलोग्राम में)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	अफीम	मोर्फीन	हेरोइन	गांजा	हाशीश	कोकीन	मैथाक्वालीन
1	2	3	4	5	6	7	8
1. आन्ध्र प्रदेश	—	—	—	1033.000	—	—	—
2. अरूणाचल प्रदेश	1.000	—	—	—	—	—	—
3. असम	3.000	—	1.000	4500.00	—	—	—
4. बिहार	—	—	0.330	475.000	30.000	—	—
5. गोवा	—	0.030	0.020	3.000	3.000	0.010	—
6. गुजरात	—	—	6.000	133.000	40.000	—	104.000
7. हरियाणा	129.000	—	—	4.000	109.000	—	—
8. हिमाचल प्रदेश	46.000	—	—	—	27.000	—	—
9. जम्मू एवं कश्मीर	—	—	20.000	—	145.000	—	—
10. कर्नाटक	—	—	—	—	—	—	—
11. केरल	1.000	0.170	3.000	13.000	3.000	—	—
12. मध्य प्रदेश	135.000	6.300	25.000	161.000	12.000	—	—
13. महाराष्ट्र	29.000	10.210	62.000	5320.000	331.000	0.110	182.000

1	2	3	4	5	6	7	8
14. मणिपुर	0.20	—	4.000	4353.000	—	—	—
15. मेघालय	—	—	—	—	—	—	—
16. मिजोरम	0.510	—	1.470	19.000	—	—	—
17. नागालैंड	—	—	—	2266.000	—	—	—
18. उड़ीसा	0.640	—	—	15.000	—	—	—
19. पंजाब	197.000	—	53.860	2.000	72.000	—	—
20. राजस्थान	602.000	—	25.000	279.000	21.450		
21. तमिलनाडु	1.260	—	133.160	3273.000	27.380	—	—
22. त्रिपुरा	—	—	—	9.000	—	—	—
23. उत्तर प्रदेश	66.110	9.400	17.270	3390.000	1038.850	—	—
24. पश्चिम बंगाल	3.800	—	33.480	679.150	—	—	—
25. दिल्ली	9.580	—	84.660	3641.000	799.360	0.460	78.270
26. पांडिचेरी	—	—	—	0.390	—	—	—
27. अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	—	—	—	1.150	—	—	—
28. चंडीगढ़	0.800	—	12.070	—	7.000	—	—

[हिन्दी]

लघु उद्योगों को ऋण

917. श्री राजो सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश के, विशेषकर बिहार और महाराष्ट्र के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को लघु उद्योगों से ऋण के लिए राज्यवार कितने आवेदन प्राप्त हुए है;

(ख) इनमें से कितने ऋण संबंधी आवेदनों का निपटान किया जा चुका है और कितनी ऋण राशि स्वीकृत की गई है; और

(ग) कितने आवेदन विचाराधीन हैं और इनका कब तक निपटान कर दिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने सूचित किया है कि उसकी आंकड़ा निगरानी प्रणाली से मांगे गए तरीके के अनुसार सूचना नहीं प्राप्त होती है। तथापि, जून 1996, जून 1997 तथा जून 1998 को समाप्त हुए वर्ष के लिए बिहार और महाराष्ट्र राज्य में लघु उद्योगों को दिए गए अग्रिमों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

(राशि करोड़ रुपए में)

वर्ष	लघु उद्योगों को दिए गए अग्रिम			
	बिहार		महाराष्ट्र	
	खातों की सं.	संवितरित राशि	खातों की सं.	संवितरित राशि
जून, 1996	30390	114.04	18187	1713.10
जून, 1997	31723	110.13	26078	1685.86
जून, 1998	27685	143.61	26143	1638.47

[अनुवाद]

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष

918. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने सरकार के कार्यकलापों में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिये कराधान, बैंकिंग तथा निगमित क्षेत्रों में ढांचागत सुधारों में वृद्धि करने के लिए भारत को कहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के इन सुझावों पर गंभीरता से विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन सुझावों को क्रियान्वित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) भारत संबंधी बोर्ड की बैठक में हुई परिचर्चा के आधार पर 22 सितम्बर, 1998 को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अन्य बातों के अलावा, जो कहा, वह निम्नानुसार है:

> "निदेशकों ने निजीकरण, आधारभूत ढांचे, बीमा और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सहित अनेक मोर्चों पर सुधार-प्रक्रिया में तेजी लाने के नई सरकार के इरादे का स्वागत किया और इन उपायों के शीघ्र कार्यान्वयन हेतु अनुरोध किया। निदेशकों ने उस गुंजाइश का जिक्र किया जो विनियामक ढांचे को सरल बनाने, पारदर्शिता में वृद्धि करने और उसके द्वारा निवेश संबंधी निर्णयों को सुगम बनाने हेतु अभी भी मौजूद है। भारत में संरक्षण के अभी तक बने हुए ऊंचे स्तर का उल्लेख करते हुए निदेशकों ने इस बात को रेखांकित किया कि टैरिफ दरों में और अधिक कटौती करने और उपभोक्ताओं वस्तुओं पर मात्रा संबंधी शेष प्रतिबंधों का शीघ्र समापन

करने सहित व्यापार के क्षेत्र में उदारीकरण की रफ्तार में तेजी लाने से कार्यकुशलता संबंधी पर्याप्त लाभ अर्जित किए जा सकते हैं........... निदेशकों ने हाल में आई "नरसिंह समिति" रिपोर्ट में प्रस्तुत किए गए वित्तीय क्षेत्र के सुधारों की नीति की सराहना की। उन्होंने प्राधिकारियों से इन सुधारों के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए अनुरोध किया।"

(ख) और (ग) भारत सरकार अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर नीतिगत कार्रवाई करती है। उभरती आर्थिक स्थिति को देखते हुए, जब भी आवश्यक होता है, उपयुक्त नीतिगत उपाय किए जाते हैं। सरकार ने राजकोषीय स्थिति में पुन: सुधार करने और निवेश को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। राजकोषीय पक्ष की ओर, बुनियादी दृष्टिकोण एक ऐसी कर-संरचना के जरिए राजस्व जुटाना रहा है जो सरल हो, व्यापक आधार से युक्त संतुलित कर-दरों पर आधारित हो तथा जिसके साथ विवेकपूर्ण व्यय-प्रबंध व्यवस्था भी शामिल हो।

यू.एन.डी.पी. सहायता

919. **श्री दिन्शा पटेल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को हाल ही में देश में विकास कार्यक्रमों के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.) से 70 करोड़ रुपए की सहायता प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो गुजरात के विशेष संदर्भ के साथ प्रत्येक राज्य में इस सहायता का किस प्रकार उपयोग किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) भारत सरकार ने एक नवम्बर, 1999 को यू.एन.डी.पी. सहायता के साथ 19 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए जो लगभग 81.7 करोड़ रुपए बनते हैं।

(ख) इस सहायता का उपयोग निम्नलिखित कार्यक्रमों/उप-कार्यक्रमों के वित्तपोषण के लिए किया जाएगा:

(1) आर्थिक सुधार कार्यक्रम समर्थन—(1.84 मिलियन अमरीकी डालर) (आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय के माध्यम से, राज्य विशिष्ट नहीं)

(2) लोक प्रशासन में क्षमता निर्माण—(.25 मिलियन अमरीकी डालर) (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के माध्यम से, राज्य विशिष्ट नहीं)

(3) खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत तीन उप-कार्यक्रम—(6.7 मिलियन अमरीकी डालर) अर्थात् महिला संगम, आन्ध्र प्रदेश द्वारा निर्वहनीय शुष्क भूमि कृषि, खाद्य सुरक्षा के लिए महिला कृषकों की अधिकारिता उत्तर प्रदेश, उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए प्राकृतिक संसाधन प्रबंध व्यवस्था तथा निर्वहनीय आजीविका)

(4) ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम के अंतर्गत निर्वहनीय विकास के लिए सौर ऊर्जा आधारित समुदाय के प्रदर्शन संबंधी उप-कार्यक्रम—(1.2 मिलियन) (राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, असम तथा सिक्किम)।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों हेतु डिपोजिट इंश्योरेंस कार्पोरेशन

920. **डा. वी. सरोजा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से बैंकों की तर्ज पर उनके लिए डिपोजिट इंश्योरेंस कार्पोरेशन स्थापित किए जाने के संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) कुछ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एन.बी.एफ.सी.) के असफल हो जाने तथा परिणामस्वरूप जमाकर्ताओं को हुई हानि के संदर्भ में इस आशय के अनुरोध प्राप्त हुए हैं कि एन.बी.एफ.सी. के जमाकर्ताओं को कवर करने के लिए एक उपयुक्त जमा बीमा योजना होनी चाहिए।

(ख) सरकार द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर गठित किए गए कार्यदल ने अन्य बातों के साथ-साथ यह अनुभव किया कि जोखिम मुद्दों, परिसंपत्ति बेचने की संभावना तथा स्वास्थ्य एन.बी.एफ.सी. के क्षेत्र में नकारात्मक प्रभाव के कारण एन.बी.एफ.सी. में जमाकर्ताओं के लिए जमा बीमा योजना लागू किया जाना न्यायसंगत नहीं होगा। समिति ने आगे यह भी अनुभव किया कि

आधारभूत बीमा को निश्चित रूप से एक पारदर्शी प्रणाली, उन्नत प्रगटीकरण, बेहतर विवेकपूर्ण मानदण्डों, प्रभावशाली विनियमन एवं पर्यवेक्षण तथा जोखिम और प्रतिलाभ उठाने की स्थिति वाले निवेशकर्त्ताओं को जानकारी देने के लिए निर्णय की सूचना देने वाला होना चाहिए।

कपास उत्पादों में कमी

921. **श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी : क्या वस्त्र मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसानों द्वारा अन्य फसलों की खेती करने के कारण भारत में कपास उत्पादन में कमी आने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारत में कपास आयात में कमी के मुख्य कारण क्या हैं और सरकार कपास उत्पादकों की सहायता के लिए क्या कदम उठा रही है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) जी नहीं। कपास सलाहकार बोर्ड ने वर्ष 1999-2000 के कपास मौसम के लिए कपास का उत्पादन 175 लाख गांठ (प्रत्येक गांठ 170 कि.ग्रा.) होने का अनुमान लगाया है जबकि इसकी तुलना में पिछले वर्ष यह 163 लाख गांठ (प्रत्येक गांठ 170 कि.ग्रा.) था।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अपरिष्कृत कपास के आयात में गिरावट आने का कारण घरेलू बाजार में स्टॉक की पर्याप्त उपलब्धता माना गया है।

कपास उपजकर्ताओं की सहायता के लिए सरकार भारतीय कपास निगम के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) प्रचालन शुरू करती है। इसके अतिरिक्त, सरकार का प्रस्ताव कपास विकास संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन शुरू करने का है, जिसका उद्देश्य अनुसंधान करना, किसानों को प्रौद्योगिकी की जानकारी देना, विपणन इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार लाना तथा जिनिंग और प्रेसिंग फैक्टरियों का आधुनिकीकरण करना है।

उत्तर प्रदेश में रुग्ण कपड़ा मिलें

922. **श्री चन्द्रनाथ सिंह : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की** कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में रुग्ण और सम्भावित-अर्थक्षम कपड़ा मिलों की इकाइयों का ब्यौरा क्या है और इनके पुनरुद्धार हेतु तैयार की गई समयबद्ध कार्य-योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ख) योजना को लागू करने के लिए अनुमानतः कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है और आगामी वर्ष के दौरान कितनी धनराशि का प्रावधान करने का प्रस्ताव है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) भारत सरकार ने रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 (एस.आई.सी.ए.) बनाया है तथा रुग्ण तथा सम्भावित रुग्ण कंपनियों का समय पर पता लगाने तथा ऐसी कंपनियों के मामले में आवश्यक जाने वाले प्रतिरोधात्मक, सुधारात्मक तथा उपचारात्मक उपायों के त्वरित निर्धारण के उद्देश्य से बी.आई.एफ.आर. की स्थापना की है।

9.9.99 की स्थिति अनुसार उत्तर प्रदेश में औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) के पास 36 मिलें पंजीकृत हैं। मिलों की स्थिति निम्नानुसार है:

बी.आई.एफ.आर. के पास स्थिति	मामलों की संख्या
अब रुग्ण नहीं घोषित	3
स्वीकृत योजना	4
बंदी की सिफारिश की गई	18
बंदी की सूचना	1
प्रारूप योजना	1
जांचाधीन	4
चलाने योग्य नहीं	5
कुल	36

(ख) बी.आई.एफ.आर. द्वारा मंजूर की गयी पुनर्वासन योजनाओं में पूंजी की संरचना, संवर्द्धकों द्वारा नये निधियों का समावेश, अन्य कंपनियों के साथ विलय, प्रबंधन का परिवर्तन, कार्यशील पूंजी के लिए प्रावधान तथा बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों द्वारा सावधि ऋण जैसे विभिन्न उपाय शामिल हैं। तथापि, बी.आई.एफ.आर. पुनर्वासन पैकेज तथा उसके व्यय के प्रति विभिन्न एककों द्वारा प्रावधानों के संबंध में समेकित आंकड़ा नहीं रखता है।

हेल्थ इंश्योरेंस कारपोरेशन

923. **श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों के चिकित्सा दावों तथा स्वास्थ्य संबंधी देखभाल से निपटने हेतु अलग से एक हेल्थ इंश्योरेंस कारपोरेशन स्थापित किए जाने के संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इसे कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) भारतीय साधारण बीमा निगम ने मार्च, 1999 में भारत में प्रबन्धित स्वास्थ्य देखभाल की योजना प्रारम्भ करने हेतु सरकार को एक प्रबन्धन सेवा कम्पनी गठित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इस प्रस्ताव को सरकार ने सिद्धांत रूप से अनुमोदित कर दिया था। भारतीय साधारण बीमा निगम द्वारा अगले वित्तीय वर्ष में इस कम्पनी की स्थापना करने की संभावना है।

कॉफी का निर्यात

924. **श्री राजैया मल्याला :** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कॉफी बोर्ड अपने उत्पादों का निर्यात कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष देश-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इनके निर्यात से कितनी धनराशि अर्जित की गई?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) से (ग) कॉफी बोर्ड किसी उत्पाद का निर्यात नहीं करता है। तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यातकों द्वारा निर्यातित कॉफी की मात्रा और उससे अर्जित राशि निम्नानुसार है:-

वर्ष	मात्रा (लाख टनों में)	मूल्य (करोड़ रु. में)
1996-97	1.81	1467
1997-98	1.79	1708
1998-99	2.12	1752

निर्यात के देशवार आंकड़े जी.जी.सी.आई. एंड एस., कलकत्ता द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं, और ये आंकड़े संसद भवन के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

गुलाबी प्याज (रोज़ ऑनियन) का निर्यात

925. **श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गुलाबी प्याज (रोज ऑनियन) के निर्यात के लिए कर्नाटक सरकार को अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो कर्नाटक से कितनी मात्रा में गुलाबी प्याज (रोज़ ऑनियन) का निर्यात किये जाने की अनुमति दी गई है;

(ग) क्या कर्नाटक सरकार ने अग्रिम उपाय के रूप में गुलाबी प्याज (रोज़ ऑनियन) की अतिरिक्त मात्रा के निर्यात के लिए केन्द्र सरकार से स्वीकृति दिए जाने की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने दिनांक 7.12.99 तक कर्नाटक राज्य कृषि उत्पाद प्रसंस्करण एवं निर्यात निगम लि. (के.ए.पी.पी.ई.सी.) के जरिए 10,000 मी. टन बंगलौर रोज़ प्याज के निर्यात की अनुमति दी थी।

(ग) कर्नाटक सरकार ने सामान्य किस्म के 50,000 मी. टन प्याज और 10,000 मी. टन बंगलौर रोज प्याज के निर्यात की अनुमति देने के लिए अनुरोध किया है।

(घ) सरकार ने, अन्य बातों के साथ-साथ, अगले दो महीनों अर्थात् दिसम्बर, 1999 और जनवरी, 2000 के लिए कर्नाटक राज्य कृषि उत्पाद प्रसंस्करण एवं निर्यात निगम लि. (के.ए.पी.पी.ई.सी.) बंगलौर और कर्नाटक राज्य सहकारी विपणन परिसंघ लि. (के.एस.सी.एम.एफ.), के जरिए सभी किस्मों के प्याज में से प्रत्येक किस्म के 10,000 मी. टन प्याज के निर्यात की अनुमति दी है।

शुल्क मुक्त निर्यात

926. **श्री महबूब जहेदी :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बांग्लादेश सरकार ने भारत सरकार को 25 प्रकार की आवश्यक वस्तुओं के शुल्क मुक्त निर्यात के लिए कोई अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो बांग्लादेश द्वारा भारत को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के नाम क्या-क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस अनुरोध के बारे में कोई निर्णय किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार): (क) जी, हां।

(ख) बांग्लादेश द्वारा भारत को निर्यात हेतु जिन्सों के नाम इस प्रकार हैं:-

(1) कृत्रिम फूल, (2) एल्युमीनियम सेक्शन, (3) एक्यूमुलेटर्स बैटरी, (4) कार्बन रॉड, (5) कार्टन, (6) सेरामिक उत्पाद, (7) साज-सज्जा एवं श्रृंगार प्रसाधन; (8) बिजली का सामान, (9) बिजली की केबिल एवं तार, (10) फर्नीचर, (11) भट्ठी का तेल,, (12) जूते, (13) जून एवं जूट का सामान, (14) बुने हुए वस्त्र, (15) चमड़े का सामान, (16) मेलामाइन तथा प्लास्टिक की वस्तुएं, (17) नाइलोन यार्न, (18) दवाइयां, (19) तैयार खाद्य पदार्थ, (20) साबुन, (21) चाय, (22) टेरी टावल, (23) टैक्सटाइल फैब्रिक्स, (24) ट्रांसफार्मर, (25) बने हुए सिले-सिलाए वस्त्र।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का कार्यनिष्पादन

927. **श्री सुरेश चन्देल :** क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या बाहरी और अन्य दबावों के कारण सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की उपेक्षा की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बढ़ावा देने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) वर्ष 1995-96, 1996-97 तथा 1997-98 तक की जानकारी उपलब्ध है, जिसके अनुसार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने कुल मिलाकर क्रमशः 9574 करोड़ रुपए, 9992 करोड़ रुपए तथा 13725 करोड़ रुपए का निवल लाभ अर्जित किया है। विस्तृत जानकारी 26-2-1999 को संसद में प्रस्तुत लोक उद्यम सर्वेक्षण, 1997-98 के खण्ड-1 में तालिका 1.13 में उपलब्ध है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(घ) सरकार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यनिष्पादन में सुधार करने तथा संवर्धन करने के लिए स्वायत्तता प्रदान करने, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के निदेशक मण्डल का व्यावसायीकरण करने तथा नियंत्रण कम करने इत्यादि जैसे अनेक उपाय कर रही है।

[अनुवाद]

बहीखाता रख-रखाव प्रभार

928. **श्री राम सागर रावत :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक जैसे कुछ राष्ट्रीयकृत बैंक ग्राहकों से बही खाता रख-रखाव प्रभार वसूल कर रहे हैं जबकि यह बैंक के स्थापना खर्चों का ही एक अंग है;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है और कौन-कौन से बैंक खाता रख-रखाव प्रभार वसूल कर रहे हैं; और

(ग) इस वसूली को वापिस लिए जाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 7 दिसम्बर, 1999 के परिपत्र के अनुसार, बैंकों को उचित सेवा प्रभार उगाहने/निर्धारित करने की छूट प्रदान की गई है जिसमें बैंकों द्वारा दी गई सेवाओं के लिए संबंधित निदेशक मंडलों की पूर्व अनुमति से बही खाता अनुरक्षण प्रभार भी शामिल है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को यह भी सलाह दी गई है कि विभिन्न प्रकार की सेवाओं के लिए सेवा प्रभार निर्धारित करते समय उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ये प्रभार उचित हैं तथा दी जा रही सेवाओं की औसत लागत के अनुरूप हैं। बैंकों को यह भी ध्यान रखना सुनिश्चित करना चाहिए कि कम मात्रा में लेन-देन करने वाले ग्राहकों को जुर्माना न लगाया जाए।

बैंक कर्मचारियों को वेतन वृद्धि

929. **श्री शीशराम सिंह रवि :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि इंडियन बैंक एसोसिएशन और न्यायाधिकरणों ने सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों को इस बात के निर्देश/दिशा-निर्देश जारी किये हैं कि वे किसी कर्मचारी के निलंबन की अवधि के दौरान उनकी वेतन वृद्धि न रोके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे कितने मामले जानकारी में आये हैं, जिसमें बैंकों ने मार्ग-निर्देश/निर्देशों का पालन नहीं किया; और

(घ) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है/करने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) भारतीय बैंक संघ (आई.बी.ए.) ने सूचित किया है कि मध्य प्रदेश, उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय तथा औद्योगिक अधिकरण, चण्डीगढ़ ने अलग-अलग मामलों में यह निर्णय दिया है कि द्विपक्षीय समझौते में प्रयोग की गई भाषा के संबंध में निर्वाह भत्ते के भुगतान और उसकी गणना के लिए निलम्बन की अवधि के दौरान कामगार कर्मचारी को देय वार्षिक वृद्धि की गणना निर्वाह भत्ते के लिए की जानी चाहिए। तदनुसार, आई.बी.ए. ने 17 फरवरी 1998 को अपने सदस्य बैंकों को जो द्विपक्षीय समझौते की पार्टी हैं, मार्गनिर्देश जारी किए हैं।

(ग) आई.बी.ए. को उपर्युक्त मार्गनिर्देशों के उल्लंघन का कोई मामला नहीं मिला है।

(घ) उपर्युक्त (ग) के संदर्भ में प्रश्न ही नहीं उठता।

ट्रैक्टरों में उत्सर्जन का मानक

930. **डा. रघुवंश प्रसाद सिंह :** क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मोटर वाहनों के लिए यूरो-I एवं II, मानक निर्धारित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ट्रैक्टरों के लिए निर्धारित उत्सर्जन मानक क्या हैं;

(ग) क्या सरकार सड़क पर ट्रैक्टर के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने की सोच रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) और (ख) पूरे देश में दिनांक 1.4.2000 से प्रभावी होने वाले वाहनों के सभी वर्गों (कृषि ट्रैक्टरों को छोड़कर) के लिए लागू (प्रयोज्य) यूरो-I मानक से संबंधित उत्सर्जन (इमिशन) मानकों को दिनांक 28.8.1999 के जी.एस.आर. संख्या 493(ङ) के तहत अधिसूचित कर दिया गया है। तथापि, उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसरण में, निजी गैर-वाणिज्यिक वाहनों के संबंध में इन मानदण्डों की कार्यान्वयन तारीख को दिनांक 1.6.99 के जी.एस.आर. संख्या 399(ङ) के तहत राष्ट्रीय

राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के लिए दिनांक 1.6.99 तक बढ़ा दिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में दिनांक 1.4.2000 से प्रभावी होने वाले 3.5 टन तक सकल वाहन भार वाले चौपइया वाहनों के लिए यूरो-II मानकों से संबंधित उत्सर्जन (इमिशन) मानदण्डों को दिनांक 1.10.1999 के जी.एस.आर. संख्या 681(ङ) के तहत अधिसूचित कर दिया गया है। कृषि ट्रैक्टरों के लिए उत्सर्जन (इमिशन) मानदण्डों को दिनांक 8.9.99 ने जी.एस.आर. संख्या-627(ङ) के तहत पृथक रूप से अधिसूचित कर दिया गया है, जो 1.10.99 से प्रभावी है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान में खनिज भंडार

931. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोनाराम चौधरी : क्या खान और खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में विशेषकर पश्चिम राजस्थान में पाए गए विभिन्न प्रकार के खनिज भंडारों का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा इस क्षेत्र में, विशेषकर बाड़मेर, जैसलमेर तथा जालोर जिलों में खनिज संपदा की खोज हेतु उठाये गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने राजस्थान में उचित रूप से खनिजों की खोज के लिए एक निश्चित नीति तथा कार्यक्रम तैयार किया है/तैयार करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में विभिन्न एजेंसियों द्वारा अन्वेषित खनिजों का ब्यौरा निम्नवत है:-

I. भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण

(1) *सीसा और जस्ता :* राजसमंद जिले के बेधुमनी दरीबा बेल्ट में सीसा और जस्ता अयस्क के 13.75 मिलियन टन का एक अतिरिक्त भंडार।

(2) *स्वर्ण : बांसवाड़ा जिले के भूकिया पूर्व और पश्चिम में अयस्कों का 8.3 मिलियन टन भंडार और डुंगरपुर* जिले के तिमरनमाता खंड में अयस्क का 0.2 मिलियन टन भंडार।

(3) *सीमेंट ग्रेड चूना-पत्थर :* पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर जिले के निम्भ डूंगर, जैतवास और पीहर क्षेत्रों में 260 मिलियन टन।

(4) *आयामी पत्थरों के रूप में ग्रेनाइट :* बाड़मेर, जैसलमेर, अजमेर और अलवर जिलों के 86 वर्ग कि.मी. के क्षेत्र में कुल 1384 मिलियन घन मी.

II. खनिज गवेषण निगम लिमिटेड (एम.ई.सी.एल.)

(1) *लिग्नाइट :*
बीकानेर जिले के गडियाला,
बिथनोक एक्सटेंशन गिरिराजसर
और सिन्धारी ब्लॉक - 380.29 एम.टी.

(2) *तांबा :*
झुनझुनु जिले के सिंघाना और
सुरहरी ब्लॉक - 22.12 एम.टी.

(3) *सीसा जस्ता :*
कयार, अजमेर जिला - 10.14 एम.टी.

III. खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान

(1) *लिग्नाइट :*
नागौर और बीकानेर जिले - 43 एम.टी.

(2) चूना-पत्थर (एस.एम.एस. ग्रेड)
जैसलमेर जिला - 130 एम.टी.

(3) चूना-पत्थर *(सीमेंट ग्रेड)*
जोधपुर और जैसलमेर जिले - 1200 एम.टी.

(ख) से (घ) केन्द्र सरकार और राजस्थान राज्य सरकार ने इस राज्य में खनिज सम्पदा के गवेषण और विदोहन के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

(1) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने जैसलमेर जिले में चूना-पत्थर के लिए अन्वेषण कार्य किया है। बाड़मेर जिले

के संचोर क्षेत्र में लिग्नाइट, बेन्टोनाइट और फुलर्स अर्थ के लिए अन्वेषण कार्य किया जा रहा है। बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में आयामी पत्थरों का अन्वेषण किया जा रहा है।

(2) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने बेधन द्वारा बांसबाड़ा जिले के भूकिया ब्लॉक के एक्सटेंशन क्षेत्रों में स्वर्ण हेतु और राजसमंद जिले की दरीबा बेथुमनी बेल्ट में आधार धातुओं के लिए अन्वेषण कार्य को जारी रखा है।

(3) बाड़मेर जिले के दक्षिणी भाग में स्थित संचोर बेसिन में लिग्नाइट के लिए क्षेत्रीय गवेषण।

(4) हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड ने जियोटम सर्वे के साथ अजमेर के साम्बर लेक क्षेत्र में हवाई सर्वेक्षण किया है जिससे भू-भौतिकीय विसंगतियों का पता चला है। भूमि पर और अधिक भू-भौतिकीय सर्वेक्षण और परीक्षण वेधन के द्वारा इन विसंगतियों पर कार्य किया जा रहा है।

(5) एच.जैड.एल.-बी.एच.पी. एक संयुक्त उद्यम के रूप में नए खनिज भण्डारों का पता लगाने के लिए तीसरे चरण के हिस्से के रूप में हवाई सर्वेक्षण द्वारा राजस्थान का लगभग 10,117 वर्ग क्रि.मी. क्षेत्र कवर करेंगे।

(6) राजस्थान सरकार ने गवेषण और खनन कार्य को तीव्र करने के लिए नई खनिज नीति 1994, संगमरमर नीति 1994, ग्रेनाइट नीति 1995 और नई पूर्वेक्षण नीति 1999 बनायी है।

[हिन्दी]

विदेशी मुद्रा नियम का सरलीकरण

932. **डा. अशोक पटेल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्राहकों की आवश्यकतानुसार विदेशी मुद्रा नियमों को सरल बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) विदेशी मुद्रा विनियमों/प्रक्रियाओं की ग्राहकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए निरन्तर चलते रहने वाली प्रक्रिया के आधार पर समीक्षा तथा उनका सरलीकरण किया जाता है।

(ग) उक्त (क) और (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

ऋण को बट्टे खाते में डालने संबंधी दिशा-निर्देश

933. **श्री बाजू बन रियान** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के अशोध्य ऋणों, अनुप्रयोज्य आस्तियों को बट्टे खाते में डालने/क्षतिपूर्ति करने हेतु एक समान दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए एक कार्य दल का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस दल की संरचना और दिशा-निर्देश क्या हैं;

(ग) क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(घ) यदि हां, तो समिति की सिफारिशें क्या हैं और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के अनुपयोज्य अग्रिमों को बट्टे खाते डालने/उनकी क्षतिपूर्ति करने हेतु मार्ग-निर्देशों का निर्माण करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारियों के अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र के 5 बैंकों के उच्च अधिकारियों को शामिल करके एक अनौपचारिक कार्यदल का गठन किया है। कार्यदल को निम्न विचारणीय विषयों की जांच करनी और उन पर सुझाव देना है:

(1) अनन्तिम बट्टेखाते के मापदण्ड,

(2) अन्तिम बट्टेखाते के मापदण्ड,

(3) क्षतिपूर्ति निपटान के लिए मापदण्ड,

(4) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ऋण वसूली न्यायाधिकरणों को निपटान करने का विवेकाधिकार नहीं है, ऋण निपटान न्यायाधिकरणों की स्थापना करना।

भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि कार्यदल ने अब अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। कार्यदल की प्रमुख सिफारिशों पर एक नोट संलग्न विवरण में दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, उसके द्वारा की गई अधिकांश सिफारिशें निपटान सलाहकारी समिति की स्थापना के लिए बैंकों को जारी किए गए भारतीय रिजर्व बैंक के विद्यमान मार्ग निर्देशों में पहले ही शामिल थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने फिर सूचित किया है कि कार्यदल की रिपोर्ट की एक प्रति सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी गई है।

विवरण

1. वर्तमान में बैंकों द्वारा किए जा रहे तकनीकी/महत्वपूर्ण बट्टे खाते की अनुमति उस सीमा तक जारी रहनी चाहिए, जहां तक उनके लाभ अनुमति दें और बशर्ते की वसूली कार्य हेतु शाखाओं पर दबाव बना रहे।

2. वसूली के लिए भरसक प्रयास करने के पश्चात् अन्तिम बट्टे खाते का चलन जारी रखा जा सकता है और इस सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान मार्ग-निर्देशों का पालन किया जाना जारी रहना चाहिए।

3. ऋण वसूली न्यायाधिकरणों के कार्य में सुधार लाने के लिए कार्यदल (श्री एन.वी. देशपाण्डे, कानूनी सलाहकार, भा.रि. बैंक की अध्यक्षता वाले) की सिफारिशों को मामलों के तीव्र निपटान हेतु स्वीकृत/कार्यान्वित किया जा सकता है।

4. वसूली नीति के एक भाग के रूप में एकमुश्त निपटान/समझौते/बातचीत की प्रक्रिया जानी रखी जा सकती है।

5. समझौते की संभावित राशि की गणना में प्रमाणीय दृष्टिकोण का सुझाव देते हुए बैंकों द्वारा मानक एवं मापक अपनाए जा सकते हैं। ये मानक अलग-अलग बैंकों द्वारा, कुछ बैंकों में पहले ही प्रचलन में अपनाए हुए और रिपोर्ट में दिए हुए मानकों के आधार पर बनाए जा सकते हैं। तथापि इन मानकों से केवल प्राथमिक प्रमाणों के उद्देश्य की ही पूर्ति करने की अपेक्षा है और बैंकों को अपनी संरचना में सुधार करने और अपने संचालनात्मक पर्यावरण को अनुकूल बनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए।

6. दल ने यह नोट किया है कि मूलधन और ब्याज की राशि की गणना करने के लिए प्राथमिक मापक इस सम्बन्ध में एकरूप दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए परिभाषित किए जाने चाहिए।

7. दल समझौते की प्रक्रिया को शुरू करने के सम्बन्ध में उधारकर्ता की वचनबद्धता के रूप में उधारकर्ता के बही खाते के अनुसार बकाया राशि के 5 प्रतिशत के बराबर की राशि बैंकों द्वारा जमा करवाने पर जोर देने को वांछनीय मानता है।

8. छोटे उधारखातों में अनुपयोज्य आस्तियों की वसूली में आने वाली कठिनाइयों और लागत को ध्यान में रखते हुए दल ने यह सिफारिश की है कि अनुपयोज्य आस्ति खाते में एक निश्चित स्तर से नीचे के मामलों के निपटान के लिए अलग-अलग बैंकों के लिए विशेष वसूली और समझौते की प्रक्रिया अपनायी जा सकती है।

9. दल इस बात को भी मानता है कि कर्मचारियों के उत्तरदायित्व के पक्ष को जहां पर लागू हो, बट्टे खाते में डालने सहित समझौते के निर्णय से अलग एक समानान्तर प्रक्रिया के रूप में लेना चाहिए।

खनन और कोयला अन्वेषण में निजी भागीदारी

934. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार :
श्री अधीर चौधरी :
श्रीमती श्यामा सिंह :

क्या खान और खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा कोयले तथा लिग्नाइट के खनन और अन्वेषण कार्य में निजी क्षेत्रों को आमंत्रित करने के लिए कदम उठाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कोयला तथा लिग्नाइट के खनन तथा अन्वेषण कार्य में निजी भागीदारी की अनुमति देने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या निजी क्षेत्र को लौह अयस्क, मैंगनीज और अन्य खनिजों के खनन में भागीदारी हेतु अनुमति प्रदान की गई है;

(ङ) यदि हां, तो कब से तथा इस पर निजी क्षेत्र की क्या प्रतिक्रिया रही है;

(च) क्या कोल इंडिया लि. का भी पुनर्गठन किया जाएगा तथा माफिया गतिविधियों पर नियंत्रण लगाने हेतु कदम उठाए जाएंगे; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (ग) लौह और इस्पात उत्पादन, विद्युत उत्पादन और सीमेंट उत्पादन में केवल ग्रहीत खपत के लिए निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा कोयले का खनन, कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 के विद्यमान प्रावधानों के अंतर्गत अनुमेय हैं। यह अधिनियम, विद्युत उत्पादन और सीमेंट उत्पादन में ग्रहीत खपत के लिए निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा लिग्नाइट के खनन की भी अनुमति प्रदान करता है। एकीकृत कोयला नीति पर समिति ने अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के अलावा यह भी उल्लेख किया कि नौवीं और दसवीं योजना अवधि के अंत में कोयले की मांग और आपूर्ति के बीच का अंतराल बहुत अधिक होगा। समिति ने निष्कर्ष निकाला है कि यदि नए नीतिगत उपायों को जोर-शोर से लागू नहीं किया गया तो देश में कोयले की मांग और आपूर्ति के बेमेल होने का मामला और अधिक गंभीर हो जाएगा। समिति की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए भारतीय कंपनियों को अग्रहीत कोयला और लिग्नाइट खनन की अनुमति प्रदान करने तथा कोयला और लिग्नाइट के अनवेषण के कार्य उन्हें देने के लिए कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 में संशोधन करने हेतु संसद में विधेयक लाने का एक प्रस्ताव दिनांक 4.2.99 को सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया। सरकार द्वारा दिनांक 17.2.99 को प्रस्ताव पर अनुमोदन दे दिया गया। लेकिन कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम विधेयक, 1999 को संसद में लाए जाने से पूर्व ही बारहवीं लोक सभा भंग हो गई। इस मामले पर नए सिरे से विचार किया जा रहा है।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय खनिज नीति, 1993 की घोषणा और खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 में वर्ष 1994 में संशोधन करने से 13 खनिज, नामतः लौह अयस्क, मैगनीज, क्रोम अयस्क, गंधक, सोना, डायमंड, प्लैटिनम समूह के खनिज, तांबा, सीसा, अभ्रक मोलिबडेनम, टंगस्टेन अयस्क और निकल, जिन्हें पूर्व में सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा अन्वेषण और दोहन करने के लिए आरक्षित किया गया था, को निजी क्षेत्र की भागीदारी हेतु अनारक्षित कर दिया गया। इस संबंध में निजी क्षेत्र से अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है।

(च) और (छ) कोल इंडिया लि. (को.इं.लि.) के विद्यमान धारक अनुषंगी ढांचे में परिवर्तन करने के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। "कोयला माफिया" की गतिविधियों को रोकने के लिए को.इं.लि. की कोयला उत्पादक अनुषंगी कंपनियों द्वारा अनवरत निम्न कदम उठाए जाते हैं:-

(1) कोयला कंपनियों के सुरक्षा कार्मिकों और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी.आई.एस.एफ.) द्वारा गहन रूप से गश्त लगाना।

(2) राज्य/जिला प्राधिकारियों के साथ परस्पर संपर्क।

(3) अवैध-कोयला भंडारों पर सी.आई.एस.एफ. और स्थानीय पुलिस द्वारा छापा मारा जाना।

(4) सुरक्षा कार्मिकों द्वारा अचानक निरीक्षण/छापा मारना।

(5) बदमाशों को पुलिस को सौंपना और प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया जाना।

आय कर/निगमित कर की बकाया राशि

935. श्री पी.सी. थामस :
डा. मदन प्रसाद जायसवाल :
डा. विजय कुमार मल्होत्रा :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान व्यक्तियों, व्यावसायिक घरानों एवं अन्य पर एक करोड़ रुपये से अधिक आय कर/निगमित कर बकायों का वर्ष-वार और निर्धारिती-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने आय कर/निगमित कर की वसूली के लिए कोई कार्यवाही की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कुछ फिल्मी सितारों पर आय कर की बहुत बड़ी राशि बकाया है; और

(ङ) यदि हां, तो निर्धारितियों एवं उन पर बकाया कर का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार): (क) दिनांक 31.3.97, 31.3.98 और 31.3.99 को विभिन्न मुख्य आयुक्त क्षेत्रों से यथा समेकित एक करोड़ रु. से अधिक बकाया आयकर/निगम कर के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

निम्न तारीख को बकाया धनराशि

(करोड़ रुपये में)

	31.3.97	31.3.98	31.3.99
बकाया मांग वाले मामलों की संख्या	1897	2526	2959
कुल बकाया मांग (रुपये)	2552794	2993176	3259698

(ख) और (ग) करों की वसूली एक सतत प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न सांविधिक प्रक्रियाएं अन्तर्ग्रस्त हैं। इनमें चल और अचल संपत्तियों की कुर्की और बिक्री, विलम्ब से भुगतान के लिए ब्याज प्रभारित करना, अर्थदण्ड लगाना आदि शामिल हैं। कर की शीघ्र वसूली करने के लिए आवश्यक अनुदेश जारी करने हेतु उच्च प्राधिकारियों द्वारा बकाया मांग वाले मामलों की समय-समय पर आवधिक पुनरीक्षा एवं निगरानी की जाती है।

(घ) और (ङ) फिल्मी सितारों के मामलों में एक करोड़ रुपये से अधिक बकाया आयकर के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

निम्नलिखित तारीख को बकाया धनराशि

(लाख रुपये में)

	31.3.97	31.3.98	31.3.99
बकाया मांग वाले मामलों की संख्या	2	2	7
कुल बकाया मांग (रु.)	351.38	471.62	2716.15

निर्यात वृद्धि

936. **श्री ए. वेंकटेश नायक :** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1998-99 के दौरान निर्यात में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्ष 1999-2000 के लिए भी ऐसे ही लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) निर्यात वृद्धि को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) और (ख) वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय से प्राप्त अनंतिम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1998-99 के दौरान अमरीकी डालर के रूप में निर्यात वृद्धि पिछले वर्ष की इसी अवधि के अनंतिम आंकड़ों की तुलना में 3.7% होने का अनुमान लगाया गया है।

(ग) और (घ) वर्ष 1999-2000 के लिए सॉफ्टवेयर निर्यात को छोड़कर 37400 मिलियन अमरीकी डालर का निर्यात लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसमें वर्ष 1998-99 की तुलना में अमरीकी डालर के रूप में 11.3% की वृद्धि प्रदर्शित होती है।

(ङ) निर्यात में आगे और वृद्धि करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं, जिनमें क्रियाविधियों के विकेन्द्रीकरण और सरलीकरण के माध्यम से सौदों की लागत को कम करना और एग्जिम नीति में यथा उल्लिखित विभिन्न अन्य उपाय शामिल हैं। बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय पहलों, थ्रस्ट क्षेत्रों और फोकस क्षेत्रों की पहचान के जरिए भी निर्यातों को बढ़ाने के लिए कदम उठाए गए हैं।

कोयला धोवनशाला स्थापित किया जाना

937. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :** क्या खान और खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में उच्च श्रेणी के कोयले की उपलब्धता में वृद्धि करने हेतु कोयला धोवनशालाएं स्थापित करने संबंधी कोई निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में कुल कितनी उत्पादन क्षमता अधिष्ठापित किए जाने का लक्ष्य है;

(ग) क्या सरकार ने अपेक्षित पूंजी जुटाने हेतु स्रोतों की पहचान कर ली है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में आठवीं योजना के अन्त तक की तुलना में नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक कुल कितना अतिरिक्त उच्च श्रेणी का कोयला उपलब्ध होने की संभावना है?

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) जी, हां। पर्यावरण और वन मंत्रालय की दिनांक 19.6.97 की अधिसूचना को दृष्टिगत रखते हुए, 1000 कि.मी. और इससे अधिक की दूरी पर स्थित सभी विद्युत संयंत्रों और अत्यधिक प्रदूषित और/अथवा संवेदनशील क्षेत्रों में स्थित संयंत्रों में 34 प्रतिशत से कम राख की मात्रा वाले कोयले का उपयोग आवश्यक है। यह अनुमान किया जाता है कि नौवीं योजना के अंत तक ऐसे लगभग 87 मि.ट. कोयले की आवश्यकता होगी।

कोल इंडिया लि. द्वारा किए गए आकलन के अनुसार मिश्रण प्रक्रिया से प्राप्त 34% से कम राख वाले लगभग 68 मि. टन कोयला विद्यमान स्रोतों से प्राप्त किए जाने की संभावना है। शेष 19 मि. टन कोयले को परिष्कृत करना होगा।

(ग) और (घ) कोयला कंपनियों और विद्युत उपयोगिताओं दोनों में ही स्थित वित्तीय कमियों को ध्यान में रखते हुए "स्वयं निर्मित-स्वयं चालित" (बी.ओ.ओ.) के आधार पर तीसरी पार्टी की भागीदारी के माध्यम से वाशरियों को स्थापित किया जाएगा।

(ङ) नौवीं योजनावधि में उच्च ग्रेड के कोयले की मात्रा, आठवीं योजनावधि की मात्रा के लगभग बराबर होगी।

[हिन्दी]

आयात और निर्यात

939. प्रो. रासा सिंह रावत : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा निर्यात और आयात के बीच असंतुलन को समाप्त करने हेतु अब तक क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) किन-किन देशों के साथ हमारे व्यापार संबंध अच्छे हैं और इनमें और सुधार होने की संभावनाएं हैं;

(ग) क्या भारत को विश्व व्यापार संगठन के प्रतिबंधों और शर्तों के कारण व्यापार में वृद्धि करने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) निर्यात को बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं जिनमें शामिल हैं—क्रियाविधियों के विकेन्द्रीकरण और सरलीकरण के जरिए सौदों की लागत में कमी करना और एग्जिम नीति में यथानिहित विविध अन्य उपाय बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय पहल करके थ्रस्ट क्षेत्रों एवं फोकस क्षेत्रों की पहचान करके भी निर्यात बढ़ाने के उपाय किए गए हैं।

(ख) भारत के अपने सभी व्यापारिक साझेदारों के साथ अच्छे व्यापारिक संबंध हैं और वह सार्थक द्विपक्षीय पहल करके उन्हें बेहतर बनाने की लगातार कोशिश करता रहता है।

(ग) डब्ल्यु.टी.ओ. के विभिन्न करारों के तहत सभी सदस्यों को उनके द्वारा की गई वचनबद्धताओं के दायरे के भीतर अपने घरेलू उद्योग को सुरक्षा प्रदान करने की अनुमति दी जाती है। यदि किसी सदस्य की कोई कार्रवाई अथवा नीति संबंधित सदस्य के दायित्वों का उल्लंघन करने वाली समझी जाती है तो डब्ल्यू.टी.ओ. के विवाद निपटान तंत्र में उपचारात्मक उपायों की व्यवस्था है।

(घ) भारत अब तक नौ मामलों को लेकर विवाद निपटान निकाय में जा चुका है। विवाद निपटान निकाय ने चार मामलों में भारत के पक्ष में निर्णय दिया है, एक मामले को समाप्त कर दिया है, एक मामले का मैत्रीपूर्ण ढंग से निपटान किया गया है जबकि तीन मामले चल रहे हैं।

सामाजिक क्षेत्र में व्यय

940. श्री अशोक ना. मोहोल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा सामाजिक क्षेत्र में व्यय बढ़ाने के लिए कोई प्रभावी कदम उठाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सामाजिक क्षेत्र में इस समय कुल कितनी राशि व्यय की जा रही है; और

(घ) कितना व्यय बढ़ाए जाने की सम्भावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) सामाजिक क्षेत्रों (जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, जलआपूर्ति, स्वच्छता, आवास, ग्रामीण विकास, सामाजिक कल्याण और पोषाहार तथा न्यूनतन बुनियादी सेवाएं शामिल हैं (पर केन्द्र सरकार का व्यय) आयोजना और आयोजना-भिन्न (कुल व्यय के अनुपात के रूप में 1990-01 में (वास्तविक) 7.7 प्रतिशत से बढ़कर 1997-98 में (वास्तविक) 10.3 प्रतिशत और 1998-99 (संशोधित अनुमान) में और बढ़कर 10.5 प्रतिशत तथा 1999-2000 (बजट अनुमान) में 11.4 प्रतिशत हो गया।

(ख) और (ग) सामाजिक क्षेत्रों पर केन्द्र सरकार के (आयोजना और आयोजना-भिन्न) व्यय के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) सामाजिक क्षेत्रों पर सम्भावित व्यय को 1999-2000 (संशोधित अनुमान) में दर्शाया जाएगा।

विवरण

सामाजिक क्षेत्रों पर केन्द्रीय सरकार का व्यय
(आयोजनागत और गैर-आयोजनागत)

(करोड़ रुपए)

मदें	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99 (सं.अ.)	1999-2000 (ब.अ.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. सामाजिक सेवाएं	5380	5892	6397	8150	9223	11631	13659	16007	20315	22921
क. शिक्षा, खेल और युवा मामले	1686	1775	1678	2378	2799	3690	3968	4963	6733	7138
ख. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	1273	1382	1722	2148	2413	2542	2751	3235	4046	5000
ग. जलापूर्ति, सफाई, आवास और शहरी विकास	828	934	788	1282	1351	1756	2967	3328	4225	4896
घ. सूचना एवं प्रसारण	436	417	371	392	479	596	593	928	1028	1109
ङ. अनु. जाति/अनु. जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	348	419	488	564	744	800	833	692	977	1108
च. श्रम, रोजगार और शहरी कल्याण	289	357	347	526	440	507	587	642	771	908
छ. सामाजिक कल्याण एवं पोषाहार	520	628	803	880	997	1800	1950	2209	2435	2760

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. ग्रामीण विकास	2678	2283	3211	4680	5803	6609	5081	5116	5571	5416
3. गंदी बस्ती विकास सहित प्राथमिक यूनतम सेवाएं (बी.एम.एस.)*							2466	2873	3684	4043
4. सामाजिक सेवाएं, ग्रामीण विकास और प्राथमिक न्यूनतम सेवाएं (1 + 2 + 3)	8058	8175	9608	12830	15026	18240	21206	23996	29570	32380
5. केन्द्र सरकार का कुल व्यय	105298	111414	122618	141853	160739	178275	201007	232068	281912	283882
6. कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में सामाजिक सेवाएं, ग्रामीण विकास और प्राथमिक न्यूनतम सेदःएं	7.65	7.34	7.84	9.04	9.35	10.23	10.55	10.34	10.49	11.41

टिप्पणी: वर्ष 1990-91 से 1997-98 के आंकड़े वास्तविक हैं।

* 1996-97 से परिचालन में आया। प्रावधान राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र दोनों के लिए है।

** 1.4.1999 से लोक लेखा से निवल लघु बचत संग्रहणों के 75 प्रतिशत को राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अंतरित करने की एक नई प्रणाली शुरू की जा रही है। यदि यह परिवर्तन न होता तो गैर-आयोजनागत पूंजी व्यय 25,000 करोड़ रुपए अधिक होता।

[अनुवाद]

विदेशी/घरेलू ऋण

941. श्री प्रभुनाथ सिंह :
श्री बृजमोहन राम :
श्री रतनलाल कटारिया :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विदेशी/घरेलू ऋण में अत्यधिक वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आज की स्थिति के अनुसार देश-वार और संस्था-वार कुल विदेशी ऋण/घरेलू ऋण की अलग-अलग स्थिति क्या है;

(घ) अगस्त, 1999 की स्थिति के अनुसार विदेशी ऋण/घरेलू ऋण की तुलनात्मक स्थिति क्या है;

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेशी/घरेलू ऋणदाताओं को प्रति वर्ष कितनी ऋण राशि और ब्याज राशि का भुगतान किया गया; और

(च) सरकार ने इन ऋणों को चुकाने और ऋण भार से मुक्ति के लिए क्या योजना बनाई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) सरकारी खाते में वर्ष 1996-97 से तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष निवल विदेशी ऋण/घरेलू ऋण निम्नानुसार हैं:-

(करोड़ रुपए)

	1996-97	1997-98	1998-99 (सं.अ.)	1999-2000 (ब.अ.)
विनिमय की ऐतिहासिक दर पर सरकारी खाते में विदेशी ऋण	2987	1091	910	845
सरकारी खाते में बाजार ऋण	20012	32499	64911	57461

सरकार की उधार संबंधी आवश्यकताएं बढ़ रही हैं क्योंकि सरकारी व्यय (ब्याज, रक्षा, आर्थिक सहायता, आंतरिक सुरक्षा, वेतन, पेंशन, राज्यों को सहायता और विकास संबंधी व्यास) में वृद्धि सरकार के राजस्व और अन्य ऋण-भिन्न प्राप्तियों की वृद्धि से काफी अधिक हो गई है।

(ग) और (घ) जून, 1999 के अन्त में विदेशी ऋण और घरेलू ऋण, जिसके आंकड़े उपलब्ध हैं, निम्नानुसार हैं:-

(करोड़ रुपए)

विनिमय की ऐतिहासिक दर पर सरकारी खाते में विदेशी ऋण	55181
सहकारी खाते में घरेलू ऋण	315894

जहां तक घरेलू ऋणों का संबंध है सरकारी खाते उधार की लिखतों के आधार पर रखे जाते हैं, न कि ऋणदाता-वार। घरेलू ऋण के ऋणदाता-वार आंकड़े सुनिश्चित किए जा रहे हैं।

(ङ) पिछले तीन वर्षों में विदेशी ऋणों और घरेलू ऋणों के संबंध में कुल मूलधन की वापसी अदायगी और ब्याज का भुगतान निम्नानुसार है:

	मूलधन की वापसी/अदायगी	ब्याज का भुगतान
विदेशी ऋण		
(ऐतिहासिक विनिमय दर पर सरकारी खाते में)		
1996-97	6547.31	4223.40
1997-98	6767.83	4110.00
1998-99 (सं.अ.)	7856.59	4272.90
सरकारी खाते में घरेलू ऋण		
1996-97	7904.63	19124.58
1997-98	10891.07	22170.23
1998-99 (सं.अ.)	14802.80	28072.00

(च) सरकार का सदैव प्रयास होता है कि राजस्व प्राप्तियां अधिकतम की जांच और व्यय की अनावश्यक मदों में कटौती की जाए ताकि ऋणों पर निर्भरता न्यूनतम रखी जा सके। इसके साथ ही सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि विकास की प्रक्रिया में कोई रुकावट न आए।

[हिन्दी]

"प्रोजेक्ट पैकेज" योजना

942. श्री राजो सिंह : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष के दौरान "प्रोजैक्ट पैकेज" योजना में और अधिक ग्रुपों को शामिल करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के अंतर्गत राज्य-वार कितने लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) से (ग) जी, हां। प्रोजेक्ट पैकेज स्कीम अधिक क्षेत्रों/जिलों को शामिल करने हेतु वर्तमान वर्ष के दौरान भी कार्यान्वित की जा रही है। यद्यपि, स्कीम के अंतर्गत राज्यवार विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये हैं। परियोजनाएं राज्य सरकारों से प्राप्त व्यवहार्य प्रस्तावों के आधार पर स्वीकृत की जाती हैं। इसी प्रकार राज्य-वार रोजगार प्राप्त करने हेतु संभावित व्यक्तियों की संख्या प्राप्त एवं स्वीकृत व्यवहार्य प्रस्तावों की संख्या पर निर्भर करती है।

[अनुवाद]

औद्योगिक विकास

943. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वित्त वर्ष के औद्योगिक विकास की दर 5 से 6 प्रतिशत के बीच होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भारतीय रिजर्व बैंक के आशावादी 7 प्रतिशत के औद्योगिक विकास के पूर्वानुमान के बहुत विपरीत है;

(ग) यदि हां, तो क्या योजना आयोग ने नौवीं योजना का मूल्यांकन/समीक्षा की है जो 6.8 प्रतिशत औद्योगिक विकास को दर्शाता है;

(घ) यदि हां, तो देश में औद्योगिक उत्पादन में सुधार न लाने के मुख्य कारण क्या हैं; और

(ङ) सरकार देश में औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या प्रयास कर रही है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा जारी किये गये आंकड़ों के अनुसार, औद्योगिक विकास दर अप्रैल-सितम्बर, 1999-2000 के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि में 4.0% की तुलना में 6.4% है।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 1999-2000 के दौरान औद्योगिक क्षेत्र की विकास दर पर कोई भविष्यवाणी नहीं की गई है।

(ग) योजना आयोग ने नवीं योजना की मध्यावधि समीक्षा पूरी नहीं की है।

(घ) उपर्युक्त "ख" तथा "ग" को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) औद्योगिक उत्पादन में सुधार लाने के लिये, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं:-

1. निर्यातों में विकास को पुनरुज्जीवित करने के लिए विशेष पैकेज की घोषणा।
2. यू.एल.सी.आर.ए. को रद्द करना और गृह स्वामित्व को प्रोत्साहन दिया जाना।
3. सरकार ने निवेश को बढ़ावा देने और पूंजी बाजार को पुनरुज्जीवित करने के लिए शेयरों की पुन: खरीद व अंतर-काम्पोरेट ऋणों की अनुमति दी है।
4. एक नई विद्युत नीति की घोषणा।
5. उत्पाद शुल्क को युक्ति संगत करना।
6. अवसंरचना परियोजनाओं पर आय कर दर तथा सीमा शुल्क में कमी की।
7. एफ.डी.आई./एन.आर.आई./ओ.सी.बी. निवेश के अन्त: प्रवाह का उदारीकरण और एन.बी.एफ.सी. में विदेशी इक्विटी निवेश के लिए दिशा-निर्देशों को और संशोधित किया गया है।
8. विदेशी निवेशकों तथा सरकारी तंत्र के बीच एक ही स्थान पर विचार-विमर्श उपलब्ध कराने के लिये विदेशी निवेश कार्यान्वयन प्राधिकरण (एफ.आई.आई.ए.) की स्थापना करना।
9. भारतीय उद्योगों में अच्छे अभ्यास के एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय पेटेन्ट कार्यालय तथा एक राष्ट्रीय बैन्चमार्किंग पेटेंट सहित राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्डों की स्थापना करना।
10. 100% मोडवेट ऋण की पुन: बहाली करना।
11. सी.आर.आर. में कमी करना।
12. आयातित वित्त पर ब्याज दर अधिभार वापस लेना।

राष्ट्रीय नवीकरण कोष से गुजरात को सहायता

944. श्री दिन्शा पटेल : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गुजरात उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार गुजरात राज्य सरकार द्वारा बन्द की गई गुजरात राज्य वस्त्र निगम/निजी मिलों के कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना पर किए गए व्यय के लिए राष्ट्रीय नवीकरण कोष से सहायता के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक विकास विभाग को गुजरात सरकार से दो प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जो कि निम्नानुसार हैं:

(1) राष्ट्रीय नवीकरण निधि से सहायता के लिए गुजरात राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड (जी.एस.टी.सी.) का प्रस्ताव।

(2) बंद वस्त्र मिलों के लिए राष्ट्रीय नवीकरण निधि से सहायता प्राप्त करने के लिए गुजरात सरकार का प्रस्ताव।

इस समय राष्ट्रीय नवीकरण निधि से सहायता केवल केन्द्रीय सरकार के क्षेत्र के उपक्रमों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजनाओं तथा सुव्यवस्थित कामगारों को परामर्श देने, पुनः प्रशिक्षण देने और पुनः तैनात करने की योजनाओं के लिए ही उपलब्ध है।

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम

945. डा. वी. सरोजा : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 को निरस्त करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार के पास वैकल्पिक कानून लाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) से (ङ) कानूनों, विनियमों तथा कार्यविधियों के सरलीकरण की समीक्षा की प्रक्रिया के अन्तर्गत सरकार द्वारा गठित एक विशेषज्ञ दल ने, उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की समीक्षा के संबंध में शीर्ष उद्योग संघों के परामर्श से अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप दे दिया है।

[हिन्दी]

मुम्बई में एन.टी.सी. मिलों का आधुनिकीकरण

946. श्री मोहन रावले : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा 1500 करोड़ रुपये के प्रावधान के बावजूद मुम्बई में एन.टी.सी. के एक भी मिल का आधुनिकीकरण नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या धनराशि का दुरुपयोग करने वाले दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई जांच कार्रवाई की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिग्गी एन. रामचन्द्रन): (क) वर्ष 1994 तक मुंबई में एन.टी.सी. मिलों के आधुनिकीकरण पर 73.24 करोड़ रु. की राशि खर्च की गई है। वर्ष 1995 में एक संशोधित सर्वांगीण सुधार योजना बनाई गई थी जिसमें बेशी भूमि की बिक्री से आधुनिकीकरण के लिए संसाधनों के सृजन की परिकल्पना की गई थी। चूंकि भूमि को बेचा नहीं जा सका इसलिए प्रस्तावित आधुनिकीकरण नहीं किया जा सका।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में आयकर संग्रहण

947. श्री राजैया मल्याला : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में आयकर संग्रहण की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में संग्रह योग्य/वसूले गए कर की राशियां क्या थीं; और

(ग) उपरोक्त बकाया राशि को वसूल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में कुल निगम कर एवं आयकर के संग्रहण की स्थिति निम्न प्रकार है:

(करोड़ रुपये में)

वित्त वर्ष	निगम कर	आयकर
1996-97	424.57	691.17
1997-98	515.78	677.99
1998-99	568.42	783.01

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश से वसूले गए कर की राशि निम्न प्रकार है:-

(करोड़ रुपये में)

	निगम कर	आय कर
31.3.97 को	236.00	297.90
31.3.98 को	392.61	351.79
31.3.99 को	451.06	424.41

(ग) कर की वसूली एक सतत् प्रक्रिया है जिसमें विस्तृत सांविधिक प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है। इनमें ब्याज प्रभारित करना, अर्थदण्ड लगाना, बैंक खातों की कुर्की, चल और अचल सम्पत्तियों आदि की कुर्की एवं बिक्री शामिल हैं। उच्च अधिकारियों द्वारा उच्च मांग वाले मामलों की सतत् आधार पर आवधिक समीक्षा एवं निगरानी की जाती है तथा करों की वसूली को प्रभावी बनाने के लिए समय-समय पर आवश्यक अनुदेश जारी किए जाते हैं।

मंगलोर में सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त का कार्यालय

948. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मंगलोर में सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त का कार्यालय स्थापित करने का निश्चय किया है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित निदेशालय के अंतर्गत कौन-कौन से क्षेत्र आयेंगे; और

(ग) उक्त निदेशालय कब से काम करना शुरू कर देगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार): (क) विद्यमान सीमाशुल्क आयुक्त, मंगलौर को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का क्षेत्राधिकार प्रदान करके सीमाशुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का एक आयुक्तालय स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(ख) इस प्रस्ताव में सीमा शुल्क आयुक्त, मंगलौर को दक्षिण कन्नड़, उडुपी तथा कोडागू वाले क्षेत्रों पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का क्षेत्राधिकार दिए जाने पर विचार किया जा रहा है।

(ग) इसे लागू करने की तिथि भी विचाराधीन है।

[हिन्दी]

नये उद्योगों की स्थापना

949. श्री रामदास आठवले : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में एक नये उद्योग की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) से (ग) जी नहीं। नई औद्योगिक नीति 1991 की शुरूआत किए जाने के परिणामस्वरूप औद्योगिकीकरण मुख्यतया निवेशक की पसंद, किसी निवेश के स्थान के प्रति आकर्षण होने और राज्य सरकार द्वारा की गयी पहल पर निर्भर करता है। केन्द्र सरकार निवेशक अनुकूल पारदर्शी नीतियों के माध्यम से तथा राज्य सरकारों की विकास केन्द्र योजना, परिवहन राजसहायता योजना आदि, जैसे प्रयासों में उनकी मदद करने के लिए योजनाओं के माध्यम से भी औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया में सहायता करती है।

[अनुवाद]

बछड़ों का वध

950. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भैसों और बकरियों/भेड़ों के वध के लिए निर्धारित आयु सीमा क्या है;

(ख) क्या सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों और भारत के संविधान के अनुच्छेद 48 के मद्देनजर ऐसे पशुओं की आयु सीमा में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) दिनांक 15.1.93 के आदेश का.आ. 203 के अंतर्गत, सरकार ने मांस के निर्यात हेतु वध करने के उद्देश्य से कटड़ों के लिए 4 महीने से लेकर 12 महीने तक और भैंसों के लिए 12 महीने

से अधिक तथा बकरियों एवं भेड़ों के मामले में 9 महीने से अधिक की आयु सीमा निर्धारित की है।

(ख) और (ग) आयु सीमा में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

हिमाचल ग्रामीण बैंक की नई शाखाएं

951. श्री सुरेश चन्देल : क्या **वित्त मंत्री** 18.12.1998 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3355 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में हिमाचल ग्रामीण बैंक की शाखाएं खोलने के लिए पंजाब नेशनल बैंक जो कि प्रायोजक बैंक है द्वारा कर्मचारियों की भर्ती की गई है;

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में हो रहे विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) हिमाचल प्रदेश में उक्त ग्रामीण बैंक की शाखाओं के लिए कर्मचारियों की भर्ती का काम कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी नहीं।

(ख) 1. सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की अस्थिर वित्तीय स्थिति के कारण उनकी भर्ती प्रक्रिया पर प्रतिबन्ध लगाया है।

2. हिमाचल ग्रामीण बैंक के परिचालन के क्षेत्र को अभी भी हमीरपुर, ऊना और बिलासपुर जिलों तक नहीं फैलाया गया है जिसके लिए अलग से कार्यवाही विचाराधीन है।

(ग) सरकार ने एक, कार्यदल का गठन किया है जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का अध्ययन करेगा और दीर्घावधिक वैज्ञानिक स्टाफिंग मानदण्ड तैयार करेगा। आशा है कि कार्यदल शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। कार्यदल की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, प्रतिबन्ध हटाने का या अन्यथा, निर्णय लिया जाएगा।

[अनुवाद]

उद्योग विहीन जिले

952. श्री शीशराम सिंह रवि :
श्री बीर सिंह महतो :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्यवार उद्योग विहीन जिलों की संख्या कितनी है और उनका ब्यौरा क्या है; और

(ख) शिक्षित बेरोजगार युवकों को रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु वहां उद्योग स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) वर्तमान स्थिति के अनुसार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) ने दिनांक 7.10.1997 की अधिसूचना संख्या क.अ. 714 (अ) द्वारा आय कर अधिनियम 1961 के अन्तर्गत कर रियायत प्रदान करने के लिए श्रेणी ''क'' में औद्योगिक रूप से पिछड़े 53 जिलों तथा श्रेणी ''ख'' में औद्योगिक रूप से पिछड़े 70 जिलों को विनिर्दिष्ट किया है। इन 123 जिलों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) नई औद्योगिक नीति की घोषणा के पश्चात्, निवेश संबंधी निर्णय, काफी पहले से ही, उद्यमी के वाणिज्यिक ज्ञान पर आधारित होते हैं। पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक विकास का संवर्धन प्राथमिक रूप से राज्य सरकारों की पहल पर निर्भर करता है। केन्द्रीय सरकार विकास केन्द्र योजना, एकीकृत अवसंरचना विकास योजना तथा परिवहन राजसहायता योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों को सहायता देती है। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एक समर्पित नीति पैकेज की घोषणा के माध्यम से विशेष ध्यान दिया गया है। इसके अतिरिक्त पिछड़े राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों तथा जिलों में उद्योग स्थापित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन भी दिए जाते हैं।

विवरण

वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग के दिनांक 7.10.97 की अधिसूचना संख्या 714 (अ) द्वारा यथा अधिसूचित देश में पिछड़े जिलों की सूची

श्रेणी "क"	श्रेणी "ख"
1	2
बिहार	**आन्ध्र प्रदेश**
गोड्डा	श्रीकाकुलम
गुमला	महबूब नगर
अररिया	
माधेपुरा	**बिहार**
दुमका	कटिहार
खगरिया	भागलपुर
किशनगंज	गोपालगंज
पालम	दरभंगा
मधुबनी	पश्चिम चम्पारण
जहांनाबाद	सारण
सहरसा	भोजपुर
नवादा	समस्तीपुर
सीतामढ़ी	देवगढ़
साहेबगंज	नालन्दा
औरंगाबाद	गया
पूर्वी चम्पारण	मुजफ्फरपुर
पूर्णिया	रोहतास
सीवान	**गुजरात**
वैशाली	बनासकांठा
लाहोर-डाग्गा	साबरकंठा
गुजरात	**कर्नाटक**
दि डांग्स	बिवार

1	2
केरल	**मध्य प्रदेश**
इडुक्की	सियोनी
वयानाड	टीकमगढ़
मध्य प्रदेश	शिवपुरी
मण्डला	बालाधार
पन्ना	झबुआ
बस्तर	सिधी
सरगुजा	विदिशा
छत्रपुर	रायगढ़
महाराष्ट्र	मुरैना
गढ़चिरौली	बेतुल
उड़ीसा	राजगढ़
फूलबनी	राजनन्दगांव
कालाहाण्डी	सागर
राजस्थान	**महाराष्ट्र**
जालौर	बीड
बाढमेर	**उड़ीसा**
जैसलमेर	बोलनगिर
चुरू	मयूरभंज
वनासवाड़ा	बालासौर
उत्तर प्रदेश	गंजाम
सिद्धार्थ नगर	**राजस्थान**
बहराइच	डुंगरपुर
प्रतापगढ़	धौलपुर
महाराजगंज	सवाई-माधोपुर
बांदा	टोंक
बस्ती	नागौर
चमोली	सीकर
उत्तरकाशी	झालवाड़ा
अल्मोड़ा	**उत्तर प्रदेश**
पिथौरागढ़	मऊ
टेहरी-गढ़वाल	हरदोई
पश्चिम बंगाल	ललितपुर
माल्दा	हमीरपुर

1	2
पश्चिम दीनाजपुर	बदायूं
मुर्शिदाबाद	फतेहपुर
कूचबिहार	आजमगढ़
बांकुरा	एटा
जलपाईगुड़ी	बाराबंकी
	इटावा
	देवरिया
	गाजीपुर
	बलिया
	जौनपुर
	सीतापुर
	जालौन
	उन्नाव
	फैजाबाद
	कानपुर-देहात
	मैनपुरी
	गोण्डा
	फरूखाबाद
	सुल्तानपुर
	मिर्जापुर
	पश्चिम बंगाल
	पुरूलिया
	मिदनापुर
	वीरभूम

[हिन्दी]

आयकर की ''छह में से एक मद'' योजना

953. **डा. अशोक पटेल :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आयकर की ''छह में से एक मद'' योजना के अन्तर्गत गोरखपुर, बरेली, जोधपुर, कोटा और अन्य कई शहरों को भी शामिल किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई अधिसूचना जारी की गई है;

(घ) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस समय कितने शहरों में यह योजना चल रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार): (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(1) के परन्तुक के तहत यह उस व्यक्ति का उत्तरदायित्व बनता है कि वह अचल सम्पत्ति का आधिपत्य मोटर वाहन का स्वामित्व, टेलीफोन का अंशदान, विदेश यात्रा, क्रेडिट कार्ड और किसी क्लब की सदस्यता, जैसे छह आर्थिक मानदण्डों में से किसी भी एक मानदण्ड को पूरा करने पर आय विवरणी फाइल करे। तीसरे चरण में अन्य शहरों के साथ गोरखपुर, बरेली, जोधपुर, कोटा इस स्कीम के अन्तर्गत शामिल किए गए हैं और 9 अप्रैल, 1999 की आयकर अधिसूचना से 242(ङ) के तहत अधिसूचित किए गए हैं। इस समय इस स्कीम का कार्यान्वयन 54 शहरों में किया जा रहा है।

[अनुवाद]

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण

954. **श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार :**
श्री अशोक प्रधान :
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :
श्री विजय कुमार खन्डेलवाल :

क्या **खान और खनिज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों में अब तक खानों और खनिजों का पता लगाने के लिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा विभिन्न राज्यों में किये गये सर्वेक्षण का ब्यौरा क्या है; और

(ख) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किये गये इस सर्वेक्षण के राज्य-वार निष्कर्ष क्या हैं?

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने कई राज्यों में, विभिन्न खनिजों के बारे में, कुल 501 अन्वेषण किये हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान पाए गए महत्वपूर्ण खनिजों के भंडारों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

राज्य/खनिज		क्षेत्र	अयस्कों के निक्षेप मिलियन टन में
1		2	3
आंध्र प्रदेश			
1.	स्वर्ण	डोना पूर्व खंड	3.76
2.	हीरा	एम्मपल्ले किम्बरलाइट निकाय वजराकर्म क्षेत्र	पाइप रॉक से हीरा मिला है
3.	कोयला	कृष्णावर्म तथा खाम्ममपल्ली क्षेत्र	273
अरूणाचल प्रदेश			
1.	चूना पत्थर/संगमरमर	पूर्व तथा पश्चिम सियांग जिले	79.5
बिहार			
1.	कोयला	केयादा-गंधर्प क्षेत्र उरमा-ओहारिटोला क्षेत्र चौधर-गरियापानी क्षेत्र तथा लाटेहार खंड	344
मध्य प्रदेश			
1.	आधार धातु (सीसा-जस्ता-तांबा)	बांसखापा-पिपरिया, बेतुल जिला	3.15
2.	स्वर्ण	इमलिया खंड, जबलपुर जिला	0.20
3.	कोयला	सुरसा, मेधुलि, सोनदिहा, पुसाल्दा, ओंगाना क्षेत्र तथा पोटिया, नागदारना, कारकोमा, केन्टे खंड	492
मेघालय			
1.	चूनापत्थर/संगमरमर	जयन्तिया हिल्स जिला, लिटांग घाटी	5286 (1998-99)
महाराष्ट्र			
1.	स्वर्ण	मारूपुर-किटारी क्षेत्र पारखोरी पश्चिम खंड, साकोली पट्टी भीमसेन-किल्ला पहाड़ क्षेत्र	0.125 0.895 0.057
	कोयला	बाहमिनि-पालसगांव, राजुरा-मानिकगढ़ तथा जोगापुर-सिरसा खंड	93

1	2	3
उड़ीसा		
प्लेटीनम समूह की धातुएं	बौला-नौसाही	14.20
मैंग्नीज अयस्क	बोलानगिर जिला	1.182
	सुन्दरगढ़ जिला	0.40
कोयला	बगारहिया-औनलि खंड तथा इब-रिवर कोलफील्ड	1601
राजस्थान		
स्वर्ण	भुकिया (पूर्व एवं पश्चिम) खंड, बांसवाड़ा जिला	8.3
	टिमारनमाटा खंड डूंगरपुर जिला	0.20
आधार धातु (सीसा-जस्ता-अयस्क)	लेटियो-का-खेड़ा खंड दरीबा-बेथुम्बी पट्टी	13.73
तमिलनाडु		
मोलिब्डेनम	मारूदापाथि केन्द्रीय खंड	0.484
पश्चिम बंगाल		
कैसियम तथा लीथियम	बेकु पेगमेटाइट जिला	कैसियम तथा लीथियम की अधिक प्राप्ति
कोयला	बिस्तुपुर-दंडेश्वर तथा बांसपेटाली-माजिद क्षेत्र	152

नकदी आरक्षित अनुपात

955. **श्री रामसागर रावत** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों द्वारा निर्धारित नगदी आरक्षित अनुपात में इधर एक प्रतिशत की कटौती की है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों से आम लोगों, छोटे कारीगरों, निर्धन किसानों और गरीबी रेखा से नीचे गुजर-बसर कर रहे लोगों को ऋण मुहैया कराने के लिए कोई मापदंड या कोई नीति या नियम बनाये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान बैंक ऋण मुहैया कराये गये ऐसे लोगों की राज्यवार संख्या क्या है और विशेषकर महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में ऐसे कितने लोग हैं;

(च) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि ऐसे ऋण प्राय: उपरोक्त वर्णित लोगों को नहीं मुहैया कराए जाते हैं बल्कि उन लोगों के नाम पर ऐसे ऋण अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों को अग्रिम तौर पर दे दिये जाते हैं; और

(छ) यदि हां, तो इस दिशा में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक में अर्थव्यवस्था में नकदी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सी.आर.आर.) के नवम्बर, 1999 में दो किस्तों में निवल मांग

एवं अग्रिम दायित्वों (एन.डी.टी.एल.) के 10 प्रतिशत से एक प्रतिशत कम करके 9 प्रतिशत कर दिया है। इससे बैंकों के ऋण योग्य स्त्रोतों में लगभग 7000 करोड़ रु. की वृद्धि होगी।

(ग) और (घ) सरकारी क्षेत्र के बैंक विशिष्ट वर्ग के लोगों/गरीबों/गरीबी के स्तर से नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों को सरकार द्वारा बनाई गई विभिन्न योजनाओं जैसे (1) प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पी.एम.आर.वाई.), (2) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई.आर.डी.पी.), जिसके स्थान पर अब स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) शुरू की गई है, (3) स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर.वाई.), (4) मैला ढोने वालों की मुक्ति एवं पुनर्वास की योजना (एस.एल.आर.एस.), तथा (5) विभेदी ब्याज दर (डी.आर.आई.) योजना के तहत ऋण देते हैं। इन योजनाओं की उल्लेखनीय बातें संलग्न विवरण-I में दी गई हैं।

(ङ) पी.एम.आर.वाई., आई.आर.डी.पी., एस.जे.एस.आर.वाई., एस.एल.आर.एस. तथा डी.आर.आई. योजनाओं के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान दी गई सहायता के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-II, III, IV, V और VI में दिए गये हैं।

महाराष्ट्र में रायगढ़ जिले के सम्बन्ध में सूचना निम्नलिखित है:

(मामलों की संख्या)

	1996-97	1997-98	1998-99
पी.एम.आर.वाई.	946	1078	1052
एस.जे.आर.वाई.	-	331	104

(दिनांक 31.10.99 तक)
(राशि लाख रुपए में)

आई.आर.डी.पी.	910.30	849.51	1265.48

(च) उपर्युक्त (ङ) में बताए गये अनुसार बड़ी संख्या में ऐसे लोगों ने ऋण प्राप्त किए हैं।

(छ) उपर्युक्त (च) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

प्रधानमंत्री रोजगार योजना

इस योजना का उद्देश्य 18 से 35 आयु-वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/भूतपूर्व सैनिकों/शारीरिक रूप से विकलांग तथा महिलाओं के लिए ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट है। योजना के तहत सहायता के पात्र होने के लिए लाभग्राहियों की पारिवारिक आय 24000/- रुपए वार्षिक से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा साथ ही लाभग्राही के माता-पिता की आय भी 24000/- रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। वह उस क्षेत्र में 3 वर्ष से अधिक समय से रह रहा हो। निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता आठवीं उत्तीर्ण है। लाभग्राही से 5% मार्जिन धन के रूप में लाने की अपेक्षा की जाएगी और सरकार परियोजना लागत का 15 प्रतिशत आर्थिक सहायता के रूप में देगी। यह भी व्यवस्था है कि मार्जिन धन एवं आर्थिक सहायता सहायता राशि परियोजना लागत का 20% होगी। पूर्वोत्त क्षेत्र को छोड़कर राज्य/संघ शासित क्षेत्रों में आर्थिक सहायता की उच्चतम सीमा 7500/- रुपए होगी। पूर्वोत्तर क्षेत्र के सात राज्यों में भुगतान योग्य आर्थिक सहायता की उच्चतम सीमा 15000/- रुपए होगी। इसलिए ऋणकर्ताओं द्वारा लाई जाने वाली मार्जिन धनराशि परियोजना लागत के 5% से 16.25% तक होगी। कृषि एवं सम्बद्ध क्रियाकलापों सहित परन्तु फसल लेने/खाद की खरीद आदि जैसे प्रत्यक्ष कृषि कार्यों को छोड़कर सभी आर्थिक रूप से सक्षम क्रियाकलाप अब इस योजना के अन्तर्गत शामिल किए जा रहे हैं। व्यावसायिक क्षेत्र में 1 लाख रुपए तक तथा अन्य क्षेत्रों में 2 लाख रुपए तक की योजनाएं बैंकों द्वारा वित्तपोषण की पात्र होंगी। साझेदारी फर्म परियोजनाओं के मामले में 10 लाख रुपए तक किए जा सकते हैं और ऋण राशि अलग-अलग व्यक्ति की स्वीकार्यता की सीमा तक प्रतिबंधित होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 22.5% तथा अन्य पिछले वर्गों के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। महिलाओं तथा अन्य कमजोर वर्गों को प्राथमिकता दी जाती है। बैंकों से यह भी कहा गया है कि अल्पसंख्यकों के लिए उचित एवं पर्याप्त हिस्सा सुनिश्चित करें। एक लाख रुपए तक की परियोजनाओं के लिए कोई तीसरे पक्ष की गारंटी/संपार्श्व की आवश्यकता नहीं है और योजना के अन्तर्गत अग्रिम राशि मानी जाती है।

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.)

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने समन्वित ग्रामीण विकास योजना (आई.आर.डी.पी.) नामक मौजूदा योजना के स्थान

पर अप्रैल, 1999 से स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं के प्रशिक्षण (टी.आर.वाई.एस.ई.एम.), ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास, (डी.डब्ल्यू.सी.आर.ए.), ग्रामीण शिल्पियों को उन्नत औजारों की आपूर्ति (एस.आई.टी.आर.ए.), गंगा कल्याण योजना (जी.के.वाई.) और एक मिलियन कुआं खोदने की योजना (एम.डब्ल्यू.एस.) नाम से प्रचलित पुनर्गठित कार्यक्रम शुरू किया है। इस योजना का उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में छोटे उद्यमियों को स्थापित करना है। इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक सहायता प्राप्त परिवार को तीन वर्ष में गरीबी रेखा से ऊपर लाना है, यह सहायता उन्हें बैंक ऋण एवं सहकारी सहायता दोनों के जरिए आय-सृजक आस्तियां देकर की जाएगी। किए जाने वाले क्रियाकलाप से कम से कम तीसरे वर्ष में मासिक आय बैंक को 2000/- रुपए की निवल वापसी अदायगी से कम नहीं होनी चाहिए। एस.जी.एस.वाई. एक संपूर्ण कार्यक्रम है। जिसमें गरीबों का स्व-सहायता, जैसे समूहों में संगठक, प्रशिक्षण, ऋण, प्रौद्योगिकी, बुनियादी सुविधा तथा विपणन जैसे स्व-रोजगार के सभी पहलू शामिल हैं। यह योजना केन्द्र एवं राज्यों द्वारा 75:25 आधार पर वित्तपोषित की जाएगी और पंचायत समितियों के जरिए जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों (डी.आर.डी.ए.) द्वारा कार्यान्वित की जाएगी। ऋण राशि की कोई उच्चतम सीमा नहीं है। समूह क्रियाकलापों को प्राथमिकता दी जाएगी। खंड-स्तर पर पता लगाए गये 4-5 मुख्य क्रियाकलापों को सहायता का अधिकांश भाग दिया जाएगा। आर्थिक सहायता अधिकतम 7500/- रु. के अध्यधीन परियोजना लागत के 30% के बराबर होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के संबंध में यह अधिकतम 10,000/- रु. सहित 50% होगी। समूह ऋणों के लिए आर्थिक सहायता 1.25 लाख रुपए अधिकतम सीमा के अध्यधीन परियोजना लागत का 50% होगी। सिंचाई परियोजना के लिए आर्थिक सहायता संबंधी कोई मौद्रिक सीमा नहीं होगी। ऋण पर ब्याज, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी ब्याज-दर संबंधी निदेशों के अनुसार लगाया जाएगा। अलग-अलम व्यक्तियों को 50000/- रु. तक के ऋणों तथा 3 लाख रुपए के समूह ऋणों के लिए बैंक-ऋण से सृजित आस्तियां प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में बैंकों के पास दृष्टिबंधक रखी जाएगी। अलग-अलग व्यक्तियों को दिए गये 50000/- रु. से अधिक तथा 3 लाख रु. के समूह ऋणों के मामले में उपयुक्त मार्जिन धनराशि/अन्य संपार्श्विक प्रतिभूतियां लेने की अनुमति दी गई है। सभी एस.जी.एस.वाई. ऋणों को 5 वर्ष की न्यूनतम वापसी अदायगी अवधि सहित मध्यावधि ऋण माना जाएगा। बैंकों को, जहां कहीं अपेक्षित हो, प्रारम्भिक ऋण-स्थगन देना है। विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत ऋणकर्ताओं के लिए उपलक्ष्य निर्धारित किये गये हैं अर्थात् अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति न्यूनतम 50 प्रतिशत, महिलाएं न्यूनतम 40 प्रतिशत, शारीरिक रूप से विकलांग 3 प्रतिशत।

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर.वाई.)

एस.जे.एस.आर.वाई. योजना दिनांक 1.12.1997 से भारत के सभी शहरी एवं अर्द्धशहरी कस्बों में संचालित है। अन्य संघटकों में, योजना की दो उप-योजनाएं हैं, जिनमें बैंक जमा अन्तर्ग्रस्त है। इनके नाम हैं:- शहरी स्व-रोजगार योजना (यू.एस.ई.पी.) तथा शहरी क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास (डी.डब्ल्यू.सी.यू.ए.)। मार्जिन धनराशि, भागीदारी की भी अनुमति है। डी.डब्ल्यू.सी.यू.ए. के तहत महिला लाभग्राही समूह में स्व-रोजगार उद्यम कर सकती है। डी.डब्ल्यू.सी.यू.ए. समूह में कम से कम 10 शहरी गरीब महिलाएं होनी चाहिए। यह समूह 1,25,000/- रुपए या परियोजना लागत का 50%, जो भी कम हो, आर्थिक सहायता का हकदार है। इसके अलावा, यह समूह, स्वयं भी (थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट) सोसाइटी बना सकती है।

मैला ढोने वालों की मुक्ति एवं पुनर्वास की योजना (एस.एल.आर.एस.):

यह योजना वर्ष 1993 में शुरू की गई थी और आठवीं पंचवर्षीय योजना में भी जारी है। यह योजना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य मैला ढोने वालों तथा उनके आश्रितों को मल एवं गंदगी को हाथ से हटाने के उनके पैतृक एवं घृणित व्यवसाय से मुक्त करना तथा उनका पुनर्वास करना है। इस योजना में देश के सभी मैला ढोने वाले और उनके आश्रित (अनुसूचित जाति एवं गैर-अनुसूचित जाति दोनों मैला ढोने वाले) शामिल हैं। इस योजना के तहत 50,000 रु. तक की लागत वाली परियोजनाएं वित्तपोषित की जा सकती हैं। ऋणकर्ताओं को 10,000 रु. अधिकतम के अध्यधीन परियोजना लागत का 50 प्रतिशत तक आर्थिक सहायता उपलब्ध है। ऋणकर्त्ता राज्य अनुसूचित जाति विकास निगमों से 4 प्रतिशत ब्याज दर पर परियोजना लागत 15 प्रतिशत तक मार्जिन धनराशि भी प्राप्त कर सकते हैं। 6500 रु. तक के सभी ऋण 4 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर डी.आर.आई. ऋण माने जाएंगे। तथापि, जहां ऋण राशि 6500 रु. से अधिक होगी, वहां सम्पूर्ण ऋण पर ब्याज दरों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों के अनुसार ब्याज दर लगेगा। ऋण के लिए प्रतिभूति बैंकों के पक्ष में ऋण/आर्थिक सहायता से सृजित आस्तियों का दृष्टिबंधन

ही होगा। राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम को अपनी मार्जिन धनराशि ऋण सहायता कवर करने के लिए आस्ति पर दूसरा प्रभार/समरूप प्रभार लगाना होगा। सृजित आस्तियों के बने रहने के समय तथा लाभग्राहियों की वापसी अदायगी क्षमता पर निर्भर करते हुए ऋण तीन से सात वर्ष (6 महीने की बढ़ी हुई ग्रेस अवधि सहित) के भीतर वापस किए जाएंगे।

विभेदी ब्याज दर (डी.आर.आई.) योजना

यह योजना भारत सरकार द्वारा 1972 में शुरू की गई थी और पूरे देश में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कार्यान्वित की गई। इस योजना में समाज के कमजोर वर्गों हेतु उत्पादक एवं लाभदायक क्रियाकलापों के लिए 4 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर बैंक वित्त दिए जाने की आवश्यकता है, ताकि उनकी आर्थिक हालत सुधारी जा सके। सीमित साधनों वाले वे व्यक्ति जो कृषि और/या सम्बद्ध क्रियाकलापों, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग, व्यवसाय में लाभदायक क्रियाकलापों में लगे हैं और जिनकी पारिवारिक आय शहरी या अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में 7200 रु. वार्षिक तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 6400 रु. वार्षिक से अधिक नहीं है, वे इस योजना के तहत सहायता के लिए पात्र हैं। इसके अलावा, सहायता के लिए पात्र होने के लिए ऋणकर्त्ता के पास स्वयं की कोई भूमि नहीं होनी चाहिए, यदि उसके पास अपनी स्वयं की भूमि है तो उसके पास एक एकड़ जोत सिंचित भूमि तथा 2.5 एकड़ गैर-सिंचित भूमि से अधिक नहीं होनी चाहिए। जोत संबंधी मानदंड अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के ऋणकर्ताओं के लिए लागू नहीं होंगे। उत्पादक कार्यों के लिए योजना के तहत उपलब्ध अधिकतम सहायता राशि प्रति लाभग्राही 6500 रु. है। 6500 रु. के अतिरिक्त इस योजना के तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को 5000/- रु. प्रति लाभग्राही आवास ऋण भी दिया जा सकता है। बशर्ते कि वे इस योजना के आय-मानदंडों को पूरा करें। लाभदायक क्रियाकलापों में लगे शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को साधन, उपकरण, उपस्कर आदि प्राप्त करने के लिए प्रति लाभग्राही 5000 रु. की अधिकतम सीमा तक वित्तीय सहायता दी जा सकती है। यह सहायता उत्पादक उद्यमों के लिए उपलब्ध 6500 रु. के ऋण के अलावा होगी। इस योजना के तहत दिए गए ऋणों को पांच वर्ष के भीतर वापस करना अपेक्षित है, जिसमें अधिकतम दो वर्ष की ग्रेस अवधि भी शामिल है। इस योजना के तहत कोई प्रतिभूति, मार्जिन धनराशि आदि निर्धारित नहीं है। बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि पिछले वर्ष के अन्त तक अपना कुल अग्रिम राशि का न्यूनतम एक प्रतिशत ऋण दें। इसके अलावा, कुल डी.आर.आई. अग्रिम राशि का 40 प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभग्राहियों को दिया जाना अपेक्षित है। ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्ग अधिकतम लाभ प्राप्त कर सके, इस उद्देश्य से बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे इस योजना के तहत अपनी अग्रिम राशि का न्यूनतम दो तिहाई अपने ग्रामीण एवं अर्द्ध शहरी शाखाओं के जरिए दें।

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों के दौरान शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत मंज़ूर किए गये ऋण आवेदन-पत्रों की संख्या

राज्य का नाम	मंजूर किए गए ऋण आवेदन-पत्रों की संख्या		
	मार्च 1997	मार्च 1998	मार्च 1999
1	2	3	4
1. आन्ध्र प्रदेश	28199	26309	23355
2. अरूणाचल प्रदेश	405	269	205
3. असम	10798	9355	9411

1		2	3	4
4.	बिहार	18227	14071	10672
5.	गोआ	453	313	367
6.	गुजरात	9930	8223	11180
7.	हरियाणा	8220	6202	7783
8.	हिमाचल प्रदेश	2393	2341	2311
9.	जम्मू और कश्मीर	1898	2882	1458
10.	कर्नाटक	15873	17283	16868
11.	केरल	14747	13829	15946
12.	मध्य प्रदेश	32003	30910	29896
13.	महाराष्ट्र	37147	38845	35910
14.	मणिपुर	2041	832	813
15.	मेघालय	419	456	359
16.	मिजोरम	217	286	160
17.	नागालैंड	436	403	165
18.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	1132	996	665

1		2	3	4
19.	उड़ीसा	7563	7962	8324
20.	पंजाब	9325	9354	9529
21.	राजस्थान	10407	12779	13726
22.	सिक्किम	110	87	87
23.	तमिलनाडु	16379	15383	15136
24.	त्रिपुरा	1611	549	939
25.	उत्तर प्रदेश	34217	37798	42667
26.	पश्चिम बंगाल	6850	5103	3551
27.	अंडमान और निकोबार	45	70	94
28.	चंडीगढ़	150	168	103
29.	दादरा नगर हवेली	140	75	37
30.	दमन व दीव	27	23	25
31.	लक्षद्वीप	36	47	33
32.	पांडिचेरी	352	420	425
	अखिल भारत	271768	263623	262206

विवरण-III

पिछले तीन वर्षों के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई.आर.डी.पी.) की योजना के तहत सहायता प्राप्त परिवारों की संख्या

	राज्य का नाम	सहायता प्राप्त परिवारों की संख्या		
		मार्च 1997	मार्च 1998	मार्च 1999
	1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	203135	162117	140880
2.	अरूणाचल प्रदेश	10695	12799	12432
3	असम	23062	39585	47264
4.	बिहार	24106	196685	176213
5.	गोआ	1982	897	895
6.	गुजरात	47545	41822	39598
7.	हरियाणा	17202	10853	16743
8.	हिमाचल प्रदेश	7990	5548	7331
9.	जम्मू और कश्मीर	7929	13643	13992
10.	कर्नाटक	116900	94688	88007
11.	केरल	48690	44191	39836
12.	मध्य प्रदेश	16823	138810	126617

1		2	3	4
13.	महाराष्ट्र	161018	147640	145667
14.	मणिपुर	7256	4258	1638
15.	मेघालय	6822	5167	4219
16.	मिजोरम	3059	2876	3138
17.	नागालैंड	2915	835	3502
18.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	0	0	0
19.	उड़ीसा	91249	75343	105008
20.	पंजाब	7160	6107	10357
21.	राजस्थान	70304	60819	62922
22.	सिक्किम	1483	1792	1937
23.	तमिलनाडु	152597	180696	142813
24.	त्रिपुरा	13725	4911	18816
25.	उत्तर प्रदेश	364552	351146	391832
26.	पश्चिमी बंगाल	110280	91733	71134
27.	अंडमान और निकोबार	591	628	604

1		2	3	4
28.	चंडीगढ़	0	0	0
29.	दादरा नगर हवेली	168	179	119
30.	दमन व दीव	178	188	71
31.	लक्षद्वीप	30	27	9
32.	पांडिचेरी	1293	1107	1317
	अखिल भारत	1888959	1697090	1674911

विवरण-IV

पिछले दो वर्षों के दौरान स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के तहत मंजूर किए गए ऋण आवेदन-पत्रों की संख्या

	राज्य का नाम	मंजूर किए गए ऋण आवेदन-पत्रों की संख्या	
		मार्च 1998	मार्च 1999
	1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	3	637
2.	अरूणाचल प्रदेश	0	0
3.	असम	0	36
4.	बिहार	7	331
5.	गोआ	0	26
6.	गुजरात	230	2845
7.	हरियाणा	0	429

1		2	3
8.	हिमाचल प्रदेश	10	26
9.	जम्मू और कश्मीर	0	1392
10.	कर्नाटक	0	150
11.	केरल	4	78
12.	मध्य प्रदेश	1558	27403
13.	महाराष्ट्र	73	3842
14.	मणिपुर	0	0
15.	मेघालय	0	0
16.	मिजोरम	0	0
17.	नागालैंड	0	0
18.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	0	0
19.	उड़ीसा	0	1837
20.	पंजाब	9	188
21.	राजस्थान	166	3762
22.	सिक्किम	0	16
23.	तमिलनाडु	33	101
24.	त्रिपुरा	0	0

1		2	3
25.	उत्तर प्रदेश	12	29452
26.	पश्चिम बंगाल	0	269
27.	अंडमान और निकोबार	0	1
28.	चंडीगढ़	0	13
29.	दादरा नगर हवेली	0	1
30.	दमन व दीव	0	12
31.	लक्षद्वीप	0	0
32.	पांडिचेरी	0	93
	अखिल भारत	2105	73270

विवरण-V

पिछले तीन वर्षों के दौरान मैला ढोने वालों की मुक्ति एवं पुनर्वास (एस.एल.आर.एस.) की योजना के तहत मंजूर किए गये ऋण आवेदन-पत्रों की संख्या

राज्य का नाम		मंजूर किए गए ऋण आवेदन पत्रों की संख्या		
		मार्च 1997	मार्च 1998	मार्च 1999
1		2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	643	646	408
2.	अरूणाचल प्रदेश	0	0	0
3.	असम	61	148	46

1		2	3	4
4.	बिहार	126	42	17
5.	गोआ	0	2	0
6.	गुजरात	1464	953	1246
7.	हरियाणा	1228	1246	1120
8.	हिमाचल प्रदेश	179	157	68
9.	जम्मू और कश्मीर	71	40	1
10.	कर्नाटक	1355	1336	782
11.	केरल	5	6	0
12.	मध्य प्रदेश	4671	3731	3390
13.	महाराष्ट्र	1705	1153	1225
14.	मणिपुर	0	0	0
15.	मेघालय	0	27	0
16.	मिजोरम	0	0	0
17.	नागालैंड	0	0	0
18.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	1206	570	380

1		2	3	4
19	उड़ीसा	881	1127	479
20.	पंजाब	513	307	197
21.	राजस्थान	3329	1956	844
22.	सिक्किम	0	0	0
23.	तमिलनाडु	3482	3562	1754
24.	त्रिपुरा	0	0	0
25.	उत्तर प्रदेश	38048	14263	8406
26.	पश्चिमी बंगाल	115	138	78
27.	अंडमान और निकोबार	0	0	0
28.	चंडीगढ़	0	0	13
29.	दादरा नगर हवेली	0	0	0
30.	दमन व दीव	0	0	0
31.	लक्षद्वीप	0	0	0
32.	पांडिचेरी	0	0	1
	अखिल भारत	59082	31410	20455

विवरण-VI

पिछले तीन वर्षों के दौरान विभेदक ब्याज-दर योजना के तहत किए गये संवितरण

राज्य का नाम		मंजूर किए गए ऋण आवेदन-पत्रों की संख्या		
		मार्च 1995	मार्च 1996	मार्च 1997
1		2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	79994	39270	20518
2.	अरूणाचल प्रदेश	12	40	48
3.	असम	935	1477	1342
4.	बिहार	11056	4368	6074
5.	गोआ	1018	627	686
6.	गुजरात	2079	1253	7069
7.	हरियाणा	2186	2144	3783
8.	हिमाचल प्रदेश	2371	3678	1114
9.	जम्मू और कश्मीर	294	304	84
10.	कर्नाटक	16558	14994	8406
11.	केरल	23214	11835	16691
12.	मध्य प्रदेश	4112	7174	3963
13.	महाराष्ट्र	25818	35666	36730

1		2	3	4
14.	मणिपुर	127	257	70
15.	मेघालय	54	193	148
16.	मिजोरम	15	52	243
17.	नागालैंड	126	344	155
18.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	2758	3164	4053
19.	उड़ीसा	3942	12730	5425
20.	पंजाब	3982	3474	4001
21.	राजस्थान	2939	2278	3088
22.	सिक्किम	26	32	24
23.	तमिलनाडु	30517	22455	14123
24.	त्रिपुरा	39	119	46
25.	उत्तर प्रदेश	10227	6953	8451
26.	पश्चिम बंगाल	3016	2042	8942
27.	अंडमान और निकोबार	146	62	643
28.	चंडीगढ़	114	746	251

1		2	3	4
29.	दादरा नगर हवेली	0	0	0
30.	दमन व दीव	0	26	97
31.	लक्षद्वीप	34	41	20
32.	पांडिचेरी	340	455	263
	अखिल भारत	228049	178253	156561

आयात-निर्यात नीति

956. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संशोधित आयात-निर्यात नीति में लेन-देन लागत को कम करने पर बल दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस नीति में भारतीय निर्यातकों को किस सीमा तक कार्य करने का एक समान वातावरण उपलब्ध कराया गया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) से (ग) सरकार ने भारतीय निर्यातों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने और सौदों की लागत और समय को कम करने के लिए विविध उपाय शुरू किए हैं। ताकि भारतीय निर्यातकों को समान अवसर उपलब्ध करवाए जा सकें। इन उपायों में शामिल हैं:- वस्तु क्षेत्र और रसायनों के कुछ उपक्षेत्रों पर शून्य शुल्क ई.पी.सी.जी. योजना को लागू करना; समुद्री उत्पाद एवं साफ्टवेयर क्षेत्रों के लिए शून्य शुल्क ई.पी.सी.जी. योजना के अंतर्गत अतिरिक्त सीमा शुल्क से छूट प्रदान करना; वार्षिक अग्रिम लाइसेंस योजना को शुरू करना; ई.ओ.यू./ई.पी.जैड. योजना को युक्ति संगत बनाना; सेवाओं के निर्यात को मान्यता प्रदान करना; निर्णय लेने की प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण और विभिन्न श्रेणियों के आवेदनों के समयबद्ध निपटान में स्वचालन। निर्यातकों और सरकारी एजेंसियों के बीच संपर्क के अवसरों को कम करने के प्रयोजन से कार्यालयों को कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है।

नीति का समग्र उद्देश्य भारतीय निर्यातकों को हो रही कुछ असुविधाओं को समाप्त करना है।

राज्यों की बकाया गारंटी

957. श्री अशोक ना. मोहोल : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्यों की बकाया गारंटियां 12 प्रतिशत की वार्षिक मिश्रित वृद्धि दर से बढ़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य की बकाया गारंटियां क्या हैं; और

(ग) गारंटियों पर अधिक तय सीमा निर्धारण करने हेतु मानदंडों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) संविधान के अनुच्छेद 293 के अन्तर्गत राज्य संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर गारंटियां देने में सक्षम हैं। केन्द्रीय सरकार राज्यों की गारंटियों के अनुवीक्षण से सीधे संबंधित नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार राज्यों की गारंटियां मार्च, 1992 के अंत

में 40318 करोड़ रुपए से बढ़कर सितम्बर, 1998 के अंत में 79625 करोड़ रुपए हो गई, जो 12.01 प्रतिशत प्रतिवर्ष की मिश्रित वृद्धि दर प्रतिबिंबित करती हैं। केन्द्रीय सरकार ने राज्यों की गारंटियों की सीमा तय करने के लिए किन्हीं मानदण्डों का निर्धारण नहीं किया है।

बैंक कर्मचारियों के वेतनमान

958. **श्री प्रभुनाथ सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बैंक कर्मचारियों के वेतनमान में संशोधन का मामला 'इंडियन बैंक्स एसोसिएशन' में लम्बे समय से लम्बित है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ग) कब तक वेतनमान में संशोधन किये जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) बैंकिंग उद्योग में वेतन समझौता, बैंक प्रबंधन का प्रतिनिधित्व करने वाली भारतीय बैंक संघ (आई.बी.ए.) तथा कर्मकार यूनियन/अधिकारी संघ के प्रतिनिधियों के बीच, बातचीत की प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। व्यापक विचार-विमर्श के बाद नौ कर्मकार यूनियनों/अधिकारी संघों वाले बैंक के संयुक्त मंच (यूनाइटेड फोरम) तथा भारतीय बैंक संघ ने 11.3.99 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जिसमें दोनों पक्षों ने अधिवर्षिता लाभ समेत दिनांक 31.3.97 की स्थिति के अनुसार, आधार वेतन स्तर पर 12.25% की वृद्धि किए जाने के वेतन समझौते पर अपनी सहमति व्यक्त की थी। यह समझौता 1.11.97 से प्रभावी होना था। इस समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन के तरीकों का पता लगाने के लिए, जिसमें पेंशन की राशि का हिस्सा, महंगाई भत्ते का विलय, नए वेतनमान का निर्धारण आदि शामिल हैं, आई.बी.ए. तथा यूनियनों/संघों के बीच बातचीत अभी भी चल रही है।

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण रोकना

959. **श्री महबूब जाहेदी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋणों को रोके जाने के कारण विकास वृद्धि दर 5.8 प्रतिशत गिर गई है;

(ख) क्या जून 1999 के 105 डालर के मुकाबले 1998 में भारत का विश्व बैंक ऋण 210 डॉलर था; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा देश में विकास संबंधी कार्य को पूरा किए जाने हेतु क्या कदम उठाये जाने की योजना बन रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, नहीं। केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार समग्र संवृद्धि में जिसे स्थिर कीमतों (1993-94) में उपादान कारक पर सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि द्वारा मापा गया है, वर्ष 1997-98 में 5 प्रतिशत से बढ़ोत्तरी होकर यह 1998-99 में 6 प्रतिशत हो गयी।

(ख) जी, नहीं। विश्व बैंक के वित्तीय वर्ष 1999 में, विश्व बैंक की सहायता से चलने वाली नयी परियोजनाओं के लिए वचनबद्धता वित्तीय वर्ष 1998 में 2139.40 मिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 1053.80 मिलियन अमरीकी डालर थी। तथापि, भारतीय वित्त वर्ष 1998 तथा 1999 के दौरान संवितरण क्रमशः 1339 मिलियन अमरीकी डालर तथा 1441.76 मिलियन अमरीकी डालर था। चूंकि पहले से स्वीकृत ऋणों के संबंध में संवितरण जारी रहेगा, इसलिए इन परियोजनाओं को निरन्तर कार्यान्वित किया जाएगा।

(ग) नौवीं योजना के दस्तावेज के अनुसार, कुल आयोजना निवेश की केवल 7 प्रतिशत कुल निवल विदेशी सहायता उपलब्ध करायी गयी है और इसलिए इस समस्या पर काबू पाया जा सकता है।

[हिन्दी]

हथकरघा बुनकरों की दशा

960. **श्री राजो सिंह** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में विशेष रूप से बिहार में हथकरघा बुनकरों की दशा की जानकारी है जहां वे अत्यन्त गरीबी के कारण आत्महत्या कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार बुनकरों द्वारा की गई आत्महत्या के कितने मामले सामने आए हैं;

(ग) क्या सरकार ने देश में हथकरघा बुनकरों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए कोई ठोस योजना तैयार करने/कार्यान्वित करने का कोई निर्णय लिया है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान वस्त्र उद्योग में बेरोजगार हुए कामगारों की संख्या कितनी है और नई आर्थिक नीति के लागू होने से कितने कामगार भुखमरी की कगार पर हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) बिहार सरकार ने सूचित किया है कि अत्यन्त गरीबी के कारण हथकरघा बुनकरों द्वारा आत्महत्या की घटना की कोई सूचना उन्हें प्राप्त नहीं हुई है। भारत सरकार को भी इस प्रकार की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारत सरकार बिहार सहित देश में हथकरघा बुनकरों के कल्याण तथा हथकरघा उद्योग के समग्र विकास के लिए राज्य सरकारों द्वारा कई विकासात्मक एवं कल्याण स्कीमों के कार्यान्वयन हेतु सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

(घ) 1997-98 के अन्तिम वर्ष के दौरान देश में लगभग 70,000 हथकरघा बुनकर जनता कपड़ा के उत्पादन में लगाये गये थे। केन्द्रीय सरकार ने पहले 8वीं योजना अवधि के अन्त में स्कीम को समाप्त करने का निर्णय लिया था। अत: सरकार ने आधारभूत ढांचे के विकास हेतु वित्तीय सहायता देने के लिए विभिन्न स्कीमों के द्वारा प्रशिक्षण प्रदान करके बुनकरों की क्षमता उन्नयन तथा उनके वित्तीय आधार को भी सुदृढ़ करने हेतु कई उपाय किये गये हैं।

[अनुवाद]

उत्तर कोरियाई पोत

961. श्री विलास मुत्तेमवार :
श्रीमती श्यामा सिंह :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात में सीमा शुल्क प्राधिकारियों ने जून/जुलाई, माह 1999 में कांडला पत्तन पर उत्तर कोरियाई पोत को रोका था;

(ख) यदि हां, तो सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा जब्त किए गए दस्तावेजों/मशीनरी "पार्ट्स" का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उस पोत के जरिए अनेक महत्वपूर्ण रक्षा/मिसाइल से संबंधित मशीनरियों की पाक को तस्करी की जा रही थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं, और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार): (क) जी हां।

(ख) अस्त्र-शस्त्र अधिनियम, 1959 के उपबंधों के साथ पठित सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के उपबंधों के अधीन दिनांक 11.7.1999 को एक सौ अड़तालीस (148) बक्से जब्त किए गए थे। इन बक्सों के बारे में यह बताया गया था कि इसमें "मशीन तथा जल-परिशोधन उपकरण" हैं, लेकिन विशेषज्ञों की सहायता से इनकी विस्तृत जांच करने पर इनमें मिसाइलों को बनाने के लिए मशीनों सहित मिसाइलों के विभिन्न पुर्जे तथा संघटक, मिसाइलों से संबंधित हस्तलिखित नोट बुक, मुद्रित पुस्तकें, प्रिंटिंग डिजाइन तथा ब्लू प्रिंट आदि पाए गए। इसके पश्चात् "कू वॉल सैन" नामक जहाज को जब्त कर लिया गया था।

(ग) और (घ) इस बात को साबित करने के लिए सरकार के पास कोई ठोस सबूत उपलब्ध नहीं है कि उक्त जहाज पर पाई गई प्रतिरक्षा/मिसाइल से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण मशीनों/संघटकों/दस्तावेजों को तस्करी करके पाकिस्तान ले जाया जा रहा था। उपर्युक्त, उत्तरी कोरियाई जहाज के स्टीमर एजेंटों द्वारा दायर की गई आयात माल सूची के अनुसार, इस माल को मैसर्स माल्टा इकनामिक ज्वाइंट कारपोरेशम, माल्टा को सौंपा जाना था। तथापि, उक्त जहाज को निरुद्ध करने से पूर्व प्राप्त गुप्त जानकारी से पता चला था कि प्रत्यक्ष रूप से माल्टा ले जाए जाने वाले लकड़ी के बक्सों में शस्त्र तथा गोला-बारूद रखा गया था जिसे कराची बंदरगाह पर उतारा जाना था। जहाज को निरुद्ध करने तथा उसकी विस्तृत जांच करने पर, उपर्युक्त वस्तुएं पाई गई थीं तथा इन्हें जहाज सहित जब्त कर लिया गया था। विस्तृत जांच-पड़ताल के पश्चात्, अब संबंधित व्यक्तियों को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन 'कारण बताओ नोटिस' जारी कर दिए गए हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का विनिवेश

962. डा. वी. सरोजा : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के विनिवेश हेतु क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं;

(ख) विनिवेश हेतु प्रस्तावित सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की संख्या और ब्यौरा क्या है;

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों का विनिवेश कब तक पूरा हो जाएगा;

(घ) विनिवेश से कितनी धनराशि एकत्र होने का अनुमान है; और

(ङ) धन का उपयोग किस प्रकार से किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश आयोग की सिफारिशों के आधार पर विनिवेश किया जा रहा है।

(ख) और (ग) अब तक आयोग ने सरकारी क्षेत्र के 58 उद्यमों को शामिल करते हुए 12 रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं। इन रिपोर्टों में, आयोग ने सरकारी क्षेत्र के 8 उद्यमों में कारोबार बिक्री, सरकारी क्षेत्र के 5 उद्यमों में पूंजी बाजार के माध्यम से शेयरों की पेशकश, सरकारी क्षेत्र के 28 उद्यमों में विभिन्न अनुपातों में अनुकूल बिक्री, सरकारी क्षेत्र के 5 उद्यमों में परिसंपत्तियों को बंद करने/उनकी बिक्री की सिफारिश की है तथा सरकारी क्षेत्र के 12 उद्यमों के संबंध में इसने वर्तमान में कोई विनिवेश न किए जाने की सिफारिश की है। ये सिफारिशें कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं पर हैं।

(घ) विनिवेश की सम्पूर्ण प्रक्रिया के लिए ऐसा कोई अनुमान तैयार नहीं किया गया है।

(ङ) यह धन भारत की समेकित निधि में जमा कर दिया जाएगा।

अपराह्न 12.06 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

खान और खनिज मंत्री (श्री नवीन पटनायक): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) नेवेली लिग्नाईट कारपोरेशन लिमिटेड और कोयला मंत्रालय के बीच वर्ष 1999-2000 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 235/99]

(2) हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, और इस्पात और खान मंत्रालय, खान विभाग के बीच वर्ष 1999-2000 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 236/99]

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) केन्द्रीय सिल्क बोर्ड, बंगलौर के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय सिल्क बोर्ड, बंगलौर का वर्ष 1997-98 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) केन्द्रीय सिल्क बोर्ड, बंगलौर के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 237/99]

(3) (एक) परिधान निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) परिधान निर्यात संवर्धन परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 238/99]

(4) (एक) वूल एण्ड वूलन्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वूल एण्ड वूलन्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 239/99]

(5) जूट **पैकेज** सामग्री (वस्तु पैकिंग अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 की धारा 3 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का.आ. 526(अ) जो 1 जुलाई, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें यह निदेश दिया गया था कि 1 जुलाई, 1999 से उसमें विनिर्दिष्ट वस्तुओं की पूर्ति अथवा वितरण जूट पैकिंग सामग्री में किया जाएगा, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 240/99]

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री डा. वल्लभभाई कथीरिया): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) टायर कारपोरेशन इंडिया लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) टायर कारपोरेशन इंडिया लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1998-99 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 241/99]

(ख) (एक) एन्ड्रयू यूले एण्ड कंपनी लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) एन्ड्रयू यूले एण्ड कंपनी लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1998-99 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 242/99]

(ग) (एक) नेशनल इन्स्ट्रूमेन्ट्स लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) नेशनल इन्स्ट्रूमेन्ट्स लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1998-99 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 243/99]

(2) एन्ड्रीय यूले एण्ड कम्पनी लिमिटेड तथा उद्योग मंत्रालय, भारी उद्योग विभाग के बीच वर्ष 1999-2000 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 244/99]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं:

1. आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) आय-कर (आठवां संशोधन) नियम, 1999 जो 18 मई, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 352(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) आय-कर (10वां संशोधन) नियम, 1999 जो 28 मई, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 395(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) आय-कर (इक्कीसवां संशोधन) नियम, 1999 जो 25 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 499(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) आय-कर (सत्ताईसवां संशोधन) नियम, 1999 जो 6 जुलाई, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 543(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) आय-कर (अठाईसवां संशोधन) नियम, 1999 जो 10 सितम्बर, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना का.आ. 737(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) का.आ. 242(अ) जो 9 अप्रैल, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए तथा जिनके द्वारा नगर बस्ती के अन्तर्गत क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट किया गया है।

(सात) का.आ. 243(अ) जो 9 अप्रैल, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उसमें उल्लिखित 19 नगरों में आवासीय और व्यवसायिक प्रयोजनों हेतु प्रयोग की जा रही स्थावर संपत्तियों को विनिर्दिष्ट किया गया है।

(आठ) का.आ. 473(अ) जो 21 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उसमें उल्लिखित व्यक्तियों के वर्ग को अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण हेतु अभ्यर्थियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

(नौ) का.आ. 773(अ) जो 20 सितम्बर, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए लागत मुद्रा स्फीर्ति सूचकांक विनिर्दिष्ट किया गया है तथा 20 अगस्त, 1998 की अधिसूचना संख्या का.आ. 709(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दस) का.आ. 89(अ) जो 9 फरवरी, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें 22 अक्तूबर, 1998 की अधिसूचना संख्या का.आ. 919(अ) का शुद्धिपत्र अंतर्विष्ट है।

(ग्यारह) का.आ. 90(अ) जो 9 फरवरी, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें 22 अक्तूबर, 1998 की अधिसूचना संख्या का.आ. 920(अ) का शुद्धिपत्र अंतर्विष्ट है।

(बारह) का.आ. 328(अ) जो 12 मई, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें 29 अक्तूबर, 1998 की अधिसूचना संख्या का.आ. 939(अ) का शुद्धिपत्र अंतर्विष्ट है।

(तेरह) का.आ. 793(अ) जो 28 सितम्बर, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें 20 सितम्बर, 1999 की अधिसूचना संख्या का.आ. 773(अ) का शुद्धिपत्र अंतर्विष्ट है।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 245/99]

(2) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 763(अ) जो 9 नवम्बर, 1999 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अधीन दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड तथा ताइवान में उद्भूत अथवा वहां से आयातित नॉयलान टायर कोर्ड फैब्रिक पर उसमें विनिर्दिष्ट दरों पर अस्थायी रूप से प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 773(अ) जो 15 नवम्बर, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय तुर्की में उद्भूत अथवा वहां से आयातित एक्रिलिक फाइबर पर उसमें विनिर्दिष्ट दरों पर अस्थायी रूप से प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 776(अ) जो 17 नवम्बर, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से आयातित, जब वह विनिर्दिष्ट निर्यातकों द्वारा वहां से निर्यात किया गया हो, बेरियम कार्बोनेट पर उसमें विनिर्दिष्ट दर पर अस्थायी रूप से प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 246/99]

(3) साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 17क की उपधारा (5) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) साधारण बीमा (अधिकारियों के वेतनमानों और अन्य सेवा शर्तों सुव्यवस्थीकरण) दूसरा संशोधन योजना, 1998, जो 27 अगस्त, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 729(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(दो) साधारण बीमा (विकास कर्मचारियों के वेतनमानों और अन्य सेवा शर्तों का सुव्यवस्थीकरण) संशोधन योजना, 1998, जो 27 अगस्त, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 730(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(तीन) साधारण बीमा (पर्यवेक्षक, लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारियों के वेतनमानों और अन्य सेवा शर्तों का सुव्यवस्थीकरण और संशोधन) दूसरा संशोधन योजना, 1998, जो 27 अगस्त, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 731(अ) में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 247/99]

(4) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 48 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय जीवन बीमा निगम श्रेणी-I अधिकारी (सेवा के निबंधन और शर्तों का संशोधन) संशोधन नियम, 1998, जो 27 अगस्त, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 530(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय जीवन बीमा निगम विकास अधिकारी (सेवा के निबंधन और शर्तों का संशोधन) संशोधन नियम, 1998 जो 27 अगस्त, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 531(अ) में तथा जिसका शुद्धि-पत्र 22 फरवरी, 1998 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 128(अ) में केवल अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) भारतीय जीवन बीमा निगम श्रेणी-III और श्रेणी-IV कर्मचारी (सेवा के निबंधन और शर्तों का संशोधन) दूसरा संशोधन, 1998, जो 27 अगस्त, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 532(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 248/99]

(5) जीवन बीमा अधिनियम, 1956 की धारा 49 की उपधारा (3) के अंतर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम (शिक्षु विकास अधिकारियों की भर्ती) विनियम, 1998 जो 2 फरवरी, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 53(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 249/99]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) इंडिया टी एण्ड रेस्टोरेन्ट्स लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडिया टी एण्ड रेस्टोरेन्ट्स लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 1998-99 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 250/99]

(3) (एक) निर्यात निरीक्षण परिषद और निर्यात निरीक्षण एजेन्सिज (खंड-एक और दो) के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) निर्यात निरीक्षण परिषद और निर्यात निरीक्षण एजेन्सिज (खंड-एक और दो) के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 251/99]

(5) (एक) काउंसिल फार लेदर एक्सपोर्ट, चेन्नई के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) काउंसिल फार लेदर एक्सपोर्ट, चेन्नई के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 252/99]

(6) (एक) टी बोर्ड, कलकत्ता के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) टी बोर्ड, कलकत्ता के वर्ष 1997-98 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) टी बोर्ड, कलकत्ता के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 253/99]

(8) एम.एम.टी.सी. लिमिटेड और वाणिज्य मंत्रालय के बीच वर्ष 1999-2000 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 254/99]

(9) (एक) चाय अधिनियम, 1953 की धारा 49 की उपधारा (3) के अन्तर्गत जारी चाय अपशिष्ट (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1998 जो 23 दिसम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 763 (अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 255/99]

(10) अधिसूचना संख्या का.आ. 1086(अ) जो 11 नवम्बर, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी जिसके द्वारा 4 अप्रैल, 1999 की अधिसूचना संख्या का.आ. 287(अ) में कतिपय संशोधन किये गये हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 256/99]

(11) (एक) बेसिक कैमीकल्स, फार्मास्यूटिकल्स एण्ड कास्टमैटिक्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बेसिक कैमीकल्स, फार्मास्यूटिकल्स एण्ड कास्टमैटिक्स. एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 257/99]

(13) (एक) कैमीकल्स एण्ड एलाइड प्रोडेक्ट्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल (सीएपीईएक्सआईएल), कलकत्ता के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कैमांकल्स एण्ड एलाइड प्रोडेक्ट्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल (सीएपीईएक्सआईएल), कलकत्ता के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 258/99]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): महोदय, डा. रमण की ओर से मैं निम्ननलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन निम्नलिखित अधसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 490(अ) जो 24 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसमें श्री स्टार पेपर मिल्स लिमिटेड, उत्तर प्रदेश को अखबारी कागज का उत्पादन करने वाली मिल के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(दो) का.आ. 491(अ) जो 24 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसमें चांदपुर इंटरप्राइजेज लिमिटेड, नुरपुर रोड, चांदपुर, उत्तर प्रदेश को अखबारी कागज का उत्पादन करने वाली मिल के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(तीन) का.आ. 764(अ) जो 15 सितम्बर, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसमें कोस्टल पेपर्स लिमिटेड, आंध्र प्रदेश को अखबारी कागज का उत्पादन करने वाली मिल के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(चार) का.आ. 1026 (अ) जो 11 अक्तूबर, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसमें विष्णुप्रिया पेपर मिल प्राइवेट लिमिटेड, तमिलनाडु को अखबारी कागज का उत्पादन करने वाली मिल के रूप में अधिसूचित किया गया है।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 259/99]

(2) पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 160 के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) पेटेंट (संशोधन) नियम, 1999 जो 2 जून, 1999 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 411 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) पेटेंट (दूसरा संशोधन) नियम, 1999 चो 19 नवम्बर, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1148 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 260/99]

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

अधिसूचना संख्या का.आ. 408(अ) जो 2 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसका आशय हथकरघा (उत्पादनार्थ वस्तु आरक्षण) अधिनियम, 1985 की धारा 3 के

अधीन जारी 26 जुलाई, 1996 की अधिसूचना संख्या का.आ. 557(अ) में संशोधन करना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 261/99]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 36 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) ऋण वसूली अपील अधिकरण, मुम्बई (समूह ग और घ पद) (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 1998 जो 9 जनवरी, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 10 में प्रकाशित हुए थे तथा इस अधिसूचना का एक शुद्धि पत्र जो 13 मार्च, 1999 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 67 में प्रकाशित हुआ था।

(दो) ऋण वसूली अधिकरण, कलकत्ता (समूह ग और घ पद) (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 1998 जो 9 जनवरी, 1999 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 11 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) ऋण वसूली अधिकरण, अहमदाबाद (समूह ग और घ पद) (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 1998 जो 9 जनवरी, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 12 में प्रकाशित हुए थे तथा इस अधिनियम का एक शुद्धि पत्र जो 13 मार्च, 1999 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 68 में प्रकाशित हुआ था।

(चार) ऋण वसूली अधिकरण, बंगलौर (समूह ग और घ पद) (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 1998 जो 9 जनवरी, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 13 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) ऋण वसूली अधिकरण, बंगलौर (समूह ग और घ पद) (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 1998 जो 9 जनवरी, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 14 में प्रकाशित हुए थे और इस अधिसूचना का एक शुद्धि पत्र जो 13 मार्च, 1999 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 69 में प्रकाशित हुआ था।

(छह) ऋण वसूली अधिकरण, चेन्नई (समूह ग और घ पद) (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 1998 जो 9 जनवरी, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 15 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) ऋण वसूली अधिकरण, गुवाहाटी (समूह ग और घ पद) (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 1998 जो 9 जनवरी, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 16 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) ऋण वसूली अधिकरण, पटना (समूह ग और घ पद) (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 1998 जो 9 जनवरी, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 70 में प्रकाशित हुए थे और इस अधिसूचना का एक शुद्धि पत्र जो 13 मार्च, 1999 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 17 में प्रकाशित हुआ था।

(नौ) ऋण वसूली अधिकरण, मुम्बई (समूह ग और घ पद) (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 1998 जो 9 जनवरी, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 18 में प्रकाशित हुए थे और इस अधिसूचना का एक शुद्धि पत्र जो 13 मार्च, 1999 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 71 में प्रकाशित हुआ था।

(दस) ऋण वसूली अधिकरण, जबलपुर (समूह ग और घ पद) (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 1998 जो 9 जनवरी, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 19 में प्रकाशित हुए थे और इस अधिसूचना का एक शुद्धि पत्र जो 13 मार्च, 1999 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 72 में प्रकाशित हुआ था।

(ग्यारह) ऋण वसूली अधिकरण, दिल्ली (समूह ग और घ पद) (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 1998 जो 9 जनवरी, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 20 में प्रकाशित हुए थे और इस अधिसूचना का एक शुद्धि पत्र जो 13 मार्च, 1999 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 73 में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 262/99]

(2) 31 मार्च, 1998 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कार्यकरण के बारे में समेकित प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 263/99]

(3) (एक) वर्ष 1998-99 के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, मुम्बई के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वर्ष 1998-99 के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, मुम्बई के कार्यकरण के बारे में सरकार द्वारा की गई समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) वर्ष 1998-99 के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, मुम्बई के वार्षिक प्रतिवेदन का सांख्यिकीय विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 264/99]

(4) 31 मार्च, 1999 को समाप्त हुए वर्ष के लिए निम्नलिखित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदनः-

(एक) कोरापुट पंचबटी ग्राम्य बैंक, जयपुर (उड़ीसा)

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 265/99]

(दो) लखमी गाउंलिया बैंक, गोलाघाट (असम)

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 266/99]

(तीन) त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, अगरतला (त्रिपुरा)

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 267/99]

(चार) ठाणे ग्रामीण बैंक, ठाणे (महाराष्ट्र)

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 268/99]

(पांच) औरंगाबाद जालना ग्रामीण बैंक, औरंगाबाद (महाराष्ट्र)

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 269/99]

(छः) का बैंक नान गायकडांग री खासी जैंतिया, शिलांग (मेघालय)

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 270/99]

(सात) पलामू क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, डाल्टनगंज (बिहार)

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 271/99]

(आठ) इलाकई देहाती बैंक, श्रीनगर (जम्मू-कश्मीर)

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 272/99]

(नौ) कनकदुर्ग ग्रामीण बैंक, गुडीवड़ा (आंध्र प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 273/99]

(दस) निमाड़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, खरगोन (मध्य प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 274/99]

(ग्यारह) बीकानेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बीकानेर (राजस्थान)

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 275/99]

(बारह) जयपुर नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक, जयपुर (राजस्थान)

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 276/99]

(तेरह) गिरिडीह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, गिरिडीह (बिहार)

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 277/99]

(चौदह) जमुना ग्रामीण बैंक, आगरा (उत्तर प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 278/99]

(पन्द्रह) रांची क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रांची (बिहार)

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 279/99]

(सोलह) रत्नागिरी सिंधुदुर्ग ग्रामीण बैंक, रत्नागिरी (महाराष्ट्र)

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 280/99]

(सत्रह) अलकनंदा ग्रामीण बैंक, पौढ़ी (गढ़वाल) (उत्तर प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 281/99]

(अठारह) इन्दौर उज्जैन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इन्दौर (मध्य प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 282/99]

(उन्नीस) मारवाड़ ग्रामीण बैक, पाली मारवाड़ (राजस्थान)

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 283/99]

(बीस) कटक ग्राम्य बैंक, कटक (उड़ीसा)

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 284/99]

(इक्कीस) पिनाकिनी ग्रामीण बैंक, नेल्लोर (आंध्र प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 285/99]

(बाईस) वल्लालर ग्राम बैंक, कुड्डालौर (तमिलनाडु)

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 286/99]

(तेईस) नाडिया ग्रामीण बैंक, कृशनगर (पश्चिम बंगाल)

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 287/99]

(चौबीस) राजगढ़ सिहौर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सिहौर (मध्य प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 288/99]

(पच्चीस) इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इटावा (उत्तर प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 289/99]

(छब्बीस) सुरेन्द्रनगर भावनगर ग्राम्य बैंक, सुरेन्द्रनगर (गुजरात)

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 290/99]

(सत्ताईस) बोलांगिर आंचलिक ग्राम्य बैंक, बोलांगिर (उड़ीसा)

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 291/99]

(अठाईस) श्री सातवाहन ग्रामीण बैंक, करीम नगर (आंध्र प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 292/99]

(उनतीस) भागलपुर बांका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भागलपुर (बिहार)

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 293/99]

(तीस) श्रावस्ती ग्रामीण बैंक, बहराईच (उत्तर प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 294/99]

(इकतीस) काशी ग्रामीण बैंक, वाराणसी (उत्तर प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 295/99]

(बत्तीस) रायबरेली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रायबरेली (उत्तर प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 296/99]

(तैंतीस) बुंदेलखंड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, टीकमगढ़ (मध्य प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 297/99]

(चौंतीस) चन्द्रपुर गढ़चिरौली ग्रामीण बैंक, चन्द्रपुर (महाराष्ट्र)

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 298/99]

(पैंतीस) प्रतापगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, प्रतापगढ़ (उत्तर प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 299/99]

(छत्तीस) गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, गोरखपुर (उत्तर प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 300/99]

(सैंतीस) कच्छ ग्रामीण बैंक, भुज (गुजरात)

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 301/99]

(अड़तीस) मगध ग्रामीण बैंक, गया (बिहार)

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 302/99]

(उनतालीस) छिंदवाड़ा सिओनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, छिंदवाड़ा (मध्य प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 303/99]

(चालीस) भागीरथ ग्रामीण बैंक, सीतापुर (उत्तर प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 304/99]

(इकतालीस) पुरी ग्राम्य बैंक, पुरी (उड़ीसा)

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 305/99]

(बयालीस) नेत्रवती ग्रामीण बैंक, मंगलौर (कर्नाटक)

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 306/99]

(तैंतालीस) अकोला ग्रामीण बैंक, अकोला (महाराष्ट्र)

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 307/99]

(चौवालीस) सुबानसिरि गांवलिया बैंक, नार्थ लखीमपुर (असम)

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 308/99]

(पैंतालीस) सम्युत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, आजमगढ़ (उत्तर प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 309/99]

(छियालीस) अलवर भरतपुर आंचलिक ग्रामीण बैंक, भरतपुर (राजस्थान)

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 310/99]

(सैंतालीस) गोदावरी ग्रामीण बैंक, राजामुंदरी (आंध्र प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 311/99]

(अड़तालीस) जूनागढ़ अमरेली ग्रामीण बैंक, जूनागढ़ (गुजरात)

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 312/99]

(उनचास) भीलवाड़ा अजमेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भीलवाड़ा (राजस्थान)

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 313/99]

(पचास) मंडला बालाघाट क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मंडला (मध्य प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 314/99]

(इक्यावन) बरेली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बरेली (उत्तर प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 315/99]

(बावन) देवास शाजापुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, देवास (मध्य प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 316/99]

(तिरपन) बलिया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बलिया (उत्तर प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 317/99]

(चौवन) कावेरी ग्रामीण बैंक, मैसूर (कर्नाटक)

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 318/99]

(पचपन) गुरदासपुर अमृतसर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, गुरदासपुर (पंजाब)

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 319/99]

(छप्पन) सुरगुजा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अंबिकापुर (मध्य प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 320/99]

(सत्तावन) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होशंगाबाद, होशंगाबाद (मध्य प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 321/99]

(अट्ठावन) शिवालिक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, होशियारपुर (पंजाब)

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 322/99]

(उनसठ) लांगपी देहांगी रूरल बैंक, दीफु (असम)

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 323/99]

(साठ) गंगा यमुना ग्रामीण बैंक, देहरादून (उत्तर प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 324/99]

(इकसठ) शोलापुर ग्रामीण बैंक, शोलापुर (महाराष्ट्र)

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 325/99]

(बासठ) हिंडन ग्रामीण बैंक, गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 326/99]

(तिरसठ) शेखावटी ग्रामीण बैंक, सीकर (राजस्थान)

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 327/99]

(चौसठ) जम्मू रूरल बैंक, जम्मू (जम्मू-कश्मीर)

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 328/99]

(पैंसठ) श्री सरस्वती ग्रामीण बैंक, आदिलाबाद (आंध्र प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 329/99]

(छियासठ) कालाहांडी आंचलिक ग्राम्य बैंक, कालाहांडी (उड़ीसा)

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 330/99]

(सड़सठ) नागार्जुन ग्रामीण बैंक, खम्माम (आंध्र प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 331/99]

(अड़सठ) मधुबनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मधुबनी (बिहार)

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 332/99]

(उनहत्तर) हिमाचल ग्रामीण बैंक, मण्डी (हिमाचल प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 333/99]

(सत्तर) संथाल परगना ग्रामीण बैंक, दुमका (बिहार)

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 334/99]

(इकहत्तर) मुजफ्फरनगर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 335/99]

(बहत्तर) देवी पाटन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, गौंडा (उत्तर प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 336/99]

(तिहत्तर) मराठवाड़ा ग्रामीण बैंक, नांदेड़ (महाराष्ट्र)

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 337/99]

(चौहत्तर) हजारीबाग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, हजारीबाग (बिहार)

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 338/99]

(पचहत्तर) हरियाणा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भिवानी (हरियाणा)

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 339/99]

(छिहत्तर) बुल्ढाना ग्रामीण बैंक, बुल्ढाना (महाराष्ट्र)

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 340/99]

(सतहत्तर) गोपालगंज क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, गोपालगंज (बिहार)

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 341/99]

(अठहत्तर) फतेहपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, फतेहपुर (उत्तर प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 342/99]

(उनासी) यवतमाल ग्रामीण बैंक, यवतमाल (महाराष्ट्र)

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 343/99]

(अस्सी) फरीदकोट भटिंडा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भटिंडा (पंजाब)

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 344/99]

(इक्यासी) गोलकुंडा ग्रामीण बैंक, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 345/99]

(बयासी) दुर्ग राजनंदगांव ग्रामीण बैंक, राजनंदगांव (मध्य प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 346/99]

(तिरासी) विदिशा भोपाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, विदिशा (मध्य प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 347/99]

(चौरासी) बनासकांठा मेहसाना ग्रामीण बैंक, पाटन (गुजरात)

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 348/99]

(पचासी) चम्पारण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मोतीहारी (बिहार)

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 349/99]

(छियासी) मल्लभूम ग्रामीण बैंक, बांकुरा (पश्चिम बंगाल)

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 350/99]

(सतासी) कृष्णा ग्रामीण बैंक, गुलबर्गा (कर्नाटक)

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 351/99]

(अठासी) तुंगभद्रा ग्रामीण बैंक, बेल्लारी (कर्नाटक)

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 352/99]

(नवासी) वरदा ग्रामीण बैंक, कुमटा (कर्नाटक)

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 353/99]

(नब्बे) सारन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, छपरा (बिहार)

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 354/99]

(इक्यानवे) जामनगर राजकोट ग्रामीण बैंक, जामनगर (गुजरात)

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 355/99]

(बयानवे) कोसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, पूर्णिया (बिहार)

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 356/99]

(तिरानवे) एटा ग्रामीण बैंक, एटा (उत्तर प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 357/99]

(चौरानवे) शहडोल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शहडोल (मध्य प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 358/99]

(पचानवे) बालासौर ग्राम्य बैंक, बालासोर (उड़ीसा)

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 359/99]

(छियानवे) विश्वैश्वरैया ग्रामीण बैंक, मांड्या (मध्य प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 360/99]

(सतानवे) मुंगेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मुंगेर (बिहार)

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 361/99]

(अठानवे) अलीगढ़ ग्रामीण बैंक, अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 362/99]

(निन्यानवे) किसान ग्रामीण बैंक, बदायूं (उत्तर प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 363/99]

(सौ) दामोह पन्ना सागर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, दामोह (मध्य प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 364/99]

(एक सौ एक) चित्रदुर्ग ग्रामीण बैंक, चित्रदुर्ग (कर्नाटक)

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 365/99]

(एक सौ दो) शारदा ग्रामीण बैंक, सतना (मध्य प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 366/99]

(एक सौ तीन) श्री वैशाख ग्रामीण बैंक, श्रीकाकुलम (आन्ध्र प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 367/99]

(एक सौ चार) उत्तर-बंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कूच बिहार (पश्चिम बंगाल)

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 368/99]

(एक सौ पांच) मणिपुर रूरल बैंक, इम्फाल (मणिपुर)

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 369/99]

(एक सौ छः) पर्वतीय ग्रामीण बैंक, चम्बा (हिमाचल प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 370/99]

(एक सौ सात) नालन्दा ग्रामीण बैंक, बिहारशरीफ (बिहार)

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 371/99]

(एक सौ आठ) इलाहाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 372/99]

(एक सौ नौ) सिवान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सिवान (बिहार)

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 373/99]

(एक सौ दस) कोलार ग्रामीण बैंक, कोलार (कर्नाटक)

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 374/99]

(एक सौ ग्यारह) फैजाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, फैजाबाद (उत्तर प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 375/99]

(एक सौ बारह) झाबुआ धार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, झाबुआ (मध्य प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 376/99]

(एक सौ तेरह) मरूधर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, चुरु (राजस्थान)

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 377/99]

(एक सौ चौदह) पिथोरागढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, पिथोरागढ़ (उत्तर प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 378/99]

(एक सौ पंद्रह) रूशिकुल्या ग्राम्य बैंक, बहरामपुर (उड़ीसा)

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 379/99]

(एक सौ सोलह) बूंदी चित्तौड़गढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बूंदी (राजस्थान)

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 380/99]

(एक सौ सत्रह) शाहजहांपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शाहजहांपुर (उत्तर प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 381/99]

(एक सौ अठारह) मालाप्रभा ग्रामीण बैंक, धारवाड़ (कर्नाटक)

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 382/99]

(एक सौ उन्नीस) वलसाड़ डैंग ग्रामीण बैंक, वलसाड़ (गुजरात)

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 383/99]

(एक सौ बीस) हाडोती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, हाडोती (राजस्थान)

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 384/99]

(एक सौ इक्कीस) रायलसीमा ग्रामीण बैंक, कुडप्पा (आंध्र प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 385/99]

(एक सौ बाईस) विंध्यवासिनी ग्रामीण बैंक, मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 386/99]

(एक सौ तेईस) मंजीरा ग्रामीण बैंक, संगारेड्डी (आन्ध्र प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 387/99]

(एक सौ चौबीस) ग्वालियर दतिया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, दतिया (मध्य प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 388/99]

(एक सौ पच्चीस) श्री गंगानगर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, श्रीगंगानगर (राजस्थान)

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 389/99]

(एक सौ छब्बीस) हिसार सिरसा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, हिसार (हरियाणा)

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 390/99]

(एक सौ सताईस) साउथ मालाबार ग्रामीण बैंक, मल्लापुरम (केरल)

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 391/99]

(एक सौ अठाईस) कानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कानपुर (उत्तर प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 392/99]

(एक सौ उनतीस) बस्तर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बस्तर (मध्य प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 393/99]

(एक सौ तीस) गुडगांव ग्रामीण बैंक, गुडगांव (हरियाणा)

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 394/99]

(एक सौ इकतीस) बाराबंकी ग्रामीण दैंक, बाराबंकी (उत्तर प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 395/99]

(एक सौ बत्तीस) अरावली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सवाई माधोपुर (राजस्थान)

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 396/99]

(एक सौ तैंतीस) सुल्तानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सुल्तानपुर (उत्तर प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 397/99]

(एक सौ चौंतीस) ढेंकानाल ग्राम्य बैंक, ढेंकानाल (उड़ीसा)

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 398/99]

(एक सौ पैंतीस) वैशाली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर (बिहार)

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 399/99]

(एक सौ छत्तीस) नैनीताल अल्मोडा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नैनीताल (उत्तर प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 400/99]

(एक सौ सैंतीस) सिंहभूम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, चाईबासो (बिहार)

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 401/99]

(एक सौ अड़तीस) डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, डूंगरपुर (राजस्थान)

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 402/99]

(एक सौ उनतालीस) साबरकांठा गांधीनगर, ग्रामीण बैंक, हिम्मतनगर (गुजरात)

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 403/99]

(एक सौ चालीस) पाटलीपुत्र ग्रामीण बैंक, पटना (बिहार)

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 404/99]

(एक सौ इकतालीस) अधियमन ग्राम्य बैंक, धर्मपुरी (तमिलनाडु)

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 405/99]

(एक सौ बयालीस) भोजपुर रोहतास ग्रामीण बैंक, आरा (गुजरात)

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 406/99]

(एक सौ तिरतालीस) कल्पतरू ग्रामीण बैंक, टेमकर (कर्नाटक)

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 407/99]

(एक सौ चवालीस) महाकौशल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नरसिंहपुर (मध्य प्रदेश,

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 4`8/99]

(एक सौ पैंतालीस) कपूरथला फिरोजपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कपूरथला (पंजाब)

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 409/99]

(एक सौ छियालीस) रतलाम मन्दसौर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मन्दसौर (मध्य प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 410/99]

(एक सौ सैंतालीस) काकाथिया ग्रामीण बैंक, हानमकोंडा (आंध्र प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 411/99]

(एक सौ अड़तालीस) कछार ग्रामीण बैंक, सिलचर (असम)

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 412/99]

(एक सौ उनचास) नार्थ मालाबार ग्रामीण बैंक, कन्नूर (केरल)

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 413/99]

(एक सौ पचास) चिकमगलूर कोडगु ग्रामीण बैंक, चिकमगलूर (कर्नाटक)

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 414/99]

(एक सौ इकावन) बेगूसराय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बेगूसराय (बिहार)

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 415/99]

(एक सौ बावन) चम्बल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मुरैना (मध्य प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 416/99]

(एक सौ तिरपन) पंचमहल बडोदरा ग्रामीण बैंक, गोदरा (गुजरात)

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 417/99]

(एक सौ चौवन) अवध ग्रामीण बैंक, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखे गए1 देखिये संख्या एल.टी. 418/99]

(एक सौ पचपन) फर्रुखाबाद ग्रामीण बैंक, फर्रूखाबाद (उत्तर प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 419/99]

(एक सौ छप्पन) श्री वेंकटेश्वर ग्रामीण बैंक, चित्तूर (आंध्र प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 420/99]

(एक सौ सत्तावन) भंडारा ग्रामीण बैंक, बांदा (उत्तर प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 421/99]

(एक सौ अठावन) शिवपुरी गुना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शिवपुरी (मध्य प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 422/99]

(एक सौ उनसठ) तुलसी ग्रामीण बैंक, बांदा (उत्तर प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 423/99]

(एक सौ साठ) मालवा ग्रामीण बैंक, संगरुर (पंजाब)

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 424/99]

(एक सौ इकसठ) विदूर ग्रामीण बैंक, बिजनौर (उत्तर प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 425/99]

(एक सौ बासठ) गोमती ग्रामीण बैंक, जौनपुर (उत्तर प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 426/99]

(एक सौ तिरसठ) सरयू ग्रामीण बैंक, लखीमपुर खीरी (उत्तर प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 427/99]

(एक सौ चौंसठ) सूरत-भरूच ग्रामीण बैंक, भरूच (गुजरात)

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 428/99]

(एक सौ पैंसठ) पंडयान ग्राम्य बैंक, विरूधूनगर (तमिलनाडु)

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 429/99]

(एक सौ छियासठ) बैतरणी ग्राम्य बैंक, मयूर भंज (उड़ीसा)

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 430/99]

(एक सौ सड़सठ) थार आंचलिक ग्रामीण बैंक, जोधपुर (राजस्थान)

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 431/99]

(एक सौ अड़सठ) सहयाद्रि ग्रामीण बैंक, शिमोगा (कर्नाटक)

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 432/99]

(एक सौ उनहत्तर) रानी लक्ष्मीबाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, झांसी (उत्तर प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 433/99]

(एक सौ सत्तर) मेवाड़ आचलिक ग्रामीण बैंक, उदयपुर (राजस्थान)

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 434/99]

(एक सौ इकहत्तर) बस्ती ग्रामीण बैंक, बस्ती (उत्तर प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 435/99]

(एक सौ बहत्तर) समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, समस्तीपुर (बिहार)

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 436/99]

(एक सौ तिहत्तर) मिथिला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, दरभंगा (बिहार)

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 437/99]

(एक सौ चौहत्तर) रीवा सीधी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीवा (मध्य प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 438/99]

(एक सौ पिचहत्तर) प्रथमा बैंक, मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 439/99]

(एक सौ छिहत्तर) अम्बाला कुरूक्षेत्र ग्रामीण बैंक, अम्बाला (हरियाणा)

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या .एल.टी. 440/99]

(एक सौ सतहत्तर) बिलासपुर रायपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बिलासपुर (मध्य प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 441/99]

(एक सौ अठहत्तर) श्री अनंत ग्रामीण बैंक, अनन्तपुर (आंध्र प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 442/99]

(एक सौ उन्यासी) बीजापुर ग्रामीण बैंक, बीजापुर (कर्नाटक)

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 443/99]

(एक सौ अस्सी) रायगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रायगढ़ (मध्य प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 444/99]

अपराह्न 12.10 बजे

सभा का कार्य

[अनुवाद]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूं कि 6 दिसम्बर, 1999 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य किया जाएगा:-

1. आज की कार्यसूची से बकाया सरकारी कार्य की किसी भी मद पर विचार।

2. राज्य सभा द्वारा यथा पारित निम्नलिखित विधेयकों पर विचार करना और पारित करना:-

   (क) नोटेरी (संशोधन) विधेयक, 1999

   (ख) सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1999

   (ग) भारतीय वयस्कता (संशोधन) विधेयक, 1999

   (घ) विवाह विधि (संशोधन) विधेयक, 1999

   (ङ) महाप्रशासक (संशोधन) विधेयक, 1999

   (च) व्यापार चिह्न विधेयक, 1999

   (छ) विशेष संरक्षा ग्रुप (संशोधन) विधेयक, 1999

   (ज) माल के भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) विधेयक, 1999

3. निम्नलिखित पर चर्चा और मतदान:-

   (क) वर्ष 1999-2000 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य)

   (ख) वर्ष 1999-2000 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल)

4. भ्रांति प्रमष्तिष्कीय अंग घात, मानसिक मंदता और बहुअशक्तता से पीड़ित व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास विधेयक, 1999 पर विचार और पारित करना।

5. राज्य सभा द्वारा यथा पारित केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 1999 पर विचार और पारित करना।

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर): महोदय, मैं अनुरोध करता हूं कि निम्नलिखित दो विषयों को चर्चा के लिए अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किया जाए:

1. देश के ग्रामीण क्षेत्रों के 50 प्रतिशत से अधिक क्षेत्रों में पर्याप्त यातायात सुविधाओं का अभाव है, जिसके परिणामस्वरूप वे लोग राष्ट्रीय मुख्य धारा से मिलकर

विकास कार्यों में योगदान करने में असमर्थ हो जाते हैं और सरकार से अनुरोध है कि वह देश के सभी गांवों को पक्की सड़कों के माध्यम से जोड़ने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम बनाये और उसे कार्यान्वित करे।

2. देश में विशेषकर शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या की वृद्धि और सरकार से अनुरोध है कि घनी जनसंख्या वाले क्षेत्रों में पर्याप्त अवसंरचना और आवास सुविधाएं प्रदान करने के लिए समय से कदम उठाए।

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा): महोदय, हाल ही में केरल में हुई हत्याओं, जो लगातार होती जा रही हैं के संबंध में मेरा पहला अनुरोध यह है कि ...*(व्यवधान)*

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम): महोदय, यह राज्य का विषय है, इसे इस सभा में नहीं उठाया जा सकता है। वहां पर राज्य सरकार है ...*(व्यवधान)*

श्री पी.सी. थामस : महोदय यह सही है कि वहां पर राज्य सरकार है। राज्य में कानून और व्यवस्था पूरी तरह असफल हैं ...*(व्यवधान)*

श्री सुरेश कुरूप : महोदय उसे यहां किस प्रकार उठाया जा सकता हैं? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री थामस, कृपया अपना अनुरोध पूरा कीजिए।

श्री पी.सी. थामस : राज्य सरकार वहां कुछ नहीं कर रही है। ...*(व्यवधान)* केरल सरकार की ओर से वहां संवैधानिक समस्या उत्पन्न हो गई है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री थामस, आपका क्या कहना है?

श्री पी.सी. थामस : महोदय, कई हत्याएं की जा रही हैं। भारत सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए।

श्री कोडीकुनील सुरेश (अडूर): महोदय, मैंने इस मामले पर सूचना दी थी।

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा): महोदय, यह अत्यन्त गम्भीर मामला है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कानून और व्यवस्था पूर्णतः राज्य का विषय है। श्री थॉमस कृपया समझिए।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है इसे यहां नहीं उठाया जा सकता ...*(व्यवधान)*

श्री पी.सी. थामस : महोदय राज्य में संवैधानिक व्यवस्था बिगड़ गई है। केरल सरकार उत्तरदायी है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री थामस, आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। कृपया उसे समझिए।

श्री पी.सी. थामस : महोदय, वे एक दूसरे को मार रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री सी.पी. राधाकृष्णन (कोयम्बटूर): महोदय, वह राज्य द्वारा प्रायोजित हत्याएं है। वे पिछले दो दशकों से चली आ रही है ...*(व्यवधान)* यह पिछले दो दशकों से घटित हो रही है।

श्री पी.सी. थामस : महोदय, भारत सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : श्री थामस, आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं।

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया (मुम्बइ उत्तर-पूर्व): **अध्यक्ष महोदय**, तीन कार्यकर्त्ताओं की हत्या हुई है ...*(व्यवधान)* वहां की राज्य सरकार अपनी तानाशाही चला रही है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री सोमैया, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री के. मुरलीधरन (कालीकट): महोदय हत्याएं निरन्तर की जा रही है।

श्री रमेश चेन्नितला : महोदय, यह गम्भीर बात है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री चेन्नितला, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री पी.सी. थामस : महोदय केरल सरकार की ओर से कानून और व्यवस्था बुरी तरह असफल हुई है जिसने अभी तक हस्तक्षेप नहीं किया है।

अध्यक्ष महोदय .ो थामस, आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। कृपया समझिए। आपका दूसरा अनुरोध क्या है?

श्री पी.सी. थामस : महोदय, सरकार को यहां से सशस्त्र बल भेजने चाहिए। अभी हाल ही में युवा मोर्चा के सदस्यों की हत्या की गई थी यह सर्वविदित है।

अध्यक्ष महोदय : श्री थामस, कृपया समझिए।

श्री सी.पी. राधाकृष्णन : महोदय, वे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्त्ता थे। यह दशकों से चला आ रहा है।

श्री कोडीकुनील सुरेश : महोदय, इस पर मैंने सूचना दी थी।

अध्यक्ष महोदय : श्री थामस, आपका दूसरा अनुरोध क्या है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कृपया अपना-अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री ए.सी. जोस (त्रिचूर): महोदय, कल भी इसके बारे में उल्लेख किया गया था। वहां पर संवैधानिक व्यवस्था बिगड़ गयी है।

श्री रमेश चेन्नितला : सरकारी तंत्र वहां असफल हुआ है।

श्री पी.सी. थामस : महोदय, सरकारी तंत्र वहां पूरी तरह विफल हुआ है। केरल सरकार ने हस्तक्षेप नहीं किया है वह उपाय करने में असफल हुई है।

अध्यक्ष महोदय : श्री थामस आपका दूसरा अनुरोध क्या है?

श्री पी.सी. थामस : महोदय, मैंने दो प्रस्तावों के लिए सूचना दी थी। पहला था *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : वह समाप्त हो चुका है? आपका दूसरा अनुरोध क्या है?

श्री पी.सी. थामस : तो हम इसे 'शून्य काल' में उठाएंगे।

अध्यक्ष महोदय : नहीं।

श्री कोडीकुनील सुरेश : महोदय, मैंने शून्य काल में इस मामले को उठाने की सूचना दी है।

श्री बसुदेव आचार्य : उन्हें वहां इसे उठाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

श्री पी.सी. थामस : मेरा दूसरा निवेदन बड़ा ही मीठा है। जिस पर कोई भी आपत्ति नहीं उठा सकता है। वह यह कि, अनानास की कीमत दस रुपये से घटकर दो रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है और किसानों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है *...(व्यवधान)*

श्री मोहन एस. देलकर (दादरा और नगर हवेली): महोदय, कृपया मुझे बोलने का अवसर दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : श्री देलकर, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री मोहन एस. देलकर : महोदय, अंततः आप नियमों का उपयोग मेरे विरुद्ध कर रहे हैं। मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए, यह सही तरीका नहीं हैं।

श्री पी.सी. थामस : महोदय मेरे दूसरे अनुरोध पर, किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिए, अन्नानास से संबंधित, यह बड़ा ही मीठा मामला है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में अन्नानास उगाया जाता है। अन्नानास का मूल्य दस रुपये प्रति किलोग्राम से घट कर दो रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है, मैं आदरपूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि इसे अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किया जाए।

अध्यक्ष महोदय : इसके बाद श्री पुन्नूलाल मोहले बोलेंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री देलकर, मैंने कल भी आपसे कहा था कि आपको पहले पूर्ण प्रक्रिया की जानकारी होनी चाहिए। आप कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। यह निवेदन करने का समय है 'शून्य काल' नहीं।

श्री मोहन एस. देलकर : महोदय, कृपया मुझे बोलने दीजिए, मैं आपसे विनती करता हूं। आप मुझे अवसर ही नहीं दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, आप अनावश्यक ही सदन की कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं। कृपया इस बात को समझने का प्रयास कीजिए।

श्री मोहन एस. देलकर : महोदय, मैं नहीं बाधा डाल रहा, मैं न्याय चाहता हूं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री पुन्नु लाल मोहले (बिलासपुर): अध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्य-सूची में निम्न विषय को जोड़ा जाये:-

1. सरकारी उपक्रमों में बैंकिंग सेवा नौकरी पद की भर्ती में नगर निगम, नगर पालिकाओं मंडियों में आई.एस. अधिकारियों की भर्ती हो तथा मजिस्ट्रेट के पदों पर, थल सेना, जल सेना, नभ सेना के पदों पर आरक्षण नियम लागू किया जाये।

2. किसानों के हित में मध्य प्रदेश के सभी जिलों तथा भारत के सम्पूर्ण राज्यों में फसल बीमा योजना लागू कर पर्याप्त राशि बीमा फंड में जमा की जाये।

[अनुवाद]

श्री अमर रायप्रधान (कूचबिहार): महोदय, मैं अनुरोध करता हूं कि निम्नलिखित मदों को अगले सप्ताह की कार्य-सूची में जोड़ा जाये। मद संख्या एक के विषय में मुझे लगता है 'आई.एस.आई. की गतिविधियां' शब्द छपाई दोष या टाईप की गलती के कारण छूट गया है। विषय निम्नलिखित है:-

(1) जम्मू और कश्मीर, पंजाब, पूर्वोत्तर राज्यों और देश के अन्य राज्यों में बढ़ते आतंकवाद और आई.एस.आई. की गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए उपचारात्मक कदम।

(2) दो लाख भारतीयों की दशा सुधारने के लिए भारतीय, भारतीय अन्त:क्षेत्र को बंगलादेशी अन्त:क्षेत्रों से बदलने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम। बंगलादेशीय अंत:क्षेत्रों से घिरे हुए भारतीय नागरिकों की स्थिति, दिन-प्रति-दिन खराब होती जा रही है। उन्हें मतदान का भी अधिकार नहीं दिया गया है:

[हिन्दी]

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी): महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित प्रस्ताव शामिल किए जाएं:-

1. उ.प्र. में चीनी उद्योग के सामने प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। अत: सरकार को चीनी उद्योग को विशेष संरक्षण देने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।

2. उ.प्र. के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति कम होने से बेरोजगारी संबंधी समस्या उठ रही है। सरकार इस संबंध में नीति बनाकर कार्यवाही करे।

[अनुवाद]

श्री टी.टी.वी. दिनाकरन (पेरियाकुलम): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अनुरोध करता हूं कि अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित प्रस्ताव शामिल किए जाए-

इलायची, एक बहुमूल्य नकदी फसल है और इसकी निर्यात की काफी संभावना है और यह अति-आवश्यक विदेशी मुद्रा लाने में समर्थ है। इलायची को खुली सामान्य लाइसेंस सूची में रखा गया है। इसके कारण इलायची की फसल उगाने वालों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

मैं केंद्र सरकार से यह अपील करना चाहता हूं कि इलायची को ओ.जी.एल. श्रेणी से हटा दिया जाए।

[हिन्दी]

श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा): अध्यक्ष महोदय, मैं बार-बार बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाता हूं लेकिन कभी बिजनस लिस्ट में नहीं आ पाता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप मेरे प्रस्ताव को ध्यान से सुनें।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस विषय को मैंने ग्यारहवीं लोक सभा के दौरान भी उठाया था-मैं पिछली लोक सभा में नहीं था-और मेरे प्रस्ताव को 193 नियम के अंतर्गत शामिल किया गया था लेकिन इस बीच लोक सभा भंग हो गई।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अब आपको बोलने का मौका मिल गया है।

[अनुवाद]

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदय, मैं अनुरोध करता हूं कि निम्नलिखित दो विषयों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किया जाए:-

(1) हमारे देश में खेलों के स्तर को सुधारने के लिए उठाये जाने वाले कदमों पर चर्चा, विशेषकर अगले ओलंपिक खेलों जो अगले साल सिडनी में होंगे के लिए की जाने वाली तैयारी के संदर्भ में।

यह एक मुद्दा है। महोदय पुन: ओलंपिक खेल होंगे और हमें एक तांबे का तमका भी नहीं मिलेगा तब संपूर्ण सदन को शर्मिंदगी महसूस होगी।

अध्यक्ष महोदय : आप फिर अपने विषय से भटक रहे हैं।

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदय, मैं आपसे कहता हूं कि यह एक ऐसा विषय है, जो संपूर्ण राष्ट्र के लिए लज्जाजनक है। हमें इन खेलों के लिए तैयारी करनी चाहिए।

श्री ए.सी. जोस : इस विषय पर अलग से बहस होनी चाहिए।

श्री राजीव प्रताप रूडी : मैं अब अपने दूसरे निवेदन पर आता हूं वह भी अति महत्वपूर्ण है। महोदय मैंने नियम 193 के अंतर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। यह एक विचारणीय विषय है क्योंकि ओलंपिक खेल अगले साल होने वाले है और अगर हम ओलंपिक खेलों के लिए तैयारी शुरू नहीं करते है तो

अध्यक्ष महोदय : यह निवेदन करने की अवस्था है।

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदय, मैं केवल इसके महत्व को सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं।

मेरा दूसरा निवेदन - इस मुद्दे को पहले ही उठाया जा चुका है और अब इसे दोहराना ही होगा:-

2. जनसंख्या विस्फोट और इस समस्या से निपटने के लिए सरकारी और गैर सरकारी दोनों स्तर पर कठोर कदम उठाने और पहल करने के मुद्दे पर चर्चा की जाए।

अध्यक्ष महोदय : ये बहुत ही अच्छी बातें है। श्री नवल किशोर राय।

श्री माधवराव सिंधिया (गुना): इस विषय पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए क्योंकि यह अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है।

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदय ये दो विषय अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं कि ये अत्यंत महत्वपूर्ण मामले हैं।

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदय, जहां तक इन विषयों का संबंध है मैं आपका संरक्षण चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं भी यह मानता हूं कि ये अत्यधिक महत्वपूर्ण मामले हैं।

श्री नवल किशोर राय।

श्री ए.सी. जोस : श्री रूडी द्वारा उठाया गया पहला विषय भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अगले वर्ष ओलम्पिक खेल होने वाले हैं और हमें उसकी तैयारी आरम्भ कर देनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : सभा का समय भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। कृपया इस बात को समझिए।

श्री नवल किशोर राय।

[हिन्दी]

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी): अध्यक्ष महोदय, आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को सम्मिलित करने की कृपा की जाये:-

1. बेरोजगारी के कारण युवकों को हो रही कठिनाइयों के निदान हेतु संविधान में संशोधन कर रोजगार के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल किया जाये अथवा बेरोजगारी भत्ता देने पर चर्चा की जाये।

2. बिहार के सीतामढ़ी जिले में प्रतिवर्ष भीषण बाढ़ एवं वर्षा के कारण जिले के सभी प्रमुख सड़क, पुल एवं पुलिया क्षतिग्रस्त हो जाने एवं जान-माल की भारी नुकसान होने के कारण उत्पन्न समस्याओं के स्थाई निदान हेतु वार्ता कर नेपाल में हाई डैम बनाने पर चर्चा हेतु स्वीकृति दी जाये।

[अनुवाद]

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी): महोदय, मैं अनुरोध करता हूं कि अगले सप्ताह की कार्यसूची में चर्चा के लिए निम्नलिखित दो विषयों को शामिल किया जाए:-

1. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय परिसर में तनाव बढ़ रहा है और अर्धसैनिक बलों की तैनाती बढ़ायी जा रही है। इन घटनाओं के चलते डिप्टी प्रॉक्टर पर हमला हुआ और छात्र संघ का अभिकथन है कि प्रशासन छात्रों की भावनाओं पर ध्यान नहीं दे रहा है। सरकार की ओर से वक्तव्य दिया जाना चाहिए।

2. हज यात्री आवास, हवाई जहाज के अधिक किराए, खराब चिकित्सकीय सुविधाओं, उड़ानों में विलम्ब इत्यादि बातों की शिकायत करते हैं। सरकार को हज यात्रियों के लिए सुविधाओं में किए जाने वाले सुधारों के बारे में वक्तव्य देना चाहिए।

श्री बीर सिंह महतो (पुरूलिया): महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में मैं निम्नलिखित कार्यों को सम्मिलित करना चाहता हूं:-

1. सीएटल डब्ल्यू.टी.ओ. सम्मेलन के परिणाम

2. पुरूलिया पंप स्टोरेज मेगा हाइड्रो प्रोजेक्ट की धीमी प्रगति।

अपराह्न 12.17 बजे

समिति के लिए निर्वाचन

केन्द्रीय रेशम बोर्ड

[अनुवाद]

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा 4 की उपधारा (3)(ग) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन, केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से चार सदस्यों को निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा 4 की उपधारा (3)(ग) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपन्धों के अध्यधीन, केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से चार सदस्यों को निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा 'शून्यकाल' आरंभ करेगी।

श्री माधवराव सिंधिया।

श्री टी.टी.वी. दिनाकरन (पेरियाकुलम): महोदय, मैंने भी सूचना दी है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जी हां, मैं आपके नाम पर भी आऊंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, आज विश्व विकलांग दिवस है। इसीलिए मैं पहले श्री जयपाल रेड्डी का नाम बुला रहा हूं।

श्री एस. जयपाल रेड्डी (मिरयालगुडा): अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मैं सभा के सभी वर्गों का ध्यान एक अत्यंत निर्विवाद विषय की ओर दिलाना चाहता हूं।

अपराह्न 12.18 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय **पीठासीन हुए)**

ऐसा प्रतीत होता है कि आज, 3 दिसम्बर को विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है, हम इस बात को भूल गए हैं। मैं, स्पष्टीकरण के द्वारा यह कहना चाहूंगा कि तीन दशकों के मेरे विधायी कार्यकाल में मैंने केवल सामाजिक रूप से विकलांग अर्थात् अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और महिलाओं के बारे में बोला है।

मेरा मानना है कि शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों पर हमें अनिवार्य रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि वे अधिकतर सामाजिक रूप से विकलांग वर्गों से संबंध रखते हैं। हमारे टीकाकरण कार्यक्रम और अन्य कार्यक्रम उन तक नहीं पहुंचते है। समस्या के परिणाम को समझने की आवश्यकता है। हमारे देश में साठ मिलियन विकलांग व्यक्ति है।

वे हमारी जनसंख्या का छह प्रतिशत हिस्सा है। हमारे देश में विकलांग व्यक्ति, शायद, विश्व में विकलांग व्यक्तियों का 50 प्रतिशत हैं। 1977 में ही हमने एक विधान को अपनाया था जिसके अंतर्गत सरकारी सेवाओं में तीन प्रतिशत विकलांगों के लिए आरक्षित किया गया था। इस विशेष विधान का केवल उल्लंघन किया गया है पालन नहीं। वास्तव मे केवल एक प्रतिशत लोग ही रोजगार से लगे हुए हैं और वह आरक्षण उस विधान में केवल ग और घ समूह तक ही सीमित है। 1995 में हमने एक और विधान पारित किया, विकलांगता अधिनियम, जिसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है।

महोदय, निजी निगमित क्षेत्र में हमारा प्रदर्शन और भी ज्यादा खराब रहा है। जर्मनी में, निगमित क्षेत्र में, छह प्रतिशत नौकरियां विकलांगों के लिए आरक्षित हैं। अमेरिका और जापान जैसे देशों में भी विकलांगों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। हमारे अपने निगमित क्षेत्र में केवल 0.4 प्रतिशत लोगों को ही आरक्षण प्रदान किया गया है। महोदय, इस सभा में वे लोग ही हैं जिन्हें लोगों ने सीधा चुना है। हममें से अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं। जब हम ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण करते हैं तो हम देखते हैं कि शारीरिक रूप से विकलांग हजारों व्यक्ति हमारे पास अभ्यावेदन देने आते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इन लोगों की दयनीय स्थिति को देखकर प्रत्येक सदस्य का हृदय पसीज उठता होगा।

अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इस दयनीय स्थिति के मूक दर्शक बने हुए हैं। इन लोगों के प्रति सरकार निजी क्षेत्र और समाज द्वारा दर्शायो जा रही उपेक्षा को दूर करने में हम असहाय हैं। चीन में भी, मैंने पाया कि शारीरिक रूप से विकलांग नियोज्य लोगों के 17 प्रतिशत को रोजगार प्रदान किया गया है। इसलिए इस समस्या पर हम सभी को अपना ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है। मैं जानता हूं कि सरकार राष्ट्रीय विकलांग न्यास विधेयक पर विचार कर रही है। मैं सभा से उस विधेयक को इसी सत्र में पारित करने का अनुरोध करता हूं। मैं कुछ ज्यादा नहीं कह रहा हूं क्योंकि एक राष्ट्र के रूप में हम धर्मनिष्ठ बातें कहने में सबसे आगे रहते हैं। हम उन्हें कार्यान्वित करने में पीछे रह जाते हैं। मैं आशा करता हूं कि यह ट्रस्ट सांकेतिक रूप से कार्य करने का दूसरा उदाहरण नहीं होगा। वो जैसा भी हो, हमें इस विधेयक को अत्यधिक शीघ्रता से पारित करना चाहिए। मैं चाहता हूं सरकार और सभा के सभी वर्गों को इस संबंध में आवश्यक राजनीतिक इच्छाशक्ति को दर्शाना चाहिए क्योंकि अब यह समस्या शान्त परन्तु व्यापक राष्ट्रीय त्रासदी है।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): महोदय, सरकार को जवाब देना चाहिए कि विकलांगों से संबंधित जो विधेयक लम्बित पड़ा हुआ है, उसका क्या हुआ। खुदा के घर से, भगवान के घर से मिली जो विकलांगों की पीड़ा है, उस पर हम लोगों को विचार करना चाहिए और सरकार को तुरन्त रिसपांड करना चाहिए। सदन जानना चाहता है, विकलांगों के लिए इनके पास क्या विधेयक है और ये क्यों नहीं ला रहे हैं? हम जयपाल रेड्डी जी के विचारों से पूरी तरह सहमत हैं, जो विचार उन्होंने व्यक्त किए हैं। विकलांगों की तरह यह सरकार भी विकलांग हो रही है। सरकार अपना नाम विकलांगों की सूची में लिखवा ले।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : मैं स्वयं को भी श्री जयपाल रेड्डी के साथ जोड़ता हूं कि सरकार को राष्ट्रीय विकलांग न्यास विधेयक को लाना चाहिए। मैं सरकार से प्रस्तावित विधान को जल्द ही लाने का आग्रह करता हूं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, आप पहले ही स्वयं को उनसे जोड़ चुके हैं। सभा में व्यवहार का यह तरीका नहीं है। मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा। मैं श्री माधवराव सिंधिया को बोलने का अवसर दे चुका हूं।

...*(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया (गुना): मैं और मेरी पूरी पार्टी और मेरे पूरे साथी भी श्री एस. जयपाल रेड्डी के द्वारा व्यक्त विचारों से स्वयं को पूरी तरह जोड़ते हैं और श्री बसुदेव आचार्य ने जो कहा उसका भी समर्थन करते हैं।

मैं सभा का ध्यान मूल्य स्थिरता के बहाने मई और सितम्बर, 1999 के महीनों के बीच अत्यधिक निन्दाजनक और अन्धाधुंध गेहूं का आयात की ओर दिलाता हूं जो उन मूल्यों पर किया गया जो कि अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य से काफी ज्यादा थे, जोकि सबसे ज्यादा

अनुपात का स्तर था। यह कृषि मंत्रालय द्वारा और भारतीय खाद्य निगम द्वारा चेताने वाली टिप्पणियों को प्रस्तुत किए जाने के बाद और इस के बावजूद भी हुआ कि देश में पर्याप्त बफर स्टाक उपलब्ध था और इस बात के बावजूद भी कि भारतीय खाद्य निगम ने कहा था कि उसके गोदामों में जगह नहीं है और इस तथ्य के बावजूद भी कि मंत्रिमंडल को कृषि मंत्रालय की यह मूल्यांकन रिपोर्ट भेजी गई थी कि आने वाले मौसम में पर्याप्त से ज्यादा मात्रा की खरीद होगी, आयात जारी रहा। इन सबके बावजूद लाबियों के दबाव में छह महीनों तक गेहूं का आयात होता रहा।

यह आशंका थी और किसानों को अपने उत्पादन को उचित मूल्य पर बेचने से वंचित रखा गया। इस देश की करोड़ों रुपये की मूल्यवान विदेशी मुद्रा बर्बाद हो गयी और यह इस ओर इंगित करती है कि सरकार और दलालों के मध्य कोई गुप्त सांठ-गाठ है। दबाव के कारण संपूर्ण फाइल पर देरी से कार्यवाही की गई। हमारी यह मांग है कि उन सभी पार्टियों के नाम सभापटल पर रखे जाएं जिन्होंने आयात किया, जिन्होंने अपने एल.सी. खोले, हम चाहते है कि सदन इस संपूर्ण मामले के प्रत्येक पहलू पर बारीकी से विचार करे। एक सभा की समिति बनाई जाए। यही मांग हम सरकार से करते हैं और सरकार की इस मामले में प्रतिक्रिया चाहते है, यह एक गंभीर मामला है *...(व्यवधान)* मैं सरकार से उत्तर चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं शून्य काल में सरकार को किस प्रकार बाध्य कर सकता हूं? अगर सरकार अपनी प्रतिक्रिया देना चाहे तो दे सकती है। मैं उन्हें बाध्य नहीं कर सकता।

...(व्यवधान)

श्री माधवराव सिंधिया : हमें सरकार से इस मामले पर शीघ्र प्रतिक्रिया चाहिए। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री यहां उपस्थित है और वे इस बात को नोट कर रहे हैं। कृषि मंत्री यहां उपस्थित है, उन्होंने इस बात को नोट कर लिया हैं।

...(व्यवधान)

श्री माधवसव सिंधिया : हमें सरकार इस बात का आश्वासन दें कि वे इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया देंगे। हमने आवास समिति की स्थापना की मांग की है *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं बोल रहा हूं

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर): यह बहुत बड़ा स्कैंडल है, इन लोगों को बोलना चाहिए। *...(व्यवधान)*

श्री चन्द्रनाथ सिंह (मछलीशहर): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : 'जीरो ऑवर' में व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह शून्यकाल है कृपया व्यवस्था बनाए रखिए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री माधवराव सिंधिया ने शून्य काल में एक महत्वपूर्ण मामला उठाया है। यह निश्चित ही महत्वपूर्ण मामला है। मंत्री यहां उपस्थित है और उन्होंने इस बात को नोट कर लिया है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं मंत्री महोदय को बाध्य नहीं कर सकता। अगर वे अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहें तो वे कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कई माननीय सदस्य कई अन्य मुद्दों को उठाना चाहते हैं। उन्हें भी अवसर मिलना चाहिए।

...(व्यवधान)

श्री माधवराव सिंधिया : जब तक आश्वासन नहीं मिल जाता तब तक हम नहीं बैठ सकते हैं। उन्हें अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी पड़ेगी *...(व्यवधान)* हमें इस पर सरकार की प्रतिक्रिया अवश्य चाहिए। यह ठीक नहीं है *...(व्यवधान)*

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा): महोदय, क्या हम सरकार के मौन को स्वीकृति मान लें?

श्री माधवराव सिंधिया : महोदय, हमें जवाब मिलना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : अध्यक्षपीठ सरकार को प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती है। मैंने श्री मोहन देलकर को बोलने के लिए कहा है।

श्री मोहल एस. देलकर (दादर और नगर हवेली): महोदय, मैं इस अशांति में अपना निवेदन नहीं कर पा रहा हूं ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जोशी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहते हैं

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विलास मुत्तेमवार : माननीय कृषि मंत्री हाउस में हैं ...*(व्यवधान)* इसमें कृषि मंत्रालय का भी बड़ा रोल रहा है ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : वह रिएक्ट कर रहे हैं और आप खड़े हो रहे हैं।

श्री चन्द्रनाथ सिंह : उधर से कुछ मिल जाएगा तो ये समझौता कर लेंगे। उपाध्यक्ष जी, आप हमारी बात भी सुन लीजिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप चाहते हैं कि वे प्रतिक्रिया व्यक्त न करें?

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अगर आप चाहते हैं कि वे जवाब दें तो आपको बैठना पड़ेगा। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री मनोहर जोशी): उपाध्यक्ष महोदय, निःसंदेह सभा के समक्ष एक महत्वपूर्ण मामला है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : उपाध्यक्ष जी, इनकी बात भी सुन लें। ये लोग तो समझौता कर लेंगे। ...*(व्यवधान)* क्या शोर मचाने वालों की ही बात सुनी जाएगी?

उपाध्यक्ष महोदय : शोर मचाने में कोई भी कम नहीं है। ...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : आप इनकी बात सुन लें।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय खड़े हो गये हैं।

[अनुवाद]

श्री मनोहर जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, निःसंदेह सभा में उठाया गया मामला अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथ ही आपको पता है कि इसे 'शून्य काल' में नहीं उठा सकते ...*(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया : इसे शून्य काल में क्यों नहीं उठाया जा सकता?

श्री मनोहर जोशी : मामला उठाया जा सकता है। मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए ...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़): क्या वे सभा में मामलों को उठाने के हमारे अधिकार को सीमित करना चाहते हैं?

श्री मनोहर जोशी : श्री सिंधिया इस सभा के काफी वरिष्ठ सदस्य हैं। उन्हें अच्छी तरह पता है कि सभा में ऐसे मामलों के तुरंत उत्तर की अपेक्षा नहीं की जा सकती है ...*(व्यवधान)* मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि इस मामले को संबंधित मंत्री के समक्ष लाया जाएगा। इस बीच, अगर यह मामला सभा में किसी अन्य प्रकार से उठा तो, संबंधित मंत्री उसका उत्तर देंगे ...*(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया : संसदीय कार्य मंत्री कहां है? उन्हें उत्तर देना चाहिए। इसकी इजाजत नहीं मिलनी चाहिए ...*(व्यवधान)* हमें इसका उत्तर चाहिए ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बंसल, अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया : महोदय, हमें इसका उत्तर अवश्य चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने श्री मोहन देलकर को बोलने के लिए कहा है। मुझे उनकी बात सुनने दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री माधवराव सिंधिया : वे इस तरह बच नहीं सकते। कुछ जिम्मेदारी होनी ही चाहिए। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री चन्द्रनाथ सिंह : महोदय, आपने मुझे समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। इसमें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का उसी तरह से समझौता हो जाएगा जिस तरह से बीमा विधेयक पर हो गया और दोनों ने देश को बेच दिया। आज का दिन विकलांग दिवस के रूप में सारे विश्व में मनाया जा रहा है। *...(व्यवधान)* आज तो विकलांग लोगों की समस्याओं पर बोलना चाहिए था। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह 'शून्यकाल' है श्री माधवराव सिंधिया ने एक महत्वपूर्ण मामला उठाया है। मंत्री महोदय ने पहले ही अपनी प्रतिक्रिया यह कह कर दे दी है कि वे संबंधित मंत्री को सूचित करेंगे। मैं और क्या कर सकता हूं? 'शून्यकाल' में आप वक्तव्य की अपेक्षा नहीं कर सकते।

...(व्यवधान)

श्री माधवराव सिंधिया : हमने आवास समिति के गठन की मांग की है और उन्हें इसका उत्तर देना पड़ेगा *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यह 'शून्यकाल' है; मैं सरकार को बाध्य नहीं कर सकता। मैंने श्री मोहन देलकर को बोलने के लिए कहा है।

...(व्यवधान)

श्री माधवराव सिंधिया : महोदय, उन्हें प्रतिक्रिया व्यक्त करनी पड़ेगी *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं यहां कई माननीय सदस्यों ने शून्य काल में मामले उठाने के लिए सूचनाएं दी हैं। कृपया व्यवधान उत्पन्न मत कीजिए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवधान उत्पन्न मत कीजिए। मैंने श्री मोहन देलकर को बोलने के लिए कहा है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहन एस. देलकर : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मेरे खिलाफ षडयंत्र रचा गया है। *...(व्यवधान)* मैं यूनियन टैरिटरी दादरा और नगर हवेली से बिलौंग करता हूं। पिछले डेढ़ साल से मेरे निर्वाचन क्षेत्र में सी.बी.आई. के कुछ ऑफिसर्स एक काम के सिलसिले में जांच कर रहे हैं। उस केस से मेरा कोई लेना-देना नहीं है। 5.8.1999 को सी.बी.आई. के कुछ आफिसर्स ने मेरे खिलाफ षडयंत्र रचा। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय उत्तर देने वाले हैं। कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

कृषि मंत्री (श्री नीतीश कुमार): उपाध्यक्ष महोदय, गेहूं के आयात के सम्बन्ध में कुछ सवाल यहां उठाए गए। मैं उसके सम्बन्ध में जीरो आवर में तत्काल कोई उत्तर देने की स्थिति में नहीं हूं और यह विषय जिससे सम्बद्ध है, मैं उसमें सक्षम व्यक्ति भी नहीं हूं। सिंधिया साहब और दूसरे तमाम सहयोगियों ने जो सवाल उठाया, उनको मालूम है कि जो लिबरलाइजेशन का दौर है और गैट समझौते के बाद *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह ठीक नहीं है। यह ठीक नहीं है। उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए। श्री बनातवाला। आपने उनसे उत्तर देने के लिए कहा है। वे उत्तर दे रहे हैं। अब, क्या आप उत्तर नहीं चाहते हैं। श्री बूटा सिंह जी, कृपया उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : यह मुझे अपनी बात पूरी नहीं करने दे रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह क्या हो रहा है? आपने उनसे उत्तर चाहा था। वे उत्तर दे रहे हैं। और आप उन्हें रोक रहे हैं। यदि आप चाहते हैं तो मैं मंत्री महोदय से उत्तर नहीं देने के लिए कहूंगा।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार के कार्यकाल में पहली बार गेहूं का आयात नहीं हुआ ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): आप ईमानदार मंत्री हैं और किसानों के हित को समझते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार : आप मेरे वाक्य को पूरा होने देंगे या नहीं? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रामदास, कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए।

श्री नीतीश कुमार : आपने कहा कि मैं कृषि मंत्री हूं इसलिए इस पर रिस्पौंस दूं। आप मेरे वाक्य को पूरा सुनेंगे या मेरे साथ अन्याय करेंगे? आज जो भी परिस्थिति आयात के सम्बन्ध में पैदा हो रही है, वह पूर्व सरकारों की नीतियों का प्रतिफल है। क्या आप इसको आज की तारीख में रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं? इस सरकार ने इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने अपने किसानों की रक्षा के लिये गेहूं पर इम्पोर्ट ड्यूटी लगाने का फैसला किया है। यह सही है कि फूड स्टॉक काफी मात्रा में उपलब्ध है लेकिन फिर भी अपने इंट्रेस्ट की रक्षा करने के लिये यह इम्पोर्ट ड्यूटी लगाने का फैसला किया है। यह सरकार का ही फैसला है और मार्किट उपलब्ध आपने प्रदान की है। आपके द्वारा डब्ल्यू.टी.ओ. में जाने के बाद आपने मार्किट उपलब्ध कराई है। जिस दिन जी.ए.टी.टी. पर समझौता कर रहे थे, उसी समय वहां से बैठकर हम सवाल कर रहे थे, उस दिन से आप लोगों में बेचैनी थी कि जल्द दस्तखत करें और आपने उस पर दस्तखत किये, यह उसी का प्रतिफल है। आपने मार्किट प्रदान की है, सरकार को आयात करने की जरूरत नहीं हैं। व्यापारी आयात करते हैं। यह आपकी नीतियों का प्रतिफल है। आपने जो किया है, यह उसी का प्रतिफल है और आपके सामने आ रहा है।

श्री मोहन एस. देलकर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे एक गंभीर बात पर बोलने के लिये अलाऊ किया है ...*(व्यवधान)* महोदय, यह एक गम्भीर मामला है।

श्री नीतीश कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, इम्पोर्ट ड्यूटी लगाने का फैसला सरकार ने किया है ...*(व्यवधान)* यदि आपको किसानों के हित की चिन्ता होती तो उस समय जब ''गैट'' का समझौता हो रहा था, किसानों के हितों की बात की जाती और दस्तखत नहीं करते। ...*(व्यवधान)*

श्री मोहन एस. देलकर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं और स्पीकर साहब का भी आभारी हूं कि मुझे एक गंभीर मामले पर बोलने के लिये अलाऊ किया गया। मैं इस हाउस में एक गंभीर बात रखना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि मुझे न्याय मिले। मैं उस घटना को बताना चाहता हूं जहां मेरे खिलाफ षड्यंत्र बनाया गया। मुझे बदनाम करने की कोशिश की गई ...*(व्यवधान)* उपाध्यक्ष महोदय, ये लोग मुझे अलाऊ नहीं कर रहे हैं ...*(व्यवधान)* यह ठीक नहीं है। यह गंभीर मामला है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह सीरियस मामला है। मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिये अलाऊ किया। मेरा प्रीवलेज का सवाल है। मैं एक गंभीर बात कहना चाहता हूं। मेरे खिलाफ षड्यंत्र बनाया गया है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने श्री मोहन देलकर को बोलने का मौका दिया है।

...*(व्यवधान)*

श्री मोहन एस. देलकर : महोदय मुझे बोलने की अनुमति दी गई है। ...*(व्यवधान)* आप पहले मुझे बोलने दीजिये, उसके बाद आप बोलियेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, कृपया ध्यान दीजिए ये शून्य काल है। कई माननीय सदस्यों ने सूचनाएं दी है और उन्हें बोलने का अवसर दिया जाना चाहिए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, कृपया हस्तक्षेप न करें।

[हिन्दी]

श्री मोहन एस. देलकर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही गंभीर बात आपके सामने रखना चाहता हूं। मेरे खिलाफ जिस तरीके से सी.बी.आई. के कुछ आफिसरों ने षड्यंत्र करके मेरे खिलाफ गंभीर आरोप लगाये हैं। मेरे खिलाफ हाइली डिफेमेटरी लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है ...*(व्यवधान)*

श्री हरपाल सिंह साथी (हरिद्वार): उपाध्यक्ष महोदय, एक माननीय सदस्य को अपनी बात कहने का मौका नहीं दिया जा रहा है। ये लोग देश का शोषण करते रहे हैं। इन लोगों ने देश को गड्ढे में फैंक दिया और जीरो ऑवर में अड़चन पैदा करके सदस्यों को अपनी बात कहने से वंचित कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, क्या इन्हीं लोगों को बोलने का हक है। एक माननीय सदस्य के ऊपर क्या बीत रही है और ये उन्हें बोलने नहीं दे रहे हैं ...*(व्यवधान)* मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग 45 साल तक इस संसद में बैठकर अपने कानून बनाकर इस देश का शोषण करते रहे और दूसरों की बात सुनना नहीं चाहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, ये घोटाले वाले लोग हैं। ये एक माननीय सदस्य की बात को सुनने नहीं देना चाहते हैं ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री ए.सी. जोस (त्रिचूर): मंत्री महोदय को वक्तव्य देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रमेश चेन्नितला, कृपया अपने स्थान पर जाइए। कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करें। 'शून्य काल' के दौरान कतिपय महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने के लिए कई सदस्यों ने सूचनाएं दी हैं।

श्री हरपाल सिंह साथी : मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये एक माननीय सदस्य को संसद में बोलने नहीं दे रहे हैं। एक माननीय सदस्य के ऊपर क्या आफत गुजरी है, उन पर कितना जुल्म हो रहा है। ये लोग अपनी बात कहकर माननीय सदस्य को सुनना नहीं चाहते हैं ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री दासमुंशी, आप अपने दल के मुख्य सचेतक हैं। कृपया सहयोग दें। यदि सभी बोलने लग जाएं तो मैं सभा का कार्य कैसे चला पाऊंगा।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आज सप्ताह का अन्तिम दिन होने के कारण कई सदस्यों ने सूचनाएं दी हैं। वे सभी महत्वपूर्ण मामले हैं। इसीलिए कृपया सहयोग करें। सरकार ने पहले ही प्रतिक्रिया व्यक्त कर दी है।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं मंत्री महोदय को बाध्य नहीं कर सकता। उन्होंने पहले ही प्रतिक्रिया व्यक्त कर दी है।

[हिन्दी]

श्री हरपाल सिंह साथी : उपाध्यक्ष महोदय, अगर ये लोग जीरो ऑवर में दूसरे लोगों को बोलने नहीं देंगे तो हम भी किसी भी विषय पर इन्हें बोलने नहीं देंगे चाहे वह जीरो ऑवर हो या कोई और मामला हो। माननीय सदस्य पर क्या बीत रही है और ये उन्हें बोलने नहीं दे रहे हैं। ये जीरो ऑवर में बगावत करना चाहते हैं। ये सीनियर होकर एक सदस्य को बोलने से वंचित करना चाहते हैं ...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): ये यूरिया घोटाला, बोफोर्स घोटाला और चारा घोटाला वाले लोग बोल रहे हैं।

श्री हरपाल सिंह साथी : ये घोटाले वाले लोग हैं। इन्होंने देश का शोषण किया है, इन्होंने 45 साल तक इस देश को लूटकर खाया है ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : इस तरह इसके बाद 'शून्य काल' नहीं होगा।

श्री विजय गोयल (चांदनी चौक): उपाध्यक्ष महोदय, जीरो ऑवर में हमने बहुत महत्वपूर्ण विषय दिया है। कांग्रेस के पास

कोई तथ्य नहीं है। मंत्री जी ने उन्हें सही जवाब दे दिया है। यह कांग्रेस घोटाला करने वाली है। अगर इन्होंने वाक-आउट करना है तो वाक-आउट करें, लेकिन यह कोई तरीका नही है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं क्या कर सकता हूं। मैं सदस्यों से अपने स्थानों पर बैठने का अनुरोध कर रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल : हमें एक बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाना है। हमारे एक छात्र नेता की हत्या हुई है, वहां प्राध्यापक की हत्या हो गई है, हमें यह मुद्दा उठाना है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): आप उद्विग्न क्यों हो रहे हैं?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इस तरह इसके बाद 'शून्य काल' नहीं होगा। यह ठीक नहीं होगा।

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल : ये लोग जीरो ऑवर को खत्म करना चाहते हैं। विपक्ष को अगर यह मुद्दा उठाना है तो किसी नियम या धारा के तहत उठाये या इस विषय को किसी और तरीके से उठाये ...*(व्यवधान)*

श्री मोहन एस. देलकर : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे खिलाफ षड्यंत्र हुआ है। मैं मानसिक रूप से परेशान हूं।

श्री विजय गोयल : महोदय, हमने बहुत महत्वपूर्ण विषय दिये हुए हैं, हमें उन्हें उठाने की इजाजत दी जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आपको मौका मिला था। दूसरों को भी बोलने दीजिए। मैं माननीय सदस्यों से सहयोग करने का अनुरोध करता हूं।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : सदस्य जो चाहते हैं वही कहने के लिए वे मंत्री महोदय को बाध्य नहीं कर सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया : हम सिर्फ मंत्री महोदय से उत्तर चाहते हैं। उन्हें उत्तर देना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदय, यह मामला खत्म हो चुका है, अब माननीय सदस्य को बोलने का मौका दिया जाए। ...*(व्यवधान)*

श्री विजय गोयल : सर, एक मैम्बर प्रिविलेज मोशन उठा रहा है और ये उसे सुनने नहीं दे रहे हैं ...*(व्यवधान)* श्री दासमुन्शी ने उसे सुनने नहीं दिया।

[अनुवाद]

श्री मोहन एस. देलकर : महोदय, मुझे बोलने का मौका मिलना चाहिए। यह ठीक नहीं है ...*(व्यवधान)* मैं मानसिक रूप से परेशान हूं। मैं संसद सदस्य के रूप में कार्य नहीं कर सकता। अध्यक्षपीठ को मुझे बोलने की अनुमति देनी चाहिए ...*(व्यवधान)*

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदय, श्री जयपाल रेड्डी ने देश की चिन्ता का ए विषय उठाया है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल : आप वाक-आउट करिये। ...*(व्यवधान)* आप वाक-आउट करने के अलावा और क्या चाह रहे हैं? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : 'गैट' के अंतर्गत ऐसी बातें हो सकती हैं यदि ये आपकी राय है तो मुझे खेद है ...*(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार : महोदय, मैं बाजार की पहुंच के बारे में बात कर चुका हूं ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.51 बजे

इस समय श्री प्रियरंजन दासमुंशी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी): महोदय, मैं भी सरकार के दृष्टिकोण के विरोध में बर्हिगमन करता हूं ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.51¼ बजे

इस समय श्री जी.एम. बनातवाला सभा भवन से बाहर चले गए।

[हिन्दी]

सरदार बूटा सिंह (जालौर) : उपाध्यक्ष महोदय, किसानों के साथ धोखा करके यह सरकार सदन को अंधेरे में रख रही है। ...*(व्यवधान)* कम से कम नीति को तो सामने लाना चाहिए। ...*(व्यवधान)* जो घोटाला किया गया है, उसको सामने लाना पड़ेगा। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी इसके विरोध में सदन से बहिष्कार करता हूं।

अपराह्न 12.52 बजे

तत्पश्चात् श्री रघुवंश प्रसाद सिंह सभा भवन से बाहर चले गए।

श्री मोहन एस. देलकर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए एलाऊ किया। मैं एक बहुत ही गंभोर बात आपके सामने, सदन के सामने रखना चाहता हूं। देश की सबसे बड़ी एजैंसी, फैक्ट फाइडिंग यानी सी.बी.आई. जिसका मैं बहुत रिगार्ड करता हूं, सदन का बहुत रिगार्ड है और देश लोगों का भी बहुत रिगार्ड है, उसके बारे में मुझे बोलना अच्छा नहीं लगता लेकिन सी.बी.आई. के कुछ नीचे के आफिसर्स ने हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचने का काम किया है। हमारे खिलाफ ऐसी-ऐसी लैंग्वेज यूज की है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप एक अलग विषय पर बोल रहे हैं

...*(व्यवधान)*

श्री मोहन एस. देलकर : महोदय, मुझे इस विषय पर बोलने दें। यह एक अत्यन्त गम्भीर विषय है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

आप पहले मुझे सुन लीजिए, उसके बाद आपको जो कहना है, वह आप कहिये। ...*(व्यवधान)* आपकी जो भी रूलिंग होगी, व्ह मुझे मंजूर होगी। ...*(व्यवधान)* मुझे न्याय चाहिए। ...*(व्यवधान)* मैं किसी के खिलाफ एक्शन नहीं चाहता, मैं इंक्वायरी चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री देलकर, आपने किसी अन्य विषय की सूचना दी है। आपका विषय है: 3.12.1999 को दादर और नगर हवेली में श्री राध्या तुलजी उअमली नामक आदिवासी की हत्या। आप कृपया इस विषय पर बोलिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहन एस. देलक : मेरे खिलाफ जो षडयंत्र बनाया गया है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : जीरो ऑवर में जिस बात के लिए आपने नोटिस दिया है, उसी के बारे में आप बोलिये।

श्री मोहन एस. देलकर : आप बाद में रूलिंग दीजिए। ...*(व्यवधान)* मुझे पहले बोलने दीजिए। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आपने जिस सब्जैक्ट पर नोटिस दिया है, उसी पर बोलिये।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री मोहन एस. देलकर : मैं उसी पर बोल रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आपने कल जो सब्जैक्ट उठाया था, वह स्पीकर साहब के अंडर कंसीडरेशन है। उस पर आप नहीं बोल सकते।

...*(व्यवधान)*

श्री मोहन एस. देलकर : मैंने जो प्रिविलेज मोशन मूव किया था, उसके बारे में मुझे बोलना है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप बोलिये।

श्री मोहन एस. देलकर : उपाध्यक्ष महोदय, डेढ़ साल पहले हमारे यहां कुछ क्राइम हुआ था। उसके बारे में सी.बी.आई. के कुछ आफिसर्स इन्वैर्स्टीगेशन कर रहे थे। उस केस के साथ हमारा कोई नाता नहीं था। ...*(व्यवधान)* ऐक्सीडैंटली लोक सभा भंग हो गयी और चुनाव एनाउंस हो गये। ...*(व्यवधान)* ऐक्सीडैंटली 5.8.1999 को सी.बी.आई. के कुछ आफिसर्स ने ऐफिडेविट कर दिया। उस ऐफिडेविट में मेरे खिलाफ ऐसी लैंग्वेज यूज़ की गई कि मैं अंडर वर्ल्ड का लीडर हूं। मैं क्राइम आर्गनाइज करता हूं तथा मैं यूनियन टैरिटरी में गलत काम कराता हूं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इंडीपैंडिट एम.पी. हूं और मैं इस सदन में पांचवीं बार चुनकर आया हूं। पूरे देश में आज तक मेरे खिलाफ एक भी एफ.आई.आर. नहीं है। मेरे पिता जी फ्रीडम फाईटर हैं तथा ऑफ्टर लिब्रेशन हमारे एरिया के फर्स्ट मैम्बर ऑफ पार्लियामैंट हैं।

मेरी बड़ी बहन वहां की ऐपेक्स बौडी की चीफ काउंसिलर है। एक तरफ मेरे खिलाफ एक केस नहीं है और दूसरी तरफ सी.बी.आई. के कुछ अधिकारी मेरे खिलाफ ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जिससे मुझे बदनाम करने का काम किया गया। सी.बी.आई. एजेन्सी के ऊपर मेरा रोष है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आपने एक विशेषाधिकार प्रस्ताव दिया है।

श्री मोहन एस. देलकर : यह देश की सबसे बड़ी फैक्ट फाइंडिंग ऐजेन्सी है जिसके ऊपर लोगों को और मुझे भी रिगार्ड है, लेकिन जो नीचे लेवल के अधिकारी हैं ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : वह नोटिस स्पीकर साहब की कंसिडरेशन में है।

...*(व्यवधान)*

श्री मोहन एस. देलकर : लोक सभा भंग होने के बाद ऐडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लोगों ने मेरे खिलाफ यह काम किया। मैं बहुत डिस्टर्ब्ड हूं। मुझे चेयर से न्याय चाहिए। आप मेरे कस्टोडियन हैं। मैंने क्या गलती की है? मैं लोक सभा में पांचवीं बार चुनकर आया हूं, लोगों का प्रतिनिधि हूं। नीचे लेवल के अधिकारियों ने मेरे खिलाफ षड्यंत्र किया है। आपको सोचना चाहिए कि हमारे देश की ब्यूरोक्रेसी के कुछ नीचे लेवल के अधिकारी इस तरह से षड्यंत्र करके हमें बदनाम करने का काम करें तो मैं सदन में काम कैसे कर पाऊंगा? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मोहन देलकर, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। आपने नियम 222 के अधीन सूचना दी है। यह अध्यक्ष के पास विचाराधीन है। उन्होंने इसका कल उल्लेख किया था। आप फिर से उसी विषय को उठा रहे हैं। परन्तु जिस विषय को आज आप शून्य काल के दौरान उठाना चाहते हैं, वो अलग है।

श्री मोहन एस. देलकर : मैं उत्तर चाहता हूं। मैं मानसिक रूप से परेशान हूं। मैं संसद सदस्य के रूप में अपने कर्त्तव्यों का पालन कैसे कर सकता हूं? मेरे खिलाफ सी.बी.आई. के आरोप हैं। उन्हें वापस लिया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष महोदय ने कल ही कहा था कि यह उनके पास विचाराधीन है। आज आप उस विषय पर बोल सकते हैं जिसकी आपने सूचना दी है।

श्री मोहन एस. देलकर : कुछ अधिकारी हैं जिन्होंने मेरे खिलाफ यह काम किया है। मुझे इनक्वायरी चाहिए। ...*(व्यवधान)* मैंने नहीं कहा कि आप ऐक्शन लीजिए ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : विशेषाधिकार का मुद्दा अध्यक्ष के विचाराधीन है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, नियम के तहत माननीय सदस्य ने सूचना दी है और उसको प्रिविलेज कमेटी को सौंपना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे मालूम है, माननीय सदस्य ने नियम 222 के अंतर्गत सूचना दी है।

...*(व्यवधान)*

श्री मोहन एस. देलकर : हमें न्याय चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : स्पीकर साहब ने कहा है कि वह उसको कंसीडर करेंगे।

...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : माननीय सदस्य ने जो सूचना दी है, उसको नियम के तहत विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द कर दिया जाए जिससे मामले की जांच पड़ताल की जा सके। ...*(व्यवधान)* यह विशेषाधिकार का क्लियर कट मामला बनता है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप सीनियर मैम्बर है। आपको मालूम है कि जब स्पीकर कंसिडर करेंगे, वर्थ होगा, तो अपने आप प्रिविलेज कमेटी को भेजेंगे। मैं माननीय सदस्य को बार-बार यही कह रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

श्री मोहन एस. देलकर : जांच तो होनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : माननीय सदस्य सदन से सहमति लेना चाहते हैं तो उसको सहमति दी जाए और मामले को विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द किया जाए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री राजीव प्रताप रूडी : एक विशेषाधिकार का मामला उठाया गया है। अध्यक्षपीठ ने सदस्य को अपनी बात रखने की अनुमति दी है। वे केवल अपनी बात रखने का अनुरोध कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : वे अपनी बात रख चुके हैं। कल भी उन्होंने अपनी बात रखी थी। कल अध्यक्ष महोदय ने उन्हें बताया था कि यह उनके विचाराधीन है। वे आज उसे फिर से नहीं उठा सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री मोहन एस. देलकर : क्या किसी सदस्य के खिलाफ ऐसे बेसलैस चार्ज लगाए जाएंगे?

उपाध्यक्ष महोदय : उनसे सभा में ही कहा गया था। अध्यक्ष महोदय पहले ही इसका उल्लेख कर चुके हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री मोहन एस. देलकर : मैंने एक महीना पहले सीबीआई के डायरेक्टर को चिट्ठी लिखी है। मैंने क्लैरिफिकेशन मांगा है। मैंने सीबीआई के डायरेक्टर से कहा कि आपके अधिकारी ने मेरे खिलाफ जो भी चार्जेज़ लगाए हैं, जो ऐलीगेशन लगाया है, उसके खिलाफ क्या मैटीरियल हैं। आप मुझे मैटीरियल दीजिए, ऐविडेन्स दीजिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मोहन देलकर, अब आपको अपनी बात खत्म करनी होगी। मैं नहीं चाहता कि आप इस तरह बोलते रहे।

[हिन्दी]

श्री मोहन एस. देलकर : जो ऐफिडेविट हुआ है, यह एक पब्लिक डाक्यूमेंट है जिससे मेरी बदनामी हुई है जिससे मेरा टॉर्चर हुआ है। आपको मुझे कन्सैन्ट देना चाहिए। मैं चाहता हूं कि इस पर इनक्वायरी होनी चाहिए और प्रिविलेज कमेटी में इसकी जांच होनी चाहिए। मैं आपको एक बात बता दूं कि जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा, मैं हर रोज़ इस सदन में आपके समक्ष खड़े होकर इसी तरह न्याय मांगता रहूंगा। मेरे खिलाफ नाइंसाफी हुई है। मैं किसी ऐजेन्सी पर अंगुली नहीं उठा रहा हूं। सीबीआई के कुछ अधिकारी हैं जिन्होंने लोकल लोगों के साथ मिलकर षड्यंत्र किया है जिसका पर्दाफाश होना चाहिए।

अपराह्न 1.00 बजे

दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। क्या यह मेरा राइट नहीं है कि मैं इन्क्वारी मांगूं, इन्वैस्टीगेशन मांगूं? क्या किसी अफसर को इसकी छूट है कि वह किसी के खिलाफ कुछ भी बेसलैस ऐलीगेशन लगा दें? क्या मैं अंडरवर्ल्ड का लीडर हूं? मेरे खिलाफ पूरे देश में एक भी एफ.आई.आर. नहीं है। मैं लगातार पांचवीं बार इस हाउस में चुनकर आया हूं। ...*(व्यवधान)* मेरे पिताजी फ्रीडम फाईटर हैं। ...*(व्यवधान)* मैं हर रोज इस बात को उठाता रहूंगा। जिस अफसर ने मेरे खिलाफ ऐसा षड्यंत्र बनाया है, आप सोचिए कि इन्नोसैंट लोगों के साथ क्या होता होगा? जिस क्राइम की जांच हो रही है, उसमें जो अफसर काम कर रहे हैं, उसमें लोगों के साथ कितना बड़ा धोखा हुआ होगा। कैसे इन्नोसैंट लोगों को अंदर रखा होगा ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी.सी. थामस : महोदय, सरकार क्या कर रही है? ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अपराह्न 2 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.01 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.06 बजे

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.06 बजे पुन: समवेत हुई।

(**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए)

महात्मा गांधी और श्रीमती इंदिरा गांधी को विश्व द्वारा इस सहस्राब्दि की महान विभूतियों के रूप में मान्यता दिए जाने पर श्रद्धांजलि

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, विश्व इतिहास बन रही इस सहस्राब्दि के महान् व्यक्तियों के बारे में विचार कर रहा है, दो विशिष्ट व्यक्तियों को इस सहस्राब्दि की महान् विभूतियों के रूप में मान्यता दी गई है। हमारे देश के लिए यह बड़े गर्व की बात है कि विश्व में विख्यात ये दोनों व्यक्तित्व भारतीय हैं।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति सदियों में कभी कभार ही इस धरती पर जन्म लेते हैं। वे शांति दूत थे जिन्हें बीसवीं सदी के निर्माता के रूप में सर्वत्र स्वीकार किया जाता है। उनका शांति और अहिंसा का उपदेश आज भी हमारे लिए प्रकाश स्तम्भ बना हुआ है। यह प्रसन्नता का विषय है कि "एशियावीक" पत्रिका ने उन्हें सदी के एशिया पुरुष के रूप में चुना है। यह देश के लिए बड़े गौरव की बात है।

ब्रिटिश ब्राडकास्टिंग कारपोरेशन ने ऑन लाइन वर्ल्ड पोल में श्रीमती इंदिरा गांधी, जिन्होंने सदन के नेता और प्रधानमंत्री के रूप में अनेक वर्षों तक इस सभा को सुशोभित किया, "इस सहस्राब्दि की महानतम महिला" चुनी गई हैं। इस प्रकार उनका स्थान अन्य ऐतिहासिक विभूतियों से भी ऊपर हो गया है। यह एक दुर्लभ उपलब्धि है और हमारे देश के लिए गौरव की बात है।

मैं इस सभा की ओर से भारत के इन दो महान नेताओं की स्मृति में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

अपराह्न 2.08 बजे

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

देश में नारियल की फसल को क्षति पहुंचाने वाला गंभीर कुटकी रोग

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब श्री पी.सी. थामस का ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लिया जाएगा।

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा): मंत्री जी कहां हैं? वे यहां उपस्थित नहीं हैं?

अध्यक्ष महोदय : वे आ रहे हैं।

श्री संतोष मोहन देव (सिलचर): कृपया आप इस बात को ध्यान में रखें ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं कि वे आ रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री एस. जयपाल रेड्डी (मिरयालगुडा): अध्यक्ष महोदय, इसके लिए अध्यक्षपीठ द्वारा मंत्री महोदय को फटकारा जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया समझने की कोशिश करें। वे आ रहे हैं। इस बीच श्री थामस आप अपना प्रस्ताव पेश कर सकते हैं?

श्री पी.सी. थामस : महोदय, हमारा मंत्री जी से कोई झगड़ा नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी से झगड़ा न करें।

श्री पी.सी. थामस : नहीं महोदय। वे बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं। हम केवल यह चाहते हैं कि अनजाने में जो विलम्ब हुआ है मेरे विचार से उसके लिए वे नारियल उत्पादों पर कृपा करेंगे।

मैं माननीय कृषि मंत्री का ध्यान अति लोक महत्व के निम्नलिखित मामले की ओर आकर्षित करता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वे इस संबंध में एक वक्तव्य दें:

"देश में नारियल की फसल को खतरा पैदा कर रहे गंभीर कुटकी रोग से उत्पन्न स्थिति और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम।"

कृषि मंत्री (श्री नीतीश कुमार): भारत ने नारियल में कुटकी (माइट) होने की घटना की जानकारी सर्वप्रथम 1998 में केरल के एर्नाकुलम जिले से मिली। ऐसा पता लगा है कि अन्य पड़ौसी राज्यों यथा तमिलनाडु, कर्नाटक और संघ शासित क्षेत्र पांडिचेरी में भी यह फैल रहा है। कुटकी ग्रस्त होने से अत्यन्त छोटे आकार के नारियल का उत्पादन होता है जिसकी सतह में कीलक व देशान्तरीय दरारें होती है जिससे वह समय से पूर्व गिर जाता है। केरल में इस रोग का प्रकोप अब सात जिलों यथा अलापुझा, एर्नाकुलम, मलापुरम, कोट्टायम, पलक्कड़, त्रिचूर और त्रिवेन्द्रम में फैल चुका है।

इसी प्रकार तमिलनाडु के कुछ भागों में विशेषतौर पर ईरोड, पोलची, कोयम्बतूर, डिंडीगुल, और विरधुनगर से कुटकी के तीव्र प्रकोप की जानकारी मिली है। तमिलनाडु में, लगभग 50 लाख नारियल पेड़ों के इस कीट से प्रभावित होने की सूचना मिली है। कर्नाटक और पांडिचेरी से भी इस कीट की छुटपुट घटनाओं की जानकारी प्राप्त हुई है।

केन्द्रीय पौधरोपण फसल अनुसंधान संस्थान, (सी.पी.सी. आर.आई.), कसारगोड ने मासिक अंतराल पर इसकी जड़ों में 10 मिलीलिटर मोनोक्रोटोफॉस और 10 मिलीलीटर पानी भरने की सिफारिश की है जोकि नियंत्रण के लिए संतोषजनक उपाय हैं। इसी प्रकार केरल कृषि विश्वविद्यालय ने मासिक अन्तराल पर प्रति लिटर पानी में 6 मिलीलिटर डिकोफॉल अथवा 2% नीम तेल और 2% लहसुन तत्व का छिड़काव करने की सिफारिश की है। केरल सरकार केरल कृषि विश्वविद्यालय द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार छिड़काव द्वारा उपचारी/नियंत्रण उपायों को करने के लिए कदम उठा रही है।

कीटनाशियों की उच्च लागत और कीटों के नियंत्रण के लिए कीटनाशियों का प्रबंध करने में कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों का अब यह मत है कि प्राकृतिक शत्रुओं के साथ प्रभावी जैव नियंत्रण उपायों का विकास हो जिससे समस्या का प्रभावी, सस्ता, पारिस्थितिकी के अनुकूल और दीर्घकालिक समाधान हो सके। इसलिए नारियल विकास बोर्ड ने इस दिशा में कार्य करने के लिए प्रभावी जैव-नियंत्रण उपायों का विकास करने के लिए 3.00 लाख रुपयां की लागत की अनुसंधान परियोजना अनुमोदित की है।

नारियल विकास बोर्ड ने कुटकी पर पुस्तिकाएं/विवरणिकाएं निकाली हैं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए सहायता दे रहे हैं। केरल और तमिलनाडु दोनों राज्यों में जागृति अभियान चलाए जा रहे हैं जहां इस कीट के प्रकोप की अत्यधिक घटनाएं होने की सूचना मिली है।

नारियल में कुटकी के प्रकोप से निपटने के लिए अक्तूबर, 1998 में केरल सरकार से प्राप्त 525 लाख रुपये की सहायता के अनुरोध पर नारियल विकास बोर्ड ने वर्ष 1998-99 में केरल सरकार को इस प्रयोजनार्थ 96 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि निर्मुक्त की है जिसको वर्ष 1999-2000 में प्रयोग किए जाने के लिए हाल ही में पुनः अभिपुष्टि की गई है। इसके अलावा, "उत्पादकता में सुधार के लिए नारियल जोत-क्षेत्र में समेकित खेती" परियोजना के अंतर्गत, जिसमें पौध संरक्षण घटक शामिल हैं, वर्ष 1999-2000 के लिए केरल को 713.03 लाख रुपये के परिव्यय की मंजूरी दी गई है।

इस संबंध में सचिव, केन्द्रीय कृषि और सहकारिता विभाग ने तमिलनाडु और केरल में नारियल के कुटकी कीट (माइट) की समस्या पर विचार-विमर्श करने के लिए कोचि में 2 सितम्बर, 1999 को सी.पी.सी.आर.आई., केरल कृषि विश्वविद्यालय, तमिलनाडु विश्वविद्यालय (टी.एन.ए.यू.) के वैज्ञानिकों तथा सी.डी.बी. के अधिकारियों, केरल और तमिलनाडु सरकार के कृषि/बागवानी निदेशक के साथ एक बैठक भी की।

बागवानी आयुक्त की अध्यक्षता में एक संचालन समिति बनाई गई है जिसमें केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों के प्रतिनिधि, तीन कृषि विश्वविद्यालयों, केन्द्रीय पौधरोपण फसल अनुसंधान संस्थान, कासरगौड़, जैव-नियंत्रण परियोजना निदेशालय और "कुटकी" पर अखिल भारतीय समन्वित परियोजना (भा.कृ.अनु.परि.) के प्रतिनिधि शामिल हैं तथा वह समिति उचित नियंत्रक उपाय विकसित करने और इस समस्या संबंधी प्रबंधन की समीक्षा और समन्वय करेगी।

केरल सरकार ने इस संबंध में 100 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता का अनुरोध किया है। इस मामले की जांच की जा रही है।

श्री पी.सी. थामस : अध्यक्ष महोदय, यह समस्या इतनी गंभीर है कि यदि इस समस्या का इस समय समुचित निराकरण नहीं किया गया तो भारत को काफी नुकसान होगा। देश में 1.89 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में नारियल का प्रतिवर्ष अनुमानित उत्पादन 130 बिलियन नारियल है। यह विश्व में नारियल के कुल उत्पादन का 24.5 प्रतिशत है। देश में नारियल की खेती का क्षेत्र विश्व में नारियल की खेती के कुल क्षेत्र का लगभग 15.5 प्रतिशत है।

अपराह्न 2.16 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*)

नारियल के उत्पादन और उत्पादकता के मामले में भारत पहले स्थान पर पहुंचने की ओर अग्रसर हो रहा है। इस स्थिति में यह रोग विनाशकारी बन रहा है। यह इस फसल को पूरी तरह बर्बाद कर देगा। इस रोग का प्रकोप इतना व्यापक है कि इससे गंभीरता से निपटा जाना चाहिए, इसे राष्ट्रीय आपदा माना जाना चाहिए और इस संबंध में सरकार द्वारा कार्यवाही की जानी चाहिए।

महोदय, केरल में नारियल के लगभग 90 प्रतिशत बागान इस रोग से प्रभावित हैं। कृषि विभाग के आंकड़े बताते है कि केरल में 59 बिलियन नारियलों का उत्पादन होता है और वहां पर 1.02 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में नारियल की खेती की जाती है। अकेले केरल में नारियल की खेती में 1 करोड़ लोग श्रमिक, कृषक और उससे जुड़े अन्य कार्यों नें लगे है। इससे देश के सकल घरेलू उत्पाद में प्रतिवर्ष 7000 करोड़ रुपये का योगदान किया जा रहा है और नारियल जटा और नारियल के अन्य उत्पादों के निर्यात से भी लगभग 366 करोड़ रुपये अर्जित किए जा रहे हैं।

महोदय, यह केवल केरल की समस्या नहीं है। तमिलनाडु में भी नारियल की लगभग 70 प्रतिशत फसल इस रोग से प्रभावित हो रही है। पोलाची एक गुमनाम क्षेत्र है और यह इस रोग से काफी प्रभावित हुआ है। आंकड़े बताते है कि तमिलनाडु में 3,19,800 हेक्टेयर क्षेत्र में 3716 मिलियन नारियल का उत्पादन होता है। कर्नाटक में, जिसके बारे में श्री बंगरप्पा भी बोलने जा रहे हैं। नारियल की 50 प्रतिशत खेती इस रोग से प्रभावित हुई है और कर्नाटक में 2,86,900 हेक्टेयर क्षेत्र में 1493 मिलियन नारियल का उत्पादन होता है। आंध्र प्रदेश में 94,900 हेक्टेयर क्षेत्र में 780 मिलियन नारियलों का उत्पादन होता है।

मेरे पास अन्य सभी राज्यों-पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, गोवा, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, असम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के आंकड़े भी उपलब्ध हैं। लक्षद्वीप के बारे में मैं विशेष रूप से कहूंगा कि वहां पर 2800 हेक्टेयर क्षेत्र में 28 मिलियन नारियल का उत्पादन होता है। यह बहु आयामों वाली अत्यंत गंभीर समस्या है। केरल सरकार अकेले इस समस्या से निपटने में सक्षम नहीं होगी। केरल सरकार उस समस्या से निपटने में सफल नहीं रही है। मैं नहीं समझता कि अन्य राज्यों की सरकारें भी इस संबंध में अकेले कुछ कर सकती हैं। अतः इस मामले में भारत सरकार को आगे आना होगा।

विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार ने नारियल को तिलहन घोषित किया था किंतु उसके साथ ही तिलहनों को मिलने वाली प्रसुविधाएं वापस ले ली गई। अतः अब इसे तिलहन नहीं माना जाता है। इसे एक बागवानी उत्पाद माना जा रहा है। इसलिए नारियल की खेती फसल बीमा के अन्तर्गत नहीं आती है। भारत सरकार साधारण बीमा निगम और अन्य एजेंसियों के माध्यम से बीमा सुरक्षा प्रदान कर रही है किंतु नारियल की खेती के लिए बीमा सुरक्षा उपलब्ध नहीं है। हम अन्य संबंधित विधेयकों को जल्दबाजी में पारित कर रहे है। बीमा क्षेत्र में हम विदेशी निवेश को आमंत्रित कर रहे हैं। इस देश में नारियल की खेती कर रहे गरीब किसानों को बीमा सुरक्षा उपलब्ध नहीं है और भारत सरकार द्वारा उन्हें कोई सब्सिडी भी नहीं दी जाती है।

इसलिए मैं चाहता हूं कि इस संबंध में तत्काल कुछ कदम उठाए जाएं ताकि यह सुनिश्चित हो कि किसानों द्वारा लगाए गए प्रत्येक नारियल वृक्ष के लिए समुचित बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराकर उनकी सहायता की जा सके। इस मामले पर सरकार को गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। अतः भारत सरकार द्वारा सभी संबंधित राज्यों के नारियल उत्पादों को सहायता दी जानी चाहिए। माननीय मंत्री ने वक्तव्य में 96 लाख रुपये के बारे में कहा है जो नारियल विकास बोर्ड द्वारा व्यय की गई है या दी गई किंतु इस समस्या की विकरालता को देखते हुए यह राशि काफी कम है। मुझे विश्वास है कि केरल सरकार ने इस संबंध में 3 लाख रुपये देकर कदम उठाया है ...*(व्यवधान)* वक्तव्य में 96 लाख रुपये की बात कही गई है। स्थिति की विकरालता और नारियल उत्पादकों द्वारा राष्ट्र को दिए जा रहे महान योगदान की तुलना में यह अत्यन्त अल्प राशि है। इसलिए, मैं यही कहना चाहूंगा कि यह बात अत्यन्त महत्वपूर्ण पहलू है कि भारत सरकार किसानों की अच्छी सहायता करे इस समय केरल सरकार एक काम कर रही है। वे प्रभावित पेड़ के लिए 3 रुपये दे रहे हैं जो बहुत कम है। जैसा कि वक्तव्य में कहा गया है प्रत्येक पेड़ के उपचार पर कम से कम 15 रुपये की लागत आने का अनुमान है। वक्तव्य में यह कहा गया है कि कुछ तरह की औषधियां प्रयोग में लाई जाती हैं, उदाहरण के लिए तमिलनाडु में एक तरह के रसायन को

इस्तेमाल में लाया जाता है। केरल में कृषि विश्वविद्यालय के सुझाव के अनुसार वे भी एक विशेष प्रकार की औषधि प्रयोग में ला रहे हैं जिसका नाम डायकोफिल है। वे इसी औषधि को प्रयोग में ला रहे हैं लेकिन केवल यही औषधि इस समस्या का निदान नहीं है।

इस स्थिति में यह भी कहना चाहूंगा कि अभी तक इस समस्या का उपयुक्त निदान नहीं मिल पाया है। इसलिए यही उपयुक्त होगा कि मंत्री स्वयं संबंधित क्षेत्र विशेषकर केरल का दौरा करें। केरल में सबसे अधिक खेती होती है। केरल में 59 मिलियन नारियलों की पैदावार होती है इसलिए स्वयं मंत्री जी को भारत के उच्च स्तरीय वैज्ञानिकों के साथ न केवल केरल बल्कि अन्य प्रभावित क्षेत्रों का भी स्वयं दौरा करना चाहिए जो इस समस्या का समाधान ढूंढ निकालेंगे जिसके बारे में वैज्ञानिक अब यह कहते है कि इस रोग का निदान किसी तरह की खाद या दवाई या कीटनाशक के प्रयोग करने से नहीं होगा बल्कि इसका निदान किसी प्रकार के जैविक और प्राकृतिक कीट-रोधी पदार्थों के अनुप्रयोग से ही हो पाएगा जिसका उत्पादन करना होगा।

इस रोग का सबसे पहले अफ्रीका और लैटिन अमरीका में पता चला जहां चाय और कॉफी के बागान इससे प्रभावित हो रहे थे। वहां वे कीट विरोधी या जैविक कीट या प्राकृतिक कीट का पता लगाने में सफल रहे है जो अब इस रोग का मुकाबला कर रहे हैं तथा जिन्हें सफलतापूर्वक इस रोग का मुकाबला करने में कामयाबी मिली है। इसलिए इस समस्या का तुरंत समुचित समाधान ढूंढ़ निकालने के लिए यह भी आवश्यक होगा कि विदेशों के वैज्ञानिकों की सलाह भी ली जाए।

इसलिए मैं यह सुझाव भी देना चाहूंगा कि इस रोग के उपचार का वैज्ञानिकों द्वारा तुरंत अन्वेषण किए जाने की आवश्यकता के अलावा प्रभावित किसानों को मदद दिए जाने की आवश्यकता है अन्यथा, वे इसकी खेती करना बंद कर देंगे, वे इस समस्या को अधिक नहीं झेल पाएंगे। इसलिए मैं यह सुझाव दूंगा कि प्रति नारियल, प्रति पेड़ राशि का आकलन करके कुछ राशि तुरंत दी जानी चाहिए। केरल सरकार ने 100 करोड़ रुपये की मांग की है जो मैं समझता हूं कि बहुत कम राशि है क्योंकि स्थिति की गंभीरता उससे कहीं अधिक है। मेरा यह निवेदन है कि प्रति पेड़ के लिए कम से कम 50 रुपये निर्धारित किए जानें चाहिएं ताकि इस संबंध में किसानों को, चाहे केरल में हों, या तमिलनाडु में या अन्य किसी भी प्रभावित राज्य में उन्हें किसी भी तरह से सहायता दी जाए ताकि वे अपना उत्पादन जारी रख सकें।

इस बात का भी आशंका है कि यह कुछ एजेन्सियों द्वारा गुप्त समझौते के कारण हुआ है। वैसी आशंका भी है। उदाहरण के लिए कुछ बहुराष्ट्रीय कम्पनियों पर संदेह किया जा रहा है जो अपने साफ्ट ड्रिंक्स जैसे अपने उत्पाद ला रहे हैं। उन्होंने पर्दे के पीछे कुछ ऐसा किया है कि किटाणु लाकर यहां पनपने के लिए छोड़ दिए है ताकि उनके अपने व्यावसायिक हितों की रक्षा हो सके।

इसलिए इसकी भी जांच होनी चाहिए कि कहीं कोई बहुराष्ट्रीय कम्पनी या इसमें लिप्त अन्य कम्पनियां नारियल उत्पादकों को शिकार बनाकर अपने उत्पादों को बढ़ावा तो नहीं देना चाहते हैं।

कुछ माननीय सदस्य कह रहे थे कि नारियल पानी बहुत मीठा होता है परन्तु हम इसका उपयोग नहीं करते। ...*(व्यवधान)* हम पेप्सी पीते हैं जबकि चीन में, जैसी कि मुझे सूचना मिली है कि नारियल दूध जो हमारे पास प्रचूर मात्रा में होता है–को पैक करके प्रयोग में लाया जा रहा है। लोगों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला यह आम पेय है, हम वहां अन्य कोई कृत्रिम पेय नहीं देखते। नारियल का मीठा पानी भी कुछ इस तरह का पेय है जिसका प्रचार करना चाहिए और उसे औद्योगिक रूप से बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि भारत उससे लाभान्वित हो सके।

मुझे दुख है कि भारत सरकार के अधीन नारियल विकास बोर्ड के पास कोई सांविधिक शक्ति नहीं है। इसलिए, अगर हम नारियल विकास बोर्ड के माध्यम से कुछ करना चाहते हैं तो बोर्ड को शक्ति सम्पन्न बनाया जाना चाहिए और इस संबंध में कुछ किया जाना चाहिए।

केरल सरकार ने डायकोफिल का प्रयोग करने का सुझाव दिया है। डायकोफिल एक रसायन है परन्तु इसमें डी.डी.टी. की मात्रा काफी अधिक है। डी.डी.टी. एक ऐसा पदार्थ है जिसका पूरी तरह से त्याग किए जाने की सिफारिश की गई है। इसलिए, मैं यही सुझाव दूंगा कि इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। डायकोफिल की आपूर्ति बेयर और कम्पनी करती है। मैं नहीं जानता कि क्या यह बहुराष्ट्रीय कम्पनी एक रक्षक बनकर आई है या नहीं। इस ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

विशेषकर तमिलनाडु में मोनोक्रोटोफोस का इन्जेक्शन नारियल के पेड़ की जड़ों में लगाया जा रहा है। यह बहुत जहरीला होता है। इसके परिणामों का भी अध्ययन किया जाना चाहिए अन्यथा इससे भारत में न केवल नारियल बल्कि अन्य किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसलिए इस मामले पर भी गम्भीरता से गौर किया जाना चाहिए।

[श्री पी.सी. थामस]

नारियल उत्पादकों को और भी भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उन्हें उसका उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। नारियल का दाम जो 6 रुपये था घटकर 2 रुपये या 3 रुपये हो गया है। उन्हें काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए, किसानों को उचित मूल्य दिलाने में भी मदद करनी चाहिए।

कृषि मंत्रालय न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करने के लिए चिंतित है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री थामस, आपको स्पष्टीकरण के संबंध में एक प्रश्न पूछना है।

श्री पी.सी. थामस : चूंकि श्री नीतीश कुमार ने प्रभार संभाल लिया है अत: मैं यही सुझाव दूंगा कि कम से कम इस समय न्यूनतम समर्थन मूल्य वास्तविक उत्पादन लागत और किसानों की जीवन यापन के आधार पर घोषित किया जाए।

मुझे संसद में कुछ वर्ष पहले दिए गए उत्तर को पढ़कर हैरानी हुई नारियल की उत्पादन लागत के बारे में सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता। फिर न्यूनतम समर्थन मूल्य का क्या फायदा? अत: यह घोषित किया जा रहा न्यूनतम समर्थन मूल्य सही मानक के नुरूप नहीं है और इसका उस गंभीर स्थिति से कोई रिश्ता नहीं है। जिसका सामना किसान कर रहे हैं और यही उत्पादन लागत है। इसलिए, इन सब बातों पर विचार किया जाना चाहिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा तर्कसंगत रूप से एक निश्चित समय के अंदर की जानी चाहिए और किसानों को आश्वासन दिया जाना चाहिए कि उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा।

महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करूंगा क्योंकि मेरे अन्य साथी भी बोलने वाले हैं।

मैं केवल एक ही बात पूछूंगा कि भारत सरकार नारियल उगाने वाले भारत के किसानों को, विशेषकर केरल में जहां इसका सबसे अधिक उत्पादन होता है, क्या केन्द्रीय सहायता दे सकती है।

मेरा दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न यह है ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप केवल एक प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री पी.सी. थामस : फिर मैं इसे पहले प्रश्न के साथ ही मिला दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : चाहे इसे मिलाओ या कुछ करो। परंतु आप एक प्रश्न ही पूछ सकते हैं।

श्री पी.सी. थामस : महोदय, पहले प्रश्न से पूर्व मेरा प्रश्न यह है कि ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री थामस कृपया अपनी बात समाप्त करें। अन्य तीन या चार सदस्य हैं जो अपने प्रश्न पूछना चाहते हैं।

श्री पी.सी. थामस : महोदय, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

इसलिए, महोदय मेरा प्रश्न (क) केन्द्रीय सहायता; (ख) मंत्री जी के नेतृत्व में भेजे जाने वाले केन्द्रीय दल; और (ग) किसानों को मिलने वाली बीमा राशि या वास्तविक सुरक्षा उपायों से संबंधित है ताकि वे नारियल की खेती जारी रख सकें। महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दुख है कि सरकार नारियल की कीड़े की समस्या की गंभीरता को पूरी तरह समझने में असफल रही है। इसके परिणामस्वरूप, मैं यह कहने पर मजबूर हूं कि यह सरकार की ओर से लापरवाही का बहुत बड़ा अपराध है। सरकार का पूरा तंत्र ही कछुए की चाल से काम कर रहा है। यह बात महत्वपूर्ण है कि सरकार ने इस काम में देरी करके स्थिति को इतना गंभीर बना दिया है। हमें बताया गया है कि न केवल केरल बल्कि तमिलनाडु, कर्नाटक और पांडिचेरी भी इससे प्रभावित हुए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : शुक्र है, लक्षद्वीप नहीं।

श्री जी.एम. बनातवाला : केरल के मामले में, स्थिति की गंभीरता इतनी है कि लगभग दस लाख किसानों के पांच करोड़ पान के पेड़ पहले ही प्रभावित हो चुके हैं। इसके अलावा वक्तव्य

में यह कहा गया है कि एर्नाकुलम से शुरू होने वाला रोग सात जिलों में फैल गया है। नहीं, लगभग सभी जिलों में, विशेषकर ग्यारह जिले बहुत बुरी तरह प्रभावित हुए हैं और यह नए-नए क्षेत्रों में फैल रहा है। इसलिए सरकार को इस विशेष समस्या के संबंध में ढीलापन छोड़ देना चाहिए।

नारियल की खेती करने वाले किसानों की इस दयनीय स्थिति को समझा जाना चाहिए। वे छोटे किसान हैं और केरल में 95 प्रतिशत किसानों के पास एक हेक्टेयर से भी कम जमीन है। मैं इस बात पर जोर देता हूं कि इस संबंध में तुरंत व्यापक रूप से हस्तक्षेप करना जरूरी है। वहां पहले से ही पौधों को मुरझाने की बीमारी थी और अब नारियल के कीड़ों की बीमारी हो गई है। दोनों बीमारियां मिलकर नारियल की फसल को पूरी तरह बर्बाद कर रही हैं और वहां की कृषि अर्थव्यवस्था को व्यापक नुकसान पहुंचा रही हैं।

नारियलों में कीड़ों का पहली बार पता 1998 में लगा था। अगर मैं केरल सरकार का उल्लेख करता हूं तो उसने उस समय 525 लाख रुपए की सहायता की मांग की थी।

525 लाख रुपए की सहायता की मांग के बदले केवल 96 लाख रुपए को मामूली सी राशि ही प्रदान की गई थी। अब, समय के बीतने के साथ और इस लापरवाही के परिणामस्वरूप और तुरंत तथा व्यापक रूप से हस्तक्षेप न कर पाने के कारण यह विनाशकारी बीमारी फैल गई है। अब केरल सरकार ने कम से कम 100 करोड़ रुपये केन्द्रीय अंशदान के रूप में देने की मांग की। उनके द्वारा शुरू किया जाने वाला यह कार्यक्रम 195 करोड़ रुपये का है। मेरा विचार है कि यह राशि पर्याप्त नहीं होगी। केरल सरकार और स्थानीय निकाय 95 करोड़ रुपये जुटाएंगे और केन्द्रीय सहायता 100 करोड़ रुपये की होगी।

अब जैसाकि मैंने कहा है कि बहुत अल्प राशि दी जा रही है। सरकार को महसूस करना चाहिए कि रासायनिक द्रव्य, सफाई और उसके प्रयोग पर औसत लागत लगभग 13 रुपये प्रति वृक्ष आता है यदि केरल में 5 करोड़ नारियल के पेड़ प्रभावित हुए है इनके लिए कम से कम तीन बार छिड़काव करने की आवश्यकता है तो साधारण हिसाब लगाने से ही आपको पता चल जाएगा कि इस कार्य के लिए आवश्यक न्यूनतम राशि 195 करोड़ रुपये की बनती है। 95 करोड़ रुपये की राशि राज्य सरकार और स्थानीय निकायों द्वारा वहन की जाएगी इसलिए केरल सरकार ने 100 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता के रूप में अत्यन्त औचित्यपूर्ण और न्यूनतम मांग की है। नारियल कीड़े से निपटने के इस मामले में देर करने की गुंजाइश नहीं है। यह विलम्ब बहुत महंगा पड़ेगा जैसा कि मैंने बताया है वह बीमारी फैल रही है जबकि सरकार सो रही है। मैं कहता हूं कि केन्द्र सरकार चींटी की चाल से चल रही है। हमें बताया गया है कि 100 करोड़ रुपये की इस मांग की जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

मुझे उर्दू का एक शेर याद आता है-

"हमने माना के तग़ाफ़ुल न करोगे लेकिन,
खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक।"

स्थिति यह है।

श्री एस. बंगरप्पा (शिमोगा): आपको इसका अंग्रेजी में अनुवाद करना चाहिए।

श्री जी.एम. बनातवाला : इसका अर्थ है हमें यह विश्वास था कि आप देरी नहीं लगाएंगे आप टालमटोल नहीं करेंगे। लेकिन जब तक आप जागेंगे और कोई कार्यवाही करेंगे तब तक हम मर चुके होंगे अर्थात् नारियल का पूरा खात्मा हो जाएगा। कृषि अर्थव्यवस्था को भी खतरा है।

इसलिए मैं शीघ्र निर्णय लेने की आवश्यकता पर बल देता हूं और उन्हें इसे करना ही पड़ेगा क्योंकि नारियल का कीड़ा फैलता जा रहा है। इस थोड़ी सी धनराशि से कुछ नहीं होगा। इस से समस्या का हल नहीं होने जा रहा है और दी जा रही इस अल्पराशि का दुष्परिणाम हमें ही भुगतना पड़ेगा।

अत: मैं इस बात पर बल देता हूं कि प्रत्येक राज्य के मामले में पूरी सहायता दी जानी चाहिए। इस पूरी स्थिति को एक बड़ी राष्ट्रीय आपदा के रूप में लिया जाना चाहिए।

मैं नारियल बोर्ड को भी यह कहूंगा हमें भी किसानों की सहायता करने के लिए आगे आना होगा। वे दयनीय स्थिति में है और उन्हें सहायता दी जानी चाहिए जैसा कि इसका वर्णन पहले भी किया जा चुका है मैं कुछ आगे के पहलुओं के बारे में भी जानना चाहता हूं। नारियल बोर्ड ने अनुसंधान के लिए कहा है। इस समस्या को, जैसे कि मैंने आपको बताया हम बड़े हल्के फुल्के ढंग से ले रहे हैं और इस प्रकार हमने इस विशेष बीमारी

[श्री जी.एम.. बनातवाला]

से उत्पन्न चुनौती से निपटने के हेतु किए जा रहे-अनुसंधान कार्य के लिए 3 लाख रुपये की राशि नियत की है। महोदय हम जानना चाहते हैं, यह अनुसंधान योजना कब स्वीकृत की गई? इसकी वर्तमान स्थिति क्या है? इसमें कितना समय लगने की सम्भावना है?

महोदय हमें आपके वक्तव्य से पता चला है कि जब 1998 में केरल सरकार ने आपसे 525 लाख रुपये की सहायता की मांग की नहीं तो उस समय 96 लाख रुपये की थोड़ी सी राशि स्वीकृत और जारी की गई थी। हम जानना चाहते हैं कि 96 लाख रुपये की राशि कब जारी की गई। हम यह भी जानना चाहते हैं क्या इस पूरी राशि का उपयोग किया गया था और यदि हां तो कितनी अवधि के भीतर। हमें आपके वक्तव्य से पता चला कि इस राशि के उपयोग करने की अवधि वर्ष 1999-2000 के लिए बढ़ा दी गई है। इसका अर्थ क्या है? मेरी अंग्रेजी काफी कमजोर है। अतः मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसका अर्थ यह है कि वर्ष 1999-2000 के लिए 525 लाख रुपये की नयी राशि स्वीकृत और जारी की गई है अथवा इसका अर्थ है कि पूर्व में दी गई राशि को जिसका उस अवधि के दौरान उपयोग नहीं किया गया था आगे के वर्षों के लिए उपयोग में लाने की मंजूरी दी जा रही है।

महोदय, मुझे प्रसन्नता होगी यदि पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिये जाए और हमें आश्वासन दिया जाए कि प्रत्येक राज्य को, जहां तक नारियल का सम्बन्ध है, को इस अति विनाशकारी कीटाणु जिसका हम लोग सामना कर रहे हैं, का मुकाबला करने के लिए पूरी सहायता दी जाएगी।

उपाध्यक्ष महोदय : अब, क्या आपने प्रश्न पूछ लिया है?

श्री जी.एम. बनातवाला : महोदय, धन्यवाद मैं पुनः आरम्भ करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं स्पष्टीकरण वाले प्रश्न के बारे में पूछ रहा हूं।

श्री जी.एम. बनातवाला : मेरे सीधे प्रश्न उसमें हैं और मैं आशा करता हूं कि सरकार अपनी नींद से जागेगी और अपनी क्षमता प्रमाणित करेगी और पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ेगी और प्रभावित हुए प्रत्येक राज्य और प्रत्येक किसान को पूरी सहायता प्रदान करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कोडीकुनील सुरेश।

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा): महोदय मुझे फ्लाइट पकड़नी है।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, श्री रमेश चेन्नितला।

श्री रमेश चेन्नितला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने माननीय सहयोगियों द्वारा व्यक्त किये गए विचारों से सहमत हूं। केरल में नारियल उगाने वाले किसान अपना खून बहा रहे हैं और राज्य सरकार व केन्द्र सरकार खिलवाड़ कर रही है हमारे माननीय सहयोगियों द्वारा ठीक ही कहा गया है कि सरकारें-केन्द्र और राज्य दोनों ही सो रही है वह हमारे राज्य में नारियल उगाने वाले किसानों के मामलों को गम्भीरता से नहीं ले रही है।

महोदय, आपने वक्तव्य में बड़े क्षेत्र में विनाशकारी नारियल कीड़ों से होने वाली क्षति के बारे में बताया है। अब यह रोग केरल के लगभग सभी जिलों में फैल रहा है अब यह बीमारी धीरे-धीरे अन्य राज्यों में भी फैल रही है। यह धीरे-धीरे आपके राज्य में भी फैल रही है। उपाध्यक्ष महोदय, यह कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा और देश के अन्य भागों में भी फैल रही है। नारियल उत्पादक गरीब किसान पहले भारी समस्याओं से जूझ रहे है। उन्हें लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहे है और उनके उत्पाद ठीक तरह से नहीं बिक पा रहे है। इसके साथ ही उत्पादन लागत में भी वृद्धि हो रही है। इसके साथ-साथ नारियल पर कीड़े लगने की घटना ने राज्य की अर्थव्यवस्था में अत्यन्त गम्भीर स्थिति उत्पन्न कर दी है।

केरल राज्य की पूरी अर्थव्यवस्था नारियल की फसल पर आधारित है। दुर्भाग्य से केन्द्र सरकार और राज्य सरकार इस मुद्दे को बड़े हल्के फुल्के ढंग से ले रही है। मैं अपने देश में नारियल उत्पादन के ब्यौरों के बारे में नहीं जाना चाहता हूं केरल ऐसे राज्यों में से एक है जिसने इस क्षेत्र में पर्याप्त अंशदान दिया है। नारियल उत्पादन से जुड़े यहां 10 करोड़ किसान या तो सीमान्त किसान हैं या गरीब है। हालांकि सरकार ने नारियल बोर्ड की स्थापना की है लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि गांवों में रह रहे किसानों को इस बोर्ड से कोई लाभ नहीं हो रहा है। नारियल बोर्ड के कार्य न करने के कारण से हमारे राज्य में यह स्थिति उत्पन्न हुई है। वे किसानों की स्थिति पर गौर नहीं कर रहे हैं वे इन किसानों को किसी प्रकार का प्रोत्साहन नहीं दे रहे है।

माननीय मंत्री जी ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद और केन्द्रीय पौध रोपण फसल अनुसंधान संस्थान जिसे 1984 में आरम्भ किया गया था के बारे में बताया है लेकिन आज तक कुछ भी नहीं किया गया है। केन्द्रीय सरकार ने जिस निर्दयता से इस

मामले पर ध्यान दिया है, यह उस वक्त साफ हो जाता है जब आपको पता चलता है कि तीन लाख रुपये अनुसंधान और विकास के लिए निर्धारित किए गए है। क्या हम इसे स्वीकार करें? यह 1989 में आरम्भ हुआ, लेकिन अभी तक इस समस्या की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। लाखों की संख्या में नारियल के पेड़ इस बीमारी के शिकार हुए हैं, और इस कारण हजारों किसानों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अनुसंधान और विकास कार्य के लिए जो तीन लाख रुपए निर्धारित किए गए हैं, उनसे कोई संस्था कैसे अपने किसी अनुसंधान और विकास का कार्य कर सकती है? दूसरे देशों को देखिए किस तरह उन्होंने इस समस्या का समाधान ढूंढ निकाला है। जब लेटिन अमेरिका और ब्राजील को इस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ा, उनके वैज्ञानिक सामने आए और इस समस्या को प्रभावशाली ढंग से सुलझाया। क्या हमारे देश में वैज्ञानिकों या संस्थाओं का अभाव है? केन्द्रीय वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी.पी.सी.आर.आई.) और केन्द्रीय पौधरोपण फसल अनुसंधान संस्थान (सी.एस.आई.आर.) जैसी संस्थाएं क्या कर रही हैं? ये संस्थाएं संसद के प्रति उत्तरदायी हैं। वे सो रही हैं और इस समस्या के प्रति गंभीर नहीं है। हम कितना धन इन संस्थाओं पर खर्च कर रहे हैं? जैसे श्री बनातवाला ने पहले ठीक ही कहा था, नारियल पेड़ उगाने वाले कृषक को इस कुटकी (माइट) कीट की समस्या के साथ अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए, यह केन्द्रीय पौधरोपण फसल अनुसंधान संस्थान (सी.पी.सी.आर.आई.) और साथ ही केन्द्रीय वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी.एस.आई.आर.) का कर्त्तव्य है कि वह इस मामले को गंभीरता से लें और इसका कोई हल ढूंढ़ निकाले।

केरल कृषि विश्वविद्यालय ने भी यह सुझाव दिया था कि कीटनाशकों का छिड़काव करना खतरनाक है। श्री थामस ने भी इस ओर इंगित किया था कि यह खतरनाक है। मेरा मुद्दा यह है कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। केन्द्रीय सरकार ने हमारी अनुसंधान और विकास संस्थाओं को इस समस्या से निपटने के लिए उचित दिशा-निर्देश नहीं दिए। इस महत्वपूर्ण बात को नोट करना चाहिए कि यह बीमारी दूसरे राज्यों में भी फैल रही हैं। अतः इस निर्दय व्यवहार के पीछे क्या कारण है?

महोदय मैं इस बात पर अत्यधिक बल देना चाहता हूं कि यह न सिर्फ निर्दयता है बल्कि एक लॉबी इसके पीछे कार्यरत है। तेल की लॉबी हमारे देश में बहुत मजबूत है, और वह हमारे देश के नारियल उत्पादकों के विरुद्ध कार्य कर रही है। यह केवल कठोरता या लापरवाही नहीं है। वे जानबूझ कर हमारे दश की तेल लॉबी जो बहुत शक्तिशाली है को मदद पहुंचाने के लिए कार्य कर रहे हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि वह नारियल की फसल उगाने वाले कृषकों और नारियल की पौध के भी विरुद्ध हैं। वह इस बात का प्रचार करते हैं कि अगर हम नारियल का उपयोग करते हैं, तो हमारे शरीर में कोलस्ट्रोल का स्तर बढ़ जाएगा। लेकिन अनुसंधान और विकास यह साबित करते है कि यह कहना गलत है। इसलिए एक विशेष लॉबी उन व्यक्तियों को प्रभावित कर रही है, जो निर्णय लेते हैं। अत: मेरा माननीय मंत्री से निवेदन है कि, जो युवा है, और हमने एक साथ सदन में कई वर्षो तक कार्य किया है, उन्हें इस समस्या का समाधान अवश्य खोजना चाहिए। उन्हें सभी नियम की त्रुटियों को कसना या समाप्त करना है।

उन्हें आगे आना चाहिए और राज्य के गरीब किसानों की मदद करनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप इसका स्पष्टीकरण पूछिए।

श्री रमेश चेन्नितला : महोदय, मैं यह बात कहना चाहता हूं कि हमारी राज्य सरकार भी यही कार्य कर रही है। जब यह बीमारी प्रकट हुई, तब राज्य सरकार ने कुछ नहीं किया। वे केवल केन्द्र में अपने अभ्यावेदन भेजते रहे। केन्द्र सरकार को प्रेम-पत्र भेजना हमारे मुख्यमंत्री की आदत है' मुख्यमंत्री स्वयं केन्द्र से हमारे राज्य के लिए मदद मांगने नहीं आए। वह हमेशा केन्द्र सरकार को प्रेम-पत्र भेजते रहे हैं वक्तव्य देते रहे हैं ...*(व्यवधान)*, खैर मैं, इस मामले का राजनीतिकरण नहीं करना चाहता।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चेन्नितला, आप इतने वरिष्ठ सदस्य हैं आपको पता होना चाहिए कि आप एक ही प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री रमेश चेन्नितला : जी हां महोदय, मैं जानता हूं कि मैं वरिष्ठ सदस्य हूं लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि जब इस प्रकार का मामला केरल राज्य में उठ रहा था और वह हमारी अर्थव्यवस्था को तबाह कर रहा था, राज्य सरकार ने कुछ नहीं किया। उन्होंने तो केन्द्र सरकार के समक्ष अपनी वस्तुस्थिति भी सही प्रकार से प्रस्तुत नहीं की।

महोदय, मेरा माननीय कृषि मंत्री से यह निवेदन है कि केरल राज्य को उचित धनराशि आबंटित की जाएं। माननीय मंत्री जी ने जैसा कि उन्होंने अपने वक्तव्य में उल्लेख किया था, कुछ सहायता दी है, लेकिन यह राशि नारियल के पुनः रोपण या अन्य कार्य के लिए नियमित मामले में दी जाने वाली सहायता के रूप में थी। लेकिन हमें राज्य के गरीब किसानों की सहायता के लिए केंद्र से

[श्री रमेश चेन्नितला]

एक निश्चित मदद चाहिए। यह अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या कृषि मंत्री उन किसानों को उचित सहायता देने की मंशा रखते है जिन्हें नारियल के पेड़ों पर लगने वाली बीमारी से नुकसान उठाना पड़ा है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप केवल स्पष्टीकरण की मांग कर सकते हैं।

श्री रमेश चेन्नितला : महोदय, दूसरे, मेरा निवेदन यह है कि माननीय मंत्री को केरल राज्य का दौरा करना चाहिए, निःसंदेह उनका राज्य में हमेशा स्वागत है लेकिन उनके साथ वरिष्ठ अधिकारी भी आए और उन अनुसंधान और विकास कार्यों के लिए उत्तरदायी संस्थाओं को कार्य करने के लिए उचित दिशा-निर्देश दें।

महोदय, मुझे लगता है कि इस मामले को अत्यधिक गंभीरतापूर्वक लिया जाना चाहिए और केन्द्र सरकार की ओर से राज्य सरकार को उचित सहायता प्रदान करनी चाहिए और साथ में यह भी देखना चाहिए कि यह सहायता राज्य के गरीब किसानों तक भी पहुंचे।

श्री कोडीकुनील सुरेश (अडूर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय के विस्तार में नहीं जाना चाहता। मैं अपने सहयोगियों के मतों से पूर्ण सहमत हूं जो उन्होंने यहां व्यक्त किए हैं।

महोदय, जैसा आपको पता है, नारियल की पैदावार केरल की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लाखों लोग, जिनमें छोटी जोत वाले किसान भी शामिल हैं, अपनी जीविका के लिए नारियल की खेती पर निर्भर है। एक नई मंदारी नामक कीट बीमारी केरल राज्य के अनेक जिलों में नारियल की फसल को बड़े पैमाने पर बर्बाद करके राज्य में तबाही फैला रही है। यह एक रहस्यमयी बीमारी है और कोई भी इस का सही निदान नहीं कर पाया है। राज्य के कृषि मंत्री ने इस बीमारी के संबंध में कहा है कि इस बीमारी के पीछे बंबई की तेल लॉबी का हाथ है। माननीय कृषि मंत्री ने कहा है कि इस बीमारी को सिर्फ दस महीने पहले ही देखा गया था लेकिन केरल कृषि विश्वविद्यालय का कहना है कि इस बीमारी का सितम्बर 1997 में ही पता लग गया था। इस बीमारी ने केरल के किसानों की कठिनाइयों को और बढ़ा दिया है जिनकी अर्थव्यवस्था पहले ही रबड़ और अन्य नकदी फसलों की गिरती कीमतों के कारण चरमरा गई है।

महोदय, एक बात स्पष्ट है और वह यह कि यह बीमारी तेजी से फैल रही है और किसान भारी मुसीबत में हैं। मैं इस संबंध में चार सुझाव देना चाहता हूं। सर्वप्रथम, केंद्र को शीघ्र ही एक विशेषज्ञों की टीम को केरल राज्य में भेजना चाहिए जो वहां की स्थिति का अध्ययन करें और तत्काल उन्हें उपचारात्मक उपाय सुझाए। दूसरे, राज्य अकेले धनराशि की कमी या अन्य कारणों से इस स्थिति से नहीं निपट सकती और इसलिए, केन्द्र को केरल राज्य को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए ताकि स्थिति में सुधार के लिए वे प्रभावशाली कदम उठा सके।

केरल राज्य के माननीय कृषि मंत्री ने केंद्र सरकार से इस संबंध में 100 करोड़ रुपयों की धनराशि देने की विनती की थी। हम आशा करते हैं कि कृषि मंत्री इस धनराशि को मंजूर करेंगे और इस संबंध में अपने उत्तर में शीघ्र घोषणा करेंगे।

मैं तीसरी बात यह कहना चाहता हूं कि किसानों की फसल खराब हो चुकी है और उन्हें गंभीर वित्तीय समस्या का सामना करना पड़ रहा है। प्रभावित किसानों की वित्तीय सहायता करने के लिए केन्द्र को राज्य से परामर्श करके कोई योजना तैयार करनी चाहिए। चौथी बात केरल में नारियल की खेती को पूरी तरह बर्बाद होने से बचाने के लिए एक विस्तृत अनुसंधान कार्य किया जाना चाहिए। राज्य में जड़ों में लगने वाली कीड़े से होने वाले रोग से नारियल की खेती को पहले ही भारी नुकसान हुआ है। यह रोग बिना नियंत्रण के बढ़ भी रहा है। इसलिए मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इस गंभीर मामले में तुरंत हस्तक्षेप करे। मैं मंत्री जी से भी अनुरोध करता हूं कि इस समस्या पर चर्चा करने के लिए सभी दक्षिणी राज्यों के कृषि मंत्रियों की एक बैठक बुलाएं।

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस समस्या की गंभीरता के बारे में मेरे माननीय साथियों ने पहले ही बहुत प्रभावी ढंग से बताया है। जैसा कि आप जानते हैं केरल की कृषि अर्थव्यवस्था का नारियल आधार है। केरल राज्य का नाम भी केरान से निकला है जिसका अर्थ होता है नारियल का पेड़। विश्व के किसी भी भाग में कोई भी पेड़ लोगों की जिंदगी और जीविका से इतना अधिक नहीं जुड़ा हुआ है जितना कि केरल का यह पेड़। इस पेड़ का जड़ से लेकर फल तक का हरेक हिस्सा बहुत उपयोगी होता है। मेरा विनम्र निवेदन यह है कि केन्द्र सरकार इस समस्या पर गंभीरता से विचार करे जो केरल की पूरी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालती है।

महोदय, जैसा कि आप जानते ही हैं इस पेड़ की जड़ पर कीड़े ने हमला किया हुआ है। जड़ के इस कीड़े के बारे में 1882 में अर्थात् लगभग 100 वर्ष पहले पता चला था। आज तक इसका कोई सही इलाज पता नहीं चला है। अब इस माइंट नामक कीड़े ने केरल के लगभग ग्यारह जिलों को प्रभावित किया हुआ है न

कि सात जिलों को जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों का कहना है। केरल के ग्यारह जिलों में नारियल के पेड़ प्रभावित हुए हैं। यह रोग तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी फैल रहा है। इसलिए जैसाकि मेरे मित्र श्री थामस ने कहा है, एक राष्ट्रीय आपदा के रूप में इसका समाधान किया जाना चाहिए। यह कीड़ा नारियलों को प्रभावित करता है और नारियल छोटे और मुरझाए से होने लगते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि उनका छिलका उतारना बहुत कठिन हो जाता है। चूंकि उनका छिलका उतारना कठिन हो जाता है इसलिए बाजार में उनका लेना लोग पसन्द नहीं करते। अगर यह रोग इस तरह की कायम रहा तो केरल के सभी पेड़ और सभी किसान इससे प्रभावित हो जाएंगे। केरल के पिचानवे प्रतिशत किसान छोटे किसान हैं।

मुझे पता चला है कि कृषि मंत्री किसी कार्यक्रम के सिलसिले में अगले महीने केरल आ रहे हैं। वे वैज्ञानिकों के साथ अच्छी तरह सलाह कर सकते हैं। इस संबंध में केरल सरकार पूरी कोशिश कर रही है। वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए सुझावों के अनुसार कई बैठकें की गईं, विभिन्न संगोष्ठियों का आयोजन किया गया और रसायनों का छिड़काव किया गया। हमारे मित्र श्री चेन्नितला ने इस अवसर पर राजनैतिक बातें की। केरल की सरकार अपने सीमित साधनों के साथ यथासंभव काम कर रही है। संभवतः हमारे मित्र सोच रहे थे कि प्रत्येक सरकार उड़ीसा की सरकार की तरह है या प्रत्येक मुख्यमंत्री उड़ीसा के मुख्यमंत्री की तरह है। ऐसी बात नहीं है। केरल की सरकार केवल एक ही बात ...*(व्यवधान)*

श्री के. मुरलीधरन (कालीकट): महोदय, वे उड़ीसा के मुख्यमंत्री का नाम यहां कैसे ले सकते हैं? यह ठीक नहीं है।

श्री सुरेश कुरुप : मैं यही कह रहा था कि इस अवसर पर राजनैतिक बातें नहीं करनी चाहिए।

अपराह्न 3.00 बजे

इस अवसर पर राजनैतिक बातें नहीं करनी चाहिए। केरल की सरकार ने केवल एक ही अनुरोध किया है कि केन्द्र को पर्याप्त धन देना चाहिए। सरकार ने 100 करोड़ रुपए का अनुरोध किया था। मेरा विनम्र निवेदन है कि कम से कम उस राशि की तो स्वीकृति दी जानी चाहिए और केरल में वैज्ञानिकों का एक दल भेजा जाना चाहिए जो यह देखे कि सही उपाय किए गए हैं या नहीं। इसलिए मेरा प्रमुख प्रश्न यह है कि क्या सरकार 100 करोड़ रुपए की इस राशि को मंजूरी देगी और क्या सरकार सभी प्रभावित राज्यों में वैज्ञानिकों का दल भेजेगी और किए गए राहत उपायों की समीक्षा करेगी।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति (विशाखापत्तनम): आंध्र प्रदेश भी इसमें शामिल है।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे सामने यह कठिनाई है कि इस नियम के अंतर्गत मैं आपको बोलने का कोई मौका नहीं दे सकता।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति : आंध्र प्रदेश में विशेषकर कोनासीमा में काफी नारियल होता है। वहां एक नारियल अनुसंधान केन्द्र है।

उपाध्यक्ष महोदय : यद्यपि मैं आपको बोलने का मौका देता हूं तो यह नियमों का उल्लंघन होगा। इसलिए आप केवल एक प्रश्न पूछ सकते हैं। उससे अधिक नहीं। परंतु यह कोई परंपरा नहीं बनेगी। मैं इस समस्या की गंभीरता को देखते हुए आपको विशेष रूप से बोलने की अनुमति देता हूं।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री ए.सी. जोस (त्रिचूर): लक्षद्वीप की तरफ से भी मेरी यह मांग है कि माननीय मंत्री जी को उत्तर देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आप लक्षद्वीप की तरफ से बोल सकते हैं।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति : आंध्र प्रदेश में कोनासीमा क्षेत्र में नारियल का ही बगीचा है। वहां और कोई खेती नहीं होती। कोनासीमा में अंबाजीपेटा नामक स्थान में नारियल अनुसंधान केन्द्र है। वर्ष 1996 के चक्रवात से हुए विनाश के दौरान दो तिहाई नारियल के पेड़ गिर गए थे। इसलिए केवल एक तिहाई पेड़ ही बचे और उन्हें भी अब कीड़ों ने खराब कर दिया है। जब तक इस बीमारी को दूर करने के लिए तुरंत उपाय नहीं किए जाते तब तक लोगों को हानि होती रहेगी। कोनासीमा माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है और मैं उसी निर्वाचन क्षेत्र का रहने वाला हूं। इसलिए मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि कोनासीमा के संबंध में भी दवाइयों और अन्य वस्तुओं की आवश्यकता के बारे में भी विचार करें।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज (इदुक्की): इस समस्या की गंभीरता को माननीय मंत्री जी और सभा भी समझती है। मैं माननीय मंत्री से केवल यही पूछ रहा हूं कि क्या वह इस पर फिर से विचार करेंगे कि जब राष्ट्रीय मोर्चा सरकार सत्ता में थी तभी से नारियल को तिलहन समझा जाता है। अगर इसे तिलहन समझा गया है तो इसे तिलहन को दी जाने वाली सहायता दी जानी चाहिए। इस समय भी जब नारियल के किसान और नारियल को ऐसी गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है तब क्या सरकार नारियल को तिलहन घोषित करके उसके अनुसार सहायता मंजूर करेगी? इस समस्या का समाधान करने के लिए जिस 100 करोड़ रुपए की आवश्यकता है वह दी जानी चाहिए। मैं जानना चाहूंगा कि सरकार 100 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता कब देगी। माननीय मंत्री इन दो प्रश्नों का उत्तर दें।

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो): बिहार में भी यह बीमारी है क्या?

श्री नीतीश कुमार : बिहार में यह बीमारी अभी तक नहीं पहुंची है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : महाराष्ट्र में कोकोनट है? वहां यह बीमारी अभी तक नहीं पहुंची है।

...*(व्यवधान)*

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): महाराष्ट्र के कोंकण एरिया में यह बीमारी काफी है। वहां नारियल के फार्मर्स काफी हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने इस गम्भीर बीमारी की तरफ जो ध्यान आकृष्ट किया है, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं।

उनकी जो चिन्ता है, वह स्वाभाविक है। इस बीमारी से बड़ा भारी नुकसान हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं हैं।

यह एक तरह का एयर-बोर्न डिजीज है, जो 1960 के दशक में दूसरे मुल्कों में, खासकर मैक्सिको के इलाके में पहली बार प्रकट हुआ था। लेकिन यह किस प्रकार से आया या वहां भी किस प्रकार से आया था, इसके बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं है। यहां भी किस प्रकार से आया, इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। इसके बारे में कृषि वैज्ञानिक अभी-भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं। आज उन लोगों ने मुझे बताया और उसके हिसाब से यह एयरबोर्न डिजीज़ है और यह बहुत तेजी से फैलता है। यह बात सही है कि यह केरल तक ही सीमित नहीं है और जैसा मैंने उत्तर में कहा, यह बीमारी तमिलनाडु में भी पहुंच गई है। इसके अलावा अन्य राज्यों में, जिस प्रकार आन्ध्र प्रदेश के बारे में बताया गया है, वहां पहुंचा है। इसके निपटने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, इसका जिक्र मैंने अपने मूल उत्तर में ही किया है। दुनिया के दूसरे मुल्कों में जब यह पहले रोग आया था, वहां जिस प्रकार से कैमिकल का प्रयोग करके निपटने की कोशिश हुई थी, उसके बारे में यहां जो जानकारी उपलब्ध है, उसके आधार पर ही यहां वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया गया है और दो कैमिकल्स का उल्लेख किया है। इन कैमिकल्स के प्रयोग करने के दो ही रास्ते हैं—पहला, पानी के साथ मिलाकर पेड़ के रूट्स में सूई डाला जाए और दूसरा, पेड़ के ऊपर उसको स्प्रे किया जाए। कैमिकल्स को रूट्स में डालने का खतरा है, क्योंकि रूट से ही पानी कोकोनट में जाता है और उस पर असर हो सकता है। कोकोनट के पेड़ के ऊपर किस प्रकार से स्प्रे किया जाए, यह भी एक कठिन कार्य है। जब यह कालिंग एटेंशन एडमिट हुआ था, उसके बाद हमने इसके बारे में पूरी जानकारी लेने की कोशिश की। मैंने चित्र भी देखे हैं कि वह रोग किस प्रकार से पेड़ को नुकसान पहुंचा रहा है। इस रोग को केवल माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखा जा सकता है। यह रोग पैट्ल्स के नीचे अपनी जगह बना लेता है और खासकर के यह टैंडरनट के ऊपर ज्यादा हमला करता है। केरल में लोगों को इस बारे में पूरी जानकारी दी जा रही है। लोगों को सलाह भी दी जा रही है कि वे इसके बारे में क्या करें।

जहां तक इस रोग से निपटने का सवाल है, इसके जो भी जरूरी कदम केन्द्रीय सरकार द्वारा उठाए जाने चाहिए, उठाए जा रहे हैं। हमारे रिसर्च सैन्टर्स में भी इसके ऊपर काम हो रहा है और लोगों को बताया जा रहा है। वैज्ञानिकों का मत है, केवल पैस्टीसाइड्स से इस समस्या का समाधान नहीं ढूंढा जा सकता है, इसके लिए हमको कभी-न-कभी बायोलोजिकल कन्ट्रोल पर ही ध्यान देना चाहिए। इस दिशा में काम भी हो रहा है। बाहर के मुल्कों में भी बायलोजिकल फंग्स के जरिए इसको कन्ट्रोल किया गया था। यहां भी लैब-कन्डीशन्स में यह उपयोगी पाया गया है और जिन मुल्कों में इसका प्रयोग किया गया है, 88 प्रतिशत लोग इसको कन्ट्रोल करने में सफल हुए हैं। यहां पर भी इसको कन्ट्रोल कर रहे हैं और फिर फील्ड कन्डीशन्स में इसके असर को देखेंगे। इसके बाद देखेंगे कि यह फंगस कितने बड़े पैमाने पर उपलब्ध करा सकते हैं या उत्पादन करें। इसको हिरसुटेला-फंगस बोलते हैं।

ज़ैसा कि बनातवाला जी कह रहे थे कि सरकार सोई हुई है, कोई काम नहीं कर रही है, इसकी खबर कब आई, मैं उनको बताना चाहता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है। जबसे इसके बारे में खबर आई है, तबसे काम हो रहा है। यहां से उन क्षेत्रों में वैज्ञानिक गए हैं और मीटिंग हुई है। इसको बताना, मैं मुनासिब नहीं समझता था, लेकिन मैंने जवाब में ही कहा है—

[अनुवाद]

इस समस्या पर चर्चा करने के लिए 2 सितम्बर 1999 को कोची में केन्द्रीय कृषि सचिव ने सी.पी.सी.आर.आई., केरल कृषि विश्वविद्यालय, तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों, सी.डी.बी. के अधिकारियों और केरल तथा तमिलनाडु सरकार के कृषि और बागवानी निदेशकों के साथ मिलकर एक बैठक भी की थी।

[हिन्दी]

इसके अलावा एक स्टियरिंग कमेटी भी बनाई गई है। एफर्ट्स किए जा रहे हैं कि इसको कैसे सुटेबली कन्ट्रोल किया जाए। होर्टिकल्चर कमिश्नर की चेयरमैनशिप में केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के रिप्रजेन्टेटिव भी हैं। तीन एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज और सी.पी.सी.आर.आई. के रिप्रजेंटेटिव्स हैं। इसे प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ बायोलौजिकल कंट्रोल एंड ऑल इंडिया कोआर्डीनेटिड प्रोजेक्ट ऑफ माइट बना दिया गया है, और वह काम भी कर रहा है। इस बारे में वे सारे ट्रायल्स करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका सबसे दुरुस्त सोल्यूशन बायोलौजीकल कंट्रोल होगा। पहली बात यह है कि केमिकल्स महंगे हैं, उनका स्प्रे बहुत कठिन है। किसी व्यक्ति को पेड़ पर चढ़ा कर उसे स्प्रे करना पड़ेगा। उसमें काफी पैसे की जरूरत होगी। बनातवाला जी ने कहा कि सरकार सोई हुई है, हमें बताएं कि कब क्या हुआ। 1998-99 में 96 लाख रुपए रिलीज़ किए गए थे। उस समय केरल सरकार उसे खर्च नहीं कर सकी, क्योंकि उनके पास ट्रेनिंग की भी कमी थी। इसमें सरकार का दोष नहीं है। ...*(व्यवधान)*

श्री जी.एम. बनातवाला : आपने कब रिलीज़ किया था?

श्री नीतीश कुमार : 1998-99 में किया था। ...*(व्यवधान)*

श्री जी.एम. बनातवाला : आखिरी दिन किया होगा।

श्री नीतीश कुमार : ऐसी बात नहीं है। ...*(व्यवधान)* आप गवर्नमेंट से पूछ लें। मैं उसी प्वाइंट पर आ रहा हूं। इसमें ट्रेनिंग की भी जरूरत थी। इसको ऊपर चढ़ कर स्प्रे करना पड़ता है। काफी लोगों की जरूरत होती है। उसमें पहले उनको ट्रेंड करेंगे। पैसे की भी जरूरत है, वे पैसे का इस्तेमाल नहीं कर सके थे। उसको 1999-2000 में रिवेलीडेट कर दिया गया है। ...*(व्यवधान)* हम आपके प्वाइंट पर आ रहे हैं। हम भी समझते हैं कि यह पैसा काफी नहीं है, हम यह नहीं कह रहे हैं कि बिलकुल सफिसिएंटली फंड अलाट कर दिया गया है। वहां के रिकवायरमेंट को मीट कर दिया गया है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि उसे मीट नहीं किया जा सका। आपने कहा कि केरल सरकार का भी सौ करोड़ रुपए का प्रस्ताव कब आपके पास आया है। कल यह फैक्स से प्राप्त हुआ है।

श्री जी.एम. बनातवाला : आप इसको चैक कर लीजिए। ...*(व्यवधान)* आप इसको ठीक से चैक करके बताइए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी.सी. थामस : क्या आपको यह कल ही मिला? ...*(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार : मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए। अगर किसी अन्य स्पष्टीकरण की मांग की जाती है तो मैं इसकी अनुमति बाद में दूंगा और आप इस तरह नहीं कर सकते।

...*(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार : केन्द्रीय मंत्री को केरल के कृषि मंत्री द्वारा 25 नवंबर, 1999 को लिखा गया पत्र कल ही फैक्स द्वारा मिला है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री थामस आपको उनकी बात सुननी होगी।

...*(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार : कृपया मेरी बात सुनिए। ...*(व्यवधान)*

श्री ए.सी. जोस : दिनांक 15 नवंबर को मंत्री जी ने त्रिचूर में घोषणा की थी कि उन्होंने इसके लिए आवेदन किया था; 24 तारीख को सभी सदस्यों को मंत्री से मिलने के लिए बुलाया गया था। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जोस, वे आपको केवल वही ब्यौरे दे रहे हैं जो उन्हें प्राप्त हुए थे। आप इस तरह क्यों कर रहे हैं? मैं आपको अनुमति नहीं देता। मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : पहले उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए। माननीय मंत्री, आप अध्यक्षपीठ को संबोधित करें न कि माननीय सदस्यों को।

श्री नीतीश कुमार : धन्यवाद महोदय। केरल के कृषि मंत्री का दिनांक 25 नवंबर, 1999 को केन्द्रीय मंत्री को लिखा गया पत्र फैक्स द्वारा कल ही मिला था।

...(व्यवधान)

श्री पी.सी. थामस : हमें बहुत दुख है। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री थामस, वे आपको वही सूचना दे रहे हैं जो उन्हें प्राप्त हुई थी; आपको उससे अधिक नहीं कहना है। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप बाद में पूछ सकते हैं, अभी नहीं।

श्री नीतीश कुमार : मैं वही जानकारी दे रहा हूं जो मेरे पास है। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी के वक्तव्य के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री नीतीश कुमार : दूसरे भाग से आप सभी लोग संतुष्ट हो जाएंगे *...(व्यवधान)*

श्री पी.सी. थामस : हम उसके लिए लज्जित हैं। मुझे खेद है *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप लज्जित हैं या नहीं वे उस जानकारी को आपको दे रहे हैं।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, इस तरह नहीं चलेगा। मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा। मैं किसी को अनुमति नहीं दूंगा। हमें दूसरा विधायी कार्य लेना है।

...(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार : 25 नवम्बर, 1999 को अपर सचिव को व्यक्तिगत रूप से परियोजना की एक प्रति सौंपी गई थी जब किसी दूसरी बैठक के सिलसिले में वे त्रिवेन्द्रम में केरल के कृषि मंत्री से मिली थीं वह वहां गयी भी थी *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री जी.एम. बनातवाला : शुक्रिया, कम से कम यह स्पष्ट किया। *...(व्यवधान)* अच्छी बात है कि आप यह तर्क पेश कर रहे हैं। लेकिन कब आपको मिला?

श्री नीतीश कुमार : बनातवाला साहब, आपने कहा कि कब आपको मिला। मैंने दोनों बातें आपको बताईं। हमारे एडीशनल सैक्रेट्री केरल के मिनिस्टर साहब से मिलने गये थे। वहां उनको पर्सनली यह पत्र हैंड-ओवर किया गया था और उन्होंने यह फैक्स भी किया, रिपीट भी किया। हमें यह कब मिला *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी यह आप पहले ही कह चुके हैं।

श्री पी.सी. थामस : इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के कारण केरल सरकार के मंत्री ने इस सूचना को फैक्स द्वारा भेजा है। अन्यथा केरल राज्य सरकार ऐसा नहीं करती।

[हिन्दी]

श्री जी.एम. बनातवाला : यह कब तक एग्जामिन होगा?

श्री नीतीश कुमार : कब तक एग्जामिन होगा, यह सवाल आपने अब उठाया है। सरकार का उत्तर है कि इसकी जांच की जा रही है।

[अनुवाद]

श्री कोडीकुनील सुरेश : आप इसकी घोषणा आज ही कर सकते हैं।

श्री नीतीश कुमार : श्री सुरेश, आप मुझे बताइए कि मैं किस शीर्ष के अन्तर्गत इसकी घोषणा करूं। इसकी समुचित जांच किए बिना मैं इसकी घोषणा कैसे कर सकता हूं?

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, आपको केवल स्पष्टीकरण देना है।

श्री नीतीश कुमार : मैं केवल उन बिन्दुओं को स्पष्ट कर रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, सवाल उठाया नहीं जाता तो सरकार क्या करने वाली थी?

श्री नीतीश कुमार : इसको पहले पढ़ लीजिए, तब आप सवाल कीजिए। अभी आपके यहां यह नहीं पहुंचा है। भगवान से प्रार्थना है कि आपके यहां पहुंचे भी नहीं। ...*(व्यवधान)* यह जो नेशनल आपदा है जैसे कोई इस तरह का कीड़ा फसल में लग जाए या और कोई बीमारी लग जाए, तो हमने कहा है कि इसको ट्रीट करने की बात है। जो नेशनल फंड ऐसे मामलों के लिए है वह काफी है, एक्सेस है, वह इसमें इंतजाम है। लेकिन प्रश्न यह है कि वह किस चीज में आपके लिए होगा। जो नियम हैं उनके हिसाब से जो स्मॉल एंड मार्जिनल किसान हैं उनको अकेली फसल लेने के लिए पांच सौ रुपये प्रति-हैक्टेयर की राहत उनको उससे मिल सकती है। लेकिन सवाल यह है कि कब? जबकि उसके लिए राज्य सरकार मैमोरेंडम सब्मिट करेगी। उसके बाद इंटरनल कमेटी, सेंट्रल टीम बनेगी और वह स्टेट का दौरा करेगी और लौटकर अपनी असैसमेंट इंटर मिनिस्ट्री ग्रुप के सामने रखेगी। फिर इंटर मिनिस्ट्री ग्रुप उसके बारे में रिकमेंडेशन करेगा। यह एक प्रौसीजर नेशनल रिलीफ कमेटी के सामने है। यह एक प्रक्रिया है। उसमें अगर नेशनल कैलेमिटी रिलीफ फंड से आप मदद चाहते हैं तो आपको उस प्रक्रिया से आना होगा। उसमें मदद भी क्या मिल सकती है, पांच सौ रुपया प्रति-हैक्टेयर और वह भी स्मॉल और मार्जिनल किसान को। उसके पीछे इरादा यह है कि अकेले फसल लेने के लिए उनका एक असैसमेंट है।

[अनुवाद]

श्री ए.सी. जोस : हमारे यहां कोचीन में नारियल विकास बोर्ड है। क्या आप धनराशि को इस बोर्ड के माध्यम से दे सकते हैं क्योंकि बोर्ड को पहले से इस मामले की जानकारी है? बोर्ड ने इस समस्या की जांच की है और उसने कहा है कि 150 करोड़ रुपये की आवश्यकता है जिसे वह स्वयं उपलब्ध कराएगा। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वे बोर्ड से पूछ सकते हैं कि उसके कार्यकलाप क्या हैं और उन्हें इस मामले में कुछ करने के लिए सतर्क करें।

श्री नीतीश कुमार : नारियल विकास बोर्ड की भूमिका के बारे में मुख्य उत्तर में सविस्तार से बता दिया गया है। मुख्य उत्तर में भी कहा गया है कि विभिन्न एजेंसियां मिलकर क्या कार्य कर रही हैं, इस समय मैं माननीय सदस्य के विशेष प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं।

[हिन्दी]

इस मामले में जो नेशनल फंड के प्रति इनका एक्सैस है, उसके बारे में उस प्रोसैस से आना होगा लेकिन सबसे बड़ी बात पैसे की कमी की है। जो इस प्रोजैक्ट के पास पैसा है, वह अपर्याप्त है। उस पैसे से ही इस समस्या का समाधान नहीं होगा। मैंने इसके बारे में आज ही चर्चा की है और अधिकारियों के साथ भी चर्चा की है। उनसे कहा है कि इसके बारे में कोई रास्ता निकाला जाना चाहिए। मैंने विभाग को निर्देश दिया है कि एक उच्चस्तरीय दल पूरे इलाके का दौरा कर अध्ययन करे और वहां के लोगों के साथ बातचीत करे। कनसर्न्ड एरिया के एम.पीज. को ऐसा लगता है कि रिसर्च के मामले में अगर किसी चीज की जरूरत है तो वे वैज्ञानिक जो इस काम में लगे हैं, हम उनके साथ मीटिंग करा सकते हैं। तीसरी बात यह है कि इस मामले में और क्या किया जा सकता है, इसको एग्जामिन किया जा रहा है। कैसी सहायता किस मद से दी जा सकती है, हम उसे भी करने का प्रयास कर रहे हैं। रूट विल्ट के लिए एक परमानैंट प्रोग्राम चल रहा है। उसके माध्यम से कुछ सहायता दी जाती है। पूरे प्रोग्राम के लिए केरल को सात करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा आवंटित किया गया है। उसमें से क्या खर्च किया जा सकता है या कहीं और पैसा निकाल कर इस मद में कितना दिया जा सकता है, हम इन बिन्दुओं पर चर्चा कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इस मामले में केरल के प्रभावित इलाके की बेहतर मदद कर सकें। यह बहुत गम्भीर समस्या है। इस समस्या से किसी भी तरह मुंह मोड़ने का सवाल नहीं उठता। हम इस मामले में उतने ही सैंसटिव हैं जिस तरह से आप कनसर्न्ड हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी.सी. थामस : मंत्री जी ने बीमा के बारे में कुछ नहीं कहा है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : जहां तक इंश्योरेंस का सवाल है, नई राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू हुई है, उसमें यह कवर्ड नहीं है।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): आप इसे कीजिए।

श्री नीतीश कुमार : कुछ समय के बाद चार-पांच साल के बाद इस तरह की जो पैरिनियल क्रॉप्स हैं *...(व्यवधान)* पैरिनियल हार्टिकल्चर कवर्ड नहीं है लेकिन जो एनवल प्लांट्स हैं, क्रॉप्स हैं, वह कवर्ड हैं। इस तरह की पैरिनियल प्लांट्स अभी कवर्ड नहीं हुई हैं। इसमें प्रीमियम का सवल आता है। अगर वे कवर्ड होंगी तो ऐक्चुरियल रेट लगेगा लेकिन अगले वर्षों में इसे भी लेने पर विचार हो सकता है। फिलहाल राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना इस बार रबी मौसम से लागू हो रही है। वह उसमें शामिल नहीं है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : अब यह मामला समाप्त हो गया है।

श्री नीतीश कुमार : हम आगे की कार्यवाही के बारे में निर्णय करेंगे। हम वह सब कुछ करने का भरसक प्रयास करेंगे जो किया जा सकता है *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। मैं बोल रहा हूं। मंत्री जी ने पहले ही सुझाव दिया है कि वे सभी संबंधित संसद सदस्यों, वैज्ञानिकों, नारियल विकास बोर्ड के सदस्यों के साथ समस्या का कोई समाधान ढूंढ़ने के लिए बैठक करेंगे।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री पी.सी. थामस : मंत्री जी को वित्तीय सहायता के बारे में कुछ घोषणा करनी चाहिए। इस विषय पर हमने अच्छी चर्चा की है। यदि कुछ धनराशि जारी की जाती तो अच्छा होता।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी ने पहले ही आश्वासन दिया है कि एक बैठक बुलाई जाएगी और उसमें वे घोषणा करेंगे कि कितनी धनराशि जारी की जा सकती है।

श्री पी.सी. थामस : अच्छा होता यदि मंत्री जी इसकी घोषणा यहीं करते।

श्री नीतीश कुमार : मैंने पहले भी इस बात का उल्लेख किया कि इस मामले में आपके साथ मीटिंग करके हम चर्चा करेंगे। हम अपनी ओर से भरसक प्रयास करेंगे। हमारे सामने कुछ कठिनाइयां हैं। हम बैठक करेंगे और जो बन सकेगा हम करेंगे।

अपराह्न 3.25 बजे

खान और खनिज (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक

खान और खनिज मंत्री (श्री नवीन पटनायक): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

> "कि खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम 1957 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

महोदय, मैं इस विधेयक के कुछ पहलुओं पर प्रकाश डालना चाहता हूं। हमारे देश में वैश्वीकरण और उदारीकरण की प्रक्रिया वास्तव में एक दशक पहले शुरू हो गई थी। अन्य सरकारों ने इस प्रक्रिया में सहायता की और हमारी सरकार इस विधेयक को पारित करवाना चाहती है जो एक प्रगतिशील विधेयक है। इस विधान से खनन क्षेत्र में भारी निवेश को बढ़ावा मिलेगा जिसकी इस क्षेत्र के लिए अत्यावश्यकता है। सर्वेक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें काफी समय लगता है और इसके लिए भारी निवेश की आवश्यकता होती है। इसके लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है जो सामान्यतया इस *हवाई सर्वेक्षण अन्वेषण के लिए उपलब्ध नहीं है।*

महोदय, खनन क्षेत्र के संबंध में राज्य सरकारें काफी समय से और अधिक शक्तियों की मांग कर रही हैं। इस विधेयक से राज्यों को और अधिक शक्तियां प्राप्त होंगी उदाहरण के लिए राज्य मांग कर रहे हैं कि इस अधिनियम की अनुसूची से चूना पत्थर

के लाइसेंस को हटा दिया जाए। इस विधेयक में चूना पत्थर को राज्य सरकार की अधिकारिता में देने का प्रावधान है। जैसा हम सभी जानते हैं कि चूना पत्थर का उपयोग सीमेन्ट निर्माण में होता है। इसलिए राज्य सरकारें इसकी मांग कर रही हैं और इस विधेयक के द्वारा हम उनकी इस मांग को पूरा करना चाहते हैं।

महोदय, इस विधेयक का आशय अवैध खनन के विरुद्ध कानूनों को और सख्त बनाना भी है। इस विधेयक में अवैध रूप से खनन किए गए खनिज और अवैध खनन में प्रयुक्त उपकरणों को जब्त करने का प्रावधान है।

महोदय, मैं संक्षेप में यह कहना चाहता हूं कि इस विधेयक का उद्देश्य इस क्षेत्र में और निवेश लाना, राज्यों को और अधिक शक्तियां देना और अवैध खनन के विरुद्ध कानूनों को कड़ा बनाना भी है।

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक पर विचार किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री के.पी. सिंह देव (ढेंकनाल): उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं माननीय मंत्री, जो हमारे राज्य के हैं अपना पहला विधेयक प्रस्तुत करने के लिए बधाई देता हूं।

दूसरा, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं, सही ही कहा गया है कि राज्य सरकारों के साथ एक विवादास्पद प्रश्न है कि कानून उन्हें सर्वेक्षण, अन्वेषण और विभिन्न क्षेत्रों में पट्टा देने की पर्याप्त शक्ति नहीं देता है और अनुचित विलम्ब होता है। इसकी शुरूआत 1996 में हुई थी। मुझे खुशी है और 1996 में सचिवों की समिति की बैठक के परिणामस्वरूप इस विधेयक को लाने के लिए मंत्री जी को बधाई देता हूं। यहां बताए गए कारण अकाट्य हैं, किंतु मेरा मानना है कि अधिकार के साथ जवाबदेही और उत्तरदायित्व भी जुड़े हैं। मुझे यह यकीन नहीं है कि यह विधेयक राज्य सरकारों को विशाल खनिज भंडार, जिससे वे पर्याप्त राजस्व प्राप्त करते हैं, के प्रवर्तन और निगरानी के लिए शक्ति प्रदान करता है, इसलिए जवाबदेही और उत्तरदायित्व भी दिया जाना चाहिए और उसकी अपेक्षा की जानी चाहिए साथ ही पर्याप्त शक्तियां भी दी जानी चाहिए।

इस संबंध में मैं यहां हो रही चर्चा का लाभ उठाऊंगा क्योंकि पहले भी कई अवसरों पर विकास और लागत के नाम पर हम कई बातों का महत्व और मूल्य भूल गए। वस्तुतः आर्थिक सर्वेक्षण 1998-99 के औद्योगिक नीति और विकास अध्याय में कहा गया है कि चालू वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में खनन और विनिर्माण क्षेत्र में मंदी स्पष्टतः देखने को मिली और औद्योगिक उत्पादन में 3.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण सोमवार को जारी रख सकते हैं।

अब सभा गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य लेगी। विधेयकों का पुरःस्थापन।

अपराह्न 3.31 बजे

(एक) लोक सभा (प्रशासन) विधेयक*

[अनुवाद]

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि लोक सभा सचिवीय कर्मचारिवृन्द के प्रशासन का निरीक्षण करने तथा उससे संबंधित मामलों के लिए एक आयोग की नियुक्ति का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमदि दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि लोक सभा सचिवीय कर्मचारिवृन्द के प्रशासन का निरीक्षण करने तथा उससे संबंधित मामलों के लिए एक आयोग की नियुक्ति का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जी.एम. बनातवाला : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खंड 2, दिनांक 3.12.99 में प्रकाशित।

अपराह्न 3.32 बजे

(दो) विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिक (निर्वाचन में मताधिकार) विधेयक*

[अनुवाद]

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों को लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचन में मताधिकार प्रदान करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों को लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचन में मताधिकार प्रदान करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जी.एम. बनातवाला : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.33 बजे

(तीन) आरक्षण (सेवाएं और उच्च शिक्षा) विधेयक*

[अनुवाद]

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि केन्द्रीय सरकार और सरकारी क्षेत्र में इसके उपक्रमों के अधीन पदों और सेवाओं में तथा उच्च शिक्षा सस्थाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और पिछड़े अल्प संख्यकों के लिए पर्याप्त आरक्षण करने और इससे संबंधित मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खंड 2, दिनांक 3.12.99 में प्रकाशित।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि केन्द्रीय सरकार और सरकारी क्षेत्र में इसके उपक्रमों के अधीन पदों और सेवाओं में तथा उच्च शिक्षा संस्थाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और पिछड़े अल्प संख्यकों के लिए पर्याप्त आरक्षण करने और इससे संबंधित मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जी.एम. बनातवाला : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.34 बजे

(चार) आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) (विधिक कार्यवाही को वापस लेना) विधेयक*

[अनुवाद]

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1987 जो 23 मई, 1995 को व्यपगत हो गया था, के अंतर्गत सभी विधिक कार्यवाहियों को वापस लेने और निवारण तथा उनसे संसक्त अथवा आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1987 जो 23 मई, 1995 को व्यपगत हो गया था, के अंतर्गत सभी विधिक कार्यवाहियों को वापस लेने और उनके निवारण तथा उनसे संसक्त अथवा आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जी.एम. बनातवाला : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खंड 2, दिनांक 3.12.99 में प्रकाशित।

अपराह्न 3.35 बजे

(पांच) संविधान (संशोधन) विधेयक*

(नए अनुच्छेद 75क, आदि का अंत:स्थापन)

[अनुवाद]

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री किरीट सोमैया : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.36 बजे

(छह) महिला अधिकारिता विधेयक*

डा. वी. सरोजा (रासीपुरम): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि महिलाओं को सभी क्षेत्रों में अधिकारिता देने और उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि महिलाओं को सभी क्षेत्रों में अधिकारिता देने और उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डा. वी. सरोजा : मैं विधेयक पुर:स्थापित करती हूं।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खंड 2, दिनांक 3.12.99 में प्रकाशित।

अपराह्न 3.37 बजे

(सात) चिकित्सावृत्ति (विनियमन) विधेयक*

[अनुवाद]

डा. वी. सरोजा (रासीपुरम): महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि देश के नागरिकों को सर्वोत्तम स्वास्थ्य देखभाल सुलभ करने की दृष्टि से चिकित्सा वृत्ति को विनियमित करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि देश के नागरिकों को सर्वोत्तम स्वास्थ्य देखभाल सुलभ करने की दृष्टि से चिकित्सा वृत्ति को विनियमित करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डा. वी. सरोजा : मैं विधेयक पुर:स्थापित करती हूं।

अपराह्न 3.38 बजे

(आठ) निवेशक संरक्षण विधेयक*

[अनुवाद]

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर-पूर्व): मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय संस्थाओं में निवेशकों के हितों के संरक्षण हेतु उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि वित्तीय संस्थाओं में निवेशकों के हितों के संरक्षण हेतु उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री किरीट सोमैया : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खंड 2, दिनांक 3.12.99 में प्रकाशित।

अपराह्न 3.39 बजे

(नौ) संविधान (संशोधन) विधेयक*

(अनुच्छेद 311 का संशोधन)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.40 बजे

(दस) लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र शासन विधेयक*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): मैं प्रस्ताव करता हूं कि लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधान सभा का गठन करने और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधान सभा का गठन करने और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खंड 2, दिनांक 3.12.99 में प्रकाशित।

अपराह्न 3.41 बजे

(ग्यारह) ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) (संशोधन) विधेयक*

(धारा 1, आदि का संशोधन)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): मैं प्रस्ताव करता हूं कि ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 में और संशोधन करे वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.42 बजे

(बारह) संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक*

(अनुसूची का संशोधन)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान (अनुसुचित जनजातियां) आदेश, 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खंड 2, दिनांक 3.12.99 में प्रकाशित।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 15.43 बजे

(तेरह) भारतीय प्रौद्योगिकी बैंक विधेयक*

[अनुवाद]

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर-पूर्व): मैं प्रस्ताव करता हूं कि विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान कार्यों में लगे वृत्तिकों की सहायता के लिए प्रौद्योगिकी बैंक की स्थापना का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान कार्यों में लगे वृत्तिकों की सहायता के लिए प्रौद्योगिकी बैंक की स्थापना का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री किरीट सोमैया : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री आदित्यनाथ—अनुपस्थित

अपराह्न 3.44 बजे

(चौदह) संविधान (संशोधन) विधेयक, 1999*

(अनुच्छेद 58 आदि का संशोधन)

[अनुवाद]

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर-पूर्व): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय :, प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

श्री पवन कुमार बंसल (चण्डीगढ़): महोदय, मेरा इस विधेयक के पुरःस्थापन के प्रति विरोध विधि के इस तथ्य पर आधारित है कि यह इस सभा या उस सभा के अधिकार क्षेत्र के बाहर है कि वे ऐसा संविधान संशोधन अधिनियमित करें जिससे संविधान की मूल भात्रना ही प्रभावित हो जाएं। भारत का संविधान, जोकि ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों के कठोर परिश्रम का परिणाम है जिन्होंने इस देश की स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन के अमूल्य समय की बलि दी थी, जिन्होंने इस बात की कल्पना की थी कि स्वतंत्र भारत की नियति क्या हो उन्होंने किसी भी वर्ग के नागरिकों के साथ भेद-भाव नहीं किया था। संविधान का अत्यंत महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जिसे मैं अनुच्छेद 19 को मानता हूं, नागरिकों को कतिपय मूलभूत अधिकारों की गारण्टी देता है।

"सभी नागरिकों को वाक्-स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्य का, शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का, संगम या संघ बनाने का, इत्यादि का अधिकार होगा।"

छह अत्यधिक महत्वपूर्ण मूलभूत अधिकार जिनका संविधान के अनुच्छेद 19 में उल्लेख है, में "सभी नागरिकों" शब्दों का उल्लेख है। संविधान के प्रख्यापन के बाद से ही यह इस प्रकार कार्य कर रहा है। अब मेरे दोस्त यह सुझाने वाला एक संशोधन लेकर आए हैं कि देश के राष्ट्रपति का पद, उप-राष्ट्रपति के पद और प्रधान मंत्री के पद पर सभी नागरिक आसीन नहीं हो सकते हैं। वे एक विशेष वर्ग के नागरिकों को बाहर रखना चाहते हैं, जिन्हें वे 'जन्मतः भारत का नागरिक' नहीं मानते हैं। मैं नहीं जानता उन्होंने 'जन्मतः भारत का नागरिक' शब्दों का उपयोग किस तरह किया है। यदि वे "जन्मतः या नागरिकता" अधिनियम के अन्तर्गत नागरिकता को ग्रहण करने के द्वारा शब्दों का प्रयोग करते तो वो बात कुछ और होती ...*(व्यवधान)*

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी): कोई भी कृत्रिम रूप से जन्म नहीं लेता है ...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल : यद्यपि, शब्दों का इस प्रकार प्रयोग किया गया है, यह मेरी मूल आपत्ति नहीं है। मैं इस प्रतिष्ठित सभा के ध्यान में पहली बात लाना चाहता हूं जिसका मैं संक्षेप में उल्लेख कर चुका हूं। इसके अलावा मैं लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 294 का संदर्भ देना चाहता हूं। इसमें गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खंड 2, दिनांक 3.12.99 में प्रकाशित।

[श्री पवन कुमार बंसल]

के गठन का उल्लेख है। इसमें समिति के कृत्यों के बारे में कहा गया है। समिति का पहला कृत्य जैसाकि नियम 294(1) में कहा गया है:

"विधेयक के पुर:स्थापित करने की अनुमति के प्रस्ताव को कार्य-सूची में सम्मिलित करने से पूर्व प्रत्येक ऐसे विधेयक की जांच करना जो संविधान में संशोधन करने वाला हो और जिसकी सूचना गैर-सरकारी सदस्य द्वारा दी गई हो।"

मेरी आपत्ति दो बातों पर आधारित है। पहली, यह कि इस प्रकार के संशोधन को नहीं लाया जा सकता है और हम इस प्रकार के संशोधन को लाने के लिए सक्षम नहीं हैं जिससे नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच भेद उत्पन्न हो। इस मामले का निर्णय यहां नहीं होगा। विधेयक के साथ जुड़ा उद्देश्यों और कारणों का कथन को, जैसाकि आप जानते होंगे, हमेशा विधेयक के साथ ही पढ़ा जाता है। कृपया मुझे यह कहने की अनुमति दें कि माननीय सदस्य ने सभा पर, देश के निवासियों और नागरिकों पर लांछन लगाया है। हर दिन हम सुनते हैं कि उस ओर से मंत्री उदारीकरण की चल रही प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं जैसेकि यही देश का महाधिकार पत्र है और इसके आगे कुछ भी नहीं है।

उद्देश्यों और कारणों के कथन में सबसे ज्यादा आपत्तिजनक वाक्य यह है, मैं उद्धरित करता हूं:

"देश के राजनीतिक जीवन में धन जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है उसको देखते हुए इन निगमों को भारत की राजनीतिक गतिविधियों को प्रभावित करने के लिए अपनी धन शक्ति का उपयोग करने का प्रलोभन मिलेगा।"

इसके बाद वे विदेशी प्रिंट मीडिया की भर्त्सना करते हैं जो, उनके अनुसार, हमारे देश में प्रवेश करते जा रहे हैं यद्यपि मेरे विचार से, यह हमारे देश में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इसके बाद वे कहते हैं:

"इन गतिविधियों से भारत की प्रभुसत्ता के लिए गम्भीर खतरा पैदा हो गया है। देर-सेबर इन विदेशी आर्थिक और सांस्कृतिक तत्वों द्वारा भारत के नीति-निर्धारकों को, ऐसी नीतियां बनाने के लिए जो राष्ट्र के हित में नहीं हो, प्रभावित करने के प्रयास किए जाने की संभावना है।"

वे आगे कहते हैं:

"विश्व के बदलते परिदृश्य में विदेशी शक्तियों के लिए जोड़-तोड़ करके ऐसे किसी व्यक्ति को जो देश का जन्मत: नागरिक नहीं है तथा जिसकी देशभक्ति संदेहास्पद हो सकती है इन पदों पर लाना असम्भव नहीं होगा।"

वे आगे कहते हैं:

"उनके पास निर्णय लेने की शक्ति होती है जिससे वे देश को युद्ध में धकेल सकते हैं अथवा राष्ट्र की सुरक्षा के साथ समझौता कर सकते हैं। ऐसे किसी व्यक्ति पर विश्व में एक छठे भाग की मानवता के भाग्य का फैसला करने के लिए विश्वास नहीं किया जाना चाहिए जिसकी देशभक्ति की परख न हो चुकी हो।"

उद्देश्यों और कारणों के कथन में इन कारणों को दिया गया है जिनके कारण माननीय सदस्य को इस संशोधन को प्रस्तुत करने की प्रेरणा मिली। यहां पर प्रस्तुत किए गए ब्यौरे के प्रति मेरी गम्भीर आपत्तियां हैं। यदि कोई नागरिक, देश की विधि के अधीन, चुनाव लड़ना है और लोग उसे सत्ता में लाकर संसद में अपना प्रतिनिधित्व सौंपते हैं तो विधि के अनुसार, राष्ट्रपति को किसी को भी प्रधानमंत्री नियुक्त करने का अधिकार होता है। परन्तु हम जानते हैं कि प्रथा के अनुसार, दल के नेता या समूह या गठबंधन के नेता, जिसे लोक सभा का विश्वास या बहुमत प्राप्त हो तो उसे प्रधानमंत्री कहा जाता है। यह प्रणाली सही चल रही है। इस पर संदेह करने या किसी प्रकार की शंका करने का कोई कारण नहीं है, किसी प्रकार के चित्त विक्षेप की अवस्था ही इस पकार के विचार का कारण हो सकती है। यही मेरी विधेयक के प्रति पहली गम्भीर आपत्ति है।

महोदय, हमारी प्रणाली में यदि हम महसूस करते हैं कि देश के तीन महत्वपूर्ण पदों पर आसीन होने से ऐसे व्यक्तियों को, जो जन्मत: देश के नागरिक न हों तो, इस कारण वंचित रखा जाए क्योंकि हम उनकी सत्यनिष्ठा, प्रतिबद्धता और देशभक्ति पर संदेह करते हैं तो फिर हम किस प्रकार जन्मत: देश का नागरिक न होने वाले व्यक्ति को अध्यक्ष पद पर ला सकते हैं या जन्मत: नागरिक न होने वाले व्यक्ति को भारत का प्रधान न्यायाधीश के पद पर आसीन कर सकते हैं। यह घोर अपमान है।

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका क्या व्यवस्था का प्रश्न है?

श्री खारबेल स्वाईं : महोदय नियम 72(1) में उल्लिखित है:

"यदि किसी विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति के प्रस्ताव का विरोध किया जाये, तो अध्यक्ष, यदि वह ठीक समझे तो, प्रस्ताव का विरोध करने वाले सदस्य और प्रस्ताव को पेश करने वाले सदस्य द्वारा संक्षिप्त वक्तव्य दिये जाने ......"

परन्तु वे पिछले 5 से 10 मिनट से बोल रहे हैं। यह संक्षिप्त वक्तव्य नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने सूचना दी है और मैंने उन्हें अनुमति दी है।

श्री खारबेल स्वाईं : उन्होंने सूचना दी है। यह बात तो ठीक है। परन्तु वे लम्बा भाषण दे रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री स्वाईं, वे अपने मामले में तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं : महोदय, यह चर्चा लम्बी हो गई है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यह चर्चा लम्बी नहीं हो रही है; वे अपने मामले में तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं।

श्री खारबेल स्वाईं : इस पर दीर्घ चर्चा का भी प्रावधान है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रावधान यहां पर लागू नहीं होता है।

श्री खारबेल स्वाईं : वे कह रहे हैं कि यह सभा की विधायी क्षमता के बाहर है। यदि आप चाहते हैं, तो आप इस विषय पर सुदीर्घ चर्चा की अनुमति दे सकते हैं, जिससे कि हम भी इस चर्चा में शामिल हो सकें। ऐसी बात नहीं है कि केवल एक ही सदस्य बोल सकते हैं और दूसरे केवल सुनते रहें। मैं आपसे इस विषय पर आपका विनिर्णय चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा): उपाध्यक्ष महोदय, वे विधायी क्षमता के बारे में विवाद कर रहे हैं। इस पर वाद-विवाद किया जा सकता है और संवैधानिक औचित्य पर भी वाद-विवाद किया जा सकता है। ...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं : उपाध्यक्ष महोदय को सभी को अवसर देना चाहिए। हम भी अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं। ...*(व्यवधान)* हम इस पर सुदीर्घ चर्चा के लिए तैयार हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री किरीट सोमैया : महोदय, वे अत्यधिक रूप से डरे हुए हैं और इसी कारण वे इस विधेयक के पुरःस्थापन पर आपत्तियां कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, श्री सोमैया और श्री स्वाईं, कुछ कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आपको मेरी बात सुननी चाहिए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री स्वाईं, मैंने आपसे मेरी बात सुनने के लिए कहा है।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवधान न डालें।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): जनता ने पिछले चुनाव में यह सिद्ध कर दिया है। ...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल : जहां आपने यह बात उठाने की कोशिश की, धज्जियां उड़ा दी थी। ...*(व्यवधान)* आपने जगह-जगह आरग्यू करने की कोशिश की है। ...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाईं : महोदय, हम चर्चा के लिए तैयार हैं ...*(व्यवधान)* हम उनसे वाद-विवाद करने के लिए तैयार हैं ...*(व्यवधान)* वे बोले जा रहे हैं ...*(व्यवधान)*

प्रो. रासा सिंह रावत : इस बात की कोई सीमा होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री स्वाईं, मैंने उन्हें अपने मामले को प्रस्तुत करने के लिए उन्हें बोलने का अवसर दिया हूं। इसके बाद मैं प्रस्तावक को उत्तर देने के लिए कहूंगा। इसके बाद मैं अन्य चरणों पर आऊंगा।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं खड़ा हूं।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यह कोई तरीका नहीं है। यह गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य है। इस पर स्वस्थ चर्चा होनी चाहिए। सब बातें सुचारू ढंग से होनी चाहिए।

अब मुझे उनसे अपनी बात खत्म करने के लिए कहने दीजिए। उनकी बात समाप्त हो गई है। अब मैं प्रस्तावक से उत्तर देने के लिए कहूंगा।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अन्य माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर नहीं मिलेगा।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): आपकी सूचना के लिए बता दूं, मेरा जन्म पूर्वी पाकिस्तान में हुआ है। और मुझे भारत के संविधान के अंतर्गत इस सभा का सदस्य बनने का अधिकार मिला है ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री स्वाईं कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मैं आपकी बातों को गम्भीरतापूर्वक नोट कर रहा हूं।

...*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : ये सब क्या हो रहा है।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): ये नियम के अधीन ही बोल रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री स्वाईं, मुझे आपको चेतावनी देनी पड़ेगी।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो. रावत, यह कोई तरीका नहीं है। मुझे आपको चेतावनी देनी पड़ेगी। अपने बर्ताव पर ध्यान दीजिए। सभा में व्यवहार का यह कोई तरीका नहीं है। मैं सभा का संचालन कर रहा हूं। वे अपने मामले के पक्ष में तर्क दे रहे हैं। मैं प्रस्तावक से उत्तर देने के लिए कहूंगा। इस बीच आप मेरी अनुमति के बिना आगे कैसे आ रहे हैं?

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री खारबेल स्वाईं : मैंने नियम का उल्लेख किया है ...*(व्यवधान)* मुझे अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अध्यक्षपीठ के विनिर्णय को चुनौती नहीं दे सकते हैं।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : ये आसन की इजाजत से उसी रूल के अधीन बोल रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री पी.सी. थामस : यह गैर-सरकारी कार्य का अत्यंत महत्वपूर्ण समय है ...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल : मैं उस ओर के सदस्यों की तरह असहनशीलता के प्रदर्शन के लिए तैयार हूं ...*(व्यवधान)*

यह मुझे अन्तिम बिन्दु अर्थात् नियम 294(1) पर लाता है। मैंने इसका उल्लेख पहले भी किया है। मेरा कहना है कि किसी गैर-सरकारी सदस्य द्वारा पेश किए गए या पेश किए जाने वाले किसी संविधान (संशोधन) विधेयक को समिति के समक्ष लाए बिना पुर:स्थापित नहीं किया जा सकता है।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति द्वारा विधेयक की जांच किए बिना उसे यहां पुर:स्थापित नहीं किया जा सकता है। इसके लिए नियम 294(1) में विशेष प्रावधान है।

महोदय, मैं पुन: आपका ध्यान इस नियम की ओर आकर्षित करता हूं:

"(1) समिति के ये कृत्य होंगे:

(क) विधेयक के पुर:स्थापित करने की अनुमति के प्रस्ताव को कार्यसूची में सम्मिलित करने से पूर्व प्रत्येक ऐसे विधेयक की जांच करना जो संविधान में संशोधन करने वाला हो और जिसकी सूचना गैर-सरकारी सदस्य द्वारा दी गई हो;...।"

तत्पश्चात् इस समिति को पुर:स्थापन आदि के बाद सभी विधेयकों की जांच करनी है, जिसके बारे में मैं अभी उल्लेख नहीं करूंगा। गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का अभी गठन नहीं किया गया है। किंतु यह मेरी दूसरी आपत्ति है, मेरी पहली और मूल आपत्ति असंवैधानिक है।

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी): उपाध्यक्ष महोदय, यह वैध बिन्दु है। इस समिति द्वारा जांच किए बिना यह विधेयक इस सभा में कैसे आया।

श्री किरीट सोमैया : जब समिति का गठन न किया गया हो तो यह सभा अनुमति देती है ...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल : मैं दो पहलुओं पर संक्षेप में बल देते हुए अभी अपनी बात समाप्त करता हूं। पहला संवैधानिक पहलू और उससे जुड़ा इरादा है जैसा कि विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के कथन से स्पष्ट होता है। दूसरा नियम 294(1)(क) के अधीन लगाई गई सीमा है अर्थात् जब तक समिति द्वारा विधेयक की जांच नहीं की जाती इसे सभा में नहीं लिया जा सकता है। इस तथ्य के मद्देनजर मेरा निवेदन है कि इस विधेयक के पुर:स्थापन को अस्वीकार किया जाए।

श्री जी.एम. बनातवाला : उपखंड (घ) को भी पढ़िए।

श्री पवन कुमार बंसल : वह बाद में पढ़ा जाएगा।

श्री जी.एम. बनातवाला : आप केवल इसे पढ़िए।

श्री पवन कुमार बंसल : यह कहता है:

"गैर-सरकारी सदस्यों के ऐसे प्रत्येक विधेयक की जांच करना जिसका सभा में इस आधार पर विरोध किया जाए कि विधेयक द्वारा ऐसे विधान का सूत्रपात होता है जो सभा की विधायी सक्षमता से परे है और अध्यक्ष ऐसी आपत्ति को ऊपरी दृष्टि से ठीक समझे;........।"

लेकिन मूल बात तो संवैधानिक पहलू के बारे में है।

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सम्माननीय सदस्य श्री बंसल जी ने नैचुरल बोर्न सिटीजन की चर्चा पर ऑब्जैक्शन का प्रारम्भ किया। ...*(व्यवधान)*

श्री जी.एम. बनातवाला : अननैचुरली बोर्न कौन होगा। सब नैचुरली बोर्न हैं तो अननैचुरल बोर्न कौन होगा। ...*(व्यवधान)*

श्री किरीट सोमैया : मैं बताता हूं न। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाईं : इस बारे में संयुक्त राज्य अमरीका के संविधान निर्माताओं से पूछा जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने भी जन्मत: नागरिक का उल्लेख किया है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया : मैं शौक नहीं कहूंगा, लेकिन जिनको विदेशी व्यक्ति पर इतना निर्भर रहना पड़ता है, उनको नैचुरली बोर्न की व्याख्या समझने में थोड़ा समय लगेगा। जब बिल के ऊपर चर्चा का प्रारम्भ होगा, तब मैं आपको नैचुरल और अननैचुरल बोर्न का फर्क बताऊंगा। अभी 13वीं लोक सभा में जो तीन तेरह होकर

[श्री किरीट सोमैया]

113 चुनकर आये हैं, उनको नैचुरल और अननैचुरल डैथ की भी समझ आ गई होगी, उनके ध्यान में आ गया होगा। अमेरिका का जो कांस्टीट्यूशन है, उसमें भी इसका स्पष्टत: उल्लेख किया गया है। इसीलिए मैंने कहा कि इस बात की चर्चा हम तब करेंगे।

[अनुवाद]

संयुक्त राज्य अमरीका के संविधान में उपलब्ध है:

> "कि संयुक्त राज्य अमरीका के जन्मत: नागरिक या इस संविधान को अंगीकृत करते समय संयुक्त राज्य अमरीका के नागरिक के सिवाय कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए पात्र नहीं होगा न ही कोई ऐसा व्यक्ति उस पद के लिए प्राप्त होगा जिसने प्राप्त न की हो.......।"

अपराह्न 4.00 बजे

उपाध्यक्ष महोदय : श्री किरीट सोमैया, उन्होंने दो आपत्तियां उठाई हैं। पहली, उन्होंने कहा है कि नागरिकों के बीच आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं; यह संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन होगा और उस स्थिति में यह सभा इस विधेयक पर चर्चा नहीं कर सकती है। दूसरा, उन्होंने कहा है कि गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति होती है। विधेयक की जांच व उसे स्वीकृति गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों व संकल्पों संबंधी समिति करती है, और अभी उस समिति का गठन नहीं किया गया है अत: इस विधेयक पर यहां चर्चा नहीं की जा सकती है। उन्होंने ये दो बिन्दु उठाए हैं। आप कृपया इन दो बिन्दुओं पर बोलिए।

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया : उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने दस बातें अपने ब्रीफ में आब्जैक्शन लेते हुए कही हैं और लगभग सत्रह मिनट उन्होंने भाषण दिया है। इसमें ये दो बिन्दु ही नहीं हैं, अन्य 12 बिन्दु भी हैं, जिनकी व्याख्या प्रारम्भ से ही उन्होंने की है। मैंने प्रारम्भ में ही नेचुरल-बोर्न-सिटीजनशिप के बारे में बता दिया है। यू.एस. कान्स्टीट्यूशन में क्लीयरकट प्रोवीजन है, मैं कोट करता हूं—

[अनुवाद]

> "संविधान में उपबंध किया जाता है कि संयुक्त राज्य अमरीका के जन्मत: नागरिक या इस संविधान को अंगीकृत करते समय संयुक्त राज्य अमरीका के नागरिक के सिवाय कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए पात्र नहीं होगा।" ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें अपनी बात कहने दो। आप उनके बोलने में व्यवधान क्यों डाल रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री किरीट सोमैया : मैं पेरू का उदाहरण भी देना चाहता हूं। पेरू का संविधान कहता है कि राष्ट्रपति पद के लिए केवल जन्मत: पेरूवासी ही पात्र होंगे।

[हिन्दी]

जिसका जन्म हिन्दुस्तान में, हिन्दुस्तान की कोख से हुआ है, गोद में हुआ है, उसको नेचुरल-बोर्न कहते हैं और व्याख्या की है।

[अनुवाद]

यह पहली बात है ...*(व्यवधान)*

श्री पी.सी. थामस : इसे विधेयक में परिभाषित किया जाना चाहिए ...*(व्यवधान)*

श्री किरीट सोमैया : विधेयक में मैंने इसे परिभाषित किया है। आप विधेयक देखें। उसमें स्पष्टत: कहा गया है कि 'जन्मत: नागरिक' का क्या तात्पर्य है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

दूसरी बात, आबजैक्ट एंड रीजन्स में भी विवरण दिया है। इसका जिक्र करते हुए, आपने भी कुछ मुद्दे उठाए हैं और कहा है कि एक ओर यह सदन विदेशी संस्थाओं और फारेन नेशनल्स के लिए बीजनैस ओपन करने जा रहा है, तो फिर हम इंडियन बोर्न सिटिजनशिप और फारेन-बोर्न-सिटीजनशिप में भेदभाव क्यों कर रहे हैं। जब इस पर चर्चा प्रारम्भ होगी, तो कान्सटीचुयेंट एसेम्बली में जो चर्चा हुई है, वह मैं सदन के सामने रखूंगा।

महोदय, पचास वर्ष पहले जब संविधान को एडाप्ट किया गया, उस समय लोगों को कल्पना भी नहीं थी, उन्होंने सपने में भी नहीं देखा होगा कि महात्मा गांधी की कांग्रेस या महात्मा गांधी के आजाद हिन्दुस्तान में कभी जाकर किसी विदेशी व्यक्ति को प्रधान मंत्री बनाने का प्रयत्न होगा या राष्ट्रपति बनाने का प्रयास होगा। ...*(व्यवधान)*

श्री जी.एम. बनातवाला : मौलाना आजाद मक्का में पैदा हुए और एजुकेशन मिनिस्टर बने। ...*(व्यवधान)*

श्री किरीट सोमैया : महोदय, मैंने सिर्फ तीन पदों की बात कही है—राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधान मंत्री। मेरी समझ में नहीं आता है कि सौ करोड़ के हिन्दुस्तान में ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : किस नियम के अधीन।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, मैं भारत के संविधान के पहले पृष्ठ पर की गई पवित्र घोषणा को उद्धृत कर रहा हूं ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आपको नियम उद्धृत करना होगा।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, मैं भारत के संविधान के पहले पृष्ठ पर की गई पवित्र घोषणा को उद्धृत कर रहा हूं।

व्यवस्था का प्रश्न उठाने के लिए संविधान से उद्धृत किया जा सकता है। ...*(व्यवधान)*

प्रो. रासा सिंह रावत : लेकिन आपने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है।

श्री प्रियरंजन दासुमंशी : जी हां, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं।

श्री किरीट सोमैया : उन्हें बताने दीजिए किस नियम के अन्तर्गत उठाया है।

श्री खारबेल स्वाईं : किस नियम के अन्तर्गत वह इसे उठा रहे हैं? ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : व्यवस्था का प्रश्न उठाने के लिए भारत के संविधान और नियम पुस्तिका को कभी-कभी उद्धृत किया जा कता है। वह स्थापित नियम है। किसी भी समय मैं संविधान उद्धृत कर सकता हूं। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत : समानता का मतलब यह नहीं है कि दुनिया के किसी भी देश का व्यक्ति यहां आकर राष्ट्रपति या प्रधान मंत्री बनने लग जाए ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : वह प्रासंगिक नहीं था।

श्री किरीट सोमैया : किस नियम के अन्तर्गत?

उपाध्यक्ष महोदय : वह संविधान के अन्तर्गत उल्लेख कर रहे हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मैं भारत के संविधान की उद्देशिका को उद्धृत कर रहा हूं। उद्देशिका को उद्धृत करने पर कोई पाबन्दी नहीं है। व्यवस्था के प्रश्न को उठाने अथवा किसी अन्य प्रावधान के लिए यह हमेशा स्वीकार्य है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया : महोदय, यह कौन से नियम के अंतर्गत बता रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मैं भारत के संविधान की उद्देशिका को उद्धृत कर रहा हूं। उद्देशिका के बिना, आप भारत के संविधान को पढ़ नहीं सकते हैं।

श्री किरीट सोमैया : किस नियम के अन्तर्गत? उन्हें नियम उद्धृत करने दीजिए। वह नियम नहीं बता रहे हैं ...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं : महोदय, क्या आप समझते हैं कि ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : वह अप्रासंगिक है। आप वह प्रश्न नहीं पूछिए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : वह संविधान की उद्देशिका को उद्धृत कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री किरीट सोमैया : किस नियम के अन्तर्गत वह इसका उल्लेख कर रहे हैं? ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : आप नियम 294 देखिए। आप पुस्तिका पढ़िए ...*(व्यवधान)*

श्री किरीट सोमैया : बताने के पहले आप उस नियम को जोर से पढ़िए कि यह नियम क्या है?

उपाध्यक्ष महोदय : आप नियम जोर से पढ़कर सुना दीजिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया : महोदय, नियम 294 में जो कुछ है, उससे प्वाइंट ऑफ आर्डर का कोई संबंध नहीं है। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : संबंध है या नहीं है, यह डिप्टी स्पीकर डिसाइड करेंगे, आप नहीं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे पढ़ने दीजिए।

श्री किरीट सोमैया : यह समिति के कार्यकरण से सम्बन्धित है और वह आपत्ति उठा रहे हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत : पहले वाले कैसे पास हो गए। ...*(व्यवधान)* अगर फंक्शन ऑफ द कमेटी की बात करते हैं तो पहले वाले कैसे पास हो गए? वे कैसे स्वीकार हो गए, वे उन्होंने कैसे मान लिए? ...*(व्यवधान)* इससे पहले वाले कमेटी के बिना कैसे पास हो गए। इससे पहले वाले सारे बिना कमेटी के पास हुए हैं।

श्री खारबेल स्वाईं : आप भारत के संविधान का उल्लेख नहीं कर सकते। आप कहना चाहते हैं ...*(व्यवधान)* तीन विधेयक पुरःस्थापित किये गए हैं। उस समय, आप नहीं आए थे। क्या आप जानते हैं कितने विधेयक पुरःस्थापित किये गए हैं? ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं नियम 294 पढ़ रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया : मैंने बिल नम्बर पांच इंट्रोड्यूस किया है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

यह संविधान के अन्तर्गत था। आप देखिए मद सं. 9 के अन्तर्गत यह विधेयक सूची में डाला गया है। यह भारत के संविधान के संशोधन के लिए भी था।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सोमैया, उन्हें केवल एक विधेयक पर आपत्ति है। अन्य विधेयकों के लिए कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए हमने उन्हें लिया है।

श्री किरीट सोमैया : इसमें आपत्ति का कोई प्रश्न नहीं है आप कृपया देखिए कि उन्होंने कौन सा तरीका अपनाया है। मद संख्या 5 के अन्तर्गत सूचीबद्ध किया गया विधेयक संविधान (संशोधन) विधेयक है। श्री बसुदेव आचार्य का विधेयक भी संविधान (संशोधन) विधेयक है। मद संख्या 12 के अन्तर्गत सूचीबद्ध किया गया विधेयक भी संविधान (संशोधन) विधेयक है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : हमें उन पर कोई आपत्ति नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सोमैया, किसी भी व्यक्ति को किसी भी संविधान (संशोधन) विधेयक पर आपत्ति हो सकती है। यदि किसी ने भी दूसरे अन्य संविधान (संशोधन) विधेयक पर आपत्ति नहीं उठाई है तो यह देखना अध्यक्षपीठ का कार्य नहीं है कि यहां आपत्ति क्यों नहीं हुई। उन्होंने केवल आपके संविधान (संशोधन) विधेयक पर आपत्ति उठाई है। अब मुझे उनकी बात सुनने दीजिए। मैंने उन्हें नियम पढ़ने के लिए कहा है।

...*(व्यवधान)*

श्री किरीट सोमैया : महोदय, मैं उन्हें नियम उद्धृत करने के लिए अनुरोध कर रहा हूं। वह किस नियम से उद्धृत कर रहे हैं?

उपाध्यक्ष महोदय : उनसे पूछने की आपको आवश्यकता नहीं है। मुझे उनसे पूछना होगा। मैं उनसे पूछ रहा हूं और मैं नियम

पढ़ रहा हूं। यदि आप इससे संतुष्ट नहीं होते तो मैं आपको मौका दूंगा और तत्पश्चात् आप अपनी बात कह सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाई : यदि आज 14 विधेयकों को पहले ही पुर:स्थापित किया जा चुका है और दो या तीन विधेयक उन्होंने स्वयं पुर:स्थापित किये हैं उनको इस आधार पर विरोध नहीं किया गया कि यह *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री स्वाईं, यदि किसी को दो अथवा तीन विधेयकों पर आपत्ति नहीं है तो क्या आप चाहते हैं कि मैं उनके मार्ग में बाधा उत्पन्न करूं? यदि आप किसी संवैधानिक (संशोधन) विधेयक पर आपत्ति करते हैं तो मुझे उसको नोट करना पड़ेगा। यदि तीन, चार अथवा कितने भी संविधान (संशोधन) विधेयकों पर किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होती तो उन पर मुझे चर्चा करने की आवश्यकता नहीं होती। इसके बाद आप किसके बारे में बात कर रहे हैं?

...(व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाईं : महोदय, क्या आप इस मामले पर पूर्ण चर्चा की अनुमति दे रहे हैं? यदि आप महसूस करते हैं कि यह इस सभा के विधायी अधिकार क्षेत्र से बाहर है तो तभी आप पूर्व चर्चा की अनुमति दे सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यही प्रश्न उन्होंने उठाया है।

श्री खारबेल स्वाईं : यदि आप महसूस करते हैं तभी आप पूर्ण चर्चा के लिए अनुमति देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने पूर्ण चर्चा की अनुमति नहीं दी है। उन्होंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं किसी को चर्चा आरम्भ करने की अनुमति नहीं दे रहा हूं। जब वह उत्तर दे रहे थे तो श्री दासमुंशी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था। मैंने आपकी बात भी सुनी है लेकिन आप मुझे सन्तुष्ट नहीं कर सके। मैं आपसे सहमत नहीं हूं। मैंने कहा कि वहां व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। उन्होंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया। इसलिए मैं उनसे पूछ रहा हूं। आपने अभी बताया यदि इसमें व्यवस्था का प्रश्न है तो ठीक है मैं इसे स्वीकार करूं और यदि यह नहीं है तो मैं इसे अस्वीकार कर दूंगा।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, विधेयक की जांच करने के सम्बन्ध में नियम 376 के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठाने और गैर-सरकारी सदस्यों के कार्यों से सम्बन्धित प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों के नियम 294 दोनों को मैं उद्धृत कर रहा हूं और भारत के संविधान की उद्देशिका के साथ सह सम्बन्ध स्थापित करते हुए अनुच्छेद 19 के संरक्षण के अन्तर्गत भी मैं अपना व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं।

महोदय, इसके अतिरिक्त गैर-सरकारी सदस्यों की कार्यसूची के माध्यम से सभा में लाए जाने वाले संविधान संशोधन से संबंधित विधेयक के स्वरूप की चर्चा करते हैं, अन्यथा जब तक कोई आपत्ति न उठाई गई हो और इसकी छानबीन नहीं की गई हो और यह इससे भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त अनुच्छेद 19 में निहित संबंधित मौलिक अधिकार में हस्तक्षेप हो रहा है। मैं इस सभा में दिए गए असंख्य विनिर्णयों को उद्धृत कर रहा हूं जो भारत के संविधान की उद्देशिका की उस अन्त: मूल घोषणा को प्रभावित कर रहे हैं जिसमें से ही भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 की शक्ति का मौलिक अधिकारों के रूप में प्रादुर्भाव हुआ है। कार्यरूप में परिणित यह उद्देशिका की अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति इस प्रकार है:

"पद व अवसर की समता"

किस के लिए, सभी नागरिकों के लिए जब तक कि इस उद्देशिका, इस मौलिक ढांचे और अनुच्छेद 19 के अन्तर्गत प्रत्येक नागरिक को प्रदत्त मौलिक अधिकार में कोई फेरबदल नहीं कर दिया जाता अथवा इसे परिवर्तनीय नहीं बना दिया जाता, तब तक यह विधेयक पुर:स्थापित नहीं किया जा सकता मेरा यही निवेदन है।

श्री खारबेल स्वाईं : महोदय, भारत के संविधान की उद्देशिका में 'पंथनिरपेक्ष' और "समाजवाद" जैसे शब्द नहीं थे। इसे बाद में शामिल किया गया। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : सामान्यत: यहां ऐसी आपत्ति नहीं उठती। गैर-सरकारी सदस्यों की कार्यसूची में इसे नहीं लिया जा सकता।

...(व्यवधान)

श्री ए.सी. जोस (त्रिचूर): महोदय, आपने नियम 294 पर विनिर्णय दिया है, पर आपने नियम 295 पर जो उन्होंने उठाया था,

[श्री ए.सी. जोस]

विनिर्णय नहीं दिया। नियम 295 बहुत स्पष्ट है। यह 294 नियम के बाद आया है। मैं उद्धृत करता हूं:

> "प्रतिवेदन के सभा के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के बाद किसी समय प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकेगा कि सभा प्रतिवेदन को स्वीकार करती है या संशोधनों के साथ स्वीकार करती है या अस्वीकार करती है।"

उपाध्यक्ष महोदय : यह केवल विधेयक की पुर:स्थापना ही है।

श्री ए.सी. जोस : समिति का गठन नहीं किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : जब समिति का गठन नहीं होता है तो सभा में उठाया जा सकता है।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत : इससे पहले के 13-14 बिल्स अथवा संविधान संशोधनों पर हमने कोई आपत्ति नहीं की। कमेटी का रूल वहां भी लागू होता है। जब उन्हें कमेटी ने पास ही नहीं किया, विचार ही नहीं किया तो वे हाउस में कैसे आ गए? हाउस में उन पर विचार हो सकता है और उन्हें स्वीकार किया जा सकता है। आपसे निवेदन है कि आप इस विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दें।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब इन्हें जवाब देने दीजिए।

श्री खारबेल स्वाईं : महोदय मैं नियम 294(1) पढ़ रहा था। इसमें लिखा है:

"समिति के ये कृत्य होंगे।"

(क) विधेयक के पुर:स्थापित करने की अनुमति के प्रस्ताव को कार्यसूची में सम्मिलित करने से पूर्व प्रत्येक ऐसे विधेयक की जांच करना जो संविधान में संशोधन करने वाला हो और जिसकी सूचना गैर-सरकारी सदस्य द्वारा दी गई हो।

महोदय, क्या यह औपचारिकता पुर:स्थापित किए गए दूसरों विधेयकों के साथ भी पूरी की गई थी? सबके साथ एक बर्ताव होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : उनका तर्क यह है कि भारत में जन्मे और वह नागरिक जिसने भारत की नागरिकता प्राप्त की हो, उनके मध्य कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। दूसरा मुद्दा वह है जिसका आपने उल्लेख किया है क्या आप मेरी बात समझे हैं?

श्री खारबेल स्वाईं : जी हां, महोदय।

श्री पी.सी. थामस : महोदय, अगर हमने एक गलती की है तो इसका यह अर्थ नहीं कि ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री थामस, मैं इसकी गुणावगुणों पर नहीं जाना चाहिता; मैं केवल यही कह रहा हूं कि यह एक अलग प्रश्न है। जो मुद्दा यहां उठाया गया है वह यह है कि जन्मत: भारतीय नागरिक और जो नागरिक, जिन्होंने भारतीय नागरिकता प्राप्त की है उनके बीच होने वाला भेदभाव है। अगर ऐसा है तो संविधान की मूल संरचना पर ही प्रश्नचिह्न लग जाएगा। यहीं इन्होंने पूछा है और श्री सोमैया को इसी मुद्दे पर बहस करनी है।

श्री खारबेल स्वाईं : महोदय, अगर आप मुझे भी बोलने का मौका दें तो ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपसे नहीं कर रहा, वह विधेयक के प्रस्तुतकर्ता हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं : महोदय, आपने लगभग संपूर्ण बहस की अनुमति दे दी है।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : जो भी श्री स्वाईं ने कहा है वह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने किसी को भी इसमें भाग लेने की अनुमति नहीं दी है। यह वाद-विवाद नहीं है। उन्होंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, आपने भी व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। मैंने किसी को भी इस वाद-विवाद में भाग लेने की अनुमति कभी नहीं दी है।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री खारबेल स्वाईं : अगर आपने उन्हें अनुमति दी है तो आप मुझे भी बोलने की अनुमति दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं आपको तब तक अनुमति नहीं दे सकता जब तक विधेयक पुर:स्थापित नहीं कर दिया जाता मैं आपको इसमें भाग लेने की कैसे अनुमति दे सकता हूं।

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया : सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां दो मुद्दे उठाए गए। मैं संक्षेप में अपनी बात कहना चाहता हूं। बाकी बिन्दुओं पर जब बिल पर चर्चा होगी, तब अपनी बात कहूंगा। पहली बात यह है कि 50 वर्ष पहले जब संविधान की रचना की गई उस समय किसी ने इस प्रकार की कल्पना नहीं की थी। ...*(व्यवधान)* आप मेरी बात सुनिए। हमने सदन में संविधान में संशोधन करने के लिए सौ से भी ज्यादा प्रस्तावों पर चर्चा की। इनमें से कई मंजूर भी हुए, चाहे वह सैकुलरिज्म की बात हो या सोशलिज्म की बात हो या बैंकों के राष्ट्रीयकरण की बात हो। अनेक ऐसे विषय यहां पर पारित भी हुए। जब इस विषय पर सदन में चर्चा होगी उस समय मैं इस विषय पर ज्यादा विस्तार से अपनी बात कहूंगा। इसमें गैर-कानूनी कुछ नहीं है। संविधान में नैचुरल या अननैचुरल सिटिजन्स के अधिकार के बारे में कोई जिक्र नहीं है। हाइएस्ट आफिस के तीन पदों के बारे में क्वैश्चन करना संविधान के बिल्कुल विपरीत नहीं है।

दूसरी बात यह है कि समिति में चर्चा न होने पर भी पूरा हाउस इस प्रकार का निर्णय लेने में सक्षम है। इससे पहले जब समितियों की रचना नहीं हुई, उस समय भी ऐसे संविधान संशोधन बिल पेश किए गए। न केवल 13वीं लोक सभा में बल्कि सभी लोक सभा में इस प्रकार से इंट्रोड्यूस किया गया है। इस प्रकार की प्रथा और परम्परा रही है।

[अनुवाद]

इसलिए आपको मुझे अनुमति देनी चाहिए। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मुझे इस विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दें।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर सैकुलरिज्म की बात की गई है, यह किसी कांस्टीट्यूशन में अमेंडमेंड के माध्यम से नहीं आया है।

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाईं : महोदय, जब भी इस पर बहस होगी, केवल तभी इस पर निर्णय लिया जा सकता है। तब कोई भी इसे चुनौती दे सकता है। उच्चतम न्यायालय ही निर्णय देगा कि यह संविधान की मूल भावना के अंतर्गत आता है या नहीं।

श्री किरीट सोमैया : मैं आशय को समझ गया हूं। भारतीय संसद में भी, क्या इस प्रकार के विधेयक को स्थगित किया जा सकता है?

[हिन्दी]

जब लोक सभा की रचना की गई थी तो जो पहला सैशन हुआ, उसमें सब प्रकार के प्राइवेट मैम्बर्स बिल में कांस्टीट्यूशन अमेंडमेंड अलाऊ किया गया है, यह प्रथा रही है। जब आई.आर.डी.ए. बिल आया, उसमें यह बिन्दु उपस्थित हुआ था उस समय भी इसका क्लैरिफिकेशन दिया गया था। यह कांस्टीट्यूशन अमेंडमेंड बिल है जिसके लिये कांस्टीट्यूशन में अमेंडमेंड प्रोपोज्ड कर रहे हैं। जब इस सदन की राय जानी जायेगी और आवश्यक मतदान यहां होगा, तभी यह अमेंडमेंट होगा अन्यथा पब्लिक डिबेट होगी। इस सबके लिये मैं आपसे प्रार्थना करता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे अपना विनिर्णय देने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री एम.ओ.एच. फारूक : महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं सभा के कानून के सभी उपबन्धों और कानून की स्वाभाविक प्रक्रिया का अध्ययन कर लिया गया है या नहीं ...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं : यह संसद है इस सदन का कार्य है कानून बनाना ...*(व्यवधान)* यह उच्चतम न्यायालय को निर्णय देना है कि क्या यह संविधान की मूल भावना के अंतर्गत आता है या नहीं। अगर कोई सोचता है कि यह मूल भावना के अंतर्गत नहीं आता तो वह उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने ही ऐसा निर्णय दिया है। अगर यह मूल भावना के अंतर्गत नहीं आता तो उसे जाने दें। इस सभा को पूरा अधिकार है कि वह किसी भी विषय पर चर्चा करे ...*(व्यवधान)* वह सर्वोच्च न्यायालय तक जा सकता है। सदस्य को यह अधिकार है कि वह कोई भी संशोधन प्रस्तुत कर सकता है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे इस पर अपनी राय देने दें।

...(व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाईं : उन्हें सर्वोच्च न्यायालय जाने दो। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री स्वाईं, यह क्या है? आप मेरी अनुमति के बिना बोले जा रहे हैं। यह आपकी आदत बन गई है। मुझे इस बात पर खेद है। आप एक युवा व्यक्ति हो। आप अच्छा बोलते हो। सभा में कुछ अनुशासन कायम रखो। आप मेरी अनुमति लेकर बोलें नहीं तो यहां बैठा हुआ हरेक व्यक्ति वैसा ही करेगा। अन्यथा, मैं इस सभा का संचालन किस तरह कर पाऊंगा। आप मुझे बताइए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रामदास आठवले, मैं श्री स्वाईं से बात कर रहा हूं, आप खड़े हो जाते हैं और बोलने लगते हैं। इस सभा को कैसे नियंत्रित किया जाए?

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को यह सूचित करना है कि अध्यक्षपीठ इस बात का फैसला नहीं करता कि विधेयक संवैधानिक रूप से सभा की विधायी क्षमता के अंतर्गत आता है या नहीं। यह सभा किसी विधेयक के अधिकार दोष संबंधी विशेष प्रश्न पर भी कोई निर्णय नहीं लेती। जहां तक विधेयक को गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति को भेजने का संबंध है ऐसी समिति का गठन अभी तक नहीं किया गया है। ऐसे कई दृष्टांत हैं जब गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों को पुरःस्थापित करने के लिए समिति की पूर्व अनुमति के बिना कार्यसूची में शामिल किया गया था। ऐसी परिस्थितियों में मैं यह मामला सभा के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

श्री पवन कुमार बंसल : एक बार कोई आपत्ति कर ली जाती है तो उसे वैध माना जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय : समिति में भी बहुमत का ही निर्णय होता है। इसलिए मैं सभा की राय ले रहा हूं।

श्री पवन कुमार बंसल : इसके लिए एक विशेष प्रक्रिया निर्धारित है।

श्री एम.ओ.एच. फारूक : मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसे उक्त प्रक्रिया के अनुरूप लिया गया है या नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : हां। लिया गया है।

श्री एम.ओ.एच. फारूक : नहीं ऐसा नहीं हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय : पहले कई अवसरों पर ऐसे दृष्टांत मिलते हैं। ऐसा हुआ है।

श्री पवन कुमार बंसल : मुझे विश्वास है कि जब इस तरह की कोई आपत्ति उठाई गई हो तब ऐसा नहीं हुआ होगा बल्कि तब एक निर्णय लिया जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे सचिवालय द्वारा बताया गया है कि ऐसे कई उदाहरण हैं। मैं सभा की राय लेना चाहता हूं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, यह विवाचन का प्रश्न है।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले : उपाध्यक्ष महोदय, श्री सोमैया जी ने जो मुद्दे रखे हैं, उसे ध्यान में रखते हुए कहा है कि सेकुलरिज्म और सोशिलिज्म अमेंडमेंड के माध्यम से होगा?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

> "कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

सरदार बूटा सिंह (जालौर): आप इसका निर्णण बिना मत विभाजन के कैसे कर सकते हैं? इस तरफ से ऊंची आवाज में कहा जा रहा है। *...(व्यवधान)* या तो आप इस पर मत विभाजन करवाइए या *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप मत विभाजन चाहते हैं?

सरदार बूटा सिंह : अन्यथा, आप निर्णय कैसे ले सकते हैं? हमारी आवाज उनकी आवाज से ऊंची थी।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधाम में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री किरीट सोमैया : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

सरदार बूटा सिंह : मुझे दुख है कि मेरी आवाज दबा दी गई।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप वास्तव में मत विभाजन चाहते हैं?

सरदार बूटा सिंह : महोदय इस देश के लोगों का विभाजन नहीं हो सकता। इस प्रकार का विधेयक लाकर वे लोग भारतीय नागरिकों में दरार पैदा कर रहे हैं जिसका मैं कड़ाई से विरोध करता हूं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, इस विधेयक के पुरःस्थापन द्वारा संविधान की उद्देशिका की पवित्र घोषणा पर आघात किया जा रहा है। भारत के पवित्र संविधान की उद्देशिका की जिस पवित्र घोषणा का प्रारूप हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने तैयार किया था जिसे उन्होंने निरूपित किया था। इस विधेयक को पुरःस्थापित किए जाने से उस घोषणा पर आघात पहुंच रहा है ...*(व्यवधान)* उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बात भी कहना चाहूंगा कि मैं स्वतंत्र भारत में पैदा नहीं हुआ था, मैं स्वतंत्रता से पहले पूर्वी पाकिस्तान में पैदा हुआ था। मैं इसे उन लोगों का अपमान समझता हूं जिन्होंने इस देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में भाग लिया था और जो लोग भारत से बाहर पैदा हुए थे। यह उनका भी अपमान था। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य विधेयक प्रस्तुत कर सकते हैं।

श्री किरीट सोमैया : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित कर चुका हूं।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 16 और 17 पर चर्चा करेंगे।

योगी आदित्यनाथ—अनुपस्थित।

श्री उत्तमराव पाटील।

अपराह्न 4.27 बजे

(पंद्रह) संविधान (संशोधन) विधेयक*

(अनुच्छेद 74 और 163 का संशोधन)

[अनुवाद]

श्री उत्तमराव पाटिल (यवतमाल): महोदय, मैं भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री उत्तमराव पाटील : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 4.28 बजे

(सोलह) संविधान (संशोधन) विधेयक 1999*

(उद्देशिका, आदि का संशोधन)

[हिन्दी]

श्री हरपाल सिंह साथी (हरिद्वार): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खंड-2, दिनांक 3.12.99 में प्रकाशित।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री हरपाल सिंह साथी : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बीरसिंह महतो - अनुपस्थित।

श्री रमेश चेन्नितल्ला - अनुपस्थित।

श्री ए.सी. जोस (त्रिचूर): महोदय, क्या हम इसे उनकी ओर से प्रस्तुत कर सकते हैं?

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं।

अपराह्न 4.29 बजे

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह *पीठासीन* हुए]

गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प

सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रम

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब हम मद संख्या 26 पर चर्चा करेंगे। अब यह सभा श्रीमती गीता मुखर्जी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों से संबंधित संकल्प पर चर्चा करेगी। इस संकल्प पर चर्चा करने से पहले हमें इस संकल्प पर चर्चा के लिए समय निर्धारित करना होगा। क्या हम आरम्भ में इसके लिए दो घंटे का समय निर्धारित करें?

कई माननीय सदस्य : जी हां।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा रुग्ण हो रहे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की बढ़ती संख्या और ऐसे 12 उपक्रमों को बंद करने के सरकार के निर्णय जिसके परिणामस्वरूप हजारों कर्मकारों और कर्मचारियों का रोजगार समाप्त हुआ है तथा उनकी मजदूरी और भत्तों का भुगतान नहीं हुआ है और लाभ कमाने वाले उपक्रमों सहित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश होने लगा है पर अपनी गंभीर चिन्ता व्यक्त करती है और सरकार से आग्रह करती है कि वह—

(एक) रुग्ण सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की बंदी पर रोक लगाये;

(दो) अर्थक्षम रुग्ण सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को पुनर्जीवित करने के लिए कदम उठाने और उनके कार्यकरण में सुधार लाने के लिए एक व्यापक नीति तैयार करे;

(तीन) विनिवेश नीति की समीक्षा करे;

(चार) कर्मचारियों को उनके बकाये का शीघ्र भुगतान करे; और

(पांच) बंदी के कारण रोजगारविहीन हो गए लोगों के पुनर्वास के लिए नीतियां तैयार करे।"

तेरहवीं लोक सभा के चुनाव और नई सरकार द्वारा सत्ता संभालने के बाद माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि अब कड़े निर्णय लेने का समय आ गया है। श्री वाजपेयी द्वारा इन प्रस्तावित कड़े निर्णयों से आशय है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व व्यापार संगठन द्वारा निर्देशित संरचनात्मक समायोजन के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप बेरोजगारी में वृद्धि कर्मकारों को मजूरी न देना या आधी मजूरी देना आदि। प्रस्तावित सुधारों का वास्तविक उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र की रुग्ण इकाइयों की बिक्री करके, सरकारी क्षेत्र के 24 उपक्रमों को संयुक्त क्षेत्रों में बदलकर लाभ कमाने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सरकार की भागीदारी कम करके, जिसमें कुछ नवरत्न कम्पनियां भी शामिल हैं—सरकारी क्षेत्र का विघटन करना है।

सरकार द्वारा अपनायी जा रही गलत नीतियों के कारण, ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, जिनके पुनरुद्धार की सिफारिश की जा

चुकी है जैसे आई.डी.पी.एल. और टायर कारपोरेशन आफ इण्डिया को सरकार द्वारा निधियां प्रदान नहीं की जा रही हैं। उनकी दूसरे चरण की आर्थिक नीतियों के कारण, सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति सरकार के दृष्टिकोण में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। वह इस बात पर भी विचार नहीं कर रही है कि रुग्ण सार्वजनिक इकाइयों के पुनरुद्धार की लागत स्वैच्छिक सेवानिवृत्त योजना के कार्यान्वयन की लागत से भी काफी कम है। उदाहरण के लिए कोई भी उन आठ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मामलों का उल्लेख कर सकता है जिन्हें बन्द करने का निर्णय लिया गया है अर्थात् एम.ए.एम.सी., बी.ओ.जी.एल., बी.पी.एम.ई.ए., डब्ल्यू.आई.एल., सी.सी.आई.एल., आर.आई.सी. इत्यादि। इन इकाइयों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्त योजना की कुल लागत 517 करोड़ रुपये है। जबकि पुनरुद्धार की लागत केवल 200 करोड़ रुपये है जोकि कुल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लागत के आधे से भी कम है।

स्वतंत्र भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने अपने उद्देश्य की पूर्ति और काफी हद तक देश के औद्योगिक विकास के लिए सुदृढ़ नींव डालने में सफलता पायी है। यह बात हमेशा से व्यापक रूप से स्वीकारी जाती है कि वर्तमान अर्थव्यवस्था के निर्माण में सार्वजनिक क्षेत्र ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है और इसके विकास का मुख्य वाहक रहा है। कुछ समय से इस क्षेत्र की अनदेखी की जा रही है, पर्याप्त निवेश इत्यादि से वंचित रखा गया जिससे इसकी औद्योगिक गतिविधियों विशेष रूप से 1997-98 में कमी आयी है।

यद्यपि सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां सार्वजनिक राजकोष में अत्यावश्यक संसाधनों को बढ़ाने में, लाभांश, निगमित करों, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क इत्यादि के भुगतान के द्वारा महत्वपूर्ण योगदान देती रही हैं। फिर भी सरकार राष्ट्रीय हित को ताक पर रखकर इन इकाइयों को निजी क्षेत्र को बेचने पर उतारू हैं।

महोदय, अपनी बात को सिद्ध करने के लिए, कोई भी जी.ए.आई.एल. के मामले का उल्लेख कर सकता है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को खुश करने की इस सरकार की नीति के अनुसरण में जी.ए.आई.एल. के शेयरों को मैसर्ज इनरान और मैसर्ज ब्रिटिश गैस को छूट प्राप्त मूल्य पर बेचा गया। चूंकि सरकार ने बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और अन्य विदेशी कम्पनियों की सहायता राष्ट्रीय हित की कीमत पर भी करने का निर्णय लिया है, अतः उनके मंत्रियों के सुझाव भी व्यर्थ सिद्ध हो रहे हैं। यद्यपि भारी उद्योग मंत्री ने सुझाव दिया है कि विनिवेश निधियों का एक भाग सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों विशेष रूप से रुग्ण सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के पुनर्निर्माण और पुनर्गठन में किया जाना चाहिए फिर भी इस दिशा में कुछ भी नहीं किया गया।

महोदय, जे.सी.आई. के बन्द होने के कारण श्रमिकों को जबरन हटाए जाने, आधी मजदूरी के भुगतान इत्यादि के कारण श्रमिकों की स्थिति अनिश्चयपूर्ण हो गई है। इसके कारण जूट उत्पादकों के सम्मुख भी भारी कठिनाई आ गयी है। वे उत्पादन लागत से भी कम मूल्य पर कच्चे जूट को बेचने के लिए बाध्य हो रहे हैं। एन.जे.एम.सी. को सरकार से नियमित रूप से निधियां नहीं प्राप्त होने के कारण इसके सम्मुख बन्द होने का खतरा उत्पन्न हो गया है। राष्ट्रीयकृत जूट मिलों—जिनमें से पांच पश्चिम बंगाल और एक बिहार में है—के 33,000 श्रमिकों को अपना वेतन नहीं मिल रहा है। पश्चिम बंगाल के मैसर्ज जेसप लिमिटेड के मामले में भी यही बात है जहां 10,000 कार्मिकों को मजदूरी नहीं मिल रही है।

महोदय, एक अन्य मामला मैसर्ज आई.डी.पी.एल. का है। आई.डी.पी.एल. के कर्मचारियों के एक प्रतिनिधिमंडल, जिसके साथ केन्द्रीय मजदूर संघ नेता और वाम मोर्चे के संसद सदस्य थे, को प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया था कि आई.डी.पी.एल. के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए इसे सभी आवश्यक निधियां प्रदान की जाएंगी। परन्तु दुर्भाग्यवश माननीय प्रधानमंत्री के आश्वासन के बावजूद भी अभी तक कुछ भी नहीं किया गया। जैसाकि मैं पहले कह चुकी हूं, आई.डी.पी.एल. के कर्मचारियों को पिछले तीन से चार महीनों से वेतन नहीं मिल रहा है।

महोदय, मैं यहां पर एक बात की चेतावनी देना चाहती हूं। यदि आई.डी.पी.एल. को बन्द किया जाता है तो अधिकांश फार्मास्यूटिकल उद्योग बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के हाथों में चले जाएंगे और जीवन रक्षक दवाइयों की लागत और अन्य दवाइयों की लागत इतनी ज्यादा हो जाएगी कि गरीबों की तो बात ही छोड़िए मध्य वर्ग के लोग भी इसे खरीद नहीं पाएंगे।

महोदय, निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों दोनों क्षेत्रों के उपक्रमों की रुग्णता के कारणों का पता लगाने और उपक्रमों के पुनरुज्जीवन के लिए उपायों को सुझाने और बेरोजगारी को रोकने और तीव्र औद्योगिक विकास के लिए रुग्ण उद्योग कम्पनी अधिनियम को अधिनियमित किया गया था। परन्तु अनुभव यह बताता है कि रुग्ण उद्योगों से राज्य के उच्च न्यायालयों में परिसमापन कार्यवाहियां आरम्भ करने की सिफारिश की जाती है।

वित्तीय संस्थाओं द्वारा उन्हें आरम्भ करने के लिए बनाई गई योजनाओं के माध्यम से उनका पुनरुज्जीवन करने और केन्द्र सरकार और कुछ मामलों में राज्य सरकार पर इनके वित्त पोषण का भार डालने के बजाए यह कार्य किया जा रहा है। यद्यपि मजदूर संघों

[श्रीमती गीता मुखर्जी]

के प्रतिनिधियों ने ऐसी योजनाओं के कार्यान्वयन में सरकार को पूरा सहयोग दिया है परन्तु भारत सरकार की नीति के कारण यह योजनाएं चल नहीं पायीं। यह एक लम्बी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कार्मिकों को वेतन नहीं मिलता है। नियोजक और सरकार श्रमिकों के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेती है। जिसके परिणामस्वरूप फैक्ट्रियां परिसमापन के द्वारा बन्द हो जाती हैं और बिक जाती हैं। जांच की प्रक्रिया के दौरान श्रमिकों या ऋणदाताओं को एस.आई.सी.ए. की धारा 22 के अंतर्गत भुगतान के लिए विधि द्वारा अपने दावे प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं होती है। इसका अर्थ हुआ कि श्रमिकों के मुकदमे की पूरी अवधि के दौरान वेतन नहीं मिलेगा। इस प्रकार बी.आई.एफ.आर. की सार्थकता समाप्त कर दी गई। इससे एस.आई.सी.ए. भी अर्थहीन हो गया। इसीलिए मैं सरकार से आई.एम.एफ, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और विश्व व्यापार संगठन द्वारा थोपी गई नीति से हटकर हमारी सार्वजनिक क्षेत्र को सशक्त बनाने की नीति को अपनाने का आग्रह करती हूं।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि यह सभा रुग्ण हो रहे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की बढ़ती संख्या और ऐसे 12 उपक्रमों को बंद करने के सरकार के निर्णय जिसके परिणामस्वरूप हजारों कर्मकारों और कर्मचारियों का रोजगार समाप्त हुआ है तथा उनकी मजदूरी और भत्तों का भुगतान नहीं हुआ है और लाभ कमाने वाले उपक्रमों सहित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश होने लगा है, पर अपनी गंभीर चिंता व्यक्त करती है और सरकार से आग्रह करती है कि वह—

(एक) रुग्ण सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की बंदी पर रोक लगाये;

(दो) अर्थक्षम रुग्ण सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को पुर्नजीवित करने के लिए कदम उठाये और उनके कार्यकरण में सुधार लाने के लिए एक व्यापक नीति तैयार करे;

(तीन) विनिवेश नीति की समीक्षा करे;

(चार) कर्मचारियों को उनके बकाये का शीघ्र भुगतान करे; और

(पांच) बंदी के कारण रोजगारविहीन हो गये लोगों के पुनर्वास के लिए नीतियां तैयार करे।"

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम): सभापति महोदय, वर्तमान मंत्रिमंडल में उद्योग विभाग के मंत्री पद की शपथ लेने के पश्चात् जहां तक विनिवेश का संबंध है हम मंत्री महोदय से सहयोग की अपेक्षा करते हैं। इस समय पश्चिम बंगाल और देश के अन्य भागों में विनिवेश एक ज्वलंत समस्या है। जब कुमारी ममता बनर्जी ने इस विषय को प्रधानमंत्री के समक्ष दृढ़तापूर्वक उठाया तो उन्होंने उन्हें लिखे अपने पत्र में बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र की आठ केन्द्रीय इकाइयों—इनमें से सात पश्चिम बंगाल में हैं, जिनका उल्लेख श्रीमती गीता मुखर्जी ने बार-बार किया है, और एक प्रधान मंत्री के निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ में है—पर अलग से प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाएगा।

1996 में विभिन्न उद्योगों की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए विनिवेश आयोग का गठन हुआ था। इसका कार्यकाल हाल ही में समाप्त हुआ है। मैं करीब तीन दिन पहले 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' के सम्पादकीय को पढ़ रहा था, 'डिसइन्वेस्टमेन्ट ब्लूस' शीर्षक के अंतर्गत यह उल्लिखित था:

"आयोग के प्रति निष्पक्षता बरतते हुए कहें तो आयोग ने परिश्रमपूर्वक कार्य और 58 सार्वजनिक उद्यमों के बारे में विचार करने वाली बारह रिपोर्टों को प्रस्तुत करने में ईमानदारी दर्शायी। इसने प्रत्येक इकाई का ध्यानपूर्वक विश्लेषण किया और प्रत्येक मामले में एक विशेष कार्य को सुझाया। इसकी सिफारिशों में बेचे जाने से लेकर महत्वपूर्ण साझीदार के प्रवेश से बन्द किया जाना शामिल है। अधिकांश मामलों में, विनिवेश के साथ-साथ आकर्षक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजनाओं को चलाया जाना चाहिए था और निश्चित रूप से कोई भी सरकार आयोग की बात सुनने या इस रिपोर्ट पर कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं थी।"

विनिवेश आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार किया जाना चाहिए या अस्वीकार किया जाना चाहिए इस विषय में निर्णय सरकार द्वारा लिया जाना है। फिर भी, सरकार को इस बात को याद रखना चाहिए कि इस विषय में निर्णय का सीधा संबंध लाखों श्रमिकों, मजदूरों, कार्मिकों और कई दुखी परिवारों से है।

भारतीय उद्योगों की रुग्णता के मूल कारण क्या हैं? हमारे निरीक्षण के अनुसार केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की रुग्णता के मूल कारण क्षमता का अपूर्ण उपयोग, उपकरणों की खामियां, बार-बार उपकरण खराब हो जाना, संयंत्रों का पुराना पड़ जाना, बिजली की कमी, औद्योगिक समस्याएं और प्रतियोगिता का अभाव है। हमने बार-बार इस बात को उठाया है कि आधुनिकीकरण कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

महोदय, सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति की 11वीं और 12वीं प्रतिवेदनों की बैठकों में 'सार्वजनिक क्षेत्र आधुनिकीकरण निधि' के प्रस्ताव पर चर्चा की गई थी। समिति ने स्पष्ट रूप से 'सार्वजनिक क्षेत्र आधुनिकीकरण निधि' की स्थापना का प्रस्ताव किया था। इस प्रकार इस निधि को बिना किसी और विलम्ब के रुग्ण सार्वजनिक क्षेत्र के एककों को उनके पुनरुद्धार, पुनर्गठन और आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

परन्तु दुर्भाग्यवश, ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान सरकार इस प्रस्ताव से कुछ परेशान है और सोच रही है कि इस प्रस्ताव का क्या किया जाए। हम नहीं जानते कि वे वास्तव में क्या करने जा रहे हैं।

महोदय, पुनर्गठन भी आवश्यक है। कई सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के भव्य गेस्ट हाउस हैं। सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को कई केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के शीर्ष स्थानों पर नियुक्त किया गया है जिससे उन्हें सेवानिवृत्ति के पश्चात् वैकल्पिक रोजगार मिल जाता है। निदेशक मण्डल किसी भी काम का नहीं होता है। मेरा कहना है कि जहां तक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का संबंध है इनमें राजनीतिक नियुक्तियां सामान्य रूप से नुकसान ही करती हैं। कई इकाइयों में यही किया गया है। एक इकाई में अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक दोनों की एक साथ नियुक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। आप वहां से ऐसे तकनीकी जानकारों को ले सकते हैं जिनको उस क्षेत्र में अनुभव हो। उन्हें हमारी सार्वजनिक क्षेत्रों की इकाइयों के शीर्ष स्थान पर नियुक्त कर सकते हैं। इसीलिए इन मामलों पर दृढ़तापूर्वक कार्रवाई करनी चाहिए।

महोदय, यह सरकार को देखना है कि, जिसने हाल ही में शपथ ली है, यह आशंका निर्मूल सिद्ध होती है, कि यदि स्वैच्छिक अलगाव योजना या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के नाम पर विनिवेश जारी रहता तो कई लोगों की अपने संस्थानों से छंटनी होगी और कई इकाइयां बन्द हो जाएंगी। उदाहरण के लिए, टी ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया का मामला लें। इसके कर्मचारियों को उनके वेतन का भुगतान पिछले 20 महीनों से नहीं हो रहा है।

इसी तरह श्रीमती गीता मुखर्जी ने भी कुछ रुग्ण इकाइयों के नामों का उल्लेख किया है मैं उनकी पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता हूं। उदाहरणार्थ भारतीय टायर निगम को ही लें। आज सुबह मुझे उनसे तंगारा के औद्योगिक रबड़ डिविजन के पुनरुज्जीवन के बारे में एक फैक्स संदेश प्राप्त हुआ है। इसकी दो इकाइयां हैं—एक काकीनाडा में और दूसरी कलकत्ता शहर में है। उन्होंने कहा कि रबड़ उत्पाद डिविजन की एक इकाई सुचारू रूप से चल रही है और उसे बंद किया जा रहा है।

इसी तरह, ऐसी अनेक इयाइयां हैं जो बंद होने के गंभीर खतरे का सामना कर रहे हैं। श्रमिकों और कामगारों का हताश व दुखी होना स्वाभाविक है, वे चिन्ता में दिन व्यतीत कर रहे हैं।

इसीलिए, हम माननीय मंत्री से अनुरोध करते हैं कि इन संस्थानों को अधिक धन प्रदान करने का प्रयास करें और इन्हें अधिक धन दें।

एक बात कही गई थी कि रुग्ण इकाइयों के पुनरुज्जीवन के लिए अपेक्षित कुल राशि वी.एस.एस. और वी.आर.एस. के लिए अपेक्षित कुल राशि से कम है और इससे मैं सहमत हूं। यदि यह सत्य है तो फिर इस पर विचार करने के लिए एक संसदीय समिति का गठन क्यों न किया जाए? केन्द्रीय श्रमिक संघ नेताओं को चर्चा के लिए क्यों नहीं बुलाया जाता है ताकि उनके प्रस्तावों के बारे में जानकारी मिले और यह पता चले कि वे इस मामले को किस प्रकार देखते हैं?

प्रबंधन में कामगारों और कर्मचारियों की भागीदारी का मुद्दा अभी लंबित पड़ा है। बोर्ड में अनेक सदस्यों की तैनाती के बिना यदि इन इकाइयों के कामगारों के किसी प्रतिनिधि को निदेशक मंडल में भेजा जा सकता है तो वह अधिक लाभदायक होगा।

महोदय, इस संबंध में माननीय प्रधानमंत्री ने हमारी नेता कुमारी ममता बनर्जी को एक बार नहीं अपितु दो बार लिखित में आश्वासन दिया था। मुझे आशा है कि उस पत्र की प्रति माननीय प्रधानमंत्री के पास होगी।

हम स्पष्ट आश्वासन चाहते हैं कि इन केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को बंद होने नहीं दिया जाएगा। इस संबंध में सरकार द्वारा कम से कम प्रयास तो किया ही जाना चाहिए। पूर्ववर्ती सरकारों ने आरंभिक अवस्था में इन संस्थानों को नुकसान पहुंचाया था। अत: इस बात के पर्याप्त प्रयास किए जाने चाहिए कि इन इकाइयों को पुनरुज्जीवित कराया जाए और हमें विश्वास है कि यदि ईमानदारी से प्रयास किया जाए तो केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र की इकाइयों को कम से कम कुछ सुस्पष्ट निर्देश दे सकते हैं जिससे अन्य इकाइयां लाभान्वित हो सकती हैं। जहां तक इन इकाइयों के पुनरुज्जीवन का संबंध है हमें आपका आशीर्वाद, शुभकामनाएं और समर्थन चाहिए।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): महोदय, यह ऐसा विषय है जिस पर शायद इस सभा में वर्ष-दर-वर्ष चर्चा की जाती है। उद्योगों की रुग्णता पर चर्चा करते-करते सदस्य भी रुग्ण हो गए हैं। मैं श्रीमती गीता मुखर्जी का आभारी हूं कि वे इस अति महत्वपूर्ण मामले को यहां लाई हैं जो देश के श्रमिकों के एक बड़े वर्ग अर्थात् बड़े उद्योगों, मध्यम उद्योगों और लघु उद्योगों के श्रमिकों से संबंधित है। आपके माध्यम से मैं इसके कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा मुझे पहले पश्चिम बंगाल के दो निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है उनमें से एक हावड़ा है जिसे स्वतंत्रता संग्राम के समय भारत का शेफील्ड कहा जाता था और उससे पूर्व मैंने कलकत्ता दक्षिण का प्रतिनिधित्व किया था। रुग्णता का कारण केवल आधुनिकीकरण नहीं है। रुग्णता के तीन पहलू हैं। मैंने इस मुद्दे पर गहनता से विचार किया है। पहला, (क) जो इकाई ए या बी मद का विनिर्माण करती है क्या उसका संभावित बाजार है; और (ख) जो इकाई ए या बी मद का विनिर्माण करेगी, क्या उसके लिए पर्याप्त कच्चा माल उपलब्ध है और क्या कम से कम कच्चा माल उचित मूल्य पर उपलब्ध है; और (ग) क्या उस इकाई में कार्यरत जनशक्ति इकाई के कुल व्यय के अनुरूप थी। संबंधित इकाइयों के बारे में हमने इन कारणों का अध्ययन किया। जब संबंधित इकाइयों के बारे में पुनरुज्जीवन पैकेज को केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के समक्ष रखा गया तो हमने एक रोचक बात पाई जिसे मैं सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)* मैं माननीय मंत्री, जिन्होंने इस विभाग का प्रभार संभाला है, को पश्चिम बंगाल की एक इकाई हुगली डॉक शिपयार्ड का विशेष उदाहरण देता हूं। इस इकाई में पर्याप्त कुशल जनशक्ति है इसमें न केवल जहाजों की मरम्मत व विनिर्माण की क्षमता है, इसमें शुरू से ही ऐसे पोत बनाने की क्षमता जिनके बारे में 50 के दशक के आरंभ या 60 के दशक में मझगांव डाक सोच भी नहीं सकता था। इन इकाइयों का स्व. इंदिरा जी के समय में राष्ट्रीयकरण किया गया था, इन इकाइयों में सरकार की सहमति से तीन पुनरुज्जीवन पैकेज प्रस्तुत किए और सभी पुनरुज्जीवन पैकेजों में (क) पूंजगीत सहायता; (ख) कच्चे माल की लागत और उत्पादन में सहायता; और (ग) जनशक्ति कम करने के लिए विशेष निर्देश शामिल हैं। इस इकाई के प्रबंधन और सरकार ने पहली प्राथमिकता जनशक्ति को कम करने को दी जिसे तुरंत किया गया। उसके बाद पुनरुज्जीवन पैकेज के लिए दी जाने वाली सहायता में दशकों का विलम्ब किया गया जिससे ये इकाइयां न केवल रुग्ण बनी अपितु इन्हें बंद करने के लिए भी बाध्य होना पड़ा।

इस तरह के अनेक उदाहरण हैं। जहां पर जनशक्ति कम करने के प्रावधान को पहले लागू किया गया और फिर पुनरुज्जीवन के लिए वित्तीय पैकेज को लिया गया। मैं सत्तारूढ़ दलों की बात नहीं कर रहा हूं अपितु मैं केवल इस बात को बता रहा हूं कि सरकार की पूरी प्रणाली इस पैटर्न से कार्य कर रही है। इस प्रकार अन्त में इकाई बंद हो जाती है।

मैं माननीय मंत्री को एक और विशेष उदाहरण देता हूं। यह नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स नामक इकाई का है। मेरे मित्र व भ्राता श्री सुदीप बंद्योपाध्याय इसे जानते होंगे। यह इकाई न केवल शीशों के विनिर्माण अपितु 'इंफ्रा-रेड लाइट' उपकरणों के निर्माण के लिए भी विख्यात थी। युद्ध के दौरान सूर्यास्त के बाद जब रात होती है और आपको जंगल में टैंक चलाना पड़ता है तो आपको दुश्मन की स्थिति को लाल प्रकाश जिसे इंफ्रा-रेड लाइट कहते हैं, से देखना पड़ता है।

[हिन्दी]

दुश्मन उसे नहीं देख पायेंगे, लेकिम हम देख पायेंगे। इतना अच्छा सौफिस्टीकेटेड सामान उस यूनिट में बनता था, लेकिन आर्डर उससे छीनकर प्राइवेट को दिया गया और उस यूनिय को सिक बना दिया गया।

[अनुवाद]

इस इकाई के पुनरुज्जीवन पैकेज को सरकार ने एक बार नहीं अपितु पांच बार स्वीकृति दी किन्तु उसे लागू नहीं किया गया।

मैं इंडिया मशीनरी नामक कंपनी का एक और मजेदार उदाहरण देता हूं। यह इकाई अक्तूबर 1990 तक कार्य कर रही थी।

[हिन्दी]

अला मोहनदास का नाम आपने सुना होगा, जिनके नाम पर दासनगर भी बना था। अंग्रेजों से लड़कर वह पहले हिन्दुस्तान में टैक्नोलाजी लाए। उस मशीनरी कम्पनी ने सारी वेइंग-मशीन, जितनी भी वेइंग-मशीन चलती थीं, मेन्युफैक्चर की।

[अनुवाद]

इस इकाई ने अपने आप जनशक्ति की छंटनी का कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इस कंपनी में इलेक्ट्रानिक वे ब्रिजेज का विनिर्माण करने के लिए जापानी सहयोग के लिए जापान को भारी धनराशि दी गई। फिर भी इस कार्यक्रम को लागू करने में बारम्बार विलम्ब किया गया और वह इकाई बन्द हो गई।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी पुनरुज्जीवन की समग्र नीति पर विचार करने से पूर्व उन दिशाओं के बारे में सोचने की स्थिति में हैं जिसमें उन्हें आगे बढ़ना है। पहली बात यह देखना है कि जो इकाई रुग्ण है क्या उसे न केवल पूंजी उपलब्ध कराकर अपितु आधुनिकीकरण कर उत्पादों के विपणन में विविधता लाकर भी पुनरुज्जीवित किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि क्या हम इन इकाइयों में पेशेवर प्रबंधन ला सकते हैं। सामान्यतया, सरकार इन इकाइयों में कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को काम चलाने के लिए चेयरमैन या कार्यवाहक चेयरमैन नियुक्त कर देती है जो इसे पसंद नहीं करते हैं। वह कंपनी में जाकर देखता है कि उसमें उसे क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं। यदि सुविधाएं कम हैं तो वह वापस आ जाता है। यदि सुविधाएं पर्याप्त हैं तो वह नवीकरण योजना बनाए बिना कंपनी में रहता है। इसलिए भगवान के लिए रुग्ण सरकारी क्षेत्र की ऐसे सभी रुग्ण उपक्रमों से नौकरशाहों को वापस बुलाइए और उनमें पेशेवर प्रबंधन की नियुक्ति कीजिए। पुनरुज्जीवन पैकेज में संविदाजात बाध्यता होनी चाहिए और यदि चार-पांच वर्षों तक रुग्ण इकाइयों की स्थिति में सुधार नहीं होता है तो ऐसे प्रबंधन के विरुद्ध कुछ कठोर कदम उठाए जाने चाहिए।

तीसरी बात यह है कि इकाइयों का विलय किया जा सकता है। अनेक ऐसी इकाइयां हैं जो अकेले नहीं चल सकती हैं। उनका विलय किया जा सकता है। इससे प्रतिष्ठापन और उत्पादन प्रक्रिया पर व्यय संयुक्त होगा। मैं एक उदाहरण देता हूं, बेलूर में स्वामी विवेकानन्द जी के बेलूर मठ के निकट नेशनल आयरन एंड स्टील कंपनी स्थित है। साठ के दशक में यह इकाई अच्छा कार्य कर रही थी कि अब यह रुग्ण बन गई है। हमने देखा कि इस इकाई द्वारा विनिर्मित कुछ अनुषंगी वस्तुओं की आवश्यकता दुर्गापुर इस्पात संयंत्र को होती थी। वास्तव में दुर्गापुर इस्पात संयंत्र इन अनुषंगी वस्तुओं को अन्य पक्षों से ऊंचे मूल्य पर खरीद रहा था। यदि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की आवश्यकताओं को इस इकाई द्वारा विनिर्मित अनुषंगी वस्तुओं के साथ समेकित किया जाए तो इस इकाई को आसानी से पुनरुज्जीवित किया जा सकता है। किंतु सरकार को कई ज्ञापन व अभ्यावेदन दिए जाने के बावजूद इस दिशा में कोई प्रयास नहीं किए गए हैं।

अपराह्न 5.00 बजे

मेरा चौथा सुझाव यह है। एक समय इस संस्थान को देखकर मैं भी प्रोत्साहित हुआ था किंतु मुझे यह कहते हुए खेद है कि आज के वाद-विवाद के बाद भी औद्योगिक वित्त और पुनर्निर्माण बोर्ड को बंद किया जाना चाहिए। यह एक भयावह अर्द्ध-न्यायिक निकाय है जो रुग्ण इकाइयों के पुनरुज्जीवन के बारे में नहीं विचार करता है अपितु इकाइयों को बंद करने पर विचार करता है या कुछ ऐसे खरीददारों को खोजता है जो उन इकाइयों का उनकी संपत्तियों का औद्योगिक पैकेज के बजाए परोक्ष प्रयोजन के लिए उपयोग करना चाहता है।

मैं आपको ऐसे सैकड़ों उदाहरण दूंगा। मैं ऐसे मामलों से ऊब गया हूं। अतः आप औद्योगिक वित्त और पुनर्निर्माण बोर्ड को समाप्त कर सकते हैं। इसके स्थान पर आप पुनरुज्जीवन बोर्ड का गठन कर सकते हैं जिसे अर्द्ध-न्यायिक शक्तियां प्राप्त न हों तथा जिसमें वित्त मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय, योजना विभाग के प्रतिनिधि हों तथा जिनमें परस्पर सामन्जस्य हो और जो इन इकाइयों की स्थिति पर विचार कर सरकार को स्वयं पैकेज प्रस्तुत करे। उसी स्थिति में उन्हें पुनरुज्जीवित करना संभव है। अन्यथा मैं किसी भी सरकारी क्षेत्र के उपक्रम में मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। वे मुझसे प्रश्न पूछते हैं और कहते हैं मैं वहां सरकार या पार्टी के दलाल के रूप में उनसे किसी समझौते पर हस्ताक्षर करवाने आ रहा हूं जिस समझौते के तहत श्रमिकों की छंटनी तेजी से की जाए और इकाई को पुनरुज्जीवित न किया जाए। स्थिति यह है।

माननीय मंत्री महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, वे अधिक सक्षम हैं और वे औद्योगिक इकाइयों की रुग्णता के कारणों के बारे में हम से अधिक जानते हैं। निजी उद्यमियों की निगाहें इन इकाइयों की संपत्ति पर लगी है। वे उद्योग के नाम पर आगे आते हैं किन्तु वे उद्योग के लिए कुछ नहीं करते हैं।

[हिन्दी]

आप स्टेशन से उतर कर हावड़ा शहर में जाइए। जी टी रोड के दोनों तरफ जितने कारखाने थे उन सब को रिवाइवल के नाम पर, फोर्स के साथ पुलिस की सहायता से, खरीद कर डिमोलिश कर दिया गया। मजदूर बेरोजगार होकर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में चले गए।

[अनुवाद]

भारी संख्या में मजदूर भविष्य निधि प्राप्त किए बिना और उन रुग्ण इकाइयों से मजदूरी प्राप्त किए बिना चले गए और उनकी मेहनत की कीमत पर निजी प्रवर्तकों ने भवन जैसी संपत्तियां प्राप्त की हैं।

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

[हिन्दी]

इस पर आप कैसे रोक लगाएंगे। मुझे तो नहीं मालूम। मैं मंत्री जी से इतनी ही सिफारिश कर सकता हूं कि आप इन चारों सुझावों पर अमल कीजिए और हिस्ट्री ऑफ रेवोल्यूशन बनाएं कि बी.आई.एफ.आर. नहीं, हम चारों मिनिस्ट्रीज के नुमाइंदों को बुला कर, हैल्थ, मार्केटिंग, रॉ-मेटिरियल और रिफाइनेंस को स्टडी करके एक-एक पैकेज ऑफर करेंगे।

[अनुवाद]

यह श्रमिकों, प्रबंधन और सरकार के बीच स्पष्ट समझौते के साथ पेशेवर प्रबंधन द्वारा किया जा सकता है और वे कह सकते हैं कि अमुक चीजें चर्चवार की जानी चाहिए और उन्हें विकसित करना होगा। तभी कुछ इकाइयां बनी रहेंगी। अन्यथा वे नहीं रहेंगी। पश्चिम बंगाल अब इसके कारण रो रहा है जेसप रो रहा है. भारतीय मशीनरी बन्द पड़ी है, हुगली डॉक और शिपिंग रो रहा है, राष्ट्रीय उपकरण खत्म हो गये हैं एम.ए.एम.सी. बंद हो गई है। एम.ए.एम.सी. बहुत अच्छी इकाई है जो डा. बी.सी. राय का सपना थी। यह दुर्गापुर में है। मंत्री महोदय ये कुछ मामले हैं जहां आपकी सरकार ने ऐसी इकाइयों को समाप्त किया है। भारत की श्रेष्ठतम इकाइयों में ए.बी.एल. नामक एक इकाई है जो दुर्गापुर में यह पावर संरचना के बॉयलर का निर्माण किया करती थी। आज भी इसके 30% शेयर सरकार के पास हैं। यह बन्द पड़ी है। मैंने श्री वसन्त साठे की सहायता से इसे पुनः चालू करवाया था जब वह मंत्री पद पर आसीन थे। वह इकाई सार्वजनिक क्षेत्र में काफी अच्छी प्रतिस्पर्धा कर रही थी। इसने बॉयलरों के निर्माण के आदेश प्राप्त करने के लिए सबसे निम्नतम बोली लगाई थी। निम्नतम दर होने के बावजूद उन्हें प्रस्ताव नहीं दिया गया जिससे इस इकाई में छंटनी करने का खतरा हो रहा है। मैंने आज माननीय मंत्री श्री कुमारमंगलम से बातचीत की है। यह किस प्रकार हो सकता है? यदि एन.टी.पी.सी. ने ऐसी इकाई को जिसने प्रौद्योगिक शक्ति होने के बावजूद निम्नतम दरें दीं, ठेका नहीं दिया और सबसे ऊंची बोली बोलने वाले को अर्थात् 'भेल' को ठेका दिया गया तो ऐसी इकाईयों को रखने का तात्पर्य क्या है? ऐसी इकाइयां बंद हो जाएंगी। इस प्रकार के पक्षपात पूर्व रवैया की सरकार द्वारा विरोध किया जाना चाहिए।

मुझे माननीय मंत्री जी में काफी विश्वास है इसलिए नहीं कि वह मंत्री हैं बल्कि इसलिए कि वे ऐसे राज्य से आए हैं जो औद्योगिक प्रगति की कुंजी है। वह कारण और रुग्णता को जानते हैं यदि वे इन सुझावों पर विचार करते हैं और आवश्यक कदम उठाते हैं तो मैं उनका आभारी होऊंगा।

सभापति महोदय : डा. लक्ष्मीनारायण पांडेय।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम): सभापति महोदय, मैं केवल एक मिनट लूंगा।

सभापति महोदय : ठीक है।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : महोदय, मैंने जो अपने भाषण में कहा है उसके अलावा एक मिनट में कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं। मैं उपचारी उपायों के लिए कुछ प्रस्ताव देना चाहता हूं। नई प्रौद्योगिकी के आगमन, बजटीय समर्थन, परामर्शदात्री अध्ययनों और जनशक्ति को सुव्यवस्थित करना कुछ प्रस्ताव हैं जो स्थिति को सुधारेंगी। अब सरकार की नीति के अन्तर्गत केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को नीति के अन्तर्गत महत्वपूर्ण सहयोगियों को दिया जा रहा है। कृपया वे स्पष्ट करें कि नीति के अन्तर्गत महत्वपूर्ण सहयोगियों की वास्तविक भूमिका क्या है, उनकी क्षमताएं क्या हैं और वे किस क्षमता में नीति के अन्तर्गत महत्वपूर्ण सहयोगियों के नाम में इस क्षेत्र में पदार्पण कर रही हैं।

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर): माननीय सभापति महोदय, यह जो संकल्प प्रस्तुत किया गया है, इस प्रकार के संकल्प को लेकर संसद में कई बार चर्चाएं हुई हैं। जो सार्वजनिक उपक्रम कहे जाते हैं उनके बारे में विशेष प्रस्तावों के द्वारा भी तथा अन्य प्रकार से भी यहां पर चर्चा की जाती रही है। लेकिन परिणाम उसका शून्य रहा। लगातार निरंतर बढ़ने वाला घाटा आज ऐसी स्थिति में आ गया है कि इन उपक्रमों को बंद करने की नौबत आ गयी है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार ही लगभग 12 ऐसे उपक्रम हैं जिनको बंद करने के लिए कहा जा रहा है। वैसे तो अनेकों यूनिट्स पहले ही बन्द हो चुके हैं। इनमें सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया, साईकिल कारपोरेशन, इंडियन ऑप्थैलमिक मैन्यूफैक्चरिंग लिमिटेड तथा अन्य इसी प्रकार के जो कारपोरेशन्स हैं उनको बंद करने के लिए कहा जा रहा है। यद्यपि अगर उनमें पैसा लगाया जाये तो वे वायबल हो सकते हैं लेकिन उनकी वायबिलिटी न देखकर या तो उनको बी.आई.एफ.आर. में भेज दिया गया, वहां से अब तक दो-तीन-चार वर्ष होने के बावजूद भी कोई हल नहीं निकला, न उनकी तरफ से कोई निर्णय आया है, इस कारण सभी को इनके बंद होने की चिंता है। कभी ये उपक्रम इस देश की अर्थ-नीति का आधार-स्तम्भ बने हुए थे। देश का लगभग एक लाख करोड़ रुपया ऐसा है जो इनके अंदर लगा हुआ है लेकिन वह रुपया बेकार सिद्ध होता जा रहा है और इनकी क्षमता के ह्रास के कारण इनकी उपादेयता सर्वथा शून्य सी हो गयी है। इसलिए इनके बारे में चिंता करने की आवश्यकता है। एक सुस्पष्ट ऋण नीति व उद्योग नीति की आवश्यकता है।

मैं सीमेंट कारपोरेशन का एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं। एक अच्छी चलने वाली यूनिट को इसलिए बंद कर दिया गया कि पैसा नहीं है। मेरे क्षेत्र नयागांव के अंदर सीमेंट कारपोरेशन की दो यूनिट्स हैं जो इसलिए बंद हैं कि बिजली का पैसा सीमेंट कारपोरेशन नहीं दे पाया। वह 45 लाख रुपया नहीं दे पाया, इसलिए अच्छी उत्पादक यूनिट भी बंद पड़ी हुई है। वहां के लगभग 800 अधिकारी और कर्मचारी वेतन तो पा रहे हैं लेकिन बिजली न होने से वे रात के अंधकार में सोते हैं और उनके बच्चे पढ़ने से वंचित है, जबकि केन्द्रीय विद्यालय वहां पर है। मुझे बड़ा खेद है कि बार-बार कहा जाता रहा है कि सीमेंट कारपोरेशन की कुछ बेकार इकाइयों को बेचकर उसका पैसा इस यूनिट में लगाकार इसे वायबल बना देंगे लेकिन कुछ हुआ नहीं है।

ठीक यही दशा साईकिल कारपोरेशन की भी है, जिसको वायबल बनाने की बात कही गयी, लेकिन वह भी कुप्रबंध के कारण वायबल नहीं बनी है। जो खर्चे उनके बढ़े हुए हैं उन खर्चों को न घटाकर नीचे के कर्मचारियों में कमी करते हुए आज इस प्रकार की स्थिति पैदा कर दी है कि इस यूनिट के बारे में लगातार चिंता हमको हो रही है कि आखिरकार क्या किया जाए। कई प्रयत्नों और सुधारों के बावजूद इसमें कुछ नहीं हो सका है। जो घाटा देने वाले यूनिट्स हैं जैसे हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया, ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, भारत कोकिंग कोल, एयर इंडिया लिमिटेड, भारत इस्पात निगम, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन ड्रग्स एंड फार्मेसियूटिकल्स कंपनी, उनकी भी ऐसी ही स्थिति है। दूसरा उदाहरण इंडियन ड्रग्स एंड फार्मेसियूटिकल्स कंपनी का है। इसको भी घाटे में लाया गया है। इसकी पिम्परी, ऋषिकेश, हैदराबाद में यूनिटें थीं। लेकिन इनको लगातार कुप्रबंध के कारण घाटे में लाया गया कि आज दूसरी कंपनियां, चाहे वह रैनबैक्सी हो या ग्लैक्सो हो, वे आगे बढ़ रही हैं और लाभ कमा रही हैं। लेकिन कभी आई.डी.पी.एल. का एकाधिकार था। जब पैन्सिलीन का ईजाद हुआ था तो यह उनको बनाने लगे थे, लेकिन आजकल तो वह चलता नहीं है, लेकिन उस समय इसमें उनका एकाधिकार था और यह कंपनी इतनी प्रसिद्ध थी कि जो जीवन रक्षक औषधियां हैं उनको बनाने में आई.डी.पी.एल. सक्षम था।

लेकिन आज आई.डी.पी.एल. केवल गर्भ निरोधक गोलियां बनाने तक सीमित रह गया है। मैंने उन संयंत्रों को जाकर देखा है। ऐसी स्थिति क्यों है? एक तरफ आई.डी.पी.एल. यूनिट है और पड़ोस में ही रैनबैक्सी यूनिट हैं। आप हरियाणा में गुडगांव में जाकर देख सकते हैं। दोनों समानांतर है। दोनों की स्थिति की भिन्नता भी आपको नजर आ जाएगी। इन सब के बारे में गम्भीरता से विचार करना चाहिए। यह प्रस्ताव बड़ा व्यावहारिक है। उनमें काम करने वाले लोगों का क्या दोष है? कर्मचारियों का क्या अपराध है? उनके वेतन और भत्ते की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। उनके बच्चों को अच्छा संरक्षण मिलना चाहिए। भविष्य निधि के पैसे देने की कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है। इसमें सुधार लाने के बारे में कई बार विचार हुआ लेकिन आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसमें सुधार लाने के बारे में कई बार विचार हुआ लेकिन आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पर गम्भीरता से विचार हो। सदन में एक प्रश्न के माध्यम से भी इस पर चर्चा हुई। मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। मार्च 1999 में एक प्रश्न किया गया था। उसमें बताया गया था कि—

[अनुवाद]

> "क्या राष्ट्रीय नवीकरण कोष से लाभ कमाने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की 12 केन्द्रीय इकाइयों को 191 करोड़ रुपये दिये गए थे?"

मंत्री महोदय ने उत्तर में यह कहा था कि:

> "भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को मार्च 1997 में समाप्त हुए वर्ष के प्रतिवेदन में बताया गया था कि नियंत्रण करने वाले मंत्रालयों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के लिए लाभ कमाने वाली केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के 12 उपक्रमों को 190.73 करोड़ रुपये प्रदान किये थे।"

[हिन्दी]

जो स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होना चाहते हैं उस योजना को भी स्वच्छे से लागू नहीं किया गया। कुछ क्षेत्र प्रॉफिट मेकिंग हैं और कुछ नहीं हैं। आप इन दोनों के बारे में विचार करें। इस मामले में गम्भीरता से सरकार को काम करना चाहिए। 12वीं लोक सभा में इस पर विचार हुआ था। सरकार की तरफ से निर्णय हुआ था कि हम इस पर विचार करके एक पैकेज प्रोग्राम बनाना चाहते हैं और जो वायबल यूनिट्स हैं, उन्हें वायबल करना चाहते हैं और जो वायबल नहीं हैं, उन्हें छोड़ देना चाहते हैं। इसके बारे में अभी तक कोई उपाय नहीं हुआ। मैं इसमें ज्यादा विस्तार से न जाकर निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इस पर गम्भीरता से विचार करे। इसमें करोड़ों रुपए की जो पूंजी लगी है, उसे बचाया जाए। जो यूनिट्स चलने लायक हैं, उन्हें चलाया जाए। जो हजारों कर्मचारी इनमें लगे हैं, उन कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित रखा जाए। देश की इकोनोमी के लिए ये यूनिट्स लाभप्रद थे और हो सकते हैं। ऐसे यूनिट्स को सरकार बचाए। इन शब्दों के साथ उपरोक्त दृष्टि से मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): महोदय, सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में कई मजदूर काम करते हैं। संविधान ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि हरेक हाथ को काम देना चाहिए। यह अच्छी बात है कि सरकार ने कई उद्योग चालू किए। इस पर लाखों-करोड़ों रुपये खर्च भी हुए हैं। सरकारी उद्योगों में जो मैनेजमैंट है, वह कैसे काम कर रही है, इस तरफ सरकार ने ध्यान नहीं दिया। बहुत दफा ऐसा होता है कि मजदूर जिस कारखाने में काम करता है, उसे महसूस नहीं होता कि वह उसका अपना है। मैनेजमेंट को मजदूरों के हितों के बारे में सोचना चाहिए। जापान ने तबाही के बाद भी कुछ सालों में बहुत प्रगति की। वहां की इकोनोमी बहुत डेवलप हो चुकी है। यहां बहुत सारे उद्योग खुलने के बाद भी हम आगे क्यों नहीं जा सके हैं? इस बारे में सरकार सोचे। मनोहर जोशी जी अच्छे और स्ट्रौंग मिनिस्टर हैं। जो सिक उद्योग हैं, वे सिक क्यों होते जा रहे हैं, इसके बारे में आपको सोचना चाहिए। आज प्राइवेट उद्योग नफा कमा रहे हैं लेकिन सरकारी उद्योग घाटे में चल रहे हैं। मेरा निवेदन है कि मैनेजमैंट को सुधारने की आवश्यकता है। मैनेजमेंट मजदूरों को अपनाने का काम करे। आज देखा यह जा रहा है कि मैनेजमेंट मजदूरों के बारे में नहीं सोच रही है। महाराष्ट्र और मुम्बई में एन.टी.सी. की मिलें बंद हो रही हैं या बंद होने की स्थिति में हैं। सारे भारत में वस्त्र उद्योग संगठित हो रहा है लेकिन जो सरकारी मिलें हैं उन्हें ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है।

सभापति महोदय, हर उद्योग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, जहां नहीं है, वहां उसकी व्यवस्था होनी चाहिये। जैसा कि श्री सुदीप ने बताया कि यदि एक मैम्बर नहीं है तो वहां दो मैम्बर रखने की व्यवस्था होनी चाहिये। इससे उनको मजदूरों की समस्या की जानकारी रहती है। इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ट्रेड यूनियन लीडर्स में से एक आदमी लिया जाना चाहिये। मैंने इस सदन में एक बार यह मुद्दा उठाया था कि मजदूरों के ड्यूटी ऑवर्स 8 घंटे न होकर उसे शिफ्ट सिस्टम में करना चाहिये तो सभी हंस पड़े थे। मेरा सुझाव है कि उसकी ड्यूटी 6 घंटे की करके 4 शिफ्ट में कर दी जाये। इस प्रकार यह देखा गया है कि ज्यादा शिफ्टिंग में प्रोडैक्शन ज्यादा निकलता है और इससे लाखों लोगों को रोजगार भी मिलता है। इस बात का एक्सपैरिमेंट करना चाहिये। इससे लाखों लोगों को नौकरी मिल सकती है। इसकी शुरूआत सरकारी उद्योगों जैसे—एन.टी.सी., स्टील अथारिटी, ओ.एन.जी.सी., कोल, सी.सी.आई. और एफ.सी.आई. में की जा सकती है। यह एक्सपैरिमेंट किया जाये कि यदि 6 घंटे की ड्यूटी लगाने पर 4 शिफ्टस में ज्यादा प्रोडैक्शन होता है तो इसकी आवश्यकता है। यह देखा गया है कि सरकारी कार्यालयों में 10 से 5 बजे की ड्यूटी रहती है और लोग 2 से 3 घंटे तक ही काम करते हैं। यदि यह विचार कर लिया जाता है तो हर मजदूर को काम मिल सकता है। मेरा सुझाव है कि सरकार इस एक्सपैरिमेंट को करने का प्रयास करे। जो सिक यूनिट्स हैं, उनको मजबूत करने के लिये एक मीटिंग बुलाकर उसमें विचार करे।

सभापति महोदय, सभी मिलों के आधुनिकीकरण की आवश्यकता है और नई मशीनरी लाने की आवश्यकता है। मेरा इसमें यह सुझाव भी कि आधुनिकीकरण के नाम पर मजदूरों की छंटनी न की जाये कि एक मशीन के पीछे 100 मजदूरों को हटा दो। लोग गांव छोड़कर मिलों में काम करने के लिये आते हैं। वे झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं लेकिन शहरों का डेवलेपमेंट भी करते हैं। अपनी रोजी-रोटी के लिये गांव छोड़कर शहरों में आते हैं। यदि उनको नौकरी से हटा दिया जायेगा तो उन लोगों की जिन्दगी बरबाद हो जाती है। मुम्बई में कई मिलें बंद हो गई हैं, उनको नौकरी छोड़कर जाना पड़ा। इससे उन लोगों के परिवार का जीवन ध्वस्त हो गया है। एक बार गांव छोड़कर शहर आया, उसको नौकरी मिली, उसे वापस गांव जाने के लिये मजबूर नहीं किया जाना चाहिये। उनकी नौकरी का प्रोटैक्शन होना चाहिये। मेरा सुझाव है कि इस नयी सरकार को इसके बारे में गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। सरकार को इसके लिये कोई न कोई मार्गदर्शन करना चाहिये।

सभापति महोदय, श्रीमती गीता मुखर्जी यह प्रस्ताव लेकर आई हैं और श्री दासमुंशी ने बताया कि ऐसे विषयों पर यहां कई बार चर्चा होती है लेकिन इसका कोई न कोई मार्ग निकालने की आवश्यकता है। ऐसा न हो कि इस बार भी चर्चा होकर रह जाये और रिकार्ड ही बना रह जाये। इस सदन में जिस विषय पर चर्चा होती है, उस चर्चा के बाद, सरकार को उस पर गंभीरता से निर्णय लेने की आवश्यकता है। इसलिए मैं मंत्री जी से अपील करता हूं कि आप सिक उद्योगों को ज्यादा से ज्यादा डेवलप करने के बारे में कोई न कोई निर्णय लें और सुनिश्चित करें कि मजदूरों की मजदूरी नहीं जाए। इतने सुझाव रखते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): मान्यवर सभापति महोदय, धारा के अनुकूल तो हर कोई चलना चाहता है लेकिन समय को पहचानकर यदि धारा के प्रतिकूल भी चला जाए तो उसमें साहस की आवश्यकता होती है। अभी श्रीमती गीता मुखर्जी द्वारा प्रस्तुत जो संकल्प है, उसमें कुछ बातें तो ठीक हैं जिनका समर्थन किया जाना चाहिए। वहां के जो मजदूर हैं, जो बंद होने वाले सार्वजनिक उपक्रम हैं, उनमें काम करने वाले अधिकारी, श्रमिक या मजदूरों को एडजस्ट किया जाए या वी.आर.एस. के अंतर्गत जो तनख्वाह

और दूसरे लाभ हों, वह देकर उनको सेवानिवृत्त किया जाए या दूसरे कामों में लगाया जाए और उनका देय दिया जाना चाहिए। मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि आखिर जिन सार्वजनिक उपक्रमों का देश के आर्थिक और औद्योगिक विकास के अंदर बड़ा भारी योगदान था, और जिन्हें आधुनिक भारत का मंदिर कहा जाता था, जिनको हम आदर्श और मॉडल बनाना चाहते थे कि यह प्रबंधकीय व्यवस्था की दृष्टि से, कार्यकुशलता की दृष्टि से जिनमें अरबों-खरबों रुपयों की संपत्ति हमारे देश की लगी, जनता के कर की जो गाढ़ी कमाई उसमें लगी थी और एक समय में बड़ी आशाएं लगाकर सारा देश देख रहा था, जिस समय वे स्थापित किये गए थे, बड़े-बड़े सपने हमने संजोए थे लेकिन जो सपने संजोए थे, वे साकार नहीं हो पाए और वे हमारे ऊपर भार बन गए। नवरत्नों को छोड़कर या मणिरत्नों को छोड़कर जितने सार्वजनिक उपक्रम हैं, पहले 26 थे, उसकी संख्या बढ़ते-बढ़ते 241 तक पहुंच गई। उनके अंदर देश की लगभग 5 खरब 83 अरब रुपये की पूंजी लगी हुई है और सबसे बड़े रोजगार देने वाले वे हैं। इनकी सकारात्मक और ऐतिहासिक भूमिका रही है पर इसके बावजूद हमने जो आशाएं संजोई थीं, वे पूरी नहीं कर पाए हैं, केवल सेल, भेल, ओ.एन.जी.सी. आदि को छोड़कर। कुप्रबंधन के कारण, भ्रष्टाचार के कारण, चोरी के कारण और तदर्थवाद के कारण, नौकरशाही के कारण और राजनीतिज्ञों के खुले चारागाह बन जाने के कारण यह स्थिति सार्वजनिक उपक्रमों की हो गई है। इसे भी हमें सोचना और जानना पड़ेगा।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि सार्वजनिक उपक्रम वास्तव में लाभ में जो चलने वाले हैं, उनको तो प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए और उनको और आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए लेकिन जो निरंतर घाटे में चल रहे हैं, जो बिल्कुल वायेबल नहीं हैं, उनको बिल्कुल बंद किया जाना चाहिए, लेकिन उनके जो कर्मचारी और अधिकारी हैं, उन सबका कहीं न कहीं विस्थापन भली प्रकार से होना चाहिए। हमारे अजमेर में एच.एम.टी. का कारखाना है। पहले एक उद्योग मंत्री ने आदेश दिया था कि जो वालंटरी रिटायरमेंट लेना चाहें, ले सकते हैं। उनकी चार-छ: महीने की तनख्वाह जो बनती है, वह देकर और आश्वासन देकर विदा कर दिया। कुछ को पैसे दिये, कुछ को भुगतान नहीं हुआ। अभी यहां माननीय भारी उद्योग मंत्री जी विराजमान हैं। पिछले दिनों अजमेर के बी.आर.एस. रिटायर्ड 15-20 कर्मचारियों और अधिकारियों का एक मैमोरण्डम अपने पत्र के साथ मैंने माननीय मंत्री जी को भेजा है जिसमें कहा गया था कि जो आश्वासन था कि इतने पैसे देंगे, बैनिफिट देंगे मगर इतना समय हो गया और अभी तक उपक्रम के अधिकारी कहते हैं कि पैसा नहीं आ रहा है, उपक्रम घाटे में चल रहा है, हम कहां से दें। सरकार ने पहले राष्ट्रीय नवीकरण कोष से कुछ पैसा दिलाया। जो बंद होने वाली यूनिट थीं, बी.आई.एफ.आर. ने उन पर विचार करके नौ को बंद करने का निश्चय किया। जो बाकी यूनिट्स हैं उनके बारे में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। मान्यवर, हम कब तक इनका भार ढोते रहेंगे। इसलिए जिनका पेमेंट बाकी है, उनका पेमेंट किया जाए। कुछ कर्मचारियों ने प्रार्थना-पत्र दिये हैं कि हम वॉलेन्टरी रिटायरमेंट लेना चाहते हैं। अधिकारी उनके बारे में निर्णय नहीं लेते हैं और यहां से पत्र जाने में भी देरी होती है। इसके बारे में भी आपको देखना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से दो-चार बातें और कहना चाहूंगा। इसके क्या कारण थे कि जिन सार्वजनिक उपक्रमों से हमने बड़ी आशाएं लगाईं थीं, वे इतने असफल रहे। हमारे कम्युनिस्ट भाई सार्वजनिक उपक्रमों की बात तो रटते रहते हैं, मजदूरों के हितों की बातें तो करते रहते हैं। लेकिन सार्वजनिक उपक्रमों की इतनी यूनियनें हो गई हैं कि आज एक का झंडा ऊंचा है तो उसकी मांगे मानें, दूसरे दिन दूसरे का झंडा ऊंचा है, तीसरे दिन तीसरे का झंडा ऊंचा है। इसका परिणाम यह होता है कि प्रबंधन उन कर्मचारियों की हड़ताल में ही लगा रहता है। जबकि ये हड़ताल को बढ़ावा देने वाले हैं। अभी दासमुंशी जी घाटे के बारे में कलकत्ता, हावड़ा का नाम ले रहे थे कि वहां क्या स्थिति हो गई है। आज के उदारीकरण, वैश्वीकरण और खुलेपन के जमाने में हमें इन पर खुलेपन से विचार करना होगा। जो उपक्रम लाभ में हैं उन्हें हम स्वीकार कर आगे बढ़ायें और जो घाटे में चल रहे हैं, देश की जनता पर बजट के द्वारा करों का बोझ उनकी वजह से पड़ता है। देश की जनता अब इस बोझ को नहीं उठा सकती, अधिक नहीं झेल सकती, इसलिए उन्हें अविलंब बंद किया जाना चाहिए। लेकिन जो मजदूर, कर्मचारी और अधिकारी उनमें काम में लगे हुए हैं, उनके जो बेनिफिट्स और दूसरे मामले हैं, उनमें उन्हें न्याय मिलना चाहिए।

सभापति महोदय, मुझे खेद के साथ यहां बताना पड़ रहा है कि आज से चार-पांच साल पहले पार्लियामेंट की एक कमेटी के साथ मैं गोरखपुर गया था। वहां फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया का एक बहुत बड़ा कारखाना लगा हुआ है। उस कारखाने को मैंने देखा। वहां मुझे पता लगा कि वह कारखाना छ: महीने से बंद पड़ा है। वह कारखाना बहुत लम्बा-चौड़ा है और मीलों में फैला हुआ है। उसमें बड़े-बड़े अधिकारियों के बंगले कारें और कर्मचारियों के क्वार्टर्स भी थे। उसमें बॉयलर की पाइप लाइन बदलनी थी। लेकिन कौन बदले, कौन निर्णय ले? क्योंकि नौकरशाहों को ऑन डेपुटेशन वहां प्रबंधक बनाकर भेजा जाता था। वे ऑन डेपुटेशन वाले अधिकारी वहां जाकर उनका दोहन करते थे। राजनीतिज्ञ

[प्रो. रासा सिंह रावत]

अपने भाई-भतीजों को वहां लगवाकर उसका दोहन करते रहे। लेकिन निर्णय लेने में उन्हें जो स्वायत्तता प्राप्त होनी चाहिए थी, वह नहीं थी। अब यह सौभाग्य की बात है कि सरकार ने नवरत्नों को स्वायत्तता प्रदान कर दी है और वे प्रबंधकीय व्यवस्था के बारे में निर्णय ले सकते हैं, अपने उत्पादन के बारे में भी निर्णय ले सकते हैं, प्रबंधन को ठीक करने के बारे में भी निर्णय ले सकते हैं। लेकिन पहले यह स्थिति नहीं थी, जिसका परिणाम यह होता था—तू भी रानी मैं भी रानी, कौन भरेगा पानी, हमारे यहां ऐसी एक कहावत है। पहले यह सोचा था कि अधिकारी और श्रमिक वर्ग मिलकर इसकी हिफाजत करें। सारे सार्वजनिक उपक्रमों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता रहेगी, कार्य के प्रति निष्ठा रहेगी। लेकिन न वे अनुशासन में रहे और न उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को समझा। परिणामस्वरूप साझे की हांडी चौराहे पर फूट गई और सार्वजनिक उपक्रम इस दयनीय स्थिति में आ गये। इसलिए हमने इस सच्चाई को स्वीकार किया है। भले ही सरकार को यह कड़वा घूंट पीना पड़े। लेकिन मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा जो घाटे वाले उपक्रम हैं, जिनकी वॉयबिलिटी खत्म हो गई है, जिन्हें वापिस जिंदा नहीं किया जा सकता, उन्हें तात्कालिक प्रभाव से बंद किया जाना चाहिए। उन्हें जो श्रमिक, अधिकारी, प्रबंधक और कर्मचारी हैं, उन्हें कहीं एडजस्ट किया जाए या उनके लिए वी.आर.एस. अथवा गोल्डन हैंड शेक आदि जो भी व्यवस्था हो सके, उसका बेनिफिट दिया जाए। ऐसा न हो कि उन्हें दर-दर का भिखारी बना दिया जाए। मुझे आशा है सरकार इसे ध्यान में रखेगी।

सभापति महोदय, मैं एक-दो सुझाव और देना चाहूंगा। मैं किसी यूनियन का नाम नहीं लेना चाहूंगा। लेकिन संगठित गिरोह, राजनीतिक नेता, माफिया और नौकरशाहों कई सार्वजनिक उपक्रमों की सम्पत्ति को खुर्द-बुर्द करने में पीछे नहीं रहे हैं। समाचार-पत्रों में ऐसी बहुत सी घटनाएं आ चुकी हैं। हमारे राष्ट्र का सार्वजनिक उपक्रम, पब्लिक अंडरटेकिंग्स को जनता की गाढ़ी कमाई के करोड़ों-अरबों रुपये खर्च करके बनाया गया है। उनके प्रति हमारी निष्ठा, अनुशासन, उचित प्रबंधन, हिफाजत और उनकी रक्षा की ओर यदि हमारा ध्यान नहीं रहेगा, यदि हम ईमानदारी के साथ काम नहीं करेंगे तो फिर इनका क्या फायदा है। इसलिए उनके लिए प्रशिक्षित स्वतंत्र कैडर बनाया जाना चाहिए। सरकारी अधिकारी वहां जाकर दो-तीन साल तक रहे हैं। वे उनमें रुचि नहीं लेते हैं, लौटकर वापिस आ जाते हैं जिसके कारण उनकी जो व्यवस्था सुधरनी चाहिए वह नहीं सुधरती है।

सभापति महोदय, इसलिए हैवी इंडस्ट्रीज के लिए प्रशिक्षित स्वतंत्र कैडर की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके अलावा प्रबन्ध में कार्यकुशलता लानी चाहिए। उपक्रम के स्तर पर स्वायत्तता दी जानी चाहिए ताकि निर्माण, उत्पादन, बाजार, माल, इन्फ्रास्ट्रक्चर बदलने के बारे में वहां के अधिकारी निर्णय ले सकें। वे सचिवालय के आदेश की प्रतीक्षा न करें कि वहां के अधिकारी निर्णय ले सकें। वे सचिवालय के आदेश की प्रतीक्षा न करें कि वहां से कब फाइल आएगी उस पर निर्णय लेने में कितने दिन लगेंगे बल्कि जितने उपक्रम हैं उनके अधिकारी, श्रमिकों के भागीदार मिलकर सब तय करें कि कौन सी बात से हमारे यहां उन्नति हो सकती है और उसके लिए प्रयास करें कि श्रमिकों की उपक्रमों के प्रति प्रतिबद्धता होनी चाहिए। उपक्रमों के शेयरों को निजी निवेशकों को बेचकर आधुनिकीकरण के लिए धन जुटाना चाहिए।

मेरे साम्यवादी मित्र यहां इस समय बहुत कम संख्या में बैठे हैं। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि हर चीज के सरकारीकरण किए जाने के कारण रूस कलैप्स्ड हो गया। वहां का अर्थतंत्र नष्ट हो गया क्योंकि वहां प्रतिस्पर्धा की भावना समाप्त हो गई। परिणामस्वरूप सारा का सारा साम्यवादी देश रूस समाप्त हो गया। क्या वे हमारे देश के बचे-खुचे अर्थतंत्र को नष्ट करना चाहते हैं? मेरा निवेदन है कि वे कूपमंडूकता त्याग कर बंगाल और त्रिपुरा की सीमाओं से आगे बढ़कर सारे राष्ट्र के बारे में समग्र चिन्तन करें ताकि उनके चिन्तन में व्यापकता आ सके कि राष्ट्र का हित किस में है।

महोदय, मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो डिसइन्वैस्टमेंट कमीशन आपने बनाया है, उसको थोड़ा सशक्त बनाया जाए और उपक्रमों के शेयर्स के किसी निश्चित भाग को निजी निवेशकों को बेचा जाए और आधुनिकीकरण के लिए धन जुटाया जाए। प्रबन्धकों की भी एकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। उनको उत्तरदायी बनाना चाहिए ताकि वे परिस्थिति के अनुसार साहसिक निर्णय ले सकें और सचिवालय के आदेशों की प्रतीक्षा न करें। मान्यवर कहा गया है कि—

"लोग कहते हैं कि बदलता है जमाना
अरे मर्द वह है जो जमाने को बदल दे"

महोदय, जोशी जी, यहां विराजमान हैं। उन्होंने महाराष्ट्र के विकास में काफी योगदान दिया है। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वे राष्ट्र के हित में अगर कड़े कदम उठाने की जरूरत हो, तो अवश्य उठाएं और सार्वजनिक उपक्रमों की स्थिति को सुधारें। जो सार्वजनिक उपक्रम अच्छे हैं उनको और आगे बढ़ाने का प्रयास करें और जो घाटे में हैं, जो हमारे ऊपर भार बने हुए हैं, उनको तत्काल बन्द करके उनके स्थान पर दूसरे काम शुरू कराएं। यदि इनके प्रबन्धन की आधुनिकतम प्रौद्योगिकी हमारे पास नहीं है, तो

उसको भी हमें व्यवस्था करनी चाहिए। सबसे बढ़कर जो बात है वह यह है कि श्रमिकों और प्रबन्धकों में उपक्रमों के प्रति अपनत्व की भावना पैदा करें जिससे वे उद्योग को अपना उद्योग समझें। यदि ऐसा होगा, तो राष्ट्र की उन्नति होगी और वे सब साथ मिलकर काम करें जिससे यह भावना बलवती हो कि—

"अगर नाव डूबेगी तो डूबेंगे सारे
न हम ही बचेंगे न साथी हमारे"

उपक्रमों के प्रति उनमें आत्मीयता की भावना पैदा होगी, तो निश्चित रूप से यह नारा बुलन्द होगा—

"देश के लिए करेंगे काम
फिर काम के बदले लेंगे पूरे दाम"

अगर यह भावना पैदा होगी, तो निश्चित रूप से हमारा राष्ट्र और हमारे सार्वजनिक उपक्रम उन्नति के पथ पर अग्रसर होंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं श्रीमती गीता मुखर्जी का जो बिल सार्वजनिक उपक्रमों की पालिसी के बारे में है, उसका आंशिक समर्थन करता हूं, लेकिन अन्धानुकरण नहीं करना चाहता। इसमें जो बातें इनवैस्टमेंट और डिसइन्वैस्टमेंट पालिसी के बारे में हैं, मैं समझता हूं कि इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन हमें पूरी सावधानी रखनी चाहिए। जो ओ.एन.जी.सी., सेल, भेल, डेल और नवरत्न, विदेश संचार निगम आदि-आदि हैं उनको और भी सुधारा जाए और धन जुटाने में भी कोई संकोच न किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन (शिवगंगा): सभापति महोदय, यह वास्तव में अत्यन्त महत्वपूर्ण मामला है जिसकी सरकार द्वारा छानबीन की जानी चाहिए।

हमें यह कहते हुए अत्यन्त प्रसन्नता होती है कि महाराष्ट्र औद्योगिक रूप से उन्नत राज्य है। श्री मनोहर जोशी वहां के अत्यन्त सफल मुख्यमंत्री थे और उन्होंने हाल ही में भारी उद्योग और सार्वजनिक उपक्रमों के मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है। अत: उन्हें काफी अनुभव है। हमारे राष्ट्र के इस अत्यन्त महत्वपूर्ण अवधि के औद्योगिक विकास दृष्टिकोण की अच्छी तरह छानबीन की जानी चाहिए क्योंकि हम वास्तव में सोच रहे हैं कि केवल विदेशी कोष और निजी क्षेत्र ही इस देश के विकास के लिए कार्य कर सकते हैं। लेकिन यह सही वक्तव्य नहीं है। सच्चाई यह है कि उनकी भी आवश्यकता होती है। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे पास अत्यन्त समृद्ध विरासत है। हमारे पास सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा चलाए जा रहे बहुत अच्छे उद्योग भी हैं जो विश्व में सफलतापूर्वक और आश्चर्यजनक रूप से कार्य कर रहे हैं जबकि अन्य देश सामान्य होने के लिए लड़खड़ा रहे थे।

भारत समाजवादी देश के रूप में अत्यन्त सफल रहा था जब रूसी साम्यवादी दल और श्री गोर्बाचोव अपने देश को एकजुट नहीं रख पाए थे। हम लोगों ने विभिन्न वर्गों और भिन्न सांस्कृतियों के लोगों को पिछले 50 वर्षों से इकट्ठा रखे हुए हैं। यह महान उपलब्धि है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी सभी अच्छी बातों को उल्टाने के लिए कदम उठा रही है। यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी का दृष्टिकोण पिछली सरकार के दृष्टिकोण से भिन्न है। वे सब चीजों का विराष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं और वे मंडल और कमंडल के आधार पर लोगों को विभक्त करना चाहती है, जो अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है। संसद का नया सदस्य होने के रूप में, मैं महत्वपूर्ण व्यक्तियों की प्रत्येक गतिविधि का निरीक्षण कर रहा हूं। मुझे यह देखकर अत्यन्त अप्रसन्नता हुई कि श्री प्रमोद महाजन दो युवा सदस्यों श्री सोमैया और श्री स्वाईं को गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक लाकर नागरिकों के बीच में विभाजन को बढ़ा रहे हैं और उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। ये चीजे हैं जिसे देश के लोग देख रहे हैं। अत: भारतीय जनता पार्टी भारतीय*...... पार्टी नहीं होनी चाहिए। यह ऐसा दल नहीं होना चाहिए जो राष्ट्र का बंटवारा कर दे। यह राष्ट्र इस सरकार से पर्याप्त अपेक्षा रखता है क्योंकि विभिन्न दृष्टिकोण के लोग इकट्ठे हुए हैं और मिलकर सरकार का गठन किया है। अत: लोग इस सरकार से बहुत अधिक अपेक्षा कर रहे हैं।

सभापति महोदय : उस शब्द को कार्यवाही सारांश से निकाल दिया जाएगा।

श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन : इस सन्दर्भ में मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि वे कृपया सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर विचार करें। इन उपक्रमों का सृजन इस उद्देश्य के लिए किया गया था कि निजी उद्यमी निवेश का इतना अधिक हिस्सा न लें कि वह क्रान्ति के स्तर तक पहुंच जाए। यह पं. जवाहर लाल नेहरू का मंतव्य था जब उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र की इन इकाइयों को स्थापित किया था। वह लोहा, इस्पात और कोयला जैसे उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र में लाए थे क्योंकि उस समय राष्ट्र को उसकी आवश्यकता थी। जब विश्व के अन्य देश प्रगति नहीं कर पाए भारत ने अपने सार्वजनिक क्षेत्र के कारण काफी प्रगति की थी। इसमें कर की बहुत बड़ी राशि का निवेश किया गया ताकि वे अन्य राष्ट्रों के साथ प्रतिस्पर्धा करने

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

[श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन]

के स्तर तक पहुंच जाएं। वह सामान और अन्य सामग्री की आपूर्ति कर सकते हैं जो अर्द्ध विकसित देशों का निर्माण करने के लिए आवश्यक होते हैं। पहले सभी गुटनिरपेक्ष देश हमारे से खरीदते थे और विश्व के सभी देश हमारी ओर देखते थे। हमारे सार्वजनिक क्षेत्र की महत्ता थी जिसे पंडित नेहरू द्वारा चलाया गया था। इसके पश्चात् जब इन्दिरा जी सत्ता में आईं तो उन्होंने इन इकाईयों को शीर्ष में लाने के लिए अत्यन्त जोरदार ढंग से प्रोत्साहन दिया। वे हर क्षेत्र में बाजी मार गए।

उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था और हम इतिहास को पुनः नहीं लिख सकते। बैंकों का राष्ट्रीयकरण देश के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हुआ। इससे सामान्य जनता को छोटे उद्योगों के लिए पूंजी और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए जानकारी मिलने में सहायता प्राप्त हुई। यह काफी सफल परंतु जोखिम भरा कदम था क्योंकि बहुत सारे बेरोजगारों को न केवल रोजगार प्राप्त हुआ बल्कि उन्हें स्वयं रोजगार भी प्राप्त हुआ। उन्होंने बहुत अच्छे लघु उद्योग और मध्यम श्रेणी के उद्योगों को बढ़ावा दिया।

यह कार्य श्रीमती इंदिरा गांधी का था। उनके कार्यकाल में इसका प्रचलन हुआ था। इससे बेरोजगारी में स्थिरता आई थी। यह इस प्रकार के अवसरों के कारण कम हो रही थी। इसलिए, हम लघु उद्योगों को बदल नहीं सकते हैं। हम मध्यम श्रेणी के उद्योगों का खात्मा नहीं कर सकते।

अब देखिए पिछले पांच सालों में क्या हुआ? हमने कई सरकारों को आते व जाते देखा। लेकिन हर-एक बार उन्होंने लघु उद्योगों को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने मध्यम श्रेणी के उद्योगों को समाप्त किया। उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को भी योजनाबद्ध ढंग से समाप्त किया। वे चाहते हैं कि सार्वजनिक उद्योग अपनी प्राकृतिक मौत को प्राप्त हों। यह किस प्रकार संभव है? यह हमारा पैसा है। यह हमारे करदाताओं का पौसा है। पिछले 50 सालों से, यह गरीब जनता की मेहनत की कमाई है। उनका खून व पसीना ही है जो कर के रूप में परिवर्तित हुआ, उन्हीं पैसों से हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग खड़े हो पाए। इसलिए, यह हमारा पैसा है। यह लोगों का पैसा है। यह हमारे पूर्वजों का धन है। इसमें हमारे पुरखों का धन लगा है। इस धन की रक्षा करनी चाहिए। इन परिसम्पत्तियों की रक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार कार्य करने का ढंग नई सरकार के पास होना चाहिए। उनके पास कुछ राष्ट्रभक्ति है। उन्हें यह महसूस होना चाहिए कि वे भारतीय उद्योगों को चला रहे हैं। हम उन्हें हमारे लोगों की ओर से चला रहे हैं। हम उन्हें अपने शेयर-धारकों की ओर से चला रहे हैं, ये वे लोग हैं। जो निजी क्षेत्र के उद्योग से भी अधिक हैं। निजी क्षेत्र के उद्योग कुछ लोगों द्वारा दिए गए शेयरों के आधार पर प्रबंध निर्देशक या निर्देशक मंडल द्वारा चलाए जाते हैं। लेकिन इसमें तो संपूर्ण देश का पैसा लगा है। सार्वजनिक क्षेत्र के शेयर-धारक इस देश के नागरिक हैं। इसलिए, प्रबंधक जो इस सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के प्रबंध निर्देशक या निर्देशक या अध्यक्ष हैं उन्हें यह अनुभव होना चाहिए कि वे कंपनियों को चला रहे हैं। हम जनता के पैसे को लगा रहे हैं। हम समुदाय की परिसम्पत्तियों का उपयोग कर रहे हैं। इस प्रकार की भावना का निर्माण किया जाना चाहिए। मैं निवेदन करता हूं कि ये कार्य व्यवसायिक प्रबंधकों द्वारा ही किया जाना चाहिए। नौकरशाहों को कंपनियां नहीं चलानी चाहिए। नौकरशाहों को नौकरशाही का ही प्रबंधन करना चाहिए। वे कंपनियों को नहीं चला सकते। वे कपड़ा-मिलों को नहीं चला सकते। वे स्टील उद्योगों को नहीं चला सकते। वे किसी भी प्रकार के विपणन व्यवस्था को नहीं संभाल सकते। वे उन्हें सीख भी नहीं सकते। संभवतः वे अनेक बातें सीखने के लिए विदेश जाते हैं लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है इसका कारण है उन्हें वापस आते ही चमड़ा उद्योग से स्टील उद्योग में स्थानान्तरित कर दिया जाता है। इसलिए, यह उनके लिए बहुत आसान है, नौकरशाह हर दूसरे या तीसरे साल बदल जाते हैं। वे उन्हें बदल रहे हैं।

इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्रालय इस बात पर विचार करे कि इसका व्यवसायिक निबंधन हो और विपणन व्यवस्था को भी पूर्ण रूप से विचाराधीन रखना चाहिए। उद्योग को स्वयं लोगों की आवश्यकताओं और विपणन आवश्यकताओं का निर्णय लेना चाहिए।

मैं मजदूरों के बारे में भी निवेदन करना चाहता हूं—क्योंकि श्रमिक संघों की भी सार्वजनिक क्षेत्रों में भागीदारी होनी चाहिए ताकि वे उनके शेयरधारक बन सकें। उन्हें यह महसूस होना चाहिए कि यह उनका अपना उद्योग है। सेवा ही उनके लिए सबसे आवश्यक है। श्रमिक संघों को उद्योगों में उनकी भागीदारी का एहसास होना चाहिए। उन्हें यह महसूस नहीं होना चाहिए कि वे किसी निजी प्रबंध के विरुद्ध आंदोलन कर रहे हैं। उन्हें लोक निवेश के विरुद्ध आंदोलन नहीं करना चाहिए। इसलिए, मैं निवेदन करता हूं कि श्रमिक-संघों को भी अपना रवैया बदलने की आवश्यकता है। फिर वे यह दिखा सकते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग किसी भी मामले में निजी उद्योगों से कम नहीं हैं। वे भी प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। वे भी आधुनिक हैं। वे भी प्रतिस्पर्धा के स्तर तक आ कर कहीं भी जाकर किसी भी उद्योग से अपनी प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। इस तरह, मनोवृत्ति में भी बदलाव आना चाहिए। यह अति आवश्यक है।

मैं इस बात का भी उल्लेख करना चाहता हूं कि एन.टी.सी. मिलें अब बीमार अवस्था में चल रही हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भी कई मिलों की हालत खस्ता है। उनका पुनरुत्थान किया जाना चाहिए। अतः उन्हें पूंजी मिलनी चाहिए। नए निवेश होने चाहिए। श्रमिकों से संबंधित मामलों का तुरंत निपटारा किया जाना चाहिए। श्रमिकों के साथ कुछ समझौता करके इनका पुनरुत्थान किया जाना चाहिए। हमें कपड़ा नीति को भी बदलना चाहिए। कपास, अन्य कच्चा माल और कपास की निर्यात संबंधी नीति में परिवर्तन लाना चाहिए ताकि कपड़ा मिलों का पुनरुत्थान किया जा सके। वह हमें अन्य प्रकार से भी सहायता करेंगे। हथकरघा उद्योग भी पनपेंगे। यह बहुत सारी गरीब जनता के लिए रोज़गार प्रदान करती है।

इन्हीं शब्दों से, मैं उन्हीं मुद्दों पर बोल रहा हूं जो श्रीमती गीता मुखर्जी ने उठाए थे।

[हिन्दी]

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी): माननीय सभापति जी, श्रीमती गीता मुखर्जी ने जो संकल्प रखा है, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं कि उनके संकल्प पर चर्चा करने का आपने मुझे अवसर दिया है। पूर्व वक्ताओं ने भी इसका उल्लेख किया है कि प्रश्न के जरिये, अन्य नियमों के जरिये और प्राइवेट मैम्बर्स संकल्प के जरिये इस सदन में रुग्ण सरकारी उपक्रम के संबंध में बार-बार चर्चा होती है। लेकिन चर्चा के बाद एकमुश्त इसका ठोस रास्ता निकाला जाये और रास्ता निकालकर कोई निदान हो सके, यह अब तक संभव नहीं हुआ है।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह बहुत ही अच्छा अवसर है, जब माननीय गीता जी इस सदन में इस संकल्प को लाई हैं। अभी जो भारी उद्योग के माननीय मंत्री जोशी साहब हैं, निश्चित रूप से मुम्बई एक विकसित औद्योगिक शहर और प्रदेश का भाग है, उसमें मजबूती से उद्योगों को बढ़ाने का काम इनके हाथों वहां मुख्य मंत्री रहते हुआ है। यह मौका है, जब इन्हें यहां देश के इन उपक्रमों की हालत सुधारने की जिम्मेदारी इनके ऊपर आई है तो आशा बंधी है कि निश्चित रूप से कुछ न कुछ एकमुश्त होगा, क्योंकि मंत्रालय में जो प्रभार में आते हैं, उनका वजन, उनका इरादा और उनकी विल पावर से बहुत कुछ सम्भव होता है। इस काम के लिए कई मंत्रालयों में समन्वय स्थापित करके ठोस निर्णय करने पड़ते हैं। उसके लिए निश्चित रूप से माननीय मंत्री जी सक्षम हैं। सारे सदन ने यही बताने का काम किया है और सब को विश्वास भी है कि ये कुछ ठोस काम करेंगे।

जहां तक चर्चा का सवाल है, इस संकल्प पर कई माननीय सदस्यों ने चर्चा की है कि नौकरशाही के कारण, भ्रष्टाचार के कारण, राजनैतिक हस्तक्षेप के कारण और कुप्रबन्धन के कारण 226 के आसपास सरकारी उपक्रमों की स्थिति खराब है। जिनमें से सरकारी रिपोर्ट के आधार पर 12 उपक्रमों को बन्द करने की बात कही गई है, जिनकी माननीय पाण्डेय जी ने यहां पर सूची भी पढ़कर सुनाने का काम किया है, चाहे सी.सी.आई. हो, एफ.सी.आई. हो या एच.एफ.सी. हो, कई अन्य संस्थाओं की भी चर्चा हुई है, जिनको सरकार बन्द करने की स्थिति में मानती है। यहां पर अभी हमारे मित्र कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य बार-बार बता रहे थे और राजनैतिक चर्चा कर रहे थे।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से चिन्ता व्यक्त करना चाहता हूं कि इस देश में जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, जब मिश्रित अर्थव्यवस्था थी, मिक्स्ड इकोनोमिक पॉलिसी थी, तभी उस समय की सरकारों ने पांच खरब 83 अरब रुपये के लगभग की लागत से सरकारी उपक्रमों का निर्माण कराया। उस समय इनका बड़े ही शुद्ध मन से निर्माण कराया गया था कि ये इस देश के मंदिर होंगे और सरकारी उपक्रम इस देश के द्रुतगामी विकास में बहुत ही सहायक होंगे। अभी हमारे जो साथी चर्चा कर रहे थे, मैं आपके माध्यम से उनका भी ध्यान खींचना चाहता हूं कि ये नौकरशाही के कारण, कुप्रबन्धन के कारण, भाई-भतीजावाद के कारण, जोरदार भ्रष्टाचार और राजनैतिक चारागाह बनाने के कारण 50 वर्षों में जिनकी भी कुर्सी रही हो, इन सरकारी उपक्रमों की हालत इन सभी विषयों में उसी समय से बद से बदतर हुई है।

मैं पूर्व में 11वीं लोक सभा की उद्योग मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति में था तो संयोजक के रूप में मुझे कई जगहों पर जाने का मौका मिला था जो स्कूटर्स इंडिया लखनऊ में है, उसे देखने का मौका मिला। वहां 500 कर्मचारियों पर 250 अधिकारी थे। पता चला कि राजनैतिक हस्तक्षेप से कई संस्थानों में जो भी आया, उसने अपने आदमियों को लगाया और बताया कि उसकी बहाली हो गई। इस तरह बहाली होते-होते 250 अधिकारी और 500 कर्मचारी वहां हो गये।

सामान्यतया माना जाता है कि एक अधिकारी को काम करने के लिए कम से कम 10 कर्मचारी होने चाहिए। बहुत से ऐसे संस्थान हैं, जिनमें एक अधिकारी पर छह कर्मचारी तक तो माना गया है, लेकिन एक अधिकारी के साथ दो कर्मचारी, यह केवल सरकारी उपक्रमों में ही 50 वर्ष के आजाद भारत में, जब हम स्वर्ण जयंती वर्ष मना चुके हैं, सरकारी उपक्रमों में इसी प्रकार से भाई-भतीजावाद, राजनैतिक चारागाह, कुप्रबन्धन और नौकरशाही के

[श्री नवल किशोर राय]

कारण इनकी स्थिति बिगड़ी है। उसकी समीक्षा करने से यह देखने को मिलता है। लेकिन इनका सुधार केवल समीक्षा करके नहीं किया जा सकता जैसी हम चर्चा करते रहते हैं। पहले भी इस सर्वोच्च सदन में, इस संसद में कई सुझाव आये हैं और कई बातों पर चर्चा होती रहती है, लेकिन उनको ठोस अमली जामा नहीं पहनाया जाता है।

बी.आई.एफ.आर. में, जब संसदीय स्थायी समिति में हम काम कर रहे थे तो मैंने देखा कि दो वर्ष से, तीन वर्षों से कई संस्थानों से बी.आई.एफ.आर. के पास प्रस्ताव आये हुए हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के कारण उनको निपटाया नहीं जा रहा है।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार के माननीय मंत्री जी का ध्यान मैं इस ओर खींचना चाहता हूं कि क्या यह नहीं हो सकता है कि बी.आई.एफ.आर. में जो भी मामले आते हैं, दूसरे 26 संस्थान हों या जो ये 12 संस्थान बंद होने वाले हों, उनकी समयक सीमा निर्धारित हो। समय के साथ प्रस्ताव आयें और समय के साथ ही उनका निपटान कर दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। बी.आई.एफ.आर. में पैरवी करनी पड़ती है। बी.आई.एफ.आर. में दूसरा तरीका अपनाया जाता है, जिसके कारण वहा गड़बड़ी होती है। मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं, पिछले वित्तीय वर्ष में नेशनल रिन्युअल फन्ड में 205 करोड़ रुपए का उपयोग नहीं हुआ, जबकि 226 सरकारी उपक्रमों की स्थिति खराब है। हमारे देश में एक दर्जन भेल आदि जैसी कम्पनियों की स्थिति ठीक है, बाकी सभी उपक्रमों की स्थिति खराब है। यह मैं पहले ही बता चुका हूं कि 12 कंपनियां बन्द करने की स्थिति में है, जिन पर हम गम्भीरता से विचार कर रहे हैं। माननीय गीता मुखर्जी जी द्वारा यह प्रस्ताव सदन में विचार करने के लिए प्रस्तुत किया गया है, इसलिए हमें इस स्थिति पर विचार करने का अवसर मिला है।

महोदय, एक तरफ तो यह स्थिति है और दूसरी तरफ यदि हम भारत सरकार के बजट का अध्ययन करें, तो पायेंगे कि जिस वर्ष बजट में नेशनल रिन्युअल फन्ड में जितने पैसे की व्यवस्था की जाती है, उस वर्ष उतना पैसा उपयोग नहीं होता है। यह इसलिए नहीं हो पाता है, क्योंकि हम समयक निर्णय समय सीमा के साथ विभिन्न मंत्रालयों के साथ चर्चा करके एकमुश्त निर्णय नहीं लेते, स्थल पर ही निपटाने का काम नहीं करते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं, आप सक्षम मंत्री हैं, आपकी हैसियत है, आपके वजन को भी हम मानते हैं, आप में काम करने की तमन्ना भी है, इसलिए बी.आई.एफ.आर. में जितने भी मामले हैं, एकमुश्त सभी मंत्रालयों के साथ चर्चा करके उनका निपटान कर देंगे, तो बहुत कुछ समस्या हल हो पाएगी।

इसके साथ ही मैं एक बात और कहना चाहता हूं। सरकार जितने भी सरकारी उपक्रम हैं, उनको ठीक करना चाहती है। सरकारी उपक्रम इसलिए बने थे कि किसी फैक्ट्री के साथ उनको काम मिलेगा, जैसे बोकारो में हाऊसिंग कन्ट्रक्शन लिमिटेड कम्पनी है। कई जगह उसकी यूनिट हैं, सेल से उसको काम मिलना चाहिए, लेकिन उसके पास कन्स्ट्रक्शन का काम है। उसके कर्मचारियों को 12 महीने का वेतन नहीं मिला है। आज काम मिलने में कई तरह के तरीके अपनाए जाते हैं। राजनैतिक पैरवी और कई प्रकार की बातें होती हैं, जिसके कारण हाउसिंग कन्सट्रक्शन लिमिटेड को काम नहीं मिलता है। इसी प्रकार से पटना में भारत वैगन कम्पनी है, जिसका यूनिट मुजफ्फरपुर में है। मैं बिहार से आता हूं, इसलिए मैं उसकी चर्चा करना चाहता हूं। सभापति महोदय, इस कम्पनी के बारे में आपके संज्ञान में भी होगा कि उसकी क्या स्थिति है। इसका एक यूनिट मोकामा में भी है और इसको रेलवे से वैगन बनाने का काम मिलता था, लेकिन रेलवे मंत्रालय द्वारा उस कम्पनी को वैगन बनाने का काम नहीं मिलता है और वह बिजली के खम्बे बनाने का काम करता है। यह काम भी राज्य सरकार उसे नहीं दे पाती है। यह यूनिट भी सिक हो रही है। मुझे आशा है, आप इस पर भी विचार करने वाले हैं। मैं माननीय मंत्री जी से गुजारिश करना चाहता हूं कि क्या यह संभव नहीं है कि विभिन्न मंत्रालयों से उसको जो काम मिल सकता है, उसका एक पैकेज बनाकर काम दिया जाए। आपकी कृपा होगी, यदि आप रेलवे मंत्रालय से बात करके भारत वैगन को काम देने की व्यवस्था करायें। यह बहुत ही सक्षम यूनिट है, लेकिन आज वह सिक हो गई है। रेलवे में जितना भी कोच बनता है, वैगन बनता है, यदि सब वह भारत वैगन को मिलेगा, तो वह कम्पनी भी विकास कर सकेगी। इसी प्रकार से ऋषिकेश में आई.डी.पी.एल. है। माननीय डाक्टर साहब ने ठीक कहा कि वहां पर भी ठीक से दवायें बननी चाहिए, लेकिन दवायें नहीं बन रही हैं, आधी दवायें बन रही हैं। किसी प्रकार से उस कम्पनी को चलाया जा रहा है। लखनऊ में स्कूटर लिमिटेड कम्पनी है, लेकिन वहां पर स्कूटर नहीं बनता है, कुछ और ही चीज बनाने लगे हैं और वह कम्पनी भी बी.आई.एफ.आर. में है। हम आर्थिक सुधार के दूसरे चरण में चल

रहे हैं। आज सुबह ही प्रश्न काल में इस बारे में चर्चा हुई है और कल इससे संबंधित विधेयक पारित हुए हैं। यह दूसरे चरण की शुरूआत है। हम 1991 में मिक्सड इकानामी पालिसी को छोड़कर इस संसद के माध्यम से उन लोगों के जमाने में हम लिब्रालाइजेशन में गए।

हमारे यहां न्यू इकोनोमिक पालिसी, न्यू इंडस्ट्रियल पालिसी आ गई। आज न्यू इकोनोमिक पालिसी, न्यू इंडस्ट्रियल पालिसी में प्रथम चरण पूरा करके यह सरकार द्वितीय चरण की शुरूआत कर रही है। हम मंत्री जी से अनुरोध करना चाहते हैं कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए। यह सरकारी उपक्रम मिक्स्ड इकोनोमिक पालिसी में सिक हो गए। जिस पालिसी में इसको भारत का मंदिर कह कर निर्माण कराया गया, भारत के विकास के लिए तीव्रतर और तेज धार बनाने के लिए इन सभी यूनिटों की स्थापना हुई थी। मिक्स्ड इकोनोमिक पालिसी उनकी धरोहर थी, जिन्होने इसे शुरू किया था और इसको मंदिर के रूप में विकसित करने का काम किया था। इसके जमाने में चरागाह बना। राजनैतिक चरागाह, भाई-भतीजावाद और फिर नौकरशाह के कारण, कुप्रबंधन के कारण वे सभी के सभी सिक हो गए। लेकिन कुछ यूनिट मिक्स्ड इंडस्ट्रियल पालिसी में प्रतियोगिता में फेस नहीं कर सके। आज हम लिब्रलाइजेशन के प्रथम दौर को पूरा कर चुके हैं। लिब्रलाइजेशन का प्रथम दौर, जो 1991 से अब तक चला आया, उसमें हम कहां खड़े हैं। उनमें 12 यूनिट बंद होने वाले हैं, कितने हाथ बेकार हुए हैं। अब हम द्वितीय चरण में आए हैं। कल हमने विधेयक भी पारित किया है। मैं गीता जी के प्रस्ताव में बहुत सारी बातों का समर्थन करता हूं लेकिन संपूर्ण रूप से समर्थन नहीं करना चाहता, क्योंकि जब मिक्स्ड आर्थिक नीति में, मिक्स्ड पालिसी में हम इन सरकारी उपक्रमों को जमीन पर खड़ा रख कर फेस नहीं कर सके, अपनी स्थिति को नहीं बना सके तो फिर जो आर्थिक सुधार हुए हैं, प्रथम चरण के आर्थिक सुधार में 1991 से अब तक जो हुए हैं, उनमें हमारी समझ में हम बहुत पीछे हैं। उसके बाद जब हम द्वितीय चरण की शुरूआत कर रहे हैं तो हमें उस पर गंभीरता से सोचना पड़ेगा और बहुत ही ठीक ढंग से विचार करके इसको आगे ले जाना पड़ेगा। हम जब तक प्रतियोगिता में नहीं आएंगे, चाहे जरूरत पड़े तो निजी क्षेत्र में भागीदारी की जाए, चाहे शेयर बेचे जाएं या फिर किसी तरह से निवेश किया जाए, लेकिन उसको ठीक से सम्यक नीति बना कर संसद में इस पर आप एक पैकेज लेकर आइए। उस पैकेज पर चर्चा कराइए और उसके बाद सभी मजबूत मंत्रालयों को साथ ले करके एकमुश्त फैसला कीजिए, अकेले उद्योग मंत्रालय ही इसमें सक्षम नहीं होगा।

महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि यह जो नयी आर्थिक नीति का दूसरा चरण शुरू हुआ है, इसमें और भी महत्वपूर्ण बन जाता है, जब हम मिक्स्ड पालिसी में इसे फेस नहीं कर पाए हैं तो इस दौर में हम इसे कैसे कर पाएंगे। वहीं पर मजदूरों की बात है, इस पर पहले भी चर्चा चलती रही है कि श्रमिकों की भागीदारी प्रबंधन में दी जाए। प्रबंधन के साथ-साथ श्रमिक यह मानें कि यह जिम्मेदारी हमारी है, मंदिर हमारा है। इस माहौल को भी पैदा करना है। आप जो 12 यूनिटों को बंद करने की बात सोच रहे हैं उनका कोई दोष नहीं है। उनके बच्चे एवं परिवार का दोष नहीं है। उनके कल्याण की बात सोचनी चाहिए। चाहे वी.आर.एस. हो, गोल्डन स्कीम हो, बी.आई.एफ.आर. से हो, उसको लटकाया न जाए। उनको सही जॉब दी जाए, सही काम दिया जाए। उनको ठीक से विकसित होने के लिए, उनके हक को देकर एक सम्यक नीति बना कर इसी सदन में मंत्री जी एक पैकेज लाइए और उस पैकेज की तरह एक सिंगल बिन्दु सिस्टम लगा कर एक ही खिड़की पर तमाम बी.आई.एफ.आर. के मामले को, गोल्डन सिक तथा वी.आर.एस. वाले मामले को निपटा कर श्रमिकों की हिस्सेदारी और उनकी जिम्मेदारी तथा समस्या को एकमुश्त हल करके नये दौर में, नई आर्थिक नीति के दूसरे चरण में वे कैसे प्रतियोगिता में भाग लेकर मल्टीनेशनल्स के साथ हम बाजार में फेस कर पाएंगे, उस प्रकार का एक पैकेज लाकर ऐसा निदान करें कि युग-युग तक मनोहर जोशी का नाम रहे।

हम आपसे यह निवेदन करेंगे कि आप इसको मजबूती से लेकर ठीक से कराइए। बिहार के अंदर जो भारत वैगन है, उसके लिए आप रेलवे से बात करें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। आप वहां जाकर भी उसे देखिए और रेलवे से बात करके वैगन बनाने का काम संपूर्ण रूप से उस यूनिट को दिलवाइए।

सायं 6.00 बजे

ताकि वह बंद होने की स्थिति में न आ जाये और आई.डी.पी.एल. की समस्या का भी आप समाधान करिये। यही कहते हुए और इसका आंशिक समर्थन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

सायं 6.0$^{1}/_{2}$ बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी है:-

(1) ''राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 3 दिसम्बर, 1999 को हुई अपनी बैठक में पारित, विशेष संरक्षा ग्रुप (संशोधन) विधेयक, 1999 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।''

(2) ''राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 3 दिसम्बर, 1999 को हुई अपनी बैठक में पारित केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 1999 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।''

2. महोदय, मैं राज्य सभा द्वारा 3 दिसम्बर, 1999 को यथा पारित विशेष संरक्षा ग्रुप (संशोधन) विधेयक, 1999 और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (संशधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 1999 सभा पटल पर रखता हूं।

सभापति महोदय : अब लोक सभा सोमवार, 6 दिसम्बर, 1999 के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.01 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार 6 दिसम्बर, 1999/15 अग्रहायण, 1921 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।